भारत और मानव अधिकार

50

भारत और मानव अधिकार

सम्पादक
एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
1998

सं. 9–पी.आर.आई.एस. (पोल.)/लार्डिस/98

© 1998, लोक सभा सचिवालय

अंग्रेजी संस्करण भी उपलब्ध है।

मूल्य : 550.00 रुपए

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) 1998 के नियम 382 के अधीन प्रकाशित और जैनको आर्ट इण्डिया, 13/10, डब्ल्यू.ई.ए, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 द्वारा मुद्रित।

प्राक्कथन

हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता, चाहे उनकी वैचारिक आस्थाएं जो भी रही हों, मानव के राजनीतिक एवं सामाजिक आर्थिक अधिकारों के महान समर्थक और प्रतिपादक थे। अत: हमारे संविधान-निर्माताओं का अधिकतम ध्यान, मूल अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों पर, जो युगलत: हमारी ''मूल स्वतंत्रताओं'' के आधार हैं, ही केन्द्रित था। वस्तुत: समाज के लिए एक समतावादी व्यवस्था का विधान करने की दृष्टि से हमारा संविधान, मानव-अधिकारों का एक व्यापकतम और स्वत:पूर्ण दस्तावेज है। भारत में मानव अधिकारों के अनुरक्षण के लिए, पिछले पचास वर्षों में निर्मित, सभी संस्थागत और विधायी संरचनाओं ने, सार्वभौम मानव अधिकारों के संरक्षण और प्रोन्नयन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को बड़े अर्थपूर्ण ढंग से प्रतिपादित किया है।

यह पुस्तक, जिसका संकलन लोक सभा सचिवालय की ग्रंथालय, संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) ने किया है, मानव अधिकार विषयक साहित्य की एक अति उपयोगी कृति है। हितबद्ध पाठकों को इस संकलन में, उन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की एक झलक मिलेगी, जिन्होंने विश्व में और विशिष्टत: भारत में, वर्तमान रूप में ''मानव अधिकारों'' की संकल्पना के विकास में सारवान योगदान किया है। इस क्षेत्र में सार्वभौमिक विकास में एवं हमारे समाज के सभी वर्गों द्वारा मानव अधिकारों के उपभोग के लिए समुचित तंत्र विकसित करने में, भारत सदैव ही तत्पर रहा है। हमारी स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष में इस उपयोगी और सामयिक संकलन के प्रकाशन में लोक सभा सचिवालय की पहल सराहनीय है।

यह एक महत्वपूर्ण संयोग है कि हमारी स्वतंत्रता की पचासवीं जयन्ती का महोत्सव मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की पचासवीं जयन्ती के साथ मनाया जा रहा है। हमें विश्वास है कि इस संकलन का अध्ययन अति प्रबोधक और शिक्षाप्रद सिद्ध होगा।

जी. एम. सी. बालायोगी

गन्ती मोहन चन्द्र बालायोगी
अध्यक्ष
लोक सभा

नई दिल्ली
अगस्त 1998

प्रस्तावना

मानव अधिकारों के प्रति सम्मान का विषय प्रत्येक प्रजातांत्रिक समाज के लिए सदैव अति महत्वपूर्ण रहा है। यह सार्वभौमिक रूप में स्वीकारा गया है कि मानव अधिकारों के प्रति सम्मान और उनके संरक्षण एवं प्रोन्नयन के लिए सद्भाविक प्रयास किए बिना कोई भी प्रजातंत्र न तो जीवित रह सकता है और न उसका अस्तित्व कायम रह सकता है। यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से मानव अधिकारों का पोषण और संवर्धन अनेक राजनैतिक प्रणालियों में हो सकता है तथापि इतिहास ने निश्चित रूप से यह साबित कर दिया है कि शक्तिप्राप्त व्यक्तियों की ओर से निर्णयन प्रक्रिया में यथासंभव अधिकतम पारदर्शिता के वातावरण में ही वे वस्तुतः प्रतिभूत रह सकते हैं।

शासक प्राधिकारियों के प्रति शासितों के अधिकारों को लिखित रूप देने का विचार सर्वप्रथम मैगना कार्टा–जो 1215 का महान चार्टर है – में अभिव्यक्त हुआ है। इसी चार्टर में सर्वप्रथम विधि के शासन और मूल स्वतंत्रताओं की महत्ता प्रतिपादित की गई है। तत्पश्चात् अंग्रेजी अधिकार पत्र, अमरीकी स्वतंत्रता की घोषणा, मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा तथा अमरीकी अधिकार पत्र का सृजन हुआ। इसी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है। सर्वत्र मानव अधिकारों के प्रोन्नयन और संरक्षण के लिए सन् 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अंगीकरण भी एक अति महत्वपूर्ण बात थी। तभी से यह आधार वाक्य कि मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रताएं सभी व्यक्तियों के जन्म-सिद्ध अधिकार हैं, अनेक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में स्वीकार और अभिव्यक्त किया गया है।

भारत में मानव अधिकारों की संकल्पना उतनी ही प्राचीन है जितने प्राचीन हमारे वेद, पुराण और अन्य महाकाव्य हैं। प्रत्येक नागरिक की मूलभूत स्थिति उन विभिन्न धार्मिक दर्शनों का एक अन्तर्निहित अंग रहा है जो इस देश में अनन्त काल से, फले-फूले हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने अपने भावी सांविधानिक तंत्र में, मानव अधिकारों की सर्वोच्चता पर बल देने का विचार प्रतिपादित किया था। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने यह सर्वोच्चता उस समय अभिव्यक्त की थी जब उन्होंने हमें हमारा संविधान सौंपा था, जिसका अनुसरण हम पिछली अर्धशताब्दी से करते आ रहे हैं। तदनुसार, बहुत से बुनियादी मानव अधिकारों को, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को संविधान की उद्देशिका में विनिर्दिष्ट किया गया है। मानव अधिकारों के संबंध में अनेक आयोग और समितियां बनाई गई हैं जो वर्षों से अपना-अपना कार्य कर रही हैं। हमारी संसद भी सामाजिक परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में कार्यरत है। परिणामतः उसने भी समाज के वंचित व्यक्तियों, पददलितों और कमजोर वर्गों के हितसाधन के लिए विभिन्न विधियां अधिनियमित की हैं।

यह प्रकाशन, जिसमें मानव अधिकार विषयक अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज समाविष्ट हैं, भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के समारोह की समाप्ति की पूर्व संध्या पर और मानव-अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अंगीकरण की पचासवीं जयंती के समय प्रकाशित किया जा रहा है। जहां तक कि मानव अधिकार विषयक प्रमुख दस्तावेजों और लिखतों का संबंध है, यह संकलन सर्वसमावेशी न होकर, मात्र एक तुरन्त संदर्भ प्रकाशन है।

लोक सभा के माननीय अध्यक्ष श्री गन्ती मोहन चन्द्र बालायोगी ने, इस कृति के प्रकाशन में जो हमारा मार्गदर्शन किया है और सुविचारित प्राक्कथन लिखा है, उसके लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इन विशिष्ट संस्थाओं से संबंधित ब्यौरे-वार जानकारी उपलब्ध करके जो हमारी सहायता की है, हम उसके लिए उनके आभारी हैं।

गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और विधि मंत्रालय ने, इस संकलन के प्रकाशन में जो हमारी सहायता की है, हम उसके लिए उनके भी आभारी हैं। हम गृह मंत्रालय के विशिष्टतः आभारी हैं क्योंकि उन्होंने अपने एक दस्तावेज में से कुछ अंश उद्धृत करने की हमें अनुमति दी है।

विधि मंत्रालय ने विशिष्टत:, राज भाषा खण्ड में संयुक्त सचिव श्री सुन्दर लाल ने, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा, अंतरराष्ट्रीय सिविल और राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा और अंतरराष्ट्रीय सिविल और राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविदा का वैकल्पिक प्राटोकोल नामक विधि मंत्रालय के प्रकाशनों के हिन्दी पाठ उद्धृत करने की अनुमति देकर जो अनुग्रह किया है, हम उसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।

विधि मंत्रालय के राजभाषा खण्ड के श्री राम बाबू अग्रवाल, सेवानिवृत्त अपर विधायी परामर्शी, श्री त्रिलोकी नाथ मेहरोत्रा, सेवा-निवृत्त उप विधायी परामर्शी ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों के हिन्दी पाठ तैयार करने में अपने विशेषज्ञ अनुभव से हमारी अथक सहायता की है। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

इस महत कार्य में डा. अशोक कुमार पाण्डे, अपर सचिव; सर्वश्री जान जोसेफ, संयुक्त सचिव; रमेश चन्द्र आहूजा, निदेशक विजयकृष्णन के., संयुक्त निदेशक; कैलाश भूषण तिवारी, उपनिदेशक और श्रीमती मंजू शर्मा, कार्यपालक अधिकारी ने जो महत्वपूर्ण योगदान किया है, वह अति प्रशंसनीय है।

लोक सभा सचिवालय की सम्पादन तथा अनुवाद सेवा ने, विशिष्टत: निदेशक श्री सुरेन्द्र कौशिक; मुख्य सम्पादक श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट तथा श्री पूरन चन्द्र चौधरी; वरिष्ठ सम्पादक श्री विद्या सागर शर्मा तथा श्री प्रकाश नारायण भारद्वाज; सम्पादक श्री जय भगवान शर्मा और सहायक सम्पादक श्री पीयूष चन्द्र दत्त ने इस संकलन को यथासमय पूरा करने में हमारी प्रचुर सहायता की है।

श्री राधेश्याम, मुद्रण प्रभारी अवर सचिव, लोक सभा सचिवालय और श्री सुधीर कुमार जैन, जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष श्रम किया है कि यह प्रतिष्ठित प्रकाशन यथासमय प्रकाशित हो।

हमें आशा है कि यह प्रकाशन संसदज्ञों, अनुसंधानविदों और मानव अधिकारों के क्षेत्र में अभिरुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों के लिए एक उपयोगी स्रोत सिद्ध होगा।

एस. गोपालन

नई दिल्ली
10 अगस्त 1998

एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

विषय-वस्तु

पृष्ठ

प्राक्कथन ..... (i)

प्रस्तावना ..... (iii)

I. भारत और मानव अधिकार – ऐतिहासिक दस्तावेज और संबंधित संस्थाएं

1. ''मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम''
(1931 में कराची कांग्रेस सत्र में अंगीकृत संकल्प) 1

2. उद्देश्यों का कथन
(भारत की संविधान सभा द्वारा तारीख 22 जनवरी, 1947 को अंगीकृत) 3

3. भारत का संविधान 4

क. उद्देशिका 4

ख. मूल अधिकार 5

ग. राज्य की नीति के निदेशक तत्व 13

घ. मूल कर्तव्य 15

4. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 16

5. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 24

6. संसद के अधिनियमों के अधीन स्थापित विशेष संस्थाएं 38

क. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग
[संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990] 39

ख. राष्ट्रीय महिला आयोग
(राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990) 41

ग. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
(राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992) 49

घ. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
(राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993) 53

7. संसदीय समितियां 57

क. याचिका समिति (लोक सभा) 58

ख. याचिका समिति (राज्य सभा) 59

ग. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति 60

घ. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति 61

8. भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक और विधिक उपबंध 62

पृष्ठ

II. विदेशी ऐतिहासिक दस्तावेज

1. मैगना कार्टा 91
2. अंग्रेजी अधिकार पत्र 98
3. अमरीकी स्वतंत्रता घोषणा 103
4. फ्रांस की मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा 106
5. संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान का अधिकार पत्र 108

III. संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार लिखतें

1. संयुक्त राष्ट्र का चार्टर 113
2. मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा @ 118
3. अन्तरराष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा @# 123
4. अन्तरराष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकारों पर प्रसंविदा का वैकल्पिक प्रोटोकोल $ 136
5. अन्तरराष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकारों पर प्रसंविदा का द्वितीय वैकल्पिक प्रोटोकोल, जिसका उद्देश्य मृत्यु दण्ड का उत्सादन है $ 139
6. अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा @# 142
7. सभी प्रकार के मूलवंशीय विभेदों को दूर करने का अन्तरराष्ट्रीय कनवेंशन # 150
8. बाल अधिकारों पर कनवेंशन # 159
9. महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के विभेदों के बहिष्करण पर कनवेंशन # 174
10. यंत्रणा और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दण्ड के विरुद्ध कनवेंशन #* 183
11. रंगभेद के अपराध के दमन और दण्ड पर अन्तरराष्ट्रीय कनवेंशन 193
12. खेलों में रंगभेद के विरुद्ध अन्तरराष्ट्रीय कनवेंशन 198
13. जातिसंहार विषयक अपराध के निवारण और दण्ड का कनवेंशन 203
14. युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों की कानूनी परिसीमाओं के लागू न होने पर कनवेंशन 206
15. महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों पर कनवेंशन 209
16. विवाहित महिलाओं की राष्ट्रिकता पर कनवेंशन * 211
17. व्यक्तियों के दुर्व्यापार और अन्यों की वेश्यावृत्ति के शोषण के दमन के लिए कनवेंशन 214
18. दासता कनवेंशन, 1926 220
19. दासता कनवेंशन, 1926 को संशोधित करने वाला प्रोटोकोल 223
20. दासता, दास व्यापार तथा दासता के समान संस्थाओं और प्रथाओं के उन्मूलन पर अनुपूरक कनवेंशन 225

IV. मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के अन्य दस्तावेज

1. विकास के अधिकार पर घोषणा 233
2. तेहरान उद्घोषणा 237
3. वियना उद्घोषणा और कार्य-योजना 240
4. 1 जनवरी 1995 से प्रारंभ हुई दस वर्ष की अवधि को, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार शिक्षा दशक के रूप में उद्घोषित करने वाला महासभा का संकल्प 259

उपाबंध भारत की संसद द्वारा अधिनियमित महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण विधान 262

मानव अधिकार—विशिष्ट संदर्भ सूची 270

$ भारत ने इन दोनों वैकल्पिक प्रोटोकोलों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

* भारत द्वारा इसका अनुसमर्थन अभी किया जाना है।

@ मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, अंतर्राष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा को एक साथ अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र माना जाता है।

\# अंतर्राष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा, सभी प्रकार के मूलवंशीय विभेदों को दूर करने का अंतर्राष्ट्रीय कनवेंशन, बाल अधिकारों पर कनवेंशन, महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के विभेदों के बहिष्करण पर कनवेंशन तथा यंत्रणा और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के विरुद्ध कनवेंशन-छह कोर कनवेंशन हैं।

I

भारत और मानव अधिकार
ऐतिहासिक दस्तावेज और संबंधित संस्थाएं

1

''मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम*''

कांग्रेस का यह मत है कि कांग्रेस द्वारा यथा विचारित ''स्वराज'' शब्द का अर्थ जनता को बोधगम्य हो सके, अत: यह वांछनीय है कि कांग्रेस की स्थिति इस प्रकार स्पष्ट की जाए कि जनता के लिए वह बोधगम्य हो जाए। जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक स्वतंत्रता के अन्तर्गत, भूखे मरने वाले हजारों लोगों की वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता भी, सम्मिलित की जाए। अत: कांग्रेस यह घोषित करती है कि संविधान में, जिसकी बाबत उसकी ओर से सहमति दी जा सकती है, निम्नलिखित के लिए उपबंध किए जाने चाहिए या स्वराज सरकार को ऐसे उपबंध करने की शक्ति होनी चाहिए:

1. व्यक्तियों के मूल अधिकार, जिनके अन्तर्गत हैं:

(एक) संगम और समुच्चय बनाने की स्वतंत्रता;

(दो) वाक् और प्रेस की स्वतंत्रता;

(तीन) अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, किन्तु यह स्वतंत्रता लोक व्यवस्था और सदाचार के अधीन रहते हुए होगी;

(चार) अल्पसंख्यकों की संस्कृति, भाषा और लिपि का संरक्षण;

(पांच) लिंग के आधार पर कोई वर्जन लगाए बिना, सभी नागरिकों के समान अधिकार और बाध्यताएं;

(छ:) सार्वजनिक नियोजन, शक्ति या सम्मान के पद और किसी व्यापार या उपजीविका के संबंध में, नागरिक के धर्म, जाति या पंथ या लिंग के आधार पर उस पर कोई निर्योग्यता अधिरोपित नहीं की जाएगी;

(सात) सार्वजनिक मार्गों, कुओं, विद्यालयों और जन समागम के अन्य स्थानों के संबंध में सभी नागरिकों को समान अधिकार;

(आठ) संबंधित बनाए गए विनियमों और आरक्षणों के अनुसार, आयुध रखने और धारण करने का अधिकार;

(नौ) किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से विधि के अनुसार से अन्यथा, वंचित नहीं किया जाएगा और न उसके निवासगृह या संपत्ति में, विधि के अनुसार से अन्यथा, प्रविष्ट किया जाएगा, उसे जब्त किया जाएगा या समापहृत किया जाएगा।

2. राज्य की ओर से धार्मिक तटस्थता।

3. वयस्क मताधिकार।

4. नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा।

5. औद्योगिक कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, सीमित श्रम घण्टे, कार्य के लिए स्वस्थ वातावरण, वृद्धावस्था के आर्थिक परिणामों, रुग्णता और बेकारी के विरुद्ध संरक्षण।

6. श्रमिकों को कृषिदासता से, या कृषिदासता की निकटतम स्थिति से मुक्त किया जाए।

7. महिला कर्मकारों का संरक्षण, विशिष्टत: प्रसूति अवधि के दौरान छुट्टी के लिए पर्याप्त उपबंध।

---

*उक्त संकल्प को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कराची में तारीख 29 मार्च से 31 मार्च 1931 तक हुए पैंतालीसवें सत्र में अंगीकार किया।

8. स्कूल जाने की आयु में कारखानों में बालकों के नियोजन के विरुद्ध निषेध।

9. अपने हित-संरक्षण के लिए संघ बनाने की बाबत श्रमिक का अधिकार। माध्यस्थम द्वारा विवादों के निपटारे के लिए उपयुक्त तंत्र।

10. कृषकों द्वारा दिए जाने वाले भाटक या राजस्व में सारभूत कमी और अलाभकर धृतियों के मामले में ऐसी अवधि के लिए भाटक देने से छूट, जैसी आवश्यक हो। उक्त कमी कर दी जाने के कारण, छोटे जमींदारों को, जहां आवश्यक हो, राहत।

11. नियत न्यूनतम के ऊपर कृषि आय पर प्रगामी आयकर का अधिरोपण।

12. श्रेणीकृत विरासत-कर।

13. सेना व्यय वर्तमान व्यय की तुलना में, कम से कम, आधा कर दिया जाए।

14. सिविल विभागों में व्यय और वेतन अधिक कम कर दिए जाएं। किसी सरकारी सेवक, विशिष्टत: नियोजित विशेषज्ञों और तत्समान सेवकों को छोड़कर, को किसी निश्चित धनराशि से अधिक संदाय न किया जाए, जो साधारणतया 500 रुपए से अधिक नहीं होगा।

15. देशी कपड़ों को विदेशी कपड़ों की तुलना में और देशी सूत को विदेशी सूत की तुलना में संरक्षण दिया जाए।

16. मादक पेयों और औषधियों का समग्र निषेध।

17. भारत में निर्मित नमक पर कोई शुल्क नहीं।

18. विनिमय और करेंसी नीति पर नियंत्रण जिससे कि भारतीय उद्योग का हित साधन हो और आम जनता को राहत मिले।

19. महत्वपूर्ण उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण और खनिज संपदा पर स्वामित्व।

20. सूदखोरी पर प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: नियंत्रण।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, पूर्वोक्त में ऐसे कोई भी पुनरीक्षण, संशोधन या परिवर्तन कर सकेगी, जो कांग्रेस की नीति और सिद्धांतों से अंसगत न हों।

2

उद्देश्यों का कथन*

(1) यह विधान-परिषद भारतवर्ष को एक पूर्ण स्वतंत्र जनतंत्र घोषित करने का दृढ़ और गम्भीर संकल्प प्रकट करती है और निश्चय करती है कि उसके भावी शासन के लिये एक विधान बनाया जाये;

(2) जिसमें उन सभी प्रदेशों का एक संघ रहेगा जो आज ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के अन्तर्गत तथा उनके बाहर भी हैं और आगे स्वतंत्र भारत में सम्मिलित होना चाहते हों; और

(3) जिसमें उपर्युक्त सभी प्रदेशों को, जिनकी वर्तमान सीमा चाहे कायम रहे या विधान-सभा और बाद में विधान के नियमानुसार बने या बदले, एक स्वाधीन इकाई या प्रदेश का दर्जा मिलेगा व रहेगा उन्हें वे सब शेषाधिकार प्राप्त होंगे व रहेंगे जो संघ को नहीं सौंपे जायेंगे और वे शासन तथा प्रबन्ध सम्बन्धी सभी अधिकारों को बरतेंगे, सिवाय उन अधिकारों और कामों के जो संघ को सौंपे जायेंगे अथवा जो संघ में स्वभावत: निहित या समाविष्ट होंगे या जो उससे फलित होंगे; और

(4) जिसमें सर्वतंत्र स्वतंत्र भारत तथा उसके अंगभूत प्रदेशों और शासन के सभी अंगों की सारी शक्ति और सत्ता जनता द्वारा प्राप्त होगी; और

(5) जिसमें भारत के सभी लोगों को राजकीय नियमों और साधारण सदाचार के अनुकूल निश्चित नियमों के आधार पर सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय के अधिकार वैयक्तिक स्थिति व सुविधा की तथा मानवी समानता के अधिकार और विचारों की, विचारों को प्रकट करने की, विश्वास व धर्म की, ईश्वरोपासना की, काम-धन्धे की, संघ बनाने व काम करने की स्वतंत्रता के अधिकार रहेंगे और माने जायेंगे; और

(6) जिसमें सभी अल्प-संख्यकों के लिए, पिछड़े हुए व कबायली प्रदेशों के लिए तथा दलित और पिछड़ी हुई जातियों के लिए काफी संरक्षण-विधि रहेगी; और

(7) जिसके द्वारा इस जनतंत्र के क्षेत्र की अक्षुण्णता रक्षित रहेगी और जल, थल और हवा पर उसके सब अधिकार, न्याय और सभ्य राष्ट्रों के नियमों के अनुसार रक्षित होंगे; और

(8) यह प्राचीन देश संसार में अपना योग्य व सम्मानित स्थान प्राप्त करने और संसार की शान्ति तथा मानव जाति का हित-साधन करने में अपनी इच्छा से पूर्ण योग देगा।

---

*पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने यह 'उद्देश्यों का कथन' तारीख 13 दिसम्बर 1946 को प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने, तारीख 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अंगीकार किया।

3

भारत का संविधान

क

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [**संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य**] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागिरकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को **एतत्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

ख

मूल अधिकार

साधारण

12. परिभाषा—इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ''राज्य'' के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद् तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान-मंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं।

13. मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां—(1) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं।

(2) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।

(3) इस अनुच्छेद में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''विधि'' के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का वल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है;

(ख) ''प्रवृत्त विधि'' के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी

समता का अधिकार

14. विधि के समक्ष समता—राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

15. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध—(1) राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

(2) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर-

(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या

(ख) पूर्णत: या भागत: राज्य-निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग,

के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

(4) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

16. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता–(1) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।

(2) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या उनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा।

(3) इस अनुच्छेद की कोई बात संसद् को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है।

(4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

(4क) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

(5) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो।

17. अस्पृश्यता का अंत–"अस्पृश्यता" का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। "अस्पृश्यता" से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

18. उपाधियों का अंत–(1) राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।

(2) भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।

(3) कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।

(4) राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।

स्वातंत्र्य-अधिकार

19. वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण–(1) सभी नागरिकों को–

(क) वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का,

(ख) शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन का,

(ग) संगम या संघ बनाने का,

(घ) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का,

(ङ) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का* और

(छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का, अधिकार होगा।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय-अवमान, मानहानि या अपराध-उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।

*संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा उपखण्ड (च) का लोप किया गया।

(3) उक्त खंड के उपखंड (ख) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।

(4) उक्त खंड के उपखंड (ग) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।

(5) उक्त खंड के उपखंड (घ) और उपखंड (ङ) की कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।

(6) उक्त खंड के उपखंड (छ) की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी और विशिष्टतया उक्त उपखंड की कोई बात–

(1) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हताओं से, या

(2) राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारबार, उद्योग या सेवा, नागरिकों का पूर्णत: या भागत: अपवर्जन करके या अन्यथा, चलाए जाने से,

जहां तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या इस प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी।

20. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण–(1) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी।

(2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा।

(3) किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

21. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण–किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतन्त्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

22. कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण–(1) किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से चौबीस घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा।

(3) खंड (1) और खंड (2) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो–

(क) तत्समय शत्रु अन्यदेशीय है; या

(ख) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है।

(4) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का तीन मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि–

(क) ऐसे व्यक्तियों से, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हैं, मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने तीन मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं किया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिये पर्याप्त कारण है:

परन्तु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जो खंड (7) के उपखंड (ख) के अधीन संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की गई है; या

(ख) ऐसे व्यक्ति को खंड (7) के उपखंड (क) और उपखंड (ख) के अधीन संसद् द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जाता है।

(5) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्रातिशीघ्र अवसर देगा।

(6) खंड (5) की किसी बात से ऐसा आदेश, जो उस खंड में निर्दिष्ट है, करने वाली प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है।

(7) संसद् विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि–

(क) किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध या उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन तीन मास से अधिक अवधि के लिए खंड (4) के उपखंड (क) के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सकेगा;

(ख) किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा; और

(ग) खंड (4) के उपखंड (क) के अधीन की जाने वाली जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

23. मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध–(1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

(2) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

24. कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध–चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

25. अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता–(1) लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अंत:करण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।

(2) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो–

(क) धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है;

(ख) सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है।

स्पष्टीकरण 1—कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिक्ख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2—खंड (2) के उपखंड (ख) में हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिक्ख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

26. धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता—लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को—

(क) धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का,

(ख) अपने धर्म विषयक, कार्यों का प्रबंधन करने का,

(ग) जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, और

(घ) ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का,

अधिकार होगा।

27. किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता—किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं।

28. कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता—(1) राज्य-निधि से पूर्णत: पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

(2) खंड (1) की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है।

(3) राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने, इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

29. अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण—(1) भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।

(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

30. शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार—(1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

(1क) खंड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक-वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो जाए।

(2) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक-वर्ग के प्रबंध में है।

*

*संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा उपशीर्षक "संपत्ति का अधिकार" का लोप किया गया।

31क. संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति–(1) अनुच्छेद 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) किसी संपदा के या उसमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन के लिए या किन्हीं ऐसे अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए, या

(ख) किसी संपत्ति का प्रबंध लोकहित में या उस संपत्ति का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिसीमित अवधि के लिए राज्य द्वारा ले लिए जाने के लिए, या

(ग) दो या अधिक निगमों को लोकहित में या उन निगमों में से किसी का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समामेलित करने के लिए, या

(घ) निगमों के प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, निदेशकों या प्रबंधकों के किन्हीं अधिकारों या उनके शेयरधारकों के मत देने के किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए, या

(ङ) किसी खनिज या खनिज तेल की खोज करने या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति के आधार पर प्रोद्भूत होने वाले किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए या किसी ऐसे करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति को समय से पहले समाप्त करने या रद्द करने के लिए,

उपबंध करने वाली विधि इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है:

परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि है वहां इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि को, जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है, उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई है:

परंतु यह और कि जहां किसी विधि में किसी संपदा के राज्य द्वारा अर्जन के लिए कोई उपबंध किया गया है और जहां उसमें समाविष्ट कोई भूमि किसी व्यक्ति की अपनी जोत में है वहां राज्य के लिए ऐसी भूमि के ऐसे भाग को, जो किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन उसको लागू अधिकतम सीमा के भीतर है, या उस पर निर्मित या उससे अनुलग्न किसी भवन या संरचना को अर्जित करना उस दशा के सिवाय विधिपूर्ण नहीं होगा जिस दशा में ऐसी भूमि, भवन या संरचना के अर्जन से संबंधित विधि उस दर से प्रतिकर के संदाय के लिए उपबंध करती है जो उसके बाजार-मूल्य से कम नहीं होगी।

(2) इस अनुच्छेद में,-

(क) "संपदा" पद का किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में वही अर्थ है जो उस पद का या उसके समतुल्य स्थानीय पद का उस क्षेत्र में प्रवृत्त भू-धृतियों से संबंधित विद्यमान विधि में है और इसके अंतर्गत–

(i) कोई जागीर, इनाम या मुआफी अथवा वैसा ही अन्य अनुदान और तमिलनाडु और केरल राज्यों में कोई जन्मम् अधिकार भी होगा;

(ii) रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन धृत कोई भूमि भी होगी;

(iii) कृषि के प्रयोजनों के लिए या उसके सहायक प्रयोजनों के लिए धृत या पट्टे पर दी गई कोई भूमि भी होगी, जिसके अंतर्गत बंजर भूमि, वन भूमि, चरागाह या भूमि के कृषको, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों के अधिभोग में भवनों और अन्य संरचनाओं के स्थल हैं;

(ख) "अधिकार" पद के अंतर्गत, किसी संपदा के संबंध में, किसी स्वत्वधारी, उप-स्वत्वधारी, अवर स्वत्वधारी, भू-धृतिधारक, रैयत, अवर रैयत या अन्य मध्यवर्ती में निहित कोई अधिकार और भू-राजस्व के संबंध में कोई अधिकार या विशेषाधिकार होंगे।

31ख. कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण–अनुच्छेद 31क में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों और विनियमों में से और उनके उपबंधों में से कोई इस आधार पर शून्य या कभी

शून्य हुआ नहीं समझा जाएगा कि वह अधिनियम, विनियम या उपबंध इस भाग के किन्हीं उपबंधों द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनता है या न्यून करता है और किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, उक्त अधिनियमों और विनियमों में से प्रत्येक, उसे निरसित या संशोधित करने की किसी सक्षम विधान-मंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए, प्रवृत्त बना रहेगा।

31ग. कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति—अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए भी, कोई विधि, जो भाग 4 में अधिकथित सभी या किन्हीं तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाली है, इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है और कोई विधि, जिसमें यह घोषणा है कि वह ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए है, किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती है।

परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई जाती है वहां इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि को, जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है, उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो गई है।

सांविधानिक उपचारों का अधिकार

32. इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार—(1) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है।

(2) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निदेश या आदेश या रिट, जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं, जो भी समुचित हो, निकालने की शक्ति होगी।

(3) उच्चतम न्यायालय को खंड (1) और खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संसद्, उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड (2) के अधीन प्रयोक्तव्य किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी।

(4) इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा।

33. इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद् की शक्ति—संसद्, विधि द्वारा, अवधारणा कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई,-

(क) सशस्त्र बलों के सदस्यों को, या

(ख) लोक व्यवस्था बनाए रखने का भारसाधन करने वाले बलों के सदस्यों को, या

(ग) आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को, या

(घ) खंड (क) से खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार प्रणाली में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को,

लागू होने में, किस विस्तार तक निर्बंधित या निराकृत किया जाए जिससे उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे।

34. जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन—इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, संसद् विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में, जहां सेना विधि प्रवृत्त थी, व्यवस्था के बनाए रखने या पुनःस्थापन के संबंध में किया है या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश, दिए गए दंड, आदिष्ट समपहरण या किए गए अन्य कार्य को विधिमान्य कर सकेगी।

35. इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान–इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,–

(क) संसद् को शक्ति होगी और किसी राज्य के विधान-मंडल को शक्ति नहीं होगी कि वह–

(i) जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16 के खंड (3), अनुच्छेद 32 के खंड (3), अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के अधीन संसद् विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी, उनमें से किसी के लिए, और

(ii) ऐसे कार्यों के लिए, जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं, दंड विहित करने के लिए, विधि बनाए और संसद् इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र ऐसे कार्यों के लिए, जो उपखंड (ii) में निर्दिष्ट हैं, दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी;

(ख) खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित या उस खंड के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए दंड का उपबंध करने वाली कोई प्रवृत्त विधि, जो भारत के राज्यक्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त थी, उसके निबंधनों के और अनुच्छेद 372 के अधीन उसमें किए गए किन्हीं अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक उसका संसद् द्वारा परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता है।

स्पष्टीकरण–इस अनुच्छेद में, "प्रवृत्ति विधि" पद का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 372 में है।

ग

राज्य की नीति के निदेशक तत्व

---

36. परिभाषा—इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" का वही अर्थ है जो भाग 3 में है।

37. इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना—इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे किन्तु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।

38. राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा—(1) राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।

(2) राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

39. राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व—राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से—

(क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;

(ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो;

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो;

(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो;

(ङ) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु की शक्ति के अनुकूल न हों;

(च) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

39क. समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता—राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से नि:शुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।

40. ग्राम पंचायतों का संगठन—राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।

41. कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार—राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और नि:शक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।

42. काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध—राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।

43. कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि—राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवनस्तर और अवकाश का संपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा।

43क. उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना—राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा।

44. नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता—राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।

45. बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध—राज्य, इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।

46. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि—राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।

47. पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य—राज्य, अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।

48. कृषि और पशुपालन का संगठन—राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा।

48क. पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा—राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

49. राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण—संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए, कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का, यथास्थिति, लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी।

50. कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण—राज्य की लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के लिए राज्य कदम उठाएगा।

51. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि—राज्य,—

(क) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का,

(ख) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का,

(ग) संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और

(घ) अंतरराष्ट्रीय विवादों के माध्यस्थम् द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का,

प्रयास करेगा।

घ

मूल कर्तव्य

51क. मूल कर्तव्य—भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले।

4

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 *

''अस्पृश्यता'' का प्रचार और आचरण करने और उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करने, और उससे सम्बन्धित बातों के लिए दंड विहित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) यह अधिनियम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''सिविल अधिकार'' से कोई ऐसा अधिकार अभिप्रेत है, जो संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा ''अस्पृश्यता'' का अन्त कर दिए जाने के कारण किसी व्यक्ति को प्रोद्भूत होता है;

(कक) ''होटल'' के अन्तर्गत जलपान-गृह, भोजनालय, बासा, काफी हाउस और कैफे भी हैं;

(ख) ''स्थान'' के अन्तर्गत गृह, भवन और अन्य संरचना तथा परिसर है और उसके अन्तर्गत तम्बू, यान और जलयान भी हैं;

(ग) ''लोक मनोरंजन-स्थान'' के अन्तर्गत कोई भी ऐसा स्थान है जिसमें जनता को प्रवेश करने दिया जाता है और जिसमें मनोरंजन की व्यवस्था की जाती है या मनोरंजन किया जाता है।

स्पष्टीकरण—''मनोरंजन'' के अन्तर्गत कोई प्रदर्शनी, तमाशा, खेलकूद, क्रीड़ा और किसी अन्य प्रकार का आमोद भी है;

(घ) ''लोक पूजा-स्थान'' से, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जो धार्मिक-पूजा के सार्वजनिक स्थान के तौर पर उपयोग में लाया जाता है या जो वहां कोई धार्मिक सेवा या प्रार्थना करने के लिए, किसी धर्म को मानने वाले या किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी विभाग के व्यक्तियों को साधारणत: समर्पित किया गया है या उसके द्वारा साधारणत: उपयोग में लाया जाता है, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं—

(i) ऐसे किसी स्थान के साथ अनुलग्न या संलग्न सब भूमि और गौण पवित्र स्थान;

(ii) निजी स्वामित्व का कोई पूजा-स्थान जिसका स्वामी वस्तुत: उसे लोक पूजा-स्थान के रूप में उपयोग में लाने की अनुज्ञा देता है; और

(iii) ऐसे निजी स्वामित्व वाले पूजा-स्थान से अनुलग्न ऐसी भूमि या गौण पवित्र स्थान जिसके स्वामी उसे लोक धार्मिक पूजा-स्थान के रूप में उपयोग में लाने की अनुज्ञा देता है;

---

*अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक, लोक सभा और राज्य सभा ने क्रमश: तारीख 28 अप्रैल और 2 मई 1955 को पारित किया तथा उसे राष्ट्रपति की अनुमति तारीख 8 मई, 1955 को प्राप्त हुई। अधिनियम में कतिपय संशोधन, अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1976 के द्वारा किये गए जो तारीख 19 नवम्बर 1976 से प्रभावी हुए हैं। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ मूल अधिनियम की धारा 1 में संशोधन करके ''अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम'' के स्थान पर ''सिविल अधिकार संरक्षण विधेयक'' प्रतिस्थापित किया गया है।

(घक) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(घख) "अनुसूचित जाति" का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) में उसे दिया गया है;

(ङ) "दुकान" से कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है, जहां वस्तुओं का या तो थोक या फुटकर या थोक और फुटकर दोनों प्रकार का विक्रय किया जाता है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं:—

(i) कोई ऐसा स्थान जहां फेरी वाले या विक्रेता द्वारा या चलते-फिरते यान या गाड़ी से माल का विक्रय किया जाता है;

(ii) लांड्री और बाल काटने का सेलून;

(iii) कोई अन्य स्थान जहां ग्राहकों की सेवा की जाती है।

3. धार्मिक निर्योग्यताएं लागू करने के लिए दण्ड—जो कोई किसी व्यक्ति को,—

(क) किसी ऐसे लोक पूजा-स्थान में प्रवेश करने से, जो उसी धर्म को मानने वाले या उसके किसी विभाग के अन्य व्यक्तियों के लिए खुला हो, जिसका वह व्यक्ति हो, अथवा

(ख) किसी लोक पूजा-स्थान में पूजा या प्रार्थना या कोई धार्मिक सेवा अथवा किसी पुनीत तालाब, कुएं, जलस्रोत या जल-सरणी, नदी या झील में स्नान या उसके जल का उपयोग या ऐसे तालाब, जल-सरणी, नदी या झील के किसी घाट पर स्नान उसी रीति से और उसी विस्तार तक करने से, जिस रीति से और जिस विस्तार तक ऐसा करना उसी धर्म को मानने वाले या उसके किसी विभाग के अन्य व्यक्तियों के लिए अनुज्ञेय हो, जिसका वह व्यक्ति हो,

"अस्पृश्यता" के आधार पर निवारित करेगा वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 4 के प्रयोजनों के लिए बौद्ध, सिक्ख या जैन धर्म को मानने वाले व्यक्ति या हिन्दू धर्म के किसी भी रूप या विकास को मानने वाले व्यक्ति, जिनके अन्तर्गत वीरशैव, लिंगायत, आदिवासी, ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज और स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुयायी भी हैं, हिन्दू समझे जाएंगे।

4. सामाजिक निर्योग्यताएं लागू करने के लिए दण्ड—जो कोई किसी व्यक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई निर्योग्यता "अस्पृश्यता" के आधार पर लागू करेगा वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा,—

(i) किसी दुकान, लोक उपाहारगृह, होटल या लोक मनोरंजन-स्थान में प्रवेश करना; अथवा

(ii) किसी लोक उपाहारगृह, होटल, धर्मशाला, सराय या मुसाफिरखाने में, जनसाधारण या उसके किसी विभाग के व्यक्तियों के, जिसका वह व्यक्ति हो, उपयोग के लिए रखे गए किन्हीं बर्तनों और अन्य वस्तुओं का उपयोग करना; अथवा

(iii) कोई वृत्ति करना या उपजीविका, या किसी काम में नियोजन; अथवा

(iv) ऐसी किसी नदी, जलधारा, जलस्रोत, कुएं, तालाब, हौज, पानी के नल या जल के अन्य स्थान का या किसी स्नान घाट, कब्रिस्तान या श्मशान, स्वच्छता सम्बन्धी सुविधा, सड़क, या रास्ते या लोक अभिगम के अन्य स्थान का, जिसका उपयोग करने के लिए या जिसमें प्रवेश करने के जनता के अन्य सदस्य, या उसके किसी विभाग के व्यक्ति जिसका वह व्यक्ति हो, अधिकारवान हों, उपयोग करना या उसमें प्रवेश करना; अथवा

(v) राज्य निधियों से पूर्णत: या अंशत: पोषित पूर्त या लोक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले या जनसाधारण के या उसके किसी विभाग के व्यक्तियों के, जिसका वह व्यक्ति हो, उपयोग के लिए समर्पित स्थान का, उपयोग करना या उसमें प्रवेश करना; अथवा

(vi) जनसाधारण या उसके किसी विभाग के व्यक्तियों के, जिसका वह व्यक्ति हो, फायदे के लिए सृष्ट किसी पूर्त न्यास के अधीन किसी फायदे का उपभोग करना; अथवा

(vii) किसी सार्वजनिक सवारी का उपयोग करना या उसमें प्रवेश करना; अथवा

(viii) किसी भी परिक्षेत्र में, किसी निवास-परिसर का सन्निर्माण, अर्जन या अधिभोग करना; अथवा

(ix) किसी ऐसी धर्मशाला, सराय या मुसाफिरखाने का, जो जनसाधारण या उसके किसी विभाग के व्यक्तियों के लिए, जिसका वह व्यक्ति हो, खुला हो, उपयोग ऐसे व्यक्ति के रूप में करना; अथवा

(x) किसी सामाजिक या धार्मिक रूढ़ि, प्रथा या कर्म का अनुपालन या किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक जलूस में भाग लेना या ऐसा जलूस निकालना; अथवा

(xi) आभूषणों और अलंकारों का उपयोग करना;

[**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "कोई निर्योग्यता लागू करना" के अन्तर्गत "अस्पृश्यता" के आधार पर विभेद करना है।]

5. अस्पतालों आदि में व्यक्तियों को प्रवेश करने देने से इन्कार करने के लिए दण्ड—जो कोई "अस्पृश्यता" के आधार पर—

(क) किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शिक्षा-संस्था, या किसी छात्रावास में, यदि वह अस्पताल, औषधालय, शिक्षा-संस्था या छात्रावास जनसाधारण या उसके किसी विभाग के फायदे के लिए स्थापित हो या चलाया जाता हो, प्रवेश करने देने से इन्कार करेगा, अथवा

(ख) पूर्वोक्त संस्थाओं में से किसी में प्रवेश के पश्चात् ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई विभेदपूर्ण कार्य करेगा,

वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावस से और ऐसे जुर्माने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

6. माल बेचने या सेवा करने से इंकार के लिए दण्ड—जो कोई उसी समय और स्थान पर और वैसे ही निर्बन्धनों और शर्तों पर, जिन पर कारबार के साधारण अनुक्रम में अन्य व्यक्तियों को ऐसा माल बेचा जाता है या उनकी सेवा की जाती है, किसी व्यक्ति को कोई माल बेचने या उसको सेवा करने से "अस्पृश्यता" के आधार पर इन्कार करेगा, वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी, जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

7. "अस्पृश्यता" उद्भूत अन्य अपराधों के लिए दण्ड—(1) जो कोई—

(क) किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 17 के अधीन "अस्पृश्यता" के अन्त होने से उसको प्रोद्भूत होने वाले किसी अधिकार का प्रयोग करने से निवारित करेगा, अथवा

(ख) किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अधिकार के प्रयोग में उत्पीड़ित करेगा, क्षति पहुंचाएगा, क्षुब्ध रहेगा, बाधा डालेगा या बाधा कारित करेगा या कारित करने का प्रयत्न करेगा या किसी व्यक्ति को, कोई ऐसा अधिकार प्रयोग करने के कारण उसे उत्पीड़ित करेगा, क्षति पहुंचाएगा, क्षुब्ध करेगा या उसका बहिष्कार करेगा, अथवा

(ग) किसी व्यक्ति या व्यक्ति-वर्ग या जनसाधारण को बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा किसी भी रूप में "अस्पृश्यता" का आचरण करने के लिए उद्दीप्त या प्रोत्साहित करेगा, अथवा

(घ) अनुसूचित जाति के सदस्य का "अस्पृश्यता" के आधार पर अपमान करेगा, या अपमान करने का प्रयत्न करेगा,

वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी, जो कम से कम एक रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1—किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह अन्य व्यक्ति का बहिष्कार करता है, जब वह—

(क) ऐसे अन्य व्यक्ति को कोई गृह भूमि पट्टे पर देने से इन्कार करता है या ऐसे अन्य व्यक्ति को किसी गृह या भूमि के उपयोग या अधिभोग के लिए अनुज्ञा देने से इंकार करता है या ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ व्यवहार करने से, उसके लिए भाड़े पर काम करने से, या उसके काथ कारबार करने से या उसकी कोई रूढ़िगत सेवा करने से या उससे कोई रूढ़िगत

सेवा लेने से इंकार करता है या उक्त बातों में से किसी को ऐसे निबन्धनों पर करने से इंकार करता है, जिन पर ऐसी बातें कारबार के साधारण अनुक्रम में सामान्यत: की जाती; अथवा

(ख) ऐसे सामाजिक, वृत्तिक या कारबारी सम्बन्धों से विरत रहता है, जैसे वह ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ साधारणतया बनाए रखता।

स्पष्टीकरण 2–खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए यदि कोई व्यक्ति—

(i) प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: "अस्पृश्यता" का या किसी रूप में इसके आचरण का प्रचार करेगा; अथवा

(ii) किसी रूप में "अस्पृश्यता" के आचरण को, चाहे ऐतिहासिक, दार्शनिक या धार्मिक आधारों पर या जाति व्यवस्था की किसी परम्परा के आधार पर या किसी अन्य आधार पर न्यायोचित ठहराएगा,

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह "अस्पृश्यता" के आचरण को उद्दीप्त या प्रोत्साहित करता है।

(1क) जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर या उसकी सम्पत्ति के विरुद्ध कोई अपराध उसके द्वारा किसी ऐसे अधिकार के, जो संविधान के अनुच्छेद 17 के अधीन "अस्पृश्यता" का अन्त करने के कारण उसे प्रोद्भूत हुआ है, प्रयोग किए जाने के प्रतिशोध के रूप में बदला लेने की भावना से करेगा, वह, जहां अपराध दो वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय है, वहां, कम से कम दो वर्ष की अवधि के कारावास से और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई इस आधार पर कि ऐसे व्यक्ति ने "अस्पृश्यता" का आचरण करने से इंकार किया है या ऐसे व्यक्ति ने इस अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने में कोई कार्य किया है,—

(i) अपने समुदाय के या उसके किसी विभाग के किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार से वंचित करेगा जिसके लिए ऐसा व्यक्ति ऐसे समुदाय या विभाग के सदस्य के तौर पर हकदार हो, अथवा

(ii) ऐसे व्यक्ति जो, जातिच्युत करने में कोई भाग लेगा,

वह कम से कम एक मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास से और ऐसे जुर्माने से भी. जो कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

7क. विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम कब "अस्पृश्यता" का आचरण समझा जाएगा–(1) जो कोई किसी व्यक्ति को सफाई करने या बुहारने या कोई पशु शव हटाने या किसी पशु की खाल खींचने या नाल काटने या इसी प्रकार का कोई अन्य काम करने के लिए "अस्पृश्यता" के आधार पर मजबूर करेगा, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने "अस्पृश्यता" से उद्भूत निर्योग्यता को लागू किया है।

(2) जिस किसी के बारे में उपधारा (1) के अधीन यह समझा जाता है कि उसने "अस्पृश्यता" से उद्भूत निर्योग्यता को लागू किया है, वह कम से कम तीन मास और अधिक से अधिक छह मास की अवधि के कारावास और जुर्माने से भी, जो कि कम से कम एक सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए "मजबूर करने" के अन्तर्गत सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करने की धमकी भी है।

8. कुछ दशाओं में अनुज्ञप्तियों का रद्द या निलम्बित किया जाना–जबकि वह व्यक्ति, जो धारा 6 के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध हो, किसी ऐसी वृत्ति, व्यापार, आजीविका या नियोजन के बारे में जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया हो, कोई अनुज्ञप्ति किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि के अधीन रखता हो, तब उस अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय किसी अन्य ऐसी शास्ति पर, जिससे वह व्यक्ति उस धारा के अधीन दण्डनीय हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्देश दे सकेगा कि वह अनुज्ञप्ति रद्द होगी या ऐसी कालावधि के लिए, जितनी न्यायालय ठीक समझे, निलम्बित रहेगी, और अनुज्ञप्ति को इस प्रकार रद्द या निलम्बित करने वाले न्यायालय का प्रत्येक आदेश ऐसे प्रभावी होगा, मानो वह आदेश उस प्राधिकारी द्वारा दिया गया हो, जो किसी ऐसी विधि के अधीन अनुज्ञप्ति को रद्द या निलम्बित करने के लिए सक्षम था।

स्पष्टीकरण–इस धारा में "अनुज्ञप्ति" के अंतर्गत अनुज्ञापत्र या अनुज्ञा भी है।

9. सरकार द्वारा किए गए अनुदानों का पुनर्ग्रहण या निलम्बन–जहां कि किसी ऐसे लोक पूजा-स्थान या किसी शिक्षा संस्थान या छात्रावास का प्रबंधक या न्यासी जिसे सरकार से भूमि या धन का अनुदान प्राप्त हो, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हुआ हो और ऐसी दोषसिद्धि किसी अपील या पुनरीक्षण में उलटी या अभिखण्डित न की गई हो वहां, यदि सरकार की राय

में उस मामले की परिस्थितियों में ऐसा करने के लिए समुचित आधार हों तो वह ऐसे सारे अनुदान या उसके किसी भाग के निलम्बन या पुर्नग्रहण के लिए निदेश दे सकेगी।

10. अपराध का दुष्प्रेरण—जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण—लोक सेवक के बारे में, जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के अन्वेषण में जानबूझकर अपेक्षा करता है, यह समझा जाएगा कि उसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण किया है।

10क. सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति—(1) यदि विहित रीति में जांच करने के पश्चात् राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी क्षेत्र के निवासी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के किए जाने से सम्बन्धित हैं, या उसका दुष्प्रेरण कर रहे हैं, या ऐसे अपराध के किए जाने से सम्बन्धित व्यक्तियों को संश्रय दे रहे हैं, या अपराधी या अपराधियों का पता लगाने या पकड़वाने में अपनी शक्ति के अनुसार सभी प्रकार की सहायता नहीं दे रहे हैं, या ऐसे अपराध के किए जाने के महत्वपूर्ण साक्ष्य को दबा रहे हैं, तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे निवासियों पर सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी और जुर्माने का ऐसे निवासियों के बीच प्रभाजन कर सकेगी जो सामूहिक रूप से ऐसा जुर्माना देने के लिए दायी हैं और यह कार्य राज्य सरकार वहां के निवासियों की व्यक्तिगत क्षमता के सम्बन्ध में अपने निर्णय के अनुसार करेगी और ऐसा प्रभाजन करने में राज्य सरकार यह भी तय कर सकेगी कि एक हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब ऐसे जुर्माने के कितने भाग का संदाय करेगा:

परन्तु किसी निवासी के बारे में प्रभाजित जुर्माना तब तक वसूल नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके द्वारा उपधारा (3) के अधीन फाइल की गई अर्जी का निपटारा नहीं कर दिया जाता।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना की उद्घोषणा ऐसे क्षेत्र में ढोल पीट कर या ऐसी अन्य रीति से की जाएगी, जिसे राज्य सरकार उक्त क्षेत्र के निवासियों को सामूहिक जुर्माने का अधिरोपण सूचित करने के लिए उन परिस्थितियों में सर्वोत्तम समझे।

(3) (क) उपधारा (1) के अधीन सामूहिक जुर्माने के अधिरोपण से या प्रभाजन के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति विहित कालावधि के अन्दर राज्य सरकार के समक्ष या ऐसे अन्य प्राधिकारी के समक्ष जिसे वह सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसे जुर्माने से छूट पाने के लिए या प्रभाजन के आदेश में परिवर्तन के लिए अर्जी फाइल कर सकेगा:

परन्तु ऐसी अर्जी फाइल करने के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

(ख) राज्य सरकार या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अर्जीदार को सुनवाई के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे:

परन्तु इस धारा के अधीन छूट दी गई या कम की गई जुर्माने की रकम किसी व्यक्ति से वसूलीय नहीं होगी और किसी क्षेत्र के निवासियों पर उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित कुल जुर्माना उस विस्तार तक कम किया गया समझा जाएगा।

(4) उपधारा (3) में किसी बात को होते हुए भी राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के शिकार व्यक्तियों को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसकी राय में उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के वर्ग में नहीं आता है, उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित सामूहिक जुर्माने से या उसके किसी प्रभाग का संदाय करने के दायित्व से छूट दे सकेगी।

(5) किसी व्यक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है) संदेय सामूहिक जुर्माने का प्रभाग, न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने की वसूली के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) द्वारा उपबन्धित रीति में ऐसे वसूल किया जा सकेगा मानो ऐसा प्रभाग, मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित जुर्माना हो।

11. पश्चात्वर्त्ती दोषसिद्धि पर वर्धित शास्ति—जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का या ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण का पहले दोषसिद्ध हो चुकने पर किसी ऐसे अपराध या दुष्प्रेरण का पुनः दोषसिद्ध होगा, वह दोषसिद्धि पर—

(क) द्वितीय अपराध के लिए, कम से कम छह मास और अधिक से अधिक एक वर्ष की अवधि के कारावास से और जुर्माने से भी, जो कम से कम दो सौ रुपए और अधिक से अधिक पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा;

(ख) तृतीय अपराध के लिए या तृतीय अपराध के पश्चात्वर्ती किसी अपराध के लिए कम से कम एक वर्ष और अधिक से अधिक दो वर्ष की अवधि के कारावास से और जुर्माने से भी, जो कम से कम पांच सौ रुपए और अधिक से अधिक एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

12. कुछ मामले में न्यायालयों द्वारा उपधारणा—जहां कि इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाला कोई कार्य अनुसूचित जाति के सदस्य के सम्बन्ध में किया जाए वहां, जब तक कि प्रतिकूल साबित न किया जाए, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह कार्य "अस्पृश्यता" के आधार पर किया गया है।

13. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की परिसीमा—(1) यदि सिविल न्यायालय के समक्ष के किसी वाद या कार्यवाही में अन्तर्ग्रस्त दावा या किसी डिक्री या आदेश का दिया जाना या किसी डिक्री या आदेश का पूर्णत: या भागत: निष्पादन इस अधिनियम के उपबन्धों के किसी प्रकार प्रतिकूल हो तो ऐसा न्यायालय न ऐसा कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करेगा या चालू रखेगा और न ऐसी कोई डिक्री या आदेश देगा या ऐसी किसी डिक्री या आदेश का पूर्णत: या भागत: निष्पादन करेगा।

(2) कोई न्यायालय किसी बात के न्याय निर्णयन में या किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में, किसी व्यक्ति पर, "अस्पृश्यता" के आधार पर कोई निर्योग्यता अधिरोपित करने वाली किसी रूढ़ि या प्रथा को मान्यता नहीं देगा।

14. कम्पनियों द्वारा अपराध—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो तो हर ऐसा व्यक्ति, जो अपराध किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उस कम्पनी के प्रति उत्तरदायी था, उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा:

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी भी बात से कोई ऐसा व्यक्ति दण्ड का भागी न होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या ऐसे अपराध का किया जाना निवारित करने के लिए उसने सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी के किसी निदेशक या प्रबन्धक, सचिव या अन्य प्राधिकारी की सम्मति से किया गया हो, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा, और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से फर्म का भागीदार भी अभिप्रेत है।

14क. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण—(1) कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध न होगी।

(2) कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसे नुकसान के बारे में, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के कारण हुआ हो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध न होगी।

15. अपराध संज्ञेय और संक्षेपत: विचारणीय होंगे—(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय हर अपराध संज्ञेय होगा और ऐसे हर अपराध पर, सिवाय उसके जो कम से कम तीन मास से अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय है, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त संहिता में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संक्षेपत: विचार किया जा सकेगा।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, जब किसी लोक सेवक के बारे में यह अभिकथित है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के दुष्प्रेरण का अपराध अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करना तात्पर्यित करते हुए, किया है तब कोई भी न्यायालय ऐसे दुष्प्रेरण के अपराध की संज्ञान,—

(क) संघ के कार्यों के सम्बन्ध में नियोजित व्यक्ति की दशा में, केंद्रीय सरकार की; और

(ख) किसी राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में नियोजित व्यक्ति की दशा में उस राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा।

15क. "अस्पृश्यता" का अन्त करने से प्रोद्भूत अधिकारों का सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा फायदा उठाना सुनिश्चित करने का राज्य सरकार का कर्तव्य—(1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, राज्य सरकार ऐसे उपाय करेगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, कि "अस्पृश्यता" का अन्त करने से उद्भूत होने वाले अधिकार "अस्पृश्यता" से उद्भूत किसी निर्योग्यता से पीड़ित व्यक्तियों को उपलब्ध किए जाते हैं और वे उनका फायदा उठाते हैं।

(2) विशिष्टतः और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपायों के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं, अर्थात्:—

(i) पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था जिसके अन्तर्गत "अस्पृश्यता" से उद्भूत किसी निर्योग्यता से पीड़ित व्यक्तियों को विधिक सहायता देना है, जिससे कि वे ऐसे अधिकारों का फायदा उठा सकें;

(ii) इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए अभियोजन प्रारंभ करने या ऐसे अभियोजनों का पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति;

(iii) इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना;

(iv) ऐसे समुचित स्तरों पर समितियों की स्थापना को राज्य सरकार ऐसे उपायों के निरूपण या उन्हें कार्यान्वित करने में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए ठीक समझे;

(v) इस अधिनियम के उपबंधों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाने की दृष्टि से इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यकरण के सर्वेक्षण की समय-समय पर व्यवस्था करना;

(vi) उन क्षेत्रों का अभिनिर्धारण जहां व्यक्ति "अस्पृश्यता" से उद्भूत किसी निर्योग्यता से पीड़ित है, और ऐसे उपायों को अपनाना जिनसे ऐसे क्षेत्रों से ऐसी निर्योग्यता का दूर किया जाना सुनिश्चित हो सके।

(3) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों द्वारा उपधारा (1) के अधीन किए गए उपायों में समन्वय स्थापित करने के लिए ऐसे कदम उठाएगी जो आवश्यक हों।

(4) केन्द्रीय सरकार हर वर्ष संसद् के प्रत्येक सदन के पटल पर ऐसे उपायों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जो उसने और राज्य सरकारों ने इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में किए हैं।

16. अधिनियम अन्य विधियों का अध्यारोहण करेगा—इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबन्ध, किसी तत्समय प्रवृत्त विधि में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी या किसी रूढ़ि या प्रथा अथवा किसी ऐसी विधि अथवा किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की किसी डिक्री का आदेश के आधार पर प्रभावी किसी लिखत के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

16क. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का चौदह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को लागू न होना—अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के उपबन्ध किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जो चौदह वर्ष से अधिक आयु का है और इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का दोषी पाया जाता है।

16ख. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों का पालन करने के लिए, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद, के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, वह कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के, या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17. निरसन—अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां, जहां तक कि वे या उनमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों में से कोई इस अधिनियम या उसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों में से किसी के समान हैं या उसके विरुद्ध हैं, एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं।

अनुसूची

(धारा 17 देखिए)

1. बिहार हरिजन (रिमूवल आफ सिविल डिसेबिलिटीज) ऐक्ट, 1949 (1949 का बिहार अधिनियम संख्यांक 19)।
2. बाम्बे हरिजन (रिमूवल आफ सोशल डिसेबिलिटीज) ऐक्ट, 1946 (1947 का मुंबई अधिनियम संख्यांक 1)।
3. बाम्बे हरिजन टैम्पल एन्ट्री ऐक्ट, 1947 (1947 का मुंबई अधिनियम संख्यांक 35)।
4. सेंट्रल प्रोविन्सेज एण्ड बरार शैड्यूल्ड कास्ट्स (रिमूवल आफ सिविल डिसेबिलिटीज) ऐक्ट, 1947 (1947 का मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम संख्यांक 24)।
5. सेन्ट्रल प्रोविन्सेज एण्ड बरार टैम्पल एन्ट्री आथोराइजेशन ऐक्ट, 1947 (1947 का मध्य प्रान्त और बरार अधिनियम संख्यांक 41)।
6. ईस्ट पंजाब (रिमूवल आफ रिलिजस एण्ड सोशल डिसेबिलिीज) ऐक्ट, 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब (अधिनियम संख्यांक 16)।
7. मद्रास रिमूवल आफ सिविल डिसेबिलिटीज ऐक्ट, 1938 (1938 का मद्रास अधिनियम संख्यांक 21)।
8. उड़ीसा रिमूवल आफ सिविल डिसेबिलिटीज ऐक्ट, 1946 (1946 का उड़ीसा अधिनियम संख्यांक 11)।
9. उड़ीसा टैम्पल एन्ट्री आथोराइजेशन ऐक्ट, 1948 (1948 का उड़ीसा अधिनियम संख्यांक 11)।
10. यूनाइटेड प्रोविन्सेज रिमूवल आफ सोशल डिसेबिलिटीज ऐक्ट, 1947 (1947 का संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्यांक 14)।
11. वेस्ट बंगाल हिन्दू सोशल डिसेबिलिटीज रिमूवल ऐक्ट, 1948 (1948 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम संख्यांक 37)।
12. हैदराबाद हरिजन टैम्पल एन्ट्री रेग्यूलेशन, 1358 एफ. (1358 फसली का अधिनियम संख्यांक 55)।
13. हैदराबाद हरिजन (रिमूवल आफ सोशल डिसेबिलिटीज) रेग्यूलेशन, 1358 एफ. (1358 फसली का अधिनियम संख्यांक 56)।
14. मध्य भारत हरिजन अयोग्यता निवारण विधान, संवत 2005 (1949 का मध्य भारत अधिनियम संख्यांक 15)।
15. रिमूवल आफ सिविल डिसेबिलिटीज ऐक्ट, 1943 (1943 का मैसूर अधिनियम संख्यांक 42)।
16. मयूर टैम्पल ऐन्ट्री आथोराइजेशन ऐक्ट, 1948 (1948 का मैसूर अधिनियम संख्यांक 14)।
17. सौराष्ट्र हरिजन (रिमूवल आफ सोशल डिसेबिलिटीज) आर्डिनेन्स (1948 का संख्यांक 40)।
18. ट्रावनकोर-कोचीन रिमूवल आफ सोशल डिसेबिलिटीज ऐक्ट, 1125 के. (1125 का ट्रावनकोर-कोचीन अधिनियम संख्यांक 3)।
19. ट्रावनकोर-कोचीन टैम्पल एन्ट्री (रिमूवल आफ डिसेबिलिटीज) ऐक्ट, 1950 (1950 का ट्रावनकोर-कोचीन अधिनियम संख्यांक 27)।
20. कुर्ग शेड्यूल्ड कास्ट्स (रिमूवल आफ सिविल एण्ड सोशल डिसेबिलिटीज) ऐक्ट, 1949 (1949 का कुडुगू अधिनियम संख्यांक 1)।
21. कुर्ग टैम्पल एन्ट्री आथोराइजेशन ऐक्ट, 1949 (1949 का कुडुगू अधिनियम संख्यांक 2)।

5

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग*

मानव अधिकारों के अधिक अच्छे संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोगों और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है:

(3) यह 28 सितम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. परिभाषाएं–(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''सशस्त्र बल'' से नौसेना, सेना और वायुसेना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल है;

(ख) ''अध्यक्ष'' से, यथास्थिति, आयोग का या राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) ''आयोग'' से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अभिप्रेत है;

(घ) ''मानव अधिकार'' से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं या अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है;

(ङ) ''मानव अधिकार न्यायालय'' से धारा 30 के अधीन विनिर्दिष्ट मानव अधिकार न्यायालय अभिप्रेत है;

(च) ''अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदा'' से संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 16 दिसम्बर, 1966 को अंगीकार की गई सिविल और राजनीतिक अधिकारों संबंधी अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदा तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदा अभिप्रेत है;

(छ) ''सदस्य'' से, यथास्थिति, आयोग का या राज्य आयोग का सदस्य अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष है;

*मानव अधिकार संरक्षण विधेयक, लोक सभा और राज्य सभा ने क्रमशः तारीख, 18 और 22 दिसम्बर 1993 को पारित किया और उसे राष्ट्रपति की अनुमति तारीख 8 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई।

(ज) "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग" से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अभिप्रेत है;

(झ) "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 338 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अभिप्रेत है;

(ञ) "राष्ट्रीय महिला आयोग" से राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग अभिप्रेत है;

(ट) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ड) "लोक सेवक" का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में है;

(ढ) "राज्य आयोग" से धारा 21 के अधीन गठित राज्य मानव अधिकार आयोग अभिप्रेत है;

(2) इस अधिनियम में किसी ऐसे विधि के जो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं हैं, प्रति किसी निर्देश का उस राज्य के संबंध में, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के, यदि कोई हो, प्रति निर्देश है।

अध्याय 2

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

3. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन–(1) केन्द्रीय सरकार, एक निकाय का, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नाम से ज्ञात होगा, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए, गठन करेगी।

(2) आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(क) एक अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है;

(ख) एक सदस्य, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है;

(ग) एक सदस्य, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है;

(घ) दो सदस्य, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।

(3) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष धारा 12 के खंड (ख) के खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य समझे जाएंगे।

(4) एक महासचिव होगा, जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो आयोग उसे प्रत्यायोजित करे।

(5) आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

4. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति–(1) राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा;

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् की जाएगी जो कि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(क) प्रधान मंत्री – अध्यक्ष;

(ख) लोक सभा का अध्यक्ष – सदस्य;

(ग) भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री – सदस्य;

(घ) लोक सभा में विपक्ष का नेता – सदस्य;

(ङ) राज्य सभा में विपक्ष का नेता – सदस्य;

(च) राज्य सभा का उप सभापति – सदस्य;

परन्तु यह और कि उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन मुख्य न्यायमूर्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि समिति में कोई रिक्ति है।

5. आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना–(1) उपधारा (20) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति द्वारा निर्देश दिए जाने पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात् किया गया है, कि यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे अन्य सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य,–

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है; या

(ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है; या

(ग) मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है; या

(घ) विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है; या

(ङ) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है जिसमें, राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है;

तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष या ऐसे अन्य सदस्य को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा।

6. सदस्यों की पदावधि–(1) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा।

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा पांच वर्ष की और अवधि के लिए पुनर्नियुक्त का पात्र होगा:

परन्तु कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपना पद धारण नहीं करेगा।

(3) अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपने पद पर न रह जाने पर, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा।

7. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन–(1) अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में, राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा, सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती।

(2) जब अध्यक्ष छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य, जिसे राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे, उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है।

8. सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें–सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं:

परन्तु किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

9. रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना–आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

10. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना–(1) आयोग का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा, जो अध्यक्ष ठीक समझे।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय महासचिव द्वारा या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

11. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द–(1) केन्द्रीय सरकार, आयोग को,–

(क) भारत सरकार के सचिव की पंक्ति का एक अधिकारी, जो आयोग का महासचिव होगा, और

(ख) ऐसे अधिकारी के अधीन, जो पुलिस महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारिवृन्द तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृन्द, जो आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हो,

उपलब्ध कराएगी।

(2) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे निमित्त बनाए जाएं, आयोग ऐसे, अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द नियुक्त कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाए।

अध्याय 3
आयोग के कृत्य और शक्तियां

12. आयोग के कृत्य–आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:–

(क) स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसको प्रस्तुत की गई अर्जी पर,–

(i) मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किए जाने की; या

(ii) ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोक सेवक द्वारा उपेक्षा की,

शिकायत के बारे में जांच करना;

(ख) किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई अभिकथन अंतर्वलित है, उस न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करना;

(ग) राज्य सरकार को सूचना देकर; राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जल या किसी अन्य संस्था का, जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं, वहां के निवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए, निरीक्षण करना और उन पर सिफारिश करना;

(घ) संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(ङ) ऐसी बातों का, जिनके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं, और जो मानव अधिकारों के उपभोग में विघ्न डालती हैं, पुनर्विलोकन करना और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना;

(च) मानव अधिकारों से संबंधित संधियों और अन्य अन्तरराष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना;

(छ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसका संवर्धन करना;

(ज) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, संचार विचार, माध्यमों, गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना;

(झ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को उत्साहित करना;

(ञ) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझे जाएं।

13. जांच से संबंधित शक्तियां—(1) आयोग को, इस अधिनियम के अधीन शिकायतों के बारे में जांच करते समय और विशिष्ट तथा निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को है, अर्थात्:-

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से, ऐसे किसी विशेषाधिकार के अधीन रहते हुए, जिसका उस व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दावा किया जाए, ऐसी बातों या विषयों पर इत्तिला देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी, जो आयोग की राय में जांच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी हों, या उससे सुसंगत हों और जिस व्यक्ति से, ऐसी अपेक्षा की जाए वह भारतीय दंड संहिता की धारा 176 और धारा 177 के अर्थ में ऐसी इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध समझा जाएगा।

(3) आयोग या आयोग द्वारा इस निमित्त विशेषतया प्राधिकृत कोई ऐसा अन्य अधिकारी, जो राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के उपबंधों के, जहां तक वे लागू हों, अधीन रहते हुए किसी ऐसे भवन या स्थान में, जिसकी बाबत आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जांच की विषय वस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज वहां पाया जा सकता है, प्रवेश कर सकेगा और किसी ऐसे दस्तावेज को अभिगृहीत कर सकेगा अथवा उससे उद्धरण या उसकी प्रतिलिपियां ले सकेगा।

(4) आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाएगा और जब कोई ऐसा अपराध, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित है, आयोग की दृष्टिगोचरता में या उपस्थिति में किया जाता है तब आयोग, अपराध गठित करने वाले तथ्यों तथा अभियुक्त के कथन को अभिलिखित करने के पश्चात्, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में उपबंधित है, उस मामले को ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा जिसे उसका विचारण करने की अधिकारिता है और वह मजिस्ट्रेट जिसे कोई ऐसा मामला भेजा जाता है, अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत सुनने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 346 के अधीन उसको भेजा गया हो।

(5) आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और आयोग को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

14. अन्वेषण—(1) आयोग, जांच से संबंधित कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सहमति से केन्द्रीय सरकार या उस राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा।

(2) जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए कोई ऐसा अधिकारी या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जाता है, आयोग के निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए,–

(क) किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा; और

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) धारा 15 के उपबंध किसी ऐसे अधिकारी या अभिकरण के समक्ष जिसकी सेवाओं का उपधारा (1) के अधीन उपयोग किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कथन के संबंध में लागू होते हैं।

(4) जिस अधिकारी या अभिकरण की सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) के अधीन किया जाता है वह जांच से संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करेगा और उस पर आयोग को ऐसी अवधि के भीतर, जो आयोग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, रिपोर्ट देगा।

(5) आयोग, उपधारा (4) के अधीन उसे दी गई रिपोर्ट में कथित तथ्यों के और निकाले गए निष्कर्षों के, यदि कोई हों, सही होने के बारे में अपना समाधान करेगा और इस प्रयोजन के लिए आयोग ऐसी जांच जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति की या उन व्यक्तियों की परीक्षा है, जिसने या जिन्होंने अन्वेषण किया हो या उसमें सहायता की हो, कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

15. आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन–आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन, ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन के सिवाय, उसे किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही के अधीन नहीं करेगा या उसमें उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह तब जब कि ऐसा कथन–

(क) ऐसे प्रश्न के उत्तर में किया जाता है जिसका उत्तर देने के लिए उससे आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए; या

(ख) जांच की विषयवस्तु से सुसंगत है।

16. उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है–यदि जांच के किसी अनुक्रम में,–

(क) आयोग किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है; या

(ख) आयोग की यह राय है कि जांच से किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है,

तो वह उस व्यक्ति की जांच में सुनवाई और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देगा:

परन्तु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा रहा है।

अध्याय 4

प्रक्रिया

17. शिकायतों की जांच–आयोग, मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों की जांच करते समय,–

(i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन से ऐसे समय के भीतर, जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जानकारी या रिपोर्ट मांग सकेगा:

परन्तु,–

(क) यदि आयोग को नियत समय के भीतर जानकारी या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो वह शिकायत के बारे में स्वयं जांच कर सकेगा;

(ख) यदि जानकारी या रिपोर्ट की प्रगति पर, आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई और जांच अपेक्षित नहीं है अथवा अपेक्षित कार्रवाई संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा आरम्भ कर दी गई है या की जा चुकी है तो वह शिकायत के बारे में कार्यवाही नहीं कर सकेगा और शिकायतकर्त्ता को तदनुसार सूचित कर सकेगा;

(ii) खंड (i) में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि आयोग, शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझता है तो जांच आरम्भ कर सकेगा।

18. जांच के पश्चात् कार्रवाई—आयोग, इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जांच के पूरा होने पर, निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा, अर्थात्:-

(1) जहां जांच से मानव अधिकारों के अतिक्रमण का या किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण के निवारण में उपेक्षा का होना प्रकट होता है, वहां वह, संबंधित सरकार या प्राधिकारी को संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए कार्यवाही या ऐसी अन्य कार्रवाई आरम्भ करने के लिए जो आयोग ठीक समझे, सिफारिश करना;

(2) उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय को, ऐसे निदेश, आदेश या रिट के लिए जो वह न्यायालय आवश्यक समझे, अनुरोध करना;

(3) पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुम्ब के सदस्यों को ऐसी तत्काल अंतरिम सहायता मंजूर करने की, जो आयोग आवश्यक समझे, संबंधित सरकार या प्राधिकारी को सिफारिश करना;

(4) खंड (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए जांच रिपोर्ट की प्रति अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराना;

(5) आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशों सहित, संबंधित सरकार या प्रधिकारी को भेजेगा और संबंधित सरकार या प्राधिकारी, एक मास की अवधि के भीतर या ऐसे और समय के भीतर, जो आयोग अनुज्ञात करे, रिपोर्ट पर अपनी टीका-टिप्पणी आयोग को भेजेगा जिसके अंतर्गत उस पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई है;

(6) आयोग, संबंधित सरकार या प्राधिकारी की टीका-टिप्पणी सहित, यदि कोई हों, अपनी जांच रिपोर्ट तथा आयोग की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को प्रकाशित करेगा।

19. सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, आयोग, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात्:—

(क) आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा;

(ख) रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात्, आयोग, यथास्थिति, शिकायत के बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेगा या उस सरकार को अपनी सिफारिशें कर सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को तीन मास के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो आयोग अनुज्ञात करे, सूचित करेगी।

(3) आयोग, केन्द्रीय सरकार को की गई अपनी सिफारिशों तथा ऐसी सिफारिशों पर उस सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।

(4) आयोग, उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित रिपोर्ट की प्रति, अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराएगा।

20. आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें—(1) आयोग, केन्द्रीय सरकार को और संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर, जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित, यदि कोई हों, यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय 5

राज्य मानव अधिकार आयोग

21. राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन–(1) कोई राज्य सरकार, इस अध्याय के अधीन राज्य आयोग की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन कर सकेगी जिसका नाम..... (राज्य का नाम) मानव अधिकार आयोग होगा।

(2) राज्य आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

(क) एक अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है;

(ख) एक सदस्य, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है;

(ग) एक सदस्य जो उस राज्य में जिला न्यायाधीश है या रहा है;

(घ) दो सदस्य, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।

(3) एक सचिव होगा, जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह राज्य आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो राज्य आयोग उसे प्रत्यायोजित करे।

(4) राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(5) कोई राज्य आयोग केवल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 और सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत मानव अधिकारों के अतिक्रमण किए जाने की जांच कर सकेगा:

परन्तु यदि किसी ऐसे विषय के बारे में आयोग द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक् रूप से गठित किसी अन्य आयोग द्वारा पहले से ही जांच की जा रही है तो राज्य आयोग उक्त विषय के बारे में जांच नहीं करेगा;

परन्तु यह और कि जम्मू-कश्मीर मानव अधिकार आयोग के संबंध में, यह उपधारा ऐसे प्रभावी होगी मानो "केवल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 और सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत" शब्द और अंकों के स्थान पर "जम्मू-कश्मीर राज्य को यथा लागू संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत और उन विषयों की बाबत जिनके संबंध में उस राज्य के विधान-मंडल को विधियां बनाने की शक्ति है" शब्द और अंक रख दिए गए हों।

22. राज्य आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति–(1) राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा:

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(क) मुख्य मंत्री	–	अध्यक्ष;
(ख) विधान सभा का अध्यक्ष	–	सदस्य;
(ग) उस राज्य के गृह विभाग का प्रभारी मंत्री	–	सदस्य;
(घ) विधान सभा में विपक्ष के नेता	–	सदस्य;

परन्तु यह और कि जहां किसी राज्य में विधान परिषद् है वहां उस परिषद् का सभापति और उस परिषद् में विपक्ष का नेता भी समिति के सदस्य होंगे:

परन्तु यह और भी कि उच्च न्यायालय का कोई आसीन जिला न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् ही नियुक्त किया जाएगा अन्यथा, नहीं।

(2) राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि समिति में कोई रिक्ति है।

23. राज्य आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना–(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को, राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह रिपोर्ट किए जाने के पश्चात् किया गया है कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे अन्य सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य,–

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है; या

(ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगता है; या

(ग) मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है; या

(घ) विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है; या

(ङ) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दंडादिष्ठ किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है,

तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा।

24. राज्य आयोग के सदस्यों की पदावधि–(1) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा।

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा पांच वर्ष की और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु कोई भी सदस्य सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् अपना पद धारण नहीं करेगा।

(3) अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपने पद पर न रह जाने पर, किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा।

25. कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या उसके कृत्यों का निर्वहन–(1) अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में, राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती।

(2) जब अध्यक्ष छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे, उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है।

26. राज्य आयोग के सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें–सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं:

परन्तु किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

27. राज्य आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द–(1) राज्य सरकार, आयोग को,–

(क) राज्य सरकार के सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का एक अधिकारी, जो राज्य आयोग का सचिव होगा; और

(ख) ऐसे अधिकारी के अधीन, जो पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे पुलिस और अन्वेषण कर्मचारिवृन्द तथा ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारिवृन्द, जो राज्य आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हों;

उपलब्ध कराएगी।

(2) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, राज्य आयोग, ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द नियुक्त कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझें।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

28. राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टें—(1) राज्य आयोग, राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर, जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसको वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्टें प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार, राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को राज्य आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित, यदि कोई हों, जहां राज्य विधान-मंडल दो सदनों से मिलकर बनता है वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, या जहां ऐसा विधान-मंडल एक सदन से मिलकर बनता है वहां उस सदन के समक्ष, रखवाएगी।

29. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबन्धों का राज्य आयोगों को लागू होना—धारा 9, धारा 10, धारा 12, धारा 13, धारा 14, धारा 15, धारा 16, धारा 17 और धारा 18 के उपबंध राज्य आयोग को लागू होंगे और वे निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्:--

(क) ''आयोग'' के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे ''राज्य आयोग'' के प्रति निर्देश हैं;

(ख) धारा 10 की उपधारा (3) में, ''महासचिव'' शब्द के स्थान पर ''सचिव'' शब्द रखा जाएगा;

(ग) धारा 12 के खंड (च) का लोप किया जाएगा;

(घ) धारा 17 के खंड (i) में से ''केन्द्रीय सरकार या किसी'' शब्दों का लोप किया जाएगा।

अध्याय 6

मानव अधिकार न्यायालय

30. मानव अधिकार न्यायालय—मानव अधिकारों के अतिक्रमण से उद्भूत होने वाले अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिए उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से अधिसूचना द्वारा, उक्त अपराधों का विचारण करने के लिए, प्रत्येक जिले के किसी सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी:

परन्तु इस धारा की कोई बात तब लागू नहीं होगी, जब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराधों के लिए-

(क) कोई सेशन न्यायालय पहले से ही विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट है; या

(ख) कोई विशेष न्यायालय पहले से ही गठित है।

31. विशेष लोक अभियोजक—राज्य सरकार, प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय के लिए, अधिसूचना द्वारा, एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को, जिसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि-व्यवसाय किया हो, उस न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी।

अध्याय 7

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

32. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान—(1) केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी, जो केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए, ठीक समझे।

(2) आयोग, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय मानी जाएंगी।

33. राज्य सरकार द्वारा अनुदान—(1) राज्य सरकार, विधान-मंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् राज्य आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी, जो राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए, ठीक समझे।

(2) राज्य आयोग, अध्याय 5 के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियां खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और ऐसी राशियां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय मानी जाएंगी।

34. लेखा और संपरीक्षा—(1) आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके, विहित करे।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, आयोग द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के और इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित, आयोग के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, आयोग द्वारा, केन्द्रीय सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और केन्द्रीय सरकार ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को, उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

35. राज्य आयोग के लेखा और संपरीक्षा—(1) राज्य आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो राज्य सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके, विहित करे।

(2) राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, राज्य आयोग द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के और इस अधिनियम के अधीन राज्य आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और राज्य आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित राज्य आयोग के लेखे, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, राज्य आयोग द्वारा, राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जाएंगे और राज्य सरकार, ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट को, उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

36. आयोग की अधिकारिता के अधीन न आने वाले विषय—(1) आयोग, किसी ऐसे विषय की जांच नहीं करेगा जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक् रूप से गठित किसी राज्य आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित है।

(2) आयोग या राज्य आयोग उस तारीख से जिसको मानव अधिकारों का अतिक्रमण गठित करने वाले कार्य का किया जाना अभिकथित है एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी विषय की जांच नहीं करेगा।

37. विशेष अन्वेषण दलों का गठन—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार का यह विचार है कि ऐसा करना आवश्यक है वहां वह एक या अधिक विशेष अन्वेषण दलों का गठन कर सकेगी, जिनमें उतने पुलिस अधिकारी होंगे जितने वह मानव अधिकारों के अतिक्रमणों से उद्भूत होने वाले अपराधों के अन्वेषण और अभियोजन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझती है।

38. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे में अथवा किसी रिपोर्ट, कागज-पत्र, या कार्यवाही के केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रकाशन के बारे में कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग, राज्य आयोग या उसके किसी सदस्य अथवा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के निदेशाधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

39. सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना–आयोग या राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य और इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा।

40. नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति–(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-

(क) धारा 8 के अधीन सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ख) वे शर्तें, जिनके अधीन अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द आयोग द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे तथा धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते;

(ग) सिविल न्यायालय की कोई अन्य शक्ति, जो धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन विहित की जानी अपेक्षित है;

(घ) वह प्ररूप; जिसमें आयोग द्वारा धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार किए जाने हैं; और

(ङ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

41. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति–(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए, उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-

(क) धारा 26 के अधीन सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ख) वे शर्तें, जिनके अधीन अन्य प्रशासनिक, तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारिवृन्द राज्य आयोग द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे तथा धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्ते;

(ग) वह प्ररूप, जिसमें धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार किए जाने हैं।

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

42. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति–(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

43. निरसन और व्यावृत्ति–(1) मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश, 1993 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के शिकायत दूर करने की प्रक्रिया संबंधी कृत्य*

1. मुख्य कार्य: मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के संबंध में कार्यवाही करना।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों पर विचार करने का कार्य सौंपा गया है और उसे ऐसे कार्य भी सौंपे गये हैं जिनका उद्देश्य विविध सामाजिक मुद्दों को संबोधित करना है। यह आयोग पेरिस में 1991 में मानव अधिकार संस्थानों की एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में विकसित "पेरिस सिद्धांतों" और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के एक संवर्ग का पूर्णरूपेण अनुसरण करता है।

2. शिकायतों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए सांविधानिक उपबंध और अधिनियमित विधियां/अधिनियम।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अनुसार काम करता है। उक्त अधिनियम के प्रथम अध्याय में मानव अधिकारों को "संविधान द्वारा प्रत्याभूत या अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट तथा भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय, व्यक्ति के प्राण, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार" के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें अंतरराष्ट्रीय प्रसिंविदाओं की परिभाषा "संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 16 दिसम्बर, 1966 को अंगीकृत सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा" के रूप में की गई है। इसके अतिरिक्त, 13 मार्च 1997 को यथासंशोधित मानव अधिकार आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 1994 की धारा 2(ग) में शिकायत की परिभाषा "ऐसी सभी याचिकाएं/संसूचनाएं जो आयोग को किसी पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से किसी व्यक्ति से स्वयं, डाक द्वारा, तार द्वारा, फैक्स द्वारा या किसी अन्य साधन से प्राप्त हुई है, जिनमें अभिकथन है कि अधिनियम की धारा 2(घ) में परिभाषित सभी मानव अधिकारों या उनमें से किसी का अतिक्रमण या दुष्प्रेरण हुआ है अथवा ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोक सेवक द्वारा उपेक्षा की गई है" के रूप में की गई है। अपने कृत्यों का निर्वहन करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से मानव अधिकारों के अतिक्रमण के विषय में आयोग में प्राप्त हुई शिकायतों पर विचार करने के लिए, विभिन्न सांविधानिक और विधि के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखा जाता है। शिकायत की परिभाषा के अनुसार, उन सभी याचिकाओं या संसूचनाओं पर राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा विचार किया जाता है जिनमें बताया गया/अभिकथन किया गया है कि मानव अधिकारों का अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किया गया है और/या ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोक सेवक ने उपेक्षा की है। इसके अतिरिक्त, "मानव अधिकारों" से तात्पर्य है व्यक्ति का प्राण, स्वतंत्रता, समता और गरिमा से संबंधित अधिकार जो या तो संविधान द्वारा प्रत्याभूत है या अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट है और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है जिसका अर्थ है भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक के अधीन यथापरिभाषित समता के अधिकार तथा अनुच्छेद 21 और 22 के अधीन यथापरिभाषित प्राण और स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित भारत के संविधान के विभिन्न उपबंध, यद्यपि विनिर्दिष्ट रूप से भारत के संविधान के ये उपबंध व्यक्ति के प्राण और स्वतंत्रता के अधिकारों तथा समता और गरिमा के अधिकारों का भी ध्यान रखते हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग ने शिकायतों के संबंध में कार्यवाही करने में अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए भारत संघ और उसके राज्यों द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तथा 21 से 22 तक में यथा परिभाषित संविधान के उपबंधों और भारत के संविधान के अध्याय 4 के अधीन राज्यनीति के निदेशक तत्व के अधीन सुसंगत उपबंधों और विरचित नियमों उदाहरणार्थ विभिन्न जेल निर्देशिकाओं/कारागार अधिनियम, पुलिस निर्देशिकाओं, पुलिस के लिए आचरण संहिता, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर यातना का निवारण अधिनियम या राज्यों द्वारा अधिनियमित अन्य अधिनियमों का उपयोग किया है।

3. जांच और अन्वेषण

अध्याय 3 के अधीन, "आयोग के कृत्य और उसकी शक्तियां" शीर्षक (धारा 12) के अधीन आयोग के कृत्य परिभाषित हैं। जांच के संबंध में यह उपबंध है कि आयोग निम्नलिखित सभी कृत्य या उनमें से किसी का पालन करेगा:

(क) निम्नलिखित के बारे में शिकायत की स्वयंमेव या किसी पीड़ित व्यक्ति अथवा उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किसी याचिका पर जांच करेगा–

(i) मानव अधिकारों का अतिक्रमण या उसका दुष्प्रेरण, या

(ii) किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे अतिक्रमण के निवारण में उपेक्षा;

(ख) किसी ऐसे कार्यवाही में जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई अभिकथन अन्तर्वलित है और जो किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित है, उस न्यायालय के अनुमोदन से हस्तक्षेप करेगा;

*यह लेख राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा भेजा गया है।

(ग) राज्य सरकार को सूचना देकर, उस राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी जेल या अन्य संस्था का जहां उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति निरुद्ध हैं या रखे गए हैं, वहां के निवासियों की निवास की परिस्थितियों का अध्ययन और उनके संबंध में सिफारिशें करने के लिए परिदर्शन करेगा;

(घ) मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करेगा और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेगा;

(ङ) उन तत्वों का, जिनके अन्तर्गत आंतक के ऐसे कार्य भी हैं, जो मानव अधिकारों के उपभोग को निरुद्ध करते हैं, पुनर्विलोकन करेगा और उपचार के समुचित उपायों की सिफारिश करेगा;

(च) मानव अधिकारों पर संधियों और अन्य अन्तरराष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करेगा और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करेगा;

(छ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करेगा और उसे प्रोन्नत करेगा;

(ज) समाज के विभिन्न वर्गों में मानव अधिकारों के बारे में जानकारी प्रचारित करेगा और प्रकाशनों, संचार माध्यमों, परिसंवादों और अन्य उपलब्ध साधनों के द्वारा इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों की जागरूकता को बढ़ाएगा;

(झ) मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले अशासकीय संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा;

(ञ) ऐसे अन्य कृत्य करेगा जो वह मानव अधिकारों की प्रोन्नति के लिए आवश्यक समझे।

धारा 13 के अधीन यह परिभाषित है कि आयोग को शिकायतों की जांच करते समय, साक्षियों को समन करने और उन्हें हाजिर कराने और शपथ पर उनकी परीक्षा करने, किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और उसे पेश कराने; शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करने, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति को तलब करने, साक्षियों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करने और अन्य किसी विषय के, जो विहित किया जाए, संबंध में वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की होती है। आयोग (अधिनियम की धारा 12 के अधीन, भारतीय दंड संहिता 1860 और दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के विभिन्न उपबंधों के अधीन) अपने कृत्यों का पालन करने के उद्देश्य से ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में एक सिविल न्यायालय और उसकी कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा। इसके अतिरिक्त, अध्याय 4 के ''प्रक्रिया'' शीर्षक के अधीन धारा 18 में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन आयोजित जांच के पूरा होने के पश्चात् आयोग ऐसे निदेशों, आदेशों या रिटों के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से अनुरोध कर सकेगा जो वह न्यायालय आवश्यक समझे। निदेश/आदेश जारी करने के लिए उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय से अनुगेध करने के उद्देश्य से आयोग, उच्चतम न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 32 के अधीन और उच्च न्यायालय के समक्ष अनुच्छेद 226 के अधीन रिट फाइल कर सकेगा।

4. निष्कर्ष

आयोग मानव अधिकारों अर्थात किसी व्यक्ति के प्राण, स्वतंत्रता और समता तथा गरिमा से संबंधित उन मानव अधिकारों के जो संविधान में परिभाषित हैं और अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निविष्ट भी हैं, अतिक्रमण की परीक्षा करता है और यह परीक्षा भी करता है कि क्या ऐसा अतिक्रमण लोक सेवक की, ऐसे अतिक्रमण के निवारण के अपने कर्तव्यों के निर्वहन के समय उपेक्षा के कारण हुआ है। आयोग, संविधान के भाग 3 के अधीन समता, प्राण, स्वतंत्रता और गरिमा के अधिकार से संबंधित सुसंगत उपबंधों तथा संविधान के भाग 4 के राज्य नीति के निदेशक तत्वों के अधीन, समता, प्राण और स्वतंत्रता तथा गरिमा के संबंध में राज्य द्वारा अधिनियमित अधिनियमों/नियमों के अधीन भी और ऐसी अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं के उपबंधों के अधीन भी, जो भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं, कार्य करता है और शिकायतों पर विचार करता है कि/की परीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त जांच और अन्वेषण के उसके कृत्यों के निर्वहन में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के सुसंगत उपबंध अर्थात् जांच और विचारण, कथनों के अभिलेखन, साक्षियों को समन करने, दस्तावेजों की परीक्षा करने आदि के साधारण उपबंध, साक्ष्य अधिनियम तथा पुलिस के आचरण को नियमित करने, मानव अधिकारों के संरक्षण और उसके अतिक्रमण के लिए राज्यों द्वारा अधिनियमित विभिन्न अधिनियमों के सुसंगत उपबंध लागू किए जाते हैं। अस्तु, न केवल विधि के विनिर्दिष्ट उपबंधों का बल्कि विधि के साधारण उपबंधों का भी, जो ऊपर वर्णित मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए काम में लाए जाते हैं, उपयोग किया गया है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों के समक्ष, जांच आदि पर आधारित सिफारिशों का अनुसरण करने के लिए निदेशों के जारी किए जाने के लिए फाइल की गई रिटों के अलावा है।

6

संसद के अधिनियमों के अधीन स्थापित विशेष संस्थाएं

पिछले कई वर्षों में भारत में अनेक ऐसी विशिष्ट संस्थाएं स्थापित की गई हैं जिनका उद्देश्य, समाज के कमजोर वर्गों और सुविधा वंचित लोगों के हितों और सुख-सुविधाओं का प्रोन्नयन और संरक्षण करना है। वर्ष 1950 में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों में अन्वेषण करने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त नामक एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया। तत्पश्चात् यह महसूस किया गया कि एक विशेष अधिकारी की बजाय, पांच सदस्यों वाले एक उच्च शक्तिप्राप्त आयोग की स्थापना अधिक श्रेयस्कर होगी, अत: वर्ष 1990 में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, सामाजिक-आर्थिक विकास और समुन्नति के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग गठित किया गया।

भारत के संविधान और अनेक अन्य कानूनों में प्रत्याभूत अधिकारों की अभिव्यक्ति के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अधीन एक राष्ट्रीय महिला आयोग; राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अधीन एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग; और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अधीन एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित किया गया। जिन विधायी पाठों के अधीन उक्त आयोग गठित किए गए हैं, वे आगे दिये जा रहे हैं:

क

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग
[संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 *]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सांविधानिक रक्षोपायों के संबंध में अधिक प्रभावी व्यवस्था करने के उद्देश्य से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 का संशोधन, संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 द्वारा किया गया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, एक विशेष अधिकारी के स्थान पर, उच्चस्तरीय पांच सदस्यों वाले एक राष्ट्रीय आयोग का उपबंध किया गया। यही आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित सभी विषयों में अन्वेषण करेगा।

338. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग– (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा।

(2) संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे।

(3) राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा।

(4) आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी।

(5) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह,—

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करे;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करे;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले और उन पर सलाह दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करे;

(घ) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष; और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे;

(ङ) ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिएं, तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करे;

(च) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति, संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

---

*विधेयक लोक सभा और राज्य सभा ने, क्रमशः तारीख 30 और 31 मई 1990 को पारित किया तथा उसे राष्ट्रपति की अनुमति तारीख 7 जून 1990 को प्राप्त हुई।

(6) राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

(7) जहां कोई ऐसा प्रतिवेदन, या उसका कोई भाग किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है तो ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

(8) आयोग को खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय, विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में, वे सभी शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात्:-

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित करे।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी।

(10) इस अनुच्छेद में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसके अंतर्गत ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश, जिनको राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के खंड (1) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रति निर्देश भी है।

ख

राष्ट्रीय महिला आयोग
(राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 *)

राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ–** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. **परिभाषाएं**–इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''आयोग'' से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय महिला आयोग अभिप्रेत है;

(ख) ''सदस्य'' से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत सदस्य-सचिव भी है;

(ग) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

अध्याय 2
राष्ट्रीय महिला आयोग

3. **राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन**–(1) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समनुदिष्ट कृत्यों का पालन करेगा।

(2) वह आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक अध्यक्ष, जो महिलाओं के हित के लिए समर्पित हो;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नामनिर्देशित पांच सदस्य जिन्हें विधि या विधायन, व्यवसाय संघ आन्दोलन, महिलाओं की नियोजन संभाव्यताओं की वृद्धि के लिए समर्पित उद्योग या संगठन के प्रबंध, स्वैच्छिक महिला संगठन (जिनके अंतर्गत महिला कार्यकर्ता भी हैं), प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण का अनुभव है:

परंतु उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में से प्रत्येक का कम से कम एक सदस्य होगा;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य-सचिव जो—

(i) प्रबंध, संगठनात्मक संरचना या सामाजिक आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ है, या

---

*राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक, लोक सभा और राज्य सभा ने क्रमशः तारीख 9 और 23 अगस्त 1990 को पारित किया तथा उसे राष्ट्रपति की अनुमति तारीख 30 अगस्त 1990 को प्राप्त हुई।

(ii) ऐसा अधिकारी है जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है और जिसके पास समुचित अनुभव है।

4. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें–(1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

(2) अध्यक्ष या कोई सदस्य (ऐसे सदस्य-सचिव से भिन्न जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है) केन्द्रीय सरकार को संबोधित लेख द्वारा किसी भी समय, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, किसी व्यक्ति को, उपधारा (2) में निर्दिष्ट अध्यक्ष या सदस्य के पद से हटा देगी यदि वह व्यक्ति—

(क) अनुमोचित दिवालिया हो जाता है;

(ख) ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया और कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है;

(ग) विकृतचित्त का हो जाता है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;

(घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है;

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की इजाजत लिए बिना आयोग के लगातार तीन अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है; या

(च) केन्द्रीय सरकार की राय में, उसने अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि ऐसे व्यक्ति का पद पर बना रहना लोकहित के लिए अहितकर है:

परन्तु इस खंड के अधीन किसी व्यक्ति को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को इस विषय में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे दिया गया है।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा होने वाली रिक्ति नए नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते, और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

5. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी–(1) केन्द्रीय सरकार आयोग के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हों।

(2) आयोग के प्रयोजनों के लिए नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

6. वेतन और भत्तों का अनुदान में से संदत्त किया जाना– अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत धारा 5 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन भी हैं, धारा 11 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदत्त किए जाएंगे।

7. रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना– आयोग का कोई भी कार्य या कार्यवाही आयोग में कोई रिक्ति विद्यमान होने या उसके गठन में त्रुटि होने के आधार पर ही प्रश्नगत या अविधिमान्य नहीं होगी।

8. आयोग की समितियां–(1) आयोग ऐसी समितियां नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे विशेष प्रश्नों पर विचार करने के लिए आवश्यक हों जो आयोग द्वारा समय-समय पर उठाए जाएं।

(2) आयोग को उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी समिति के सदस्यों के रूप में, ऐसे व्यक्तियों में से जो आयोग के सदस्य नहीं हैं, उतने व्यक्ति सहयोजित करने की शक्ति होगी जितने वह उचित समझे और इस प्रकार सहयोजित व्यक्तियों को समिति के अधिवेशनों में उपस्थित रहने तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(3) इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति समिति के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जो विहित किए जाएं।

9. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना—(1) आयोग या उसकी समिति का अधिवेशन जब भी आवश्यक हो किया जाएगा और वह ऐसे समय और स्थान पर किया जाएगा जो अध्यक्ष ठीक समझे।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया तथा अपनी समितियों की प्रक्रियां स्वयं विनियमित करेगा।

(3) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य-सचिव द्वारा या इस निमित सदस्य-सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

अध्याय 3

आयोग के कृत्य

10. आयोग के कृत्य—(1) आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) महिलाओं के लिए संविधान और अन्य विधियों के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और परीक्षा करना;

(ख) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे, केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट देना;

(ग) ऐसी रिपोर्टों में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करना;

(घ) संविधान और अन्य विधियों के महिलाओं को प्रभावित करने वाले विद्यमान उपबंधों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके संशोधनों की सिफारिश करना जिससे कि ऐसे विधानों में किसी कमी, अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारी उपायों का सुझाव दिया जा सकें;

(ङ) संविधान और अन्य विधियों के उपबंधों के महिलाओं से संबंधित अतिक्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

(च) निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर शिकायतों की जांच करना और स्वप्रेरणा से ध्यान देना—

(i) महिलाओं के अधिकारों का वंचन;

(ii) महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और समता तथा विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भी अधिनियमित विधियों का अक्रियान्वयन;

(iii) महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनको अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ नीतिगत विनिश्चयों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों का अनुपालन,

और ऐसे विषयों से उद्भूत प्रश्नों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

(छ) महिलाओं के विरुद्ध विभेद और अत्याचारों से उद्भूत विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराना और बाधाओं का पता लगाना जिससे कि उनको दूर करने की कार्य योजनाओं की सिफारिश की जा सके;

(ज) संवर्धन और शिक्षा संबंधी अनुसंधान करना जिससे कि महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाना जैसे कि आवास और बुनियादी सेवाओं की प्राप्ति में कमी उबाऊपन और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकटों को कम करने के लिए और महिलाओं की उत्पादकता की वृद्धि के लिए सहायक सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्तता;

(झ) महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना;

(ञ) संघ और किसी राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(ट) किसी जेल, सुधार गृह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान का, जहां महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और उपचारी कार्रवाई के लिए, आवश्यक हो, संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत करना;

(ठ) बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना;

(ड) महिलाओं से संबंधित किसी बात के, और विशिष्टतया उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जिनके अधीन महिलाएं कार्य करती हैं, सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट देना;

(ढ) कोई अन्य विषय जिसे केंद्रीय सरकार उसे निर्दिष्ट करे।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट सभी रिपोर्टों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी और उसके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिशें अस्वीकृत की गई हैं तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

(3) जहां कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है वहां आयोग ऐसी रिपोर्ट या उसके भाग की एक प्रति उस राज्य सरकार को भेजेगा जो उसे राज्य के विधान-मंडलके समक्ष रखवाएगी और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिशें अस्वीकृत की गई हैं तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

(4) आयोग को उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (च) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की हैं, अर्थात्:

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

अध्याय 4

वित्त, लेखे और लेखापरीक्षा

11. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान—(1) केंद्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशि का संदेय करेगी जो केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए उतनी धनराशि खर्च कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे और वह धनराशि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय माना जाएगा।

12. लेखे और संपरीक्षा—(1) आयोग, समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो केंद्रीय सरकार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ऐसे अंतरालों पर करेगा जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और उस संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय आयोग द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की सपंरीक्षा के संबंध में साधारणतया होते हैं और उसे विशिष्टतया बहियां, लेखा, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित आयोग का लेखा और साथ ही उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रति वर्ष भेजी जाएगी।

13. **वार्षिक रिपोर्ट**—आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष, के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूर्ण विवरण होगा, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, तैयार करेगा और उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

14. **वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का संसद् के समक्ष रखा जाना**—केंद्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट, रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी जिसके साथ उसमें अंतर्विष्ट सिफारिशों पर, जहां तक उनका संबंध केन्द्रीय सरकार से है, की गई कार्रवाई और यदि कोई ऐसी सिफारिशें अस्वीकृत की गई हैं तो अस्वीकृति के कारण का ज्ञापन और संपरीक्षा रिपोर्ट होगी।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

15. **आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारीवृंद का लोक सेवक होना**—आयोग का अध्यक्ष, उसके सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।

16. **केन्द्रीय सरकार आयोग से परामर्श करेगी**—केन्द्रीय सरकार, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी।

17. **नियम बनाने की शक्ति**—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ख) धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन सहयोजित व्यक्तियों द्वारा समिति के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए भत्ते;

(ग) धारा 10 की उपधारा (4) के खंड (च) के अधीन अन्य विषय;

(घ) वह प्ररूप जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन रखा जाएगा;

(ङ) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जब वार्षिक रिपोर्ट धारा 13 के अधीन तैयार की जाएगी;

(च) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग*

राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अनुसरण में 31 जनवरी, 1992 को स्थापित और गठित एक कानूनी निकाय है। आयोग साम्या, समता और न्याय प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह समता संबंधी विधियों के अतिक्रमण, अवसरों के प्रत्याख्यान तथा महिलाओं के अधिकारों के वंचन के मामलों में हस्तक्षेप करके पुरुषों और महिलाओं के बीच न्याय स्थापित करने के काम को आगे बढ़ाता है। यह देश भर में यातनाओं की शिकार महिलाओं और विपद्ग्रस्त महिलाओं को परामर्श और सहायता देने की व्यवस्था करता है।

इसने विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि दहेज, बलात्कार, अभिरक्षा, सम्पत्ति अधिकारों, विवाह, विवाह विच्छेद, भरण पोषण आदि के क्षेत्रों में महिलाओं के हितों का संरक्षण करने में अपर्याप्त विधियों को संशोधित कराने के लिए विनिर्दिष्ट पहल की है। यह अपने प्रयास अशासकीय संगठनों, पारिवारिक महिला लोक अदालतों और विधि संबंधी जागरुकता अभियानों के माध्यम से करता है। इसे बालिकाओं, वेश्याओं, विधवाओं और अभिरक्षा में महिलाओं की समस्याओं का समाधान तथा संचार माध्यमों में अश्लीलता का विरोध करने का भी एक विशेष शासनादेश प्राप्त है। ग्रामीण महिलाओं तक प्रौद्योगिकी ले जाना उसका एक अन्य कार्य क्षेत्र है।

महिलाओं से संबंधित विधियों का पुनर्विलोकन

राष्ट्रीय महिला आयोग ने आरंभ से ही अपने शासनादेश के भाग के रूप में, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाली विभिन्न विधियों और प्रस्तावित नए विधेयकों का पुनर्विलोकन किया है। आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों में संशोधनों के प्रस्ताव रखे हैं। ये अधिनियम निम्नलिखित हैं:—

(i) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

(ii) सती होना निवारण अधिनियम, 1987

(iii) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994

(iv) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

(v) अवयस्कों का विक्रय—

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860

(ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

(ग) बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929

(vi) द्विविवाह-दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 198

(vii) महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 1995

(viii) संविधान (इक्यासीवां संशोधन) विधेयक, 1996

(ix) अभिरक्षा और संरक्षकता

(x) आन्ध्र प्रदेश महिला आयोग विधेयक, 1996 पर टिप्पणियां।

आयोग ने निम्नलिखित नए विधेयकों के अधिनियमन का प्रस्ताव भी रखा है:—

(i) विवाह विधेयक, 1994

(ii) महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा (निवारण) विधेयक

(iii) अनाथ और निराश्रित बालक (दत्तक ग्रहण) विधेयक, 1994

(iv) दाण्डिक विधियां (संशोधन) विधेयक, 1994 (बाल बलात्कार के संदर्भ में)

(v) दाण्डिक विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 1996

(vi) महिलाओं के विरुद्ध बर्बर और पाशविक क्रूरता निवारण विधेयक, 1995

(vii) दिल्ली अधिनियम—महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का प्रतिषेध विधेयक

*यह लेख राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा भेजा गया है।

आयोग के पास समय-समय पर जो विभिन्न शिकायतें और मामले आते हैं उनके संबंध में कार्यवाही करने के लिए आयोग ने एक परामर्श और मुकदमा-पूर्व प्रकोष्ठ स्थापित किया है। अभी तक लगभग 3000 मामलों के संबंध में सफलतापूर्वक कार्यवाही की जा चुकी है। आमतौर पर शिकायतों का संबंध दहेज संबंधी उत्पीड़न, अत्याचार, यातना/क्रूरता, बलात्कार, द्विविवाह, लिंग के आधार पर विभेद, सम्पत्ति के अधिकार, कार्यस्थान पर उत्पीड़न, भरण पोषण और विवाह विच्छेद की याचिकाओं से होता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की हाल में की गई पहल और उसके कार्य क्षेत्रों का एक सिंहावलोकन नीचे दिया गया है:

राजनीतिक मुद्दे

पंचायत के स्तर से लेकर संसद् तक के सभी विधायी और निर्णयकारी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व द्वारा राजनीतिक शक्ति प्रदान करना।

की गई कार्रवाई

* पंचायत स्तर पर कानून की जानकारी देने तथा ग्रामीण महिलाओं को पंचायती राज की शिक्षा देने के लिए जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया।
* पंचायतों में महिलाओं के प्रभाव और उनकी समस्याओं की समीक्षा करने के लिए गवेषणात्मक अध्ययन प्रायोजित किए; और
* महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए समर्थन जुटाने हेतु राष्ट्रव्यापी आन्दोलन किया।

आर्थिक मुद्दे

प्रौद्योगिकी के अन्तरण और व्यावसायिक प्रशिक्षण और मजदूरी की समता द्वारा आर्थिक शक्ति प्रदान करना।

की गई कार्रवाई

* महिलाओं के नियोजन, नियोजन समता और आर्थिक सुधारों के प्रभाव, निर्यात अभिमुख उद्योगों और असंगठित सेक्टरों में महिलाओं के लिए नियोजन के अवसरों, प्रत्यय के प्रति निर्देश से गन्दी बस्ती की महिलाओं के लिए नियोजन की संभावनाएं पैदा करने के विषय में अध्ययन आयोजित किए;
* व्यावसायिक प्रशिक्षण के संगठन में सहायता दी;
* महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण बैंक आरंभ किए;
* वन प्रबंधन और संरक्षण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए निम्नतम स्तर पर महिलाओं की आवश्यकता पर बल दिया; और
* प्रौद्योगिकी के, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को, अन्तरण के लिए इस उद्देश्य से अध्ययन आयोजित किए जिससे कि उनकी नीरसता कम हो सके।

विधिक मुद्दे

* महिलाओं के अधिकारों का अतिक्रमण और उनकी शिकायतें दूर करना;
* महिलाओं के लिए अभिरक्षा में न्याय;
* त्वरित न्याय की आवश्यकता;
* विधियों के पुनर्विलोकन की आवश्यकता; और
* पुलिस और न्यायपालिका को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता।

की गई कार्रवाई

* चौबीसों घंटे चलने वाले परामर्श और मुकदमा-पूर्व प्रकोष्ठ स्थापित किए;
* महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए पारिवारिक महिला लोक अदालतों का आयोजन किया। अभी तक 124 लोक अदालतें आयोजित हो चुकी हैं जिनसे लगभग 42,000 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं;

* विधियों पर एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की, विभिन्न विद्यमान विधियों में संशोधनों के प्रस्ताव किए, विधेयकों पर टिप्पणियां कीं, महत्वपूर्ण मुद्दों पर मागदर्शक सिद्धांत अधिकथित किए और नए विधेयक प्रस्तावित किए, महिलाओं से संबंधित विधियों के संहिताकरण की सिफारिश की;
* सम्पूर्ण देश में जेलों के बिन बताए निरीक्षणों का आयोजन किया और स्वस्थ वातावरण के रूप में अभिरक्षा में न्याय उपलब्ध कराने के तथा सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए सिफारिशें कीं;
* पुलिस और न्यायपालिका के लिए महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता और जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए;
* जेलों और रिमाण्ड गृहों के अधीक्षकों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किए;
* महिलाओं से संबंधित दाण्डिक विधियों के संहिताकरण पर राष्ट्रीय वाद-विवाद का आयोजन किया; और
* अल्पसंख्यकों और दलितों पर विशेषज्ञ समिति स्थापित की।

स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे

- स्त्री भ्रूणहत्या और शिशुहत्या का सामना करना।
- महिलाओं के उपचार में महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल की आवश्यकताओं को मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता।

की गई कार्रवाई

* सुरक्षित मातृत्व की व्यवस्था करने और गर्भावस्था की संभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक व्यापक स्वास्थ्य देखभाल पैकेज की आवश्यकता की सिफारिश की; इसके अतिरिक्त, यौन शिक्षा, स्त्री पुरुष में समता सुनिश्चित करने के लिए पुरुष स्वास्थ्य कर्मकारों को सम्मिलित करने तथा गर्भ-निरोध के भार के अंशभाजन पर भी ध्यान केन्द्रित किया।

सामाजिक मुद्दे

- स्त्रियों और बालकों का दुर्व्यापार,
- विधवाओं की दुर्दशा, विशेष रूप से धार्मिक स्थानों में तथा शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग स्त्रियां,
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं,
- घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं, और
- संचार माध्यमों में महिलाओं की प्रास्थिति में सुधार लाना।

की गई कार्रवाई

* 'वेश्यालय' क्षेत्रों का दौरा किया, बालकों के यौन शोषण पर परिसंवादों का आयोजन किया, सरकार को व्यापक सिफारिशें कीं, अन्तरराज्य दुर्व्यापार का सामना करने के लिए सार्क देशों के प्रतिनिधियों से बातचीत की;
* विधवाओं के लिए वृद्धावस्था गृहों, रात्रि आश्रयों, प्रशिक्षण केन्द्रों आदि को खोलने का सुझाव दिया;
* दृष्टि-अपंग महिलाओं के लिए देशव्यापी विधि संबंधी जागरुकता के कार्यक्रम आरंभ किए; होस्टलों, प्रवेशों, छात्रवृत्तियों आदि की व्यवस्था जैसी अधिसंरचना संबंधी एक पैकेज कार्यक्रम की सिफारिश की;
* पागलखानों का दौरा किया और व्यावसायिक चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा इकाइयों की स्थापना की सिफारिश की;
* कमजोर वर्गों और अनुसूचित जातियों की जनजातीय महिलाओं के विकास के लिए विशेष समिति गठित की;
* मदिरा विरोधी आन्दोलन का समर्थन किया और राज्य सरकारों पर मद्य-निषेध लागू करने के लिए दबाव डाला; और
* संचार माध्यमों की भूमिका की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की, प्रस्तावित वयस्क चैनल के विरुद्ध लोकहित वाद फाइल किया और उसके द्वारा रोक आदेश प्राप्त किया तथा प्रसार भारती विधेयक में त्रुटियों के बारे में प्राधिकारियों को बताया।

ग

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
(राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 *)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तैंतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. **परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''आयोग'' से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अभिप्रेत है;

(ख) ''सदस्य'' से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत उपाध्यक्ष है;

(ग) ''अल्पसंख्यक'' से इस अधिनियम से प्रयोजनों के लिए वह समुदाय अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उस रूप में अधिसूचित किया जाए**;

(घ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

अध्याय 2
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

3. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन**—(1) केन्द्रीय सरकार एक निकाय का, जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नाम से ज्ञात होगा, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे समनुदिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए, गठन करेगी।

(2) यह आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्यों से मिलकर बनेगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा विख्यात, योग्य और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से नामनिर्देशित किया जाएगा:

परन्तु अध्यक्ष को मिलाकर पांच सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों में से होंगे।

4. **अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें**—(1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से जब वह पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) अध्यक्ष या सदस्य, केन्द्रीय सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेगा।

---

*राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, लोक सभा और राज्य सभा ने क्रमश: तारीख 12 और 14 मई 1992 को पारित किया तथा उसे राष्ट्रपति की अनुमति तारीख 17 मई 1992 को प्राप्त हुई।

**सरकार ने तारीख 23 अक्तूबर 1993 को अधिसूचित किया कि मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी अल्पसंख्यक समुदाय हैं।

(3) केन्द्रीय सरकार उपधारा (2) में निर्दिष्ट अध्यक्ष या सदस्य के पद से किसी व्यक्ति को हटा देगी यदि वह व्यक्ति—

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है;

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, दोषसिद्ध और कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है;

(ग) विकृतचित्त हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाता है;

(घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है;

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की इजाजत के लिए बिना आयोग के लगातार तीन अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है; या

(च) केन्द्रीय सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य के पद का ऐसा दुरुपयोग करता है जिसके कारण उस व्यक्ति का पद पर बना रहना अल्पसंख्यकों के हितों या लोकहित के लिए हानिकर हो गया है:

परन्तु इस खंड के अधीन कोई व्यक्ति तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उस मामले की सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा होने वाली रिक्ति नए नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

5. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी—(1) केन्द्रीय सरकार आयोग के लिए एक सचिव और उतने अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जितने इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हों।

(2) आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

6. वेतन और भत्तों का अनुदानों में से संदाय—अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते और प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत धारा 5 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन भी है, धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदत्त किए जाएंगे।

7. रिक्तियों, आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना—आयोग के किसी कार्य या कार्यवाही को आयोग में केवल किसी रिक्ति के होने या उसके गठन में किसी त्रुटि के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा और न ही वह अविधिमान्य होगा।

8. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना—(1) आयोग का अधिवेशन आवश्यकतानुसार ऐसे समय और स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या इस निमित्त सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

अध्याय 3

आयोग के कृत्य

9. आयोग के कृत्य—(1) आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) संघ और राज्यों के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;

(ख) संविधान में और संसद तथा राज्य विधान-मंडलों द्वारा अधिनियमित विधियों में उपबन्धित रक्षोपायों के कार्य को मानिटर करना;

(ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षा के लिए रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना;

(घ) अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के बारे में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच-पड़ताल करना और ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना;

(ङ) अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी विभेद के कारण उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन कराना और उनको दूर करने के लिए अध्युपायों की सिफारिश करना;

(च) अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित विषयों का अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना;

(छ) किसी अल्पसंख्यक के संबंध में ऐसे समुचित अध्युपायों का सुझाव देना जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा किए जाने चाहिएं;

(ज) अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी विषय पर, और विशिष्टतया उनके सामने आने वाली कठिनाइयों पर, केन्द्रीय सरकार को कालिक या विशेष रिपोर्टें देना; और

(झ) कोई अन्य विषय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाए।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट सिफारिशों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, एक ज्ञापन के साथ रखवाएगी जिसमें संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई और किन्हीं ऐसी सिफारिशों को, यदि कोई हों, स्वीकार न किए जाने के लिए कारणों का स्पष्टीकरण होगा।

(3) जहां उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट कोई सिफारिश या उसका कोई भाग, किसी राज्य सरकार से संबंधित है, वहां आयोग ऐसी सिफारिश या उसके भाग की एक प्रति ऐसी राज्य सरकार को भेजेगा जो उसे राज्य के विधान-मंडल के समक्ष, एक ज्ञापन के साथ, रखवाएगी जिसमें राज्य से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई और किन्हीं ऐसी सिफारिशों या उनके भाग को, यदि कोई हों, स्वीकार न किए जाने के लिए कारणों का स्पष्टीकरण होगा।

(4) आयोग को उपधारा (1) के उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (घ) में वर्णित कृत्यों में से किसी का पालन करते समय, और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बाबत, किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि की अपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

अध्याय 4

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

10. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान—(1) केन्द्रीय सरकार, संसद् की विधि द्वारा इस निमित्त सम्यक् विनियोग किए जाने के पश्चात् आयोग के अनुदानों के रूप में उतनी धनराशि का संदाय करेगी जितनी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे।

(2) आयोग उतनी धनराशि खर्च कर सकेगा जितनी वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ठीक समझे और वह धनराशि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय माना जाएगा।

11. लेखे और संपरीक्षा—(1) आयोग समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्ररूप में लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय आयोग द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा उसके द्वारा उस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो साधारणतया नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया बहियों, खातों, संबंधित वाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्रों को पेश किए जाने की मांग करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

12. वार्षिक रिपोर्ट—आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलाप का पूर्ण विवरण होगा, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, तैयार करेगा और उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

13. वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का संसद् के समक्ष रखा जाना—केन्द्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट, उसमें अंतर्विष्ट सिफारिशों पर, जहां तक उनका संबंध केन्द्रीय सरकार से है, की गई कार्रवाई के ज्ञापन और ऐसी सिफारिशों में से किसी के अस्वीकार करने के कारण, यदि कोई हों, सहित, और संपरीक्षा रिपोर्ट, रिपोर्टों के प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, संसद्, के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय 5
प्रकीर्ण

14. आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारीवृन्द का लोक सेवक होना—आयोग का अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।

15. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ख) धारा 9 की उपधारा (4) के खंड (च) के अधीन कोई अन्य विषय;

(ग) वह प्ररूप जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन रखा जाएगा;

(घ) वह प्ररूप जिसमें और वह समय वार्षिक रिपोर्ट धारा 12 के अधीन तैयार की जाएगी;

(ङ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐस परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

16. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

घ

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
(राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 *)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह 1 फरवरी, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. **परिभाषाएं**– इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''पिछड़े वर्ग'' से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न, ऐसे पिछड़े हुए नागरिकों के वर्ग अभिप्रेत हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सूचियों में विनिर्दिष्ट किए जाएं;

(ख) ''आयोग'' से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अभिप्रेत है;

(ग) ''सूची'' से ऐसी सूचियां अभिप्रेत हैं जो ऐसे पिछड़े हुए नागरिकों के वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व उस सरकार की राय में, भारत सरकार के और भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं हैं, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर भारत सरकार द्वारा तैयार की जाएं;

(घ) ''सदस्य'' से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष है;

(ङ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

अध्याय 2

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

3. **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन**–(1) केन्द्रीय सरकार, एक निकाय का, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से ज्ञात होगा, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे समनुदिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी।

(2) आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे, अर्थात्–

(क) एक अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है;

(ख) एक समाज विज्ञानी;

---

*राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, लोक सभा और राज्य सभा ने क्रमशः तारीख, 13 और 14 मई 1993 को पारित किया तथा उसे राष्ट्रपति की अनुमति तारीख, 9 जून 1993 को प्राप्त हुई।

(ग) दो ऐसे व्यक्ति, जिन्हें पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान है; और

(घ) एक सदस्य-सचिव जो भारत सरकार के सचिव की पंक्ति का केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी है या रहा है।

4. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें–(1) प्रत्येक सदस्य, अपने पद ग्रहण की तारीख से, तीन वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा।

(2) सदस्य, किसी भी समय केन्द्रीय सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग सकेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति को सदस्य के पद से हटा देगी यदि वह व्यक्ति—

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है;

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और कारावास से दण्डादिष्ट किया जाता है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है;

(ग) विकृतचित्त का हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;

(घ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने के लिए असमर्थ हो जाता है;

(ङ) आयोग से अनुपस्थिति की इजाजत लिए बिना आयोग के लगातार तीन अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है; या

(च) केन्द्रीय सरकार की राय में अध्यक्ष या सदस्य के पद का ऐसा दुरुपयोग करता है जिसके कारण उस व्यक्ति का पद पर बने रहना पिछड़े वर्ग के हितों या लोकहित के लिए हानिकर हो गया है:

परन्तु इस खंड के अधीन कोई व्यक्ति तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को उस मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा होने वाली रिक्ति नए नाम निर्देशन द्वारा भरी जाएगी।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

5. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी– (1) केन्द्रीय सरकार, आयोग के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हों।

(2) आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

6. वेतन और भत्तों का अनुदानों में से संदाय– अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों का तथा प्रशासनिक व्ययों का, जिनके अंतर्गत धारा 5 में निर्दिष्ट अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, धारा 12 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदाय किया जाएगा।

7. रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना– आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

8. प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना– (1) आयोग का अधिवेशन, जब भी आवश्यकता हो, ऐसे समय और स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य-सचिव द्वारा या इस निमित्त सदस्य-सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

अध्याय 3

आयोग के कृत्य और शक्तियां

9. आयोग के कृत्य– (1) आयोग, नागरिकों के किसी वर्ग के सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में सम्मिलित किए जाने के अनुरोधों की जांच करेगा और ऐसी सूची में किसी पिछड़े वर्ग के अधिक सम्मिलित किए जाने या कम सम्मिलित किए जाने की शिकायतों की सुनवाई करेगा और केन्द्रीय सरकार को ऐसी राय देगा जो वह उचित समझे।

(2) आयोग की सलाह सामान्यतया केन्द्रीय सरकार पर आबद्धकर होगी।

10. आयोग की शक्तियां– आयोग को धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय, और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी, जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात्:-

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

11. सूचियों का केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षण– (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसी सूचियों का उन सूचियों से ऐसे वर्गों का अपवर्जन करने की दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग नहीं रह गए हैं या ऐसी सूचियों में नए पिछड़े वर्गों के सम्मिलित किए जाने के लिए किसी भी समय पुनरीक्षण कर सकेगी तथा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से दस वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात् दस वर्ष की प्रत्येक उत्तरवर्ती अवधि की समाप्ति पर पुनरीक्षण करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई पुनरीक्षण करते समय, आयोग से परामर्श करेगी।

अध्याय 4

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

12. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान–(1) केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशियों का संदाय करेगी जो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी धनराशि खर्च कर सकेगा जो वह ठीक समझे और वह धनराशि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय मानी जाएगी।

13. लेखा और संपरीक्षा–(1) आयोग, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जो केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षा द्वारा ऐसे अन्तरालों पर जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, आयोग द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के और उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति के, ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साधारणतया सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में हैं और उसे विशिष्टतया बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागज-पत्रों के पेश किए जाने की मागं करने और आयोग के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

14. वार्षिक रिपोर्ट– आयोग, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूरा विवरण होगा और उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

15. वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षा रिपोर्ट का संसद् के समक्ष रखा जाना– केन्द्रीय सरकार वार्षिक रिपोर्ट और साथ ही धारा 9 के अधीन आयोग द्वारा दी गई सलाह पर की गई कार्रवाई का और यदि ऐसी सलाह अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों का ज्ञापन तथा संपरीक्षा रिपोर्ट उनके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

16. आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना– आयोग का अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।

17. नियम बनाने की शक्ति– (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-

(क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ख) वह प्ररूप जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया जाएगा;

(ग) वह प्ररूप जिसमें, और वह समय जब, धारा 14 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी;

(घ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति– (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु ऐसे कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

19. निरसन और व्यावृत्ति–(1) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यादेश, 1993 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

7

संसदीय समितियां

आधुनिक प्रजातंत्र में संसद का प्रमुख कार्य जनता का प्रतिनिधित्व करना है। हाल के दशकों में अधिकाधिक जोर संसद की प्रतिनिधित्वात्मक और शिकायत संवातन मंच की भूमिका पर दिया जाने लगा है। तीन संसदीय समितियों–याचिका समिति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति और महिला शक्तिकरण समिति–का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, सामान्यत: मानव अधिकारों का और विशिष्टत: कमजोर वर्गों के हितों का, प्रोन्नयन और संरक्षण करना है।

क

याचिका समिति (लोक सभा)

याचिका समिति, सदन की सबसे प्राचीन समिति है। लोक याचिका समिति, 20 फरवरी, 1924 को गठित की गई थी। सन् 1933 में उसका नाम याचिका समिति कर दिया गया।

याचिका समिति के दो प्रधान उद्देश्य हैं:

(1) उस लोक विषय के गुणागुण की बावत अध्ययन करना, जिसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए याचिका प्रस्तुत की गई है; और

(2) उस महत्व के, जो जनता उस विषय को बाहर देना चाहती है परिमाण पर बल देना;

इस प्रकार याचिका समिति, जो कम से कम 15 सदस्यों से मिलकर बनती है, लोक महत्व के ऐसे अनेक विषयों पर, जिनके अन्तर्गत विधेयक भी हैं। लोकमत को, सदन की जानकारी में लाने के लिए, एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है। तथापि समिति को, कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करने का अथवा पुनरीक्षण सदन के रूप में कार्य करने का अधिकार नहीं है। समिति एक प्रभावी उपकरण है, जिससे कि सरकारी विभागों के कार्य/लोपों के विरुद्ध, लोक शिकायतों को दूर किया जा सकता है।

लोक सभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 160 के अनुसार याचिका में निम्नलिखित किसी भी विषय का विनिर्देश किया जा सकेगा:

(i) ऐसा विधेयक जो नियम 64 के अन्तर्गत प्रकाशित हो चुका हो या जो सभा में पुर:स्थापित हो चुका हो;

(ii) सभा के सामने लम्बित कार्य से संबंधित कोई विषय; और

(iii) सामान्य लोक-हित का कोई भी विषय, परन्तु वह ऐसा न हो:

(क) जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय या किसी जांच न्यायालय या किसी संविहित न्यायाधिकरण या प्राधिकारी या किसी अर्द्धन्यायिक निकाय या आयोग के संज्ञान में हो;

(ख) जो साधारणतया किसी राज्य के विधान मंडल में उठाया जाना चाहिए;

(ग) जो किसी मूल प्रस्ताव या संकल्प द्वारा उठाया जा सकता है; या

(घ) जिसके लिए विधि के अन्तर्गत उपचार उपलब्ध है और विधि में नियम, विनियम, उपनियम सम्मिलित हैं जो भारत सरकार या किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा बनाये गये हों जिसे ऐसे नियम, विनियम आदि बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित हो।

याचिका समिति आपराधिक आशय वाले मामलों की, अथवा ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकती है, जो विधि और व्यवस्था के मामले हैं क्योंकि ऐसे सब मामले समिति के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं। तथापि ऐसे मामलों पर जो सामान्य लोकहित के हैं और उनसे मानव अधिकार का अतिक्रमण होता है और जो, समिति से संबंधित नियमों की परिधि के भीतर आते हैं, समिति विचार कर सकती है।

यह कहा जा सकता है कि यद्यपि मानव अधिकार के किसी भी पक्ष से संबंधित याचिका पर अधिकारिता प्राप्त करने के लिए कोई अनन्य नियम नहीं है, तथापि यदि कोई याचिका ऊपर यथा उल्लिखित नियमों पर आधारित है और उसका संबंध किसी मानव अधिकार से है तो उस पर विचार, नियमों के अन्तर्गत रहते हुए, किया जा सकता है।

ख

याचिका समिति (राज्य सभा)

राज्य सभा की भी एक याचिका समिति है, जिसमें दस सदस्य हैं। याचिकाएं, नियमानुसार सभापति की सम्मति से, राज्य सभा को उप-स्थापित या प्रस्तुत की जा सकती हैं।

राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 138 के अनुसार याचिकाएं निम्न से संबंधित हो सकती हैं:

(i) ऐसा विधेयक जो नियम 61 के अधीन प्रकाशित हो चुका है या पुर:स्थापित हो चुका है अथवा जिसके संबंध में प्रस्ताव की सूचना इन नियमों के अधीन प्राप्त हो चुकी है;

(ii) सभा के समक्ष लंबित कार्य से संबंधित कोई अन्य विषय; और

(iii) सामान्य लोक हित का कोई विषय, परन्तु वह ऐसा न हो:-

(क) जो भारत के किसी भाग में अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय या किसी जांच न्यायालय या किसी कानूनी अधिकरण या प्राधिकारी या किसी अर्धन्यायिक निकाय या आयोग के संज्ञान में हो;

(ख) जो ऐसे विषयों को उठाता हो, जिनका संबंध प्रधानत: भारत सरकार से न हो;

(ग) जो किसी मूल प्रस्ताव या संकल्प द्वारा उठाया जा सकता हो; या

(घ) जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे ऐसे नियम, विनियम या उप विधियां बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, बनाई गई किसी विधि के अधीन, जिसमें नियम, विनियम या उपविधियां भी सम्मिलित हैं, कोई उपचार उपलब्ध है।

ग

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति*

लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 331क में यह उपबंध है कि, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी एक समिति होगी। समिति के कृत्य ये होंगे:-

(क) संविधान के अनुच्छेद 338(2) के अंतर्गत (राष्ट्रीय अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदनों पर विचार करना और संघ सरकार, जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन भी शामिल हैं, के क्षेत्राधिकार के अंदर आने वाले मामलों के बारे में संघ सरकार द्वारा किये गये जाने वाले उपायों को प्रतिवेदित करना;

(ख) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर संघ सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा की गई कार्यवाही प्रतिवेदित करना;

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का विधिवत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये अनुच्छेद 335 के उपबन्धों को दृष्टि में रखते हुए संघ सरकार के नियंत्रणाधीन सेवाओं तथा पदों में (जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, संविहित और अर्द्ध सरकारी निकायों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में नियुक्तियां भी शामिल हैं) संघ सरकार द्वारा किये गये उपायों पर विचार करना;

(घ) संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के कार्यकरण के बारे में सूचित करना; और

(ङ) ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना जो समिति उचित समझे या जो सदन अथवा अध्यक्ष द्वारा उसे विशेष रूप से निर्दिष्ट किये जायें।

नियम 331ख के अनुसार समिति में तीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे जिनमें से बीस सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार सदन द्वारा प्रतिवर्ष अपने सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे और समिति के साथ सहयोजित किए जाने के लिए राज्य सभा द्वारा उस सभा से दस से अनधिक सदस्य नाम-निर्दिष्ट किए जाएंगे।

परन्तु किसी मंत्री को समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य समिति में निर्वाचन के पश्चात् मंत्री नियुक्त हो जाये, तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

*अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का गठन उस प्रस्ताव द्वारा किया गया, जिसे लोक सभा ने तारीख 30 अगस्त 1968 को अंगीकार किया है और जिसे राज्य सभा की सहमति, तारीख 25 नवम्बर 1968 को प्राप्त हुई।

घ

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

सभी क्षेत्रों में सभी महिलाओं के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, स्थिति, गरिमा और समानता सुनिश्चित करने की दृष्टि से तथा इन विषयों की जांच-पड़ताल करने के लिए, संसद की एक संयुक्त समिति तारीख 29 अप्रैल, 1997 को गठित की गई। लोक सभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 331ण और 331त में समिति के गठन और उसके कृत्यों के बारे में विस्तृत उपबंध किए गए हैं। नियम नीचे दर्शाए गए हैं:—

331ण. गठन (1) महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी एक समिति होगी—

(2) समिति में 30 से अधिक सदस्य नहीं होंगे जिनमें से 20 सदस्य अध्यक्ष द्वारा लोक सभा के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और 10 सदस्य राज्य सभा के सभापति द्वारा राज्य सभा के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(3) कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई सदस्य समिति के लिये नामनिर्दिष्ट होने के पश्चात् मंत्री नियुक्त किया जाये, तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(4) समिति के सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से की जाएगी।

(5) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

331त. कृत्य (1) समिति के कृत्य इस प्रकार होंगे:-

(2) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर विचार करना और इस बात की सूचना देना कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन सहित केन्द्रीय सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आने वाले मामलों के संबंध में महिलाओं की स्थिति/दशा सुधारने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने चाहिये;

(3) महिलाओं को सभी मामलों में समानता, प्रतिष्ठा और उचित दर्जा दिलाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए उपायों की जांच करना;

(4) महिलाओं के लिये व्यापक शिक्षा तथा विधायी निकायों/सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में उनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए उपायों की जांच करना;

(5) महिलाओं के लिये कल्याण कार्यक्रमों के कार्यकरण के बारे में सूचित करना;

(6) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर केन्द्रीय सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सूचित करना; और

(7) ऐसे अन्य मामलों की जांच करना, जो समिति को उपयुक्त लगे अथवा जो इसे सभा या अध्यक्ष द्वारा तथा राज्य सभा या राज्य सभा के सभापति द्वारा विशेष रूप से भेजे जाएं।

8

भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक और विधिक उपबंध*

क

भारत के संविधान में संगत सांविधानिक उपबंध

क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दण्डादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति

अनुच्छेद 72

(1) राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, उसका प्रविलम्बन, विराम या परिहार करने की अथवा दण्डादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की—

(क) उन सभी मामलों में जिनमें दण्ड या दण्डादेश सेना न्यायालय ने दिया है,

(ख) उन सभी मामलों में जिनमें दण्ड या दण्डादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है,

(ग) उन सभी मामलों में जिनमें दण्डादेश, मृत्यु दण्डादेश है, शक्ति होगी।

(2) खण्ड (1) के उपखण्ड (क) की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी ऑफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(3) खण्ड (1) के उपखण्ड (ग) की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयोक्तव्य मृत्यु दण्डादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति

अनुच्छेद 161

किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी, जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, उसका प्रविलम्बन, विराम या परिहार करने की अथवा दण्डादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी।

कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति

अनुच्छेद 226

(1) अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक उच्च न्यायालय को, उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, भाग-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए

*गृह मंत्रालय के "भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक और विधिक उपबंध" नामक दस्तावेज से और उनकी अनुमति लेकर उद्धृत किया गया।

उन राज्य क्षेत्रों के भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को या समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निदेश, आदेश या रिट जिनके अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं या उनमें से कोई जारी करने की शक्ति होगी।

(2) किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति को निदेश, आदेश या रिट जारी करने की खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उन राज्य क्षेत्रों के संबंध में, जिनके भीतर ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए वादहेतुक पूर्णत: या भागत: उत्पन्न होता है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी उच्च न्यायालय द्वारा भी, इस बात के होते हुए भी किया जा सकेगा कि ऐसी सरकार या प्राधिकारी का स्थान या ऐसे व्यक्ति का निवास स्थान उन राज्य क्षेत्रों के भीतर नहीं है।

(3) जहां कोई पक्षकार, जिसके विरुद्ध खण्ड (1) के अधीन किसी याचिका पर या उससे संबंधित किसी कार्यवाही में ब्यादेश के रूप में या रोक के रूप में या किसी अन्य रीति से कोई अन्तरिम आदेश—

(क) ऐसे पक्षकार को ऐसी याचिका की और ऐसे अन्तरिम आदेश के लिए अभिवाक् के समर्थन में दस्तावेजों की प्रतिलिपियां, और

(ख) ऐसे पक्षकार को सुनवाई का अवसर,

दिए बिना किया गया है, ऐसे आदेश को रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन करता है और ऐसे आवेदन की एक प्रतिलिपि उस पक्षकार को जिसके पक्ष में ऐसा आदेश किया गया है या उसके काउन्सिल को देता है वहां उच्च न्यायालय उसकी प्राप्ति की तारीख से या ऐसे आवेदन की प्रतिलिपि इस प्रकार दिये जाने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, या जहां उच्च न्यायालय उस अवधि के अंतिम दिन बन्द है वहां उसके ठीक बाद वाले दिन की समाप्ति से पहले जिस दिन उच्च न्यायालय खुला है, आवेदन को निपटाएगा और यदि इस प्रकार आवेदन नहीं निपटाया जाता है तो अन्तरिम आदेश, यथास्थिति, उक्त अवधि की या उक्त ठीक बाद वाले दिन की समाप्ति पर रद्द हो जायेगा।

(4) इस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति से, अनुच्छेद 32 के खण्ड (2) द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा।

धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किये जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किये जाने का दावा न किया जाना।

अनुच्छेद 325

संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक नामावली होगी और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किये जाने के लिए अपात्र नहीं होगा या ऐसे किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किये जाने का दावा नहीं करेगा।

लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना

अनुच्छेद 326

लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो ऐसी तारीख को, जो समुचित विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए, अठारह वर्ष की आयु से कम नहीं है और इस संविधान या समुचित विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्तविकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निरर्हित नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा।

ख

दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक उपबंध

मनमानी या अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार

जब पुलिस वारण्ट के बिना गिरफ्तार करे

धारा 41

(1) कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारण्ट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है—

(क) जो किसी संज्ञेय अपराध से संबद्ध रह चुका है या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है; विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित सन्देह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है, अथवा

(ख) जो अपने कब्जे में विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना, जिस प्रतिहेतु को साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, गृह-भेदन का कोई उपकरण रखता है, अथवा

(ग) जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है, अथवा

(घ) जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसके चुराई गई सम्पत्ति होने का उचित रूप से सन्देह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से सन्देह किया जा सकता है, अथवा

(ङ) जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है, या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है, अथवा

(च) जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित सन्देह है, अथवा

(छ) जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य के किए जाने से, जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दण्डनीय होता और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध किये जाने का भागी है, संबद्ध रह चुका है या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित सन्देह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है, अथवा

(ज) जो छोड़ा गया सिद्धदोष होते हुए धारा 356 की उपधारा (5) के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है, अथवा

(झ) जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है, परन्तु यह तब जब कि अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का, जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का, जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, विनिर्देश है और उससे यह दर्शित होता है कि अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारण्ट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता था।

(2) कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जो धारा 109 या धारा 110 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के प्रवर्गों में से एक या एक से अधिक का हो इसी प्रकार गिरफ्तार कर सकता है या करा सकता है।

गिरफ्तारी का तरीका

धारा 46

(1) गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो गिरफ्तारी कर रहा है, गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध करेगा, जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किये जाने के प्रयास का बलात प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकता है।

(3) इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति की जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का अभियोग नहीं है, मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती।

गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रविष्ट स्थान की तलाशी

धारा 47

(1) यदि गिरफ्तारी के वारण्ट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को या गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है, किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है, या उसके अन्दर है तो ऐसे स्थान में निवास करने वाला, या उस स्थान का भारसाधक कोई भी व्यक्ति, पूर्वोक्त रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा या ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर उसमें उसे अबाध प्रवेश करने देगा और उसके अन्दर तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा।

(2) यदि ऐसे स्थान में प्रवेश उपधारा (1) के अधीन नहीं हो सकता तो किसी भी मामले में उस व्यक्ति के लिए जो वारण्ट के अधीन कार्य कर रहा है, और किसी ऐसे मामले में, जिसमें वारण्ट निकाला जा सकता है किन्तु गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति को भाग जाने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे स्थान में प्रवेश करे और वहां तलाशी ले और ऐसे स्थान में प्रवेश कर पाने के लिए किसी गृह या स्थान के, चाहे वह उस व्यक्ति का हो जिसे गिरफ्तार किया जाना है, या किसी अन्य व्यक्ति का हो, किसी बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की को तोड़कर खोल ले यदि अपने प्राधिकार और प्रयोजन की सूचना देने के तथा प्रवेश करने की सम्यक रूप से मांग करने के पश्चात् वह अन्यथा प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता है:

परन्तु यदि ऐसा कोई स्थान ऐसा कमरा है जो (गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति से भिन्न) ऐसी स्त्री के वास्तविक अधिभोग में है जो रूढ़ि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करने के पूर्व उस स्त्री को सूचना देगा कि वह वहां से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और हट जाने के लिए उसे प्रत्येक उचित सुविधा देगा और तब कमरे को तोड़कर खोल सकता है और उसमें प्रवेश कर सकता है।

(3) कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति किसी गृह या स्थान का कोई बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधिपूर्वक प्रवेश करने के पश्चात् वहां निरुद्ध है, मुक्त करने के लिए तोड़कर खोल सकता है।

अनावश्यक कैद न किया जाना

धारा 49

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध न किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।

धारा 50

(1) किसी व्यक्ति को वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की, जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है, पूर्ण विशिष्टियां या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरन्त संसूचित करेगा।

(2) जहां कोई पुलिस अधिकारी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारण्ट के बिना गिरफ्तार करता है वहां वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इत्तिला देगा कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और वह अपनी ओर से प्रतिभुओं का इंतजाम करे।

गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी

धारा 51

(1) जब कभी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारण्ट के अधीन, जो जमानत लिये जाने का उपबन्ध नहीं करता है या ऐसे वारण्ट के अधीन, जो जमानत लिये जाने का उपबन्ध करता है किन्तु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है, कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, तथा

जब कभी कोई व्यक्ति वारण्ट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारण्ट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है और वैध रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती है या वह जमानत देने में असमर्थ है,

तब गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी, या जब गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है तब वह पुलिस अधिकारी, जिसे वह व्यक्ति गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को सौंपता है, उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है और पहनने के आवश्यक वस्त्रों को छोड़कर उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकता है और जहां गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से कोई वस्तु अभिगृहीत की जाती है वहां ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में की गई वस्तुएं दर्शित होंगी।

(2) जब कभी किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक हो तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा की जायेगी।

पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा दोषी की जांच

धारा 53

(1) जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जो ऐसी प्रकृति का है और जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना अभिकथित है कि यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराध किये जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी, तो ऐसे पुलिस अधिकारी की, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, प्रार्थना पर कार्य करने में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए और सद्भावपूर्वक उसकी सहायता करने में और उसके निदेशाधीन कार्य करने में किसी व्यक्ति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करे जो उन तथ्यों को, जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सकें, अभिनिश्चित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक है और उतना बल प्रयोग करे जितना उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है।

(2) जब कभी इस धारा के अधीन किसी स्त्री की शारीरिक परीक्षा की जानी है तो ऐसी परीक्षा केवल किसी महिला द्वारा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है या उसके पर्यवेक्षण में की जाएगी।

गिरफ्तार व्यक्ति के अनुरोध पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति की जांच

धारा 54

जब कोई व्यक्ति, जो चाहे किसी आरोप पर या अन्यथा गिरफ्तार किया गया है, मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जाने के समय या अभिरक्षा में अपने निरोध की अवधि के दौरान किसी समय यह अभिकथन करता है कि उसके शरीर की परीक्षा से ऐसा साक्ष्य प्राप्त होगा जो उसके द्वारा किसी अपराध के किए जाने को नासाबित कर देगा या जो यह साबित करेगा कि उसके शरीर के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया था तो यदि गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट से ऐसा करने के लिए प्रार्थना की जाती है और यदि मजिस्ट्रेट का यह विचार नहीं है कि प्रार्थना तंग करने या विलम्ब करने या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के प्रयोजन के लिए की गई है, तो वह यह निदेश देगा कि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा ऐसे व्यक्ति के शरीर की परीक्षा की जाए।

गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या थाने के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ले जाना

धारा 56

वारण्ट के बिना गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी अनावश्यक विलम्ब के बिना और जमानत के संबंध में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किया गया है, उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा।

गिरफ्तार व्यक्ति को चौबीस घंटे से ज्यादा न रोकना

धारा 57

कोई पुलिस अधिकारी वारण्ट के बिना गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखेगा जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है तथा ऐसी अवधि, मजिस्ट्रेट के धारा 167 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर चौबीस घंटे से अधिक की नहीं होगी।

निकटवर्ती स्थान के प्रभारी व्यक्ति को तलाशी की अनुमति देना

धारा 100

(1) जब कभी इस अध्याय के अधीन तलाशी लिये जाने या निरीक्षण किये जाने वाला कोई स्थान बन्द है तब उस स्थान में निवास करने वाला या उसका भारसाधक व्यक्ति उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति की, जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है, मांग पर और वारण्ट के पेश किये जाने पर उसे उसमें अबाध प्रवेश करने देगा और वहां तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा।

(2) यदि उस स्थान में इस प्रकार प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता है तो वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है धारा 47 की उपधारा (2) द्वारा उपबंधित रीति से कार्यवाही कर सकेगा।

(3) जहां किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो ऐसे स्थान में या उसके आसपास है, उचित रूप से यह संदेह किया जाता है कि वह अपने शरीर पर कोई ऐसी वस्तु छिपाए हुए है जिसके लिए तलाशी ली जानी चाहिए तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है और यदि वह व्यक्ति स्त्री है, तो तलाशी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा ली जायेगी।

(4) इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने के पूर्व ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जब तलाशी लेने ही वाला हो, तलाशी में हाजिर रहने और उसके साक्षी बनने के लिए उस मुहल्ले के, जिसमें तलाशी लिया जाने वाला स्थान है, दो या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को या यदि उक्त मुहल्ले का ऐसा कोई निवासी नहीं मिलता है या उस तलाशी का साक्षी होने के लिए रजामन्द नहीं है तो किसी अन्य मुहल्ले के ऐसे निवासियों को बुलाएगा और उनको या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित आदेश जारी कर सकेगा।

(5) तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जायेगी और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिगृहीत सब चीजों की और जिन-जिन स्थानों में वे पाई गई हैं उनकी सूची ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी और ऐसे साक्षियों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, किन्तु इस धारा के अधीन तलाशी के साक्षी बनने वाले किसी व्यक्ति से तलाशी के साक्षी के रूप में न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा उस दशा में ही की जाएगी जब वह न्यायालय द्वारा विशेष रूप से समन किया गया हो।

(6) तलाशी लिये जाने वाले स्थान के अधिभोगी को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को तलाशी के दौरान हाजिर रहने की अनुज्ञा प्रत्येक दशा में दी जाएगी और इस धारा के अधीन तैयार की गई उक्त साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित सूची की एक प्रतिलिपि ऐसे अधिभोगी या ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी।

(7) जब किसी व्यक्ति की तलाशी उपधारा (3) के अधीन ली जाती है तब कब्जे में ली गई सब चीजों की सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी।

(8) कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए ऐसे लिखित आदेश द्वारा, जो उसे परिदत्त या निविदत्त किया गया है, बुलाए जाने पर ऐसा करने से उचित कारण के बिना इन्कार या उसमें उपेक्षा करेगा, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 187 के अधीन अपराध किया है।

सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करना

धारा 129

(1) कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या ऐसे भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उपनिरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी किसी विधिविरुद्ध जमाव को, या पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी ऐसे जमाव को, जिससे लोकशान्ति विक्षुब्ध होने की संभावना है, तितर-बितर होने का समादेश दे सकता है और तब ऐसे जमाव के सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे तदनुसार तितर-बितर हो जाएं।

(2) यदि ऐसा समादेश दिये जाने पर ऐसा कोई जमाव तितर-बितर नहीं होता है या यदि ऐसे समादिष्ट हुए बिना वह इस प्रकार से आचरण करता है, जिससे उसका तितर-बितर न होने का निश्चय दर्शित होता है, तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस जमाव को बल द्वारा तितर-बितर करने की कार्यवाही कर सकता है और किसी पुरुष से जो सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य नहीं है और उस नाते कार्य नहीं कर रहा है, ऐसे जमाव को तितर-बितर करने के प्रयोजन के लिए, और यदि आवश्यक

हो तो उन व्यक्तियों को, जो उसमें सम्मिलित हैं, इसीलिए गिरफ्तार करने और परिरुद्ध करने के लिए कि ऐसा जमाव तितर-बितर किया जा सके या उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जा सके, सहायता की अपेक्षा कर सकता है।

जमाव को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग

धारा 130

(1) यदि कोई ऐसा जमाव अन्यथा तितर-बितर नहीं किया जा सकता है और यदि लोक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसको तितर-बितर किया जाए तो उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो उपस्थित हो, सशस्त्र बल द्वारा उसे तितर-बितर करा सकता है।

(2) ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से, जो सशस्त्र बल के व्यक्तियों की किसी टुकड़ी का समादेशन कर रहा है, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से जमाव को तितर-बितर कर दे और उसमें सम्मिलित ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी बाबत मजिस्ट्रेट निदेश दे या जिन्हें जमाव को तितर-बितर करने या विधि के अनुसार दंड देने के लिए गिरफ्तार और परिरुद्ध करना आवश्यक है, गिरफ्तार और परिरुद्ध करे।

(3) सशस्त्र बल का प्रत्येक ऐसा अधिकारी ऐसी अध्यपेक्षा का पालन ऐसी रीति से करेगा जैसी वह ठीक समझे, किन्तु ऐसा करने में केवल इतने ही बल का प्रयोग करेगा और शरीर और संपत्ति को केवल इतनी ही हानि पहुंचाएगा जितनी उस जमाव को तितर-बितर करने और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार और निरुद्ध करने के लिए आवश्यक है।

जमाव को तितर-बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति

धारा 131

जब कोई ऐसा जमाव लोक सुरक्षा को स्पष्टतया संकटापन्न कर देता है और किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं किया जा सकता है तब सशस्त्र बल का कोई आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी ऐसे जमाव को अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से तितर-बितर कर सकता है और ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को, जो उसमें सम्मिलित हों, ऐसे जमाव को तितर-बितर करने के लिये या इसलिए कि उन्हें विधि के अनुसार दण्ड दिया जा सके, गिरफ्तार और परिरुद्ध कर सकता है, किन्तु यदि उस समय, जब वह इस धारा के अधीन कार्य कर रहा है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना उसके लिए साध्य हो जाता है तो वह ऐसा करेगा और तदनन्तर इस बारे में कि वह ऐसी कार्यवाही चालू रखे या न रखे, मजिस्ट्रेट के अनुदेशों का पालन करेगा।

संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी

धारा 151

(1) कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है, ऐसी परिकल्पना करने वाले व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेशों के बिना और वारण्ट के बिना उस दशा में गिरफ्तार कर सकता है जिसमें ऐसे अधिकारी को प्रतीत होता है कि उस अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता।

(2) उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किये गये किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटे की अवधि से अधिक के लिए अभिरक्षा में उस दशा के सिवाय निरुद्ध नहीं रखा जाएगा जिसमें उसका और आगे निरुद्ध रखा जाना इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है।

साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति

धारा 160

(1) कोई पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है, अपने थाने की या किसी पास के थाने की सीमाओं के अन्दर विद्यमान किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसका, दी गई इत्तिला से या अन्यथा उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत होता है, अपने समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा लिखित आदेश द्वारा कर सकता है और वह व्यक्ति अपेक्षानुसार हाजिर होगा:

परन्तु किसी पुरुष से जो पन्द्रह वर्ष से कम आयु का है या किसी स्त्री से, ऐसे स्थान से जिसमें ऐसा पुरुष या स्त्री निवास करती है, भिन्न किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(2) अपने निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान पर उपधारा (1) के अधीन हाजिर होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्चों का पुलिस अधिकारी द्वारा संदाय कराने के लिए राज्य सरकार इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा उपबन्ध कर सकती है।

पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा

धारा 161

(1) कोई पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला कोई पुलिस अधिकारी, जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का नहीं है जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है।

(2) ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय, जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या समपहरण की आशंका में डालने की है, ऐसे मामले से संबंधित उन सब प्रश्नों का सही-सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा जो ऐसा अधिकारी उससे पूछता है।

(3) पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी भी कथन को लेखबद्ध कर सकता है और यदि वह ऐसा करता है, तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन का पृथक और सही अभिलेख बनाएगा, जिसका कथन वह अभिलिखित करता है।

पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना, कथनों का साक्ष्य में उपयोग

धारा 162

(1) किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन, यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा, और न ऐसा कोई कथन या उसका कोई अभिलेख चाहे वह पुलिस डायरी में हो या न हो और न ऐसे कथन या अभिलेख का कोई भाग ऐसे किसी अपराध की, जो ऐसा कथन किये जाने के समय अन्वेषणाधीन था, किसी जांच या विचारण में, इसमें इसके पश्चात् यथाउपबंधित के सिवाय, किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जायेगा:

परन्तु जब कोई ऐसा साक्षी, जिसका कथन उपर्युक्त रूप में लेखबद्ध कर लिया गया है, ऐसी जांच या विचारण में अभियोजन की ओर से बुलाया जाता है तब यदि उसके कथन का कोई भाग, सम्यक रूप से साबित कर दिया गया है तो अभियुक्त द्वारा और न्यायालय की अनुज्ञा से अभियोजन द्वारा उसका उपयोग ऐसे साक्षी का खंडन करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 145 द्वारा उपबंधित रीति से किया जा सकता है और जब ऐसे कथन का कोई भाग इस प्रकार उपयोग में लाया जाता है तब उसका कोई भाग ऐसे साक्षी की पुन:परीक्षा में भी, किन्तु उसकी प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट किसी बात का स्पष्टीकरण करने के प्रयोजन से ही, उपयोग में लाया जा सकता है।

(2) इस धारा की किसी बात के बारे में यह न समझा जाएगा कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 32 के खंड (1) के उपबंधों के अंदर आने वाले किसी कथन को लागू होती है या उस अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों पर प्रभाव डालती है।

संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना

धारा 164

(1) कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे उसे मामले में अधिकारिता हो या न हो, इस अध्याय के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात् जांच या विचारण प्रारम्भ होने के पूर्व किसी समय अपने से की गई किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है:

परन्तु किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदत्त की गई है, कोई संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जाएगी।

(2) मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को, जो संस्वीकृति कर रहा है, यह समझाएगा कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है और यदि वह उसे करेगा तो वह उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लायी जा सकती

है, और मजिस्ट्रेट कोई ऐसी संस्वीकृति तब तक अभिलिखित न करेगा जब तक उसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसको यह विश्वास करने का कारण न हो कि वह स्वेच्छा से की जा रही है।

(3) संस्वीकृति अभिलिखित किये जाने से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि वह संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा।

(4) ऐसी संस्वीकृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के लिए धारा 281 में उपबंधित रीति से अभिलिखित की जाएगी और संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाव का एक ज्ञापन लिखेगा:

> ''मैंने—(नाम) को यह समझा दिया है कि वह संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है और यदि वह ऐसा करता है तो कोई संस्वीकृति, जो वह करेगा, उसके विरुद्ध साक्ष्य भी उपयोग में लायी जा सकती है और मुझे विश्वास है कि यह संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई है। यह मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते हुए लिखी गई है और जिस व्यक्ति ने यह संस्वीकृति की है उसे यह पढ़कर सुना दी गई है और उसने उसका सही होना स्वीकार किया है और उसके द्वारा किये गये कथन का पूरा और सही वृत्तान्त इसमें है।
>
> (हस्ताक्षर)
> क.ख.
> मजिस्ट्रेट।

(5) उपधारा (1) के अधीन किया गया (संस्वीकृति से भिन्न) कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए इसमें इसके पश्चात उपबंधित ऐसी रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट की राय में, मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हो, तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जाता है।

(6) इस धारा के अधीन किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट उसे उस मजिस्ट्रेट, के पास भेजेगा जिसके द्वारा मामले की जांच या विचारण किया जाना है।

मृत्यु के कारण ही मजिस्ट्रेट द्वारा जांच

धारा 176

(1) (जब कोई व्यक्ति पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए मर जाता है या जब मामला धारा 174 की उपधारा (3) के खंड (1) या खंड (2) में निर्दिष्ट प्रकृति का है) तब मृत्यु के कारण की जांच पुलिस अधिकारी द्वारा किये जाने वाले अन्वेषण के बजाय या उसके अतिरिक्त, वह निकटतम मजिस्ट्रेट करेगा जो मृत्यु-समीक्षा करने के लिए सशक्त है और धारा 174 की उपधारा (1) में वर्णित किसी अन्य दशा में इस प्रकार सशक्त किया गया कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकेगा, और यदि वह ऐसा करता है तो उसे ऐसी जांच करने में वे सब शक्तियां होंगी जो उसे किसी अपराध की जांच करने में होती।

(2) ऐसी जांच करने वाला मजिस्ट्रेट उसके संबंध में लिए गए साक्ष्य को इसमें इसके पश्चात विहित किसी प्रकार से, मामले की परिस्थितियों के अनुसार अभिलिखित करेगा।

(3) जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट के विचार में यह समीचीन है कि किसी व्यक्ति के, जो पहले ही गाड़ दिया गया है, मृत शरीर की इसलिए परीक्षा की जाए कि उसकी मृत्यु के कारण का पता चले तब मजिस्ट्रेट उस शरीर को निकलवा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है।

(4) जहां कोई जांच इस धारा के अधीन की जानी है, वहां मजिस्ट्रेट, जहां कहीं साध्य है, मृतक के उन नातेदारों को, जिनके नाम और पते ज्ञात हैं, इत्तिला देगा और उन्हें जांच के समय उपस्थित रहने की अनुज्ञा देगा।

उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर

धारा 250

(1) यदि परिवाद पर या पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दी गई इत्तिला पर संस्थित किसी मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष एक या अधिक व्यक्तियों पर मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी अपराध का अभियोग है और वह मजिस्ट्रेट जिसके द्वारा मामले की सुनवाई

होती है, तब अभियुक्तों को या उनमें से किसी को उन्मोचित या दोषमुक्त कर देता है और उसकी यह राय है कि उनके या उनमें से किसी के विरुद्ध अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था तो वह मजिस्ट्रेट उन्मोचन या दोषमुक्ति के अपने आदेश द्वारा, यदि वह व्यक्ति जिसके परिवाद या इत्तिला पर अभियोग लगाया गया था उपस्थित है तो उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह तत्काल कारण दर्शित करे कि वह उस अभियुक्त को, या जब ऐसे अभियुक्त एक से अधिक हैं तो उनमें से प्रत्येक को या किसी को प्रतिकर क्यों न दे अथवा यदि ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो हाजिर होने और उपर्युक्त रूप से कारण दर्शित करने के लिए उसके नाम समन जारी किये जाने का निदेश दे सकेगा।

(2) मजिस्ट्रेट ऐसा कोई कारण जो ऐसा परिवादी या इत्तिला देने वाला दर्शित करता है, अभिलिखित करेगा और उस पर विचार करेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था तो जितनी रकम का जुर्माना करने के लिए वह सशक्त है, उससे अनधिक इतनी रकम का, जितनी वह अवधारित करे, प्रतिकर ऐसे परिवादी या इत्तिला देने वाले द्वारा अभियुक्त को या उनमें से प्रत्येक को या किसी को दिये जाने का आदेश, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, दे सकेगा।

(3) मजिस्ट्रेट उपधारा (2) के अधीन प्रतिकर दिये जाने का निदेश देने वाले आदेश द्वारा यह अतिरिक्त आदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति, जो ऐसा प्रतिकर देने के लिए आदिष्ट किया गया है, संदाय में व्यतिक्रम होने पर तीस दिन से अनधिक की अवधि के लिए सादा कारावास भोगेगा।

(4) जब किसी व्यक्ति को उपधारा (3) के अधीन कारावास दिया जाता है तब भारतीय दंड संहिता की धारा 68 और 69 (1860 का 45वां) के उपबंध, जहां तक हो सके, लागू होंगे।

(5) इस धारा के अधीन प्रतिकर देने के लिए जिस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है, ऐसे आदेश के कारण उसे अपने द्वारा किये गये किसी परिवाद या दी गई किसी इत्तिला के बारे में किसी सिविल या दांडिक दायित्व से छूट नहीं दी जायेगी:

परन्तु अभियुक्त व्यक्ति को इस धारा के अधीन दी गई कोई रकम उसी मामले से संबंधित किसी पश्चातवर्ती सिविल वाद में उस व्यक्ति के लिए प्रतिकर अधिनिर्णीत करते समय हिसाब में ली जाएगी।

(6) कोई परिवादी या इत्तिला देने वाला, जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा (2) के अधीन एक सौ रुपये से अधिक प्रतिकर देने के लिए आदिष्ट किया गया है, उस आदेश की अपील ऐसे कर सकेगा मानो वह परिवादी या इत्तिला देने वाला ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये विचारण में दोषसिद्ध किया गया है।

(7) जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को ऐसे मामले में, जो उपधारा (6) के अधीन अपीलनीय है, प्रतिकर दिये जाने का आदेश किया जाता है तब उसे ऐसा प्रतिकर, अपील पेश करने के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने के पूर्व या यदि अपील पेश कर दी गई है तो अपील के विनिश्चित कर दिये जाने के पूर्व न दिया जाएगा और जहां ऐसा आदेश ऐसे मामले में हुआ है, जो ऐसे अपीलनीय नहीं है, वहां ऐसा प्रतिकर आदेश की तारीख से एक मास की समाप्ति के पूर्व नहीं दिया जाएगा।

(8) इस धारा के उपबंध समन मामलों तथा वारण्ट मामलों दोनों को लागू होंगे।

एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किये गये व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना

धारा 300

(1) जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है और जो ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका है, वह, जब तक ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति प्रवृत्त रहती है तब तक न तो उसी अपराध के लिए विचारण का भागी होगा और न उन्हीं तथ्यों पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए विचारण का भागी होगा जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से भिन्न आरोप धारा 221 की उपधारा (1) के अधीन लगाया जा सकता था या जिसके लिए वह उसकी उपधारा (2) के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता था।

(2) किसी अपराध के लिए दोषमुक्त या दोषसिद्ध किये गये किसी व्यक्ति का विचारण, तत्पश्चात राज्य सरकार की सम्मति से किसी ऐसे भिन्न अपराध के लिए किया जा सकता है जिसके लिए पूर्वगामी विचारण में उसके विरुद्ध धारा 220 की उपधारा (1) के अधीन पृथक आरोप लगाया जा सकता था।

(3) जो व्यक्ति किसी ऐसे कार्य से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जो ऐसे परिणाम पैदा करता है जो उस कार्य से मिलकर उस अपराध से, जिसके लिए वह दोषसिद्ध हुआ, भिन्न कोई अपराध बनाते हैं, उसका ऐसे अंतिम वर्णित अपराध के लिए तत्पश्चात विचारण किया जा सकता है, यदि उस समय जब वह दोषसिद्ध किया गया था वे परिणाम हुए नहीं थे या उनका होना न्यायालय को ज्ञात नहीं था।

(4) जो व्यक्ति किन्हीं कार्यों से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोषमुक्त या दोषसिद्ध किया गया है, उस पर ऐसी दोषमुक्ति या दोषसिद्धि के होने पर भी, उन्हीं कार्यों से बनने वाले और उसके द्वारा किये गये किसी अन्य अपराध के लिए तत्पश्चात आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है, यदि वह न्यायालय, जिसके द्वारा पहले उसका विचारण किया गया था, उस अपराध के विचारण के लिए सक्षम नहीं था जिसके लिए बाद में उस पर आरोप लगाया जाता है।

(5) धारा 258 के अधीन उन्मोचित किये गये व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुन: विचारण उस न्यायालय की, जिसके द्वारा वह उन्मोचित किया गया था, अन्य किसी ऐसे न्यायालय की, जिसके प्रथम वर्णित न्यायालय अधीनस्थ है, सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा।

(6) इस धारा की कोई बात साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10वां) की धारा 26 के या इस संहिता की धारा 188 के उपबन्धों पर प्रभाव न डालेगी।

ग

भारतीय दण्ड संहिता में प्रासंगिक प्रावधान

धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवासस्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना।

धारा 153-क

(1) जो कोई—

(क) बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपयों द्वारा या अन्यथा विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय या भाषाई या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच असौहार्द्र अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं, धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास-स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, अथवा

(ख) कोई ऐसा कार्य करेगा, जो विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और जो लोक-प्रशान्ति में विघ्न डालता है या जिससे उसमें विघ्न पड़ना सम्भाव्य हो, अथवा

(ग) कोई ऐसा अभ्यास, आन्दोलन, कवायद या अन्य वैसा ही क्रियाकलाप इस आशय से संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे या यह सम्भाव्य जानते हुए संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे, या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे अथवा ऐसे क्रियाकलाप में इस आशय से भाग लेगा कि किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए भाग लेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किये जाएंगे और ऐसे क्रियाकलाप से ऐसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच, चाहे किसी भी कारण से भय या संत्रास या असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है या उत्पन्न होनी सम्भाव्य है। वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा। **पूजा के स्थान आदि में किया गया अपराध**— (2) जो कोई उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराध किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में, जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, करेगा, वह कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी, दण्डनीय होगा।

विशेष अपराधों से महिलाओं की सुरक्षा

दहेज मृत्यु

धारा 304-ख

(1) जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था वहां ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "दहेज" का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।

(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा।

जांच के दौरान क्रूर या अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा: संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना

धारा 330

जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छया उपहति कारित करेगा के उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी, जिससे किसी अपराध अथवा अवचार का पता चल सके, उद्दापित की जाए अथवा उपहत व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित करे, या करवाए, या किसी दावे या मांग की पुष्टि, या ऐसी जानकारी दे, जिससे किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, वह दोनों मे से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

संस्वीकृति उद्दापित करने के लिए या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना

धारा 331

जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी, जिससे किसी अपराध अथवा अवचार का पता चल सके, उद्दापित की जाए, अथवा उपहत व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रत्यावर्तित करे या करवाए या किसी दावे या मांग की पुष्टि करे, या ऐसी जानकारी दे, जिससे किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रत्यावर्तन कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

बलात्संग के लिए दण्ड

धारा 376

(1) जो कोई उपधारा (2) द्वारा उपबंधित मामलों के सिवाय बलात्संग करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजावीन या दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, किन्तु यदि वह स्त्री जिससे बलात्संग किया गया है उसकी पत्नी है और बारह वर्ष से कम आयु की नहीं है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, सात वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश दे सकेगा।

(2) जो, कोई—

(क) पुलिस अधिकारी होते हुए–

(1) उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर, जिसमें वह नियुक्त है, बलात्संग करेगा, या

(2) किसी भी थाने के परिसर में चाहे वह ऐसे पुलिस थाने में, जिसमें वह नियुक्त है, स्थित है या नहीं, बलात्संग करेगा, या

(3) अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, या

(ख) लोक सेवक होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर, किसी ऐसी स्त्री से जो ऐसे लोक सेवक के रूप में उसकी अभिरक्षा में या उसके अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में है, बलात्संग करेगा, या

(ग) *तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या* स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंध या कर्मचारीवृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संख्या के किसी निवासी से बलात्संग करेगा, या

(घ) किसी अस्पताल के प्रबंध या कर्मचारीवृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर उस अस्पताल में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, या

(ङ) किसी स्त्री से, यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, बलात्संग करेगा, या

(च) किसी स्त्री से, जो बारह वर्ष से कम आयु की है, बालात्संग करेगा, या

(छ) सामूहिक बलात्संग करेगा।

वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा:

परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किये जाएंगे, दोनों में से किसी भांति के कारावास का, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की हो सकेगी, दण्डादेश दे सकेगा।

जांच के दौरान क्रूर या अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा, उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है

धारा 24

अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में विसंगत होती है, यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत होता हो कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई है जो प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया गया है और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त हो कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए उसे युक्तियुक्त प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्यवाहियों के बारे में ऐहिक रूप का कोई फायदा उठाएगा या ऐहिक रूप की किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा।

पुलिस आफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना

धारा 25

किसी पुलिस आफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी।

पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना

धारा 26

कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस आफिसर की अभिरक्षा में हो, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी जब तक, कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो।

संदेह के लाभ का अधिकार

सबूत का भार

धारा 101

जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दयित्व के बारे में निर्णय दे, जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिन्हें वह प्रख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है।

जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है।

सबूत का भार किस पर होता है

धारा 102

किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा, यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई भी साक्ष्य न दिया जाए।

विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार

धारा 103

किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे, जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबन्धित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा।

साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो, उसे साबित करने का भार

धारा 104

ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक है, उस व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है।

कुछ कतिपय अपराधों से महिलाओं की सुरक्षा

धारा 113-क

जब प्रश्न यह हो कि क्या किसी महिला द्वारा आत्महत्या उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार के उकसाने पर की गई है और यदि यह विदित हो कि उसने अपनी शादी की तारीख से सात वर्ष के भीतर आत्महत्या की है और यह कि उसके पति या पति के किसी रिश्तेदार ने उस पर अत्याचार किया है तो न्यायालय, मामले के सभी दूसरे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह परिकल्पना कर सकता है कि आत्महत्या के लिए उसे उसके पति या उसके पति के रिश्तेदार द्वारा उकसाया गया था।

दहेज के कारण हुई मौत की परिकल्पना

धारा 113-ख

जब प्रश्न यह हो कि क्या किसी व्यक्ति ने दहेज के लिए किसी महिला की हत्या की है और यह विदित हो कि हत्या से ठीक पहले ऐसा व्यक्ति उस महिला के साथ क्रूर व्यवहार कर रहा था और दहेज की मांग के सिलसिले में उसका उत्पीड़न कर रहा था तो न्यायालय यह परिकल्पना कर सकता है कि वही व्यक्ति उस महिला की मौत का कारण है।

बलात्कार के कुछ अभियोगों में सहमति न होने की परिकल्पना

धारा 114-क

भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 376 के खण्ड (क) या (ख) या (ग) या (घ) या (ङ) या (छ) या उपधारा (2) के अन्तर्गत, जहां अभियुक्त द्वारा बलात्कार किया जाना सिद्ध हो चुका हो और प्रश्न यह हो कि क्या यह कथित तौर पर बलात्कार की शिकार महिला की सहमति के बिना किया गया था और न्यायालय के सामने अपने साक्ष्य में यदि वह कहती है कि उसकी सहमति नहीं थी तो न्यायालय यह परिकल्पना कर सकता है कि उसकी सहमति नहीं थी।

ङ

समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान

1. कमजोर वर्गों के हितों का संवर्धन

संविधान अनुच्छेद 46

राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।

छुआछूत उन्मूलन

संविधान अनुच्छेद 17

''अस्पृश्यता'' का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। ''अस्पृश्यता'' से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 :

प्रस्तावना

यह अधिनियम ''अस्पृश्यता'' का प्रचार और आचरण करने और उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करने और उससे संबंधित बातों के लिए दण्ड विहित करने के लिए है।

धारा 3

धारा 3 में अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी लोक पूजा स्थान में प्रवेश करने या किसी लोक पूजा स्थान में पूजा या प्रार्थना या कोई धार्मिक सेवा करने अथवा किसी पुनीत तालाब, कुएं, जलस्रोत या जल-सरणी, नदी में स्नान या उसके जल का उपयोग करने से निवारित करने पर दंड का प्रावधान है।

धारा 4

धारा 4 में किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी दुकान, लोक उपहार गृह, होटल या लोक मनोरंजन में प्रवेश करने या किसी लोक उपहारगृह, होटल, धर्मशाला में रखे गए बर्तनों या अन्य वस्तुओं के उपयोग करने या कोई वृत्ति करने, व्यवसाय चलाने या कोई कारोबार चलाने या ऐसी किसी नदी, जलधारा, जलस्रोत, कुएं, तालाब, हौज या कोई स्थान जो राज्य निधियों से पूर्णत: या अंशत: पूर्व या लोक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा रहा हो या जनसाधारण के लिए समर्पित हो का उपयोग करने या उसमें प्रवेश करने या जनसाधारण के फायदे के लिए सृष्ठ किसी पूर्त न्याय के अधीन किसी फायदे का उपभोग करने या किसी सार्वजनिक सवारी का उपयोग करने या उसमें प्रवेश करने या किसी भी परिप्रेक्ष्य में किसी निवास परिसर का सन्निर्माण, अर्जन या अधिभोग करने अथवा जनसाधारण के लिए खुले किसी धर्मशाला का उपयोग करने अथवा किसी सामाजिक या धार्मिक रूढ़ि का अनुपालन करने या आभूषणों और अलंकारों का उपयोग करने के संबंध में अस्पृश्यता के आधार पर कोई निर्योग्यता लागू करने पर दंड का प्रावधान है।

धारा 5

धारा 5 में अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, शिक्षा संस्था या किसी छात्रावास में, यदि वह अस्पताल औषधालय, शिक्षा संस्था या छात्रावास जनसाधारण या उसके विभाग के फायदे के लिए स्थापित हो या चलाया जाता हो, प्रवेश देने से इन्कार करने पर दंड का प्रावधान है।

धारा 6

धारा 6 में उसी समय और स्थान पर और वैसे ही निर्बन्धनों और शर्तों पर जिन पर कारोबार के साधारण अनुक्रम में अन्य व्यक्तियों को ऐसा माल बेचा जाता है या उनकी सेवा की जाती है, किसी व्यक्ति को कोई माल बेचने या उसकी सेवा करने से इन्कार करने पर दंड का प्रावधान है।

धारा 7

धारा 7 में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान है जो किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 17 के अधीन ''अस्पृश्यता'' के अंत होने से उसको प्रोद्भूत होने वाले किसी अधिकार का प्रयोग करने से निवारित करेगा अथवा किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अधिकार के प्रयोग में उत्पीड़ित करेगा, क्षति पहुंचाएगा, क्षुब्ध करेगा, बाधा डालेगा या बाधा कारित करेगा या कारित करने का प्रयत्न करेगा या किसी व्यक्ति के कोई ऐसा अधिकार प्रयोग करने के कारण उसे उत्पीड़ित करेगा, क्षति पहुंचाएगा, क्षुब्ध करेगा या उसका बहिष्कार करेगा अथवा किसी व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग या जनसाधारण को बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण करने के लिए उद्दीप्त या प्रोत्साहित करेगा अथवा अनुसूचित जाति के सदस्य का अस्पृश्यता के आधार पर अपमान करेगा या अपमान करने का प्रयत्न करेगा।

धारा 7क

धारा 7क में प्रावधान है कि जो कोई किसी व्यक्ति को सफाई करने या बुहारने या कोई पशु शव हटाने या किसी पशु की खाल खींचने या नाल काटने या इसी प्रकार का कोई अन्य काम करने के लिए ''अस्पृश्यता'' के आधार पर मजबूर करेगा उसे दंडित किया जायेगा।

2. कमजोर वर्गों पर अत्याचार का निवारण

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 :

प्रस्तावना

यह अधिनियम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुनर्वास का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

धारा 4

कोई भी लोक सेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

धारा 8

इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में, यदि यह साबित हो जाता है कि—

(क) अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन अपराध करने के अभियुक्त व्यक्ति की, या युक्तियुक्त रूप से संदेहास्पद व्यक्ति की कोई वित्तीय सहायता की है तो विशेष न्यायालय, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है,

(ख) व्यक्तियों के किसी समूह ने इस अध्याय के अधीन अपराध किया है, और यदि यह साबित हो जाता है कि किया गया अपराध भूमि या किसी अन्य विषय के बारे में किसी विद्यमान विवाद का फल है तो यह उपधारणा की जाएगी कि यह अपराध सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया था।

3. कुछ अपराधों से महिलाओं की सुरक्षा

भारतीय दण्ड संहिता

धारा 376

बलात्संग के लिए दण्ड—(1) जो कोई उपधारा (2) द्वारा उपबन्धित मामलों के सिवाय बलात्संग करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन या दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, किन्तु यदि वह स्त्री, जिससे बलात्संग किया गया है उसकी पत्नी है और बारह वर्ष से कम आयु की नहीं है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा:

परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, सात वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश दे सकेगा:

(2) जो, कोई—

(क) पुलिस अधिकारी होते हुए—

(1) उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर, जिसमें वह नियुक्त है, बलात्संग करेगा, या

(2) किसी भी थाने के परिसर में चाहे वह ऐसे पुलिस थाने में, जिसमें वह नियुक्त है, स्थित है या नहीं, बलात्संग करेगा, या

(3) अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, या

(ख) लोक सेवक होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर, किसी ऐसी स्त्री से, जो ऐसे लोक सेवक के रूप में उसकी अभिरक्षा में या उसके अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में है, बलात्संग करेगा, या

(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंध या कर्मचारीवृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्था के किसी निवासी से बलात्संग करेगा, या

(घ) किसी अस्पताल के प्रबंध या कर्मचारीवृन्द में होते हुए, अपनी शासकीय स्थिति का लाभ उठाकर उस अस्पताल में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा,

(ङ) किसी स्त्री से, यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, बलात्संग करेगा, या

(च) किसी स्त्री से, जो बारह वर्ष की कम आयु की है, बलात्संग करेगा, या

(छ) सामूहिक बलात्संग करेगा,

वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा:

परन्तु न्यायालय ऐसे पर्याप्त और विशेष कारणों से, जो निर्णय में उल्लिखित किए जाएंगे, दोनों में से किसी भांति के कारावास का, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की हो सकेगी, दण्डादेश दे सकेगा।

भारतीय दण्ड संहिता

दहेज मृत्यु

धारा 304ख

(1) जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी

नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था वहां ऐसी मृत्यु को ''दहेज मृत्यु'' कहा जाएगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।

(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम

धारा 113-क

किसी विवाहित महिला को आत्महत्या करने के लिए उकसाने की परिकल्पना—जब प्रश्न यह हो कि क्या किसी महिला द्वारा आत्महत्या उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार के उकसाने पर की गई है और यदि यह विदित हो कि उसने अपनी शादी की तारीख से सात वर्ष के भीतर आत्महत्या की है और यह कि उसके पति या पति के किसी रिश्तेदार ने उस पर अत्याचार किया है तो न्यायालय, मामले के सभी दूसरे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह परिकल्पना कर सकता है कि आत्महत्या के लिए उसे उसके पति या उसके पति के रिश्तेदार द्वारा उकसाया गया था।

113–ख

दहेज के कारण हुई मौत की परिकल्पना—जब प्रश्न यह हो कि क्या किसी व्यक्ति ने दहेज के लिए किसी महिला की हत्या की है और यह विदित हो कि हत्या से ठीक पहले ऐसा व्यक्ति उस महिला के साथ क्रूर व्यवहार कर रहा था और दहेज की मांग के सिलसिले में उसका उत्पीड़न कर रहा था तो न्यायालय यह परिकल्पना कर सकता है कि वही व्यक्ति उस महिला की मौत का कारण है।

114–क

बलात्कार के कुछ अभियोगों में सहमति न होने की परिकल्पना—भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 376 के खंड (क) या (ख) या (ग) या (घ) या (ङ) या (छ) या उपधारा (2) के अंतर्गत जहां अभियुक्त द्वारा बलात्कार किया जाना सिद्ध हो चुका हो और प्रश्न यह हो कि क्या यह कथित तौर पर बलात्कार की शिकार महिला की सहमति के बिना किया गया था और न्यायालय के सामने अपने साक्ष्य में यदि वह कहती है कि उसकी सहमति नहीं थी तो न्यायालय यह परिकल्पना कर सकता है कि उसकी सहमति नहीं थी।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

धारा 8-क

कुछ मामलों में साबित करने का भार

जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई दहेज लेने या दहेज का लेना दुष्प्रेरित करने के लिए या धारा 4 के अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है वहां यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने उन धाराओं के अधीन कोई अपराध नहीं किया है।

4. बच्चों तथा महिलाओं की विभिन्न कानूनों के तहत सुरक्षा

संविधान अनुच्छेद 24

कारखाने, आदि में बच्चों के काम करने पर रोक

चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986

यह अधिनियम कुछ नियोजनों में बालकों के लगाए जाने का प्रतिषेध करने और कुछ अन्य नियोजनों में बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन करने के लिए बनाया गया था।

धारा 3

कुछ उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध—अनुसूची के भाग-क में उपवर्णित किसी उपजीविका में या किसी ऐसी कर्मशाला में जिसमें अनुसूची के भाग-ख में उपवर्णित कोई प्रक्रिया की जाती है, कोई बालक नियोजित या काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी ऐसी कर्मशाला को, जिसमें कोई प्रक्रिया अधिष्ठाता द्वारा अपने कुटुम्ब की सहायता से की जाती है या सरकार द्वारा स्थापित या उससे सहायता या मान्यता प्राप्त करने वाले किसी विद्यालय को लागू नहीं होगी।

धारा 7

काम के घंटे और कालावधि: (1) किसी बालक से किसी स्थापन में उतने घंटों से अधिक काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जो ऐसे स्थापन या स्थापनों के वर्ग के लिए विहित किए जाएं।

प्रत्येक दिन काम की कालावधि इस प्रकार नियत की जाएगी कि कोई कालावधि तीन घंटे से अधिक की नहीं होगी और कोई बालक कम से कम एक घंटे का विश्राम अन्तराल ले चुकने से पूर्व तीन घंटे से अधिक काम नहीं करेगा।

किसी बालक के काम की कालावधि की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि वह उपधारा (2) के अधीन उसके विश्राम के अन्तराल सहित छह घंटों से अधिक की नहीं होगी, जिसके अन्तर्गत किसी दिन काम के लिए प्रतीक्षा में बिताया गया समय भी है।

किसी बालक से 7 बजे सायं और 8 बजे प्रात: के बीच काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

किसी बालक से अतिकाल में काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

किसी बालक से किसी स्थापन में ऐसे दिन काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जिस दिन वह पहले से ही किसी अन्य स्थापन में काम कर रहा हो।

साप्ताहिक अवकाश दिन

धारा 8

किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक बालक को प्रत्येक सप्ताह में एक संपूर्ण दिन का अवकाश मनाने की अनुज्ञा होगी, वह दिन स्थापन में किसी सहजदृश्य स्थान पर स्थायी रूप से प्रदर्शित सूचना में अधिष्ठाता द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए गए दिन में उस अधिष्ठाता द्वारा तीन मास में एक बार से अधिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

स्वास्थ्य और सुरक्षा

धारा 13

(1) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी स्थापन या किसी वर्ग के स्थापनों में काम करने के लिए नियोजित या अनुज्ञात बालकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्:

(क) काम के स्थल पर सफाई और उसकी न्यूसेंस से मुक्ति,

(ख) अपशिष्ट और बहि/स्राव का व्ययन,

(ग) संवातन और तापमान,

(घ) धूल और धूम,

(ङ) कृत्रिम नमीकरण,

(च) प्रकाश,

(छ) पीने का पानी,

(ज) शौचालय और मूत्रालय,

(झ) थूकदान,

(ञ) मशीनरी पर बाड़ लगाना,

(ट) मशीनरी के गतिमान होने पर उस पर या उसके निकट काम,

(ठ) खतरनाक मशीनों पर बालकों का नियोजन,

(ड) खतरनाक मशीनों पर बालकों के नियोजन के संबंध में अनुदेश, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण,

(ढ) बिजली काटने के लिए युक्तियां,

(ण) स्वकीय मशीनें,

(त) नई मशीनरी का सुकरण,

(थ) फर्श, सीढ़ियां और पहुंचने के साधन,

(द) गर्त, चौबच्चे, फर्शों में विवरण, आदि,

(ध) अत्यधिक वजन,

(न) आंखों का संरक्षण,

(प) विस्फोटक या ज्वलनशील धूल, गैस आदि,

(फ) आग लगने की दशा में सावधानियां,

(ब) भवनों का अनुरक्षण, और

(भ) भवनों और मशीनरी की सुरक्षा।

धारा 14

शास्तियां (1) जो कोई किसी बालक को धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन में नियोजित करेगा या काम करने के लिए अनुज्ञात करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) जो कोई धारा 3 के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाएगा और तत्पश्चात् वैसा ही अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

(3) जो कोई—

(क) धारा 9 द्वारा अपेक्षित सूचना देने में असफल रहेगा, या

(ख) धारा 11 के अपेक्षानुसार रजिस्टर रखने में असफल रहेगा या किसी ऐसे रजिस्टर में मिथ्या प्रविष्टि करेगा, या

(ग) धारा 12 की अपेक्षानुसार धारा 3 और इस धारा की संक्षिप्ति को अन्तर्विष्ट करने वाली सूचना संप्रदर्शित करने में असफल रहेगा, या

(घ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगा या उनका उल्लंघन करेगा,

वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

बालक (श्रम-गिरवीकरण) अधिनियम, 1933

धारा 2

परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

''बालक के श्रम को गिरवी करने का करार'' से ऐसा लिखित या मौखिक, अभिव्यक्त या विवक्षित करार अभिप्रेत है जिसके द्वारा बालक का माता-पिता या संरक्षक अपने द्वारा प्राप्त किए गए या प्राप्त किए जाने वाले किसी संदाय या प्रसुविधा के बदले में इस बात का वचनबद्ध करता है कि वह बालक की सेवाओं का उपयोग किसी नियोजन में किया जाना कारित या अनुज्ञात करेगा:

परन्तु ऐसा करार जो बालक को उपाय किए बिना किया गया हो और जो बालक की सेवाओं के लिए संदत्त की जाने वाली युक्तियुक्त मजदूरी से भिन्न किसी प्रसुविधा के प्रतिफल के लिए न किया गया हो और जो एक सप्ताह से अनधिक की सूचना पर पर्यवसेय हो, इस परिभाषा के अर्थ के अंदर करार नहीं है,

''बालक'' से पन्द्रह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति अभिप्रेत है, तथा

''संरक्षक'' के अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो बालक की विधिक अभिरक्षा रखता है या उस पर नियंत्रण रखता है।

बालक के श्रम को गिरवी करने का करार करने वाले माता-पिता या संरक्षक के लिए शास्ति

धारा 4

जो कोई, किसी बालक का माता-पिता या संरक्षक होते हुए बालक के श्रम को गिरवी करने का करार करेगा वह जुर्माने से, जो पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

माता-पिता या संरक्षक से बालक के श्रम को गिरवी करने का करार करने के लिए शास्ति

धारा 5

जो कोई बालक के माता-पिता या संरक्षक से ऐसा करार करेगा जिसके द्वारा ऐसा माता-पिता या संरक्षक बालक के श्रम को गिरवी करता है वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

ऐसे बालक को नियोजित करने के लिए शास्ति जिसका श्रम गिरवी किया गया है

धारा 6

जो कोई, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि बालक के श्रम को गिरवी करने का करार किया गया है, ऐसे करार को अग्रसर करने में ऐसे बालक को नियोजित करेगा या अपने नियंत्रण के अधीन के किसी परिसर या स्थान में ऐसे बालक का नियोजित किया जाना अनुज्ञात करेगा वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

बागान श्रम अधिनियम 1951

स्त्रियों और बालकों द्वारा रात्रि में काम

धारा 25

राज्य सरकार की अनुज्ञा से ऐसा किये जाने के सिवाय, कोई भी स्त्री या बालक कर्मकार बागान में छह बजे पूर्वाह्न और सात बजे अपराह्न के बीच नियोजित किये जाने के सिवाय नियोजित नहीं किया जाएगा:

परन्तु इस धारा की कोई भी बात उन दाइयों और परिचारिकाओं को, जो किसी बागान में इस रूप में नियोजित हों, लागू नहीं समझी जाएगी।

धारा 32

रुग्णता और प्रसूती प्रसुविधाएं—ऐसे किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, हर कर्मकार—

(क) अर्हित चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा प्रमाणित रुग्णता की दशा में रुग्णता भत्ता,

(ख) यदि वह स्त्री हो, प्रसव या प्रत्याशित प्रसव की दशा में प्रसूति भत्ता, ऐसी दर से, ऐसी कालावधि के लिए और ऐसे अंतरालों पर, जो विहित किए जाएं, अपने नियोजक से अभिप्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) राज्य सरकार रुग्णता या प्रसूति भत्ता के संदाय का विनियमन करने वाले नियम बना सकेगी और ऐसे नियम उन परिस्थितियों को विनिर्दिष्ट कर सकेंगे जिनमें ऐसा भत्ता संदेय नहीं होगा या संदेय नहीं रह जाएगा, और इस धारा के अधीन कोई नियम विरचित करने में राज्य सरकार उन चिकित्सीय सुविधाओं का सम्यक ध्यान रखेगी जो नियोजक द्वारा किसी बागान में उपबंधित हों।

कारखाना अधिनियम, 1948

धारा 66

स्त्रियों के नियोजन पर अतिरिक्त निर्बन्धन–(1) कारखानों में स्त्रियों को लागू होने में इस अध्याय के उपबंधों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त निर्बन्धन भी होंगे, अर्थात:—

(क) किसी स्त्री के बारे में धारा 54 के उपबंधों से कोई छूट नहीं दी जाएगी,

(ख) किसी कारखाने में किसी स्त्री से 6 बजे प्रात: और 7 बजे सायं के बीच के घंटों के अलावा किसी और समय पर काम करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी या उसे काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी,

परन्तु राज्य सरकार (किसी कारखाने, या कारखानों के समूह या वर्ग या प्रकार के कारखानों) के बारे में खण्ड (ख) में अधिकथित सीमाओं में फेरफार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी किन्तु इस प्रकार की ऐसी फेरफार दस बजे सायं और 5 बजे प्रात: के बीच के घंटों में किसी स्त्री के नियोजन को प्राधिकृत न करे।

(ग) कोई पारी किसी साप्ताहिक अवकाश दिन या किसी अन्य अवकाश दिन के पश्चात् बदलने के सिवाय नहीं बदली जाएगी।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) में उपवर्णित निर्बन्धनों से, मत्स्य-संसाधन या मत्स्य-डिब्बाबंदी के ऐसे कारखानों में जिनमें किसी कच्ची सामग्री को नुकसान या बिगाड़ से बचाने के लिए स्त्रियों का नियोजन उक्त निर्बन्धनों में विनिर्दिष्ट घंटों से आगे भी आवश्यक हो, काम करने वाली स्त्रियों को इतने विस्तार तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसे वह विहित करे, छूट उपबंधित करने वाले नियम बना सकेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन बनाए गए नियम एक समय पर तीन वर्ष से अनधिक के लिए प्रवृत्त रहेंगे।

धारा 67

अल्पवय बालकों के नियोजन का प्रतिषेध–कोई बालक जिसने अपना चौदहवां वर्ष पूरा नहीं किया है किसी कारखाने में काम करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

बालकों के लिए काम के घंटे

धारा 71

(1) कोई बालक किसी कारखाने में—

(क) किसी दिन साढ़े चार घंटों से अधिक के लिए,

(ख) रात के दौरान नियोजित या काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(2) कारखाने में नियोजित सब बालकों के काम करने की कालावधि दो पारियों तक सीमित होगी, जिनकी परस्पर व्याप्ति अथवा जिनमें से प्रत्येक की पांच घंटों से अधिक की विस्तृति नहीं होगी, और हर बालक टोली में से केवल एक में नियोजित होगा जिसका तीस दिन की कालावधि में एक से अधिक बार परिवर्तन मुख्य निरीक्षक की लिखित अनुज्ञा के बिना नहीं किया जाएगा।

(3) धारा 52 के उपबन्ध बालक कर्मकारों को भी लागू होंगे और उस धारा के उपबंधों से कोई छूट किसी बालक के विषय में नहीं दी जा सकेगी।

(4) किसी बालक को किसी कारखाने में ऐसे दिन काम करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिस दिन वह पहले ही किसी अन्य कारखाने में काम करता रहा है।

(5) किसी महिला बालक से किसी कारखाने में 8 बजे पूर्वाह्न और 7 बजे अपराह्न के बीच के सिवाय काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

बालकों के लिए काम की कालावधियों की सूचना

धारा 72

(1) हर कारखाने में, जिसमें बालक नियोजित है, बालकों के लिए काम की कालावधियों की ऐसी सूचना, जिसमें हर दिन के लिए वे कालावधियां जिनके दौरान बालक कर्मकारों से काम करने की अपेक्षा की जा सकेगी या उन्हें अनुज्ञा दी जा सकेगी स्पष्टत: दर्शित होगी, धारा 108 की उपधारा (2) के अनुसार संप्रदर्शित की जाएगी और ठीक बनाए रखी जाएगी।

(2) उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित सूचना में दर्शित कालावधियां धारा 61 में वयस्क कर्मकारों के लिए विहित पद्धति के अनुसार पहले ही नियत की जाएगी और ऐसी होंगी कि उन कालावधियों में काम करने वाले बालक धारा 71 के उपबंधों में से किसी उपबन्ध के उल्लंघन में काम नहीं करेंगे।

(3) धारा 61 की उपधारा (8), (9) और (10) के उपबंध इस धारा की उपधारा (10) द्वारा अपेक्षित सूचना को भी लागू होंगे।

बालक कर्मकारों का रजिस्टर

धारा 73

(1) हर ऐसे कारखाने का प्रबंधक जिसमें बालक नियोजित हैं बालक कर्मकारों का एक रजिस्टर रखेगा जो काम के घंटों के दौरान सब समयों पर या जब कारखाने में कोई काम हो रहा हो निरीक्षक को उपलब्ध होगा और जिसमें निम्नलिखित दर्शित होंगे—

(क) कारखाने के हर बालक कर्मकार का नाम,

(ख) उसके काम की प्रकृति,

(ग) वह समूह, यदि कोई हो, जिसमें वह सम्मिलित किया गया हो,

(घ) जहां उसका समूह पारियों में काम करता है वहां वह टोली जिसमें वह रखा गया, और

(ङ) धारा 69 के अधीन अनुदत्त उसके योग्यता प्रमाण पत्र का संख्यांक।

(1क) जब तक कि किसी बालक कर्मकार का नाम या अन्य विशिष्टियां बालक कर्मकारों के रजिस्टर में प्रविष्ट न कर ली गई हों तब तक उससे किसी कारखाने में काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(2) राज्य सरकार, बालक कर्मकारों के रजिस्टर का प्ररूप, वह रीति जिसमें वह रखा जाएगा और वह कालावधि जिस तक वह परिरक्षित रखा जाएगा, विहित कर सकेगी।

बालक का दोहरा नियोजन अनुज्ञात करने के लिए शास्ति

धारा 99

यदि कोई बालक किसी कारखाने में किसी ऐसे दिन काम करेगा जिस दिन वह पहले ही अन्य कारखाने में काम करता रहा है, तो उस बालक की माता या पिता या संरक्षक या वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा में या नियंत्रण में वह है या जो उसकी मजदूरी से कोई प्रत्यक्ष फायदा अभिप्राप्त करता है, जुर्माने से जो (एक हजार रुपए) तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा जब तक न्यायालय को यह प्रतीत न हो कि बालक ने ऐसा काम उस माता या पिता, संरक्षक या व्यक्ति की सम्मति या मौनानुकूलता के बिना किया है।

बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966

धारा 24

बालकों के नियोजन का प्रतिषेध—किसी भी औद्योगिक परिसर में काम किसी भी बालक से न तो अपेक्षित किया जाएगा न उसे करने दिया जाएगा।

कतिपय घंटों के दौरान स्त्री या अल्पवय व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध

धारा 25

किसी भी स्त्री या अल्पवय व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह किसी भी औद्योगिक परिसर में छह बजे पूर्वाह्न और सात बजे अपराह्न के बीच के सिवाय काम करे और न उसे ऐसा काम करने दिया जाएगा।

मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961

बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

धारा 21

किसी भी बालक से किसी मोटर परिवहन उपक्रम में किसी भी हैसियत में काम न तो अपेक्षित किया जाएगा, न उसे करने दिया जाएगा।

5. गरीबों को नि:शुल्क कानूनी सहायता

समान न्याय और नि:शुल्क विधि सहायता

संविधान अनुच्छेद 39क

राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से नि:शुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

प्रस्तावना—

यह अधिनियम समाज के दुर्बल वर्गों को नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा यह सुनिश्चित करने हेतु उपलब्ध कराने के लिए कि आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण कोई भी नागरिक न्याय पाने के अवसर से वंचित न रह जाए, विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन करने के लिए बनाया गया है।

6. उत्सादन बन्धित श्रम

संविधान अनुच्छेद 23 (1)

मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा उसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया जाने वाला श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबन्ध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।

बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976

प्रस्तावना

इस अधिनियम में जनता के दुर्बल वर्गों के आर्थिक और शारीरिक शोषण का निवारण करने के उद्देश्य से बन्धित श्रम पद्धति के उत्सादन का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए प्रावधान है।

बन्धित श्रम के प्रवर्तन के लिए दण्ड

धारा 16

जो कोई इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात किसी व्यक्ति को कोई बन्धित श्रम करने के लिए विवश करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

II

विदेशी ऐतिहासिक दस्तावेज

1

मैगना कार्टा*

प्रस्तावना—जॉन, भगवान की कृपा से, जो इंग्लैण्ड के राजा हैं, आयर्लैण्ड के लार्ड, नारमण्डी और एक्युइटेन के ड्यूक हैं, आंजू के काउण्ट हैं, आर्चबिशप, बिशप, एबटों, अर्लों, बैरनों, न्यायाधिकारियों, वनरक्षकों, शैरिफों, रीवों, सेवकों और सभी बैलिफों और अपने निष्ठावान व्यक्तियों को बधाई देते हैं। भगवान की प्रेरणा से और हमारी और हमारे सभी पूर्वजों और वारिसों की आत्माओं के हित के लिए भगवान के सम्मान में और पवित्र चर्च के उत्कर्ष के लिए, और अपने राज्य के विकास के लिए, अपने पूज्य पिता, स्टीफेन, केन्टरबरी के आर्चबिशप, समस्त इंग्लैण्ड के धर्माधिपति और पवित्र रोमन चर्च के कार्डिनल, हेनरी, डबलिन के आर्चबिशप, लन्दन के विलियम, विनचेस्टर के पीटर, बाथ और ग्लास्टनबरी के जासलिन, लिंकोन के हग, वारसेस्टर के वाल्टर, कोवेन्ट्री के विलियम, राचेस्टर के बेनेडिक्ट, मास्टर पानडल्फ के बिशपों, लार्ड पोप के उपयोजक और परिवारजन, ब्रदर आइमेरिक, इंगलैण्ड में टेम्पिल के नाइट्स के मास्टर; और भद्रपुरुष विलियम, मार्शल, पेमब्रोक के अर्ल, विलियम सेलिसबरी के अर्ल, विलियम वारेन के अर्ल, विलियम, अरुनडेल के अर्ल, गैलोबे के एलन, स्काटलैण्ड के कान्स्टेबिल, वारेन फिडजेरार्ल्ड, पीटर फिटज हरबर्ट, हरबर्ट डेबर, पाइट के स्टेवार्ड, हघ डेनेविल, मेथ्युफिटजहरबर्ट, थामस बेसेट, एलनबेसेट, फिलिप डे एलबीनी, राबर्ट डे रोपेले, जान मार्शल, जान फिट्ज हग और हमारे अन्य शुभचिन्तकों की सलाह से निम्नलिखित सर्वविदित हो:

1. **चर्च का स्वतंत्र होना**—प्रथमत: हम, अपने इस वर्तमान चार्टर की, अपने और अपने वारिसों के लिए, सदैव के लिए पुष्टि करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इंग्लिश चर्च स्वतंत्र हो और उसे उसके सभी अधिकार प्राप्त हों और उसकी सभी स्वतंत्रताएं अक्षुण रहें और यह कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्वाचनों की स्वतंत्रता, जिसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और जो इंग्लिश चर्च के लिए सर्वाधिक आवश्यक है और जो इस विलेख से भी दर्शित है, अत: अपनी शुद्ध और सहज कामना से ऐसी स्वतंत्रता, हम और हमारे बैरनों के बीच विवाद उत्पन्न होने से पूर्व, मंजूर करते हैं और अपने चार्टर द्वारा पुष्ट करते हैं।

लार्ड पोप इन्नौसेन्ट-iii ने भी इसे पुष्ट कर दिया है, अब हम इसका अनुसरण करेंगे और हम तथा हमारे वारिस सद्भाव से इसका पालन करेंगे और कराएंगे।

साथ ही हमने अपने राज्य के सभी स्वतंत्र व्यक्तियों को, स्वयं को अपने वारिसों को, सदैव के लिए, नीचे उल्लिखित सभी स्वतंत्रताएं मंजूर की हैं। उसे वे और उनके वारिस, हमसे और हमारे वारिसों से, प्राप्त रूप में धारण करेंगे।

2. **विरासत**—यदि हमारे किसी अर्ल या बैरन की या अन्य व्यक्ति की, जो सैनिक सेवा के कारण हमसे प्राप्त धृति के धारक हैं, मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस यदि प्राप्तवय हों और अनुतोष के हकदार हों, विरासत के रूप में प्राचीन रूढ़ि के अनुसार अनुतोष प्राप्त करेंगे, अर्थात्, अर्ल की सम्पूर्ण बैरनों के लिए किसी अर्ल के वारिस या वारिसों को एक सौ पौण्ड का अनुतोष; सम्पूर्ण बैरनों के लिए, बैरन के वारिस या वारिसों के लिए एक सौ पौण्ड का अनुतोष, किसी नाइट के वारिस या वारिसों के लिए, सम्पूर्ण नाइट फीस के लिए, एक सौ शिलिंग; और जो इससे कम का हकदार हो वह, जागीर की प्राचीन रूढ़ि के अनुसार उसे कम अनुतोष दिया जा सकेगा।

3. **यथोक्त**—यदि उक्त में से किसी का वारिस अप्राप्तवय है और किसी संरक्षक की देखरेख में है तो उसके प्राप्तवय होने पर, उसे अपनी विरासत किसी अनुतोष और जुर्माने के बिना, प्राप्त होगी।

4. **प्रतिपाल्य के अधिकार**—ऐसे अप्राप्तवय वारीस की भूमि का अभिरक्षक, वारिस की भूमि में से, उचित उत्पादों, उचित रूढ़िगत संदायों और उचित सेवाओं के अतिरिक्त, कुछ भी नहीं लेगा और वह भी तब जब वह ऐसी संपति या व्यक्ति को नष्ट या बरबाद न करे और यदि ऐसी किसी भूमि की अभिरक्षा किसी शैरिफ या किसी अन्य व्यक्ति को, जो उसके आगमों के लिए हमारे प्रति जिम्मेदार

*इंग्लिश स्वतंत्रता के चार्टर को, इंग्लैण्ड के राजा जान ने तारीख 15 जून 1215 को मंजूर किया।

हो, भूमि की अभिरक्षा दी गई हो और वह अपनी अभिरक्षा में भूमि को नष्ट करता है या बरबाद करता है तो उससे नुकसानी वसूल करेंगे और भूमि, उसी जागीर के दो विधिक और विवेकशील व्यक्तियों को सौंप दी जाएगी जो उसके आगमों के लिए हमारे या उस व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार होंगे जिसको हमने समनुदेशन कर दिया हो और यदि हम ऐसी भूमि की अभिरक्षा किसी को दे देते हैं या उसे बेच देते हैं और वह उसे नष्ट या बरबाद करता है तो उसे अभिरक्षा छोड़नी होगी और वह उसी जागीर के दो विधिक और विवेकशील व्यक्तियों को सौंप दी जाएगी और वह हमारे प्रति पूर्वोक्त रूप में जिम्मेदार होंगे।

5. **यथोक्त**–साथ ही अभिरक्षक, जब तक भूमि की अभिरक्षा उसके पास रहती है, मकानों, पार्कों, बाड़ों, मछली तालाबों, मिलों और भूमि से संबंधित अन्य वस्तुओं की देखभाल, संपत्ति के आगमों से ही करेगा और वह वारिस को, जब वह प्राप्तवय हो जाता है, उसकी समस्त भूमि, हलों और कृषि उपकरणों सहित, जैसा कि उपकरण उस समय अपेक्षित हो और भूमि के आगमों के संरक्षण के लिए आवश्यक हो, उसे लौटा देगा।

6. **वारिसों का विवाह**–वारिसों के विवाह में कोई असंगति नहीं होने दी जाएगी और विवाह की संविदा करने से पहले वारिस के रक्त संबंधियों को उसकी सूचना दे दी जाएगी।

7. **विधवाओं के अधिकार**–अपने पति की मृत्यु के पश्चात् विधवा को अपना विवाह अंश और अपनी विरासती संपत्ति तुरन्त और अबाध रूप में प्राप्त करने का अधिकार है, उसे अपने दहेज या विवाह अंश या अपनी विरासत के लिए कुछ भी नहीं देना होगा, जो वह और उसका पति, संयुक्त रूप में, पति की मृत्यु के समय धारण किए हुए थे और वह अपने पति के मकान में, पति की मृत्यु के बाद से 40 दिन तक बनी रह सकती है, जिस अवधि के भीतर उसका दहेज उसे दे दिया जाएगा।

8. **यथोक्त**–किसी भी विधवा को विवाह करने के लिए तब तक विवश नहीं किया जाएगा जब तक कि वह पति के बिना रहना चाहती हो परन्तु यह तब जब वह यह प्रतिभूति दे कि वह हमारी सम्मति के बिना, यदि वह हमारे नियंत्रण में है, अथवा अपने लार्ड की सम्मति के बिना; जिसके नियंत्रण में वह है, विवाह नहीं करेगी।

9. **ऋणी**–हम या हमारे बैलिफ, किसी ऋण के लिए किसी भूमि या किराये का अभिग्रहण नहीं करेंगे, जब तक कि हमारे कब्जे में उसकी ऐसी कोई चल सम्पत्ति है, जो ऋण के भुगतान के लिए पर्याप्त है, और न ऋणी के गिरवी माल को करस्थम करेंगे जब तक कि स्वयं प्रधान ऋणी के पास ऋण चुकता करने के लिए पर्याप्त सम्पदा है; और यदि प्रधान ऋणी ऋण का भुगतान नहीं कर पाता है अथवा उसके पास भुगतान के लिए पर्याप्त साधन नहीं है तो गिरवी माल ऋण के लिए दायी होगा; और यदि वे चाहें तो, ऋणी की भूमि और किराया तब तक अपने पास रख सकेंगे जब तक कि उनसे उस ऋण की पूर्ति नहीं हो जाती, जो उन्होंने उसके लिए पहले दिया है, बशर्ते प्रधान ऋणी ने, उस गिरवी माल का उस बाबत त्याग न कर दिया हो।

10. **ऋणों पर ब्याज**–यदि किसी ने, उधार के रूप में, यहूदियों से कुछ लिया है और उसकी मृत्यु ऐसे ऋण चुकता किए बिना हो जाती है तो ऋण पर ब्याज तब तक नहीं लगेगा जब तक कि मृतक का वारिस अप्राप्तवय है, चाहे वह किसी की भी देखरेख में हो, और यदि वह ऋण हमारे हाथों में आ जाता है तो हम, करार में अंतर्विष्ट चल वस्तुओं के सिवाय, कुछ नहीं लेंगे।

11. **ऋणियों के वारिस**–और यदि किसी ऋणी की मृत्यु, यहूदी का ऋण चुकता करने से पहले हो जाती है तो उसकी पत्नी को अपना दहेज मिल जाएगा और उसे ऋण के लिए कुछ नहीं देना पड़ेगा और यदि मृतक के कोई अप्राप्तवय बालक हों तो उनकी, मृतक की धृति के अनुपात में, आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी; और शेष सम्पदा में से ऋण चुकता कर दिया जाएगा, किन्तु लार्ड की सेवाएं बनाए रखी जाएंगी। इसी प्रकार यहूदियों से भिन्न व्यक्तियों से लिये गये ऋणों के संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी।

12. **कराधान**–हमारे राज्य में कोई 'स्कटेज' या सहायता राशि, हमारे राज्य की कामन काउन्सिल द्वारा ही, अपने शरीर की फिरौती के लिए, अपने सबसे बड़े पुत्र को नाइट बनाने के लिए, और एक बार हमारी सबसे बड़ी पुत्री का विवाह करने के लिए ही, अधिरोपित की जा सकेगी और इन प्रयोजनों के लिए केवल उचित फिरौती/समतुल्य रकम ली जाएगी; इसी प्रकार लन्दन शहर के लिए सहायता के मामले में ऐसे ही उपबंध लागू होंगे।

13. **लन्दन शहर की स्वतंत्रताएं**–लन्दन शहर को सभी प्राचीन स्वतंत्रताएं प्राप्त होंगी। उसे जल एवं थल दोनों ही मार्गों पर सीमाशुल्क मुक्ति प्राप्त होगी। साथ ही हम सभी अन्य शहरों, बरो और ग्रामों तथा पत्तनों को भी वैसी ही सब स्वतंत्रताएं प्राप्त होंगी और वे सीमाशुल्क मुक्त होंगे।

14. **कराधान पर राज्य की कामन काउन्सिल द्वारा अनुमति**–ऊपर उल्लिखित तीन मामलों से भिन्न मामलों में सहायता के निर्धारण के मामलों में अथवा "स्कटेज" के निर्धारण के मामलों में किसी निश्चित दिन को राज्य की कामन काउन्सिल बुलाने के लिए हम,

मुद्रांकित अपने पत्रों द्वारा आर्चबिशपों, बिशपों, एबटों, अर्लों और महत्तर बैरनों को समन करेंगे; और इसके अतिरिक्त हम अपने बैलिफों और शेरिफों द्वारा उन सभी लोगों को, जो हमारे नियंत्रण में हैं, समन करेंगे। उक्त निश्चित दिन का अर्थ है कम से कम चालीस दिन बाद, और इस बाबत समवेत होने का स्थान भी समन-पत्रों में दर्शित कर दिया जाएगा; और इन सभी समन-पत्रों में हम समन किए जाने के कारण उल्लिखित करेंगे और ऐसे समन दे दिए जाने के बाद, उन लोगों की सलाह से, जो उपस्थित हों, उक्त निश्चित दिन को कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी, भले ही सब समनित व्यक्ति न आए हों।

15. **उप अभिधारियों पर कराधान**—हम किसी को अपने स्वतंत्र व्यक्तियों से कोई सहायता लेने की मंजूरी नहीं देंगे तथापि अपने शरीर की मुक्ति के लिए, अपने सबसे बड़े पुत्र को नाइट बनाने के लिए और अपनी सबसे बड़ी पुत्री का एक बार विवाह करने के लिए ऐसी सहायता ली जा सकेगी।

16. **नाइट की सेवा**—किसी को नाइट की फीस के लिए या किसी अन्य निःशुल्क भूधृति (मकान आदि) के लिए उतनी सेवा से, जितनी शोध्य है, अधिक सेवा करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।

17. **नियत स्थान पर न्याय उपलब्ध होगा**—कामन अभिवाक, न्यायालयों में न जा कर किन्हीं निश्चित स्थानों पर ही निपटाए जाएंगे।

18. **भूमि विवाद तय करने के लिए न्यायालयों का नियमित रूप से समवेत होना**—बेदखली के बाद पुनः दखल पाने के लिए अनुयोजन का, भूमि विरासत में पाने के विवादग्रस्त अधिकार विषयक अनुयोजन और चर्च संबंधी फायदों के अधिकार विषयक अनुयोजन केवल उनके देशों में नीचे बताई गई रीति से चलाए जाएंगे। हम अथवा यदि हम अपने राज्य के बाहर हों तो हमारा प्रधान न्यायाधिकारी, वर्ष में चार बार प्रत्येक काउण्टी में दो न्यायाधिकारी भेजेगा, जो, संबंधित काउण्टी द्वारा निर्वाचित प्रत्येक काउण्टी के चार नाइटों के साथ, उस काउण्टी में, काउण्टी न्यायालय के दिन और स्थान पर पूर्वोक्त काउण्टी का न्याय सत्र समवेत करेगा।

19. **यथोक्त**—और यदि पूर्वोक्त न्याय सत्र, काउण्टी कोर्ट के दिन में अधिविष्ट नहीं हो सकता है तो उस दिन काउण्टी कोर्ट में उपस्थित व्यक्तियों में से, पर्याप्त संख्या में नाइट और पूर्ण स्वामी, काम की कम या अधिक मात्रा के अनुसार, निर्णय देने के लिए रुक जाएंगे।

20. **जुर्माने का निर्धारण**—किसी स्वतंत्र व्यक्ति पर किसी लघु अपराध के लिए, ऐसे अपराध की महत्ता के अनुपात में ही, जुर्माना किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं और किसी गुरूत्तर अपराध के लिए अपराध की गुरूता के अनुपात में जुर्माना किया जाएगा किन्तु इससे उसकी मुक्तधृति अपवर्जित रहेगी; और किसी वणिक के मामले में भी, उसकी वाणिज्या को अपवर्जित करते हुए, जुर्माना किया जाएगा; और किसी दुष्ट के मामले में, उसके कृषि उपकरणों को अपवर्जित करते हुए, जुर्माना किया जाएगा, बशर्ते वे हमारी दया के पात्र हों; और उक्त जुर्मानों में से कोई भी जुर्माना, पड़ोस के ईमानदार व्यक्तियों के शपथ पर किये गये कथन के सिवाय, अधिरोपित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

21. **यथोक्त**—अर्लों और बैरनों पर जुर्माना, केवल उनके पियरों द्वारा और उनके अपराध के अनुपात में, किया जाएगा।

22. **यथोक्त**—किसी पादरी पर जुर्माना, ऊपर उल्लिखित रूप में ही, उसकी लेधृति के अनुपात में, न कि चर्च के पद लाभों के अनुपात में, किया जाएगा।

23. **पुल बनवाने का कर्त्तव्य**—किसी भी जागीरदार या व्यक्ति को, नदियों पर पुल बनाने के लिए तब के सिवाय विवश नहीं किया जाएगा जब कि वह उसका ही पुराना और अधिकारवान कार्य हो।

24. **अप्राधिकृत व्यक्ति शपथ नहीं दिलाएंगे**—हमारे कोई शेरिफ, कान्स्टेबिल, कारोनर या अन्य बेलिफ, हमारे क्राउन का न्याय प्रशासन नहीं करेंगे।

25. **किराया**—सभी काउण्टियों, हन्ड्रेड्स, वेपनटेक्स और ट्राइथिंग्स के प्राचीन किराया ही चलते रहेंगे और उनमें कोई वृद्धि, निजी प्रयोग की भूसाम्पत्तिक जागीरों को छोड़कर, नहीं की जाएगी।

26. **ऋण के लिए डेसीडेन्ट के माल की कुर्की**—यदि किसी व्यक्ति के पास हमसे ली हुई कोई साझा जागीर है और उसकी मृत्यु हो जाती है और हमारे शैरिफ एवं बैलिफ, किसी ऐसे ऋण, जो मृतक ने हमसे लिया है, से संबंधित हमारे समन का लेटर-पेटेट दिखाते हैं तो हमारे बेलिफ या शेरिफ के लिए यह वैध होगा कि वह, किसी विधिक व्यक्ति की उपस्थिति में, उस ऋण के मूल्य तक के लिए, उक्त साझा जागीर पर पाई गई जंगम संपत्ति की कुर्की कर ले और उन पर उद्ग्रहण करे और वहां से कोई भी वस्तु उस समय तक हटाई नहीं जाएगी जब तक कि हमारा ऋण चुकता नहीं हो जाता; और ऋण चुकता हो जाने के बाद शेष रकम मृतक की इच्छा की पूर्ति के लिए निष्पादक को दे दी जाएगी; और यदि मृतक पर हमारा कुछ भी बाकी नहीं है तो सभी जंगम संपत्ति, मृतक की पत्नी और बालकों को उनके अंश के अनुसार, लौटा दी जाएगी।

27. **निर्वसीयती**—यदि किसी स्वतंत्र व्यक्ति की मृत्यु निर्वसीयती रूप में हो जाती है तो उसकी जंगम संपत्ति का बंटवारा चर्च की उपस्थिति में, मृतक के निकटवर्ती नातेदार और मित्र करेंगे। ऐसा बंटवारा करते समय उनमें से प्रत्येक के लिए ऋण का वह भाग बचा लिया जाएगा जो मृतक पर, उनमें से प्रत्येक का बाकी रहा हो।

28. **अधिकारियों द्वारा लिए गए माल का भुगतान**—हमारा कोई भी कांस्टेबल या अन्य बैलिफ, किसी भी व्यक्ति का अनाज या अन्य जंगम संपत्ति, उसके लिए धन दिए बिना, नहीं लेगा किन्तु तब नहीं जब स्वयं विक्रेता सदिच्छा से भुगतान मुल्तवी कर दे।

29. **दुर्ग चौकीदार**—कोई भी कांस्टेबल, दुर्ग के वार्ड के बदले नाइट से किसी धन की अपेक्षा नहीं करेगा, यदि वह स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति से, जब वह किसी उचित कारणवश स्वयं वार्ड नहीं देना चाहता है, वार्ड करता या कराता है और यदि हम उसे सेना में भेज देते हैं तो वह वार्ड से उसी अवधि के अनुपात में मुक्त होगा जितनी अवधि के लिए वह, हमारे माध्यम से सेना में रहेगा।

30. **स्वतंत्र व्यक्ति के घोड़े-गाड़ियां**—हमारा कोई बैलिफ या शैरिफ अथवा कोई अन्य व्यक्ति, किसी स्वतंत्र व्यक्ति की अनुज्ञा के बिना, उसके घोड़े या वैगन, वहन के प्रयोजन के लिए नहीं लेगा।

31. **लकड़ी ले जाना**—हम या हमारे बैलिफ, दुर्ग के प्रयोजन के लिए अथवा किसी अन्य ऐसे कार्य के लिए, जो हम कर रहे हों, किसी अन्य व्यक्ति की लकड़ी, उसकी अनुज्ञा के बिना नहीं लेंगे।

32. **महापराधियों की भूमि**—हम महापराध के लिए सिद्धदोष व्यक्ति की भूमि एक वर्ष और एक दिन से अधिक के लिए नहीं लेंगे और तत्पश्चात् वह जागीर के मालिक को लौटा देंगे।

33. **मत्स्य बियर**—थेम्स और मीडवे तथा इंग्लैण्ड में सर्वत्र, सभी मत्स्य बियर, समाप्त कर दिए जाएंगे किन्तु जो तटों पर होंगे, वे बने रहेंगे।

34. **प्रेसिपे रिट**—भविष्य में "प्रेसिपे" नामक रिट, जिसके द्वारा कोई स्वतंत्र व्यक्ति (लार्ड) अपने न्यायालय का आश्रय खो सकता हो, किसी वासगृह के संबंध में नहीं दिया जाएगा।

35. **समान माप**—हमारे राज्य में सर्वत्र शराब और बियर की एक माप होगी तथा अनाज की भी एक माप होगी, अर्थात, वह लंदन क्वार्टर के रूप में होगी और रंगीन कपड़ों, गेरुआ कपड़ों और 'हालबरजेट' कपड़ों की भी चौड़ाई की एक माप होगी, अर्थात्, दोनों किनारों के बीच की चौड़ाई की माप होगी। वजन की माप भी, उसी प्रकार की जाएगी।

36. **जीवन, और अंगों के लिए रिट**—जीवन और अंगों की बाबत मृत्यु-समीक्षण रिट के लिए कुछ लिया या दिया नहीं जाएगा। यह अबाध रूप में दिया जाएगा और देने से इंकार नहीं किया जाएगा।

37. **प्रतिपाल्यों के अधिकार**—यदि हमसे किसी व्यक्ति के पास कोई शुल्क्य फार्म, 'सोकेज या बरगेज' के रूप में कोई भूमि है और साथ ही किसी अन्य व्यक्ति की, सैनिक सेवा के आधार पर कोई भूमि भी है तो हम उक्त शुल्क्य फार्म, सीकेज या बरगेज के कारण, ऐसे वारिस या ऐसी भूमि के, जो किसी अन्य व्यक्ति की जागीर है, संरक्षक नहीं होंगे और हम ऐसे शुल्क्य फार्म, सीकेज या बरगेज की अभिरक्षा तभी प्राप्त करेंगे जब कि उक्त शुल्क्य फार्म पर सैनिक सेवा का भार होगा। हम किसी वारिस या किसी व्यक्ति की ऐसी भूमि का संरक्षण ग्रहण नहीं करेंगे जो उसे ऐसी पेटी सजेन्ट्री के रूप में, जो उसने हमें चाकू या तीर या वैसी ही अन्य वस्तुएं देकर हमसे प्राप्त की हो, सैनिक सेवा के कारण किसी से मिली है।

38. **अभ्यारोप का सबूत**—भविष्य में कोई भी बेलिफ किसी भी व्यक्ति को मात्र प्रतिज्ञान के आधार पर विधि द्वारा दंडित नहीं करवा सकेगा। अपितु इसके लिए विश्वसनीय साक्षियों का पेश होना आवश्यक होगा।

39. **स्वतंत्र व्यक्ति के विरुद्ध प्रक्रिया**—किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को अपने पियरों के विधिक निर्णयों या देशी विधि के अधीन विनिश्चयों द्वारा, अन्यथा बंदी नहीं बनाया जाएगा, कब्जाविहीन नहीं किया जाएगा या विधि बहिष्कृत नहीं किया जाएगा या निर्वासित नहीं किया जाएगा अथवा किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जाएगा और न हम उस पर कोई अधिरोपण करेंगे और न करने देंगे।

40. **न्याय का विक्रय, इंकार या विलम्ब**—हम किसी अधिकार या न्याय को, न तो किसी को बेचेंगे और न उससे इंकार करेंगे और न ही उसमें विलम्ब करेंगे।

41. **व्यापारियों की स्वतंत्रताएं**—सभी व्यापारी इंग्लैण्ड से बाहर जाने में या बाहर से इंग्लैण्ड आने में सुरक्षित और निरापद रहेंगे और इंग्लैण्ड में निवास करने या उसमें कहीं भी जाने-आने में इसी प्रकार सुरक्षित और निरापद रहेंगे; चाहे ऐसी यात्रा कुछ क्रय करने

के लिए हो या विक्रय करने के लिए हो और चाहे वह भूयात्रा हो या चाहे जलयात्रा हो। प्राचीन या अधिकारवान सीमाशुल्कों द्वारा व्यापार पर कोई भी दुराशयपूर्ण चुंगी नहीं लगेगी। ऐसा अधिरोपण केवल युद्धकाल में किया जा सकेगा और उस देश के व्यापारी पर किया जा सकेगा जो हमसे युद्ध करने वाले देश का होगा; और यदि ऐसे व्यापारी युद्ध प्रारंभ होने के समय हमारी भूमि पर पाए जाते हैं तो उनके शरीर या माल को कोई क्षति पहुंचाए बिना, तब तक के लिए उनकी कुर्की कर ली जाएगी जब तक कि हमसे या हमारे प्रधान न्यायाधीशों से यह पता न चल जाए कि हमारे देश के व्यापारियों के साथ, जो उस समय शत्रु की भूमि पर हों, शत्रुभूमि में कैसा व्यवहार किया जा रहा है और यदि हमारे व्यापारी वहां सुरक्षित हैं तो विदेशी व्यापारी हमारे यहां सुरक्षित रहेंगे।

42. **राज्य में प्रवेश करने और वहां से बाहर जाने की स्वतंत्रता**–अब से कोई भी व्यक्ति हमारे राज्य से सुरक्षित और निरापद रूप में, भूमार्ग से और जलमार्ग से, बाहर जा सकेगा और वापस आ सकेगा, बशर्ते वे युद्धकाल में अल्प समय के लिए छोड़कर हमारे प्रति, और राज्य की आम जनता की भलाई के प्रति निष्ठावान हों। किन्तु यह नियम राज्य की विधि के अनुसार बंदी बनाए गए या निर्वासित किए गए व्यक्तियों को और हमसे युद्ध कर रहे देश के व्यक्तियों और व्यापारियों को, जिनके बारे में यथापूर्व कार्रवाई की जाएगी, लागू नहीं होगी।

43. **राजगामी होना**–यदि किसी के पास, बिलिंगफोर्ड से या नार्टिघम या बोलोन या लंकास्टर अथवा अन्य राजगमनों से, जो हमारे पास हैं, और वे बैरोनी हैं, कोई राजगामी सम्पत्ति है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस वही अनुतोष देंगे और हमारी सेवा करेंगे जो वे बैरनों की करते, यदि ऐसी बैरनी बैरनों के पास होती, और हम उसे उसी प्रकार अपने पास रखेंगे जैसे कि बैरन उसे अपने पास रखते।

44. **वन विधियों का प्रशासन**–जो व्यक्ति वनों से बाहर रहते हैं वे, हमारे वन न्यायाधिकारियों के समक्ष, कामन सम्मन पर, तब तक उपस्थित नहीं होंगे जब तक कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के अभिवाक पर नहीं है या उसके लिए गिरवी नहीं है, जिसे वन के कारण गिरफ्तार किया गया है।

45. **अधिकारियों की अर्हताएं**–हम ऐसे किसी व्यक्ति को न्यायाधिकारी, कान्सटेबिल, शैरिफ या बैलिफ नहीं बनाएगे जिसे अपने राज्य की विधि का ज्ञान नहीं है और जो ऐसी विधि के पालन का इच्छुक नहीं है।

46. **एबी की अभिरक्षा**–सभी बैरनों को, इंग्लैंड के राजाओं के चार्टर पर बनाई गईं एबी और पुरानी अभिधृतियों की अभिरक्षा, उनके रिक्त हो जाने पर, पुनः स्वभावतः प्राप्त हो जाएंगी।

47. **वन सीमाएं**–सभी वन जो हमारे समय में लगाए गए हैं, तुरन्त निर्वनीकृत कर दिए जाएंगे; और इस प्रकार वे नदी तट भी हटा दिए जाएंगे जो हमारे समय में बनाए गए हैं।

48. **वन सीमाशुल्क**–वनों और खरगोश बाड़ों से और वनरक्षक या बाड़ा रक्षकों से, शैरिफ और उनके सेवकों से नदी तटों और उनके संरक्षकों से संबंधित सभी अमान्य सीमाशुल्कों की जांच, उसी काउण्टी के बारह शपथित नाइटों द्वारा उसी काउंटी में तुरंत की जायेगी। इन बारह नाइटों का निर्वाचन उसी काउंटी के ईमानदार व्यक्ति करेंगे और जांच करने के बाद मे चालीस दिन के भीतर वे उन्हें इस प्रकार नष्ट कर देंगे कि उन्हें पुनः स्थापित न किया जा सके, परन्तु यह तब जब उसकी सूचना हमें या हमारे इंग्लैण्ड से बाहर होने की दशा में, हमारे न्यायाधिकारियों को पहले दे दी गई हो।

49. **शान्ति के लिए प्रतिभूति**–हम ऐसे सभी बंधक व्यक्तियों और चार्टरों को लौटा देंगे जो हमें अंग्रेजों ने, शान्ति बनाए रखने या निष्ठावान सेवा की प्रतिभूति के रूप में दिए होंगे।

50. **विदेशी कृपापात्रों की बेदखली**–हम गेरार्ड डे एथीज़ के संबंधियों को उनके बैलीविक्स से पूर्णतः हटा देंगे, जिससे कि भविष्य में इंग्लैण्ड में उनके पास बेलीविक्स न हों। इसी प्रकार एंगेलार्ड डे साइगोनी, एन्ड्रियु, पीटर और ग्योन डे चासेंलीज, ग्योन डे साइगोनी, जिआफ्री डे मार्टिन और उसके भाई, फिलिप मार्क और उसके भाई तथा जिआफ्री उसके भतीजे और उनके सभी परिवारजन भी उसी प्रकार हटा दिए जाएंगे।

51. **फौज भंग करना**–और शान्ति के स्थापन के तुरन्त बाद हम अपने राज्य से सभी विदेशी सैनिकों, क्रास कमान धारकों, सेवकों और भाड़े के सैनिकों को, जो राज्य को क्षति पहुंचाने के लिए घोड़े और आयुध लेकर आए थे, हटा देंगे।

52. **अधिकारों का प्रत्यावर्तन**–यदि हमने अपने पियरों के विधिक निर्णयों के बिना, किसी व्यक्ति को उसकी भूमि, दुर्गों, मताधिकार या उसके अधिकारों से बेदखल कर दिया या हटा दिया है तो हम वे सब उसे लौटा देंगे; और यदि इस बाबत कोई विवाद उत्पन्न

होता है तो यह कार्य पच्चीस बैरनों के निर्णय द्वारा किया जाएगा। इन बैरनों का उल्लेख नीचे किया गया है। इनका संबंध शान्ति की सुरक्षा से है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त किसी वस्तु से, जो हमारे राज्य में है या जो किसी अन्य व्यक्ति के पास है और जिसकी गारंटी करना हमारा कर्तव्य है, उसके पियरों के विधिक निर्णय के बिना, हमारे पिता राजा हेनरी या हमारे भाई राजा रिचर्ड द्वारा हटा दिया गया है या वंचित कर दिया गया है तो हम उसकी बहाली धर्म युद्ध समाप्त हो जाने पर कर देंगे। उक्त वस्तुओं के अंतर्गत ऐसी वस्तुएं नहीं हैं जिनके बारे में हमारे द्वारा क्रास ग्रहण किये जाने से पूर्व वाद प्रारंभ हो चुके हैं या हमारे रिट द्वारा समीक्षण किया जा चुका है; तथापि, अपनी यात्रा से वापस आकर और यदि यात्रा पर नहीं जाते हैं तो, हम उनके साथ तुरन्त न्याय करेंगे।

53. **राहत देना**–उन वनों के बारे में, जिनका निर्वनीकरण होना है अथवा जिनको वन ही रहने देना है तथा जिनको हमारे पिता हेनरी ने या हमारे भाई रिचर्ड ने वन बना दिया था, और उन भूमियों की अभिरक्षा के बारे में, जो किसी अन्य व्यक्ति की जागीर में है और जिनकी अभिरक्षा अभी तक उस जागीर खाते हमारे पास थी, जो किसी व्यक्ति ने सैनिक सेवा द्वारा हमसे ली थी; और उन मठों (एबी) के बारे में जो हमारी जागीर से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की जागीर में है, लार्ड आफ दि फी ने अपने लिए किसी अधिकार का प्रतिपादन किया है, हम न्याय करने के बारे में उसी प्रकार और उसी रीति से राहत देंगे; और यदि हम यात्रा पर जाते हैं तो वहां से लौटने के पश्चात और यदि हम ऐसी यात्रा पर नहीं जाते हैं तो तुरन्त, परिवादकर्ताओं के लिए, पूर्ण न्याय करेंगे।

54. **स्त्रियों द्वारा अभियोजन**–पति के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में किसी स्त्री की अपील के आधार पर किसी भी व्यक्ति को न तो पकड़ा जाएगा और न उसे बन्दी बनाया जाएगा।

55. **अविधिमान्य निर्णय रद्द**–अन्यायोचित रूप से और देश की विधि के प्रतिकूल अधिरोपित किए गए सभी जुर्माने और शास्तियां पूर्णत: माफ की जाती हैं अथवा उनका अवधरण शान्ति की सुरक्षा के सबंध में नीचे उल्लिखित पच्चीस बैरनों के पूर्वोक स्टीफेन, केन्टरबरी के आर्चबिशप के, यदि वे उपस्थित हो सकते हों और अन्य ऐसे व्यक्तियों के साथ, जिन्हें वह इस प्रयोजन के लिए अपने साथ सहयुक्त करना चाहे, बहुमत से निर्णय किया जाएगा। यदि वह उपस्थित नहीं हो पाता है तो कार्रवाई उसके बिना भी सम्पन्न कर दी जाएगी, परन्तु यदि उक्त पच्चीस बैरनों में से कोई या अधिक उसी प्रकार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें इस विशिष्ट निर्णय से हटा दिया जाएगा और अन्य व्यक्तियों का चयन कर लिया जाएगा तथा उन्हें शपथ दिला दी जाएगी और वे इस प्रयोजन के लिए पच्चीस बैरनों में से शेष के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे।

56. **वेल्शमेन के अधिकार**–यदि हमने किसी वेल्शमेन को इंग्लैण्ड या वेल्स में उनके पियरों से किसी विधिक निर्णय के बिना उनकी भूमि, मताधिकार या अन्य वस्तु से, बेदखल कर दिया है या हटा दिया है तो ऐसी भूमि आदि उसे तुरन्त लौटा दी जाएगी और यदि इस बाबत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो, इंग्लैण्ड की भूधृति के संबंध में इंग्लैण्ड की विधि के अनुसार, वेल्स की भूधृति के संबंध में वेल्स की विधि के अनुसार और बार्डरलैण्ड की भूधृति के संबंध में बार्डरलैण्ड की विधि के अनुसार, उनके पियरों के निर्णयों द्वारा बार्डरलैण्ड में तय किया जाएगा। वेल्श भी हमारे साथ और भूधृति के बारे में इसी प्रकार व्यवहार करेंगे।

57. **यथोक्त**–तथापि यदि हमारे पिता राजा हेनरी या हमारे भाई राजा रिचर्ड ने उन सभी वस्तुओं से किसी वेल्श को उसके पियरों के विधिक निर्णयों के बिना बेदखल कर दिया है या हटा दिया है, जो अब हमारे पास हैं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के पास हैं और हम उस बाबत निर्णय करने के लिए बाध्य हैं तो हमें तब तक रुकना पड़ेगा जब तक कि धर्मयुद्ध समाप्त नहीं हो जाता। किन्तु उक्त वस्तुओं के अन्तर्गत वे वस्तुएं नहीं हैं जिनकी बाबत हमारे द्वारा क्रास ग्रहण किये जाने से पूर्व वाद प्रारंभ हो चुका है या समीक्षण प्रारंभ किया जा चुका है। तथापि ऐसे मामलों में हम अपनी यात्रा से वापस आने के बाद और यदि किसी कारणवश, हम ऐसी यात्रा पर नहीं जाते हैं तो यथास्थिति वेल्श की और पूर्वोक्त भागों की विधियों के अनुसार, तुरन्त उनके साथ, पूर्ण न्याय करेंगे।

58. **यथोक्त**–हम लेवेलिन के पुत्र को और वेल्स के सभी बन्धकों और चार्टरों को, जो हमें शान्ति की सुरक्षा के लिए, मिले थे, तुरन्त लौटा देंगे।

59. **स्काट के राजा अलेक्जेन्डर के अधिकार**–हम स्काट के राजा अलेक्जेन्डर के साथ, उनकी बहिनों और बन्धकों की वापसी के संबंध में, और उनके मताधिकार तथा अधिकारों के संबंध में, इसी रीति से व्यवहार करेंगे जिस रीति से हम इंग्लैण्ड के अन्य बैरनों के प्रति कार्य करते हैं, बशर्ते उन चार्टरों द्वारा जो हमें, स्काट के पूर्व राजा और अलेक्जेन्डर के पिता विलियम से मिले हैं, अन्यथा व्यवहार न होना हो, और इस बाबत अवधारण, हमारे न्यायालय में उसके पियरों के निर्णय से किया जाएगा।

60. **उप अभिधारियों की स्वतंत्रताएं:** ऊपर उल्लिखित सभी सीमाशुल्कों और मताधिकारों का, जो हमने अपने राज्य में स्वीकार किए हैं और जिनका पालन होना है, जहां तक कि उनका सम्बंध हमसे और हमारे व्यक्तियों से है, उनका पालन हम करेंगे तथा जहां तक कि उनका सम्बंध हमारे राज्य के सभी व्यक्तियों तथा पादरियों, से एक प्रजाजन के रूप में, और उनके व्यक्तियों से है, उनका पालन वे करेंगे। हमारे व्यक्तियों के संबंध में पूर्ति हम करेंगे और राज्य के सभी व्यक्ति तथा पादरी और प्रजाजन, जहां तक उनका संबंध उनके व्यक्तियों से है, पूर्ति वे करेंगे।

61. **शान्ति बनाए रखने के लिए पच्चीस बैरनों की एक समिति द्वारा स्वतंत्रताओं का प्रवर्तन**—हम, ईश्वर के लिए और अपने राज्य की भलाई के लिए और हम और हमारे बैरनों के बीच अभी हाल में उत्पन्न हुई शत्रुता को शान्त करने के लिए हमने उक्त सभी रियायतें की हैं, हम चाहते हैं कि वे इनका उपभोग पूर्णत: और दृढ़तापूर्वक सदैव करें, हम उनको नीचे वर्णित सुरक्षा प्रदान करते हैं, अर्थात् वे राज्य के पच्चीस बैरनों का निर्वाचन करेंगे और जिन्हें वे ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करेगें जिनके द्वारा वे उस शान्ति और स्वतंत्रताओं को स्थापित और कायम कर सकेंगे जो हमने उन्हें प्रदान की हैं और अपने इस वर्तमान चार्टर द्वारा पुष्ट की हैं। इसकी रीति यह होगी: यह कि यदि हम या हमारे न्यायाधिकारी, या हमारे बेलिफ या हमारा कोई भी सेवक किसी व्यक्ति के प्रति कोई दोषपूर्ण कार्य करता है या शान्ति और सुरक्षा संबंधी किसी भी अनुच्छेद का अतिक्रमण करता है और ऐसा दोषपूर्ण कार्य पूर्वोक्त पच्चीस बैरनों में से चार को दर्शित कर दिया जाता है और वे चार बैरन हमारे पास या हमारे न्यायाधिकारियों के पास जब हम राज्य के बाहर हो, आते हैं और हमारे समक्ष अतिक्रमण का विषय प्रस्तुत करते हैं और हमसे कहते हैं कि हम उक्त अतिक्रमण को अविलम्ब दूर करवा दें और यदि हम या हमारे न्यायाधिकारी ऐसा अतिक्रमण, उसके हमारे समक्ष या हमारे राज्य से बाहर होने पर, हमारे न्यायाधिकारियों के समक्ष रखे जाने से चालीस दिन के भीतर, दूर नहीं कर देते हैं तो पूर्वोक्त चार बैरन, ऐसा मामला उक्त पच्चीस बैरनों में से शेष बैरनों को निर्देशित कर देंगे और ये पच्चीस बैरन, देश की समस्त जनता की सहानुभूति सहित हमें वे यथाशक्ति सभी प्रकार से क्षति या हानि पहुंचा सकते हैं; अर्थात्, हमारे दुर्ग, भूमि, वस्तुएं आदि अधिग्रहीत करके या अन्यथा, जैसे वे चाहें, हमें तब तक व्यथित करते रहें जब तक कि अतिक्रमण उनके निर्णय के अनुसार दूर नहीं हो जाता। ऐसा करने में वह हमारे और हमारी रानी के शरीर को और हमारे बालकों को कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे और जब अतिक्रमण दूर कर दिया जाता है तब वे हमारे साथ उसी प्रकार हो जाएं जैसे कि वे पहले थे। और इस देश में कोई भी यह शपथ ले सकेगा कि उक्त सभी मामलों में वह उक्त पच्चीस बैरनों के आदेशों का पालन करेगा और यह कि वह हमें, उनके साथ, यथा शक्ति क्षति पहुंचा सकेगा और हम ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र और सार्वजनिक रूप में शपथ लेने देंगे जो ऐसी शपथ लेना चाहेगा; और किसी को भी, कभी भी, शपथ लेने से रोका नहीं जाएगा। देश में वे सभी व्यक्ति जो उनके साथ हमें व्यथित करने और क्षति पहुंचाने की बाबत, पच्चीस बैरनों के समक्ष स्वयं और अपनी इच्छा से शपथ नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें हम यथापूर्वोक्त, अपने आदेश से शपथ दिलाएंगे। और यदि उक्त पच्चीस बैरनों में से किसी की मृत्यु हो जाती है या देश से चला जाता है या वह किसी अन्य रूप में, ऊपर उल्लिखित कार्रवाई करने से निवारित हो जाता है तो पच्चीस में से शेष बचे बैरन, उसके/उनके स्थान पर अपनी इच्छानुसार नए बैरन चुन लेगें और ऐसे नए बैरन उसी प्रकार शपथ लेंगे जैसे कि अन्य लेते हैं। उन सभी मामलों में, जो कार्रवाई की जाने के लिए उक्त पच्चीस बैरनों को सुपुर्द किये जाते हैं, और सभी पच्चीस बैरन उपस्थित हों और उनके बीच किन्हीं मुद्दों पर कोई मतभेद हो जाता है, या यदि समन किए जाने पर उनमें से कोई या कुछ उपस्थित नहीं होना चाहते हैं या उपस्थित होने में असमर्थ हैं तो ऐसे किसी भी विनिश्चय को विधिमान्य और पुष्ट किया गया माना जाएगा जिससे उपस्थित बैरनों में से बहुमत बैरन सहमत होंगे और तत्पश्चात् ऐसे विनिश्चय को सभी पच्चीस बैरनों द्वारा किया गया विनिश्चय माना जाएगा; और उक्त पच्चीस बैरनों को यह शपथ लेनी होगी कि वे उक्त सभी कार्यों का निष्ठापूर्वक निष्पादन करेंगे और अपनी समस्त योग्यता के अनुसार उनका निष्पादन कराएंगे; और हम किसी व्यक्ति से, न तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, कोई चीज स्वीकार करेंगे जिसके कारण ऐसी रियायतें या स्वतंत्रताएं प्रतिसंहृत या कम हो सकती हों; और यदि ऐसी कोई वस्तु प्राप्त की जाती है तो वह अविधिमान और शून्य मानी जाएगी और हम उसका उपयोग न तो स्वयं करेंगे और न किसी अन्य को करने देंगे।

62. **अतिक्रमण के लिए क्षमा** : और यदि हमारे तथा हमारे पादरियों, अन्य व्यक्तियों और सामान्यजन के बीच, विवाद होने के समय से, कोई विद्वेष, वैमनस्य और क्रोध पैदा हो गया है तो हमने उसका पूर्णत: त्याग कर दिया है और उससे सभी को पूर्णत: क्षमा कर दिया है। साथ ही हमने इस विवाद के कारण किए गए सभी अतिक्रमणों के लिए जो हमारे शासन के सोलहवें वर्ष में ईस्टर से लेकर शान्ति स्थापित होने के बीच किए गए हैं सभी पादरियों और सामान्यजन को, पूर्णत: क्षमा कर दिया है और जहां तक कि उनका संबंध हमसे हैं, हमने वे माफ कर दिए हैं। साथ ही हमने उनके लिए लार्ड स्टीफेन, केण्टरबरी के आर्चबिशप, लार्ड हेनरी, आर्चबिशप आफ डबलिन और पूर्वोक्त बिशप और मास्टर पैनडल्फ के शंसापत्र लेटर्सपेटेंट ऊपर नामित सुरक्षा और रियायतों के संबंध में, तैयार करवा दिए हैं।

63. **स्वतंत्रताओं के अनुपालन हेतु शपथ:** और इसी कारण हम दृढ़तापूर्वक आदेश देते हैं कि इंग्लैण्ड का चर्च स्वतंत्र होगा और यह कि हमारे राज्य में सभी व्यक्ति, हमसे और हमारे वारिसों से प्राप्त यथापूर्वोक्त सभी स्वतंत्रताओं, अधिकारों और रियायतों का उपभोग अपने और अपने वारिसों के लिए, भली प्रकार और शान्तिपूर्वक, स्वतंत्र और निर्विघ्न रूप में, पूर्णत: और समग्र रूप में, तथा सभी वस्तुओं के बारे में और सभी स्थानों पर सदैव यथापूर्वत:, कर सकेंगे। हमने और हमारे बैरनों ने, शपथ ली है कि उक्त सभी बातों का अनुपालन सद्भावपूर्वक और सदाशय से किया जाएगा। ऊपर नामित साक्षी और अनेक अन्य लोगों के समक्ष, रनीमीड नामक घास के मैदान में, जो विन्डसर और स्टेनीस के बीच विद्यमान है, हमारे शासन के सत्रहवें वर्ष की, पन्द्रह जून को हमने इस पर अपने हस्ताक्षर किए।

2

अंग्रेजी अधिकार पत्र*

प्रजा के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की घोषणा के लिए, और क्राउन के उत्तराधिकार के व्यवस्थापन के लिए अधिनियम

प्रस्तावना–आध्यात्मिक और ऐहिक लार्ड तथा कामन, वेस्टमिनिस्टर में समवेत होकर, इस राज्य की जनता की सम्पूर्ण सम्पदा का विधित:, पूर्णत: और स्वतंत्र रूप में प्रतिनिधित्व करते हुए, 13 फरवरी, 1688 को अपने महामहिम जिनका नाम और अभिनाम विलियम और मेरी है, और जो आरेंज के राजकुमार और राजकुमारी हैं, व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर, एक लिखित घोषणा, जिसे उक्त ल्ार्डों और कामनों ने तैयार किया है, निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं, अर्थात:-

व्यथाएँ-स्वर्गीय राजा जेम्स द्वितीय ने अपने द्वारा नियोजित विविध दुष्ट परामर्शियों, न्यायाधीशों और मंत्रियों की सहायता से प्रोटेस्टेण्ट धर्म और इस राज्य की विधियों और स्वतंत्रताओं को निम्नलिखित रूप में नष्ट और उन्मूलित करने का प्रयत्न किया था:

1. **विधियों का निलम्बन**–संसद की सहमति के बिना विधियों का त्याग करके और उनके निष्पादन को निलम्बित करने की शक्ति ग्रहण और प्रयोग करके।

2. **बिशपों का अभियोजन**–उक्त ग्रहीत शक्ति से सहमति प्रकट न करने के लिए, विविध धर्माधिकारियों द्वारा विनम्रता से क्षमा की याचिका प्रस्तुत किये जाने पर, उनको अभियोजित करके।

3. **हाई कमीशन न्यायालय**–धार्मिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ कमिश्नर्स नामक न्यायालय स्थापित करने के लिए, ग्रेट सील के अधीन कमीशन जारी करके और निष्पादित करा कर।

4. **परमाधिकार कराधान**–संसद द्वारा अनुज्ञात समय और रीति से भिन्न रूप में, अपने परमाधिकार के बहाने क्राउन के लिए और उसके उपयोग के लिए, धन उद्गृहीत करके।

5. **स्थायी सेना**–संसद की सहमति के बिना, इस राज्य में शान्ति काल में एक स्थायी सेना बना कर और उसे बनाए रख कर तथा विधि के विरुद्ध सैनिकों को आवासित करके।

6. **प्रोटेस्टेण्टों को निरस्त्र करना**–अनेक अच्छे प्रजाजनों को, प्रोटेस्टेण्ट होने के कारण, विधि विरुद्ध रूप में उसी समय निरस्त्र करके जब पोप धर्म समर्थक सशस्त्र और नियोजित थे।

7. **स्वतंत्र निर्वाचन**–संसद में सेवा करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करके।

8. **अवैध अभियोजन**–किंग बैंच न्यायालय में ऐसे विषयों और हेतुकों के लिए, जो केवल संसद में संज्ञेय हैं, अभियोजित करके।

9. **जुरी**–अन्तिम वर्षों में, विचारणों के लिए और विशिष्टत: घोर देशद्रोह के विचारणों के लिए जुरर के रूप में भ्रष्ट, पक्षपाती और ऐसे अनर्हित व्यक्ति चुनकर, जो फ्रीहोल्डर नहीं थे, और उनसे जुरी में सेवायें लेकर।

---

*यह 16 दिसम्बर 1689 को अधिनियमित किया गया। अंग्रेजी अधिकार पत्र द्वारा राजा के अधिकारों पर संसद की सर्वोच्चता प्रतिपादित की गई।

10. **जमानत**–आपराधिक मामलों में सुपुर्द किये गये व्यक्तियों से अत्यधिक जमानत की मांग करके। प्रजा की स्वतंत्रता के लिए बनाई गई विधियों के लाभ से उन्हें वंचित करके।

11. **जुर्माने और दण्ड**–अत्यधिक जुर्माने अधिरोपित करके और अवैध तथा नृशंस दण्ड देकर।

12. **जुर्मानों तथा समापहरणों से अनुदान देना या उसका वचन देना**–व्यक्तियों के विरुद्ध दोषसिद्ध या निर्णय होने से पूर्व ही, उन जुर्मानों और समापहरणों में से, जो ऐसी दोषसिद्धि या निर्णय के पश्चात् ऐसे व्यक्तियों पर अधिरोपित किये जा सकते हों, अनुदान देना और उनके लिए वचन देना।

उक्त सभी कार्य, इस राज्य की सुविदित विधि, कानून और स्वतंत्रता के पूर्णत: और प्रत्यक्षत: प्रतिकूल हैं।

राजसिंहासन रिक्त घोषित–यत: स्वर्गीय किंग जेम्स द्वितीय ने राजसिंहासन छोड़ दिया है और इस प्रकार राजसिंहासन रिक्त हो गया है। आरेंज के महामहिम राजकुमार (जिन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपने प्रसाद से, इस राज्य को रोमन केथोलिकों और मनमानी शक्ति से छुटकारा दिलाने के लिए प्रतापी उपकरण बनाया है) ने आध्यात्मिक और ऐहिक लार्डों को, प्रोटेस्टेन्ट के रूप में, पत्र लिखवाए हैं, और अन्य पत्र विभिन्न काउण्टियों, नगरों, विश्वविद्यालयों, बरों और सिन्क्यु-पत्तनों को लिखवाएं हैं, इन पत्रों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रतिनिधि के रूप में ऐसे व्यक्तियों को चुने, जो संसद में जाने के लिए उपयुक्त हों और जो 22 जनवरी, 1688 को वेस्टमिनिस्टर में समवेत होने और भेजने के योग्य हों, और वे ऐसा कोई स्थापन करें जिससे कि उनका धर्म, विधि और स्वतंत्रताएं पुन: नष्ट न की जा सकें, इन्हीं पत्रों के आधार पर, तदनुसार निर्वाचन किए गए,

प्रजा के अधिकार–और तदुपरि उक्त आध्यात्मिक और ऐहिक लार्ड और कामन, अपने अपने पत्रों और निर्वाचनों के अनुसरण में, इस राष्ट्र के पूर्ण और स्वतंत्र प्रतिनिधि के रूप में अब समवेत होकर, पूर्वोक्त उद्देश्यों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति को अपना गंभीरतम विचारार्थ विषय मानकर, प्रथमत: (जैसा कि उनके पूर्वजों ने ऐसी ही परिस्थितियों में प्राय: किया है), अपने प्राचीन अधिकारों और दायित्वों की रक्षा करते हुए और उन्हें प्रतिपादित करते हुए, घोषित करते हैं कि:

1. **विधियों का निलम्बन**–विधियों को या विधियों के निष्पादन को, विधि प्राधिकारियों द्वारा तथाकथित शक्ति के प्रयोग में, तथा संसद की सहमति के बिना, निलम्बन, अवैध है।

2. **विधियों से अभिमुक्ति**–किसी शाही प्राधिकार से, जिस रूप में वह अभी हाल में ग्रहण और प्रयोग किया गया है, विधि से या उसके निष्पादन से अभिमुक्ति देने की तथाकथित शक्ति, अवैध है।

3. **हाई कमीशन का न्यायालय**–धार्मिक मामलों के लिए पूर्व कोर्ट आफ कमिश्नर्स की स्थापना के लिए कमीशन और इसी प्रकार के अन्य कमीशन और न्यायालय अवैध और घातक हैं।

4. **परमाधिकार कराधान**–संसद की मंजूरी के बिना, परमाधिकार के बहाने क्राउन के लिए या उसके उपयोग के लिए, लम्बे समय तक अथवा ऐसी रीति से धन उद्गृहीत करना, जो न तो मंजूर की गई है और न मंजूर की जा सकती है, अवैध है।

5. **याचिका**–प्रजा को अपने राजा से याचिका करने का अधिकार है, अत: ऐसी याचिका की जाने पर याची की सुपुर्दगी या अभियोजन अवैध है।

6. **स्थायी सेना**–संसद की सहमति के बिना शान्तिकाल में राज्य में कोई स्थायी सेना बनाना और उसे बनाए रखना, विधि विरुद्ध है।

7. **प्रोटेस्टेण्ट आयुध रख सकते हैं**–प्रजाजन जो प्रोटेस्टेण्ट हैं, अपनी स्थिति के अनुसार और विधि अनुसार अपनी प्रतिरक्षा के लिए, आयुध रख सकते है।

8. **स्वतंत्र निर्वाचन**–संसद के सदस्यों का निर्वाचन स्वतंत्र रूप में ही किया जाना चाहिए।

9. **संसद में स्वतंत्र भाषण**–संसद में भाषण देने और विचार-विमर्श करने या कार्यवाही करने की स्वतंत्रता को, किसी न्यायालय में या स्थान पर, जो संसद से बाहर हो, प्रश्नगत या अधिक्षिप्त नहीं किया जाना चाहिए।

10. **जमानत, जुर्माने और दण्ड**–न तो अत्यधिक जमानत की अपेक्षा की जानी चाहिए, न अत्यधिक जुर्माने अधिरोपित किये जाने चाहिए और न ही अप्रायिक दण्ड दिये जाने चाहिए।

11. **जुरी**—जुररों की सम्यकत: सूची बनाई जानी चाहिए और निर्वाचित किये जाने चाहिए और जिन जुररों को घोर देशद्रोह के विचारण में निर्णय देना हो वे पूर्ण स्वामी (फ्रीहोल्डर) होने चाहिए।

12. **जुर्माने और समपहरण**—किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी दोषसिद्धि या निर्णय के पश्चात् अधिरोपणीय जुर्माने या समपहरण में से, अनुदान देना या देने का वचन देना, अवैध है।

13. **बार-बार संसद का आयोजन**—सभी व्यथाओं के प्रतितोष के लिए, और विधियों के संशोधन, शक्ति बढ़ाने और अनुरक्षण के लिए संसद का बार-बार आयोजन किया जाए।

वे उक्त समस्त और प्रत्येक लिखत के आधार पर हों, अपने सुनिश्चित अधिकारों और स्वतंत्रताओं का दावा करते हैं और उन पर जोर देते हैं, और यह कि यदि उक्त लिखतों में कोई घोषणाएं, निर्णय, कार्य या कार्यवाहियां ऐसी हैं जो किसी भी व्यक्ति के प्रतिकूल हैं, तो भविष्य में वे किसी भी रूप में कार्यान्वित नहीं की जाएंगी।

वे अपने अधिकारों की मांग के लिए, आरेंज के महामहिम राजकुमार की घोषणा से विशिष्टत: उत्साहित हुए हैं क्योंकि यह घोषणा ही एकमात्र ऐसा साधन है, जिसके आधार पर वे प्रतितोष और उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

विलियम और मेरी राजा और रानी घोषित

अत: पूर्ण विश्वास है कि आरेंज के उक्त महामहिम राजकुमार, अब तक अपने द्वारा किये गये उद्धार की सम्पूर्ति करेंगे और हमारे उन अधिकारों के उल्लंघन से हमारा संरक्षण करेंगे जिनका उल्लेख उन्होंने ऊपर किया है और हमारे धर्म, अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर अन्य प्रकार से किये जाने वाले प्रहारों से भी हमारी रक्षा करेंगे।

II. विलियम को प्रदान की गई राजसी शक्तियां—उक्त आध्यात्मिक और ऐहिक लार्ड तथा कामन, वेस्टमिनस्टर में समवेत होकर यह संकल्प करते हैं कि आरेंज के कुमार विलियम और राजकुमारी मेरी, इंग्लैण्ड, फ्रांस और आयरलैण्ड और उनकी डोमीनियनों के राजा और रानी होंगे और घोषित किए जाएंगे। उक्त राजकुमार और राजकुमारी उक्त राज्यों और उक्त डोमीनियनों के क्राउन और शाही गरिमा आजीवन अक्षुण्य रखेंगे और तत्पश्चात् उनमें से उत्तरजीवी भी ऐसा ही करेंगे और यह कि आरेंज के उक्त राजकुमार ही, उक्त राजकुमार और राजकुमारी के नाम में उनके संयुक्त जीवन के दौरान, विधिक शक्ति का पूर्णत: धारण और निष्पादन करेंगे, तथा उनकी मृत्यु के पश्चात्, उक्त राज्य और डोमीनियनों के उक्त क्राउन, और शाही गरिमा का संरक्षण, उक्त राजकुमारी के वारिस करेंगे। यदि ऐसी राजकुमारी की कोई सन्तान नहीं होती है तो डेनमार्क की राजकुमारी एन और उसके वारिस ऐसा संरक्षण करेंगे तथा ऐसी सन्तानों के अभाव में आरेंज के उक्त राजकुमार के वारिस ऐसा संरक्षण करेंगे और आध्यात्मिक तथा ऐहिसक लार्ड और कामन, उक्त राजकुमार और राजकुमारी से उक्त भार ग्रहण करने की प्रार्थना करते हैं।

III. राजनिष्ठा और सर्वोच्चता की शपथ—और यह कि इसमें आगे उल्लिखित शपथें वे सभी व्यक्ति लेंगे जिनसे राजनिष्ठा और सर्वोच्चता की शपथ लेने की अपेक्षा विधि द्वारा, न कि उनके द्वारा, की जाएगी; और यह कि राजनिष्ठा और सर्वोच्चता की उक्त पूर्व शपथें निराकृत हो जाएंगी।

मैं क.ख. शुद्ध हृदय से वचन देता हूँ और शपथ लेता हूँ कि मैं अपने महामहिम राजा विलियम और रानी मेरी के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा:

अत: ईश्वर मेरी सहायता करे।

मैं क.ख. शपथ लेता हूं कि मैं उस निन्द्य सिद्धान्त और दृष्टिकोण को अपवित्र एवं अनधिकृत मानकर हृदय से उससे घृणा करता हूं, उससे जुगुप्सा करता हूँ और उसका त्याग करता हूँ, यह कि पोप द्वारा या सी ऑफ रोम के किसी प्राधिकारी द्वारा जिस राजकुमार को बहिष्कृत और वंचित किया गया है, उसे उनकी प्रजा द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपदस्थ कर दिया जाए या मार डाला जाए। और मैं घोषित करता हूं कि किसी भी विदेशी राजकुमार, व्यक्ति, धर्माधिकारी, शासन, या अधिपति को, इस राज्य की परिधि में कोई अधिकारिता, शक्ति, वरिष्ठता, उत्कृष्टता या प्राधिकार, आध्यात्मिक या ऐहिक, न तो प्राप्त हैं और न होगा:

अत: ईश्वर मेरी सहायता करे।

IV. क्राउन का प्रतिग्रहण—तदुपरि उनके उक्त महामहिम, इंग्लैण्ड, फ्रांस और आयरलैण्ड राज्य तथा उसकी डोमीनियनों का क्राउन और शाही गरिमा उक्त घोषणा में समाविष्ट उक्त लार्डों और कामनों के संकल्प और इच्छा के अनुसार, प्रतिग्रहण करते हैं।

V. संसद बैठकें करती रहेगी—और तदुपरि उनके महामहिम के प्रसाद से उक्त आध्यात्मिक और ऐहिक लार्ड तथा कामन, जो संसद के दो सदन हैं, निरन्तर बैठकें करते रहेंगे और उक्त महामहिम की शाही सहमति से, इस राज्य के धर्म, विधियों और स्वतंत्रताओं के

व्यवस्थापन के लिए प्रभावी उपाय करेंगे, जिससे कि भविष्य में उनके नष्ट किए जाने का कोई खतरा न रहे। इसके लिए उक्त आध्यात्मिक और ऐहिक लार्ड तथा कामन सहमत हैं और तदनुसार कार्य करने के लिए तैयार हैं।

VI. स्वतंत्रताओं की पुष्टि—अत: उक्त विलेखों के अनुसरण में, उक्त आध्यात्मिक और ऐहिक लार्ड तथा कामन, संसद के प्राधिकार से सम्यक रूप में बनाई गई विधि के बल पर, उक्त घोषणा और उसमें समाविष्ट अनुच्छेदों, खण्डों, विषयों और बातों के अनुसमर्थन, पुष्टि और स्थापन के लिए संसद के रूप में समवेत हुए हैं और प्रार्थना करते हैं कि यह घोषित और अधिनियमित किया जाए कि, उक्त घोषणा में प्रतिपादित और दावाकृत सभी और प्रत्येक अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं, इस राज्य की जनता के सच्चे, प्राचीन और सुनिश्चित अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं और उसी रूप में उनका आदर किया जाना चाहिए, वे अनुज्ञात की जानी चाहिए, अधिनिर्णीत की जानी चाहिए, समझी जानी चाहिए और मानी जानी चाहिए और यह कि पूर्वोक्त सभी और प्रत्येक विशिष्ट, उक्त घोषणा में अभिव्यक्त रूप में, धारण की जाएगी और उसका पालन किया जाएगा; और सभी अधिकारी और मंत्री, चाहे वे जो भी हों, अपने महामहिम और उनके उत्तराधिकारियों की, तदनुसार भविष्य में सदैव सेवा करेंगे।

VII. विलियम और मेरी को प्रभुतासम्पन्न स्वामी लार्ड और लेडी घोषित किया जाता है—और उक्त आध्यात्मिक और ऐहिक लार्ड तथा कामन गंभीर रूप से यह विचार करते हैं कि कैसे सर्वशक्तिमान ईश्वर ने, अपनी आश्चर्यजनक दूरदर्शिता से और इस राष्ट्र पर अपनी दयापूर्ण साधुता से, अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक, उक्त महामहिम के राजसी व्यक्तियों के लिए व्यवस्था की और उनका संरक्षण किया, जिससे कि वे, अपने पूर्वजों के राज सिंहासन पर आसीन होकर हम पर शासन कर सकें। इसके लिए वे उस सर्वशक्तिमान की हृदय से सराहना करते हैं और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तथा सच्चे, पुष्ट और दृढ़मन और हार्दिक सद्भाव से एतद्द्वारा मानते हैं, अभिस्वीकार करते हैं और घोषणा करते हैं कि चूंकि राजा जेम्स द्वितीय ने सिंहासन त्याग दिया है और उक्त महामहिम ने, पूर्वोक्त क्राउन और शाही गरिमा अभिस्वीकार कर ली है, अत: उक्त महामहिम इस राज्य की विधियों द्वारा, हमारे प्रभुतासम्पन्न स्वामी लार्ड और लेडी, इंग्लैण्ड, फ्रांस और आयरलैण्ड तथा उसकी डोमीनियनों के राजा और रानी हो गए हैं, थे और साधिकार रहेंगे और उनके राजसी व्यक्तित्व में उक्त राज्य का राजसी शासन, क्राउन और गरिमा, समस्त सम्मान, विशिष्टता, हक राजत्व, विशेषाधिकार, शक्ति अधिकारिताओं और प्राधिकारों सहित, पूर्णत: साधिकार और समग्र रूप से निहित, निगमित, संगठित और उपाबद्ध रहेगी।

VIII. सिंहासन का उत्तराधिकार—और इस राज्य में उत्पन्न होने वाली ऐसी सभी आपत्तियों और विभाजनों को रोकने के लिए, जो क्राउन के तथाकथित हकों के आधार पर उत्पन्न हों, और राज्य के उत्तराधिकार की निश्चितता अक्षुण्ण रखने के लिए, जिस पर इस राष्ट्र की अखण्डता, शान्ति, प्रशान्ति और सुरक्षा, ईश्वर की इच्छा से पूर्णत: आश्रित और समाविष्ट है, उक्त आध्यात्मिक और ऐहिक लार्ड और कामन, अपने महामहिम से विनय करते हैं कि वे यह अधिनियमित, स्थापित और घोषित करें कि उक्त राज्य और डोमीनियनों का क्राउन और शाही शासन तत्संबंधी सभी और प्रत्येक लिखत सहित उक्त महामहिम के होंगे और बने रहेंगे और उनके उत्तरजीवियों में, उनके जीवनकाल के दौरान, और उनके उत्तरजीवी के जीवन काल के दौरान, उसमें निहित रहेंगे और यह कि शाही शक्ति और शासन का प्रयोग और निष्पादन पूर्ण और सम्पूर्ण रूप से महामहिम द्वारा, दोनों ही महामहिमों के नाम से और उनके जीवन काल के दौरान किया जाएगा, और उनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त क्राउन और लिखतें महामहिम रानी के वारिस में निहित होगी और बनी रहेगी और ऐसी सन्तान के अभाव में डेनमार्क की महामहिम राजकुमारी एन में और उनके वारिसों में निहित हो जाएंगी और ऐसी सन्तानों के अभाव में, उक्त महामहिम के वारिसों में निहित हो जाएंगी और तत्पश्चात् उक्त आध्यात्मिक और ऐहिक लार्ड और कामन, पूर्वोक्त सभी व्यक्तियों के नाम में स्वयं को, अपने वारिसों को और सन्तति को सदैव, के लिए अति विनम्रतापूर्वक और सद्भाव से उनकी आधीनता स्वीकार करते हैं और सद्भावपूर्वक वचन देते हैं कि वे अपने उक्त महामहिमों की और इसमें विनिर्दिष्ट और उल्लिखित क्राउन की परिसीमा और उत्तराधिकार की प्रतिरक्षा और संरक्षा अपनी अधिकतम शक्ति के अनुसार और अपने जीवन और सम्पदा के साथ, ऐसे सभी व्यक्तियों के विरुद्ध, चाहे वे जो भी हों, करेंगे जो उनके विरुद्ध कोई कार्य करने का प्रयत्न करेंगे।

IX. केथोलिक और केथोलिकों से विवाह करने वाले के लिए राज सिंहासन की विरासत वर्जित—और चूंकि अनुभव से यह पता चला है कि इस प्रोटेस्टेण्ट राज्य की सुरक्षा और कल्याण के लिए यह हितकर नहीं है कि इसका शासन किसी पोप समर्थक राजकुमार के अथवा ऐसे राजा या रानी के हाथ में हो जिसने पोप समर्थक से विवाह किया हो, उक्त आध्यात्मिक और ऐहिक लार्ड और कामन यह भी प्रार्थना करते हैं कि यह अधिनियमित किया जाए कि ऐसे सभी और प्रत्येक व्यक्ति और व्यक्तियों का, जो रोम के सी या चर्च आफ रोम से मेलमिलाप अथवा भाईचारा रखते हैं या रखेंगे, अथवा पोप धर्म का प्रचार करेंगे अथवा किसी पोप समर्थक से विवाह करेंगे, अपवर्जन कर दिया जाए और वे इस राज्य और आयरलैण्ड और उसकी डोमीनियनों या उसके किसी भाग के क्राउन और शासन के वारिस नहीं हो सकेंगे अथवा उन्हें उस राज्य के भीतर कोई राजसी शक्ति, प्राधिकार या अधिकारिता न तो प्राप्त होगी और न वे उसका प्रयोग कर सकेंगे; और ऐसे प्रत्येक और सभी मामलों में इस राज्य के ऐसे व्यक्ति उनकी राजनिष्ठा से एतद् द्वारा मुक्त हैं और मुक्त रहेंगे; और

उक्त क्राउन तथा शासन, समय समय पर, ऐसे प्रोटेस्टेण्ट व्यक्ति या व्यक्तियों को उत्तराधिकार में प्राप्त होगा और वे उसका उपभोग कर सकेंगे, जिन्होंने उसे विरासत में पाया होता और उसका उपभोग किया होता यदि ऐसे व्यक्ति जिनका उक्त रूप में मेलमिलाप हुआ था, भाईचारा था या जो प्रचार करते थे या विवाह किया था, प्राकृतिक रूप में मर गए होते।

X. राजा और रानी को परीक्षण शपथ लेनी होगी—और यह कि इस राज्य का प्रत्येक राजा और रानी, जो इस राज्य के इम्पीरियल क्राउन का उत्तराधिकारी होता है, अपने क्राउन बनने के ठीक पश्चात् प्रथम संसद के अधिवेशन के प्रथम दिन, पीयर सदन में राजसिंहासन पर बैठकर, वहां समवेत लार्डों और कामनों की उपस्थिति में या अपने राज्यारोहण के समय, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष, जो उनके राज्यारोहण के समय शपथ दिलाएंगे, उक्त शपथ (प्रथमवार) लेते समय, राजा चार्ल्स द्वितीय के शासन के तेरहवें वर्ष में बनाए गए कानून-''संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में बैठने से पोप समर्थकों को असमर्थ बनाकर, राजा के व्यक्तित्व और सरकार के अधिक प्रभावी रूप में अनुरक्षण के लिए अधिनियम''-में उल्लिखित घोषणा करेगा, उस पर हस्ताक्षर करेगा और उसे श्रव्य रूप में जोर से दोहराएगा। किन्तु यदि, इस राज्य के क्राउन का उत्तराधिकारी बनने वाला राजा या रानी, बारह वर्ष से कम आयु का (की) है तो ऐसा प्रत्येक राजा और रानी अपने राज्यारोहण के समय या यथा पूर्वोक्त प्रथम संसद के अधिवेशन के प्रथम दिन को जो भी ऐसे राजा या रानी द्वारा बारह वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पहले घटित हो उसको, उक्त घोषणा करेगा (गी), उस पर हस्ताक्षर करेगा (गी), और उसे श्रव्य रूप में जोर से दोहराएगी।

XI. पूर्वगामी उपबंध राज्य के शाश्वत विधि होंगे—वह सब कुछ, जिससे महामहिम सन्तुष्ट और प्रसन्न हों, इस वर्तमान संसद के प्राधिकार से घोषित, अधिनियमित और स्थापित किया जाएगा और वह इस राज्य की सदैव के लिए विधि होगी और बनी रहेगी, और वही उक्त महामहिमों द्वारा आध्यात्मिक और ऐहिक लार्डों तथा कामनों द्वारा और उनकी सलाह और सहमति से समवेत संसद में, और उसी के प्राधिकार से, तदनुसार घोषित, अधिनियमित और स्थापित होगी।

XII. अभिमुक्ति की शक्ति वर्तमान सत्र के दौरान तय की जाएगी—और उक्त प्राधिकार से यह भी घोषित और अधिनियमित किया जाएगा कि, संसद के इस वर्तमान सत्र के पश्चात्, किसी भी प्रकार की सर्वोपरिता के कारण किसी कानून या उसके किसी भाग से अभिमुक्ति नहीं मिलेगी और ऐसी सर्वोपरिता तब तक शून्य और प्रभावहीन समझी जाएगी, जब तक कि ऐसे कानून में ही ऐसी अभिमुक्ति का उपबंध न किया गया हो अथवा संसद के इस वर्तमान सत्र के दौरान पारित किसी विधेयक या विधेयकों द्वारा ऐसे मामलों के लिए विशिष्टत: उपबंध न किया जाए।

XIII. 23 अक्तूबर 1689 से पूर्व के चार्टरों इत्यादि की वैधता—परन्तु यह कि 23 अक्तूबर, 1689 से पूर्व का कोई चार्टर या क्षमादान या मंजूरी, इस अधिनियम द्वारा किसी भी रूप में, अधिक्षिप्त या अविधिमान्य नहीं की जाएगी किन्तु विधि की दृष्टि से उसका वही बल और प्रभाव होगा और बना रहेगा, मानों ये अधिनियम कभी बना ही न हो।

3

अमरीकी स्वतंत्रता घोषणा*

घोषणा का राजनीतिक सिद्धान्त—जब मानव घटनाक्रम के दौरान किन्हीं लोगों के लिए उन राजनीतिक बन्धनों को जिन्होंने उन्हें अन्य व्यक्तियों से संबद्ध रखा है, समाप्त करना तथा सांसारिक शक्तियों में से उस पृथक और समान स्थिति को ग्रहण करना आवश्यक हो जाता है जिसके लिए प्रकृति की और उसके ईश्वर की विधियां उन्हें हकदार बनाती हैं तब मानवजाति के अभिमतों का शालीन आदर अपेक्षित करता है कि वे उन कारणों को घोषित करें जो उन्हें पृथक होने के लिए प्रेरित करते हैं।

जार्ज तृतीय के विरुद्ध शिकायतें—हम इन सच्चाइयों को स्वयंसिद्ध मानते हैं कि सभी लोग समान सृजित हुए हैं, कि उनके स्रष्टा ने उन्हें कतिपय अभेद्य अधिकार प्रदान किए हैं, इनमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख-शांति की खोज के अधिकार भी हैं, कि इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए लोगों के बीच सरकारें स्थापित की जाती हैं जो अपनी उचित शक्तियां शासितों की सम्मति से प्राप्त करती हैं, कि जब सरकार का कोई स्वरूप इन उद्देश्यों का विनाशकारी बन जाता है तब लोगों को उसे परिवर्तित करने या उसका उन्मूलन करने का तथा ऐसे सिद्धान्तों पर उसकी आधारशिला रखते हुए एक नई सरकार स्थापित करने और उसकी शक्तियों को उस रूप में संगठित करने का जो उन्हें उनकी सुरक्षा और सुख-शांति को प्रभावी बनाने के लिए अधिकतम संभाव्य प्रतीत होता है, का अधिकार होता है। निस्संदेह, समझदारी की मांग है कि लम्बे समय से स्थापित सरकारों को हल्के-फुल्के और अस्थायी कारणों से बदला नहीं जाना चाहिए तथा सभी अनुभवों ने यह दर्शित कर दिया है कि मानव जाति उन स्वरूपों का, जिसकी वह आदी है, उन्मूलन करके अपना भला करने की बजाए दुःख अधिक भोगती है। किन्तु जब लगातार लम्बे समय तक अनिवार्य रूप से समान उद्देश्य से दुर्व्यवहार और अनाधिकार ग्रहण द्वारा लोगों को दबा कर उन्हें पूरी तानाशाही के अधीन ले आने का षडयंत्र प्रकट होता है तब लोगों का यह अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य है कि वे ऐसी सरकार को उखाड़ फेंके और अपनी भावी सुरक्षा के लिए नए पहरेदारों की व्यवस्था करें। इन उपनिवेशों को सब्र के साथ यही भोगना पड़ा है तथा अब आवश्यकता भी ऐसी है जो उन्हें अपने पूर्ववर्ती शासनतंत्रों को बदल देने के लिए बाध्य करती है। ग्रेट ब्रिटेन के वर्तमान राजा का इतिहास बारबार पहुंचाई गई क्षतियों और अनाधिकार ग्रहणों का इतिहास है जिनका सीधा उद्देश्य इन राज्यों के ऊपर पूर्ण निरंकुशता स्थापित करना रहा है। इसको साबित करने के लिए निष्पक्ष संसार के समक्ष तथ्यों को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप—उसने लोक कल्याण के लिए अत्यंत हितकर और आवश्यक विधियों को अपनी अनुमति प्रदान करने से इंकार किया है।

उसने अपने राज्यपालों को तात्कालिक और अत्यावश्यक महत्व वाली विधियों को उस समय तब जब तक कि उनका प्रवर्तन उसकी अनुमति प्राप्त होने तक निलम्बित कर दिया गया है पारित करने से रोक दिया है तथा विधियों के इस प्रकार निलम्बित कर दिये जाने पर उसने उन पर कतई ध्यान नहीं दिया।

उसने लोगों के बड़े क्षेत्रों की सहायता के लिए अन्य विधियों को तब तक पारित करने से इंकार कर दिया है जब तक कि वे लोग विधान मण्डल में प्रतिनिधित्व के अपने अधिकार का त्याग नहीं कर देते हैं। यह एक ऐसा अधिकार है जो उन लोगों के लिए अमूल्य है और केवल निरंकुश शासकों के लिए एक विकट चीज है। उसने विधायी निकायों की बैठकें, अप्रायिक, असुविधाकारी और उनके लोक अभिलेखागारों से दूरस्थ स्थानों पर, उनको थकाकर अपनी कार्यवाहियों का अनुपालन करवाने के एकमात्र प्रयोजन से बुलाई है।

*संयुक्त राज्य अमरीका के तेरह राज्यों ने 4 जुलाई 1776 को सर्वसम्मति से स्वतंत्रता की घोषणा करके ब्रिटिश सम्राट के प्रति सभी राज्यनिष्ठा से स्वयं को मुक्त कर लिया था।

उसने प्रतिनिधि सभाओं को, लोगों के अधिकारों के उसके द्वारा अतिक्रमण का अत्यन्त दृढ़तापूर्वक विरोध करने के कारण बार-बार विघटित किया है।

ऐसे विघटनों के पश्चात् उसने लम्बे समय तक अन्यों को निर्वाचित कराने से इंकार किया है जिससे विधायी शक्तियां, जो समाप्त नहीं की जा सकती हैं, सर्वसाधारण को उनका प्रयोग करने के लिए वापस मिल गई तथा इस बीच राज्य बाहरी आक्रमणों और आन्तरिक विप्लवों के सभी संकटों के लिए खुला रहा।

उत्प्रवास–उसने इन राज्यों की जनसंख्या को बढ़ने से रोकने का प्रयास किया है। उस प्रयोजन के लिए उसने विदेशियों के देशीयकरण की विधियों में बाधा डाली, अन्य लोगों को यहां प्रवास करने की अनुमति देने से इंकार किया और नई भूमियों को अपनी बना लेने की परिस्थितियां उत्पन्न की।

न्याय प्रशासन, न्यायाधीशों की निर्भरता–उसने न्यायपालिका की शक्तियों को स्थापित करने वाली विधियों को अपनी अनुमति प्रदान करने से इंकार करके न्याय प्रशासन में बाधा डाली है।

उसने न्यायाधीशों को उनकी पदावधि तथा उनके वेतनों की रकम और उसके संदाय के लिए मात्र अपनी इच्छा पर निर्भर बनाया।

नए कार्यालय–उसने बहुत अधिक संख्या में नए कार्यालय निर्मित किए जहां उसने लोगों को तंग करने और उनकी धन सम्पत्ति को लूटने के लिए अधिकारियों के झुंड भेजे।

स्थायी सेनाएं–उसने विधानमण्डल की अनुमति के बिना, शांति काल में हमारे बीच स्थायी सेनाएं रखी हैं।

सैनिक प्राधिकार–उसने सैन्य बलों को सिविल शक्ति से स्वतंत्र और उससे उच्चतर स्तर पर रखा है।

विदेशी अधिकारिता–उसने हमें ऐसी अधिकारिता के अधीन रखने के लिए जो हमारे संविधान से बाह्य और हमारी विधियों द्वारा अस्वीकृत हैं अन्यों के साथ गठजोड़ किया है। यह उसने उनके निम्नलिखित के लिए अपदेशी विधायन कार्यों को अनुमति प्रदान करके किया:

सैन्य दलों को ठहराना–बड़े सैन्य दलों को हमारे बीच ठहराने के लिए, इन राज्यों के निवासियों की उनके द्वारा की गई हत्याओं के लिए, यदि कोई की गई हों, दण्ड से उनकी, बनावटी विचारणों द्वारा, संरक्षा करने के लिए;

व्यापार और कर–विश्व के सभी भागों के साथ हमारे व्यापार को काटने के लिए, हमारी सम्मति के बिना हम पर कर अधिरोपित करने के लिए;

विचारण–अनेक मामलों में हमें जूरी द्वारा विचारण के फायदों से वंचित करने के लिए, तथाकथित अपराधों के लिए विचारण के हेतु हमें समुद्र पार के स्थानों पर भेजने के लिए;

विधियों का समापन–एक पड़ोसी प्रांत में एक मनमानी सरकार स्थापित करके और उसकी सीमाओं का विस्तार करके, इंगलैंड की विधियों की मुक्त प्रणाली को समाप्त करने के लिए, जिससे कि वह, इन उपनिवेशों में उसी प्रकार का निरंकुश शासन स्थापित करने के लिए एक उदाहरण और अच्छा साधन बन सके;

चार्टरों का समापन–हमारे चार्टरों को छीनने, हमारी अत्यंत मूल्यवान विधियों को समाप्त करने और हमारी सरकारों के स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन करने के लिए;

विधान मंडलों का निलम्बन–हमारे अपने विधान मंडलों को निलम्बित करने और स्वयं को हमारे लिए सभी प्रकार के मामलों में विधान बनाने की शक्ति से विनिहित घोषित करने के लिए;

युद्ध करना–उसने हमें अपने संरक्षण से बाहर घोषित करके और हमारे विरुद्ध युद्ध छेड़ कर यहां अपने शासन का त्याग कर दिया है।

जनता विरोधी कार्य–उसने हमारे समुद्रों को लूटा है, हमारे तटों को बरबाद किया, हमारे नगरों को जलाया और हमारी जनता के जीवन को नष्ट किया है।

भाड़े के सैनिक–वह मृत्यु, विध्वंस और निरंकुशता के उन कार्यों को जो ऐसी निरंकुशता और विश्वासघात की परिस्थितियों में पहले ही आरंभ हो चुके हैं, और जिनकी मिसाल अधिकतम बर्बर युगों में भी दुर्लभ है और जो किसी भी सभ्य राष्ट्र के शासक के योग्य नहीं है, पूरा करने के लिए समय-समय पर भाड़े के बड़े सैन्य दलों को लाता रहा है।

नाविकों की बलात भर्ती–उसने हमारे उन साथी नागरिकों को जो खुले सागर में बन्दी बनाए गए थे, अपने ही देश के विरुद्ध शस्त्र धारण करने, अपने मित्रों और भाई बन्धुओं के हत्यारे बनने या उसके हाथों मारे जाने के लिए बाध्य किया है।

आन्तरिक विप्लव–उसने हमारे बीच आन्तरिक विप्लव भड़काए हैं और हमारे सीमांत के निवासी उन आदिवासी बर्बरों को ले आने का प्रयास किया है जो सभी आयु, लिंग और परिस्थिति वाले व्यक्तियों के सामान्य विनाश के लिए अपने युद्ध के नियम के लिए जाने जाते हैं।

याचिकाएं–दमन के इन सभी प्रक्रमों पर अत्यंत विनम्रता के साथ हमने प्रतितोष के लिए याचिका की है। हमारी बार-बार की याचिकाओं का उत्तर बार-बार क्षति द्वारा ही किया गया है। एक ऐसा राजा जिसका प्रत्येक कार्य एक निरंकुश शासक जैसा है, स्वतंत्र जनता का शासक होने के अयोग्य है।

हमने अपने ब्रिटिश भाई-बन्धुओं की उपेक्षा नहीं की है। हमने उन्हें समय-समय पर, उनके विधान मण्डल द्वारा हमारे ऊपर अनुचित अधिकारिता का विस्तार करने के प्रयासों की चेतावनी दी है। हमने उन्हें उन परिस्थितियों की याद दिलाई है जिनमें हमने उत्प्रवास किया और यहां आ बसे थे। हमने उनके देशज न्याय और उनकी उदारता का अनुरोध किया है और हमने अपने समान संबंधों के बंधन के हवाले से उनसे निवेदन किया है कि वे इन अनधिकार-ग्रहणों को अस्वीकार कर दें जिनसे हमारे संबंध और सादृश्य अपरिहार्य रूप से बाधित होंगे। उन्होंने भी न्याय और समरक्तता की आवाज की अनसुनी कर दी है। अत: हमें उस आवश्यकता के लिए अपनी मौन-सम्मत्ति देनी ही होगी जो हमारे पृथक्करण का प्रत्याख्यान करती है तथा उन्हें वैसे ही युद्ध में शत्रु और शांतिकाल में मित्र मानना होगा जैसे हम अन्य लोगों को मानते हैं।

स्वतंत्रता की घोषणा–अत: हम, संयुक्त राज्य अमरीका के प्रतिनिधि, जो समान्य कांग्रेस के रूप में एकत्र हुए हैं, परमपिता परमेश्वर से यह अपील करते हुए कि वह हमारे आशयों को उचित ठहराए, इन उपनिवेशों के भले लोगों के नाम में और उनके प्राधिकार से सत्यनिष्ठा रूप से यह प्रकाशित और घोषित करते हैं कि ये संयुक्त उपनिवेश मुक्त और स्वतंत्र राज्य हैं और उन्हें इसका अधिकार है, कि वे ब्रिटिश सम्राट के प्रति सभी निष्ठा से मुक्त हैं और यह कि उनके और ग्रेट ब्रिटेन के बीच सभी राजनीतिक संबंध पूर्णत: समाप्त हो गया है और हो जाना चाहिए, और यह कि मुक्त और स्वतंत्र राज्यों के रूप में उन्हें युद्ध घोषित करने, शांति सन्धि करने, संबंध स्थापित करने, वाणिज्य करने तथा अन्य ऐसे सभी कार्य और बातें करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है जो स्वतंत्र राज्य अपने अधिकार से कर सकते हैं। इस घोषणा के समर्थन के लिए, परमपिता परमेश्वर की संरक्षा का दृढ़ भरोसा रखते हुए, हम एक दूसरे के लिए अपने जीवन; अपनी धन-सम्पत्ति और अपनी पवित्र प्रतिष्ठा परस्पर बन्धक रखते हैं।

–जॉन हेनकाक

हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम

न्यू हेम्पशायर	–	जोशिया बार्टलेट, विलियम व्हिपिल, मैथ्यू थार्नटन
मैसाच्यूसेट्स बे	–	सैमुअल ऐडम्स, जान ऐडम्स राबर्ट ट्रीट पेन, एलब्रिज गैरी
रोडद्वीप आदि	–	स्टीफेन मापकिन्स, विलियम इलैरी
कॉनेक्टीकट	–	रोजर शर्मन, सेमुअल हन्टिगटन, विलियम विलियम्स, आलिवर वालकट
न्यूयार्क	–	विलियम फ्लाएड, फिलिप लिविंगस्टन, फ्रांसिस लेविस, लेविस मारिस
न्यूजर्सी	–	रिचर्ज स्टाकटन, जान विदरस्पन, फ्रांसिस हापकिनसन, जान हार्ट, अब्राहम क्लार्क
पेन्सिलवानिया	–	राबर्ट मारिस, बेंजामिन रश, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जान मार्टन, जार्ज क्लाइमर, जेम्स स्मिथ, जार्ज टेलर, जेम्स विल्सन, जार्ज रॉश
डेलावेयर	–	सीज़र राडने, जार्ज रीड, थामस मैकीन
मेरी लैण्ड	–	सैमुअल चेज, विलियम पाका, थामस स्टोन, चार्ल्स करोल आफ करोलटन
वर्जीनिया	–	जार्ज वाइथ, रिचर्ड हेनरी ली, थामस जेफरसन बेंजामिन हेरीसन थामस नेलसन जुनियर, फ्रांसिस लाइटफुट ली, कर्टर ब्रैक्सटन
नार्थ करोलीना	–	विलियम हूपर, जोसेफ हेविस, जान पेन
साउथ करोलीना	–	एडवर्ड रटलेज, थामस हेवर्ड जूनियर, थामस लिंच जुनियर, आर्थर मिडिलटन
जार्जिया	–	बटन ग्विननेट, लाइमैन हाल, जार्ज वाल्टन।

4

फ्रांस की मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा*

फ्रांसीसी जनता के प्रतिनिधियों ने एक नेशनल असेम्बली के रूप में संगठित होकर और यह विश्वास करके कि व्यक्ति के अधिकारों की अनभिज्ञता, उपेक्षा या अवमानना लोक विपत्तियों का और सरकारों के भ्रष्टाचार का एकमात्र कारण है, एक सत्यनिष्ठ घोषणा में व्यक्ति के नैसर्गिक, अभेद्य और पवित्र अधिकारों का उपवर्णन करने का विनिश्चय किया है जिससे कि समाज के सभी सदस्यों के समक्ष निरन्तर इस घोषणा के रहने के कारण वह उन्हें उनके अधिकारों और कर्तव्यों का स्मरण कराती रहेगी, जिससे कि विधायी शक्ति और कार्यपालिका शक्ति के कार्यों की किसी भी समय, सभी राजनीतिक संस्थाओं के उद्देश्यों और प्रयोजनों से तुलना की जा सके और इस प्रकार उनका अधिक आदर हो सके तथा अन्ततः, जिससे कि एतद्पश्चात् सरल और निर्विवाद सिद्धांतों पर आधारित नागरिकों की शिकायतें संविधान को बनाए रखने की प्रवृत्ति रखेंगी और सभी के सुख में सहायक होंगी। अतः नेशनल असेम्बली, परमेश्वर की उपस्थिति और उसके तत्वावधान में व्यक्ति और नागरिकों के निम्नलिखित अधिकारों को मान्यता प्रदान करती है और उनकी उद्घोषणा करती है:-

अनुच्छेद

1. सभी मनुष्य जन्म से ही और अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र और समान हैं। सामाजिक विभेद केवल सामान्य कल्याण पर आधारित हो सकते हैं।

2. सभी राजनीतिक संगमों का उद्देश्य मनुष्य के नैसर्गिक और अहस्तांतरणीय अधिकारों की परिरक्षा करना है। ये अधिकार स्वाधीनता, सम्पत्ति, सुरक्षा और दमन का विरोध हैं।

3. सभी प्रभुता का सिद्धांत राष्ट्र में निहित होता है। कोई भी निकाय या व्यक्ति किसी ऐसे प्राधिकार का प्रयोग नही कर सकेगा जो सीधे राष्ट्र से प्राप्त नहीं होता है।

4. स्वाधीनता, हर चीज करने की स्वतंत्रता से गठित होती है जिससे किसी अन्य को क्षति नहीं पहुंचती है। अतः प्रत्येक मनुष्य के नैसर्गिक अधिकारों के प्रयोग की कोई सीमाएं नहीं हैं सिवाय उनके जो समाज के अन्य सदस्यों को उन्हीं अधिकारों के उपभोग का आश्वासन देती हैं। ये सीमाएं केवल विधि द्वारा अवधारित की जा सकती हैं।

5. विधि केवल ऐसे कार्यों को प्रतिषिद्ध कर सकती हैं जो समाज के लिए हानिकर हैं। ऐसा कुछ भी निवारित नहीं किया जाएगा जो विधि द्वारा निषिद्ध नहीं है और किसी को भी ऐसी कोई बात करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके लिए विधि द्वारा उपबंध नहीं किया गया है।

6. विधि सर्वसाधारण की इच्छाशक्ति की अभिव्यक्ति है। प्रत्येक नागरिक को उसकी आधारशिला रखने में स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा भाग लेने का अधिकार है। वह संरक्षा करे या दण्ड दे, स्थिति सभी के लिए समान होनी चाहिए। सभी नागरिक, विधि की दृष्टि में समान होने के कारण, सभी प्रतिष्ठाओं के लिए तथा सभी लोक पदों और उपजीविकाओं के लिए अपनी योग्यताओं के अनुसार और अपने सद्गुणों और प्रतिभाओं के विभेद के सिवाय किसी भी विभेद के बिना, समान रूप से पात्र हैं।

*फ्रांस की नैशनल असेम्बली ने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा का अनुमोदन 26 अगस्त 1789 को किया था।

7. कोई भी व्यक्ति सिवाय उन मामलों में और विधि द्वारा विहित रूपों के अनुसार अभियुक्त, गिरफ्तार या कारावासित नहीं किया जाएगा। किसी मनमाने आदेश की याचना करने वाले, उसे पारेषित, निष्पादित करने वाले अथवा उसका निष्पादन करवाने वाले व्यक्ति को दण्डित किया जायेगा। किन्तु विधि के बल से समन या गिरफ्तार किया गया कोई नागरिक अविलम्ब आत्मसमर्पण करेगा क्योंकि इसका विरोध करने से अपराध गठित होता है।

8. विधि केवल ऐसे दण्डों का उपबंध करेगी जो सही अर्थ में और स्पष्टत: आवश्यक है तथा कोई भी व्यक्ति तब के सिवाय दण्ड नहीं भोगेगा जब कि वह, अपराध किये जाने के पूर्व पारित और प्रख्यापित किसी विधि के बल से विधित: न दिया गया हो।

9. सभी व्यक्ति तब तक निर्दोष माने जाते हैं जब तक कि उन्हें दोषी घोषित नहीं किया जाता है, अत: यदि गिरफ्तारी अनिवार्य समझी जाए तो ऐसी निष्ठुरता को, जो बन्दी को गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक नहीं है, विधि द्वारा कठोरता से दमित किया जाएगा।

10. कोई भी व्यक्ति अपने विचारों के कारण, जिसके अन्तर्गत उसके धार्मिक विचार भी हैं, अशांत नहीं किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनकी अभिव्यक्ति से, विधि द्वारा स्थापित लोक व्यवस्था में बाधा न पहुंचे।

11. विचारों और अभिमतों का अबाधित संचार मनुष्य के अत्यन्त मूल्यवान अधिकारों में से एक हैं। तदनुसार, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ बोलेगा, लिखेगा और मुद्रण करेगा किन्तु वह इस स्वतंत्रता के ऐसे दुरुपयोगों के लिए उत्तरदायी होगा जो विधि द्वारा परिनिश्चित किये जायेंगे।

12. मनुष्य के और नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लोक सैन्य बल अपेक्षित हैं। अत: इन बलों को सभी के कल्याण के लिए, न कि उन लोगों के व्यक्तिगत लाभ के लिए जिनके सुपुर्द वे बल होंगे, स्थापित किया जाएगा।

13. लोक सैन्य बलों के अनुरक्षण के लिए और प्रशासन के खर्च के लिए एक साधान्य अंशदान अत्यावश्यक है। यह सभी नागरिकों के बीच उनके साधनों के अनुपात में उचित रूप से वितरित किया जाना चाहिए।

14. सभी नागरिकों को स्वयं या अपने प्रतिनिधियों द्वारा, लोक अंशदान की आवश्यकता के बारे में विनिश्चय करने का, इसे मुक्त रूप से अनुदत्त करने का, यह जानने का कि उसका क्या उपयोग किया जा रहा है तथा अनुपात, निर्धारण का तरीका निश्चित करने का और करों के संग्रहण का और उसकी कालावधि तय करने का अधिकार है।

15. समाज को प्रत्येक लोक अभिकर्ता से उसके प्रशासन का लेखा-जोखा मांगने का अधिकार है।

16. उस समाज का कोई भी संविधान नहीं होता है जिसमें न तो विधि के पालन का आश्वासन है और न शक्तियों का पृथक्करण परिनिश्चित है।

17. सम्पत्ति एक अनतिक्रमणीय और पवित्र अधिकार है, अत: किसी भी व्यक्ति को, सिवाय वहां जहां विधित: अवधारित लोक आवश्यकता द्वारा ऐसा करने की स्पष्ट मांग की जाए और वह भी केवल इस शर्त पर कि उसके स्वामी की इससे पूर्व और सामायिक रूप से क्षतिपूर्ति कर दी गई हो, उससे वंचित नहीं किया जाएगा।

5

संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान का अधिकार पत्र*

संशोधन 1

कांग्रेस किसी धर्म स्थापना के बारे में या उस (धर्म) के पालन को प्रतिषिद्ध करने वाली अथवा भाषण की या प्रेस की स्वतंत्रता को या व्यक्तियों के शांतिपूर्ण सम्मेलन के या शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार को अर्जी देने का अधिकार का अल्पीकरण करने वाली कोई विधि नहीं बनाएगी।

संशोधन 2

किसी भी स्वतंत्र राज्य की सुरक्षा के लिए एक सुविनियमित सेना आवश्यक होने के कारण; व्यक्तियों के शस्त्र रखने और उन्हें धारण करने के अधिकार का अतिलंघन नहीं किया जाएगा।

संशोधन 3

शांतिकाल में कोई भी सैनिक किसी भी मकान में, उसके स्वामी की सम्मति के बिना ठहराया नहीं जाएगा और युद्धकाल में भी ऐसा, विधि द्वारा विहित रीति के सिवाय, नहीं किया जाएगा।

संशोधन 4

व्यक्तियों के अनुचित तलाशियों और अभिग्रहणों के विरुद्ध अपने शरीर, मकानों, कागज-पत्रों और चीज बस्त के बारे में सुरक्षित रहने के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाएगा तथा संभाव्य कारण के, जिसका समर्थन शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा किया गया हो और जिसमें उस स्थान का जिसकी तलाशी ली जानी है और अभिगृहीत किये जाने वाले व्यक्तियों या चीजों का वर्णन विशेष रूप से हो, कोई वारंट जारी नहीं किया जायेगा।

संशोधन 5

किसी भी व्यक्ति को किसी भी मृत्यु से दंडनीय या अन्यथा घृणित अपराध के लिए तब तक जब तक कि ग्रैण्ड जूरी ने उपस्थापना या अभ्यारोपण नहीं किया है, थल सेना या नौ सेना में अथवा नागरिक सेना में उत्पन्न मामलों के सिवाय, उस स्थिति में उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा जब वह वास्तविक सेवा में हो, अथवा जब युद्ध या लोक संकट का काल हो। कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए प्राण या अंग के संकट के अधीन दो बार नहीं होगा, न उसे किसी दाण्डिक मामले में स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए विवश किया जाएगा, न उसे विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना प्राण, स्वतंत्रता या सम्पत्ति से वंचित किया जाएगा और न प्राईवेट संपत्ति उचित प्रतिकर के बिना, लोक उपयोग के लिए ली जाएगी।

*संयुक्त राज्य अमरीका के संविधान के प्रथम दस संशोधनों के रूप में अंगीकृत, अधिकार पत्र का अनुसमर्थन 15 दिसम्बर 1791 को किया गया था।

संशोधन 6

सभी आपराधिक अभियोजनों में अभियुक्त को उस राज्य और जिले की, जिसमें अपराध किया गया हो और जो जिला विधि द्वारा पहले परिनिश्चित किया गया हो, किसी निष्पक्ष जूरी द्वारा शीघ्र और सार्वजनिक विचारण के और अभियोग की प्रकृति और कारण की सूचना पाने, उसके विरुद्ध साक्षियों का सामना करने, अपने पक्ष में साक्षियों की उपस्थिति के लिए अनिवार्य आदेशिका प्राप्त करने और अपनी प्रतिरक्षा के लिए काउन्सेल की सहायता पाने के अधिकार का उपभोग करेगा।

संशोधन 7

कामन लॉ के विवादों में जहां संविवादग्रस्त मूल्य बीस डालर से अधिक है, जूरी द्वारा विचारण का अधिकार परिरक्षित रखा जाएगा तथा किसी जूरी द्वारा विचारित किसी भी तथ्य की संयुक्त राज्य के किसी न्यायालय में, कामन लॉ के नियमों के अनुसार ही, अन्यथा नहीं, पुनः समीक्षा की जाएगी।

संशोधन 8

अत्यधिक जमानत की अपेक्षा नहीं की जाएगी, न अत्यधिक जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा और न क्रूर और अप्रायिक दण्ड दिए जाएंगे।

संशोधन 9

संविधान में कतिपय अधिकारों के गिनाए जाने का अर्थ व्यक्तियों द्वारा अपने पास रखे गए अन्य अधिकारों का प्रत्याख्यान या उनको अप्रतिष्ठित करना नहीं लगाया जाएगा।

संशोधन 10

संविधान द्वारा संयुक्त राज्य को प्रत्यायोजित न की गई और न उसके द्वारा राज्यों को प्रतिषिद्ध शक्तियां, क्रमशः राज्यों के लिए या व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं।

III

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार लिखतें

1

संयुक्त राष्ट्र का चार्टर*

अध्याय 1

प्रयोजन और सिद्धांत

अनुच्छेद 1

संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजन निम्नलिखित हैं:—

1. अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा बनाए रखना, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शांति को होने वाले खतरों के निवारण और निराकरण के लिए तथा आक्रामक कार्यवाहियों या शान्ति-भंग की अन्य कार्रवाइयों के दमन के लिए और ऐसे अन्तरराष्ट्रीय विवादों या स्थितियों का, जिनके कारण शान्ति भंग हो सकती हो, शांतिपूर्ण साधनों द्वारा तथा न्याय और अन्तरराष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों के अनुरूप समायोजन या निपटारा करने के लिए प्रभावपूर्ण सामूहिक उपाय करना;

2. राष्ट्रों के समान अधिकारों और आत्मनिर्णय के सिद्धांत का सम्मान करते हुए राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना और विश्व शांति को सुदृढ़ करने के लिए अन्य समुचित उपाय करना;

3. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानव कल्याण संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए और मूलवंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किए बिना सभी के लिए मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की अभिवृद्धि करने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग उत्पन्न करना; और

4. इन सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए केन्द्र के रूप में कार्य करना।

अनुच्छेद 2

यह संगठन और उसके सदस्य, अनुच्छेद 1 में वर्णित प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेंगे:—

1. यह संगठन अपने सभी सदस्यों की प्रभु समता के सिद्धांत पर आधारित हैं।

2. सभी सदस्य, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सदस्यता के फलस्वरूप मिलने वाले अधिकार और फायदे सभी सदस्यों को प्राप्त हों, इस चार्टर के अनुसार सदस्यों द्वारा ग्रहण की गई बाध्यताओं को सद्भावपूर्वक पूरा करेंगे।

3. सभी सदस्य अपने अन्तरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण साधनों द्वारा ऐसी रीति से करेंगे कि अन्तरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा न्याय संकटापन्न न हो।

4. सभी सदस्य अपने अन्तरराष्ट्रीय संबंधों में किसी राज्य की राज्यक्षेत्रीय अखंडता या राजनैतिक स्वाधीनता के विरुद्ध अथवा किसी ऐसी रीति से जो संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों से असंगत हो, बल का प्रयोग करने की धमकी नहीं देंगे अथवा बल का प्रयोग नहीं करेंगे।

---

*विधि और न्याय मंत्रालय के "संयुक्त राष्ट्र का चार्टर" नामक दस्तावेज से और उनकी अनुमति लेकर उद्धृत किया गया।

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर सेन फ्रांसिस्को में तारीख 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए गए और वह 24 अक्तूबर 1945 को प्रवृत्त हुआ। हम यहां पर चार्टर के वे अनुच्छेद उद्धृत कर रहे हैं, जो मानव अधिकारों से सुसंगत हैं।

5. सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र को इस चार्टर के अनुसार कार्रवाई करने में सभी प्रकार की सहायता देंगे और ऐसे राज्य को सहायता नहीं देंगे जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र निवारक या प्रवर्तन कार्रवाई कर रहा है।

6. संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि जो राज्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं वे, जहां तक अन्तरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक हों, इन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें।

7. इस चार्टर की कोई बात संयुक्त राष्ट्र को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी जो आवश्यक रूप से किसी राज्य की आंतरिक अधिकारिता में आते हों अथवा सदस्यों से यह अपेक्षा नहीं करेगी कि वे ऐसे मामलों को इस चार्टर के अधीन निपटारे के लिए प्रस्तुत करें; किन्तु यह सिद्धांत अध्याय 7 के अधीन प्रवर्तन के उपायों के लागू होने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

अध्याय 4

महासभा

कृत्य और शक्तियां

अनुच्छेद 10

महासभा, इस चार्टर के प्रविषय में आने वाले या इस चार्टर में उपबंधित अंगों की शक्तियों और कृतियों से सम्बन्धित किसी भी प्रश्न या विषय पर विचार-विमर्श कर सकेगी और, जैसा अनुच्छेद 12 में उपबन्धित है उसके सिवाय, ऐसे किसी प्रश्न या विषय पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को या सुरक्षा-परिषद् को या दोनों को सिफारिश कर सकेगी।

अनुच्छेद 13

1. महासभा—

(क) राजनैतिक क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय सहयोग की अभिवृद्धि करने और अन्तरराष्ट्रीय विधि का उत्तरोत्तर विकास करने और उसको संहिताबद्ध करने को प्रोत्साहन देने के प्रयोजन के लिए;

(ख) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय सहयोग की अभिवृद्धि करने और मूलवंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किए बिना सभी के लिए मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रताएं प्राप्त करने में सहायता करने के प्रयोजन के लिए, अध्ययन कराएगी और सिफारिशें करेगी।

2. उपर्युक्त पैरा 1 (ख) में उल्लिखित विषयों की बाबत महासभा के अन्य उत्तरदायित्व, कृत्य और शक्तियां अध्याय 9 और 10 में उपवर्णित हैं।

अध्याय 5

सुरक्षा परिषद्

कृत्य और शक्तियां

अनुच्छेद 24

1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा तत्परतापूर्वक और प्रभावपूर्ण कार्रवाई की जाए, उसके सदस्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद् को सौंपते हैं और इस बात पर सहमत हैं कि इस जिम्मेदारी के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करते समय सुरक्षा परिषद् उनकी ओर से कार्य करेगी।

2. इन कर्तव्यों के निर्वहन में सुरक्षा परिषद् संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों और सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगी। इन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सुरक्षा परिषद् को प्रदान की गई विनिर्दिष्ट शक्तियां अध्याय 6, 7, 8 और 12 में अधिकथित हैं।

3. सुरक्षा परिषद्, महासभा को वार्षिक रिपोर्ट और जब आवश्यक हो विशेष रिपोर्टें उसके विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

अध्याय 6
विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा

अनुच्छेद 34

सुरक्षा परिषद् किसी ऐसे विवाद का या किसी ऐसी स्थिति का, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय विग्रह हो सकता है या कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है, यह अवधारित करने के लिए अन्वेषण कर सकेगी कि क्या विवाद या स्थिति के बने रहने से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अस्तित्व खतरे में पड़ने की संभावना है।

अध्याय 7
शांति के लिए संकट, शांति भंग और आक्रामक कार्यों की बाबत कार्रवाई

अनुच्छेद 39

सुरक्षा परिषद् शांति के लिए संकट, शांति भंग या आक्रामक कार्य विद्यमान होने के विषय में निर्णय करेगी और सिफारिशें करेगी या यह विनिश्चय करेगी कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए या उसे पुनः स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 41 और 42 के अनुसार कौन से उपाय किए जाएं।

अध्याय 9
अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग

अनुच्छेद 55

संयुक्त राष्ट्र लोगों के समान अधिकारों और आत्मनिर्णय के सिद्धांत के प्रति आदर के आधार पर राष्ट्रों के बीच शांति और मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए आवश्यक सुस्थिरता और कल्याणकारी परिस्थितियां उत्पन्न करने की दृष्टि से—

(क) उच्चतर जीवन स्तर, पूर्ण नियोजन और आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति तथा विकास की परिस्थितियों की अभिवृद्धि करेगा;

(ख) अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य विषयक और संबद्ध समस्याओं के हल, तथा अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग की अभिवृद्धि करेगा; और

(ग) मूलवंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किए बिना सभी के लिए मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति विश्वव्यापी आदर और उनके पालन की, अभिवृद्धि करेगा।

अनुच्छेद 56

सभी सदस्य, अनुच्छेद 55 में उपवर्णित प्रयोजनों की पूर्ति के लिए संगठन के सहयोग से संयुक्त और पृथक् रूप से कार्रवाई करने की प्रतिज्ञा करते हैं।

अनुच्छेद 60

इस अध्याय में उपवर्णित संगठन के कृत्यों के निर्वहन का उत्तरदायित्व महासभा का होगा और महासभा के प्राधिकार के अधीन आर्थिक और सामाजिक परिषद् का होगा और उसे इस प्रयोजन के लिए अध्याय 10 में उपवर्णित शक्तियां होंगी।

अध्याय 10
आर्थिक और सामाजिक परिषद्

कृत्य और शक्तियां

अनुच्छेद 62

1. आर्थिक और सामाजिक परिषद् अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी और सम्बद्ध विषयों की बाबत अध्ययन कर सकेगी या करवा सकेगी और रिपोर्टें तैयार कर सकेगी या करवा सकेगी तथा ऐसे विषयों में से किसी विषय की बाबत महासभा को, संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को और संबंधित विशिष्ट अभिकरणों को सिफारिशें कर सकेगी।

2. परिषद् सभी व्यक्तियों के लिए मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आदर बढ़ाने के प्रयोजन के लिए और उनके पालन के लिए सिफारिशें कर सकेगी।

3. परिषद् अपनी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले विषयों की बाबत महासभा को प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप कन्वेन्शन तैयार कर सकेगी।

4. परिषद् अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विहित नियमों के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुला सकेगी।

प्रक्रिया

अनुच्छेद 68

आर्थिक और सामाजिक परिषद् आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में तथा मानव अधिकारों की अभिवृद्धि के लिए आयोग और ऐसे अन्य आयोग स्थापित करेगी जिनकी परिषद् के कृत्यों के पालन के लिए आवश्यकता है।

अनुच्छेद 71

आर्थिक और सामाजिक परिषद् ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के साथ परामर्श करने के लिए उचित व्यवस्था कर सकेगी जो उसकी अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले विषयों से संबंधित हैं। ऐसी व्यवस्था अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के साथ और, जहां समुचित हो वहां, संयुक्त राष्ट्र के संबद्ध सदस्य के साथ परामर्श करने के पश्चात्, राष्ट्रीय संगठनों के साथ की जा सकेगी।

अध्याय 12

अंतरराष्ट्रीय न्यासिता प्रणाली

अनुच्छेद 75

संयुक्त राष्ट्र अपने प्राधिकार के अधीन अंतरराष्ट्रीय न्यासिता प्रणाली की स्थापना करेगा जो ऐसे राज्यक्षेत्रों के प्रशासन और पर्यवेक्षण के लिए होगी जो पश्चात्वर्ती पृथक् करारों द्वारा उसके अधीन रखे जाएं। इन राज्यक्षेत्रों को इसमें इसके आगे न्यास-राज्यक्षेत्र कहा गया है।

अनुच्छेद 76

न्यासिता प्रणाली के मूल उद्देश्य, इस चार्टर के अनुच्छेद 1 में अधिकथित संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों के अनुसार निम्नलिखित होंगे:—

(क) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि करना;

(ख) न्यास-राज्यक्षेत्रों के निवासियों की राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उन्नति की तथा स्वशासन या स्वाधीनता के लिए जैसा कि प्रत्येक राज्यक्षेत्र और उसके लोगों की विशिष्ट परिस्थितियों तथा संबद्ध लोगों की निर्बाध रूप से अभिव्यक्त इच्छाओं के अनुसार उचित हो और जैसा कि प्रत्येक न्यासिता करार के निबंधनों द्वारा उपबन्धित किया जाए, उत्तरोत्तर विकास की अभिवृद्धि करना;

(ग) मूलवंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किए बिना, सभी के लिए मानव अधिकारों के प्रति और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आदर को प्रोत्साहन देना और संसार के लोगों के अन्यान्योश्रित होने की मान्यता को प्रोत्साहन देना; और

(घ) संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों और उनके राष्ट्रिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्यिक विषयों में समान व्यवहार और पूर्वगामी उद्देश्यों की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अनुच्छेद 80 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रिकों के लिए न्याय प्रशासन में भी समान व्यवहार सुनिश्चित करना।

अध्याय 13

न्यासिता परिषद्

कृत्य और शक्तियां

अनुच्छेद 87

महासभा और उसके प्राधिकार के अधीन न्यासिता परिषद् अपने कृत्यों का निष्पादन करते समय:—

(क) प्रशासन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार कर सकेगी;

(ख) अर्जियां स्वीकार कर सकेगी और प्रशासन अधिकारी के परामर्श से उनकी पड़ताल कर सकेगी;

(ग) प्रशासन प्राधिकारी के साथ सहमत समयों पर संबंधित न्यास राज्यक्षेत्रों के कालिक दौरों की व्यवस्था कर सकेगी; और

(घ) ये कार्रवाइयां और न्यासिता करारों के निबंधनों के अनुरूप अन्य कार्रवाइयां कर सकेगी।

अध्याय 14

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय

अनुच्छेद 94

1. संयुक्त राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य, ऐसे प्रत्येक मामले में जिसका वह पक्षकार है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के विनिश्चयों का पालन करने का वचन देता है।

2. किसी मामले में कोई पक्षकार, न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अधीन, उसे सौंपी गई बाध्यताओं का निष्पादन नहीं कर सकता है तो दूसरा पक्षकार सुरक्षा परिषद की सहायता ले सकेगा जो, यदि यह आवश्यक समझे, निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए सिफारिशें कर सकेगी या किए जाने वाले उपायों का निर्णय कर सकेगी।

अध्याय 15

अंतरराष्ट्रीय सचिवालय

अनुच्छेद 98

महासचिव, उस हैसियत में, महासभा, सुरक्षा परिषद्, आर्थिक और सामाजिक परिषद् तथा न्यासिता परिषद् की सभी बैठकों में कार्य करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो उसे इन अंगों द्वारा सौंपे जाएं। महासचिव संगठन के कार्य के संबंध में महासभा को वार्षिक रिपोर्ट देगा।

2

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा*

उद्देशिका

मानव परिवार के सभी सदस्यों की अंतर्निहित गरिमा और समान तथा अभेद्य अधिकार विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति के आधार हैं,

मानव अधिकारों की उपेक्षा और अवमान के परिणामस्वरूप ऐसे बर्बर कार्य हुए हैं जिन्होंने मानव की अंतरात्मा पर आघात किया है, और ऐसे विश्व के निर्माण को, जिसमें सभी मानव वाक् स्वातंत्र्य और विश्वास की स्वतंत्रता का तथा भय और अभाव से मुक्ति का उपभोग करेंगे जिसे जनसामान्य की उच्चतम आकांक्षा घोषित किया गया है,

यदि मनुष्य को अत्याचार और उत्पीड़न के विरुद्ध अंतिम अस्त्र के रूप में विद्रोह का अवलंब लेने के लिए विवश नहीं किया जाना है तो यह आवश्यक है कि मानव अधिकारों का संरक्षण विधि सम्मत शासन द्वारा किया जाना चाहिए।

यह कि राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास की वृद्धि करना आवश्यक है,

संयुक्त राष्ट्र के लोगों ने चार्टर में मूल मानव अधिकारों में मानव देह की गरिमा और महत्व तथा पुरुषों और स्त्रियों के समान अधिकारों में अपने विश्वास की पुन: पुष्टि की है और सामाजिक प्रगति करने तथा अधिकाधिक स्वतंत्रता के साथ उत्कृष्ट जीवन स्तर की प्राप्ति का निर्णय किया है,

सदस्य राज्यों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सार्वभौम सम्मान जागृत करेंगे और उनका पालन कराएंगे,

इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति एक ही दृष्टि इस प्रतिज्ञा को पूरी तरह सफल बनाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है,

इसलिए,

महासभा

मानव अधिकारों की इस सार्वभौम घोषणा को सभी लोगों और सभी राष्ट्रों के लिए इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक सामान्य मानक के रूप में उद्घोषित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग, इस घोषणा को निरंतर ध्यान में रखते हुए, शिक्षा और संस्कार द्वारा इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान जागृत करेगा और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रगामी उपायों के द्वारा, सदस्य राज्यों के लोगों के बीच और उनकी अधिकारिता के अधीन राज्यक्षेत्रों के लोगों के बीच इन अधिकारों की विश्वव्यापी और प्रभावी मान्यता और उनके पालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 1

सभी मनुष्य जन्म से ही गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र और समान हैं। उन्हें बुद्धि और अंतश्चेतना प्रदान की गई है। उन्हें परस्पर भ्रातृत्व की भावना से कार्य करना चाहिए।

---

*विधि और न्याय मंत्रालय के "मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा" नामक दस्तावेज से और उनकी अनुमति से उद्धृत किया गया।

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, तारीख 10 दिसम्बर 1948 को अंगीकार किया।

अनुच्छेद 2

प्रत्येक व्यक्ति इस घोषणा में उपवर्णित सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का हकदार है; इसमें मूलवंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीय या सामाजिक उद्‌भव, संपत्ति, जन्म या अन्य प्रास्थिति के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, किसी देश या राज्यक्षेत्र की चाहे वह स्वाधीन हो, न्यास के अधीन हो, अस्वशासी हो या प्रभुता पर किसी मर्यादा के अधीन हो राजनीतिक, अधिकारिता-विषयक या अंतरराष्ट्रीय प्रास्थिति के आधार पर उस देश या राज्यक्षेत्र के किसी व्यक्ति से कोई विभेद नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 3

प्रत्येक व्यक्ति को प्राण, स्वतंत्रता और दैहिक सुरक्षा का अधिकार है।

अनुच्छेद 4

किसी भी व्यक्ति को दास या गुलाम नहीं रखा जाएगा; सभी प्रकार की दासता और दास-व्यापार प्रतिषिद्ध होगा।

अनुच्छेद 5

किसी भी व्यक्ति को यंत्रणा नहीं दी जाएगी या उसके साथ क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा या उसे ऐसा दंड नहीं दिया जाएगा।

अनुच्छेद 6

प्रत्येक व्यक्ति को सर्वत्र विधि के समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार है।

अनुच्छेद 7

सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान हैं और किसी विभेद के बिना विधि के समान संरक्षण के हकदार हैं। सभी व्यक्ति इस घोषणा के अतिक्रमण में विभेद के विरुद्ध और ऐसे विभेद के उद्दीपन के विरुद्ध समान संरक्षण के हकदार हैं।

अनुच्छेद 8

प्रत्येक व्यक्ति को संविधान या विधि द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले कार्यों के विरुद्ध सक्षम राष्ट्रीय अधिकरणों द्वारा प्रभावी उपचार का अधिकार है।

अनुच्छेद 9

किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार, निरुद्ध या निर्वासित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 10

प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों और बाध्यताओं के और उसके विरुद्ध आपराधिक आरोप के अवधारण में पूर्णतया समान रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकरण द्वारा ऋजु और सार्वजनिक सुनवाई का हकदार है।

अनुच्छेद 11

(1) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिस पर दांडिक अपराध का आरोप है, यह अधिकार है कि उसे तब तक निरपराध माना जाएगा जब तक कि उसे लोक विचारण में, जिसमें उसे अपनी प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक सभी गारंटियां प्राप्त हों, विधि के अनुसार दोषी साबित नहीं कर दिया जाता।

(2) किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य या लोप के कारण, जो किए जाने के समय राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन दांडिक अपराध नही था, किसी दांडिक अपराध का दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जाएगा। उस शास्ति से अधिक शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी जो उस समय लागू थी जब अपराध किया गया था।

अनुच्छेद 12

किसी भी व्यक्ति की एकांतता, कुटुम्ब, घर या पत्र-व्यवहार के साथ मनमाना हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और उसके सम्मान और ख्याति पर प्रहार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे हस्तक्षेप या प्रहार के विरुद्ध विधि के संरक्षण का अधिकार है।

अनुच्छेद 13

(1) प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक राज्य की सीमाओं के भीतर संचरण और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को, अपने देश को या किसी भी देश को छोड़ने और अपने देश में वापस आने का अधिकार है।

अनुच्छेद 14

(1) प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न के कारण अन्य देशों में शरण मांगने और लेने का अधिकार है।

(2) इस अधिकार का अवलंब अराजनैतिक अपराधों या संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों और सिद्धांतों के प्रतिकूल कार्यों से वास्तविक रूप से उद्‌भूत अभियोजनों की दशा में नहीं लिया जा सकेगा।

अनुच्छेद 15

(1) प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रिकता का अधिकार है।

(2) किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से न तो उसकी राष्ट्रिकता से और न राष्ट्रिकता परिवर्तित करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा।

अनुच्छेद 16

(1) वयस्क पुरुषों और स्त्रियों को मूलवंश, राष्ट्रिकता या धर्म के कारण किसी भी सीमा के बिना, विवाह करने और कुटुम्ब स्थापित करने का अधिकार है। वे विवाह के विषय में, विवाहित जीवनकाल में और उसके विघटन पर समान अधिकारों के हकदार हैं।

(2) विवाह के इच्छुक पक्षकारों का स्वतंत्र और पूर्ण सम्मति से ही विवाह किया जाएगा।

(3) कुटुम्ब समाज की नैसर्गिक और प्राथमिक सामाजिक इकाई है और यह समाज और राज्य द्वारा संरक्षण का हकदार है।

अनुच्छेद 17

(1) प्रत्येक व्यक्ति को अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर सम्पत्ति का स्वामी बनने का अधिकार है।

(2) किसी को भी उसकी सम्पत्ति से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 18

प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अंत:करण और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है; इस अधिकार के अंतर्गत अपने धर्म या विश्वास को परिवर्तित करने की स्वतंत्रता और अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर तथा सार्वजनिक रूप से या अकेले शिक्षा, व्यवहार, पूजा और पालन में अपने धर्म या विश्वास को प्रकट करने की स्वतंत्रता भी है।

अनुच्छेद 19

प्रत्येक व्यक्ति को अभिमत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है; इस अधिकार के अन्तर्गत हस्तक्षेप के बिना अभिमत रखने और किसी भी संचार माध्यम से और सीमाओं का विचार किए बिना जानकारी मांगने, प्राप्त करने और देने की स्वतंत्रता भी है।

अनुच्छेद 20

(1) प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्वक सम्मेलन और संगम की स्वतंत्रता का अधिकार है।

(2) किसी भी व्यक्ति को किसी संगम में सम्मिलित होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 21

(1) प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकार में, सीधे या स्वतंत्रतापूर्वक चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से, भाग लेने का अधिकार है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की लोकसेवा में समान पहुंच का अधिकार है।

(3) लोकमत सरकार के प्राधिकार का आधार होगा, इसकी अभिव्यक्ति आवधिक और वास्तविक निर्वाचनों में होगी, जो सार्वभौम और समान मताधिकार द्वारा होंगे और गुप्त मतदान द्वारा या समतुल्य स्वतंत्र मतदान की प्रक्रिया द्वारा किए जाएंगे।

अनुच्छेद 22

प्रत्येक व्यक्ति को, समाज के सदस्य के रूप में, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और वह राष्ट्रीय प्रयास और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से और प्रत्येक राज्य के गठन और संसाधनों के अनुसार, ऐसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार है जो उसकी गरिमा और उसके व्यक्तित्व के उन्मुक्त विकास के लिए अनिवार्य हैं।

अनुच्छेद 23

(1) प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने का, नियोजन के स्वतंत्र चयन का, कार्य की न्यायोचित और अनुकूल दशाओं का और बेरोजगारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को, किसी विभेद के बिना, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है।

(3) प्रत्येक व्यक्ति को, जो कार्य करता है, ऐसे न्यायोचित और अनुकूल पारिश्रमिक का अधिकार है जिससे स्वयं उसका और उसके कुटुम्ब का मानव गरिमा के अनुरूप जीवन सुनिश्चित हो जाए और, यदि आवश्यक हो तो, सामाजिक संरक्षण के अन्य साधनों द्वारा उसे अनुपूरित किया जाए।

(4) प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों के संरक्षण के लिए व्यवसाय संघ बनाने और उनमें सम्मिलित होने का अधिकार है।

अनुच्छेद 24

प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है जिसके अन्तर्गत कार्य के घंटों की युक्तियुक्त सीमा और वेतन सहित आवधिक छुट्टियां भी हैं।

अनुच्छेद 25

(1) प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे जीवन स्तर का अधिकार है जो स्वयं उसके और उसके कुटुम्ब के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त हैं, जिसके अन्तर्गत भोजन, वस्त्र, मकान और चिकित्सा तथा आवश्यक सामाजिक सेवाएं भी हैं और बेरोजगारी, रुग्णता, अशक्तता, वैधव्य, वृद्धावस्था या उसके नियंत्रण के बाहर परिस्थितियों में जीवन-यापन के अभाव की दशा में सुरक्षा का अधिकार है।

(2) मातृत्व और बाल्यकाल विशेष, देखभाल और सहायता के हकदार हैं। सभी बच्चे, चाहे उनका जन्म विवाहित जीवनकाल में हुआ हो या अन्यथा, समान सामाजिक संरक्षण प्राप्त करेंगे।

अनुच्छेद 26

(1) प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। कम से कम प्राथमिक और मौलिक स्तर पर शिक्षा नि:शुल्क होगी। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी। तकनीकी और वृत्तिक शिक्षा साधारणत: उपलब्ध कराई जाएगी और उच्च शिक्षा, सभी व्यक्तियों को गुणागुण के आधार पर समान रूप से प्राप्य होगी।

(2) शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आदर की वृद्धि होगा। यह सभी राष्ट्रों, मूलवंश विषयक या धार्मिक समूहों के बीच समादर, सहिष्णुता और मैत्री की अनुवृद्धि के लिए उद्दिष्ट होगी और शान्ति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्यकलापों को अग्रसर करेगी।

(3) माता-पिता को यह चयन करने का पूर्णाधिकार है कि उनकी संतान को किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी।

अनुच्छेद 27

(1) प्रत्येक व्यक्ति को समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में मुक्त रूप से भाग लेने, कलाओं का आनन्द लेने और वैज्ञानिक प्रगति और उसके फायदों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को स्वनिर्मित वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक कृति के परिणामस्वरूप होने वाले नैतिक और भौतिक हितों के संरक्षण का अधिकार है।

अनुच्छेद 28

प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का हकदार है जिसमें इस घोषणा में वर्णित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

अनुच्छेद 29

(1) प्रत्येक व्यक्ति के उस समुदाय के प्रति कर्तव्य हैं, जिसमें उसके व्यक्तित्व का उन्मुक्त और पूर्ण विकास संभव है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति पर अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रयोग में वही मर्यादाएं लगाई जाएंगी जो अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सम्यक् मान्यता और सम्मान सुनिश्चित करने और प्रजातंत्रात्मक समाज में नैतिकता, लोक व्यवस्था और साधारण कल्याण की न्यायोचित अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयोजन के लिए विधि द्वारा अवधारित की गई हैं।

(3) किसी भी दशा में इन अधिकारों, स्वतंत्रताओं का संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों और सिद्धान्तों के प्रतिकूल प्रयोग नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 30

इस घोषणा की किसी बात का यह निर्वचन नहीं किया जाएगा कि उसमें किसी राज्य, समूह या व्यक्ति के लिए कोई ऐसा कार्यकलाप या कोई ऐसा कार्य करने का अधिकार विवक्षित है जिसका लक्ष्य इसमें उपवर्णित अधिकारों और स्वतंत्रताओं में से किसी का विनाश करना है।

3

अंतरराष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा*

उद्देशिका

इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य,

यह विचार करके कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में उद्घोषित सिद्धांतों के अनुसार, मानव परिवार के सभी सदस्यों की अंतर्निहित गरिमा और समान तथा अन्य अभेद्य अधिकारों की मान्यता विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति का आधार है;

यह मानकर कि ये अधिकार मानव-देह की अंतर्निहित गरिमा से व्युत्पन्न हैं;

यह मानकर कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुसार, निर्भीक और स्वतंत्र मानव का आदर्श केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाएं जिनमें प्रत्येक व्यक्ति अपने सिविल और राजनैतिक अधिकारों तथा अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उपभोग कर सके;

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अधीन मानव अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सार्वभौम सम्मान और उनके पालन कराने की राज्यों की बाध्यता का विचार करके;

यह अनुभव करके कि प्रत्येक व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों के प्रति और अपने समुदाय के प्रति कर्त्तव्य है और, इस प्रसंविदा में मान्यता दिए गए अधिकारों की अनुवृद्धि और पालन के लिए प्रयास करना उसका उत्तरदायित्व है;

निम्नलिखित अनुच्छेदों का करार करते हैं:

भाग 1

अनुच्छेद 1

1. सभी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार है। इस अधिकार के आधार पर वे अपनी राजनैतिक प्रास्थिति का स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय करते हैं और स्वतंत्रतापूर्वक अपना आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करते हैं।

2. सभी लोग, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, परस्पर लाभ के सिद्धांत और अंतरराष्ट्रीय विधि पर आधारित अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग से उत्पन्न बाध्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपनी प्राकृतिक संपदा और संसाधनों का स्वतंत्रतापूर्वक व्ययन कर सकेंगे। किसी भी दशा में, किसी व्यक्ति को उसके अपने जीवन-निर्वाह के साधनों से वंचित नहीं किया जा सकेगा।

3. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य, जिनके अंतर्गत वे राज्य भी हैं, जिन पर अस्वशासी और न्यास राज्यक्षेत्रों के प्रशासन का उत्तरदायित्व है, आत्मनिर्णय के अधिकार की प्राप्ति की अनुवृद्धि करेंगे और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के उपबंधों के अनुरूप उस अधिकार का सम्मान करेंगे।

---

*विधि और न्याय मंत्रालय के "मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा" नामक दस्तावेज से और उनकी अनुमति से उद्धृत किया गया।

अन्तरराष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा को महासभा ने तारीख 16 दिसम्बर 1966 को अंगीकार किया और वह हस्ताक्षर करने, अनुसमर्थन करने तथा स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत किया गया। प्रसंविदा तारीख 23 मार्च 1976 को प्रवृत्त हुई।

भाग 2

अनुच्छेद 2

1. इस प्रसंविदा का पक्षकार प्रत्येक राज्य, जैसे मूलवंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक या अन्य विचार के, राष्ट्रीय या सामाजिक उद्भाव, संपत्ति, जन्म या अन्य प्रास्थिति आदि के आधार पर कोई विभेद किए बिना, अपने राज्यक्षेत्र के भीतर और अपनी अधिकारिता के अधीन वाले सभी व्यक्तियों के लिए इस प्रसंविदा में मान्यता दिए गए अधिकारों का सम्मान करने और उन्हें सुनिश्चित करने का वचन देता है।

2. जहां विद्यमान विधायी या अन्य उपायों द्वारा पहले ही उपबंध न कर दिया गया हो वहां, इस प्रसंविदा का पक्षकार प्रत्येक राज्य इस प्रसंविदा में मान्यता दिए गए अधिकारों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक विधायी या अन्य उपाय करने के लिए, अपनी सांविधानिक प्रक्रियाओं और इस प्रसंविदा के उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का वचन देता है।

3. इस प्रसंविदा का पक्षकार प्रत्येक राज्य वचन देता है:—

(क) यह सुनिश्चित करने का कि ऐसे व्यक्ति को जिसके इस प्रसंविदा में मान्यता दिए गए अधिकारों या स्वतंत्रताओं का अतिक्रमण किया जाता है, इस बात के होते हुए भी कि अतिक्रमण ऐसे व्यक्तियों ने किया है जो शासकीय हैसियत में कार्य कर रहे हैं, प्रभावशील उपचार प्राप्त होगा;

(ख) यह सुनिश्चित करने का कि ऐसा व्यक्ति जो ऐसे उपचार का दावा करता है, उसके लिए अपने अधिकार का अवधारण सक्षम न्यायिक प्रशासनिक या विधायी प्राधिकारियों द्वारा या राज्य की विधि व्यवस्था द्वारा उपबंधित अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा कराएगा और न्यायिक उपचार की संभावनाओं का विकास करने का;

(ग) यह सुनिश्चित करने का कि सक्षम प्राधिकारी, जब ऐसे उपचार दिए जाएंगे तो उन्हें प्रवृत्त करेंगे।

अनुच्छेद 3

इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य इस प्रसंविदा में उपवर्णित सभी सिविल और राजनैतिक अधिकारों का उपभोग करने के पुरुषों और स्त्रियों के समान अधिकार को सुनिश्चित करने का वचन देते हैं।

अनुच्छेद 4

1. लोक आपात् में जिसमें राष्ट्र के जीवन को खतरा है और जिसकी विद्यमानता की शासकीय रूप से उद्घोषणा की गई है, इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य स्थिति की अत्यावश्यकता द्वारा पूर्णत: अपेक्षित सीमा तक इस प्रंसविदा के अधीन अपनी बाध्यताओं के अल्पीकरण में उपाय कर सकेंगे, परन्तु ऐसे उपाय अंतरराष्ट्रीय विधि के अधीन उनकी अन्य बाध्यताओं से असंगत नहीं होंगे और उनमें केवल मूलवंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म या सामाजिक उद्भव के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा।

2. इस उपबंध के अधीन अनुच्छेद 6, 7, 8 (पैरा 1 और 2), 11, 15, 16 और 18 का अल्पीकरण नहीं किया जा सकेगा।

3. इस प्रसंविदा का पक्षकार ऐसा राज्य जो अपने अल्पीकरण के अधिकार का उपयोग करता है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के माध्यम से प्रसंविदा के पक्षकार अन्य राज्यों को उन उपबंधों की सूचना देगा जिनका उसने अल्पीकरण किया है, और उन कारणों की सूचना देगा जिनसे वह प्रेरित हुआ है। उसी के माध्यम से उस तारीख को एक अन्य संसूचना भेजी जाएगी जिसको वह ऐसे अल्पीकरण को समाप्त करता है।

अनुच्छेद 5

1. इस प्रसंविदा की किसी बात का यह निर्वचन नहीं किया जाएगा कि उसमें किसी राज्य, समूह या व्यक्ति के लिए ऐसे कार्यकलाप में लगने या कोई ऐसा कार्य करने का अधिकार विवक्षित है जिसका लक्ष्य इसमें मान्यता दिए गए अधिकारों और स्वतंत्रताओं में से किसी का विनाश करना या इस प्रसंविदा में उपबंधित से अधिक विस्तार तक उनको सीमित करना है।

2. इस प्रसंविदा के पक्षकार किसी राज्य में विधि, परंपरा, विनियम या रूढ़ि के अनुसरण में मान्यता दिए गए या विद्यमान मूल मानव अधिकारों को, इस आधार पर कि यह प्रसंविदा ऐसे अधिकारों को मान्यता नहीं देती है या यह उन्हें कम सीमा तक मान्यता देती है, निर्बंधित या अल्पीकृत नहीं किया जाएगा।

भाग 3

अनुच्छेद 6

1. प्रत्येक मानव को प्राण का अंतर्निहित अधिकार है। विधि द्वारा इस अधिकार की रक्षा की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जाएगा।

2. जिन देशों में मृत्यु दंड समाप्त नहीं किया गया है उनमें मृत्यु दंडादेश केवल अत्यंत गंभीर अपराधों के लिए, अपराध किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अनुसार, अधिरोपित किया जाएगा और इस प्रसंविदा के उपबंधों के और जाति संहार के अपराध के निवारण और दंड पर कंवेंशन के प्रतिकूल अधिरोपित नहीं किया जाएगा। यह दंड किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय के अनुसरण में ही निष्पादित किया जा सकता है।

3. जब जीवन से वंचित किए जाने से जाति संहार का अपराध बनता है तब इस अनुच्छेद की कोई बात इस प्रसंविदा के पक्षकार किसी राज्य को जाति संहार के अपराध के निवारण और दंड पर कंवेंशन के उपबंधों के अधीन ग्रहण की गई बाध्यता को किसी प्रकार अल्पीकृत करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी।

4. जिस व्यक्ति को मृत्यु का दंडादेश दिया गया है उसे क्षमा की या दंडादेश के लघुकरण की याचना करने का अधिकार होगा। सभी मामलों में मृत्यु दंडादेश को सर्वक्षमा, क्षमा या लघुकृत किया जा सकेगा।

5. मृत्यु दंडादेश अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए अधिरोपित नहीं किया जाएगा और गर्भवती स्त्रियों पर निष्पादित नहीं किया जाएगा।

6. इस अनुच्छेद की किसी बात का अवलंब इस प्रसंविदा के पक्षकार किसी राज्य द्वारा मृत्यु दंड को समाप्त न करने या उसमें विलंब करने के लिए नहीं लिया जाएगा।

अनुच्छेद 7

किसी व्यक्ति को यातना नहीं दी जाएगी या उसके साथ क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा या उसे ऐसा दंड नहीं दिया जाएगा। विशेष रूप से, किसी भी व्यक्ति पर, उसकी स्वतंत्र सम्मति के बिना, चिकित्सीय या वैज्ञानिक प्रयोग नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 8

1. किसी व्यक्ति को दासता में नहीं रखा जाएगा, सभी प्रकार की दासता और दास व्यापार का प्रतिषेध होगा।

2. किसी व्यक्ति को गुलामी में नहीं रखा जाएगा।

3. (क) किसी व्यक्ति से बलात् या अनिवार्य श्रम की अपेक्षा नहीं की जाएगी;

(ख) पैरा 3(क) के विषय में यह नहीं माना जाएगा कि वह उन देशों में जिनमें अपराध के लिए दंड के रूप में कठोर श्रम का कारावास अधिरोपित किया जा सकता है, सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे दंडादेश के अनुसरण में कठिन श्रम किए जाने को अपवर्जित करता है;

(ग) इस पैरा के प्रयोजन के लिए "बलात् और अनिवार्य श्रम" के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं होंगे:

(i) ऐसा कार्य या सेवा, जो उप पैरा (ख) में निर्दिष्ट नहीं है, जिसकी ऐसे व्यक्ति से प्रसामान्यत: अपेक्षा की जाती है जो किसी न्यायालय के विधिपूर्ण आदेश के परिणामस्वरूप निरोध में है या जिसकी किसी व्यक्ति से ऐसे निरोध से सशर्त उन्मुक्ति के दौरान अपेक्षा की जाती है,

(ii) सैनिक स्वरूप की कोई सेवा और, उन देशों में जहां कि अंतरात्मा के विरोध को मान्यता है इस आधार पर आक्षेपकर्ताओं से विधि द्वारा अपेक्षित राष्ट्रीय सेवा,

(iii) समाज के जीवन और कल्याण के अनिष्ट की आशंका पैदा करने वाले आपात या विपत्ति में ली गई कोई सेवा,

(iv) कोई ऐसा कार्य या सेवा जो प्रसामान्य सिविल बाध्यताओं का अंग है।

अनुच्छेद 9

1. प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता और शरीर की सुरक्षा का अधिकार है। किसी को भी मनमाने रूप से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या मनमाने रूप से निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित आधारों पर और प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

2. ऐसे व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी के समय, उसकी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा और उसे उसके विरुद्ध आरोपों की तत्परता से सूचना दी जाएगी।

3. ऐसे व्यक्ति को जिसे दांडिक आरोप पर गिरफ्तार किया गया है या निरुद्ध रखा गया है, तत्परता से किसी न्यायाधीश के समक्ष या विधि द्वारा न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष लाया जाएगा और वह युक्तियुक्त समय के भीतर विचारण किए जाने या उन्मोचित किए जाने का हकदार होगा। ऐसा साधारण नियम नहीं होगा कि विचारण की प्रतीक्षा करते हुए व्यक्तियों को अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाए, किंतु उनकी उन्मुक्ति विचारण के लिए, न्यायिक कार्यवाहियों के किसी अन्य प्रक्रम पर और यदि ऐसा अवसर आए तो निर्णय के निष्पादन के लिए उपस्थित होने की गारंटी के अधीन की जा सकेगी।

4. ऐसा व्यक्ति जिसे गिरफ्तार या निरुद्ध करके उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया गया है किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने का हकदार होगा जिससे कि वह न्यायालय अविलंब उसके निरोध की वैधता का, विनिश्चय कर सके और यदि निरोध विधिपूर्ण न हो तो उसकी उन्मुक्ति का आदेश दे सके।

5. ऐसे व्यक्ति को जो विधि विरुद्ध गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है, प्रतिकर का प्रवर्तनीय अधिकार होगा।

अनुच्छेद 10

1. ऐसे सभी व्यक्तियों के साथ मानवीय और मानव देह की अंतर्निहित गरिमा के लिए सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा।

2. (क) अभियुक्त व्यक्तियों को, आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर, दोषसिद्ध व्यक्तियों से पृथक रखा जाएगा, और उनके साथ असिद्धदोष व्यक्तियों के रूप में उनकी प्रास्थिति के अनुरूप समुचित पृथक् व्यवहार किया जाएगा।

(ख) अभियुक्त किशोर व्यक्तियों को वयस्कों से पृथक् रखा जाएगा और उन्हें न्यायनिर्णयन के लिए यथासंभव शीघ्रता से लाया जाएगा।

3. सुधारगृह प्रणाली में बंदियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा जिसका आवश्यक लक्ष्य उनका सुधार और सामाजिक पुनर्वास होगा। किशोर अपराधियों को वयस्कों से पृथक् रखा जाएगा और उनके साथ उनकी आयु और विधिक प्रास्थिति के अनुरूप समुचित व्यवहार किया जाएगा।

अनुच्छेद 11

किसी व्यक्ति को केवल संविदाजात बाध्यता पूरी करने में असमर्थता के आधार पर बंदी नहीं बनाया जाएगा।

अनुच्छेद 12

1. ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो किसी राज्य के राज्यक्षेत्र में विधिपूर्ण रूप से है उस राज्यक्षेत्र के भीतर संचरण की और अपने आवास का चयन करने की स्वतंत्रता का अधिकार होगा।

2. प्रत्येक व्यक्ति किसी भी देश को, जिसके अंतर्गत स्वदेश भी है, छोड़ने के लिए स्वतंत्र है।

3. ऊपर वर्णित अधिकारों पर, उन निर्बंधनों को छोड़कर कोई निर्बंधन नहीं लगाए जाएंगे जो विधि द्वारा उपबंधित हैं, तथा जो राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य या नैतिकता अथवा अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए आवश्यक हैं और इस प्रसंविदा में मान्यता दिए गए अन्य अधिकारों से संगत हैं।

4. किसी व्यक्ति को अपने देश में प्रवेश करने के अधिकार से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 13

ऐसे विदेशी को जो इस प्रसंविदा के पक्षकार किसी राज्य के राज्यक्षेत्र में विधिपूर्ण रूप से है, केवल विधि के अनुसार किए गए विनिश्चय के अनुसरण में ही उस राज्य से निष्कासित किया जा सकेगा और जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के बाध्यकर कारणों से अन्यथा अपेक्षित हो, अपने निष्कासन के विरुद्ध कारण प्रस्तुत करने और अपने मामले का वहां उसे सक्षम अधिकारी द्वारा या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से पदाभिहित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा पुनर्विलोकन कराने और इस प्रयोजन के लिए उनके समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कराने की अनुज्ञा दी जाएगी।

अनुच्छेद 14

1. सभी व्यक्ति न्यायालयों और अधिकरणों के समक्ष समान होंगे, प्रत्येक व्यक्ति, अपने विरुद्ध किसी दांडिक आरोप के अवधारण में या विधि में किसी वाद में अपने अधिकारों और बाध्यताओं के अवधारण में, विधि द्वारा स्थापित किसी सक्षम, स्वतंत्र और निष्पक्ष अधिकरण द्वारा ऋजु और सार्वजनिक सुनवाई का हकदार होगा। लोकतंत्र में, नैतिकता, लोक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से या जब पक्षकारों के प्राइवेट जीवन के हित में ऐसा अपेक्षित हो या उन विशेष परिस्थितियों में जहां प्रचार से न्याय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वहां न्यायालय की राय में जिस विस्तार तक ऐसा करना नितांत आवश्यक है, संपूर्ण विचारण या उसके किसी भाग से प्रेस या जनता को अपवर्जित किया जा सकेगा; किंतु किसी दांडिक मामले में या किसी विधि के वाद में दिए गए निर्णय को, लोक विदित किया जाएगा किंतु वहां नहीं जहां किशोर व्यक्तियों के हित में अन्यथा अपेक्षित है या कार्यवाही वैवाहिक विवादों या बच्चों की संरक्षकता से संबंधित हैं।

2. ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिस पर दांडिक अपराध का आरोप है, यह अधिकार होगा कि उसे तब तक निरपराध माना जाएगा जब तक कि उसे विधि के अनुसार दोषी साबित नहीं कर दिया जाता।

3. प्रत्येक व्यक्ति को, उसके विरुद्ध किसी दांडिक अपराध के अवधारण में, पूर्णत: समान रूप से निम्नलिखित न्यूनतम गारंटियां होंगी:

(क) उसके विरुद्ध आरोप की प्रकृति और हेतुक की सूचना ऐसी भाषा में जिसे वह समझता है तत्परता से ब्यौरेवार दिए जाने का;

(ख) अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी करने के लिए और अपनी इच्छानुसार काउन्सेल से संपर्क करने के लिए पर्याप्त समय और सुविधाएं दिए जाने की;

(ग) असम्यक् विलंब के बिना विचारण किए जाने की;

(घ) अपनी उपस्थिति में विचारण किए जाने की और स्वयं या अपनी पसंद की विधिक सहायता के माध्यम से अपनी प्रतिरक्षा करने की; यदि उसके पास विधिक सहायता नहीं है तो इस अधिकार की सूचना दिए जाने की; और किसी ऐसे मामले में जिसमें न्याय के हित में ऐसी अपेक्षा है, विधिक सहायता प्राप्त करने की और यदि उसके पास विधिक सहायता के लिए संदाय करने के पर्याप्त साधन नहीं है तो ऐसे मामले में नि:शुल्क विधिक सहायता दिए जाने की;

(ङ) अपने विरुद्ध साक्षियों की परीक्षा करने या परीक्षा कराने और अपनी ओर से उसी प्रकार साक्षियों को हाजिर कराने और उनकी परीक्षा कराने का जिस प्रकार उसके विरुद्ध साक्षी हाजिर किए जाते हैं या उनकी परीक्षा होती है;

(च) यदि वह न्यायालय में प्रयुक्त भाषा नहीं समझ सकता है या नहीं बोल सकता है तो दुभाषिए की नि:शुल्क सहायता प्राप्त करने की;

(छ) अपने विरुद्ध साक्ष्य देने या अपराध स्वीकार करने के लिए विवश न किए जाने की।

4. किशोर व्यक्तियों की दशा में, प्रक्रिया ऐसी होगी जिसमें उनकी आयु का और उनका पुनर्वास हो सके इसका ध्यान रखा जाएगा।

5. प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, विधि के अनुसार किसी उच्चतर अधिकरण द्वारा अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश का पुनर्विलोकन कराने का अधिकार होगा।

6. जब किसी व्यक्ति को अंतिम विनिश्चय द्वारा किसी दांडिक अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है और बाद में इस आधार पर कि कोई नया तथ्य या ऐसा तथ्य जो हाल ही में ज्ञात हुआ है, निश्चायक रूप से यह दर्शित करता है कि अन्याय हुआ है, उसकी दोषसिद्धि को उलट दिया जाता है या उसे क्षमा कर दिया जाता है तब उस व्यक्ति को जिसने ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप दंड सहन किया है विधि के अनुसार प्रतिकर दिया जाएगा किंतु तब नहीं जब यह साबित कर दिया जाता है कि अज्ञात तथ्य का समय पर प्रकट न होना पूर्णत: या भागत: उसके कारण हुआ माना जा सकता है।

7. किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए एक बार से अधिक विचारित या दंडित नहीं किया जाएगा जिसके लिए उसे पहले ही किसी देश की विधि या दांडिक प्रक्रिया के अनुसार अंतिम रूप से सिद्धदोष ठहराया जा चुका है या दोषमुक्त किया जा चुका है।

अनुच्छेद 15

1. किसी व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य या लोप के कारण जो किए जाने के समय राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन दांडिक अपराध नहीं था, किसी दांडिक अपराध का दोषी अभिनिर्धारित नहीं किया जाएगा। न ही उस शास्ति से अधिक शास्ति उस पर अधिरोपित की जाएगी जो उस समय अधिरोपित की जाती, जब दांडिक अपराध किया गया था। यदि अपराध किए जाने के पश्चात् विधि द्वारा कम शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध किया जाता है तो अपराधी को उसका फायदा मिलेगा।

2. इस अनुच्छेद की किसी बात से किसी व्यक्ति के किसी ऐसे कार्य या लोप के लिए विचारित और दंडित किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो, किए जाने के समय राष्ट्रों के समुदाय द्वारा मान्यता दिए गए विधि के साधारण सिद्धांतों के अनुसार आपराधिक कार्य या लोप था।

अनुच्छेद 16

प्रत्येक व्यक्ति को सर्वत्र विधि के समक्ष व्यक्ति के रूप में मान्यता पाने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 17

1. किसी व्यक्ति की एकांतता, कुटुंब, घर या पत्र-व्यवहार के साथ मनमाना या विधि-विरुद्ध हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और उसके सम्मान और ख्याति पर विधि विरुद्ध प्रहार नहीं किया जाएगा।

2. प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे हस्तक्षेप या प्रहार के विरुद्ध विधि के संरक्षण का अधिकार है।

अनुच्छेद 18

1. प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अंतकरण और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इस अधिकार के अंतर्गत अपनी रुचि या धर्म या विश्वास मानने या अपनाने की स्वतंत्रता और अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर तथा सार्वजनिक रूप से या एकांत में उपासना, परिपालन, व्यवहार और उपदेश से अपने धर्म या विश्वास को प्रकट करने की स्वतंत्रता भी है।

2. किसी व्यक्ति को इस प्रकार प्रपीड़ित नहीं किया जाएगा जिससे उसकी अपनी रुचि का धर्म या विश्वास मानने या अपनाने की स्वतंत्रता कम होती हो।

3. अपने धर्म या विश्वास को प्रकट करने की स्वतंत्रता पर केवल ऐसी मर्यादाएं लगाई जा सकेंगी जो विधि द्वारा विहित हैं और लोक सुरक्षा, व्यवस्था, स्वास्थ्य, या नैतिकता अथवा अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों और स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए आवश्यक हैं।

4. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य, माता-पिता की ओर जब लागू होता हो, तब विधिक संरक्षकों की, उनकी अपनी निष्ठा के अनुरूप अपने बच्चों की धार्मिक और नैतिक शिक्षा सुनिश्चित करने की स्वतंत्रता का सम्मान करने का वचन देते हैं।

अनुच्छेद 19

1. प्रत्येक व्यक्ति को किसी हस्तक्षेप के बिना अभिमत रखने का अधिकार होगा।

2. प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा; इस अधिकार के अंतर्गत, सीमाओं का ध्यान किए बिना, मौखिक, लिखित या मुद्रित रूप में, कला के रूप में या अपनी रुचि के किसी अन्य संचार माध्यम से सभी प्रकार की सूचना और विचारों की खोज करने, प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता भी है।

3. इस अनुच्छेद के पैरा 2 में उपबंधित अधिकारों के प्रयोग के साथ विशेष कर्तव्य और उत्तरदायित्व जुड़े हुए हैं अतएव यह कुछ निर्बंधनों के अधीन हो सकेगा और ये निर्बन्धन ऐसे ही होंगे जो विधि द्वारा उपबंधित हैं; और

(क) अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और ख्यातियों के प्रति सम्मान के लिए;

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था या लोक स्वास्थ्य या नैतिकता के संरक्षण के लिए, आवश्यक हैं।

अनुच्छेद 20

1. युद्ध का प्रचार विधि द्वारा प्रतिषिद्ध होगा।

2. विभेद, वैमनस्य या हिंसा का उद्दीपन करने वाली राष्ट्रीय, मूलवंश विषयक या धार्मिक घृणा का पक्षपोषण विधि द्वारा प्रतिषिद्ध होगा।

अनुच्छेद 21

शांतिपूर्ण सम्मेलन के अधिकार को मान्यता दी जाएगी। इस अधिकार के प्रयोग पर से भिन्न ऐसे ही निर्बन्धन लगाए जा सकेंगे जो विधि के अनुरूप अधिरोपित किए गए हों और जो लोकतंत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक सुरक्षा, लोक व्यवस्था लोक स्वास्थ्य या नैतिकता के संरक्षण अथवा अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के संरक्षण के हित में आवश्यक हों।

अनुच्छेद 22

1. प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ संगम की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, जिसके अंतर्गत उसके हितों के संरक्षण के लिए व्यवसाय संघ बनाने और उनमें सम्मिलित होने का अधिकार भी है।

2. इस अधिकार के प्रयोग पर ऐसे ही निर्बन्धन लगाए जाएंगे जो विधि द्वारा विहित हैं और लोकतंत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य या नैतिकता के संरक्षण अथवा अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के संरक्षण के हित में आवश्यक हों, यह अनुच्छेद सशस्त्र बलों और पुलिस बलों पर, उनके द्वारा इस अधिकार का प्रयोग किए जाने में, विधिपूर्ण निर्बन्धन अधिरोपित किए जाने को निवारित नहीं करेगा।

3. इस अनुच्छेद की कोई बात अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कंवेंशन, 1948 के पक्षकार राज्यों की संगम बनाने की स्वतंत्रता और संगठन के अधिकार के संरक्षण के संबंध में ऐसे विधायी उपाय करने के लिए या विधि को ऐसी रीति से लागू करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी जिससे उस कंवेंशन में उपबंधित गारंटियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अनुच्छेद 23

1. कुटुम्ब समाज की नैसर्गिक और प्राथमिक सामाजिक इकाई है और समाज और राज्य द्वारा संरक्षण की हकदार है।

2. विवाह योग्य आयु के पुरुषों और स्त्रियों के विवाह करने और कुटुम्ब बनाने के अधिकार को मान्यता दी जाएगी।

3. विवाह के इच्छुक पक्षकारों की स्वतंत्र और पूर्ण सम्मति के बिना कोई विवाह नहीं किया जाएगा।

4. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य विवाह के बारे में, विवाह के दौरान और उसके विघटन पर पति-पत्नी के अधिकारों और दायित्व की समानता को सुनिश्चित करने के लिए समुचित कार्रवाई करेंगे। विघटन की दशा में, बच्चों को आवश्यक संरक्षण प्रदान करने के लिए उपबंध किया जाएगा।

अनुच्छेद 24

1. प्रत्येक बालक को, मूलवंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राष्ट्रीय या सामाजिक उद्भव, सम्पत्ति या जन्म के बारे में विभेद के बिना, उसके कुटुम्ब, समाज और राज्य की ओर से संरक्षण के ऐसे उपायों का अधिकार होगा जो अवयस्क के रूप में उसकी प्रास्थिति में अपेक्षित हैं।

2. प्रत्येक बालक के जन्म के पश्चात् तत्काल रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा और उसका एक नाम होगा।

3. प्रत्येक बालक को एक राष्ट्रिकता अर्जित करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 25

प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 2 में उल्लिखित किसी विभेद के बिना अयुक्तियुक्त निर्बन्धनों के बिना, निम्नलिखित का अधिकार और अवसर होगा:

(क) सीधे या स्वतंत्र रूप में चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से लोक कार्यों के संचालन में भाग लेने का,

(ख) वास्तविक आवधिक निर्वाचनों में, जो सार्वभौम समान मताधिकार से होंगे और ऐसे गुप्त मतदान द्वारा किए जायेंगे, जिसमें निर्वाचकों की इच्छा को स्वतंत्र अभिव्यक्ति की गारंटी होगी, मतदान करने और निर्वाचित होने का,

(ग) समानता के साधारण निर्बन्धनों के आधार पर, अपने देश की लोक सेवा में प्रवेश का।

अनुच्छेद 26

सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान हैं और, किसी विभेद के बिना विधि के समान संरक्षण के हकदार हैं। इस संबंध में, विधि द्वारा प्रत्येक विभेद का प्रतिषेध किया जाएगा और मूलवंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक या अन्य विचार राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, सम्पत्ति, जन्म या अन्य प्रास्थिति जैसे किसी आधार पर विभेद के विरुद्ध सभी व्यक्तियों को समान और प्रभावी संरक्षण की गारंटी दी जाएगी।

अनुच्छेद 27

उन राज्यों में जिनमें जातीय, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक हैं, ऐसे अल्पसंख्यक व्यक्तियों को अपने समूह के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित होकर अपनी स्वयं की संस्कृति का आनन्द लेने, अपने धर्म को मानने और उस पर आचरण करने या अपनी भाषा का प्रयोग करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

भाग 4

अनुच्छेद 28

1. एक मानव अधिकार समिति (जिसे इस प्रसंविदा में इसके पश्चात् 'समिति' कहा गया है) स्थापित की जाएगी। यह अठारह सदस्यों से मिलकर बनेगी और यह इसमें इसके पश्चात् उपबंधित कृत्यों को निष्पादित करेगी।

2. समिति में इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्यों के राष्ट्रिक होंगे, जिनका नैतिक चरित्र ऊंचा होगा और जो मानव अधिकारों के क्षेत्र में मान्य सक्षमता वाले व्यक्ति होंगे। विधिक अनुभव रखने वाले कुछ व्यक्तियों का भाग लेना उपयोगी होगा यह ध्यान में रखा जाएगा।

3. समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा और वे अपनी व्यक्तिगत हैसियत से कार्य करेंगे।

अनुच्छेद 29

1. समिति के सदस्यों का निर्वाचन अनुच्छेद 28 में विहित अर्हताओं वाले और इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्यों द्वारा इस प्रयोजन के लिए नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों की सूची में से गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा।

2. इस प्रसंविदा का पक्षकार प्रत्येक राज्य अधिक से अधिक दो व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा। ये व्यक्ति नामनिर्दिष्ट करने वाले राज्य के राष्ट्रिक होंगे।

3. प्रत्येक व्यक्ति पुन:नामनिर्दिष्ट किए जाने का पात्र होगा।

अनुच्छेद 30

1. प्रारम्भिक निर्वाचन इस प्रसंविदा के प्रवृत्त होने की तारीख के पश्चात् अधिक से अधिक छह मास के भीतर आयोजित किया जाएगा।

2. अनुच्छेद 34 के अनुसार घोषित रिक्त स्थान को भरने के लिए निर्वाचन से भिन्न, समिति के प्रत्येक निर्वाचन की तारीख से कम से कम चार मास पूर्व, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्यों को लिखित रूप में आमंत्रित करेगा कि वे तीन मास के भीतर समिति की सदस्यता के लिए अपने नामनिर्देशन प्रस्तुत करें।

3. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सभी व्यक्तियों की वर्णक्रमानुसार सूची तैयार करेगा, जिसमें उन पक्षकार राज्यों को उपदर्शित किया जाएगा जिन्होंने उन्हें नामनिर्दिष्ट किया है और यह भी कि इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्यों को प्रत्येक निर्वाचन की तारीख से कम से कम एक मास पूर्व प्रस्तुत करेगा।

4. समिति के सदस्यों का निर्वाचन इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्यों के ऐसे अधिवेशन में किया जाएगा जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस अधिवेशन में जिसके लिए गणपूर्ति इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्यों के दो-तिहाई से होगी समिति के लिए निर्वाचित व्यक्ति के नामनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे जो अधिकतम संख्या में मत प्राप्त करेंगे तथा उपस्थित और मतदान करने वाले पक्षकार राज्यों के प्रतिनिधियों के मतों का स्पष्ट बहुमत प्राप्त करेंगे।

अनुच्छेद 31

1. समिति में एक ही राज्य के एक से अधिक राष्ट्रिक नहीं हो सकेंगे।

2. समिति के निर्वाचन में, सदस्यता के साम्यपूर्ण भौगोलिक वितरण और विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं और प्रमुख विधिक पद्धतियों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाएगा।

अनुच्छेद 32

1. समिति के सदस्य चार वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाएंगे यदि वे पुन: नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं तो, वे पुन: निर्वाचन के लिए पात्र होंगे। प्रथम निर्वाचन में निर्वाचित नौ सदस्यों को पदावधि दो वर्ष के अन्त में पूरे हो जाने पर समाप्त हो जाएगी; प्रथम निर्वाचन के तुरंत पश्चात् इन नौ सदस्यों के नामों का चयन अनुच्छेद 30 के पैरा 4 में निर्दिष्ट अधिवेशन के अध्यक्ष द्वारा लाटरी डालकर किया जाएगा।

2. पदावधि की समाप्ति पर निर्वाचन इस प्रसंविदा के इस भाग के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों के अनुसार किया जाएगा।

अनुच्छेद 33

1. यदि अन्य सदस्यों की सर्वसम्मति से यह राय है कि समिति के किसी सदस्य ने अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न, किसी कारण से अपने कृत्यों को निष्पादित करना बंद कर दिया है तो समिति का अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को सूचित करेगा और तब महासचिव उस सदस्य के स्थान को रिक्त घोषित करेगा।

2. समिति के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने या उसके द्वारा पदत्याग किए जाने की दशा में अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को सूचित करेगा और महासचिव मृत्यु की तारीख से या उस तारीख से जिसको पदत्याग प्रभावी होता है स्थान को रिक्त घोषित करेगा।

अनुच्छेद 34

1. अनुच्छेद 33 के अनुसार जब कोई स्थान रिक्त घोषित किया जाता है और प्रतिस्थापित किए जाने वाले सदस्य की पदावधि स्थान रिक्त घोषित किए जाने के छह मास के भीतर समाप्त नहीं होती है तो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव इस प्रसंविदा के पक्षकार प्रत्येक राज्य को सूचित करेगा, और सभी रिक्तियां भरने के प्रयोजन के लिए दो मास के भीतर अनुच्छेद 29 के अनुसार नामनिर्देशन प्रस्तुत कर सकेगा।

2. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की वर्णक्रमानुसार सूची तैयार करेगा और उसे इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्यों को प्रस्तुत करेगा। तब रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन इस प्रसंविदा के इस भाग के सुसंगत उपबंधों के अनुसार होगा।

3. अनुच्छेद 33 के अनुसार घोषित रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित समिति का सदस्य उस सदस्य की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसने उस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन समिति में स्थान रिक्त किया है।

अनुच्छेद 35

समिति के सदस्य संयुक्त राष्ट्र की महासभा के अनुमोदन से संयुक्त राष्ट्र के संचालकों से ऐसे निबंधनों और शर्तों पर ऐसी परिलब्धियां प्राप्त करेंगे जो महासभा समिति के दायित्व के महत्व को ध्यान में रखते हुए विनिश्चित करे।

अनुच्छेद 36

संयुक्त राष्ट्र का महासचिव इस प्रसंविदा के अधीन समिति के कृत्यों के प्रभावपूर्ण पालन के लिए आवश्यक कर्मचारिवृन्द और सुविधाओं की व्यवस्था करेगा।

अनुच्छेद 37

1. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव समिति का प्रारम्भिक अधिवेशन संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में आयोजित करेगा।

2. प्रारम्भिक अधिवेशन के पश्चात् समिति ऐसे समयों पर अधिवेशन करेगी जिनका उसके प्रक्रिया के नियमों में उपबंध किया जाएगा।

3. प्रसामान्यत: समिति संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में या संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा स्थित कार्यालय में अधिवेशन करेगी।

अनुच्छेद 38

समिति का प्रत्येक सदस्य अपने कर्तव्य ग्रहण करने से पूर्व, समिति की बैठक में सत्यनिष्ठा से घोषणा करेगा कि वह अपने कृत्यों का पालन निष्पक्ष रूप में और शुद्ध अन्त:करण से करेगा।

अनुच्छेद 39

1. समिति अपने अधिकरियों का निर्वाचन दो वर्ष की अवधि के लिए करेगी। उन्हें पुन: निर्वाचित किया जा सकेगा।

2. समिति अपनी प्रक्रिया के नियम बनाएगी और इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबन्ध होगा कि:

   (क) गणपूर्ति बारह सदस्यों से होगी।

   (ख) समिति के विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किए जाएंगे।

अनुच्छेद 40

1. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य अपने द्वारा अंगीकृत ऐसे उपायों के बारे में जो इससे मान्यता दिए गए अधिकारों को प्रभावी करते हैं और उन अधिकारों के उपयोग में हुई प्रगति की रिपोर्ट:—

(क) संबंधित पक्षकार राज्यों के लिए इस संविदा के प्रवृत्त होने के एक वर्ष के भीतर,

(ख) उसके पश्चात् जब कभी समिति द्वारा अनुरोध किया जाए,

प्रस्तुत करने का वचन देते हैं।

2. सभी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को प्रस्तुत की जाएंगी, जो उन्हें विचार के लिए समिति को भेजेगा। रिपोर्टों में उन बातों और कठिनाइयों को यदि कोई हो उपदर्शित किया जाएगा जो इस प्रसंविदा के कार्यान्वयन को प्रभावित करती हैं।

3. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव समिति से परामर्श करने के पश्चात् संबंधित विशिष्ट अभिकरणों की रिपोर्टों के ऐसे भागों की प्रतियां भेजेगा जो उनकी सक्षमता के क्षेत्र के भीतर आते हैं।

4. समिति इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्यों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का अध्ययन करेगी। वह अपनी रिपोर्ट और ऐसी साधारण टिप्पणियां जो वह समुचित समझे पक्षकार राज्यों को भेजेगी। समिति इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों की प्रतियों के साथ ये टिप्पणियां आर्थिक और सामाजिक परिषद् को भी भेज सकेगी।

5. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य इस अनुच्छेद के पैरा 4 के अनुसार प्रकट की गई टिप्पणियों पर संप्रेक्षण समिति को प्रस्तुत कर सकेगी।

अनुच्छेद 41

1. इस प्रसंविदा का पक्षकार कोई राज्य इस अनुच्छेद के अधीन किसी भी समय यह घोषित कर सकेगा कि वह समिति की इस आशय की संसूचनाओं को ग्रहण करने और उन पर विचार करने की अधिकारिता को मान्यता देता है कि कोई पक्षकार राज्य यह दावा करता है कि कोई अन्य पक्षकार राज्य इस प्रसंविदा के अधीन अपनी बाध्यताओं को पूरा नहीं कर रहा है। इस अनुच्छेद के अधीन संसूचनाओं को केवल तभी ग्रहण किया जा सकेगा और उन पर तभी विचार किया जा सकेगा जब वे ऐसे पक्षकार राज्य द्वारा प्रस्तुत की गई हो। जिसने स्वयं अपने संबंध में समिति की अधिकारिता को मान्यता दी हो। समिति ऐसी संसूचना को ग्रहण नहीं करेगी जो ऐसे पक्षकार राज्य से संबंधित है जिसने ऐसी घोषणा नहीं की है। इस अनुच्छेद के अधीन ग्रहण की गई संसूचनाओं पर निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगी:

(क) यदि इस प्रसंविदा का पक्षकार कोई राज्य यह समझता है कि कोई अन्य पक्षकार राज्य इस प्रसंविदा के उपबंधों को प्रभावी नहीं कर रहा है तो वह लिखित संसूचना द्वारा उस पक्षकार राज्य का ध्यान उस विषय की ओर दिला सकेगा। संसूचना प्राप्त होने के पश्चात् तीन मास के भीतर प्राप्तकर्ता राज्य संसूचना भेजने वाले राज्य को ऐसा स्पष्टीकरण या अन्य लिखित कथन देगा जिसमें मामले को स्पष्ट किया गया हो जिसमें जहां तक सम्भव और संगत हो, उस मामले में की गई, लम्बित या उपलब्ध घरेलू प्रक्रियाओं और उपचारों के प्रति निर्देश सम्मिलित होंगे।

(ख) यदि मामले का समायोजन प्राप्तकर्ता राज्य द्वारा प्रारम्भिक संसूचना की प्राप्ति के पश्चात् छह मास के भीतर दोनों संबंधित पक्षकार राज्यों के समाधानप्रद रूप में नहीं होता है तो दोनों में से प्रत्येक राज्य को यह अधिकार होगा कि वह समिति को और दूसरे राज्य को सूचना देकर मामला समिति को निर्देशित करे।

(ग) समिति निर्देशित मामले पर कार्रवाई यह अभिनिश्चित करने के पश्चात् ही करेगी कि मामले में, अंतरराष्ट्रीय विधि के साधारणत: मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के अनुरूप, सभी उपलब्ध घरेलू उपचारों का अवलम्ब किया जा चुका है और वे नि:शेष हो चुके हैं। यह नियम वहां लागू नहीं होगा जहां उपचारों को लागू होने में युक्तियुक्त रूप में लम्बा समय लगता है।

(घ) समिति इस अनुच्छेद के अधीन संसूचनाओं की जांच करते समय बंद कमरे में बैठकें करेगी।

(ङ) उप पैरा (ग) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समिति इस प्रसंविदा में मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान के आधार पर मामले के मैत्रीपूर्ण हल की दृष्टि से संबंधित पक्षकार राज्यों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएगी।

(च) समिति उसे निर्दिष्ट किसी मामले में, उप पैरा (ख) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षकार राज्यों से सुसंगत जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगी।

(छ) उप पैरा (ख) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षकार राज्यों को उस समय प्रतिनिधित्व का अधिकार होगा जब समिति में मामले पर विचार किया जा रहा हो और मौलिक रूप से और/या लिखित रूप से बैठक में समावेदन करने का अधिकार होगा।

(ज) समिति उप पैरा (ख) के अधीन सूचना प्राप्त होने की तारीख के पश्चात् बारह मास के भीतर निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी:—

(i) यदि उप पैरा (ङ) के निबंधनों के अनुसार हल हो गया है तो समिति अपनी रिपोर्ट तथ्यों के संक्षिप्त कथन और किए गए हल तक सीमित रखेगी;

(ii) यदि उप पैरा (ङ) के निबंधनों के अनुसार हल नहीं हुआ है तो समिति अपनी रिपोर्ट तथ्यों के संक्षिप्त कथन तक सीमित रखेगी; संबंधित पक्षकार राज्यों द्वारा किए गए लिखित समावेदन को और किए गए मौखिक समावेदनों के अभिलेख को रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा।

प्रत्येक मामले में संबंधित पक्षकार राज्यों को रिपोर्ट की संसूचना दी जाएगी।

2. इस अनुच्छेद के उपबंध उस समय प्रवृत्त होंगे जब इस प्रसंविदा के पक्षकार दस राज्य इस अनुच्छेद के पैरा 1 एक अधीन घोषणा कर देंगे। ऐसी घोषणाएं पक्षकार राज्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा की जाएंगी जो उनकी प्रतियां अन्य पक्षकार राज्यों को भेजेगा। कोई भी घोषणा महासचिव को सूचना देकर किसी भी समय वापस ली जा सकेगी। ऐसे वापस लिए जाने से किसी ऐसे मामले पर विचार करने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इस अनुच्छेद के अधीन पहले ही भेजी गई संसूचना की विषय वस्तु है, महासचिव को घोषणा की वापसी की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् कोई पक्षकार राज्य कोई और संसूचना तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि संबंधित पक्षकार राज्य नई घोषणा नहीं करता है।

अनुच्छेद 42

1. (क) यदि अनुच्छेद 41 के अनुसार समिति को निर्दिष्ट मामला संबंधित पक्षकार राज्यों के समाधानप्रद रूप में हल नहीं होता है तो समिति संबंधित पक्षकार राज्यों की पूर्व सम्मति से, तदर्थ सुलह आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् आयोग कहा गया है) नियुक्त कर सकेगी। आयोग की सेवाएं, इस प्रसंविदा के प्रति सम्मान के आधार पर मामले के सौहार्दपूर्ण हल की दृष्टि से संबंधित पक्षकार राज्यों को उपलब्ध कराई जाएंगी।

(ख) आयोग में संबंधित पक्षकार राज्यों को स्वीकार्य पांच व्यक्ति होंगे। यदि संबंधित पक्षकार राज्य संपूर्ण आयोग या उसके भाग के गठन पर तीन मास के भीतर सहमत होने में असफल रहते हैं तो आयोग के उन सदस्यों का जिनके संबंध में सहमति नहीं हुई है, निर्वाचन समिति के दो-तिहाई बहुमत द्वारा अपने सदस्यों में से गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा।

2. आयोग के सदस्य अपनी वैयक्तिक हैसियत से कार्य करेंगे। वे संबंधित पक्षकार राज्यों के या ऐसे राज्यों के जो इस प्रसंविदा के पक्षकार नहीं हैं या ऐसे पक्षकार राज्य के जिसने अनुच्छेद 41 के अधीन घोषणा नहीं की है, राष्ट्रिक नहीं होंगे।

3. आयोग अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करेगा और अपनी प्रक्रिया के नियम बनाएगा।

4. आयोग की बैठकें प्रसामान्यत: संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में या संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा स्थित कार्यालय में होंगी। वे ऐसे अन्य सुविधाजनक स्थानों पर भी हो सकेंगी जो आयोग संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और संबंधित पक्षकार राज्यों से परामर्श करके अवधारित करे।

5. अनुच्छेद 36 के अनुसार उपबंधित सचिवालय इस अनुच्छेद के अधीन नियुक्त आयोग की भी सेवा करेगा।

6. समिति द्वारा प्राप्त और एकत्र की गई जानकारी आयोग को उपलब्ध कराई जाएगी और आयोग संबंधित पक्षकार राज्य से कोई अन्य सुसंगत जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा।

7. आयोग मामले पर पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात् किन्तु किसी भी दशा में मामले के हाथ में लेने के पश्चात् अधिक से अधिक बारह मास के भीतर संबधित पक्षकार राज्यों को संसूचित करने के लिए एक रिपोर्ट समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा:-

(क) यदि आयोग मामले पर बारह मास के भीतर विचार पूरा करने में असमर्थ रहता है तो वह अपनी रिपोर्ट मामले पर अपने विचार की स्थिति के संक्षिप्त कथन तक सीमित रखेगा;

(ख) यदि इस प्रसंविदा में मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों के प्रति सम्मान के आधार पर मामले का सौहार्दपूर्ण हल हो जाता है तो आयोग अपनी रिपोर्ट तथ्यों के संक्षिप्त कथन और किए गए हल तक सीमित रखेगा;

(ग) यदि उप पैरा (ख) के उपबंधों के अनुसार हल नहीं होता है तो आयोग की रिपोर्ट में संबंधित पक्षकार राज्यों के बीच विवाद्यकों से सुसंगत तथ्य के सभी प्रश्नों पर उसके निष्कर्ष और मामले के सौहार्दपूर्ण हल की सम्भावना पर उसके विचार समाविष्ट होंगे। इस रिपोर्ट में संबंधित पक्षकार राज्यों द्वारा किए गए लिखित समावेदन और मौखिक समावेदनों का अभिलेख भी होगा;

(घ) यदि आयोग की रिपोर्ट उप पैरा (ग) के अधीन प्रस्तुत की जाती है तो संबंधित पक्षकार राज्य, रिपोर्ट प्राप्त होने के तीन मास के भीतर, समिति के अध्यक्ष को यह सूचित करेंगे कि वे आयोग की रिपोर्ट की अंतर्वस्तु को स्वीकार करते हैं या नहीं।

8. इस अनुच्छेद के उपबंध अनुच्छेद 41 के अधीन समिति के दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

9. आयोग के सदस्यों के सभी व्यय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा किए गए प्राक्कलनों के अनुसार संबंधित पक्षकारों में समान रूप से विभाजित होंगे।

10. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को, यदि आवश्यक हो तो, इस अनुच्छेद के पैरा 9 के अनुसार संबंधित पक्षकार राज्यों द्वारा प्रतिपूर्ति से पूर्व, आयोग के सदस्यों के व्यय का संदाय करने की शक्ति होगी।

अनुच्छेद 43

समिति के और तदर्थ सुलह आयोग के वे सदस्य, जो अनुच्छेद 42 के अधीन नियुक्त किए जाएं, संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों पर कंवेंशन की सुसंगत धाराओं में यथा अधिकथित संयुक्त राष्ट्र के मिशन में विशेषज्ञों की सुविधाओं, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के हकदार होंगे।

अनुच्छेद 44

इस प्रसंविदा के कार्यान्वयन के लिए उपबंध संयुक्त राष्ट्र और विशिष्ट अभिकरणों की सांविधानिक लिखतों और कनवेंशनों द्वारा या उनके अधीन मानव अधिकारों के क्षेत्र में विहित प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लागू होंगे और वे इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्यों को, उनके बीच प्रवृत्त साधारण और विशेष अंतरराष्ट्रीय करारों के अनुसार किसी विवाद को तय करने के लिए, अन्य प्रक्रियाओं का अवलम्ब लेने से निवारित नहीं करेंगे।

अनुच्छेद 45

समिति संयुक्त राष्ट्र की महासभा को, आर्थिक और सामाजिक परिषद् के माध्यम से, अपने कार्यकलाप की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

भाग 5

अनुच्छेद 46

इस प्रसंविदा की किसी बात का यह निर्वचन नहीं किया जाएगा कि वह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और विशिष्ट अधिकरणों के संविधानों के ऐसे उपबंधों का ह्रास करती है जो इस प्रसंविदा में दिए गए विषयों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों और विशिष्ट अभिकरणों के उत्तरदायित्वों को परिनिश्चित करते हैं।

अनुच्छेद 47

इस प्रसंविदा की किसी बात का यह निर्वचन नहीं किया जाएगा कि वह लोगों के अपने प्राकृतिक संपदा और संसाधनों के पूर्ण और युक्तियुक्त उपभोग और उपयोग के अंतर्निहित अधिकार का ह्रास करती है।

भाग 6

अनुच्छेद 48

1. यह प्रसंविदा संयुक्त राष्ट्र के सदस्य या उसके किसी विशिष्ट अभिकरण के सदस्य, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संविधान के पक्षकार राज्य और संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा इस प्रसंविदा का पक्षकार बनने के लिए आमंत्रित किसी अन्य राज्य द्वारा हस्ताक्षर के लिए खुली है।

2. यह प्रसंविदा अनुसमर्थन के अधीन है। अनुसमर्थन की लिखतें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा की जाएंगी।

3. यह प्रसंविदा इस अनुच्छेद के पैरा 1 में निर्दिष्ट राज्य द्वारा अधिमिलन के लिए खुली रहेगी।

4. अधिमिलन, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास अधिमिलन की लिखत जमा करके किया जाएगा।

5. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव उन सभी राज्यों को जिन्होंने इस प्रसंविदा पर हस्ताक्षर किए हैं या इससे अधिमिलन किया है, अनुसमर्थन और अधिमिलन की प्रत्येक लिखत के जमा किए जाने की सूचना देगा।

अनुच्छेद 49

1. यह प्रसंविदा अनुसमर्थन या अधिमिलन की पैंतीसवीं लिखत संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा किए जाने की तारीख से तीन मास के पश्चात् प्रवृत्त होगी।

2. अनुसमर्थन या अधिमिलन की पैंतीसवीं लिखत जमा किए जाने के पश्चात्, प्रसंविदा या अनुसमर्थन या इसे अधिमिलन करने वाले प्रत्येक राज्य के लिए, यह प्रसंविदा ऐसे राज्य द्वारा अपने अनुसमर्थन या अधिमिलन की लिखत जमा किए जाने के तीन मास के पश्चात् प्रवृत्त होगी।

अनुच्छेद 50

इस प्रसंविदा के उपबन्धों का विस्तार परिसंघीय राज्यों के सभी भागों में, किसी मर्यादा या अपवाद के बिना होगा।

अनुच्छेद 51

1. इस प्रसंविदा का पक्षकार कोई राज्य संशोधन प्रस्ताव कर सकेगा और उसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास फाइल कर सकेगा। तब महासचिव प्रस्तावित संशोधन इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्यों को इस अनुरोध के साथ संसूचित करेगा कि वे उसे सूचित करें कि क्या वे प्रस्ताव पर विचार करने और मतदान करने के प्रयोजन के लिए पक्षकार राज्यों के सम्मेलन के पक्ष में हैं। यदि कम से कम एक-तिहाई पक्षकार राज्य ऐसे सम्मेलन के पक्ष में हैं तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में सम्मेलन आयोजित करेगा। सम्मेलन में उपस्थित और मतदान करने वाले पक्षकार राज्यों के बहुमत द्वारा अंगीकृत संयुक्त राष्ट्र की महासभा में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

2. संशोधन तब प्रवृत्त होंगे जब वे संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अनुमोदित कर दिए जाएंगे और प्रसंविदा के पक्षकार राज्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा, अपनी-अपनी सांविधानिक प्रक्रिया के अनुसार स्वीकार कर लिए जाएंगे।

3. जब संशोधन प्रवृत्त हो जाते हैं तो वे उन पक्षकार राज्यों पर आबद्धकर होंगे जिन्होंने उन्हें स्वीकार कर लिया है; अन्य पक्षकार राज्य इस प्रसंविदा के उपबन्धों द्वारा और ऐसे पूर्ववर्ती संशोधन द्वारा जो उन्होंने स्वीकार कर लिए हैं आबद्ध होंगे।

अनुच्छेद 52

अनुच्छेद 48 के पैरा 5 के अधीन दी गई अधिसूचनाओं के होते हुए भी. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव उस अनुच्छेद के पैरा 1 में निर्दिष्ट सभी राज्यों को निम्नलिखित विशिष्टियां संसूचित करेगा:—

(क) अनुच्छेद 48 के अधीन हस्ताक्षर, अनुसमर्थन और अधिमिलन;

(ख) अनुच्छेद 49 के अधीन इस प्रसंविदा के प्रवृत्त होने की तारीख और अनुच्छेद 51 के अधीन किसी संशोधन के प्रवृत्त होने की तारीख।

अनुच्छेद 53

1. यह प्रसंविदा जिसके चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी भाषाओं के पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, संयुक्त राष्ट्र के अभिलेखागार में जमा की जाएगी।

2. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव इस प्रसंविदा की प्रमाणित प्रतियां अनुच्छेद 48 में निर्दिष्ट सभी राज्यों को भेजेगा।

4

अंतरराष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकारों पर प्रसंविदा का वैकल्पिक प्रोटोकोल*

इस प्रोटोकोल के पक्षकार राज्य

यह विचार करके कि सिविल और राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा के (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसंविदा कहा गया है) प्रयोजनों की सिद्धि और उसके उपबन्धों के कार्यान्वयन को अग्रसर करने के लिए यह समुचित होगा कि प्रसंविदा के भाग 4 में स्थापित मानव अधिकार समिति को (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'समिति' कहा गया है) प्रसंविदा में उपवर्णित अधिकारों में से किसी अधिकार के अतिक्रमण से व्यथित व्यक्तियों से, इस प्रोटोकोल में यथा उपबंधित संसूचनाएं ग्रहण करने के लिए समर्थ बनाया जाए।

निम्नलिखित करार करते हैं:

अनुच्छेद 1

प्रसंविदा का पक्षकार ऐसा राज्य जो इस प्रोटोकाल का पक्षकार बन जाता है, प्रसंविदा में उपवर्णित अधिकारों में से किसी अधिकार का उस पक्षकार राज्य द्वारा अतिक्रमण किए जाने के कारण व्यथित होने का दावा करने वाले ऐसे व्यक्तियों से जो उसकी अधिकारिता के अधीन, संसूचनाएं प्राप्त करने और उन पर विचार करने की समिति की सक्षमता को मान्यता देता है। समिति ऐसी कोई संसूचना प्राप्त नहीं करेगी जो, प्रसंविदा के ऐसे पक्षकार के बारे में है जो वर्तमान प्रोटोकोल का सदस्य नहीं है।

अनुच्छेद 2

अनुच्छेद 1 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे व्यक्ति जो यह दावा करते हैं कि प्रसंविदा में परिगणित उनके अधिकारों में से किसी अधिकार का अतिक्रमण हुआ है और जिन्होंने सभी उपलब्ध देशीय उपचारों को नि:शेष कर लिया है, समिति को विचार के लिए एक लिखित संसूचना प्रस्तुत कर सकेंगे।

अनुच्छेद 3

समिति इस प्रोटोकाल के अधीन ऐसी संसूचना को अग्राह्य समझेगी जो अनाम है या जिसे वह ऐसी सूचनाओं को प्रस्तुत किए जाने के अधिकार का दुरुपयोग समझती है या प्रसंविदा के उपबंधों से असंगत समझती है।

अनुच्छेद 4

1. अनुच्छेद 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समिति इस प्रोटोकाल के अधीन उसे प्रस्तुत की गई संसूचनाएं इस प्रोटोकाल के पक्षकार उस राज्य के ध्यान में लाएगी जिसके विषय में प्रसंविदा के किसी उपबंध के अतिक्रमण का अभिकथन है।

2. प्राप्तकर्ता राज्य छह मास के भीतर, समिति को लिखित स्पष्टीकरण या कथन प्रस्तुत करेगा जिनमें मामले को स्पष्ट किया जाएगा और वह उपचार बताया जाएगा जो, यदि कोई हो, वह राज्य दे सकता था।

---

*विधि और न्याय मंत्रालय के "मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा" नामक दस्तावेज से और उनकी अनुमति से उद्धृत किया गया।

पक्षकार राज्यों के विरुद्ध व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली शिकायतों या संसूचनाओं पर विचार करने की संभावना की बाबत उपबंध करने के प्रस्ताव को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तारीख 16 दिसम्बर 1966 को अंगीकार किया। बाद में इस प्रस्ताव का नाम, अंतरराष्ट्रीय सिविल और राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा का वैकल्पिक प्रोटोकाल हो गया जो उसी दिन अंगीकार कर लिया गया। तथापि, प्रोटोकोल तारीख 23 मार्च 1976 को प्रवृत्त हुआ। (भारत ने इस वैकल्पिक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।)

अनुच्छेद 5

1. समिति इस प्रोटोकाल के अधीन प्राप्त संसूचनाओं पर संबंधित व्यक्ति द्वारा और संबंधित पक्षकार राज्य द्वारा उसे उपलब्ध कराई गई समस्त लिखित जानकारी को दृष्टि में रखते हुए, विचार करेगी।

2. समिति किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी संसूचना पर तब तक विचार नहीं करेगी जब तक कि उसने यह अभिनिश्चित न कर लिया हो कि:—

(क) उस मामले की अंतरराष्ट्रीय अन्वेषण या सुलह की किसी अन्य प्रक्रिया के अधीन जांच नहीं की जा रही है;

(ख) उस व्यक्ति ने सभी उपलब्ध देशीय उपचार नि:शेषकर लिए हैं। यह नियम वहां नहीं लागू होगा जहां उपचारों के लागू किए जाने में अयुक्तियुक्त रूप में लम्बा समय लगता है।

3. समिति इस प्रोटोकाल के अधीन संसूचनाओं की जांच करते समय बंद कमरे में बैठकें करेगी।

4. समिति अपने विचार संबंधित पक्षकार राज्य और व्यक्ति को भेजेगी।

अनुच्छेद 6

समिति प्रसंविदा के अनुच्छेद 45 के अधीन अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस प्रोटोकाल के अधीन अपने कार्यकलापों का संक्षेप सम्मिलित करेगी।

अनुच्छेद 7

उपनिवेशी देशों और लोगों को स्वाधीनता देने की घोषणा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 14 दिसम्बर, 1960 को अंगीकृत संकल्प 1514 (xv) के उद्देश्यों की प्राप्ति तक इस प्रोटोकाल के उपबंध किसी भी प्रकार से इन लोगों को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और संयुक्त राष्ट्र तथा उसके विशिष्ट अभिकरणों के अधीन अन्य अंतरराष्ट्रीय कनवेंशनों और लिखतों द्वारा दिए गए अर्जी के अधिकार को सीमित नहीं करेंगे।

अनुच्छेद 8

1. यह प्रोटोकाल प्रत्येक ऐसे राज्य द्वारा हस्ताक्षर के लिए खुला है जिसने प्रसंविदा पर हस्ताक्षर किए हैं।

2. यह प्रोटोकाल ऐसे राज्य द्वारा अनुसमर्थन के अधीन रहते हुए है जिसने प्रसंविदा का अनुसमर्थन किया है या इससे अधिमिलन किया है। अनुसमर्थन की लिखतें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा की जाएंगी।

3. यह प्रोटोकाल ऐसे राज्य द्वारा अधिमिलन के लिए खुला रहेगा जिसने प्रसंविदा का अनुसमर्थन किया है या इसमें अधिमिलन किया है।

4. अधिमिलन, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास अधिमिलन की लिखत जमा करके दी जाएगी।

5. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव उन सभी राज्यों को जिन्होंने इस प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए हैं या इससे अधिमिलन किया है, अनुसमर्थन या अधिमिलन की प्रत्येक लिखत के जमा किए जाने की सूचना देगा।

अनुच्छेद 9

1. प्रसंविदा के प्रवृत्त होने के अधीन रहते हुए यह प्रोटोकाल अनुसमर्थन की या अधिमिलन की दसवीं लिखत संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा किए जाने की तारीख से तीन मास के पश्चात् प्रवृत्त होगा।

2. अनुसमर्थन या अधिमिलन की दसवीं लिखत जमा किए जाने के पश्चात् इस प्रोटोकाल का अनुसमर्थन या इससे अधिमिलन करने वाले प्रत्येक राज्य के लिए, यह प्रोटोकाल ऐसे राज्य द्वारा अपने अनुसमर्थन की लिखत जमा किए जाने की तारीख के तीन मास पश्चात् प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 10

इस प्रोटोकाल के उपबंधों का विस्तार परिसंघीय राज्यों के सभी भागों में किसी मर्यादा या अपवाद के बिना, होगा।

अनुच्छेद 11

1. इस प्रोटोकाल का पक्षकार कोई राज्य संशोधन प्रस्तावित कर सकेगा और उसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास फाइल कर सकेगा। तब महासचिव प्रस्तावित संशोधन इस प्रोटोकाल के पक्षकार राज्यों को इस अनुरोध के साथ संसूचित करेगा कि वे उसे सूचित

करे कि क्या वे प्रस्ताव पर विचार करने और मतदान करने के प्रयोजन के लिए पक्षकार राज्यों के सम्मेलन के पक्ष में हैं। यदि कम से कम एक-तिहाई पक्षकार राज्य ऐसे सम्मेलन के पक्ष में हैं तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में सम्मेलन आयोजित करेगा। सम्मेलन में उपस्थित और मतदान करने वाले पक्षकार राज्यों के बहुमत द्वारा अंगीकृत संशोधन अनुमोदन के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

2. संशोधन तब प्रवृत्त होंगे जब वे संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अनुमोदित कर दिए जाएंगे और इस प्रोटोकाल के पक्षकार राज्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा, अपनी-अपनी सांविधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार स्वीकार कर लिए जाएंगे।

3. जब संशोधन प्रवृत्त हो जाते हैं तो वे उन पक्षकार राज्यों पर आबद्ध होंगे जिन्होंने उन्हें स्वीकार कर लिया है, अन्य पक्षकार राज्य इस प्रोटोकाल के उपबंधों द्वारा और ऐसे पूर्ववर्ती संशोधन द्वारा जो उन्होंने स्वीकार कर लिए हों आबद्ध होंगे।

अनुच्छेद 12

1. कोई पक्षकार राज्य इस प्रोटोकाल का किसी भी समय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को संबोधित लिखित सूचना द्वारा प्रत्याख्यान कर सकेगा। प्रत्याख्यान महासचिव द्वारा सूचना प्राप्त होने की तारीख के तीन मास के पश्चात् प्रभावी होगा।

2. प्रत्याख्यान ऐसी संसूचना पर इस प्रोटोकाल के उपबंधों के लागू बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जो प्रत्याख्यान प्रभावी होने की तारीख से पूर्व अनुच्छेद 2 के अधीन प्रस्तुत की गई थी।

अनुच्छेद 13

इस प्रोटोकाल के अनुच्छेद 8 के पैरा 5 के अधीन की गई सूचनाओं के होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र का महासचिव प्रसंविदा के अनुच्छेद 48 के पैरा 1 में निर्दिष्ट सभी राज्यों को निम्नलिखित विशिष्टियां सूचित करेगा:—

(क) अनुच्छेद 8 के अधीन हस्ताक्षर अनुसमर्थन और अधिमिलन;

(ख) अनुच्छेद 9 के अधीन इस प्रोटोकाल के प्रवृत्त होने की तारीख और अनुच्छेद 11 के अधीन किसी संशोधन के प्रवृत्त होने की तारीख;

(ग) अनुच्छेद 12 के अधीन प्रत्याख्यान।

अनुच्छेद 14

1. यह प्रोटोकाल, जिसके चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसिसी, रूसी और स्पेनी भाषाओं के पाठ समान रूप से प्रामाणिक है, संयुक्त राष्ट्र के अभिलेखागार में जमा किया जाएगा।

2. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव इस प्रोटोकाल की प्रमाणित प्रतियां प्रसंविदा के अनुच्छेद 48 में निर्दिष्ट सभी राज्यों को भेजेगा।

5

अन्तरराष्ट्रीय सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर प्रसंविदा का द्वितीय वैकल्पिक प्रोटोकोल, जिसका उद्देश्य मृत्यु दण्ड का उत्सादन है*

वर्तमान प्रोटोकोल के पक्षकार राज्य,

यह विश्वास करके कि मृत्यु दण्ड के उत्सादन से मानव गरिमा और मानव अधिकारों के प्रगामी विकास की अभिवृद्धि होगी,

विश्व मानव अधिकार सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 3, जो 10 दिसम्बर, 1948 को अंगीकार किया गया है, और अन्तरराष्ट्रीय सिविल और राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा, जो 16 दिसम्बर, 1966 को अंगीकार की गई है, के अनुच्छेद 6 का स्मरण करके,

यह नोट करके कि अन्तरराष्ट्रीय सिविल और राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा के अनुच्छेद 6 में, मृत्यु दण्ड के उत्सादन के लिए निर्देश ऐसे दृढ़ शब्दों में किया गया है कि मृत्यु दण्ड का उत्सादन निश्चय ही अति वांछनीय है,

इस बात से आश्वस्त होकर कि मृत्यु दण्ड के उत्सादन के लिए सभी उपायों से, जीवन के अधिकार के उपभोग में प्रगति हुई है,

मृत्यु दण्ड के उत्सादन की बाबत अन्तरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता को कार्यान्वित करने की इच्छा रखकर,

निम्नलिखित करार करते हैं:

अनुच्छेद 1

1. वर्तमान प्रोटोकोल के पक्षकार को किसी भी राज्य की अधिकारिता के भीतर, मृत्यु दण्ड नहीं दिया जाएगा।

2. प्रत्येक पक्षकार राज्य, अपनी अधिकारिता के भीतर मृत्यु दण्ड के उत्सादन के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा।

अनुच्छेद 2

1. वर्तमान प्रोटोकोल में ऐसे किसी आरक्षण के सिवाय कोई आरक्षण अनुज्ञेय नहीं है, जो प्रोटोकोल के अनुसमर्थन या अधिमिलन के समय किया गया होगा और जिसमें युद्धकाल के दौरान किए गए सैनिक प्रकृति के किसी अति गंभीर अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए जाने पर, युद्धकाल में मृत्यु दण्ड के लागू होने का उपबंध है।

2. ऐसा कोई आरक्षण करने वाला पक्षकार राज्य, अनुसमर्थन या अधिमिलन के समय, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को, युद्धकाल के दौरान लागू होने वाले अपने राष्ट्रीय विधान के उपबंध संसूचित करेगा।

---

*वर्ष 1966 में महासभा द्वारा अन्तरराष्ट्रीय सिविल और राजनैतिक अधिकार पर प्रसंविदा के अंगीकार पर प्रसंविदा के अंगीकार किये जाने के 23 वर्ष पश्चात्, द्वितीय वैकल्पिक प्रोटोकोल को, जिसका उद्देश्य मृत्यु दंड का उत्सादन करना था, महासभा ने तारीख 15 दिसम्बर 1989 को अंगीकार किया। (भारत ने इस वैकल्पिक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।)

3. ऐसा आरक्षण करने वाला पक्षकार राज्य, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को, अपने राज्य क्षेत्र को लागू युद्धस्थिति का प्रारंभ और अन्त अधिसूचित करेगा।

अनुच्छेद 3

वर्तमान प्रोटोकोल का पक्षकार राज्य, उक्त प्रसंविदा के अनुच्छेद 40 के अनुसार, मानव अधिकार समिति को अपनी रिपोर्टों में उन उपायों की जानकारी देगा जो उसने वर्तमान प्रोटोकोल को प्रभावी बनाने के लिए अंगीकार किए हों।

अनुच्छेद 4

प्रसंविदा के पक्षकार उन राज्यों के संबंध में, जिन्होंने अनुच्छेद 41 के अधीन कोई घोषणा की है, संसूचना प्राप्त करने और उस पर विचार करने की बाबत मानव अधिकार समिति की सक्षमता, जब कोई पक्षकार राज्य यह दावा करता हो कि अन्य पक्षकार राज्य अपनी बाध्यताओं का निर्वहन नहीं कर रहा है, वर्तमान प्रोटोकोल के उपबंधों तक विस्तारित हो जाएगी, जब तक कि संबंधित पक्षकार राज्य ने अनुसमर्थन या अधिमिलन के समय तत्प्रतिकूल कथन न किया हो।

अनुच्छेद 5

अन्तरराष्ट्रीय सिविल और राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा के, जो 16 दिसम्बर, 1966 को अंगीकार की गई है, प्रथम वैकल्पिक प्रोटोकोल के पक्षकार राज्यों के संबंध में व्यक्तियों से, जो उसकी अधिकारिता में है, संसूचनाएं प्राप्त करने और उन पर विचार करने की बाबत मानव अधिकार समिति की सक्षमता, वर्तमान प्रोटोकोल के उपबंधों तक विस्तारित हो जाएगी, जब तक कि संबंधित पक्षकार राज्य ने अनुसमर्थन या अधिमिलन के समय तत्प्रतिकूल कथन न किया हो।

अनुच्छेद 6

1. वर्तमान प्रोटोकोल के उपबंध, प्रसंविदा के अतिरिक्त उपबंधों के रूप में लागू होंगे।

2. वर्तमान प्रोटोकोल के अनुच्छेद 2 के अधीन किसी आरक्षण की सम्भाव्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वर्तमान प्रोटोकोल के अनुच्छेद 1 के पैरा 1 में प्रत्याभूत अधिकार का, प्रसंविदा के अनुच्छेद 4 के अधीन, अल्पीकरण नहीं होगा।

अनुच्छेद 7

1. वर्तमान प्रोटोकोल पर कोई भी ऐसा राज्य हस्ताक्षर कर सकेगा जिसने प्रसंविदा पर हस्ताक्षर किए हैं।

2. वर्तमान प्रोटोकोल का अनुसमर्थन कोई भी ऐसा राज्य कर सकेगा जिसने प्रसंविदा का अनुसमर्थन कर दिया है या उसमें अधिमिलन कर लिया है। अनुसमर्थन लिखत, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास निक्षिप्त कर दी जाएगी।

3. वर्तमान प्रोटोकोल ऐसा कोई भी राज्य स्वीकार कर सकेगा जिसने प्रसंविदा का अनुसमर्थन कर दिया है या उसमें अधिमिलन कर लिया है।

4. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास अधिमिलन-लिखत निक्षिप्त करके, कोई भी अधिमिलन किया जा सकता है।

5. अनुसमर्थन या अधिमिलन की प्रत्येक लिखत के निक्षिप्त किए जाने की सूचना संयुक्त राष्ट्र का महासचिव ऐसे सभी राज्यों को देगा, जिन्होंने वर्तमान प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं या उसमें अधिमिलन किया है।

अनुच्छेद 8

1. वर्तमान प्रोटोकोल, दसवीं अनुसमर्थन या अधिम्मिलन लिखत संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास निक्षिप्त किए जाने की तारीख से तीन मास के पश्चात् प्रवृत्त होगा।

2. दसवीं अनुसमर्थन या अधिमिलन लिखत निक्षिप्त हो जाने के पश्चात् वर्तमान प्रोटोकोल का अनुसमर्थन करने वाले या उसमें अधिमिलन करने वाले राज्य के लिए, वर्तमान प्रोटोकोल, उस राज्य की अनुसमर्थन या अधिमिलन की लिखत निक्षिप्त होने की तारीख के तीन मास पश्चात् से प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 9

वर्तमान प्रोटोकोल के उपबंध, किन्हीं परिसीमाओं या अपवाद के बिना, परिसंघीय राज्य के प्रत्येक भाग को विस्तारित होंगे।

अनुच्छेद 10

संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, प्रसंविदा के अनुच्छेद 48 के पैरा 1 में निर्दिष्ट सभी राज्यों को निम्नलिखित विशिष्टियां सूचित करेगा:

(क) वर्तमान प्रोटोकोल के अनुच्छेद 2 के अधीन आरक्षण, संसूचनाएं और अधिसूचनाएं;

(ख) वर्तमान प्रोटोकोल के अनुच्छेद 4 या 5 के अधीन किए गए कथन;

(ग) वर्तमान प्रोटोकोल के अनुच्छेद 7 के अधीन किए गए हस्ताक्षर, अनुसमर्थन और अधिमिलन;

(घ) वर्तमान प्रोटोकोल के, अनुच्छेद 8 के अधीन, प्रवृत्त होने की तारीख।

अनुच्छेद 11

1. वर्तमान प्रोटोकोल, जिसके अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पैनिश पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित हैं, संयुक्त राष्ट्र के अभिलेखागार में निक्षिप्त किए जाएंगे।

2. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, वर्तमान प्रोटोकोल की प्रमाणित प्रतियां, प्रसंविदा के अनुच्छेद 48 में निर्दिष्ट सभी राज्यों को भेजेगा।

6

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा*

उद्देशिका

इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य,

यह विचार करके कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में उद्घोषित सिद्धांतों के अनुसार, मानव परिवार के सभी सदस्यों की अंतर्निहित गरिमा और सम्मान तथा अभेद्य अधिकारों की मान्यता विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति का आधार है;

यह मानकर कि ये अधिकार मानव देह की अंतर्निहित गरिमा से व्युत्पन्न हैं,

यह मानकर कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुसार, निर्भीक तथा अभाव रहित स्वतंत्र मानव का आदर्श तभी प्राप्त किया जा सकता है जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाएं जिनमें प्रत्येक व्यक्ति अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों तथा अपने सिविल और राजनैतिक अधिकारों का उपभोग कर सके।

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अधीन मानव अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सार्वभौम सम्मान जागृत करने और उनका पालन कराने की राज्य की बाध्यता का विचार करके,

यह अनुभव करके कि प्रत्येक व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों के प्रति और अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य हैं और वह इस प्रसंविदा में मान्यता दिए गए अधिकारों की अनुवृद्धि और पालन के लिए प्रयास करने के दायित्वाधीन है,

निम्नलिखित अनुच्छेदों का करार करते हैं:

भाग 1

अनुच्छेद 1

1. सभी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार है। इस अधिकार के आधार पर वे अपनी राजनैतिक प्रास्थिति का स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय करते हैं और स्वतंत्रतापूर्वक अपना आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करते हैं।

2. सभी लोग, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, परस्पर लाभ के सिद्धांत और अन्तरराष्ट्रीय विधि पर आधारित अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग से उत्पन्न बाध्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपनी प्राकृतिक संपदा और संसाधनों का स्वतंत्रतापूर्वक व्ययन कर सकेंगे।

3. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य, जिनके अंतर्गत वे राज्य भी हैं जिन पर अस्वशासी और न्यास राज्यक्षेत्रों के प्रशासन का उत्तरदायित्व है, आत्मनिर्णय के अधिकार की प्राप्ति की अनुवृद्धि करेंगे और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के उपबंधों के अनुरूप उस अधिकार का सम्मान करेंगे।

---

*विधि और न्याय मंत्रालय के "मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा" नामक दस्तावेज से और उनकी अनुमति से उद्धृत किया गया।

अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा को महासभा ने तारीख 16 दिसम्बर 1966 को अंगीकार किया और वह तारीख 3 जनवरी 1976 को प्रवृत्त हुई।

भाग 2

अनुच्छेद 2

1. इस प्रसंविदा का पक्षकार प्रत्येक राज्य अकेले और अंतरराष्ट्रीय सहायता और सहयोग से, विशेष रूप से आर्थिक और तकनीकी, सभी समुचित साधनों द्वारा, जिनके अन्तर्गत विशेष रूप से विधायी उपाय करना है, इस प्रसंविदा में मान्यता दिए गए अधिकारों को उत्तरोत्तर पूर्ण रूप से प्राप्त करने की दृष्टि से अपने उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम कार्यवाही करने का वचन देता है।

2. इस कन्वेंशन के पक्षकार राज्य इस गारंटी का वचन देते हैं कि इस प्रसंविदा में प्रतिपादित अधिकारों का प्रयोग मूलवंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक या अन्य विचार, राष्ट्रीय या सामाजिक उद्‌भव, संपत्ति, जन्म या अन्य प्रास्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद के बिना किया जाएगा।

3. विकासशील देश, मानव अधिकारों और अपनी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था का सम्यक् ध्यान रखते हुए, इस बात का निर्णय कर सकेंगे कि वे इस प्रसंविदा से मान्यता प्राप्त आर्थिक अधिकारों की किस विस्तार तक अराष्ट्रिकों को गारंटी देंगे।

अनुच्छेद 3

इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य इस प्रसंविदा में उपवर्णित सभी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उपभोग करने के पुरुषों और स्त्रियों के समान अधिकार को सुनिश्चित करने का वचन देते हैं।

अनुच्छेद 4

इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य इस बात को मान्यता देते हैं कि इस प्रसंविदा के अनुरूप राज्य द्वारा उपबंधित अधिकारों के उपभोग में, राज्य ऐसे अधिकारों पर केवल ऐसे निर्बंधन लगा सकेगा जो विधि द्वारा अवधारित किए जाएं और केवल उस विस्तार तक ऐसा कर सकेगा जिस विस्तार तक वह इन अधिकारों की प्रकृति के अनुरूप हो और केवल प्रजातंत्रात्मक समाज में साधारण कल्याण की अनुवृद्धि के प्रयोजन के लिए ऐसा कर सकेगा।

अनुच्छेद 5

1. इस प्रसंविदा की किसी बात का यह निर्वचन नहीं किया जाएगा कि उससे किसी राज्य, समूह या व्यक्ति को क्रियाकलाप या कोई ऐसा कार्य करने का अधिकार विवक्षित है जिसका लक्ष्य इसमें मान्यता दिए गए अधिकारों और स्वतंत्रताओं में से किसी का विनाश करना है, या इस प्रसंविदा में उपबंधित विस्तार से अधिक विस्तार तक उनको सीमित करना है।

2. किसी देश में विधि, परंपराओं, विनियमों या रूढ़ि द्वारा मान्यता प्राप्त या उसमें विद्यमान किसी मूल मानव अधिकार पर कोई निर्बंधन या उसका कोई अल्पीकरण इस आधार पर ग्रहण नहीं किया जाएगा कि यह प्रसंविदा ऐसे अधिकारों को मान्यता नहीं देती है या उन्हें कम विस्तार तक मान्यता देती है।

भाग 3

अनुच्छेद 6

1. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य काम करने के अधिकार को मान्यता देते हैं, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति का ऐसे काम द्वारा अपनी जीविका प्राप्त करने के अवसर का अधिकार है जिसे वह स्वतंत्रतापूर्वक चुनता है या स्वीकार करता है, और वे इस अधिकार की सुरक्षा के लिए समुचित कदम उठाएंगे।

2. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य द्वारा इस अधिकार को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों के अन्तर्गत तकनीकी और व्यवसायिक मार्गदर्शन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम, सतत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए नीतियां और तकनीक तथा व्यक्ति की मूल राजनैतिक और आर्थिक, स्वतंत्रताओं की सुरक्षाप्रद दशाओं के अधीन पूर्ण और उत्पादक नियोजन है।

अनुच्छेद 7

इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य प्रत्येक व्यक्ति को काम की ऐसी न्यायोचित और अनुकूल दशाओं के अधिकार की मान्यता देते हैं, जिसमें विशेष रूप से निम्नलिखित सुनिश्चित होगा:-

(क) ऐसा पारिश्रमिक, जो सभी कर्मकारों को, कम से कम, निम्नलिखित देता है-

(i) उचित वेतन और किसी भी प्रकार के विभेद के बिना समान मूल्य के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक, विशेष रूप से स्त्रियों को, पुरुषों द्वारा उपभोग की जा रही काम की दशाओं से अनिम्न काम की दशाओं तथा समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी,

(ii) इस प्रसंविदा के उपबन्धों के अनुसार उनके और उनके कुटुम्बों के लिए समुचित जीवन स्तर;

(ख) निरापद और स्वास्थ्यप्रद काम की दशाएं;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति के लिए, उसके नियोजन में समुचित उच्चतर स्तर पर प्रोन्नत किए जाने का समान अवसर, जो ज्येष्ठता और सक्षमता से भिन्न किसी आधार पर नहीं होगा;

(घ) विश्राम, अवकाश और कार्य के घंटों की युक्तियुक्त सीमा और वेतन सहित आवधिक छुट्टियां और सार्वजनिक छुट्टियों के लिए पारिश्रमिक।

अनुच्छेद 8

1. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य निम्नलिखित सुनिश्चित करने का वचन देते हैं:-

(क) प्रत्येक व्यक्ति का, अपने आर्थिक और सामाजिक हितों की प्रोन्नति और संरक्षण के लिए, व्यवसाय संघ बनाने और अपनी इच्छानुसार व्यवसाय संघ में सम्मिलित होने का अधिकार, जो केवल संबंधित संगठन के नियमों के अधीन होगा। इस अधिकार के प्रयोग पर विधि द्वारा विहित निर्बंधनों और उन निर्बंधनों से भिन्न कोई निर्बंधन नहीं लगाए जा सकेंगे जो प्रजातंत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के हित में या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आवश्यक हैं;

(ख) व्यवसाय संघों का राष्ट्रीय परिसंघ या महासंघ स्थापित करने का अधिकार और राष्ट्रीय परिसंघों या महासंघों का अन्तरराष्ट्रीय व्यवसाय संघ गठित करने या उनमें सम्मिलित होने का अधिकार;

(ग) व्यवसाय संघों का स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार, जिस पर विधि द्वारा विहित निर्बंधनों से और ऐसे निर्बंधनों से जो प्रजातंत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के हित में या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए आवश्यक हैं, भिन्न निर्बंधनों के अधीन नहीं होगा;

(घ) हड़ताल करने का अधिकार, परन्तु यह तब जब कि इसका प्रयोग देश विशेष की विधियों के अनुरूप किया जाए।

2. इस अनुच्छेद से सशस्त्र बलों या पुलिस या राज्य के प्रशासन के सदस्यों द्वारा इन अधिकारों के प्रयोग पर विधिपूर्ण निर्बंधनों का अधिरोपण निवारित नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद की कोई बात अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन, 1948 के पक्षकार राज्यों को संगम की स्वतंत्रता और संगठन के अधिकार के संरक्षण के संबंध में ऐसे विधायी उपाय करने के लिए या विधि को ऐसी रीति से लागू करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी जिससे उस कन्वेंशन में उपबंधित गारंटियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

अनुच्छेद 9

इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को जिसके अन्तर्गत सामाजिक बीमा भी है, मान्यता देते हैं।

अनुच्छेद 10

इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य इस बात को मान्यता देते हैं, कि,

1. कुटुम्ब को, जो समाज की नैसर्गिक और प्राथमिक सामाजिक इकाई है, यथासंभव व्यापक संरक्षण और सहायता दी जानी चाहिए। विवाह के इच्छुक पक्षकारों की स्वतंत्र सम्मति से ही विवाह किया जाना चाहिए।

2. माताओं को प्रसव के पूर्व और उसके पश्चात् युक्तियुक्त अवधि के दौरान विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसी अवधि के दौरान, काम करने वाली माताओं के वेतन सहित छुट्टी या पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा फायदों सहित छुट्टी दी जानी चाहिए।

3. माता-पिता या अन्य परिस्थितियों के आधार पर कोई विभेद किए बिना सभी बच्चों और अल्पवय व्यक्तियों के संरक्षण और सहायता के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए। बच्चों और अल्पवय व्यक्तियों का आर्थिक और सामाजिक शोषण से संरक्षण किया जाना चाहिए। उनकी नैतिकता या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या जीवन के लिए खतरनाक या उनके प्रसामान्य विकास को अवरुद्ध करने वाले कार्य में उनका नियोजन विधि द्वारा दण्डनीय होना चाहिए। राज्य, आयु सीमा भी निश्चित करेंगे। सीमाओं से कम आयु में बाल श्रमिकों का वेतन सहित नियोजन विधि द्वारा प्रतिषिद्ध और दण्डनीय होना चाहिए।

अनुच्छेद 11

1. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य प्रत्येक व्यक्ति ने स्वयं उसके लिए और उसके कुटुंब के लिए पर्याप्त जीवन स्तर के, जिसके अंतर्गत पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आवास है और जीवन की दशाओं के निरंतर सुधार के अधिकार को मान्यता देते हैं। पक्षकार राज्य इस अधिकार की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए समुचित कार्रवाई करेंगे और इस दृष्टि से स्वतंत्र सम्मति के आधार पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं।

2. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य, प्रत्येक व्यक्ति के भूख से मुक्त होने के मूल अधिकार को मान्यता देते हुए, अकेले और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से उपाय करेंगे, जिनके अंतर्गत ऐसे विनिर्दिष्ट कार्यक्रम होंगे, जो:-

(क) तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान का पूर्ण रूप से उपयोग करके, पोषण के सिद्धांतों के ज्ञान का प्रसार करके और कृषि व्यवस्था का ऐसी रीति से विकास और सुधार करके जिससे प्राकृतिक साधनों का सर्वाधिक कुशल विकास और उपयोग हो, खाद्य वस्तुओं के उत्पादन, संरक्षण और वितरण के ढंगों में सुधार करने के लिए;

(ख) खाद्य वस्तुओं का आयात करने वाले और खाद्य वस्तुओं का निर्यात करने वाले, दोनों ही प्रकार के, देशों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, विश्व की खाद्य वस्तुओं की आवश्यकता के अनुसार साम्यपूर्ण वितरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

अनुच्छेद 12

1. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य इस बात को मान्यता देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह उच्चतम प्राप्य स्तर के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का आनंद ले।

2. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्यों द्वारा इस अधिकार की पूर्ण रूप से प्राप्ति के लिए की जाने वाली कार्यवाहियों के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए आवश्यक कार्रवाइयां भी होंगी,-

(क) मृतजन्म की दर और शिशु मृत्यु की दर में कमी के लिए और बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए व्यवस्था;

(ख) पर्यावरण विषयक और औद्योगिक स्वस्थ-वृत्त के सभी पहलुओं का सुधार;

(ग) महामारी, स्थानीय उपजीविकाजन्य और अन्य रोगों का निवारण, उपचार और नियंत्रण;

(घ) ऐसी परिस्थितियों का सृजन जिनमें सभी के लिए रोगग्रस्त होने पर चिकित्सीय सेवा और चिकित्सीय देखभाल सुनिश्चित होगी।

अनुच्छेद 13

1. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य प्रत्येक व्यक्ति के शिक्षा के अधिकार को मान्यता देते हैं। वे यह करार करते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व और उसकी गरिमा की भावना का पूर्ण विकास करने और मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आदर की वृद्धि होगा। वे यह करार भी करते हैं कि शिक्षा सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र समाज में प्रभावी रूप से भाग लेने में समर्थ बनाएगी, सभी राष्ट्रों और मूलवंश, नस्ल या धर्म विषयक समूहों के बीच समादर, सहिष्णुता और मैत्री के लिए उद्दिष्ट होगी और शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्यकलापों को अग्रसर करेगी।

2. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य इस बात को मान्यता देते हैं कि इस अधिकार की पूर्ण रूप से प्राप्ति की दृष्टि से:-

(क) प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और सभी के लिए नि:शुल्क होगी;

(ख) विभिन्न प्रकार की माध्यमिक शिक्षा जिसके अंतर्गत तकनीकी और व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा भी है, समुचित साधनों द्वारा और विशेष रूप से उत्तरोत्तर नि:शुल्क शिक्षा प्रारंभ करके साधारणत: उपलब्ध और सभी के लिए सुलभ की जाएगी;

(ग) उच्च शिक्षा, क्षमता के आधार पर, सभी समुचित साधनों द्वारा और विशेष रूप से उत्तरोत्तर नि:शुल्क शिक्षा प्रारंभ करके, सभी के लिए सुलभ की जाएगी;

(घ) उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है या उसकी संपूर्ण अवधि पूरी नहीं की है, यथासंभव, मूल शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा या सघन किया जाएगा;

(ङ) सभी स्तरों पर स्कूलों की प्रणाली का विकास सक्रिय रूप से किया जाएगा, पर्याप्त छात्रवृत्ति प्रणाली स्थापित की जाएगी और शिक्षण कर्मचारिवृन्द की भौतिक दशाओं में निरंतर सुधार किया जाएगा।

3. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य माता-पिता और आवश्यकतानुसार, विधिक संरक्षकों को अपने बच्चों के लिए, लोक प्राधिकरणों द्वारा स्थापित स्कूलों से भिन्न ऐसे स्कूलों का चयन करने की स्वतंत्रता का सम्मान करने का वचन देते हैं जो राज्य द्वारा अधिकथित या अनुमोदित न्यूनतम शिक्षा स्तरों के अनुरूप हैं और उनके बच्चों की धार्मिक और नैतिक शिक्षा उनकी अपनी धारणा के अनुरूप सुनिश्चित करने का वचन देते हैं।

4. इस अनुच्छेद के किसी भाग का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उपवर्णित सिद्धांतों के पालन और इस अपेक्षा के अधीन रहते हुए कि ऐसी संस्थाओं में दी गई शिक्षा राज्य द्वारा अधिकथित न्यूनतम स्तरों के अनुरूप होगी, शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने और निदेशित करने की व्यक्तियों और निकायों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना है।

अनुच्छेद 14

इस प्रसंविदा का पक्षकार प्रत्येक ऐसे राज्य को पक्षकार बनने के समय अपने महानगरीय राज्यक्षेत्र या अपनी अधिकारिता के अधीन अन्य राज्यक्षेत्रों में नि:शुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने में समर्थ नहीं हुआ है, दो वर्ष के भीतर, सभी के लिए नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत के युक्तियुक्त अवधि के भीतर, जो अवधि योजना में नियत की जाएगी, कार्यान्वयन के लिए विस्तृत कार्य-योजना बनाने और अंगीकार करने का वचन देता है।

अनुच्छेद 15

1. इस संविदा के पक्षकार राज्य प्रत्येक व्यक्ति के,-

(क) सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने;

(ख) वैज्ञानिक प्रगति और उसके उपयोजन के फायदों का उपभोग करने;

(ग) किसी ऐसे वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलाकृति के, जिसका वह रचयिता है, परिणामस्वरूप होने वाले नैतिक और भौतिक हितों के संरक्षण से फायदा उठाने, के अधिकार को मान्यता देते हैं।

2. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्यों द्वारा इस अधिकार की पूर्ण रूप से प्राप्ति के लिए की गई कार्रवाई के अंतर्गत वे कार्रवाइयां होंगी जो विज्ञान और संस्कृति के संरक्षण, विकास और विस्तार के लिए आवश्यक हैं।

3. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य वैज्ञानिक अनुसंधान और सृजन कार्य के लिए अनिवार्य स्वतंत्रता का सम्मान करने का वचन देते हैं।

4. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय संपर्क और सहयोग के प्रोत्साहन और विकास से व्युत्पन्न होने वाले फायदों को मान्यता देते हैं।

भाग 4

अनुच्छेद 16

1. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य प्रसंविदा के इस भाग के अनुरूप उन उपायों पर जो उन्होंने किए हैं और इसमें मान्यता दिए गए अधिकारों के पालन कराने के विषय में की गई प्रगति पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का वचन देते हैं।

2. (क) सभी प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को प्रस्तुत किए जाएंगे और वह उनकी प्रतियां इस प्रसंविदा के उपबंधों के अनुसार विचार के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद् को भेजेगा।

(ख) संयुक्त राष्ट्र का महासचिव इस प्रसंविदा के ऐसे पक्षकार राज्यों से जो विशिष्ट अधिकरणों के भी सदस्य हैं प्राप्त रिपोर्टें या उनके सुसंगत भागों की प्रतियां विशिष्ट अभिकरणों को भेजेगा किंतु उसी सीमा तक जिस तक ये रिपोर्टें या उनके भाग ऐसे विषयों से संबंधित हैं जो उक्त अभिकरणों की संवैधानिक लिखतों के अनुसार उक्त अभिकरणों के उत्तरदायित्वों के अंतर्गत आते हैं।

अनुच्छेद 17

1. इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य अपनी रिपोर्टें, आर्थिक और सामाजिक परिषद् द्वारा इस प्रसंविदा के प्रवृत्त होने के एक वर्ष के भीतर, पक्षकार राज्यों और संबंधित विशिष्ट अभिकरणों से परामर्श के पश्चात् निश्चित कार्यक्रम के अनुसार क्रमिक रूप से देंगे।

2. रिपोर्टों में यह उपदर्शित होगा कि इस प्रसंविदा के अधीन बाध्यता की पूर्ति प्रभावित करने वाली कौन सी बातें और कठिनाइयां हैं।

3. जहां इस प्रसंविदा के पक्षकार किसी राज्य द्वारा सुसंगत जानकारी पहले ही संयुक्त राष्ट्र को या किसी विशिष्ट अभिकरण को दे दी गई है वहां वह जानकारी पुनः देना आवश्यक नहीं होगा, किंतु इस प्रकार दी गई जानकारी के प्रति सही-सही निर्देश पर्याप्त होगा।

अनुच्छेद 18

आर्थिक और सामाजिक परिषद् मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अधीन अपने उत्तरदायित्वों के अनुसरण में, इस प्रसंविदा के ऐसे उपबंधों के पालन में जो उनके कार्यकलाप के प्रविषय में आते हैं की गई प्रगति पर उसको विशिष्ट अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली रिपोर्टों की बाबत, विशिष्ट अभिकरणों से व्यवस्था कर सकेगी। इन रिपोर्टों के अतंर्गत उनके सक्षम अंगों द्वारा अंगीकृत ऐसे कार्यान्वयन पर विनिश्चयों और सिफारिशों की विशिष्टियां भी हो सकेंगी।

अनुच्छेद 19

आर्थिक और सामाजिक परिषद् अनुच्छेद 16 और 17 के अनुसार राज्यों द्वारा प्रस्तुत मानव अधिकारों से संबंधित और अनुच्छेद 18 के अनुसार विशिष्ट अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत मानव अधिकारों से संबंधित रिपोर्टें मानव अधिकार आयोग को अध्ययन और साधारण सिफारिश के लिए या, जैसा समुचित हो, जानकारी के लिए भेज सकेगी।

अनुच्छेद 20

इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य और संबंधित विशिष्ट अभिकरण अनुच्छेद 19 के अधीन की गई किसी साधारण सिफारिश पर या मानव अधिकार आयोग की किसी रिपोर्ट में या उसमें निर्दिष्ट किसी दस्तावेज में ऐसी साधारण सिफारिश के प्रति निर्देश पर आर्थिक और सामाजिक परिषद् को विचार प्रस्तुत कर सकेंगे।

अनुच्छेद 21

आर्थिक और सामाजिक परिषद् समय-समय पर महासभा को साधारण प्रकृति की सिफारिशों के साथ रिपोर्टें और इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्यों तथा विशिष्ट अभिकरणों से इस प्रसंविदा में मान्यता दिए गए अधिकारों के साधारण पालन के लिए किए गए उपायों और की गई प्रगति पर प्राप्त जानकारी का संक्षेप प्रस्तुत कर सकेगी।

अनुच्छेद 22

आर्थिक और सामाजिक परिषद् संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों, उनके आनुषंगिक अंगों और तकनीकी सहायता देने से संबंधित विशिष्ट अभिकरणों का ध्यान इस प्रसंविदा के इस भाग में निर्दिष्ट रिपोर्टों से उद्भूत ऐसे विषयों की ओर दिला सकेगी जिनसे ऐसे निकायों को, अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, इस प्रसंविदा के प्रभावी उत्तरोत्तर कार्यान्वयन में योगदान दे सकने वाले अंतर्राष्ट्रीय उपाय के औचित्य पर विनिश्चय करने में सहायता मिल सकती है।

अनुच्छेद 23

इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य यह करार करते हैं कि इस प्रसंविदा में मान्यता दिए गए अधिकारों की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के अंतर्गत कन्वेंशन करना, सिफारिशें करना, तकनीकी सहायता देना और संबंधित सरकारों के साथ मिलकर, परामर्श और अध्ययन के प्रयोजन के लिए, प्रादेशिक अधिवेशन और तकनीकी अधिवेशन आयोजित करना आदि भी आते हैं।

अनुच्छेद 24

इस प्रसंविदा की किसी बात का यह निर्वचन नहीं किया जाएगा कि वह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के और ऐसे विशिष्ट अभिकरणों के संविधानों के जो इस प्रसंविदा में दिए गए विषयों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों के तथा विशिष्ट अभिकरणों के उत्तरदायित्वों को परिनिश्चित करते हैं, उपबंधों का ह्रास करती है।

अनुच्छेद 25

इस प्रसंविदा की किसी बात का यह निर्वचन नहीं किया जाएगा कि वह सभी लोगों के अपने प्राकृतिक धन और संसाधनों का पूर्णत: और स्वतंत्रतापूर्वक उपभोग और उपयोग करने के अंतर्निहित अधिकार का ह्रास करती है।

भाग 5

अनुच्छेद 26

1. इस प्रसंविदा पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य या उसके किसी विशिष्ट अभिकरण के सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान के पक्षकार राज्य और संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा इस प्रसंविदा का पक्षकार बनने के लिए आमंत्रित कोई अन्य राज्य हस्ताक्षर कर सकेंगे।

2. यह प्रसंविदा अनुसमर्थन के अधीन है। अनुसमर्थन की लिखतें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा की जाएंगी।

3. यह प्रसंविदा इस अनुच्छेद के पैरा 1 में निर्दिष्ट किसी भी राज्य द्वारा अधिमिलन के लिए खुली रहेगी।

4. अधिमिलन, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास अधिमिलन की लिखत जमा करके किया जाएगा।

5. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव उन सभी राज्यों को जिन्होंने इस प्रसंविदा पर हस्ताक्षर किए हैं या इससे अधिमिलन किया है, अनुसमर्थन और अधिमिलन की प्रत्येक लिखत के जमा किए जाने की सूचना देगा।

अनुच्छेद 27

1. यह प्रसंविदा अनुसमर्थन या अधिमिलन की पैंतीसवीं लिखत के संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा किए जाने की तारीख से तीन मास के पश्चात् प्रवृत्त होगी।

2. अनुसमर्थन या अधिमिलन की पैंतीसवीं लिखत जमा किए जाने के पश्चात् प्रसंविदा का अनुसमर्थन या अधिमिलन करने वाले प्रत्येक राज्य के लिए यह प्रसंविदा ऐसे राज्य द्वारा अनुसमर्थन या अधिमिलन की लिखत जमा किए जाने के तीन मास पश्चात् प्रवृत्त होगी।

अनुच्छेद 28

इस प्रसंविदा के उपबंधों का विस्तार परिसंघीय राज्यों के सभी भागों पर, किसी सीमा या अपवाद के बिना होगा।

अनुच्छेद 29

1. इस प्रसंविदा का पक्षकार कोई भी राज्य संशोधन का प्रस्ताव कर सकेगा और उसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास फाइल कर सकेगा। तब महासचिव प्रस्तावित संशोधन इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्यों को इस अनुरोध के साथ संसूचित कर सकेगा कि वे उसे सूचित करें कि क्या वे प्रस्ताव पर विचार करने और मतदान करने के प्रयोजन के लिए पक्षकार राज्यों के सम्मेलन के पक्ष में हैं। यदि कम से कम एक तिहाई पक्षकार राज्य ऐसे सम्मेलन के पक्ष में हों तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में सम्मेलन आयोजित करेगा। सम्मेलन में उपस्थित और मतदान करने वाले पक्षकार राज्यों के बहुमत द्वारा अंगीकृत संशोधन अनुमोदन के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

2. संशोधन तब प्रवृत्त होंगे जब वे संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अनुमोदित कर दिए जाएंगे और इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा, अपनी-अपनी सांविधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार, स्वीकार कर लिए जाएंगे।

3. जब संशोधन प्रवृत्त हो जाते हैं तो वे उन पक्षकार राज्यों पर आबद्धकर होंगे जिन्होंने उन्हें स्वीकार कर लिया है; अन्य पक्षकार राज्य इस प्रसंविदा के उपबंधों से और ऐसे पूर्ववर्ती संशोधन से जो उन्होंने स्वीकार कर लिया हो, आबद्ध बने रहेंगे।

अनुच्छेद 30

अनुच्छेद 26 के पैरा 5 के अधीन दी गई सूचनाओं के होते हुए भी, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव उस अनुच्छेद के पैरा 1 में निर्दिष्ट सभी राज्यों को निम्नलिखित विशिष्टियां सूचित करेगा:—

(क) अनुच्छेद 26 के अधीन हस्ताक्षर, अनुसमर्थन और अधिमिलन;

(ख) अनुच्छेद 27 के अधीन इस प्रसंविदा के प्रवृत्त होने की तारीख और अनुच्छेद 29 के अधीन किसी संशोधन के प्रवृत्त होने की तारीख।

अनुच्छेद 31

1. यह प्रसंविदा, जिसके चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसिसी, रूसी और स्पेनी भाषाओं के पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, संयुक्त राष्ट्र के अभिलेखागार में जमा की जाएगी।

2. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव इस प्रसंविदा की प्रमाणित प्रतियां अनुच्छेद 26 में निर्दिष्ट सभी राज्यों को भेजेगा।

7

सभी प्रकार के मूलवंशीय विभेदों को दूर करने का अन्तरराष्ट्रीय कनवेंशन*

इस कनवेंशन के पक्षकार राज्य,

इस बात पर विचार करके कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर सभी मानवों में अन्तर्निहित गरिमा और समता के सिद्धांतों पर आधारित है और यह कि सभी सदस्य राज्य, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में से उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो सभी मानव अधिकारों और सभी के लिए मूल स्वतंत्रताओं के लिए मूलवंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किए बिना और अनुपालन को प्रोन्नत और प्रोत्साहित करने के बारे में है, संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से, संयुक्तत: और पृथकत:, कार्रवाई करने का वचन देते हैं।

इस बात पर विचार करके कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में यह उद्घोषित किया गया है कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप में जन्में हैं और गरिमा तथा अधिकारों की दृष्टि से समान हैं तथा यह कि प्रत्येक व्यक्ति उसमें वर्णित सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का हकदार है और इस बाबत किसी भी प्रकार का, विशिष्टत: मूलवंश, रंग या राष्ट्रीय मूल के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा।

इस बात पर विचार करके कि सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान हैं और वे किसी विभेद या विभेद के उत्प्रेरण के विरुद्ध विधि के समान संरक्षण के हकदार हैं।

इस बात पर विचार करके कि संयुक्त राष्ट्र ने उपनिवेशवाद की और तत्संबंधी पृथक्करण और विभेद करने विषयक सभी पद्धतियों की, चाहे उसका स्वरूप जो भी हो और वह कहीं भी विद्यमान हो, भर्त्सना की है और यह कि 14 दिसम्बर, 1960 की, उपनिवेश-देशों और व्यक्तियों को स्वतंत्रता देने की घोषणा [महासभा संकल्प 1514 (xv)], ने उक्त बुराई को शीघ्रातिशीघ्र और अशर्त रूप से समाप्त कर देने की आवश्यकता को पुष्ट करते हुए सत्यनिष्ठ उद्घोषणा की।

इस बात पर विचार करके कि 20 नवम्बर, 1963 को, सभी मूलवंशीय विभेदों को समाप्त करने की संयुक्त राष्ट्र घोषणा [महासभा संकल्प 1904 (xviii)] सत्यनिष्ठा से यह पुष्ट करती है कि विश्व भर में कहीं भी व्याप्त मूलवंशीय विभेदों को, चाहे उसका जो भी रूप या अभिव्यक्ति हो, शीघ्रातिशीघ्र समाप्त कर दिया जाए और मानव की गरिमा के प्रति सम्मान और सहानुभूति को प्रोत्साहित किया जाए।

यह स्वीकार करके कि मूलवंशीय विभेद पर आधारित वरिष्ठता का कोई भी सिद्धांत, वैज्ञानिक दृष्टि से मिथ्या, नैतिक दृष्टि से भर्त्सना योग्य, सामाजिक दृष्टि से अनुचित और जोखिमपूर्ण है तथा कहीं भी किसी भी रूप में मूलवंशीय विभेद के लिए सिद्धान्तत: अथवा व्यवहार्यता कोई औचित्य नहीं है।

इस बात की पुन: पुष्टि करते हुए कि मूलवंश, रंग या जातीय उद्भव के आधारों पर व्यक्तियों के बीच विभेद, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण और शान्तिपूर्ण संबंधों के लिए, एक अड़चन है और उससे एक ही राज्य के भीतर एक साथ रह रहे व्यक्तियों के बीच विद्यमान शान्ति और सुरक्षा एवं सामंजस्य भंग हो सकता है,

*संयुक्त राष्ट्र द्वारा रचित लिखतों में से अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के लिखत अति महत्वपूर्ण है। यह कनवेंशन तारीख 21 दिसम्बर 1965 को स्वीकार किया गया और इसके द्वारा एक मानीटरन और अनुवर्ती कार्य करने के लिए एक तंत्र की स्थापना की गई है।

यह स्वीकार करके कि मूलवंशीय भेदभाव किसी भी मानव-समाज के आदर्शों के प्रतिकूल है,

इस बात से त्रसित होकर कि विश्व के कुछ क्षेत्रों में मूलवंशीय विभेद और मूलवंशीय श्रेष्ठता या घृणा पर आधारित सरकारी नीतियां, जैसे रंगभेद, पृथक्करण या विलगीकरण विषयक नीतियां, आज भी विद्यमान हैं,

यह संकल्प करके कि मूलवंशीय विभेद, चाहे वह जिस रूप या अभिव्यक्ति में हो, शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं और मूलवंशों के बीच सामंजस्य बढ़ाने के लिए मूलवंशीय सिद्धांतों और प्रथाओं का उन्मूलन किया जाए और उनका विरोध किया जाए तथा ऐसा कोई अन्तरराष्ट्रीय समाज सृजित किया जाए जो सभी प्रकार के मूलवंशीय पृथक्करण और मूलवंशीय विभेद से मुक्त हों,

वर्ष 1958 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अंगीकृत, नियोजन और व्यवसाय विषयक विभेद से संबंधित कनवेंशन को ध्यान में रखते हुए और शिक्षण के क्षेत्र में विभेद के विरुद्ध कनवेंशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने वर्ष 1960 में अंगीकार किया है, को ध्यान में रख कर,

मूलवंशीय विभेद को, उसके सभी रूपों में, समाप्त करने की बाबत संयुक्त राष्ट्र की घोषणा में समाविष्ट सिद्धांतों को कार्यान्वित करने की इच्छा से तथा उस उद्देश्य से व्यावहारिक उपायों का शीघ्रातिशीघ्र अंगीकरण सुनिश्चित करने की इच्छा से निम्नलिखित रूप में करार करते हैं:—

भाग 1

अनुच्छेद 1

1. इस कनवेंशन में ''मूलवंशीय विभेद'' पद से अभिप्रेत है, मूलवंश, रंग, अवजनन या राष्ट्रीयता या जातीय मूल पर आधारित ऐसा कोई विभेद, अपवर्जन, निर्बंध या अधिमान, जिसका प्रयोजन या प्रभाव, सार्वजनिक जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या किसी अन्य क्षेत्र में, मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं को, समता के आधार पर, मान्यता, उपयोग या प्रयोग को निराकृत करना या सीमित करना है।

2. यह कनवेंशन उन विभेदों, अपवर्जनों, निर्बन्धनों या अधिमानों पर लागू नहीं होगा जो इस कन्वेंशन के पक्षकार राज्यों ने, नागरिकों और गैर-नागरिकों के बीच प्रयोग करने के लिए बनाए हैं।

3. इस कन्वेंशन में किसी बात का यह निर्वचन नहीं किया जाएगा कि वह पक्षकार राज्यों की राष्ट्रिकता, नागरिकता या देशीयकरण से संबंधित, विधिक उपबंधों को किसी भी रूप में प्रभावित करता है, परन्तु यह तब जब ऐसे उपबंध किसी विशिष्ट राष्ट्रिकता के प्रति विभेदकारी न हों।

4. कतिपय मूलवंशीय या जातीय समूहों या ऐसे व्यक्तियों का, जिन्हें ऐसे संरक्षण की आवश्यकता हो, पर्याप्त विकास सुनिश्चित करने के एकमात्र प्रयोजन से किए गए, यथावश्यक विशेष उपायों को, जिनसे कि प्रत्येक ऐसे समूह या व्यक्ति के लिए मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं का समान उपभोग या उपयोग सुनिश्चित हो सकें, मूलवंशीय विभेद नहीं समझा जाएगा, परन्तु यह कि ऐसे उपायों के परिणामस्वरूप, विभिन्न मूलवंशीय समूहों के लिए पृथक अधिकारों का सृजन न हो और यह कि वे उपाय उन उद्देश्यों की प्राप्ति के पश्चात्, जिनके लिए वे किए गए हों, चालू न रहें।

अनुच्छेद 2

1. पक्षकार राज्य मूलवंशीय विभेद की भर्त्सना करते हैं और यह वचन देते हैं कि वे, समस्त प्रकार के मूलवंशीय विभेद दूर करने और सभी मूलवंशों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देने की नीति का सभी समुचित तरीकों से, अविलम्ब अनुसरण करेंगे और इस उद्देश्य से:

(क) प्रत्येक पक्षकार राज्य यह वचन देता है कि वह व्यक्तियों, व्यक्ति-समूहों या संस्थाओं के विरुद्ध मूलवंशीय विभेद विषयक किसी कार्य या पद्धति का अनुसरण नहीं करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सार्वजनिक प्राधिकारी और सार्वजनिक संस्थाएं, चाहे वे राष्ट्रीय हों या स्थानीय, उक्त बाध्यता के अनुरूप कार्य करेंगी;

(ख) प्रत्येक पक्षकार राज्य यह वचन देता है कि वह किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा किए जा रहे मूलवंशीय विभेद का प्रायोजन, प्रतिरक्षा या समर्थन नहीं करेगा;

(ग) प्रत्येक पक्षकार राज्य, सरकारी, राष्ट्रीय और स्थानीय नीतियों के पुनर्विलोकन के लिए और ऐसी किन्हीं विधियों और विनियमों के संशोधन, विखण्डन या अकृतकरण के लिए कारगर उपाय करेगा जिनके परिणामस्वरूप मूलवंशीय विभेद का सृजन होता हो या वहां जहां वह विद्यमान है, स्थायी बन जाता हो;

(घ) प्रत्येक पक्षकार राज्य, सभी समुचित साधनों द्वारा, जिनके अंतर्गत परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित विधान बनाना भी है, किसी व्यक्ति, समूह या संगठन द्वारा किए जाने वाले मूलवंशीय विभेद को प्रतिषिद्ध करेगा और उसका अंत करेगा;

(ङ) प्रत्येक पक्षकार राज्य वचन देता है कि वह एकतावादी बहु मूलवंशीय संगठनों और आंदोलनों की अखण्डता को, जहां समुचित हो, प्रोत्साहित करेगा और मूलवंशों के बीच बनी दीवारों को गिराने के लिए अन्य उपाय करेगा तथा ऐसे किसी कार्य को हतोत्साहित करेगा जिससे मूलवंशीय विभाजन पुष्ट होता हो।

2. पक्षकार राज्य कतिपय मूलवंशीय समूहों या उनके व्यक्तियों का पर्याप्त विकास और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ऐसे विशेष और ठोस उपाय करेगा जिनसे कि उनके लिए, मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के पूर्ण और समान उपभोग की गारण्टी हो सके। किसी भी दशा में इन उपायों का परिणाम यह नहीं हो सकेगा कि विभिन्न मूलवंशीय समूहों के लिए उन उद्देश्यों की प्राप्ति के पश्चात्, जिनके लिए वे उपाय किए गए हों; कोई असमान या पृथक अधिकार स्थायी हो जाएं।

अनुच्छेद 3

पक्षकार राज्य मूलवंशीय पृथक्करण और रंगभेद की भर्त्सना करते हैं और यह वचन देते हैं कि वे अपने क्षेत्राधिकार वाले राज्य क्षेत्रों से, इस प्रकार की सभी पद्धतियों का प्रतिरोध करेंगे, उन्हें प्रतिषिद्ध करेंगे और उखाड़ फेकेंगे।

अनुच्छेद 4

पक्षकार राज्य ऐसे सभी प्रचारों और संगठनों की भर्त्सना करते हैं जो किसी एक मूलवंश या एक रंग या जातीय मूल के व्यक्तियों के समूह की वरिष्ठता के सिद्धांत पर आधारित हैं अथवा जो मूलवंशीय घृणा या किसी भी प्रकार के विभेद को उचित ठहराते हैं या उसे बढ़ावा देते हैं और यह भी वचन देते हैं कि वे ऐसे विभेद के लिए सभी उद्दीपनों या कार्यों को निर्मूल करने के लिए तुरन्त और सकारात्मक उपाय करेंगे और इस उद्देश्य से, सार्वभौम मानव अधिकारों की घोषणा में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को तथा इस कनवेंशन के अनुच्छेद 5 में स्पष्टत: उपवर्णित अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य करेंगे:—

(क) ऐसे सभी विचारों के प्रसारण को, जो मूलवंशीय वरिष्ठता या घृणा पर आधारित हैं, मूलवंशीय विभेद के उत्प्रेरण को तथा किसी मूलवंश या किसी अन्य रंग के मानव जाति के व्यक्ति-समूह के विरुद्ध सभी हिंसक कार्यों या ऐसे हिंसक कार्यों के उत्प्रेरण को, और मूलवंश विषयक क्रियाकलापों के लिए उपबंध करने को, जिसमें उसका वित्तीय पोषण सम्मिलित है; विधि द्वारा दण्डनीय अपराध घोषित करेंगे;

(ख) ऐसे सभी संगठनों को तथा ऐसे सभी संगठित और अन्य प्रचार क्रियाकलापों को, जिनसे मूलवंशीय विभेद को बढ़ावा मिलता है और उसका उत्प्रेरण होता है, अवैध और प्रतिषिद्ध घोषित करेंगे और ऐसे संगठनों या क्रियाकलापों में भागीदारी को विधि द्वारा दंडनीय अपराध घोषित करेंगे;

(ग) किसी सार्वजनिक प्राधिकारी या सार्वजनिक संस्था को, चाहे वह राष्ट्रीय हो या स्थानीय, मूलवंशीय विभेद को बढ़ावा देने या उत्प्रेरित करने की अनुज्ञा नहीं देंगे।

अनुच्छेद 5

इस कनवेंशन के अनुच्छेद 2 में अधिकथित मूल बाध्यताओं के निर्वहण में पक्षकार राज्य यह वचन देते हैं कि वे मूलवंशीय विभेद चाहे वह जिस रूप में हो, को प्रतिषिद्ध एवं समाप्त करेंगे और विधि के समक्ष समता का प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार मूलवंश, रंग अथवा राष्ट्रीय या मानव जातीय मूल विषयक विभेद किए बिना, विशिष्टत: निम्नलिखित अधिकारों के उपभोग की बाबत, प्रत्याभूत करेंगे:—

(क) अभिकरणों के और न्याय का प्रशासन करने वाले सभी अन्य निकायों के समक्ष, समान व्यवहार पाने का अधिकार;

(ख) हिंसा या शारीरिक क्षति, चाहे वह सरकारी पदाधिकारी द्वारा पहुंचाई जाए अथवा किसी व्यक्ति समूह या संस्था द्वारा पहुंचाई जाए, के विरुद्ध राज्य से दैहिक सुरक्षा और संरक्षण पाने का अधिकार;

(ग) राजनीतिक अधिकार, विशिष्टत: निर्वाचनों में भाग लेने का सार्वभौमिक और समान मतदान के आधार पर मत देने और निर्वाचन में खड़े होने का अधिकार, सरकार में तथा किसी भी स्तर के सार्वजनिक कार्यों के संचालन में भाग लेने का तथा सार्वजनिक सेवा के लिए समान पहुंच प्राप्त करने का अधिकार;

(घ) अन्य सिविल अधिकार, विशिष्टत:

(i) राज्य की सीमाओं के भीतर आने जाने और निवास करने की स्वतंत्रता का अधिकार;

(ii) किसी भी देश को छोड़ने का, जिसमें अपना देश भी सम्मिलित है, का अधिकार और अपने देश को लौटने का अधिकार;

(iii) राष्ट्रीयता का अधिकार;

(iv) विवाह करने और पति/पत्नी चयन करने का अधिकार;

(v) अपने ही स्वामित्व में तथा अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त स्वामित्व में, संपत्ति रखने का अधिकार;

(vi) वारिस होने का अधिकार;

(vii) विचारों, अन्त:करण और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार;

(viii) मत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार;

(ix) शांतिपूर्वक एकत्र होने और संगम बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार;

(ङ) आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, विशिष्टत:

(i) कार्य करने, नियोजन चुनने, कार्य की उचित और अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध, बेकारी से संरक्षण प्राप्त करने, समान कार्य के लिए समान वेतन पाने, उचित और अनुकूल पारिश्रमिक पाने का अधिकार;

(ii) व्यापार संघ बनाने और उसमें सम्मिलित होने का अधिकार;

(iii) मकान बनाने का अधिकार;

(iv) सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सीय देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सेवा का अधिकार;

(v) शिक्षा और प्रशिक्षण का अधिकार;

(vi) सांस्कृतिक क्रियाकलापों में समान रूप से भाग लेने का अधिकार।

(च) ऐसे किसी स्थान पर जाने या कोई भी सेवा प्राप्त करने का अधिकार, जो सामान्य जनता के उपयोग के लिए अभिप्रेत है, जैसे, परिवहन, होटल, जलपान गृह, कैफे, थियेटर और पार्क।

अनुच्छेद 6

पक्षकार राज्य अपनी-अपनी क्षेत्राधिकारिता के भीतर, यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे किसी भी विभेदकारी कार्यों के विरुद्ध, जो इस कनवेंशन के प्रतिकूल रहते हुए उसके मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं का अतिक्रमण करते हैं, सक्षम राष्ट्रीय अधिकरणों और अन्य सरकारी संस्थाओं के माध्यम से, प्रभावी संरक्षण और उपचार प्राप्त हो और उसे ऐसे अधिकरणों से ऐसे विभेद के कारण हुए नुकसान की उचित और पर्याप्त पूर्ति या तुष्टि प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो।

अनुच्छेद 7

पक्षकार राज्य, ऐसे पूर्वग्रहों से, जिनके कारण मूलवंशीय विभेद उत्पन्न होता है, लड़ने के लिए, विशिष्टत: शिक्षण, शिक्षा, संस्कृति और आसूचना के क्षेत्रों में, तात्कालिक और कारगर उपाय करने का, और राष्ट्रों और मूलवंशीय या मानवजाति-समूहों के बीच सामन्जस्य, सहनशीलता और मैत्री बढ़ाने का, तथा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, सभी प्रकार के मूलवंशीय विभेद को समाप्त करने की संयुक्त राष्ट्र घोषणा का और इस कनवेंशन के प्रयोजनों का प्रचार करने का, वचन देते हैं।

भाग 2

अनुच्छेद 8

1. एक मूलवंशीय विभेद समाप्ति समिति (जिसे इसमें आगे "समिति" कहा गया है) स्थापित की जाएगी, जिसमें उच्च नैतिक स्तर के और मान्यताप्राप्त निष्पक्षता वाले, अठारह विशेषज्ञ होंगे। इन विशेषज्ञों का निर्वाचन पक्षकार राज्य अपने-अपने राष्ट्रिकों में से करेंगे। ये विशेषज्ञ अपनी व्यक्तिगत हैसियत में कार्य करेंगे। उक्त निर्वाचन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि साम्यपूर्ण भौगोलिक वितरण हो और विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं तथा प्रधान विधि प्रणालियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

2. समिति के सदस्यों का निर्वाचन, पक्षकार राज्यों द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की एक-सूची में से, गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक पक्षकार राज्य, अपने राष्ट्रिकों में से एक-एक व्यक्ति नामनिर्दिष्ट करेगा।

3. प्रथम निर्वाचन, इस कनवेंशन के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास के पश्चात् किया जाएगा। प्रत्येक निर्वाचन की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, राज्य पक्षकारों को एक पत्र लिख कर यह मांग करेगा कि वे दो मास के भीतर अपने-अपने प्रतिनिधियों के नाम प्रस्तुत कर दें। महासचिव इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सभी व्यक्तियों की सूची वर्णक्रम में तैयार करेगा जिसमें वह यह दर्शित करेगा कि किस पक्षकार राज्य ने किस व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट किया है और यह सूची पक्षकार राज्यों को प्रस्तुत करेगा।

4. समिति के सदस्यों का निर्वाचन, पक्षकार राज्यों के एक ऐसे अधिवेशन में किया जाएगा जिसे महासचिव संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर बुलाएगा। समिति के लिए उस अधिवेशन में, जिसकी गणपूर्ति दो-तिहाई पक्षकार राज्यों से हो जाएगी, निर्वाचित ऐसे व्यक्ति नामनिर्देशिती होंगे जिन्हें सर्वाधिक मत प्राप्त होंगे और उपस्थित तथा मत देने वाले पक्षकार राज्यों के प्रतिनिधियों के मतों में से पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा।

5. (क) समिति के सदस्यों का निर्वाचन चार वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। किन्तु, प्रथम निर्वाचन के समय निर्वाचित सदस्यों में से नौ सदस्यों की अवधि दो वर्ष होगी। प्रथम निर्वाचन से ठीक पश्चात् इन नौ सदस्यों के नाम, समिति के अध्यक्ष द्वारा लाट प्रणाली से चुने जाएंगे।

(ख) आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए वह पक्षकार राज्य, जिसका विशेषज्ञ समिति का सदस्य नहीं रह जाता है, समिति के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, अपने राष्ट्रिकों में से किसी अन्य विशेषज्ञ को नियुक्त करेगा।

6. पक्षकार राज्य, समिति से सदस्यों का व्यय, जब वे समिति के कार्य में रत होंगे, उठाएंगे।

अनुच्छेद 9

1. पक्षकार राज्य वचन देते हैं कि वे विधायी, न्यायिक, प्रशासनिक या अन्य उपायों के बारे में, जो उन्होंने अंगीकार किए हों और जो इस कन्वेंशन को प्रभावी करते हों, एक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को, समिति के विचारार्थ:

(क) संबंधित राज्य के लिए कनवेंशन के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर, और

(ख) तत्पश्चात्, प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् और इस बाबत समिति द्वारा अनुरोध किए जाने पर,

प्रस्तुत करेंगे।

2. समिति अपने क्रियाकलापों के बारे में वार्षिक रूप में, एक रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की मारफत, संयुक्त राष्ट्र की महासभा को प्रस्तुत करेगी। समिति इस रिपोर्ट में, पक्षकार राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों और जानकारियों की समीक्षा पर आधारित अपने सुझाव और सामान्य सिफारिशें भी सम्मिलित कर सकेगी। ऐसे सुझाव और सामान्य सिफारिशें, पक्षकार राज्यों की टिप्पणियों सहित, यदि कोई हों, महासभा को प्रस्तुत की जाएंगी।

अनुच्छेद 10

1. समिति अपनी प्रक्रिया के लिए अपने ही नियम अंगीकार करेगी।

2. समिति अपने अधिकारियों का निर्वाचन दो वर्ष के लिए करेगी।

3. समिति के सचिवालय की व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा की जाएगी।

4. समिति के अधिवेशन सामान्यतया, संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में होंगे।

अनुच्छेद 11

1. यदि कोई पक्षकार राज्य यह समझता है कि कोई अन्य पक्षकार राज्य इस कनवेंशन के उपबंधों को प्रभावी नहीं कर रहा है तो वह संबंधित विषय को, समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा। तत्पश्चात् समिति ऐसी संसूचना संबंधित पक्षकार राज्य को प्रेषित करेगी। तीन मास के भीतर, प्रापक राज्य, समिति को लिखित स्पष्टीकरण अथवा कथन प्रस्तुत करेगा जिसमें उस विषय को स्पष्ट किया जाएगा और उस राज्य द्वारा किए गए उपचारों, यदि कोई हैं, का उल्लेख किया जाएगा।

2. यदि प्रापक राज्य को प्रारंभिक संसूचना की प्राप्ति से छह मास के भीतर, द्विपक्षीय बातचीत द्वारा अथवा किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा, जो वे कर सकते हों, दोनों पक्षकारों को समाधानप्रद रूप में विषय का समायोजन नहीं हो पाता है तो दोनों में से कोई भी राज्य, समिति और ऐसे अन्य राज्य को अधिसूचित करते हुए, ऐसा विषय समिति को पुनः निर्देशित कर सकेगा।

3. समिति, इस अनुच्छेद के पैरा 2 के अनुसार उसे निर्देशित विषय पर विचार कर सकेगी किन्तु यह तब जब उसने यह अभिनिश्चित कर लिया हो कि अन्तरराष्ट्रीय विधि के सामान्यतः मान्य सिद्धांतों के अनुरूप, मामले में सभी देशी उपचार किए और निःशेषित किए जा चुके हैं।

4. समिति को उक्त रूप में मामला निर्देशित किए जाने पर समिति, संबंधित पक्षकार राज्यों से कोई अन्य जानकारी मांग सकेगी।

5. जब समिति इस अनुच्छेद से उत्पन्न किसी मामले पर विचार कर रही हो तो संबंधित पक्षकार राज्य को, समिति की कार्यवाही में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधि भेजने का हक होगा किन्तु ऐसे प्रतिनिधि को विचारण के दौरान मत देने का अधिकार नहीं होगा।

अनुच्छेद 12

1. (क) जब समिति उसके द्वारा आवश्यक समझी गई, समस्त जानकारी प्राप्त और संग्रहीत कर ले तब अध्यक्ष एक तदर्थ सुलह आयोग (जिसे इसमें आगे आयोग कहा गया है) नियुक्त करेगा, जिसमें पांच सदस्य होंगे। ऐसे सदस्य समिति के सदस्य हो भी सकते हैं और नहीं भी। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, विवाद के पक्षकारों की सर्वसम्मति से की जाएगी और इस कनवेंशन के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए विवादित विषय सौहार्दपूर्ण रूप में निपटाए जाने के लिए आयोग के सतप्रयत्न संबंधित राज्यों को उपलब्ध किए जाएंगे।

(ख) यदि विवाद के पक्षकार राज्यों के बीच, आयोग के सभी या किन्हीं सदस्यों के बारे में सहमति, तीन मास के भीतर नहीं हो पाती है तो आयोग के जिन सदस्यों के बारे में विवाद के पक्षकारों के बीच सहमति नहीं हो पाती है तो उनका निर्वाचन, समिति अपने ही सदस्यों में से, उनके दो-तिहाई बहुमत से, गुप्त मतदान द्वारा, करेगी।

2. आयोग के सदस्य, अपनी वैयक्तिक हैसियत में कार्य करेंगे। ये विवाद के पक्षकारों के राष्ट्रिक या ऐसे राज्य के राष्ट्रिक नहीं होंगे जो इस कनवेंशन के पक्षकार नहीं हैं।

3. आयोग अपना अध्यक्ष निर्वाचित करेगा और अपनी प्रक्रिया के नियम अंगीकार करेगा।

4. आयोग के अधिवेशन, सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में किए जाएंगे अथवा ऐसे किसी सुविधाजनक स्थान पर किए जाएंगे जो आयोग निश्चित करे।

5. इस कनवेंशन के अनुच्छेद 10 के पैरा 3 के अनुसार उपबंधित आयोग का सचिवालय ही, जब पक्षकार राज्यों के बीच कोई विवाद आयोग के समक्ष लाया जाए, ऐसे आयोग को सेवाएं उपलब्ध करेगा।

6. विवाद के पक्षकार राज्य, उन प्राक्कलनों के अनुसार, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा उपलब्ध किए जाएंगे, आयोग के सदस्यों का समस्त व्यय, बराबर-बराबर वहन करेंगे।

7. महासचिव इस अनुच्छेद के पैरा 6 के अनुसार, विवाद के पक्षकार राज्यों द्वारा प्रतिपूर्ति की जाने से पूर्व, आयोग के सदस्यों का व्यय संदत्त करने के लिए सशक्त होगा।

8. समिति द्वारा प्राप्त और संग्रहीत की गई जानकारी, आयोग को उपलब्ध कर दी जाएगी और आयोग संबंधित राज्यों से कोई अन्य सुसंगत जानकारी भी मांग सकेगा।

अनुच्छेद 13

1. आयोग, मामले पर पूर्णतः विचार करने के पश्चात्, समिति के अध्यक्ष को एक रिपोर्ट तैयार करके, प्रस्तुत करेगा, जिसमें पक्षकारों के बीच विवादित सुसंगत तथ्यों के सभी प्रश्नों पर अपने निष्कर्ष समाविष्ट करेगा और ऐसी सिफारिश विनिर्दिष्ट करेगा जो वह विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए उचित समझे।

2. समिति का अध्यक्ष, आयोग की रिपोर्ट, विवाद के पक्षकार राज्यों को भेजेगा। ये राज्य, तीन मास के भीतर, समिति के अध्यक्ष को यह सूचित करेंगे कि वे आयोग की रिपोर्ट में समाविष्ट सिफारिशों को स्वीकार करते हैं या नहीं।

3. इस अनुच्छेद के पैरा 2 में उपबंधित अवधि के पश्चात् समिति का अध्यक्ष, आयोग की रिपोर्ट और संबंधित पक्षकार राज्यों की घोषणाएं, इस कनवेंशन के अन्य पक्षकार राज्यों को संसूचित करेगा।

अनुच्छेद 14

1. पक्षकार राज्य किसी भी समय यह घोषणा कर सकता है, वह, अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसे व्यक्तियों या व्यक्ति समूह से संसूचनाएं प्राप्त करने और उन पर विचार करने की बाबत समिति की सक्षमता स्वीकार करता है तो यह दावा करते हैं कि वे, इस कनवेंशन में उपवर्णित किसी भी अधिकार के उस पक्षकार राज्य द्वारा अतिक्रमण से व्यथित है। समिति ऐसी कोई संसूचना प्राप्त नहीं करेगी यदि जिसका संबंध ऐसे पक्षकार राज्य से हो जिसने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।

2. कोई भी पक्षकार राज्य, जो इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उपबंधित कोई घोषणा करता है, अपनी राष्ट्रीय विधिक व्यवस्था में ऐसा कोई निकाय स्थापित या उपदर्शित कर सकता है, जो अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसे व्यक्तियों या व्यक्ति-समूह से याचिका प्राप्त कर सकता है और उन पर विचार कर सकता है जो इस कनवेंशन में उपवर्णित किसी अधिकार के अतिक्रमण से व्यथित है और जो अन्य स्थानीय उपचार नि:शेषित कर चुका है।

3. इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार की गई घोषणा और इस अनुच्छेद के पैरा 2 के अनुसार स्थापित या उपदर्शित निकाय के नाम, संबंधित पक्षकार राज्य द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को भेज दिए जाएंगे और महासचिव उनकी प्रतियां अन्य पक्षकार राज्यों को भेज देगा। कोई भी ऐसी घोषणा, महासचिव को अधिसूचना देकर प्रत्याहृत की जा सकेगी किन्तु ऐसे प्रत्याहरण का, समिति के समक्ष लम्बित संसूचनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4. इस अनुच्छेद के पैरा 2 के अनुसार स्थापित या उपदर्शित निकाय याचिकाओं का एक रजिस्टर रखेगा और रजिस्टर की प्रमाणित प्रतियां, समुचित सारणी के माध्यम से वार्षिकत: महासचिव के पास इस निदेश के साथ रखी जाएंगी कि वह सार्वजनिक रूप में उनका प्रकटन नहीं करेगा।

5. इस अनुच्छेद के पैरा 2 के अनुसार स्थापित या उपदर्शित निकाय से समाधान पाने में असमर्थ रहने पर याची को मामला, छह मास के भीतर, समिति को संसूचित करने का अधिकार होगा।

6. (क) समिति, उसे निर्देशित कोई संसूचना, गोपनीय रूप में उस पक्षकार राज्य के ध्यान में लाएगी, जिसकी बाबत यह अधिकथन हो कि उसने इस कनवेंशन के किसी उपबंध का अतिक्रमण किया है, किन्तु संबंधित व्यक्ति या व्यक्ति-समूह की पहचान, उस व्यक्ति या व्यक्ति-समूह की अभिव्यक्त सम्मति के बिना प्रकटित नहीं की जाएगी। समिति कोई अनामी संसूचनाएं प्राप्त नहीं करेगी।

(ख) प्रापक राज्य, तीन मास के भीतर, समिति को ऐसे लिखित स्पष्टीकरण या कथन प्रस्तुत करेगा जिनमें संबंधित विषय को स्पष्ट किया जाएगा और उस राज्य द्वारा किए गए उपचारों का, यदि कोई हों, उल्लेख होगा।

7. (क) समिति, संबंधित पक्षकार राज्य से और याची से प्राप्त संसूचना पर विचार करेगी। समिति, याची से प्राप्त जानकारी के आधार पर संसूचनाओं पर तब तक विचार नहीं करेगी जब तक कि उसने यह निश्चित न कर लिया हो कि याची, सभी उपलब्ध देशी उपचारों को नि:शेषित कर चुका है। तथापि यह नियम वहां लागू नहीं होगा जहां उपचारों के उपलब्ध किए जाने में अनुचित रूप से विलम्ब किया गया हो;

(ख) समिति अपने सुझाव और सिफारिशें, यदि कोई हों, संबंधित पक्षकार राज्य और याची को अग्रेषित करेगी।

8. समिति, ऐसी संसूचनाओं का संक्षेप अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करेगी और जहां समुचित हो, संबंधित पक्षकार राज्यों के स्पष्टीकरणों और कथनों तथा अपने सुझावों और सिफारिशों का संक्षेप भी उक्त रिपोर्ट में समाविष्ट करेगी।

9. समिति, इस अनुच्छेद में उपबंधित कृत्यों का प्रयोग करने के लिए तभी सक्षम होगी जब इस कनवेंशन के कम से कम दस पक्षकार राज्य, इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार घोषणाओं से आबद्ध हों।

अनुच्छेद 15

1. उपनिवेशी देश और व्यक्तियों को स्वाधीनता अनुदान की घोषणा, जो 14 दिसम्बर, 1960 के महासभा संकल्प 1514(15) में समाविष्ट है, के उद्देश्यों की पूर्ति होने तक, इस कनवेंशन के उपबंध, अन्य अंतरराष्ट्रीय लिखतों या संयुक्त राष्ट्र और उसके विशिष्ट अभिकरणों द्वारा इन व्यक्तियों को अनुज्ञात याचिका करने के अधिकार को किसी भी रूप में सीमित नहीं करेंगे।

2. (क) इस कनवेंशन के अनुच्छेद 8 के पैरा 1 के अधीन स्थापित समिति, संयुक्त राष्ट्र के उन निकायों से, जो न्यास और गैर-स्वशासी राज्य क्षेत्रों और अन्य सभी राज्यक्षेत्रों के जिन्हें महासभा संकल्प 1514(15) लागू होता है, निवासियों से प्राप्त याचिकाओं पर विचार करने में इस कनवेंशन के सिद्धांतों और उद्देश्यों से सीधे संबंधित विषयों में कार्रवाई करते हैं। याचिकाओं की प्रतियां प्राप्त करेगी और उन पर अपनी राय और सिफारिशें उसे प्रस्तुत करेगी।

(ख) समिति, संयुक्त राष्ट्र के सक्षम निकायों से, उन रिपोर्टों की प्रतियां प्राप्त करेगी, जिनका संबंध विधायी, न्यायिक, प्रशासनिक या अन्य ऐसे उपायों से है जो इस कनवेंशन के सिद्धांतों और उद्देश्यों से सीधे सम्पृक्त हैं और जो इस पैरा के उप पैरा (क) में उल्लिखित राज्यक्षेत्रों के भीतर प्रशासनिक शक्तियों ने लागू किए हैं; तत्पश्चात् समिति ऐसी रिपोर्टों पर अपनी राय व्यक्त करते हुए अपनी सिफारिशें उक्त निकायों को प्रस्तुत करेगी।

3. समिति महासभा को अपनी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के निकायों से प्राप्त याचिकाओं और रिपोर्टों का संक्षेप तथा उक्त याचिकाओं और रिपोर्टों के संबंध में समिति की अभिव्यक्त राय और सिफारिशें, सम्मिलित करेगी।

4. समिति, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से अनुरोध करके, इस कनवेंशन के उद्देश्यों से सुसंगत और इस अनुच्छेद के पैरा (2) में उल्लिखित राज्यक्षेत्रों के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त करेगी।

अनुच्छेद 16

विवादों या परिवादों के निपटारे के संबंध में इस कनवेंशन के उपबंध लागू होंगे और उनका किन्हीं अन्य ऐसी प्रक्रियाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो संयुक्त राष्ट्र और उसके विशिष्ट अभिकरणों की संघटक लिखतों में या उनके द्वारा अंगीकृत कनवेंशनों में, विभेद विषयक विवादों या परिवादों के निपटारे के लिए अधिकथित है। उक्त उपबंध पक्षकार राज्यों को, उनके बीच प्रवृत्त साधारण या विशिष्ट अन्तरराष्ट्रीय करारों के अनुसार कोई विवाद निपटाने के लिए विहित अन्य प्रक्रियाओं का आश्रय लेने से, निवारित नहीं करेंगे।

भाग 3

अनुच्छेद 17

1. यह कनवेंशन, संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य राज्य द्वारा अथवा उसके किसी भी विशिष्ट अभिकरण के सदस्य द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानून के पक्षकार किसी राज्य द्वारा, और ऐसे किसी अन्य राज्य द्वारा, जिसे संयुक्त राष्ट्र की महासभा, इस कनवेंशन का एक पक्षकार होने के लिए आमंत्रित करें, हस्ताक्षरों के लिए खुला है।

2. इस कनवेंशन का अनुसमर्थन किया जा सकेगा। अनुसमर्थन-लिखत, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास निक्षिप्त किया जाएगा।

अनुच्छेद 18

1. यह कनवेंशन, उसके अनुच्छेद 17 के पैरा 1 में निर्दिष्ट किसी राज्य की स्वीकृति के लिए खुला रहेगा।

2. स्वीकृति, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास, स्वीकृति-लिखत निक्षिप्त करके दी जाएगी।

अनुच्छेद 19

1. यह कनवेंशन उस तारीख के पश्चात से तेरहवें दिन को प्रवृत्त होगा, जिसको संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास सत्ताइसवीं अनुसमर्थन-लिखत या स्वीकृति-लिखत निक्षिप्त कर दी जाती है।

2. सत्ताइसवीं अनुसमर्थन-लिखत या स्वीकृति-लिखत के निक्षिप्त कर दिए जाने के पश्चात, इस कनवेंशन का अनुसमर्थन करने वाले या उसे स्वीकृत करने वाले प्रत्येक राज्य के लिए यह कनवेंशन उस तारीख के, जिसको उस राज्य की अनुसमर्थन-लिखत या स्वीकृति-लिखत महासचिव के पास निक्षिप्त की जाती है, पश्चात से तेरहवें दिन को प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 20

1. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव वे आरक्षण जो संबंधित राज्यों ने अनुसमर्थन या स्वीकृति के समय किए हों, प्राप्त करेगा और उन्हें ऐसे सभी राज्यों के बीच परिचालित करेगा जो इस कनवेंशन के पक्षकार हैं या पक्षकार हो जाएं, यदि कोई राज्य ऐसे आरक्षण पर आपत्ति करता है तो वह, उस संसूचना की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, महासचिव को यह सूचित करेगा कि वह ऐसे आरक्षण स्वीकार नहीं करता है।

2. वे आरक्षण, जो इस कनवेंशन के उद्देश्य और प्रयोजन से बेमेल हैं, अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे और वे आरक्षण भी, जो इस कनवेंशन द्वारा स्थापित निकायों के प्रवर्तन को बाधित करते हैं, अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे। किसी आरक्षण को तभी बेमेल या बाधक समझा जाएगा जब इस कनवेंशन के कम से कम दो तिहाई पक्षकार राज्य उसका विरोध करेंगे।

3. महासचिव को इस बाबत सम्बोधित अधिसूचना द्वारा किसी भी समय आरक्षणों को प्रत्याहृत किया जा सकता है। ऐसी अधिसूचना उस तारीख से प्रभावी होगी जिसको वह प्राप्त होगी।

अनुच्छेद 21

पक्षकार राज्य इस कनवेंशन का, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को लिखित अधिसूचना देकर, प्रत्याख्यान कर सकेगा। प्रत्याख्यान, महासचिव को अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख के एक वर्ष पश्चात् प्रभावी होगा।

अनुच्छेद 22

यदि इस कनवेंशन के निर्वचन या लागू होने के बारे में दो या अधिक पक्षकार राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है और उसका निपटारा बातचीत द्वारा या इस कनवेंशन में अभिव्यक्तत: उपबंधित प्रक्रिया द्वारा, नहीं हो पाता है तो विवाद के किसी भी पक्षकार राज्य के अनुरोध पर ऐसा विवाद, विनिश्चय के लिए अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को, निर्देशित करेंगे, बशर्ते विवाद के पक्षकार, विवाद के निपटारे के लिए, किसी अन्य ढंग के लिए सहमत न हो जाए।

अनुच्छेद 23

1. इस कनवेंशन के पुनरीक्षण के लिए अनुरोध कोई भी पक्षकार राज्य किसी भी समय, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को सम्बोधित लिखित अधिसूचना द्वारा, कर सकेगा।

2. संयुक्त राष्ट्र की महासभा, ऐसे किसी अनुरोध के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई विनिश्चित करेगी।

अनुच्छेद 24

संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, इस कनवेंशन के अनुच्छेद 17 के पैरा 1 में निर्दिष्ट सभी राज्यों को निम्नलिखित विशिष्टियां सूचित करेगा:

(क) अनुच्छेद 17 और 18 के अधीन अनुसमर्थन और स्वीकृति तथा हस्ताक्षर,

(ख) अनुच्छेद 19 के अधीन इस कनवेंशन के प्रवृत्त होने की तारीख,

(ग) अनुच्छेद 14, 20 और 23 के अधीन प्राप्त संसूचनाएं और घोषणाएं,

(घ) अनुच्छेद 21 के अधीन प्रत्याख्यान।

अनुच्छेद 25

1. यह कनवेंशन, जिसके चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसिसी, रूसी और स्पेनिश पार्ट समानत: अधिप्रमाणित हैं, संयुक्त राष्ट्र के लेखागार में निक्षिप्त कर दिए जाएंगे।

2. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, इस कनवेंशन की प्रमाणित प्रतियां, कनवेंशन के अनुच्छेद 17 के पैरा 1 में उल्लिखित सभी प्रवर्गों के सभी राज्यों को प्रेषित करेगा।

8

बाल अधिकारों पर कनवेंशन*

प्रस्तावना

वर्तमान कनवेंशन के पक्षकार राज्य,

यह विचार करके कि, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में उद्घोषित सिद्धांतों के अनुसार, मानव परिवार के सभी सदस्यों के समान और असंक्राम्य अधिकारों और अंतर्निहित गरिमा को स्वीकारना ही, विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शान्ति की नींव है।

यह बात ध्यान में रखकर कि संयुक्त राष्ट्र के लोगों ने चार्टर में मूल मानव अधिकारों और मानव शरीर की गरिमा और उत्कर्ष में अपने विश्वास को पुन: पुष्ट किया है और व्यापकतर स्वतंत्रता की दृष्टि से सामाजिक प्रगति और बेहतर जीवन मानकों के प्रोन्नयन का विनिश्चय किया है,

यह मान्यता देकर कि संयुक्त राष्ट्र ने सार्वभौम मानव अधिकारों की घोषणा में और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रसंविदाओं में, यह उद्घोषणा की है और सहमति दी है कि प्रत्येक व्यक्ति उनमें उपवर्णित सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का, किसी भी प्रकार के, जैसे मूलवंश, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य आस्था, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, सम्पत्ति, जन्म या अन्य परिस्थिति के भेदभाव के बिना, हकदार है,

यह स्मरण करके कि, सार्वभौम मानव अधिकारों की घोषणा में, संयुक्त राष्ट्र ने उद्घोषणा की है कि बाल्यावस्था की विशेष देखभाल और सहायता की आवश्यकता है।

यह विश्वास करके कि परिवारों को, समाज के बुनियादी समूह के रूप में, और उसके सभी सदस्यों के, विशिष्टत: बालकों के, विकास और कल्याण के प्राकृतिक पर्यावरण, को आवश्यक संरक्षण और सहायता दी जानी चाहिए जिससे कि परिवार समुदाय में अपनी जिम्मेदारियां पूर्णत: निभा सके,

यह मानते हुए कि बालक का, व्यक्तित्व के पूर्ण और सुव्यवस्थित विकास के लिए उसका लालन-पालन विकास पारिवारिक पर्यावरण में प्रसन्नता, प्रेम और सद्भाव के वातावरण में होना चाहिए।

यह विचार करके कि बालक को समाज में उसके पैरों पर खड़े होने की पूर्ण शिक्षा दी जानी चाहिए और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में उद्घोषित आदर्शों के अनुरूप और विशिष्टत: शान्ति, गरिमा, सहिष्णुता, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना में, उसका लालन-पालन किया जाना चाहिए।

इस बात को ध्यान में रखकर कि बालक की विशेष देखभाल की जाने की आवश्यकता का उल्लेख जिनेवा बालक अधिकारों की घोषणा, 1924 और 20 नवम्बर, 1959 को महासभा द्वारा अंगीकृत बाल अधिकारों की घोषणा में की गई है तथा इस आवश्यकता को मान्यता, सार्वभौम मानव अधिकारों की घोषणा में, सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर (विशिष्टत: अनुच्छेद 23 और 24 में) अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर प्रसंविदा (विशिष्टत: अनुच्छेद 10 में) में और बालकों के कल्याण से संबंधित विशिष्ट अभिकरणों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सुसंगत कानूनों और सुसंगत विलेखों में, दी गई है।

---

*20 नवम्बर 1989 को बाल अधिकारों पर कनवेंशन का अंगीकरण, मानव अधिकारों के इस पक्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र की चिरकालिक उद्विग्नता का चर्मोत्कर्ष था।

बालक के अधिकारों की घोषणा में उपदर्शित बात को ध्यान में रखकर कि "बालक के लिए उसकी शारीरिक और मानसिक अपरिपक्वता के कारण, विशेष रक्षोपायों और देखभाल की आवश्यकता है जिनके अंतर्गत, जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात्, समुचित विधिक संरक्षण भी है।"

बालकों के संरक्षण और कल्याण से संबंधित सामाजिक और विधिक सिद्धांतों की घोषणा के उपबन्धों का स्मरण करके तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थानन और दत्तकग्रहण के संवर्धन के प्रति विशिष्ट निर्देश करते हुये, के साथ, किशोर न्याय के प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम (बीजिंग नियम) और आपातकाल में और युद्धकाल में स्त्री और बालक संरक्षण की घोषणा को,

यह मानते हुए कि, विश्व के सभी देशों में, बालक असाधारणत: कठिन दशाओं में जीवनयापन कर रहे हैं और यह कि ऐसे बालकों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है,

बालक के संरक्षण और सद्भावपूर्ण विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पारम्परिक और सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व को ध्यान में रखकर,

प्रत्येक देश में, विशिष्टत: विकासशील देशों में, बालकों की निर्वाह परिस्थितियों को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित करार किया है:

भाग 1

अनुच्छेद 1

वर्तमान कनवेंशन के प्रयोजन के लिए, बालक से अभिप्रेत है, अठारह वर्ष से कम आयु का प्रत्येक मानव बशर्ते बालक को लागू विधि के अधीन वयस्कता पहले ही प्राप्त न हो जाती हो।

अनुच्छेद 2

1. पक्षकार राज्य प्रत्येक बालक को, वर्तमान कनवेंशन में उपवर्णित अधिकार अपनी अधिकारिता के भीतर, किसी प्रकार का विभेद किए बिना चाहे बालक, उसके माता-पिता या विधिक संरक्षक का वंश, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य मत, राष्ट्रीय, जातीय या सामाजिक मूल, सम्पत्ति, नियोग्यता, जन्म या अन्य परिस्थितियां कुछ भी हो, सुनिश्चित करेगा और उनका सम्मान करेगे।

2. पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए सभी समुचित उपाय करेंगे कि बालक को, उसके माता पिता, विधिक संरक्षक या परिवार जन को प्रस्थिति, क्रियाकलाप, अभिव्यक्त राय या आस्था के आधार पर, सभी प्रकार के विभेद या दण्ड से संरक्षण प्राप्त है।

अनुच्छेद 3

1. बालकों से संबंधित सभी कार्यवाहियों में, चाहे वे सार्वजनिक या प्राइवेट सामाजिक कल्याण संस्थाएं करें या चाहे न्यायालय, प्रशासनिक प्राधिकारी या विधायी निकाय करें, बालक के सर्वोत्तम हित को प्रधानता दी जाएगी।

2. पक्षकार राज्य बालकों को ऐसा संरक्षण देने और उनकी ऐसी देखभाल करने का वचन देते हैं जो उसके कल्याण के लिए आवश्यक है किंतु ऐसा करने में वे, बालक के माता-पिता, विधिक संरक्षकों या अन्य व्यक्तियों के, जो बालक के लिए विधित: उत्तरदायी हैं, अधिकारों और कर्त्तव्यों को भी ध्यान में रखेंगे और इस उद्देश्य से सभी समुचित विधायी और प्रशासनिक उपाय भी करेंगे।

3. पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि, बालकों की देखभाल या संरक्षण के लिए जिम्मेदार संस्थाएं सेवाएं और सुविधाएं, विशिष्टत: सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या और उनकी उपयुक्तता और सक्षम पर्यवेक्षण की दृष्टि से, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा स्थापित मानकों के अनुरूप हों।

अनुच्छेद 4

पक्षकार राज्य, इस कनवेंशन में मान्यता प्राप्त अधिकारों के कार्यान्वयन के संबंध में, सभी समुचित विधायी, प्रशासनिक और अन्य उपाय करेंगे। जहां तक कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का संबंध है, पक्षकार राज्य, अपने उपलब्ध साधनों का, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की परिधि के भीतर रहते हुए, यथावश्यक अधिकतम उपयोग करेंगे।

अनुच्छेद 5

पक्षकार राज्य, माता-पिताओं की या, जहां लागू हो स्थानीय रूढ़ियों द्वारा उपबंधित रूप में विस्तारित परिवार या समुदाय के सदस्यों की, विधिक संरक्षकों या ऐसे अन्य व्यक्तियों की, जो बालक के लिए विधित: जिम्मेदार है, उन जिम्मेदारियों, अधिकारों और कर्तव्यों का सम्मान करेंगे, जिनका संबंध वर्तमान कनवेंशन में मान्यताप्राप्त अधिकारों के बालक द्वारा प्रयोग में समुचित निदेशन और मार्गदर्शन से है। ऐसा निदेशन और मार्गदर्शन, बालक की प्रगतिशील सामर्थ्य से संगत रीति से दिया जाएगा।

अनुच्छेद 6

1. पक्षकार राज्य यह मानते हैं कि प्रत्येक बालक को जीवन का अंतर्निहित अधिकार प्राप्त है।

2. पक्षकार राज्य बालक के जीवित रहने और विकास के लिए यथासाध्य अधिकतम विस्तार तक प्रयत्न करेंगे।

अनुच्छेद 7

1. बालक का जन्म होते ही उसका जन्म रजिस्टर कराया जाएगा और उसे जन्म से ही एक नाम पाने का अधिकार होगा, राष्ट्रिकता प्राप्त करने का अधिकार होगा और यथासंभव विस्तार तक, अपने माता-पिता को जानने और उनके द्वारा देखभाल की जाने का अधिकार होगा।

2. पक्षकार राज्य बालक की राष्ट्रीय विधि के अनुसार इन अधिकारों और इस क्षेत्र में सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय लिखतों के अधीन, उनकी बाध्यताओं का, विशिष्टत: वहां जहां बालक अन्यथा राष्ट्रिकताहीन हो जाएगा, कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

अनुच्छेद 8

1. पक्षकार राज्य, विधि द्वारा मान्यताप्राप्त रूप में और विधि विरुद्ध हस्तक्षेप के बिना बालक की, पहचान बनाए रखने की बाबत, जिसके अंतर्गत उसकी राष्ट्रिकता, नाम और पारिवारिक संबंध भी हैं, उसके अधिकार का सम्मान करेंगे।

2. जहां किसी बालक को, उसकी पहचान के सभी या कुछ तत्वों से विधिविरुद्ध रूप में वंचित कर दिया जाता है, वहां पक्षकार राज्य, उसकी पहचान शीघ्रताशीघ्र पुन: स्थापित करने की दृष्टि से, समुचित सहायता और संरक्षण उपलब्ध करेंगे।

अनुच्छेद 9

1. पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि बालक को उसके माता-पिता से उनकी इच्छा के विरुद्ध, तब के सिवाय अलग नहीं किया जाएगा जबकि सक्षम प्राधिकारी जो न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन हो, लागू विधि और प्रक्रिया के अनुसार, यह अवधारित कर दे कि ऐसा विलगन बालक के सर्वोत्तम हित में आवश्यक है। ऐसे अवधारण की आवश्यकता किसी विशिष्ट दशा में हो सकती है जैसे, माता-पिता बालक की उपेक्षा करते हों या उससे दुर्व्यवहार करते हों या जब माता-पिता अलग-अलग रह रहे हों और बालक के निवास स्थान के बारे में विनिश्चय होना आवश्यक हो।

2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसरण में की गई किसी कार्यवाही में, सभी हितबद्ध पक्षकारों को कार्यवाही में भाग लेने का और अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का, अवसर दिया जाएगा।

3. पक्षकार राज्य ऐसे बालक के, जिसे माता-पिता से अथवा किसी एक से अलग कर दिया गया हो, व्यक्तिगत संबंध बनाए रखने के अधिकार का सम्मान करेंगे और यह निदेश दे सकेंगे कि वह माता-पिता दोनों से नियमित रूप से संपर्क करता रहे किन्तु तब नहीं जब ऐसा करना बालक के सर्वोत्तम हित में न हो।

4. जहां ऐसा विलगन किसी पक्षकार राज्य द्वारा प्रारंभ की गई कार्यवाही का परिणाम हो, जैसे माता-पिता या उनमें से किसी एक को अथवा बालक को निरुद्ध कर लिया गया हो, बन्दी बना लिया गया हो, निष्कासित कर दिया गया हो, निर्वासित कर दिया गया हो या मृत्यु जिसके अंतर्गत राज्य की अभिरक्षा में होते हुए किसी कारणवश उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाना भी सम्मिलित है। हो गई हो, वहां पक्षकार राज्य, अनुरोध किए जाने पर माता-पिता को बालक दे देंगे अथवा यदि समुचित हो तो, परिवार के किसी अन्य सदस्य को, परिवार के अनुपस्थित सदस्य (सदस्यों) के अते-पते से संबंधित आवश्यक जानकारी देगा, बशर्ते ऐसी जानकारी देना बालक के कल्याण के लिए अहितकर न हो। पक्षकार राज्य यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे अनुरोध के प्रस्तुत किए जाने मात्र से संबंधित व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए कोई प्रतिकूल परिणाम न हों।

अनुच्छेद 10

1. अनुच्छेद 9 के पैरा 1 के अधीन राज्य सरकारों की बाध्यता के अनुसार, परिवार के पुन: संयोजन के प्रयोजन के लिए किसी पक्षकार राज्य में प्रवेश करने या उसे छोड़ने के लिये बालक या उसके माता-पिता द्वारा दिये गये आवेदनों पर पक्षकार राज्यों द्वारा कार्रवाई सकारात्मक मानवीय और समीचीन रूप में की जाएगी। पक्षकार राज्य यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे अनुरोध के मान लिए जाने का परिणाम आवेदकों और उसके परिवार के सदस्यों के लिए प्रतिकूल नहीं होगा।

2. यदि किसी बालक के माता एवं पिता भिन्न-भिन्न राज्यों में रहते हों तो बालक को, अपने माता-पिता, दोनों से, व्यक्तिगत संबंध और सीधे संपर्क बनाए रखने का, असाधारण परिस्थितियों में छोड़कर, अधिकार होगा। उस उद्देश्य से और अनुच्छेद 9 के पैरा 1 के अधीन पक्षकार राज्यों की बाध्यताओं के अनुसार पक्षकार राज्य, बालक और उसके माता-पिता के ऐसे किसी देश को, जिसके अंतर्गत

उनका अपना देश भी है, छोड़कर जाने और अपने देश में प्रवेश करने के अधिकार का सम्मान करेंगे। किसी देश को छोड़ने का अधिकार केवल ऐसे निर्बंधनों के अधीन होगा जो विधि द्वारा विहित किए गए हों और जो राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था (आर्डर पब्लिक) लोक स्वास्थ्य या नैतिकता अथवा अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण करने के लिए आवश्यक हैं और इस कनवेंशन द्वारा मान्य अन्य अधिकारों से संगत है।

अनुच्छेद 11

1. पक्षकार राज्य विदेश में बालकों के अवैध अंतरण और वापस न आने को रोकने के लिए उपाय करेंगे।

2. उस उद्देश्य से पक्षकार राज्य, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार करने या विद्यमान करारों को स्वीकारने को बढ़ावा देने का कार्य करेंगे।

अनुच्छेद 12

1. पक्षकार राज्य ऐसे बालक को जो अपना दृष्टिकोण कायम करने में समर्थ है, यह सुनिश्चित करेंगे कि उसे प्रभावित करने वाले प्रत्येक विषय में उसे अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अधिकार है। बालक की आयु और परिपक्वता के अनुसार बालक के दृष्टिकोण को सम्यक महत्व दिया जाएगा।

2. इस प्रयोजन से बालक को, उसे प्रभावित करने वाली किसी न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाही में सीधे या किसी प्रतिनिधि या समुचित निकाय के माध्यम से राष्ट्रीय विधि के प्रक्रिया संबंधी नियमों से संगत रीति में, सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

अनुच्छेद 13

1. बालक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इस अधिकार के अंतर्गत सभी प्रकार की जानकारी और विचार, सरहदों पर ध्यान दिए बिना, मौखिक, लिखित या मुद्रित रूप में अथवा कलाकृति के रूप में अथवा ऐसे किसी माध्यम से जिसे बालक पसंद करे, तलाशने, प्राप्त करने और प्रदान करने की स्वतंत्रता भी है।

2. इस अधिकार का प्रयोग कुछ निर्बन्धनों के यदि कोई हों, अधीन रहते हुए किया जा सकता है किन्तु ये निर्बन्धन वे ही होंगे जो विधि द्वारा उपबंधित किए गए हों और निम्नलिखित दृष्टि से आवश्यक हों:

(क) अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और ख्याति के प्रति सम्मान की दृष्टि से, या

(ख) राष्ट्रीय संरक्षा, लोक व्यवस्था (आर्डर पब्लिक) या लोक स्वास्थ्य या नैतिकता के संरक्षण की दृष्टि से।

अनुच्छेद 14

1. पक्षकार राज्य बालक के विचार, अंत:करण और धर्म स्वातन्त्र्य के अधिकार का सम्मान करेंगे।

2. पक्षकार राज्य, बालक के अधिकार के प्रयोग में, बालक के विकासशील सामर्थ्य से संगत रूप में बालक को निदेश देने की बाबत माता-पिताओं के और जहां लागू हो, विधिक संरक्षकों के अधिकारों और कर्त्तव्यों का सम्मान करेंगे।

3. अपने धर्म या विश्वास को प्रकट करने की स्वतंत्रता पर केवल ऐसे निर्बन्धन लगाए जा सकते हैं, जो विधि द्वारा विहित किए गए हैं और जो लोग सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य या नैतिकता या अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकारों और स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए आवश्यक हैं।

अनुच्छेद 15

1. पक्षकार राज्य, संगम बनाने की स्वतंत्रता और शान्तिपूर्ण जमाव करने की स्वतंत्रता के बालक के अधिकार को मान्यता देते हैं।

2. इन अधिकारों के प्रयोग पर ऐसे निर्बन्धनों के सिवाय कोई निर्बन्धन नहीं लगाए जा सकेंगे जो विधि के अनुरूप अधिरोपित नहीं हैं और जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक सुरक्षा, लोक व्यवस्था (आर्डर पब्लिक), लोक स्वास्थ्य और नैतिकता के संरक्षण या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है।

अनुच्छेद 16

1. किसी भी बालक की एकान्तता, परिवार, गृह या पत्राचार में मनमाने ढंग से या विधि विरुद्ध हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और न उसके आदर और ख्याति पर विधि विरुद्ध हमले किए जाएंगे।

2. बालक को ऐसे विधि विरुद्ध हस्तक्षेप या प्रहार से विधि का संरक्षण पाने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 17

पक्षकार राज्य जनसम्पर्क साधनों द्वारा संपादित महत्वपूर्ण कृत्यों को मान्यता देंगे। और यह सुनिश्चित करेंगे कि बालक को, विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से, विशिष्टत: उन स्रोतों से, जो बालक के सामाजिक-आध्यात्मिक और नैतिक कल्याण और शारीरिक और मानसिक व्यवस्था की प्रोन्नति के लिए आशयित हैं, जानकारी और सामग्री प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो। इस उद्देश्य से पक्षकार राज्य:

(क) जनसंपर्क साधनों को इस प्रकार प्रोत्साहित करेंगे कि वे, बालक के लिए हितकर सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी और सामग्री का प्रसारण, अनुच्छेद 29 की भावना के अनुसार, कर सकें;

(ख) विभिन्न सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से ऐसी जानकारी और सामग्री के उत्पादन, विनिमय और प्रसारण में, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे;

(ग) बालकों की पुस्तकों के उत्पादन और प्रसारण को प्रोत्साहित करेंगे;

(घ) जनसंपर्क साधनों को इस प्रकार प्रोत्साहित करेंगे कि वे अल्पसंख्यक समूह के या स्वदेश के बालकों की भाषायी आवश्यकताओं की पूर्ति हो;

(ङ) ऐसी जानकारी और सामग्री से, जो बालक के कल्याण के लिए क्षतिकर हो, बालक के संरक्षण के लिए, अनुच्छेद 13 और 18 को ध्यान में रखते हुए, समुचित मार्गदर्शन के सिद्धांतों के विकास को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 18

1. पक्षकार राज्य इस सिद्धांत की मान्यता सुनिश्चित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयत्नों का उपयोग करेंगे कि बालक के पालन-पोषण और विकास के लिए माता-पिता दोनों की संयुक्त रूप से जिम्मेदारी है। बालक के पालन-पोषण और विकास के लिए यथास्थिति माता-पिता या विधिक संरक्षक की प्रधान जिम्मेदारी है। उनके लिए महत्वपूर्ण यही है कि बालक का सर्वोत्तम हितसाधन हो।

2. वर्तमान कनवेंशन में वर्णित अधिकारों की गारंटी और प्रोन्नयन के प्रयोजन के लिए, पक्षकार राज्य, बालक के पालन-पोषण की बाबत उनकी जिम्मेदारियों के निर्वहन में माता-पिता और विधिक संरक्षकों की समुचित सहायता करेंगे और बालकों की देखभाल के लिए संस्थाओं, सुविधाओं और सेवाओं का विकास सुनिश्चित करेंगे।

3. पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए सभी समुचित उपाय करेंगे कि काम करने वाले माता-पिता के बालकों को बाल-देखभाल विषयक ऐसी सेवाओं और सुविधाओं का जिनके लिए वे पात्र हैं लाभ पाने का अधिकार है।

अनुच्छेद 19

1. पक्षकार राज्य इस उद्देश्य से सभी समुचित विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षिक उपाय करेंगे कि बालक का जब वह अपने माता-पिता, विधिक संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति की, जिसकी देखभाल में बालक हो, अभिरक्षा में हो, सभी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हिंसा, क्रांति या दुर्व्यवहार, उपेक्षा या उपेक्षापूर्ण व्यवहार, अपव्यवहार या शोषण से जिसके अंतर्गत लैंगिक दुरूपयोग भी है, संरक्षण हो सके।

2. ऐसे यथोचित उपायों के अंतर्गत, बालक और बालक की देखभाल करने वालों के लिए तथा बालक से, इसमें पहले यथावर्णित अपव्यवहार के जैसे मामलों के, जिनमें न्यायिक कार्रवाई हो सकती हो, सभी प्रकार से निवारण और पहचान, रिपोर्ट, निर्देश, अन्वेषण, उपचार और अनुवर्तन करने के लिए भी आवश्य समर्थन उपलब्ध करने हेतु सामाजिक कार्यक्रमों की स्थापना के लिए प्रभावी प्रक्रियाएं भी हैं।

अनुच्छेद 20

1. ऐसा कोई बालक, जो अपने पारिवारिक पर्यावरण से स्थायी या अस्थायी रूप से वंचित हो गया है अथवा उसके ही सर्वोत्तम हित में उसे उस पर्यावरण में रहने नहीं दिया जा सकता है, राज्य द्वारा उपबंधित विशेष संरक्षण और सहायता का हकदार होगा।

2. पक्षकार राज्य, अपनी राष्ट्रीय विधि के अनुसार, ऐसे बालक के लिए वैकल्पिक देखभाल सुनिश्चित करेंगे।

3. ऐसी देखभाल के अंतर्गत हैं: अन्य बातों के साथ-साथ, धात्री को सौंपना, इस्लामी विधि के अधीन काफलाह, दत्तकग्रहण या यदि आवश्यक हो तो, बालक की देखभाल के लिए उपयुक्त संस्थाओं में स्थापन समाधानों पर विचार करते समय, बालक से पालन-पोषण की निरन्तरता की वांछनीयता और बालक की मानवजातीय, धार्मिक-सांस्कृतिक और भाषायी पृष्ठभूमि को, ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अनुच्छेद 21

पक्षकार राज्य, जो दत्तकग्रहण प्रणाली को मान्यता देते हैं और/या उसे अनुज्ञात करते हैं, यह सुनिश्चित करेंगे कि बालक का सर्वोत्तम हित ही प्रधान विचारणीय विषय है और वे:

(क) यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी बालक का दत्तकग्रहण केवल ऐसे सक्षम प्राधिकारियों द्वारा ही प्राधिकृत किया जाएगा जो, लागू विधि और प्रक्रिया के अनुसार और सभी उपयुक्त और विश्वसनीय जानकारी के आधार पर यह अवधारित करेंगे कि माता-पिता, संबंधियों और विधिक संरक्षकों के संबंध में बालक की पारिस्थिति की दृष्टि से दत्तकग्रहण अनुज्ञेय है और यह कि, अपेक्षा होने पर, यथावश्यक परामर्श दिए जाने के आधार पर संबंधित व्यक्तियों ने दत्तकग्रहण के लिए अपनी-अपनी सहमति सूचित कर दी है,

(ख) अन्तरदेशीय दत्तकग्रहण को, बालक की देखभाल का वैकल्पिक साधन मानते हैं किन्तु यह तब जब बालक के मूल देश में उसे न तो धात्री को और दत्तक लेने वाले परिवार को सौंपा जा सकता है और न ही किसी अन्य उपयुक्त रूप में उसकी देखभाल हो सकती हो,

(ग) यह सुनिश्चित करेंगे कि अन्तरदेशीय दत्तक ग्रहण से संबंधित बालक को वैसी ही सुरक्षा और स्तर उपलब्ध हो जैसे कि राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण के मामले में उपलब्ध होते हैं।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी समुचित उपाय करेंगे कि अन्तरदेशीय दत्तकग्रहण के मामले में स्थापन के परिणामस्वरूप उन व्यक्तियों को, जिनका दत्तकग्रहण से संबंध है, अनुचित वित्तीय लाभ न हो।

(ङ) द्विपक्षीय या बहुपक्षीय ठहराव या करार करके इस वर्तमान अनुच्छेद के उद्देश्यों को, जहां समुचित हो, प्रोन्नत करेंगे और इस संरचना की परिधि में रहते हुए, यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी अन्य देश में, बालक के स्थापन का कार्यान्वयन सक्षम प्राधिकारियों या अंगों द्वारा ही किया जाएगा।

अनुच्छेद 22

1. पक्षकार राज्य, यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेंगे कि बालक, जो शरणार्थी प्रस्थिति प्राप्त करना चाहता है या जो लागू अन्तर्राष्ट्रीय विधि या देशी विधि और प्रक्रिया के अनुसार एक शरणार्थी समझा जाता है, चाहे उसके साथ उसके माता-पिता या कोई अन्य व्यक्ति हैं या नहीं, वर्तमान कनवेंशन और ऐसे अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों या मानवीय लिखतों, जिसमें उक्त राज्य पक्षकार हों, में उपवर्णित लागू होने योग्य अधिकारों के उपभोग के लिए समुचित संरक्षण और मानवीय सहायता प्राप्त करेगा।

2. इस प्रयोजन के लिए पक्षकार राज्य, ऐसे किसी बालक के संरक्षण और सहायता के लिए और शरणार्थी बालक के परिवार से उसके पुनर्मिलन के लिए ऐसी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से, जैसी वे समुचित समझें, संयुक्त राष्ट्र द्वारा और अन्य सक्षम अन्तर- सरकारी संगठनों या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा, जो संयुक्त राष्ट्र से सहयोग कर रहे हैं, किए गए प्रयत्नों में सहयोग करेंगे। यदि ऐसे मामलों में माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्य नहीं मिल सकते हैं तो बालक को वर्तमान कनवेंशन में यथावर्णित वही संरक्षण दिया जाएगा जो ऐसे किसी बालक को दिया जाता है, जो किसी भी कारणवश अपने परिवार के पर्यावरण से, स्थायी या अस्थायी रूप में, वंचित हो गया है।

अनुच्छेद 23

1. पक्षकार राज्य यह मानते हैं कि मानसिक और शारीरिक रूप से निर्योग्य बालक को ऐसे वातावरण में, जिसमें मानव की गरिमा सुनिश्चित रहती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और बालक की समुदाय में सक्रिय भागीदारी सुकर होती है, पूर्ण और शिष्ट जीवनयापन का अवसर मिलना चाहिए।

2. पक्षकार राज्य, निर्योग्य बालक के विशेष देखभाल पाने के अधिकार को मान्यता देते हैं और पात्र बालक और ऐसे बालक की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की भी, ऐसी सहायता, उपलब्ध साधनों के अनुसार, करेंगे जिसके लिए आवेदन किया गया हो और जो बालक की दशा और माता-पिता या देखभाल करने वाले अन्य व्यक्तियों की परिस्थितियों में, समुचित हो।

3. निर्योग्य बालक की विशेष आवश्यकताओं को मान्यता देते हुए, वर्तमान अनुच्छेद के पैरा 2 के अनुसार की गई सहायता, यथासंभव नि:शुल्क तथा माता-पिता और बालक की देखभाल करने वाले अन्य व्यक्तियों के वित्तीय स्रोतों को ध्यान में रखते हुए, दी जाएगी और

उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्योग्य बालक को शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य-देखभाल सेवा, पुनर्स्थापना सेवा, नियोजन के लिए तैयारी और आमोद-प्रमोद के अवसर इस प्रकार उपलब्ध और प्राप्त हों कि बालक अधिकतम सामाजिक एकीकरण, व्यक्तिगत विकास, जिसके अंतर्गत उसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास भी सम्मिलित है, प्राप्त कर सके।

4. पक्षकार राज्य, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगी की भावना से, निर्योग्य बालकों के लिए निवारक चिकित्सा और चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक और क्रियात्मक उपचार के, जिनके अंतर्गत, पुनर्स्थापन की पद्धतियों, शिक्षा और व्यवसायिक सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करना और उसका प्रसारण भी है, क्षेत्र में समुचित जानकारी का विनिमय प्रोन्नत करेंगे जिसका उद्देश्य पक्षकार राज्यों की इन क्षेत्रों में सामर्थ्य और कौशल में वृद्धि करना और अनुभव में विस्तार करना होगा। इस बाबत विकासशील देशों की आवश्यकता को विशिष्टत: आंका जाएगा।

अनुच्छेद 24

1. पक्षकार राज्य, स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य स्तर के उपभोग और रोगों के उपचार की सुविधाओं और आरोग्य संबंधी बालक के अधिकार को, मान्यता देते हैं। पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे कि कोई भी बालक ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने से, वंचित न रहे।

2. पक्षकार राज्य इस अधिकार के पूर्ण कार्यान्वयन का प्रयत्न करेंगे, विशिष्टत: निम्नलिखित की बाबत समुचित उपाय करेंगे:

(क) शिशु और बालकों की मृत्यु दर घटाना,

(ख) सभी बालकों के लिए आवश्यक चिकित्सीय सहायता और स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित करना इस संदर्भ में अधिक महत्व प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को दिया जाना चाहिए,

(ग) रोगों और कुपोषण का सामना करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की परिधि के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ, तुरन्त उपलब्ध प्रौद्योगिकी, पर्याप्त पोषक भोजन और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, पर्यावरणीय प्रदूषण के खतरों और जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, करेंगे।

(घ) माताओं के लिए प्रसवपूर्व और प्रसव पश्चात् समुचित स्वास्थ्य परिचर्या सुनिश्चित करना,

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि समाज के सभी वर्गों को, विशिष्टत: बालक और माता-पिता को, शिक्षा की जानकारी हो और वह प्राप्त हो और उन्हें बाल-स्वास्थ्य और पोषण के बुनियादी ज्ञान के प्रयोग में समर्थन प्राप्त हो। उन्हें स्तनपान, स्वच्छता और पर्यावरणीय सफाई और दुर्घटनाओं के निवारण के ढंग बताये जाएं,

(च) स्वास्थ्य की देखभाल के लिए निवारक युक्तियां विकसित करना और परिवार नियोजन संबंधी शिक्षा और सेवाओं की बाबत माता-पिताओं का मार्गदर्शन करना।

3. पक्षकार राज्य बालकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली पारम्परिक पद्धतियों को समाप्वत करने की दृष्टि से सभी कारगर और समुचित उपाय करेंगे।

4. पक्षकार राज्य, वर्तमान अनुच्छेद द्वारा मान्यताप्राप्त अधिकार का प्रगामी रूप में पूर्ण कार्यान्वयन करने की दृष्टि से अन्तरराष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि करने और उसे प्रोत्साहित करने का वचन देते हैं। इस संबंध में, विकासशील देशों की आवश्यकताओं को आंका जाएगा।

अनुच्छेद 25

पक्षकार राज्य, उस बालक को जिसे सक्षम प्राधिकारियों ने उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल, संरक्षण या उपचार के प्रयोजन से, स्थापित किया है, दिए गए उपचार की उसके स्थापन से सुसंगत सभी अन्य परिस्थितियों की, कालिक समीक्षा के अधिकार को मान्यता देता है।

अनुच्छेद 26

1. पक्षकार राज्य प्रत्येक बालक को, सामाजिक सुरक्षा, जिसके अंतर्गत सामाजिक बीमा भी है, का लाभ उठाने के उसके अधिकार को मान्यता देता है और वे, संबंधित राष्ट्रीय विधि के अनुसार इस अधिकार का पूर्ण कार्यान्वयन प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे।

2. उक्त लाभ, जहां समुचित हो, बालक और उन व्यक्तियों के, जिन पर बालक के पालन-पोषण की जिम्मेदारी है, साधनों और परिस्थितियों को तथा ऐसी किसी अन्य विचारणीय बात को जो बालक द्वारा या उसकी ओर से, लाभ प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदन से सुसंगत हो, ध्यान में रखते हुए, अनुज्ञात किया जाएगा।

अनुच्छेद 27

1. पक्षकार राज्य, बालक के भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए पर्याप्त जीवन निर्वाह स्तर प्राप्त करने के अधिकार को मान्यता देते हैं।

2. माता-पिता और बालक के लिए जिम्मेदार अन्य व्यक्तियों की, यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे बालक के लिए अपनी योग्यता और वित्तीय सामर्थ्य के अनुसार जीवन निर्वाह की ऐसी परिस्थितियां सुनिश्चित करें जो बालक के विकास के लिए आवश्यक हो।

3. पक्षकार राज्य, राष्ट्रीय स्थिति के अनुसार और अपने साधनों के भीतर रहते हुए, इस अधिकार के कार्यान्वयन के लिए माता-पिता और बालक के लिए जिम्मेदार अन्य व्यक्तियों की सहायता करने के लिए समुचित उपाय करेंगे और आवश्यकता होने पर भौतिक सहायता और समर्थन कार्यक्रम, विशिष्टत: पोषण, वस्त्रों और आवासन के बारे में, उपलब्ध करेंगे।

4. पक्षकार राज्य, माता-पिता या अन्य व्यक्तियों से, जो बालक के लिए वित्तीय दृष्टि के जिम्मेदार हों, पक्षकार राज्य के भीतर और विदेश से, बालक के लिए भरण-पोषण की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सभी समुचित उपाय करेंगे। जहां बालक के लिए वित्तीय जिम्मेदारी वहन करने वाला व्यक्ति, बालक के राज्य से भिन्न राज्य में रहता है वहां, पक्षकार राज्य, अन्तरराष्ट्रीय करार का सप्रवर्तन कराएंगे या ऐसा करार कराएंगे साथ ही अन्य समुचित ठहराव भी कराएंगे।

अनुच्छेद 28

1. पक्षकार राज्य, शिक्षा विषयक बालक के अधिकार को मान्यता देते हैं और प्रगामी रूप में और समान अवसर के आधार पर इस अधिकार की प्राप्ति की दृष्टि से विशिष्टत:—

(क) प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करेंगे और सभी के लिए उसे नि:शुल्क उपलब्ध कराएंगे,

(ख) विभिन्न प्रकार की माध्यमिक शिक्षा, जिसके अंतर्गत सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा भी है, के विकास को प्रोत्साहित करेंगे, वह प्रत्येक बालक को उपलब्ध और प्राप्य होगी और इस बाबत समुचित उपाय, जैसे, निशुल्क शिक्षा व्यवस्था करना और आवश्यकता होने पर वित्तीय सहायता देना, करेंगे,

(ग) सभी समुचित साधनों से उच्चतर शिक्षा सभी के लिए, उनकी सामर्थ्य के आधार पर, प्राप्य बनाएंगे,

(घ) सभी बालकों के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे और प्राप्य बनाएंगे,

(ङ) विद्यालयों में नियमित उपस्थिति के लिए प्रोत्साहन देंगे और बीच में अध्ययन छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की संख्या घटाने के लिए उपाय करेंगे।

2. पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए सभी समुचित उपाय करेंगे कि विद्यालय में अनुशासन ऐसी रीति में बनाए रखा जाए कि जो बालक की मानवीय गरिमा से संगत हो और वर्तमान कनवेंशन के अनुरूप हो।

3. पक्षकार राज्य, शिक्षा से संबंधित विषयों में अन्तरराष्ट्रीय सहयोग का प्रोन्नयन और प्रोत्साहन करेंगे, विशिष्टत: इस दृष्टि से कि विश्व में सर्वत्र अज्ञान और निरक्षरता के उन्मूलन में अभिदान किया जा सके और वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों तक पहुंच, सुकर हो सके। इस संबंध में विकासशील देशों की आवश्यकताओं को आंका जाएगा।

अनुच्छेद 29

1. पक्षकार राज्य करार करते हैं कि बालक को शिक्षा इस प्रकार दी जाएगी कि:

(क) बालक की अधिकतम क्षमता के अनुसार उसके व्यक्तित्व, प्रतिभा और मानसिक तथा शारीरिक योग्यता का विकास हो,

(ख) मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के लिए और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में समाविष्ट सिद्धांतों के लिए सम्मान में वृद्धि हो,

(ग) बालक के माता-पिता, उसकी सांस्कृतिक पहचान, भाषा और मूल्यों के लिए, उस देश के जिसमें बालक रह रहा है, और उस देश के जो उसका मूल देश है, राष्ट्रीय मूल्यों के लिए और उसकी अपनी सभ्यता से भिन्न सभ्यता के लिए सम्मान में वृद्धि हो सके,

(घ) बालक मुक्त समाज में, सभी व्यक्तियों, राष्ट्रीय और धार्मिक समूहों तथा मानवजातीय समूहों तथा स्वदेशी मूल के व्यक्तियों के बीच सहानुभूतिक, शान्तिपूर्ण, सहिष्णु, लिंग-समानता की भावना से जिम्मेदारी का जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो सकें,

(ङ) प्राकृतिक पर्यावरण के लिए सम्मान में वृद्धि हो सके।

2. वर्तमान अनुच्छेद और अनुच्छेद 28 के किसी भाग का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किन्हीं व्यक्तियों, या निकायों को, शैक्षिक संस्थाएं स्थापित और निर्दिष्ट करने के स्वातंत्र्य में हस्तक्षेप करता है बशर्ते वर्तमान अनुच्छेद के पैरा 1 में उपवर्णित सिद्धांतों का और इस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया जाए कि ऐसी संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा ऐसे न्यूनतम मानकों के अनुरूप होगी जो राज्य अधिकथित करे।

अनुच्छेद 30

उन राज्यों में, जिनमें जातीय, धार्मिक, या भाषायी अल्पसंख्यक या देशीय मूल के लोग विद्यमान हैं, अल्पसंख्यक बालक या देशी बालक को, अपने समूह के सदस्यों के साथ मिलकर, अपनी संस्कृति का लाभ उठाने, अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने अथवा अपनी भाषा का प्रयोग करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 31

1. पक्षकार राज्य बालक के विश्राम करने और अवकाश लेने, बालक की आयु के अनुरूप खेलने और आमोद-प्रमोद के क्रियाकलापों में भाग लेने और सांस्कृतिक जीवन और कलाओं में भाग लेने के अधिकार को मान्यता देते हैं।

2. पक्षकार राज्य, सांस्कृतिक और कलात्मक जीवन में पूर्णत: भाग लेने के बालक के अधिकार का सम्मान करेंगे और उसे प्रोन्नत करेंगे तथा सांस्कृतिक, कलात्मक, आमोद-प्रमोद और अवकाश के दौरान क्रियाकलापों के लिए समुचित और समान अवसर उपलब्ध किए जाने को प्रोत्साहित करेंगे।

अनुच्छेद 32

1. पक्षकार राज्य बालक के, आर्थिक शोषण से संरक्षण और ऐसे किसी कार्य के कराए जाने से संरक्षण पाने के अधिकार को मान्यता देते हैं, जो परिसंकटमय हो सकता है या जिससे बालक के शिक्षा पाने में हस्तक्षेप हो सकता है अथवा जो बालक के स्वास्थ्य के लिए उसके शारीरिक, मानसिक, अध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास के लिए हानिकर हो सकता है।

2. पक्षकार राज्य, वर्तमान अनुच्छेद का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षिक उपाय करेंगे। इस उद्देश्य से और अन्य अन्तरराष्ट्रीय लिखतों के सुसंगत उपबंधों को ध्यान में रखते हुए पक्षकार राज्य विशिष्टत:

(क) नियोजन या नियोजनों में प्रवेश पाने के लिए न्यूनतम आयु का उपबंध करेंगे,

(ख) नियोजन के घंटों और दशाओं के विनियमन के लिए उपबंध करेंगे,

(ग) वर्तमान अनुच्छेद का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए समुचित शास्तियों या अन्य मंजूरियों के लिए उपबंध करेंगे।

अनुच्छेद 33

पक्षकार राज्य, सुसंगत अन्तरराष्ट्रीय संधियों में यथापरिभाषित स्वापक औषधियों और मनोवैश्लेषिक पदार्थों के अवैध प्रयोग से बालकों को संरक्षण देने के लिए समुचित उपाय, जिनके अंतर्गत विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षिक उपाय भी हैं, करेंगे और ऐसे पदार्थों के अवैध उत्पादन और दुर्व्यापार में बालकों के उपयोग का निवारण करेंगे।

अनुच्छेद 34

पक्षकार राज्य वचन देते हैं कि वे बालकों का सभी प्रकार के लैंगिक शोषण और लैंगिक दुर्व्यवहार से संरक्षण करेंगे। इन प्रयोजनों के लिए पक्षाकार राज्य विशिष्टत: निम्नलिखित के निवारण के लिए सभी समुचित राष्ट्रीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उपाय करेंगे:

(क) किसी विधिविरुद्ध लैंगिक क्रियाकलाप में लगने के लिए बालक को उत्प्रेरित करना या प्रपीड़ित करना,

(ख) वैश्यावृत्ति या अन्य विधिविरुद्ध लैंगिक कार्यों में बालकों का शोषक उपयोग,

(ग) अश्लील सम्पादनों और सामग्रियों के लिए बालकों का शोषक प्रयोग।

अनुच्छेद 35

पक्षकार राज्य, बालकों के किसी भी प्रयोजन या रूप में अपहरण, विक्रय या दुर्व्यापार के निवारण के लिए, राष्ट्रीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सभी उपाय करेंगे।

अनुच्छेद 36

पक्षकार राज्य, ऐसे अन्य सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध, जो बाल कल्याण के किसी भी पक्ष के प्रतिकूल है, बालक की संरक्षा करेंगे।

अनुच्छेद 37

पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि:

(क) किसी भी बालक को यंत्रणा या अन्य प्रकार का नृशंस, अमानवीय या तिरस्कारपूर्ण व्यवहार या दण्ड नहीं दिया जाएगा। और न ही अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्यु दण्ड या ऐसा आजीवन कारावास, अधिरोपित किया जाएगा जिससे छूटने की कोई संभावना न हो।

(ख) किसी भी बालक को विधिविरुद्ध रूप में या मनमाने ढंग से उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी बालक की गिरफ्तारी, निरोध या कारावास, विधि के अनुसार ही किया जा सकेगा। और उसका प्रयोग अन्तिम उपाय के रूप में ही और लघुतम समुचित अवधि के लिए ही, किया जाएगा।

(ग) स्वतंत्रता से वंचित प्रत्येक बालक से मानवीय रूप में और मानव शरीर की अन्तर्निहित गरिमा के प्रति सम्मान दर्शित करते हुए तथा ऐसी रीति में व्यवहार किया जाएगा जिसमें बालक की आयु के व्यक्तियों की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया हो। विशिष्टत: अपनी स्वतंत्रता से वंचित प्रत्येक बालक को वयस्कों से अलग रखा जाएगा बशर्ते ऐसे अलग रखना ऐसे बालक के सर्वोत्तम हित में न समझा जाए और बालक को अपने परिवार से सम्पर्क बनाए रखने के लिए आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय पत्र-व्यवहार करने का और परिवार में जाने-आने का अधिकार होगा।

(घ) अपनी स्वतंत्रता से वंचित प्रत्येक बालक को विधिक सहायता अथवा कोई अन्य समुचित सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा और उसे किसी न्यायालय या अन्य सक्षम, स्वतंत्र और निष्पक्ष प्राधिकारी के समक्ष, अपनी स्वतंत्रता से वंचित किए जाने की विधिमान्यता को , चुनौती देने का अधिकार होगा और ऐसी किसी कार्रवाई में तत्परता से विनिश्चय प्राप्त करने का भी अधिकार होगा।

अनुच्छेद 38

1. पक्षकार राज्य वचन देते हैं कि वे सशस्त्र विरोध में, उन्हें लागू अन्तरराष्ट्रीय मानवीय विधि के ऐसे नियमों का सम्मान करेंगे और सम्मान सुनिश्चित करेंगे जो बालक से संबंधित और सुसंगत हैं।

2. पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए सभी साध्य उपाय करेंगे कि वे व्यक्ति, जिनकी आयु पन्द्रह वर्ष की नहीं हुई है, संघर्ष में सीधे भाग नहीं लेंगे।

3. पक्षकार राज्य ऐसे किसी व्यक्ति को अपने सशस्त्र बलों में, भर्ती करने से प्रवरित रहेंगे, जिसने पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। ऐसे व्यक्तियों में से, जिनमें से कुछ ने पन्द्रह वर्ष की आयु पूरी कर ली किन्तु अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, पक्षकार राज्य, उनमें से अधिकतम आयु वाले व्यक्तियों को पूर्विकता देंगे।

4. सशस्त्र विरोध में सिविल आबादी का संरक्षण करने विषयक, अन्तरराष्ट्रीय मानवीय विधि के अधीन, अपनी बाध्यता के अनुसार, पक्षकार राज्य बालकों के, जो ऐसे सशस्त्र विरोध से प्रभावित हुए हैं, संरक्षण और देखभाल के लिए सभी साध्य उपाय करेंगे।

अनुच्छेद 39

पक्षकार राज्य ऐसे बालक की, जो किसी भी प्रकार की उपेक्षा, शोषण, दुर्व्यवहार, यंत्रणा से या किसी अन्य प्रकार के नृशंस, अमानवीय या तिरस्कारपूर्ण व्यवहार या दण्ड से अथवा सशस्त्र विरोध से, आहत है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिपूर्ति के लिए तथा उसके सामाजिक पुन: एकीकरण के लिए सभी समुचित उपाय ऐसे पर्यावरण में, किए जाने चाहिए जिसमें बालक के स्वास्थ्य की, और आत्मसम्मान तथा गरिमा की वृद्धि हो।

अनुच्छेद 40

1. पक्षकार राज्य, ऐसे प्रत्येक बालक के साथ, जो किसी दण्ड विधि के उल्लंघन का अभियुक्त अभिकथित है या ऐसी दण्ड विधि का उल्लंघन करने वाला माना गया है, ऐसी रीति में व्यवहार करेंगे जिससे कि बालक की गरिमा और योग्यता की बाबत उसकी भावना में अभिवृद्धि हो, अन्य व्यक्तियों के मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति बालक की सम्मान-भावना को बल मिले और जिसमें बालक की आयु को, उसके एकीकरण की अभिवृद्धि की वांछनीयता को और समाज में उसकी रचनात्मक भूमिका को, ध्यान में रखा गया हो।

2. इस उद्देश्य से, और अन्तराष्ट्रीय लिखतों के सुसंगत उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, पक्षकार राज्य, विशिष्टत:, यह सुनिश्चित करेंगे कि:

(क) कोई बालक ऐसे कार्यों या लोपों के कारण, जो राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा, उस समय जब ऐसा कार्य या लोप किया गया हो, प्रतिषिद्ध न हो, किसी दण्ड विधि के उल्लंघन के लिए न तो अभियुक्त माना जाएगा, न ऐसे होने का अभिकथन किया जाएगा, और न उसे ऐसा करने वाला माना जाएगा।

(ख) ऐसे प्रत्येक बालक को, जिसके विरुद्ध किसी दण्ड विधि के उल्लंघन का अभिकथन है या जिसे ऐसे उल्लंघन का अभियुक्त कहा गया है, कम से कम निम्नलिखित गारण्टियां प्राप्त होंगी:

(i) जब तक कि विधि के अनुसार दोष साबित नहीं हो जाता है उसे निर्दोष माना जाएगा;

(ii) उसके विरुद्ध आरोप उसे तत्परता से और सीधे और यदि समुचित हो तो, उसके माता-पिता या नैसर्गिक संरक्षक के माध्यम से, सूचित किए जाएंगे और उसकी प्रतिरक्षा तैयार करने और उसे उपस्थापित करने में वह विधिक या अन्य समुचित सहायता ले सकेगा;

(iii) वह अपना मामला किसी सक्षम, स्वतंत्र और निष्पक्ष प्राधिकारी से या किसी न्यायिक निकाय से, विधि के अनुसार उचित सुनवाई के बाद तथा विधिक या अन्य समुचित सहायता लेकर, अविलम्ब अवधारित करा लें, बशर्ते उसकी आयु, स्थिति, उसके माता-पिता या विधिक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए, ऐसा कराना बालक के सर्वोत्तम हित में न हो;

(iv) उसे परिसाक्ष्य देने या दोष स्वीकार करने के लिए विवश न किया जाए, प्रतिकूल साक्षियों की परीक्षा करने या करवाने दी जाए और समान परिस्थितियों में बालक की ओर से साक्षियों की भागीदारी प्राप्त करने और उनकी परीक्षा करने दी जाए;

(v) यदि यह समझा जाता है कि किसी दण्ड विधि का उल्लंघन हुआ है तो इस विनिश्चय का और उसके परिणामस्वरूप अधिरोपित किन्हीं उपायों का, किसी उच्चतर सक्षम, स्वतंत्र और निष्पक्ष प्राधिकारी या न्यायिक निकाय से, विधि अनुसार, पुनर्विलोकन करने दिया जाए;

(vi) यदि बालक प्रयुक्त भाषा नहीं समझ सकता है तो उसे किसी दुभाषिए की नि:शुल्क सहायता प्राप्त हो;

(vii) कार्यवाही के प्रत्येक प्रक्रम में उसकी एकान्तता का पूर्ण सम्मान किया जाए।

3. पक्षकार राज्य ऐसी, विधियों, प्रक्रियाओं, प्राधिकारियों और संस्थाओं का स्थापन कराएंगे जो ऐसे बालकों को विनिर्दिष्टत: लागू हों, जिनकी बाबत यह अभिकथन हो कि उन्होंने किसी दण्ड विधि का उल्लंघन किया है, या वे ऐसे उल्लंघन के लिए अभियुक्त हैं, या यह माना गया है कि उन्होंने ऐसा उल्लंघन किया है और पक्षकार राज्य विशिष्टत: निम्नलिखित कार्य करेंगे:-

(क) ऐसी न्यूनतम आयु विहित करेंगे जिससे कम उम्र के बालकों के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि उनमें ऐसी दण्ड विधि का उल्लंघन करने की सामर्थ्य नहीं है;

(ख) जब कभी समुचित और वांछनीय हो, न्यायिक कार्यवाही के बिना ऐसे बालकों से व्यवहार करने के उपाय विहित करेंगे जिनमें मानव अधिकारों और विधिक सुरक्षोपायों का पूर्ण सम्मान किया गया हो।

4. विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं, जैसे देखभाल, मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण आदेश; परामर्श, परिवीक्षा, धात्री-देखभाल, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और संस्थागत देखभाल के अन्य विकल्प, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध होंगी कि बालकों से ऐसा व्यवहार किया जाए जो उनकी भलाई के लिए समुचित हो और उनकी परिस्थितियों तथा अपराध, दोनों की दृष्टि से, संतुलित हो।

अनुच्छेद 41

वर्तमान कनवेंशन की किसी बात का प्रभाव ऐसे किन्हीं उपबंधों पर नहीं पड़ेगा जो बालक के अधिकारों के ज्ञापन के लिए अधिक लाभकर हैं और जो निम्नलिखित में समाविष्ट हों:

(क) किसी पक्षकार राज्य की विधि में, या

(ख) उस राज्य के लिए प्रवृत्त अंतराष्ट्रीय विधि में।

भाग 2

अनुच्छेद 42

पक्षकार राज्य इस कनवेंशन के सिद्धांतों और उपबंध का ज्ञान, समुचित और सक्रिय साधनों से, वयस्कों और बालकों, दोनों को, समान रूप से, कराएंगे।

अनुच्छेद 43

1. वर्तमान कनवेंशन में स्वीकृत बाध्यताओं का ज्ञापन प्राप्त करने के लिए पक्षकार राज्यों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा के प्रयोजन के लिए, बालकों के अधिकारों की एक समिति स्थापित की जाएगी, जो इसमें आगे उपबंधित कृत्यों का निर्वहन करेगी।

2. समिति में उच्च नैतिक स्तर के और इस कनवेंशन की परिधि के अंतर्गत क्षेत्र में मान्यताप्राप्त क्षमता वाले दस विशेषज्ञ होंगे। समिति के सदस्यों का निर्वाचन पक्षकार राज्य, अपने राष्ट्रिकों में से करेंगे और वे वैयक्तिक हैसियत में कार्य करेंगे। उक्त निर्वाचन में, साम्यापूर्ण भौगोलिक वितरण को तथा प्रधान विधि प्रणालियों को ध्यान में रखा जाएगा।

3. समिति के सदस्यों का निर्वाचन, पक्षकार राज्यों द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की एक सूची में से, गुप्त मतदान द्वारा, किया जाएगा। प्रत्येक पक्षकार राज्य अपने राष्ट्रिकों में से एक व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

4. समिति का प्रारंभिक निर्वाचन, वर्तमान कनवेंशन के प्रवर्तन की तारीख से छह मास के अपश्चात् और तत्पश्चात् प्रत्येक दूसरे वर्ष किया जाएगा। प्रत्येक निर्वाचन की तारीख से कम से कम चार मास पूर्व, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव पक्षकार राज्यों को एक पत्र भेजकर, दो मास के भीतर अपने नामनिर्देशन प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध करेगा। महासचिव तत्पश्चात्, इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सभी व्यक्तियों की वर्णक्रम में एक सूची तैयार करेगा जिसमें वह उन पक्षकार राज्यों का उल्लेख करेगा जिन्होंने उन्हें नामनिर्दिष्ट किया है और फिर वह ऐसी सूची, इस कनवेंशन के पक्षकार राज्यों को प्रस्तुत करेगा।

5. उक्त निर्वाचन, पक्षकार राज्यों के अधिवेशनों में, जो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, मुख्यालय में बुलाएगा, किया जाएगा। उन अधिवेशनों में, जिनकी गणपूर्ति पक्षकार राज्यों के दो तिहाई बहुमत से होगी, समिति के लिए निर्वाचित व्यक्ति वे होंगे जिन्हें, अधिकतम मत मिलेंगे और उपस्थित और मत देने वाले पक्षकार राज्यों के प्रतिनिधियों के मतों में से पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा।

6. समिति के सदस्य का निर्वाचन चार वर्ष की अवधि के लिए होगा। नामनिर्देशन होने पर वे पुनर्निर्वाचन के भी पात्र होंगे। प्रथम निर्वाचन में निर्वाचित सदस्यों में से पांच का कार्यकाल दो वर्ष की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा; प्रथम निर्वाचन के ठीक पश्चात्, इन पांच सदस्यों के नाम, अधिवेशन के अध्यक्ष द्वारा लाट प्रणाली से चुने जाएंगे।

7. यदि समिति के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह त्यागपत्र दे देता है या यह घोषित कर देता है कि वह किसी अन्य कारणवश समिति के कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता है तो पक्षकार राज्य, जिसने सदस्य का नामनिर्देशन किया है, अपने राष्ट्रिकों में से कोई अन्य विशेषज्ञ नियुक्त कर सकेगा, जो समिति के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, शेष अवधि तक सेवा कर सकेगा।

8. समिति अपनी प्रक्रिया के नियम स्वयं बनाएगी।

9. समिति अपने अधिकारियों का निर्वाचन दो वर्ष के लिए करेगी।

10. समिति के अधिवेशन, सामान्यतया, संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में अथवा किसी ऐसे अन्य सुविधाजनक स्थान पर किए जाएंगे जो समिति अवधारित करे। सामान्यतया समिति वर्ष में एक बार समवेत होगी। समिति के अधिवेशनों की अवधि, वर्तमान कनवेंशन के पक्षकार राज्य अपने अधिवेशन में अवधारित करेंगे और ऐसी अवधि का पुनरीक्षण, यदि आवश्यक हो, ऐसे अधिवेशन में ही किया जाएगा तथा ऐसी अवधारण या पुनरीक्षण पर महासभा का अनुमोदन आवश्यक होगा।

11. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, वर्तमान कनवेंशन के अधीन समिति के कृत्यों के प्रभावी सम्पादन के लिए आवश्यक कर्मचारीवृन्द और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करेगा।

12. महासभा के अनुमोदन से, वर्तमान कनवेंशन के अधीन स्थापित समिति के सदस्य अपना पारिश्रमिक, महासभा द्वारा विनिश्चित निबंधनों और शर्तों पर, संयुक्त राष्ट्र के स्रोतों से प्राप्त करेंगे।

अनुच्छेद 44

1. पक्षकार राज्य वचन देते हैं कि वे उन उपायों के बारे में, जो उन्होंने अंगीकार किए हैं और जो इसमें मान्य किए गए अधिकारों को प्रभावी करते हैं तथा उन अधिकारों के उपभोग में की गई प्रगति के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के माध्यम से, समिति को रिपोर्ट:

(क) संबंधित पक्षकार राज्य के लिए इस कनवेंशन के प्रवृत्त होने के दो वर्ष के भीतर;

(ख) तत्पश्चात् प्रत्येक पांच वर्ष के भीतर,

प्रस्तुत करेंगे।

2. वर्तमान अनुच्छेद के अधीन प्रस्तुत की गई रिपोर्टों में, वर्तमान कनवेंशन के अधीन बाध्यताओं की पूर्ति की मात्रा को प्रभावित करने वाली बातों और कठिनाइयों का उल्लेख किया जाएगा। रिपोर्ट में ऐसी पर्याप्त जानकारी भी दी जाएगी जिससे कि समिति को, संबंधित देश में इस कनवेंशन के कार्यान्वयन की विस्तृत जानकारी हो सके।

3. जिस पक्षकार राज्य ने समिति को विस्तृत प्रारंभिक रिपोर्ट दे दी हो उसे वर्तमान अनुच्छेद के पैरा 1(ख) के अनुसार प्रस्तुत पश्चात्वर्ती रिपोर्टों में पूर्णत: दी गई जानकारी पुन: देने की आवश्यकता नहीं है।

4. समिति पक्षकार राज्यों से, इस कनवेंशन के कार्यान्वयन से संगत अतिरिक्त जानकारी पाने के लिए, अनुरोध कर सकती है।

5. समिति, आर्थिक और सामाजिक परिषद के माध्यम से महासभा को, अपने क्रियाकलाप की रिपोर्ट प्रत्येक दो वर्षों में प्रस्तुत करेगी।

6. पक्षकार राज्य अपने-अपने देशों में, अपनी रिपोर्टें जनता को, पर्याप्त मात्रा में, उपलब्ध करेंगे।

अनुच्छेद 45

इस कनवेंशन के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए, और इस कनवेंशन के अन्तर्गत क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए:

(क) विशिष्ट अभिकरण, संयुक्त राष्ट्र बाल निधि और संयुक्त राष्ट्र के अन्य निकाय, वर्तमान कनवेंशन के ऐसे उपबंधों के, जो उनके आदेश (मेनडेट) की परिधि के अंतर्गत हों, कार्यान्वयन पर विचार करने में, भाग लेने के हकदार होंगे। समिति विशिष्ट अभिकरणों, संयुक्त राष्ट्र बाल निधि और ऐसे अन्य सक्षम निकायों को ऐसे क्षेत्रों में, जो उनके अपने-अपने आदेश की परिधि के अंतर्गत हों, कनवेंशन के कार्यान्वयन के बारे में विशेषज्ञ सलाह दे सकते हों, आमंत्रित कर सकेगी। समिति विशिष्ट अभिकरणों, संयुक्त राष्ट्र बालनिधि और संयुक्त राष्ट्र के अन्य निकायों को, उनके क्रियाकलाप की परिधि के अंतर्गत क्षेत्रों में, इस कनवेंशन के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, आमंत्रित कर सकेंगे;

(ख) समिति, विशिष्ट अभिकरणों, संयुक्त राष्ट्र बाल निधि और अन्य सक्षम निकायों को, पक्षकार राज्यों से प्राप्त ऐसी कोई रिपोर्टें अग्रेषित कर सकेगी जिनमें, तकनीकी सलाह या सहायता के लिए अनुरोध या आवश्यकताएं समाविष्ट हों और ऐसी रिपोर्टों के साथ ही इन अनुरोधों या आवश्यकताओं पर समिति के संप्रेक्षण और सुझाव भी, यदि कोई हों, भेजेगी;

(ग) समिति महासभा से सिफारिश करके अनुरोध कर सकेगी कि वह महासचिव से यह अनुरोध करे, कि वह उसकी ओर से, बालक के अधिकारों से संबंधित विनिर्दिष्ट मुद्दों पर अध्ययन करे;

(घ) समिति, वर्तमान कनवेंशन के अनुच्छेद 44 और 45 के अनुसरण में प्राप्त जानकारी के आधार पर अपने सुझाव और साधारण सिफारिशें प्रस्तुत कर सकेगी। ऐसे सुझाव और साधारण सिफारिशें किसी भी संबंधित पक्षकार राज्य को भेजी जाएंगी और उनकी रिपोर्ट महासभा को, पक्षकार राज्यों से प्राप्त टिप्पणियों सहित दी जाएगी।

भाग 3

अनुच्छेद 46

वर्तमान कनवेंशन पर सभी राज्य हस्ताक्षर कर सकेंगे।

अनुच्छेद 47

वर्तमान कनवेंशन का अनुसमर्थन आवश्यक है।

अनुच्छेद 48

वर्तमान कनवेंशन में कोई भी राज्य अधिमिलन कर सकेगा। अधिमिलन की लिखत, संयुक्त राष्ट्र के महासभा के पास निक्षिप्त कर दी जाएगी।

अनुच्छेद 49

1. वर्तमान कनवेंशन उस तारीख के पश्चात् से तेरहवें दिन को प्रवृत्त होगा जिसको अनुसमर्थन या अधिमिलन की बीसवीं लिखत संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास निक्षिप्त की जाएगी।

2. अनुसमर्थन या अधिमिलन की बीसवीं लिखत के निक्षिप्त किये जाने के पश्चात्, कनवेंशन का अनुसमर्थन या अधिमिलन करने वाले प्रत्येक राज्य के लिए यह कनवेंशन, ऐसे राज्य द्वारा अपने अनुसमर्थन या अधिमिलन की लिखत निक्षिप्त कर दी जाने के पश्चात् से, तेरहवें दिन को प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 50

1. कोई भी पक्षकार राज्य संशोधन के लिए प्रस्ताव कर सकेगा और वह संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात् महासचिव ऐसे प्रस्तावित संशोधन पक्षकार राज्यों को, इस अनुरोध के साथ भेजेगा कि वे बताएं कि क्या वे ऐसे प्रस्तावों पर विचार और मतदान करने के प्रयोजन के लिए पक्षकार राज्यों का सम्मेलन बुलवाना चाहते हैं। यदि ऐसे अनुरोध की तारीख से चार मास के भीतर पक्षकार राज्यों में से कम से कम एक-तिहाई ऐसे सम्मेलन के पक्ष में हों तो महासचिव, संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में ऐसा सम्मेलन बुला सकेगा। यदि सम्मेलन में उपस्थित और मतदान करने वाले पक्षकार राज्यों के बहुमत से कोई संशोधन अंगीकृत कर लिया जाता है तो वह, अनुमोदन के लिए महासभा को प्रस्तुत किया जाएगा।

2. वर्तमान अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार अंगीकृत संशोधन तब प्रवृत्त होगा जब संयुक्त राष्ट्र की महासभा उसका अनुमोदन कर देगी और कम से कम दो तिहाई बहुमत से पक्षकार राज्य उसे स्वीकार कर लेंगे।

संशोधन प्रवृत्त हो जाने पर वह उन पक्षकार राज्यों पर आबद्धकर हो जाएगा, जिन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है और अन्य पक्षकार राज्यों पर, वर्तमान कनवेंशन के उपबंध और पूर्वतर संशोधनों के, जो उन्होंने स्वीकार कर लिए हों, उपबंध आबद्धकर होंगे।

अनुच्छेद 51

1. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, अनुसमर्थन या अधिमिलन के समय राज्यों द्वारा किए गए आरक्षणों के पाठ प्राप्त करेगा और उन्हें सभी राज्यों को परिचालित करेगा।

2. वर्तमान कनवेंशन के उद्देश्य और प्रयोजन से बेमेल आरक्षण, अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे।

3. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को सम्बोधित उस प्रभाव की, अधिसूचना द्वारा आरक्षणों को किसी भी समय प्रत्याहृत किया जा सकेगा। तत्पश्चात् महासचिव इसकी सूचना सभी राज्यों को देगा। ऐसी अधिसूचना उस तारीख को प्रभावी होगी जिसको वह महासचिव को प्राप्त होगी।

अनुच्छेद 52

कोई भी पक्षकार राज्य, वर्तमान कनवेंशन का, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को लिखित अधिसूचना देकर, प्रत्याख्यान कर सकेगा। ऐसा प्रत्याख्यान, महासचिव को ऐसी अधिसूचना प्राप्त होने की तारीख के एक वर्ष पश्चात् से प्रभावी होगा।

अनुच्छेद 53

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को, वर्तमान कनवेंशन का निक्षेपधारी अभिहित किया गया है।

अनुच्छेद 54

वर्तमान कनवेंशन की मूल प्रति, जिसके अर्बी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित हैं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास निक्षिप्त कर दी जाएगी।

इसके साक्ष्यस्वरूप नीचे हस्ताक्षर करने वाले पूर्णाधिकारियों ने, जिन्हें उनकी अपनी-अपनी सरकारों ने उस बाबत सम्यकत: प्राधिकृत किया है, वर्तमान कनवेंशन पर हस्ताक्षर किए।

9

महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के विभेदों के बहिष्करण का कनवेंशन*

वर्तमान कनवेंशन के पक्षकार राज्य,

यह ध्यान में रखकर कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, मूल मानवीय अधिकारों में, मानव देह की गरिमा और मूल्य में और पुरुष तथा महिला के समान अधिकारों में निष्ठा को पुन: पुष्ट करता है।

यह ध्यान में रखकर कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, विभेद की अग्राह्यता के सिद्धांत को पुष्ट करते हैं और उद्घोषणा करते हैं कि सभी मानवों ने स्वतंत्र रूप में जन्म लिया है और वे गरिमा एवं अधिकारों की दृष्टि से समान हैं और यह कि प्रत्येक व्यक्ति, उसमें वर्णित सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का हकदार है और इसमें किसी भी प्रकार का विभेद, जिसके अन्तर्गत लिंग पर आधारित विभेद भी है, नहीं किया जाएगा,

यह ध्यान में रखकर कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के पक्षकार राज्यों की यह सुनिश्चित करने की बाध्यता है कि सभी आर्थिक, सामाजिक, सिविल और राजनीतिक अधिकारों का लाभ महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से प्राप्त हो,

महिलाओं और पुरुषों के अधिकारों की समानता की अभिवृद्धि के लिए संयुक्त राष्ट्र और विशिष्ट अभिकरणों के तत्वावधान में हुए अन्तरराष्ट्रीय कनवेंशनों को ध्यान में रखकर,

महिलाओं और पुरुषों के अधिकारों की समानता की अभिवृद्धि करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और विशिष्ट अभिकरणों द्वारा अंगीकृत संकल्पों, घोषणाओं और सिफारिशों को भी ध्यान में रखकर,

दुख है कि इन लिखतों के होते हुए भी महिलाओं के विरुद्ध व्यापक विभेद आज भी विद्यमान है।

पुन: स्मरण करके कि महिलाओं के विरुद्ध विभेद करने से, अधिकारों की समानता और मानव देह की गरिमा के सिद्धांतों का अतिक्रमण होता है, उनके देशों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में, पुरुषों के साथ समानता के आधार पर महिलाओं के भाग लेने में बाधा उत्पन्न होती है, समाज और परिवार की समृद्धि के उन्नयन में रुकावट पड़ती है और उनके देशों की तथा मानवता की सेवा के लिए महिलाओं की ऊर्जा के पूर्ण विकास में कठिनाई उत्पन्न होती है,

चिन्ता का विषय है कि अकिंचन्नता की स्थिति में महिलाओं को न्यूनतम भोजन, स्वास्थ्य परिचर्या, शिक्षा और प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है तथा उन्हें नियोजन के अवसर भी न्यूनतम मिलते हैं और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी न्यूनतम हो पाती है,

इस बात पर विश्वास करते हुए कि समानता और न्याय पर आधारित नई अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का, पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता के प्रोन्नयन के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान होगा,

इस बात पर बल देते हुए कि रंगभेद की नीति, सभी प्रकार के मूलवंशवाद, मूलवंशीय विभेद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, आक्रमण, विदेशी अधिभोग और आधिपत्य तथा राज्यों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप का उन्मूलन, पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों के पूर्ण उपयोग के लिए, अत्यावश्यक है।

---

*यह कनवेंशन, तारीख 18 दिसम्बर 1979 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प द्वारा अंगीकार किया गया और हस्ताक्षर, अनुसमर्थन और अधिमिलन के लिए खुला रखा गया। यह 3 सितम्बर 1981 से प्रभावी हुआ।

यह प्रतिज्ञान करके कि अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को मजबूत बनाने से, अन्तरराष्ट्रीय तनाव घटाने से, इस बात के अनपेक्षत: सभी राज्यों के बीच पारस्परिक सहयोग बढ़ाने से, कि उनकी सामाजिक और आर्थिक प्रणालियां क्या हैं कठोर और प्रभावी अन्तरराष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन कठोर और प्रभावी अन्तरराष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन साधारण और पूर्ण निरस्त्रीकरण, विशिष्टत: अणुनाभिकीय निरस्त्रीकरण करने से, देशों के पारस्परिक संबंधों के संदर्भ में न्याय, समानता और पारस्परिक हित लाभ के सिद्धांतों की पुष्टि करने से, उन व्यक्तियों के अधिकारों की आप्ति कराने से, जो अन्य देशीय और उपनिवेशी आधिपत्य और विदेशी अधिभोगाधीन हैं और उन्हें आत्मनिर्णय का अवसर देने और स्वतंत्रता दिलाने से, तथा राष्ट्रीय सम्प्रभुत्ता और राज्यक्षेत्रीय अखण्डता के लिए सम्मान मिलने से, सामाजिक प्रगति और विकास में अभिवृद्धि होगी तथा परिणामत: पुरुष और महिला के बीच पूर्ण समानता की प्राप्ति में योगदान मिलेगा।

इस बात पर विश्वास करके कि किसी देश के पूर्ण और समग्र विकास, विश्व कल्याण और शान्ति की स्थापना के लिए, सभी क्षेत्रों में महिलाओं की पुरुषों के साथ समानता के आधार पर, अधिकतम भागीदारी आवश्यक है,

परिवार के कल्याण और समाज के विकास में महिला के महान योगदान को, जिसे अभी तक स्वीकारा नहीं गया है, मातृत्व के सामाजिक महत्व और परिवार में बालक के पालन-पोषण में माता-पिता की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, और इस बात को भली-भांति जानते हुए कि सन्तानोत्पत्ति में महिला की भूमिका के कारण उसे विभेद का शिकार नहीं बनाया जा सकता है अपितु बालक के पालन-पोषण के लिए महिला-पुरुष और समग्र समाज संयुक्तत: दायी है,

यह जानते हुए, कि समाज और परिवार में पुरुष और महिला दोनों की, पारम्परिक भूमिका में परिवर्तन पुरुष और महिला के बीच पूर्ण समानता के लिए आवश्यक है,

महिलाओं के विरुद्ध विभेद के बहिष्करण की घोषणा में वर्णित सिद्धांतों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करके और उस प्रयोजन से, सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में ऐसे विभेद के बहिष्करण के लिए अपेक्षित सभी उपाय करने के लिए,

निम्नलिखित करार करते हैं:

भाग 1

अनुच्छेद 1

वर्तमान कनवेंशन के प्रयोजन के लिए, पद "महिला के विरुद्ध विभेद" से लिंग भेद के आधार पर ऐसा कोई विभेद, अपवर्जन या निर्बन्धन, अभिप्रेत है, जिसका प्रभाव और प्रयोजन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सिविल या किसी अन्य क्षेत्र में मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं का महिलाओं द्वारा, चाहे उनकी वैवाहिक प्रास्थिति जो भी हो, पुरुष और महिला की समानता के आधार पर मान्यता, उपयोग या प्रयोग का ह्रासित या अकृत करना है।

अनुच्छेद 2

पक्षकार राज्य, महिलाओं के विरुद्ध विभेद की, उसके सभी रूपों में, भर्त्सना करते हैं और महिलाओं के विरुद्ध विभेद के बहिष्करण की नीति का, सभी समुचित साधनों द्वारा और अविलम्ब उनका अनुसरण करने का, करार करते हैं और इस उद्देश्य से वचन देते हैं कि वे,—

(क) पुरुष और महिला की समानता के सिद्धांत को, अपने-अपने राष्ट्रीय संविधानों में या अन्य उपयुक्त विधानों में, यदि अभी तक उनमें वह सम्मिलित नहीं हैं, समाविष्ट करेंगे और विधि तथा अन्य समुचित साधनों से यह सुनिश्चित करेंगे कि इस सिद्धान्त का व्यावहारिक दृष्टि से कार्यान्वयन हो;

(ख) महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के विभेद को प्रतिषिद्ध करने के लिए समुचित विधायी और अन्य उपाय, जिनके अन्तर्गत जहां समुचित है, प्रतिबंध भी हैं, करेंगे;

(ग) पुरुष से समानता के आधार पर महिलाओं के अधिकारों के लिए विधिक संरक्षण की स्थापना करेंगे और सक्षम राष्ट्रीय अधिकरणों और अन्य लोक संस्थाओं के माध्यम से विभेद के किसी भी कार्य के विरुद्ध महिलाओं का प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करेंगे;

(घ) महिलाओं के विरुद्ध विभेद के सभी कार्यों और प्रथाओं से प्रविरत रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि लोक प्राधिकारी और संस्थाएं, उक्त बाध्यता के अनुरूप कार्य करेंगी;

(ङ) किसी व्यक्ति, संगठन या उद्यम द्वारा महिलाओं के विरुद्ध विभेद के बहिष्करण के लिए सभी समुचित उपाय करेंगे;

(च) विद्यमान विधियों, विनियमों, रूढ़ियों और प्रथाओं को, जिनसे महिलाओं के विरुद्ध विभेद होता है, उपान्तरित या उत्सादित करने के लिए सभी समुचित उपाय, जिनके अन्तर्गत विधायी उपाय भी हैं, करेंगे;

(छ) ऐसे सभी राष्ट्रीय शास्तिक उपबंधों को निरसित करेंगे, जिनसे महिलाओं के विरुद्ध विभेद होता है।

अनुच्छेद 3

पक्षकार राज्य, महिलाओं का पूर्ण विकास और उन्नयन सुनिश्चित करने के लिए, जिससे कि पुरुष के साथ समानता के आधार पर उनके लिए, मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं का प्रयोग और उपभोग की गारण्टी हो सके, सभी क्षेत्रों में, विशिष्टत: राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में, सभी समुचित उपाय, जिनके अंतर्गत विधायी उपाय भी हैं, करेंगे।

अनुच्छेद 4

1. पक्षकार राज्यों द्वारा पुरुषों और महिलाओं के बीच वास्तविक समानता की अभिवृद्धि के लिए आशयित अस्थायी विशेष उपायों के अंगीकार किए जाने को, वर्तमान कनवेंशन में यथा परिभाषित विभेद नहीं समझा जाएगा किन्तु यह तब जब उसके परिणामत: किसी भी प्रकार से असमान या पृथक मानकों की स्थापना न हो और जब उपचार और अवसर की समानता प्राप्त हो जाए तब ये उपाय समाप्त कर दिए जाएंगे।

2. पक्षकार राज्यों द्वारा विशेष उपायों का, जिनके अन्तर्गत वे उपाय भी हैं, जो वर्तमान कनवेंशन में समाविष्ट हैं, और जिनका उद्देश्य मातृत्व का संरक्षण करना है, अंगीकरण, विभेद नहीं समझा जाएगा।

अनुच्छेद 5

पक्षकार राज्य निम्नलिखित के लिए सभी समुचित उपाय करेंगे:-

(क) पुरुषों और महिलाओं के आचरण विषयक सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप का इस दृष्टि से उपान्तरण करने के लिए कि प्रतिकूलताओं और रूढ़िजन्य तथा अन्य सभी प्रकार की ऐसी प्रथाओं का बहिष्कार हो सके जो दोनों में से किसी लिंग की उच्चता या निम्नता पर या महिलाओं और पुरुषों की पारम्परिक रूढ़िजन्य भूमिका पर आधारित हों,

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पारिवारिक शिक्षा के अन्तर्गत हैं, एक सामाजिक कृत्य के रूप में मातृत्व को ठीक प्रकार से समझना और अपने बालकों के पालन-पोषण और विकास में पुरुषों और महिलाओं का शामिलाती दायित्व का होना। यह समझना भी है कि बालक का हित सभी दशाओं में, सर्वोपरि है।

अनुच्छेद 6

पक्षकार राज्य, सभी प्रकार के महिला-दुर्व्यापार को और महिला वैश्यावृत्ति के शोषण को समाप्त करने के लिए सभी समुचित उपाय, जिनके अन्तर्गत विधायी उपाय भी हैं, करेंगे।

भाग 2

अनुच्छेद 7

पक्षकार राज्य, देश के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के विरुद्ध विभेद के बहिष्करण के लिए सभी समुचित उपाय करेंगे और विशिष्टत: महिलाओं को, पुरुष के साथ समानता के आधार पर, निम्नलिखित अधिकार सुनिश्चित करेंगे:

(क) सभी लोक निर्वाचनों और जनमत संग्रह में मत देने का और सार्वजनिक रूप में निर्वाचित निकायों के लिए निर्वाचनों में खड़े होने का अधिकार;

(ख) सरकारी नीतियों की रचना में और ऐसी नीति के कार्यान्वयन में भाग लेने का और सरकार के सभी स्तरों के लोक पद धारण करने और सभी लोक कृत्य सम्पादित करने का अधिकार;

(ग) देश के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन से सम्बद्ध गैर-सरकारी संगठनों और संगमों में भाग लेने का अधिकार।

अनुच्छेद 8

पक्षकार राज्य, महिलाओं को, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी सरकार का प्रतिनिधित्व करने का अवसर और अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के कार्य में भाग लेने का अवसर, पुरुष के साथ समानता के आधार पर और किसी विभेद के बिना, सुनिश्चित करने के लिए सभी समुचित उपाय करेंगे।

अनुच्छेद 9

1. पक्षकार राज्य महिलाओं को, अपनी राष्ट्रिकता अर्जित, परिवर्तित या प्रतिधारित करने का अधिकार, पुरुषों के समान ही, मंजूर करेंगे। विशिष्टत: वे यह सुनिश्चित करेंगे कि न तो किसी अन्य देशीय से विवाह करने के कारण और न विवाह के दौरान पति द्वारा राष्ट्रिकता परिवर्तित कर लेने के कारण, पत्नी की राष्ट्रिकता स्वत: परिवर्तित होगी। वह इस कारण न तो राष्ट्रिकता विहीन भी होगी और न उस पर पति की राष्ट्रिकता थोपी जाएगी।

2. पक्षकार राज्य, महिलाओं के बालकों की राष्ट्रिकता के संबंध में, महिलाओं को पुरुषों के समान ही अधिकार मंजूर करेंगे।

भाग 3

अनुच्छेद 10

पक्षकार राज्य, शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं को, पुरुषों के समान अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, उनके विरुद्ध विभेद के बहिष्करण के लिए सभी समुचित उपाय करेंगे और विशिष्टत: महिला-पुरुष की समानता के आधार पर निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगे:

(क) व्यावसायिक और वृत्तिक मार्गदर्शन के लिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी प्रवर्गों के शैक्षिक संस्थानों में अध्ययन करने के लिए, डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए, समान शर्तें अधिरोपित की जाएंगी। यह समानता, विद्यालय पूर्व, सामान्य, तकनीकी, वृत्तिक और उच्चतर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में और सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भी उपलब्ध की जाएगी;

(ख) समान पाठ्यक्रम, समान परीक्षाएं, समान मानक की अर्हता वाले शिक्षकवृन्द और समान गुणवत्ता के विद्यालय के परिसर और उपस्कर उपलब्ध किए जाएंगे;

(ग) सभी स्तरों पर और सभी प्रकार की शिक्षा की बाबत पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं के बारे में रूढ़िगत विचारधारा का, सहशिक्षा और ऐसे अन्य प्रकार की शिक्षा को प्रोत्साहन देकर, बहिष्करण, जिससे इस उद्देश्य की प्राप्ति होती हो और विशिष्टत: यह कार्य, पाठ्य पुस्तकों और विद्यालय-कार्यक्रमों के पुनरीक्षण द्वारा और शिक्षण पद्धतियों के अनुकूलन द्वारा किया जाएगा;

(घ) छात्रवृत्तियों और अन्य अध्ययन अनुदानों से लाभ के समान अवसर उपलब्ध किए जाएं;

(ङ) अनुवर्ती शिक्षा के कार्यक्रम, जिनके अन्तर्गत वयस्क और कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम भी हैं, विशिष्टत: ऐसे कार्यक्रम, जिनका उद्देश्य पुरुषों और महिलाओं के बीच विद्यमान शिक्षा अन्तराल को शीघ्रातिशीघ्र कम करना है, किए जाएंगे;

(च) ऐसे महिला विद्यार्थियों की संख्या कम की जाएगी, जो बीच में ही अध्ययन छोड़ देते हैं और ऐसे पुरुषों और महिलाओं के लिए, जिन्होंने विद्यालय समयपूर्व छोड़ दिए हैं, कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे;

(छ) खेलकूद और शारीरिक शिक्षा में सक्रिय भाग लेने के समान अवसर दिए जाएंगे;

(ज) परिवार का स्वास्थ्य और भलाई सुनिश्चित करने के लिए, उसे विनिर्दिष्ट शैक्षिक जानकारी, जिसके अन्तर्गत परिवार नियोजन विषयक जानकारी और सलाह भी है, देंगे।

अनुच्छेद 11

1. पक्षकार राज्य, नियोजन के क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध विभेद के बहिष्करण के लिए सभी समुचित उपाय करेंगे जिससे कि पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता के आधार पर, महिलाओं को समान अधिकार, विशिष्टत: निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हों:—

(क) सभी मनुष्यों के अपृथक्करणीय अधिकार के रूप में कार्य करने का अधिकार;

(ख) नियोजन के समान अवसर पाने का अधिकार, जिसके अन्तर्गत नियोजन के मामलों में चयन के लिए एक ही मानक लागू करना भी है;

(ग) वृत्ति और नियोजन का स्वतंत्र रूप से चयन करने का अधिकार, प्रोन्नति, नियोजन की सुरक्षा और सेवा के सभी लाभ पाने और समान शर्तें लागू होने का अधिकार और व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं पुनर्प्रशिक्षण पाने का, जिसके अन्तर्गत शिक्षुता, उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण और आवर्ती प्रशिक्षण भी है, अधिकार;

(घ) समान पारिश्रमिक का, जिसके अन्तर्गत फायदे भी हैं, अधिकार और समान मूल्य के कार्य के संबंध में और कार्य की क्वालिटी के मूल्यांकन के संबंध में समानता-व्यवहार पाने का अधिकार;

(ङ) सामाजिक सुरक्षा का, विशिष्टत: सेवानिवृत्ति, बेरोजगारी, रुग्णता, अशक्तता और वृद्धावस्था और कार्य करने की अन्य असमर्थताओं के मामलों में, अधिकार तथा सवेतन छुट्टी का अधिकार;

(च) स्वास्थ्य-संरक्षा का और सुरक्षित कार्य की दशाओं का अधिकार, जिसके अन्तर्गत जनन के कार्य के लिए सुरक्षोपायों का अधिकार भी है;

2. विवाह और मातृत्व के आधार पर महिलाओं के विरुद्ध विभेद के निवारण के लिए और कार्य करने का उनका प्रभावी अधिकार सुनिश्चित करने के लिए, पक्षकार राज्य निम्नलिखित समुचित उपाय करेंगे:

(क) मंजूरियों के अधिरोपण के अधीन रहते हुए, गर्भधारण करने या प्रसूति छुट्टी पर होने के आधार पर पदच्युति को प्रतिषिद्ध करना और वैवाहिक प्रास्थिति के आधार पर पदच्युति के मामले में विभेद को रोकना;

(ख) सवेतन या तुलनीय सामाजिक फायदों के साथ, पूर्वतर नियोजन, ज्येष्ठता या सामाजिक छूटों की हानि किए बिना, प्रसूति छुट्टी देना प्रारंभ करना;

(ग) आवश्यक समर्थक सामाजिक सेवाओं के उपबंध किए जाने को प्रोत्साहित करना जिससे कि माता-पिता पारिवारिक बाध्यताओं को, कार्य-दायित्व और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी से, सम्बद्ध कर सकें। यह कार्य विशिष्टत: बाल-देखभाल के नेटवर्क के स्थापन और विकास का प्रोन्नयन करके किया जा सकता है;

(घ) इस प्रकार के कार्यों में, जो महिलाओं के लिए हानिकर साबित हो चुके हैं, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की विशेष सुरक्षा का उपबंध करना।

3. इस अनुच्छेद की परिधि के अन्तर्गत आने वाले विषयों से संबंधित संरक्षी विधान की, वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान की दृष्टि से, कालिक रूप में समीक्षा करना और आवश्यकतानुसार उसका पुनरीक्षण, निरसन या विस्तारण करना।

अनुच्छेद 12

1. पक्षकार राज्य, स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में, महिलाओं के विरुद्ध विभेद के बहिष्करण के लिए सभी समुचित उपाय करेंगे जिससे कि उनके लिए, पुरुषों और महिलाओं की समानता के आधार पर, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, जिनके अन्तर्गत परिवार नियोजन से संबंधित सेवाएं भी हैं, सुनिश्चित हो सकें।

2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 के उपबंधों के होते हुए भी, पक्षकार राज्य महिलाओं के लिए, गर्भावस्था, प्रसवावस्था और प्रसवोत्तर काल में समुचित सेवाएं सुनिश्चित करेंगे साथ ही यथावश्यक गर्भावस्था और स्तन्यकाल के दौरान यथावश्यक पर्याप्त पोषण की व्यवस्था भी करेंगे।

अनुच्छेद 13

1. पक्षकार राज्य, आर्थिक और सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में, महिलाओं के विरुद्ध विभेद के बहिष्करण के लिए सभी समुचित उपाय करेंगे जिससे कि पुरुषों और महिलाओं की समानता के आधार पर, महिलाओं के लिये समान अधिकार विशिष्टत: निम्नलिखित अधिकार, सुनिश्चित हो सकें:

(क) पारिवारिक फायदों का अधिकार;

(ख) बैंक से उधार लेने का, बन्धक रखने का और अन्य प्रकार के वित्तीय उधार लेने का अधिकार;

(ग) आमोद-प्रमोद विषयक क्रियाकलापों में, खेलों में और सांस्कृतिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में भाग लेने का अधिकार।

अनुच्छेद 14

1. पक्षकार राज्य, ग्रामीण महिलाओं के सामने आने वाली विशिष्ट समस्याओं को और अपने परिवार के आर्थिक अस्तित्व के लिए ग्रामीण महिलाओं द्वारा अदा की जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को, जिसके अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के गैर-मौद्रिक सेक्टरों में उनके कार्य भी हैं, ध्यान में रखेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को, वर्तमान कनवेंशन के उपबंध लागू करेंगे।

2. पक्षकार राज्य, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के विरुद्ध विभेद के बहिष्करण के लिए सभी समुचित उपाय करेंगे, जिससे कि, पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता के आधार पर, यह सुनिश्चित हो सके कि वे, ग्रामीण विकास में एवं उससे उत्पन्न फायदों में भागीदारी करेंगे और विशिष्टत: ऐसी महिलाओं को निम्नलिखित अधिकार सुनिश्चित करेंगे:

(क) सभी स्तरों पर विकास-योजना के विस्तारण और कार्यान्वयन में भाग लेने का अधिकार;

(ख) पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार, जिनके अंतर्गत परिवार नियोजन विषयक जानकारी, परामर्श और सेवाएं प्राप्त करना भी है;

(ग) सामाजिक संरक्षा कार्यक्रमों से सीधा फायदा उठाने का अधिकार;

(घ) सभी प्रकार का प्रशिक्षण और शिक्षा—औपचारिक और अनौपचारिक—पाने का अधिकार, जिसके अन्तर्गत कृतिक साक्षरता भी है, साथ ही, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी सामुदायिक और प्रसारण सेवाओं से फायदा पाने का अधिकार जिससे कि उनकी तकनीकी प्रवीणता में वृद्धि हो;

(ङ) नियोजन या स्वयं नियोजन के माध्यम से समान आर्थिक अवसर की प्राप्ति के लिए स्वावलम्बी समूह और सहकारी संस्थाएं बनाने का अधिकार;

(च) सभी सामुदायिक क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार;

(छ) कृषि-उधार और ऋण, विपणन सुविधाएं, समुचित तकनीक और कृषिक सुधारों का लाभ पाने का और भूमि तथा भूमि व्यवस्थापन के संबंध में, समान व्यवहार पाने का, अधिकार;

(ज) पर्याप्त जीवन निर्वाह की परिस्थितियों के, विशिष्टत: आवास, सफाई, विद्युत और जल प्रदाय, परिवहन और संचार के संबंध में, उपभोग का अधिकार।

भाग 4

अनुच्छेद 15

1. पक्षकार राज्य, विधि के समक्ष महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करेंगे।

2. पक्षकार राज्य, सिविल विषयों में महिलाओं को वैसी ही विधिक हैसियत, जो पुरुषों को प्राप्त हैं, और उस हैसियत के प्रयोग के लिए समान अवसर, प्रदान करेंगे। विशिष्टत: वे महिलाओं को, संविदा करने और संपत्ति के प्रशासन के संबंध में समान अधिकार देंगे और उन्हें न्यायालयों तथा अधिकरणों में प्रक्रिया के सभी प्रक्रमों पर समान व्यवहार देंगे।

3. पक्षकार राज्य करार करते हैं कि विधिक प्रभाव रखने वाली सभी संविदाएं और सभी प्रकार की अन्य प्राइवेट लिखतें, जिनके कारण महिलाओं की विधिक हैसियत निर्बन्धित होती है, अकृत और शून्य समझी जाएंगी।

4. पक्षकार राज्य, व्यक्तियों के संचरण से और अपना निवास गृह और अधिवास चुनने से संबंधित विधि के संबंध में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देंगे।

अनुच्छेद 16

1. पक्षकार राज्य, ऐसे सभी विषयों में, जो विवाह और पारिवारिक संबंधों से सम्पृक्त हैं, महिलाओं के विरुद्ध विभेद के बहिष्करण के लिए सभी समुचित उपाय करेंगे और विशिष्टत: पुरुषों और महिलाओं की समानता के आधार पर, निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगे:

(क) विवाह करने की बाबत समान अधिकार;

(ख) पति या पत्नी को स्वतंत्र रूप से चुनने का और अपनी स्वतंत्र सम्मति से ही विवाह करने का अधिकार;

(ग) विवाह के दौरान और उसके विघटन के बाद समान अधिकार और दायित्व;

(घ) अपने बालकों से संबंधित विषयों में माता-पिता के, इस बात के अनपेक्षत: कि उनकी वैवाहिक प्रास्थिति क्या है, समान अधिकार और दायित्व। ऐसे सभी मामलों में बालकों का हितसाधन सर्वोपरि होगा।

(ङ) अपने बालकों की संख्या और उनके बीच अन्तराल की बाबत स्वतंत्रतापूर्वक और दायित्वपूर्ण रूप में विनिश्चय करने की बाबत अधिकार और सूचना, शिक्षा तथा साधनों की जानकारी पाने के समान अधिकार, जिससे कि वे इन अधिकारों का प्रयोग कर सकें;

(च) बालकों की संरक्षकता, प्रतिपाल्यता, न्यासिता और दत्तक ग्रहण तथा समान संस्थाओं के, जहां ऐसी संकल्पना राष्ट्रीय विधान में समाविष्ट है, बारे में समान अधिकार और दायित्व। ऐसे सभी मामलों में बालकों का हितसाधन सर्वोपरि होगा।

(छ) पति-पत्नी के रूप में समान वैयक्तिक अधिकार, जिसके अन्तर्गत पारिवारिक नाम, वृत्ति और कोई उपजीविका चुनने का अधिकार भी है;

(ज) संपत्ति के स्वामित्व, अर्जन, प्रबंध, प्रशासन, उपभोग और व्ययन के संबंध में पति पत्नी दोनों के समान अधिकार। इसका प्रयोग नि:शुल्क या मूल्यवान प्रतिफल के लिए, दोनों ही प्रकार से किया जा सकेगा।

2. किसी बालक की सगाई और विवाह का कोई विधिक प्रभाव नहीं होगा और विवाह के लिए न्यूनतम आयु विहित करने के लिए और सरकारी रजिस्ट्री में विवाह का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य बनाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई, जिसके अन्तर्गत विधान बनाना भी है, की जाएगी।

भाग 5

अनुच्छेद 17

1. वर्तमान कनवेंशन के कार्यान्वयन में की गई प्रगति पर विचार करने के लिए, महिलाओं के विरुद्ध विभेद बहिष्करण समिति, (जिसे इसमें आगे समिति कहा गया है) नामक एक समिति स्थापित की जाएगी। यह समिति, कनवेंशन के प्रवृत्त होने के समय अठारह और पैंतीसवें पक्षकार राज्य द्वारा कनवेंशन के अनुसमर्थन या अधिमिलन के पश्चात, तेईस ऐसे विशेषज्ञों से मिलकर गठित होगी, जो उच्च नैतिक स्तर के होंगे और कनवेंशन के अन्तर्गत आने वाले कार्य क्षेत्र में निपुण होंगे। इन विशेषज्ञों का निर्वाचन पक्षकार राज्य अपने राष्ट्रिकों में से करेंगे और वे अपनी वैयक्तिक हैसियत में कार्य करेंगे। ऐसे निर्वाचन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वह साम्यापूर्ण भौगोलिक वितरण, सभ्यता के विभिन्न रूपों और प्रधान विधि प्रणालियों के प्रतिनिधित्व पर आधारित हो।

2. समिति के सदस्यों का निर्वाचन पक्षकार राज्यों द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की एक सूची में से, गुप्त मतदान द्वारा, किया जाएगा। प्रत्येक पक्षकार राज्य, अपने राष्ट्रिकों में से एक व्यक्ति नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

3. प्रारंभिक निर्वाचन, वर्तमान कनवेंशन के प्रवृत्त होने की तारीख के पश्चात् से छः मास के भीतर कर लिया जाएगा। प्रत्येक निर्वाचन की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, पक्षकार राज्यों को एक पत्र लिखकर उनसे अनुरोध करेगा कि वे दो मास के भीतर अपने-अपने नामनिर्देशन प्रस्तुत करें। महासचिव इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सभी व्यक्तियों की सूची वर्णक्रम में, तैयार करेगा जिसमें उन पक्षकार राज्यों के नाम उपदर्शित किए जाएंगे जिन्होंने उन्हें नामनिर्दिष्ट किया है और ऐसी सूची पक्षकार राज्यों को प्रस्तुत करेगा।

4. समिति के सदस्यों का निर्वाचन, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में बुलाए गए एक अधिवेशन में किया जाएगा। उस अधिवेशन में, जिसकी गणपूर्ति दो तिहाई पक्षकार राज्यों से होगी, समिति के लिए निर्वाचित व्यक्ति वे नामनिर्देशिती होंगे जिन्हें सबसे अधिक मत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले पक्षकार राज्यों के प्रतिनिधियों के मतों में से पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा।

5. समिति के सदस्यों का निर्वाचन चार वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। तथापि, प्रथम निर्वाचन के समय निर्वाचित सदस्यों में से नौ सदस्यों का कार्यकाल, दो वर्ष की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा; प्रथम निर्वाचन के ठीक पश्चात् इन नौ सदस्यों के नामों का चयन, समिति का अध्यक्ष, लाट द्वारा करेगा।

6. समिति के पांच अतिरिक्त सदस्यों का निर्वाचन, पैंतीसवें अनुसमर्थन या स्वीकृति के पश्चात् इस अनुच्छेद के पैरा 2, 3 और 4 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। इस अवसर पर निर्वाचित अतिरिक्त सदस्यों में से दो का कार्यकाल दो वर्ष के पश्चात् समाप्त हो जाएगा। इन दो सदस्यों के नामों का चयन, समिति का अध्यक्ष, लाट द्वारा करेगा।

7. आकस्मिक रिक्तियां भरने के लिए, पक्षकार राज्य, जिसका विशेषज्ञ समिति के सदस्य के रूप में कृत्यकारी नहीं रह जाता है, अपने राष्ट्रिकों में से एक अन्य विशेषज्ञ नियुक्त करेगा। इस नियुक्ति पर समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा।

8. समिति के सदस्य अपना पारिश्रमिक महासभा के अनुमोदन से, संयुक्त राष्ट्र के स्रोतों से, महासभा द्वारा विनिश्चित निबंधनों और शर्तों पर, प्राप्त करेंगे। इसके लिए समिति की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखा जाएगा।

9. संयुक्त राष्ट्र महासचिव, वर्तमान कन्वेशन के अधीन समिति के कृत्यों के प्रभावी सम्पादन के लिए आवश्यक कर्मचारिवृंद और सुविधाओं का उपबंध करेगा।

अनुच्छेद 18

1. पक्षकार राज्य वचन देते हैं कि वे, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को, समिति द्वारा विचार किए जाने के लिए, विधायी, न्यायिक, प्रशासनिक या ऐसे अन्य उपायों के बारे में, जो वर्तमान कनवेंशन के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए उन्होंने अंगीकार किए हों और उनमें हुई प्रगति के बारे में, एक रिपोर्ट:

(क) संबंधित राज्य का प्रवेश प्रवृत्त होने से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करेंगे;

(ख) तत्पश्चात् प्रत्येक चार वर्षों में तथा जब भी समिति अनुरोध करेगी तब, प्रस्तुत करेंगे।

2. रिपोर्टों में वर्तमान कनवेंशन के अधीन बाध्यताओं की पूर्ति की मात्रा को प्रभावित करने वाले तथ्यों और कठिनाइयों का उल्लेख किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 19

1. समिति अपनी प्रक्रिया के नियम स्वयं अंगीकार करेगी।

2. समिति अपने अधिकारियों का निर्वाचन दो वर्ष के लिए करेगी।

अनुच्छेद 20

1. समिति, वर्तमान कनवेंशन के अनुच्छेद 18 के अनुसार प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के लिए सामान्यतया प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक दो सप्ताह की अवधि के लिए अधिविष्ट होगी।

2. समिति के अधिवेशन सामान्यतया संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में अथवा ऐसे किसी सुविधाजनक स्थान पर किए जाएंगे, जो समिति अवधारित करे।

अनुच्छेद 21

1. समिति, आर्थिक और सामाजिक परिषद के माध्यम से, अपने क्रियाकलापों की बाबत संयुक्त राष्ट्र की महासभा को वार्षिकत: रिपोर्ट करेगी और पक्षकार राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों और जानकारी की परीक्षा के आधार पर अपनी सिफारिशें और सुझाव भी इसके साथ भेज सकेगी।

2. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, समिति की रिपोर्टें, जानकारी के लिए, महिला प्रास्थिति आयोग को भेजेगा।

अनुच्छेद 22

विशिष्ट अभिकरण, वर्तमान कनवेंशन के ऐसे उपबंधों के, जो उनके क्रियाकलाप की परिधि में आते हैं, कार्यान्वयन पर विचार किए जाने के समय अपने प्रतिनिधित्व के हकदार होंगे। समिति, उन क्षेत्रों में इस कनवेंशन के कार्यान्वयन पर रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट अभिकरणों को आमंत्रित कर सकेगी, जो उनके क्रियाकलाप की परिधि के अंतर्गत आते हैं।

भाग 6

अनुच्छेद 23

वर्तमान कनवेंशन की कोई भी बात ऐसे किन्हीं उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी जो पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की प्राप्ति के लिए अधिक हितकर हों और जो:

(क) पक्षकार राज्य के विधान में अन्तर्विष्ट हों; या

(ख) ऐसे किसी अन्य अन्तरराष्ट्रीय कनवेंशन, संधि या करार में अन्तर्विष्ट हों जो उस राज्य के लिए प्रवृत्त हों।

अनुच्छेद 24

पक्षकार राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे सभी उपाय करेंगे, जिनका उद्देश्य वर्तमान कनवेंशन में मान्यताप्राप्त अधिकारों की पूर्ण आप्ति आशायित है।

अनुच्छेद 25

1. वर्तमान कनवेंशन सभी राज्यों द्वारा हस्ताक्षरों के लिए खुला रहेगा।

2. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, वर्तमान कनवेंशन का निक्षेपधारी अभिहित किया गया है।

3. वर्तमान कनवेंशन का अनुसमर्थन होना है। अनुसमर्थन की लिखत, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास निक्षिप्त कर दी जाएगी।

4. वर्तमान कनवेंशन से सभी राज्य अधिमिलन कर सकेंगे। अधिमिलन, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास अधिमिलन लिखत निक्षिप्त करके किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 26

1. वर्तमान कनवेंशन के पुनरीक्षण के लिए अनुरोध, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को सम्बोधित एक लिखित अधिसूचना द्वारा कोई भी पक्षकार राज्य, किसी भी समय, कर सकेगा।

2. संयुक्त राष्ट्र की महासभा यह विनिश्चय करेगी कि ऐसे अनुरोध पर क्या कार्रवाई की जाए।

अनुच्छेद 27

1. वर्तमान कनवेंशन, अनुसमर्थन या अधिमिलन की बीसवीं लिखत, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास निक्षिप्त की जाने की तारीख के पश्चात् से तेरहवें दिन प्रवृत्त होगी।

2. ऐसे प्रत्येक राज्य के लिए, जो वर्तमान कनवेंशन के अनुसमर्थन या अधिमिलन की बीसवीं लिखत निक्षिप्त कर दी जाने के पश्चात् उसका अनुसमर्थन करता है या उसमें अधिमिलन करता है, यह कनवेंशन ऐसे राज्य द्वारा अनुसमर्थन या अधिमिलन की लिखत निक्षिप्त की जाने की तारीख के पश्चात् से तेरहवें दिन को प्रवृत्त होगें।

अनुच्छेद 28

1. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, अनुसमर्थन या अधिमिलन के समय राज्यों द्वारा किए गए आरक्षणों के पाठ, प्राप्त करेगा और उन्हें सभी राज्यों के बीच परिचालित करेगा।

2. यदि कोई आरक्षण, वर्तमान कनवेंशन के उद्देश्य और प्रयोजन से असंगत है तो वह अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

3. आरक्षण, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को संबोधित प्रत्याहरण की अधिसूचना द्वारा, किसी भी समय प्रत्याहृत किया जा सकेगा। तत्पश्चात् महासचिव उसकी जानकारी सभी राज्यों को देगा। ऐसी अधिसूचना उस तारीख को प्रवृत्त होगी जिसको वह प्राप्त होती है।

अनुच्छेद 29

1. वर्तमान कनवेंशन के निर्वाचन या लागू होने के बारे में दो या अधिक संबंधित पक्षकार राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाने पर और बातचीत से ऐसे विवाद का निपटारा न हो पाने पर, उनमें से किसी एक द्वारा अनुरोध किए जाने पर, ऐसा विवाद माध्यस्थम के लिए प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यदि माध्यस्थम के लिए अनुरोध की तारीख से छः मास के भीतर, पक्षकार, माध्यस्थम के गठन के बारे में सहमत नहीं हो पाते हैं तो उन पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार विवाद, न्यायालय के कानून के अनुरूप अनुरोध करके, अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय (इन्टरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस) को निर्देशित कर सकेगा।

2. प्रत्येक पक्षकार राज्य, वर्तमान कनवेंशन पर हस्ताक्षर करने या अनुसमर्थन करने अथवा उससे अधिमिलन करने के समय यह घोषित कर सकेगा कि वह स्वयं को इस अनुच्छेद के पैरा 1 से आबद्ध नहीं समझता है। अन्य पक्षकार राज्य, ऐसे किसी पक्षकार राज्य के संबंध में उस पैरा से आबद्ध नहीं होंगे, जिसने ऐसे आरक्षण किए हैं।

3. कोई भी पक्षकार राज्य, जिसने इस अनुच्छेद के पैरा 2 के अनुसार आरक्षण किया है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को अधिसूचना देकर उस आरक्षण को प्रत्याहृत कर सकेगा।

अनुच्छेद 30

वर्तमान कनवेंशन, जिसके अर्बी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पैनिश पाठ समान रूप से अभिप्राधिकृत हैं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास निक्षिप्त किये जाएंगे।

इसके साक्ष्यास्वरूप, सम्यकतः प्राधिकृत नीचे हस्ताक्षरकर्ताओं ने, वर्तमान कनवेंशन पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए।

10

यंत्रणा और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दण्ड के विरुद्ध कनवेंशन*

इस कनवेंशन के पक्षकार राज्यों ने–

यह विचार करके कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में उद्घोषित सिद्धान्तों के अनुसार, मानव परिवार के सभी सदस्यों के समान और अभेद्य अधिकारों की मान्यता विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की आधार है,

यह मानकर कि वे अधिकार मानव देह की अन्तर्निहित गरिमा से व्युत्पन्न हैं, चार्टर के, विशेष रूप से उसके अनुच्छेद 55 के अधीन मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति विश्व्यापी आदर और उनके पालन की अभिवृद्धि करने के लिए राज्यों की बाध्यता का विचार करके,

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 5 और सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के अनुच्छेद 7 को, जिन दोनों में यह उपबंध है कि किसी भी व्यक्ति को यंत्रणा नहीं दी जाएगी या उसके साथ क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा या उसे ऐसा दंड नहीं दिया जाएगा, ध्यान में रखकर,

महासभा द्वारा 9 दिसम्बर, 1975 को अंगीकृत, सभी व्यक्तियों के, यंत्रणा या अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार किए जाने या ऐसा दंड दिए जाने से संरक्षण पर घोषणा को भी ध्यान में रखकर,

सम्पूर्ण विश्व में यंत्रणा और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के विरुद्ध संघर्ष को और अधिक प्रभावी बनाने की इच्छा रखते हुए,

निम्नलिखित रूप में करार किया है:

भाग 1

अनुच्छेद 1

1. इस कनवेंशन के प्रयोजनों के लिए "यंत्रणा" से ऐसा कोई कार्य अभिप्रेत है जिसके द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए जैसे कि किसी भी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति से जानकारी या स्वीकारोक्ति प्राप्त करने के लिए, उसे किसी ऐसे कार्य के लिए जो उसने या किसी अन्य व्यक्ति ने किया है या जिसके बारे में ऐसा संदेह है, दंडित करने के लिए अथवा उसे या किसी अन्य व्यक्ति को अभित्रस्त या प्रपीड़ित करने के लिए साशय दैहिक या मानसिक पीड़ा या यातना पहुंचाई जाती है अथवा जो किसी भी कारण से किसी भी प्रकार के विभेद पर आधारित है, जब ऐसी पीड़ा या यातना किसी लोक पदाधिकारी या शासकीय हैसियत में कार्य करते हुए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उसके उकसाने पर या उसकी सम्मति से अथवा उसकी उपमति से पहुंचाई जाए। इसके अंतर्गत केवल विधिपूर्ण अनुशास्तियों से उत्पन्न, उनमें अन्तर्निहित या उनकी आनुषंगिक पीड़ा या यातना नहीं है।

---

*महासभा द्वारा 10 दिसम्बर 1984 को अंगीकृत यंत्रणा और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के विरुद्ध कन्वेंशन पक्षकार राज्यों पर यंत्रणा को एक अपराध बनाने की और उसके लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों को दण्डित करने की बाध्यता अधिरोपित करता है। [इस कनवेंशन का भारत द्वारा अभी अनुसमर्थन किया जाना है।]

2. इस अनुच्छेद का किसी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय लिखत या राष्ट्रीय विधान पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसमें और व्यापक रूप से लागू होने वाले उपबंध हैं या हों।

अनुच्छेद 2

1. प्रत्येक पक्षकार राज्य अपनी अधिकारिता के अधीन किसी राज्यक्षेत्र में यंत्रणा के कार्यों का निवारण करने के लिए प्रभावी विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक और अन्य उपाय करेगा।

2. यंत्रणा को न्यायोचित ठहराने के लिए किसी भी आपवादिक परिस्थिति जैसे कि युद्ध की स्थिति या युद्ध की धमकी, आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता या अन्य किसी लोक आपात का अवलंब नहीं लिया जा सकेगा।

3. यंत्रणा को न्यायोचित ठहराने के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी या लोक प्राधिकारी के आदेश का अवलंब नहीं लिया जा सकेगा।

अनुच्छेद 3

1. कोई भी पक्षकार राज्य किसी व्यक्ति को तब निष्कासित नहीं करेगा, किसी अन्य राज्य को न तो लौटाएगा और न प्रत्यर्पित करेगा जब यह विश्वास करने का सारवान आधार हो कि वह यंत्रणा दिए जाने के संकट में पड़ जाएगा।

2. यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या ऐसे आधार विद्यमान हैं, सक्षम प्राधिकारी सभी सुसंगत बातों को ध्यान में रखेंगे जिनके अंतर्गत जहां लागू हो, संबंधित राज्य में मानव अधिकारों के घोर, लज्जाजनक या व्यापक अतिक्रमणों का एक अविचल क्रम (पैटर्न) की विद्यमानता भी है।

अनुच्छेद 4

1. प्रत्येक पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि यंत्रणा के सभी कार्य उसकी दांडिक विधि के अधीन अपराध हों। यही बात यंत्रणा कारित करने के प्रयास को और किसी व्यक्ति के ऐसे कार्य को, जो यंत्रणा में सह-अपराधिता या भाग लेना गठित करता है, भी लागू होगी।

2. प्रत्येक पक्षकार राज्य इन अपराधों को, उनके गंभीर स्वरूप को ध्यान में रखकर समुचित शास्तियों द्वारा दण्डनीय बनाएगा।

अनुच्छेद 5

1. प्रत्येक पक्षकार राज्य ऐसे उपाय करेगा जो निम्नलिखित मामलों में, अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट अपराधों पर अपनी अधिकारिता स्थापित करने के लिए आवश्यक हों:

(क) जब अपराध उसकी अधिकारिता के अधीन किसी राज्यक्षेत्र में या उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत के फलक पर या विमान पर किए गए हैं;

(ख) जब अभिकथित अपराधी उस राज्य का राष्ट्रिक है;

(ग) जब पीड़ित व्यक्ति उस राज्य का राष्ट्रिक है, यदि वह राज्य उपयुक्त समझे तो।

2. इसी प्रकार प्रत्येक पक्षकार राज्य, ऐसे मामलों में जहां अभिकथित अपराधी उसकी अधिकारिता के अधीन किसी राज्य क्षेत्र में उपस्थित है और वह राज्य इस अनुच्छेद के पैरा 1 में वर्णित किसी राज्य को, उसका प्रत्यर्पण अनुच्छेद 8 का अनुसरण करते हुए, नहीं करता है, ऐसे अपराधों पर अपनी अधिकारिता स्थापित करने के लिए ऐसे उपाय करेगा जो आवश्यक हों।

3. यह कन्वेंशन आन्तरिक विधि के अनुसार प्रयुक्त किसी दांडिक अधिकारिता को अपवर्जित नहीं करता है।

अनुच्छेद 6

1. कोई भी पक्षकार राज्य जिसके राज्य क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित है जिसके बारे में अभिकथन है कि उसने अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट कोई अपराध किया है, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उसे अभिरक्षा में ले लेगा या अन्य विधिक उपाय करेगा। अभिरक्षा या अन्य विधिक उपाय वे होंगे जो उस राज्य की विधि में उपबंधित हैं किन्तु वे उतने समय के लिए ही जारी रखे जा सकेंगे जो कोई दांडिक या प्रत्यर्पण कार्यवाही संस्थित कर सकने के लिए आवश्यक हो।

2. ऐसा राज्य तथ्यों की तुरंत प्रारंभिक जांच करेगा।

3. किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसरण में अभिरक्षा में है, उस राज्य के जिसका वह राष्ट्रिक है, निकटतम समुचित प्रतिनिधि के साथ अथवा यदि वह एक राष्ट्रिकताहीन व्यक्ति है तो उस राज्य के जहां वह प्रायिक रूप से निवास करता है, प्रतिनिधि के साथ तुरंत बातचीत करने में सहायता की जाएगी।

4. जब किसी राज्य ने, इस अनुच्छेद के अनुसरण में, किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में ले लिया है तब वह अनुच्छेद 5 के पैरा 1 में निर्दिष्ट राज्यों को इस तथ्य की कि ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में है और उन परिस्थितियों की जो उसके निरोध का समर्थन करती हैं, तुरंत अधिसूचना देगा। वह राज्य जो इस अनुच्छेद के पैरा 2 में अनुध्यात आरंभिक जांच करता है, अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट उक्त राज्यों को तत्परता से देगा और यह उपदर्शित करेगा कि क्या वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने का आशय रखता है।

अनुच्छेद 7

1. वह पक्षकार राज्य जिसकी अधिकारिता के अधीन राज्य क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है जिसके बारे में अभिकथन है कि उसने अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट कोई अपराध किया है, अनुच्छेद 5 में अनुध्यात मामलों में, यदि वह उसका प्रत्यर्पण नहीं करता है, अभियोजन के प्रयोजन के लिए वह मामला अपने सक्षम प्राधिकारियों को भेज देगा।

2. ये प्राधिकारी अपना विनिश्चय उसी रीति में करेंगे जिसमें उस राज्य की विधि के अधीन गंभीर प्रकृति के किसी साधारण अपराध के मामले में विनिश्चय किया जाता है। अनुच्छेद 5, पैरा 2, में निर्दिष्ट मामलों में अभियोजन और दोषसिद्धि के लिए अपेक्षित साक्ष्य के मानक उन मानकों से कम कड़े नहीं होंगे जो अनुच्छेद 5, पैरा 1 में निर्दिष्ट मामलों में लागू होते हैं।

3. ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके संबंध में अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट किसी अपराध के विषय में कार्यवाही की जाती है, कार्यवाही के सभी प्रक्रमों पर निष्पक्ष व्यवहार की गारंटी दी जाएगी।

अनुच्छेद 8

1. अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट अपराधों की बाबत यह समझा जाएगा कि वे पक्षकार राज्यों के बीच विद्यमान किसी प्रत्यर्पण संधि में प्रत्यर्पणीय अपराधों के रूप में सम्मिलित हैं। पक्षकार राज्य ऐसे अपराधों को उनके बीच सम्पन्न होने वाली प्रत्येक प्रत्यर्पण संधि में प्रत्यर्पणीय अपराधों के रूप में सम्मिलित करेंगे।

2. यदि कोई पक्षकार राज्य जिसने प्रत्यर्पण के लिए संधि के विद्यमान होने की शर्त रखी है, किसी अन्य पक्षकार राज्य से जिसके साथ उनकी कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है, प्रत्यर्पण के लिए कोई अनुरोध प्राप्त करता है तो वह ऐसे अपराधों की बाबत प्रत्यर्पण के लिए इस कन्वेंशन को विधिक आधार मान सकेगा। प्रत्यर्पण उस राज्य की, जिससे अनुरोध किया गया है, विधि द्वारा उपबंधित अन्य शर्तों के अधीन होगा।

3. वे पक्षकार राज्य जो प्रत्यर्पण के लिए किसी संधि के विद्यमान होने की शर्त नहीं रखते हैं, ऐसे अपराधों को, उस राज्य की जिससे अनुरोध किया गया है, विधि द्वारा उपबंधित शर्तों के अधीन रहते हुए, अपने बीच प्रत्यर्पणीय अपराधों के रूप में मान्यता देंगे।

4. पक्षकार राज्यों के बीच प्रत्यर्पण के प्रयोजन के लिए, ऐसे अपराधों की बाबत यह माना जाएगा मानों वे केवल उस स्थान पर ही नहीं जहां वे घटित हुए हैं बल्कि उन राज्यों के, जिनसे अपेक्षित है कि वे अनुच्छेद 5, पैरा 1 के अनुसार अपनी अधिकारिता स्थापित करें, राज्य क्षेत्रों में भी किए गए थे।

अनुच्छेद 9

1. पक्षकार राज्य अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में की गई दांडिक कार्यवाही के संबंध में एक दूसरे को अधिकतम सहायता प्रदान करेंगे जिसके अंतर्गत उस कार्यवाही के लिए आवश्यक अपने व्ययनाधीन सभी साक्ष्य उपलब्ध कराना भी है।

2. पक्षकार राज्य इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अधीन अपनी बाध्यताओं को ऐसी संधियों के अनुरूप निभाएंगे जो उनके बीच पारस्परिक न्यायिक सहायता के संबंध में विद्यमान हों।

अनुच्छेद 10

1. प्रत्येक पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि यंत्रणा के विरुद्ध प्रतिबंध संबंधी शिक्षा और जानकारी को विधि प्रवर्तन कर्मचारीवृन्द, सिविल या सेना, चिकित्सा कर्मचारिवृन्द, लोक पदाधिकारियों या अन्य व्यक्तियों के जो किसी प्रकार की गिरफ्तारी, निरोध या कारावास के अधीन वाले किसी व्यक्ति की अभिरक्षा, पूछताछ या उपचार में अंतर्वधित हो, प्रशिक्षण में पूर्णतः सम्मिलित किया जाता है।

2. प्रत्येक पक्षकार राज्य इस प्रतिषेध को ऐसे किसी व्यक्ति के कर्तव्यों और कृत्यों के संबंध में जारी किए गए नियमों या अनुदेशों में सम्मिलित करेगा।

अनुच्छेद 11

प्रत्येक पक्षकार राज्य ऐसे व्यक्तियों की जो उसकी अधिकारिता के अधीन किसी राज्यक्षेत्र में किसी भी रूप में गिरफ्तार, निरुद्ध या कारावासित किए गए हैं, अभिरक्षा और उपचार के लिए पूछताछ नियमों, अनुदेशों, तरीकों और प्रथाओं तथा प्रबंधों का, यंत्रणा के किसी मामले का निवारण करने की दृष्टि से, नियमित रूप से पुनर्विलोकन करते रहेंगे।

अनुच्छेद 12

प्रत्येक पक्षकार राज्य जहां कहीं यह विश्वास करने का उचित आधार हो कि उसकी अधिकारिता के अधीन किसी राज्य क्षेत्र में यंत्रणा का कार्य किया गया है, यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सक्षम प्राधिकारी तत्परता से और निष्पक्ष रूप से अन्वेषण करें।

अनुच्छेद 13

प्रत्येक पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे व्यक्ति को जो यह अभिकथन करता है कि उसे उसकी अधिकारिता के अधीन किसी राज्यक्षेत्र में यंत्रणा दी गई है, सक्षम प्राधिकारियों से शिकायत करने का और उनके द्वारा अपने मामले की तत्परता से और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करवाने का अधिकार हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि शिकायतकर्त्ता और साक्षियों को उसकी शिकायत या दिए गए साक्ष्य के परिणामस्वरूप सभी प्रकार के दुर्व्यवहार या अभित्रास के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया जाए।

अनुच्छेद 14

1. प्रत्येक पक्षकार राज्य अपनी विधिक प्रणाली में यह सुनिश्चित करेगा कि यंत्रणा कार्य से पीड़ित व्यक्ति को प्रतितोष प्राप्त हो और उसे उचित और पर्याप्त प्रतिकर का, जिसके अंतर्गत यथासंभव पूर्ण पुनर्वास के लिए साधन भी हैं, प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो। किसी यंत्रणा कार्य के परिणामस्वरूप पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु की दशा में, उसके आश्रित प्रतिकर के हकदार होंगे।

2. इस अनुच्छेद की कोई भी बात पीड़ित व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के प्रतिकर के किसी अधिकार पर, जो राष्ट्रीय विधि के अधीन विद्यमान हो, प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुच्छेद 15

प्रत्येक पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे कथन का अवलंब जिसके बारे में यह स्थापित हो चुका है कि वह यंत्रणा के परिणामस्वरूप किया गया है, यंत्रणा के लिए अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध इस बात के साक्ष्य के सिवाय कि वह कथन किया गया था, किसी कार्यवाही में नहीं लिया जाएगा।

अनुच्छेद 16

1. प्रत्येक पक्षकार राज्य अपनी अधिकारिता के अधीन किसी राज्यक्षेत्र में क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दण्ड के ऐसे अन्य कार्यों को जो अनुच्छेद 1 में परिभाषित यंत्रणा की कोटि में नहीं आते हैं जब ऐसे कार्य किसी लोक पदाधिकारी या किसी शासकीय हैसियत में कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा या उसके उकसाने पर या उसकी सम्मति या उपमति से किए जाते हैं, निवारित करने का वचन देंगे। विशेष रूप से, अनुच्छेद 10, 11, 12 और 13 में अन्तर्विष्ट बाध्यताएं, यंत्रणा के प्रति निर्देशों के स्थान पर अन्य प्रकार के क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दण्ड के प्रति निर्देशों को प्रतिस्थापित करके लागू होंगी।

2. इस कन्वेंशन के उपबंध ऐसी किसी अन्य अन्तरराष्ट्रीय लिखत या राष्ट्रीय विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हैं, जो क्रूर अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दण्ड को प्रतिषिद्ध करती है या जिसका संबंध प्रत्यर्पण या निष्कासन से है।

भाग 2

अनुच्छेद 17

1. यंत्रणा के विरुद्ध एक समिति स्थापित की जाएगी (जिसे इसमें आगे समिति कहा गया है) जो इसमें आगे उपबंधित कृत्यों का निर्वहन करेगी। इस समिति में उच्च नैतिक प्रतिष्ठा और मानव अधिकारों के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त क्षमता वाले दस विशेषज्ञ होंगे जो अपनी वैयक्तिक हैसियत में सेवा करेंगे। विशेषज्ञ, पक्षकार राज्यों द्वारा, साम्यपूर्ण भौगोलिक वितरण को तथा विधि का अनुभव रखने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा भाग लेने की उपयोगिता को ध्यान में रखकर निर्वाचित किए जाएंगे।

2. समिति के सदस्य, पक्षकार राज्यों द्वारा नामनिर्देशित व्यक्तियों की सूची में से गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। प्रत्येक पक्षकार राज्य अपने राष्ट्रिकों में से एक व्यक्ति को नामनिर्देशित कर सकेगा। पक्षकार राज्य ऐसे व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करने की उपयोगिता का ध्यान रखेंगे जो सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदा के अधीन स्थापित मानव अधिकार समिति के सदस्य भी हैं और जो यंत्रणा के विरुद्ध समिति में सेवा करने के इच्छुक हैं।

3. समिति के सदस्यों के निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा बुलाए गए पक्षकार राज्यों के द्विवार्षिक अधिवेशनों में आयोजित किए जाएंगे। उन अधिवेशनों में जिनके लिए कोरम पक्षकार राज्यों की दो-तिहाई संख्या होगी, समिति के लिए निर्वाचित व्यक्ति वे होंगे जिन्हें मतों की अधिकतम संख्या और उपस्थित तथा मतदान करने वाले पक्षकार राज्यों के प्रतिनिधियों का स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा।

4. आरंभिक निर्वाचन इस कनवेंशन के प्रवृत्त होने के पश्चात् छह मास में, उसके पश्चात् नहीं, आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक निर्वाचन की तारीख के कम से कम चार मास पूर्व संयुक्त राष्ट्र का महासचिव पक्षकार राज्यों को, तीन मास के भीतर अपने नामनिर्देशन भेजने के लिए आमंत्रित करते हुए एक पत्र सम्बोधित करेगा। महासचिव, इस प्रकार नामनिर्देशित सभी व्यक्तियों की वर्णक्रमानुसार एक सूची तैयार करेगा जिसमें वे पक्षकार राज्य उपदर्शित होंगे जिन्होंने उन्हें नामनिर्देशित किया है तथा उसे सभी पक्षकार राज्यों को भेजेगा।

5. समिति के सदस्य चार वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाएंगे। यदि वे पुनः नामनिर्देशित किए जाएं तो वे पुनः निर्वाचन के पात्र होंगे। तथापि, प्रथम निर्वाचन में निर्वाचित पांच सदस्यों की पदावधि दो वर्ष बीतने पर समाप्त हो जाएगी; प्रथम निर्वाचन के तुरंत पश्चात्, इन पांच सदस्यों के नाम इस अनुच्छेद के पैरा 3 में निर्दिष्ट अधिवेशन के अध्यक्ष द्वारा लाटरी डाल कर चुने जाएंगे।

6. यदि समिति के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह पद त्याग देता है अथवा किसी अन्य कारण से अपने समिति के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो वह पक्षकार राज्य जिसने उसे नामनिर्देशित किया था, अपने राष्ट्रिकों में से किसी अन्य विशेषज्ञ को उसकी शेष पदावधि के लिए सेवा करने के लिए, पक्षकार राज्यों के बहुमत के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, नियुक्त करेगा। जब तक कि आधे या अधिक पक्षकार राज्य प्रस्तावित नियुक्ति के विषय में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा सूचित किए जाने के पश्चात् छह सप्ताह के भीतर नकारात्मक उत्तर नहीं देते हैं तब तक यह समझा जाएगा कि ऐसा अनुमोदन कर दिया गया है।

7. पक्षकार राज्य समिति के सदस्यों के, जब वे समिति के कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, व्ययों के लिए उत्तरदायी होंगे।

अनुच्छेद 18

1. समिति अपने अधिकारियों को दो वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित करेगी। वे पुनः निर्वाचित हो सकेंगे।

2. समिति अपने प्रक्रिया नियम स्थापित करेगी किन्तु इन नियमों में अन्य बातों के साथ यह उपबंध होगा कि—

(क) छह सदस्य कोरम गठित करेंगे;

(ख) समिति के विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किए जाएंगे।

3. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव इस कन्वेंशन के अधीन समिति के कृत्यों के प्रभावी पालन के लिए आवश्यक कर्मचारिवृन्द और सुविधाओं की व्यवस्था करेगा।

4. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव समिति का आरंभिक अधिवेशन बुलाएगा। अपने आरंभिक अधिवेशन के पश्चात् समिति के अधिवेशन ऐसे समयों पर होंगे जिसका उपबंध उसके प्रक्रिया नियमों में किया जाएगा।

5. पक्षकार राज्य, पक्षकार राज्यों के और समिति के अधिवेशनों को आयोजित करने के संबंध में उपगत व्ययों के लिए उत्तरदायी होंगे और इसके अन्तर्गत इस अनुच्छेद के पैरा 3 के अनुसरण में संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपगत किन्हीं व्ययों के लिए जैसे कि कर्मचारिवृन्द और सुविधाओं की लागत के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिपूर्ति भी है।

अनुच्छेद 19

1. पक्षकार राज्य संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के माध्यम से समिति के उन उपायों पर, जो उन्होंने इस कनवेंशन के अधीन अपने वचनों को प्रभावी करने के लिए किए हैं, रिपोर्टें समिति को संबंधित पक्षकार राज्य के लिए इस कन्वेंशन के प्रवृत्त होने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर भेजेंगे। तत्पश्चात् पक्षकार राज्य किए गए नए उपायों पर अनुपूरक रिपोर्टें और अन्य ऐसी रिपोर्टें जिनके लिए समिति अनुरोध करे, प्रत्येक चार वर्ष पर भेजेंगे।

2. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव ये रिपोर्टें सभी पक्षकार राज्यों को भेजेगा।

3. प्रत्येक रिपोर्ट पर समिति द्वारा विचार किया जाएगा जो रिपोर्टों पर ऐसी साधारण टिप्पणियां कर सकेगी जो वह उपयुक्त समझे और इन्हें संबंधित पक्षकार राज्य को भेजेगी। वह पक्षकार राज्य अपनी पसंद के विचारों के साथ समिति को उत्तर भेज सकेगा।

4. समिति अनुच्छेद 24 के अनुसार की गई अपनी वार्षिक रिपोर्ट में संबंधित पक्षकार राज्य से प्राप्त उस पर विचारों के साथ, इस अनुच्छेद के पैरा 3 के अनुसार की गई अपनी टिप्पणियों को सम्मिलित करने का विनिश्चय अपने विवेकानुसार कर सकेगी। यदि संबंधित पक्षकार राज्य द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाए तो समिति इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अधीन भेजी गई रिपोर्ट की एक प्रति भी सम्मिलित कर सकेगी।

अनुच्छेद 20

1. यदि समिति को विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है जिसके बारे में उसे प्रतीत होता है कि उसमें इस बात के सुआधारित संकेत हैं कि किसी पक्षकार राज्य के राज्य क्षेत्र में सुव्यवस्थित रूप से यंत्रणा का प्रयोग किया जा रहा है तो समिति उस पक्षकार राज्य को उस सूचना की समीक्षा में सहयोग करने के लिए और इस उद्देश्य से संबंधित सूचना के संबंध में विचार भेजने के लिए आमंत्रित करेगी।

2. संबंधित पक्षकार राज्य द्वारा भेजे गए विचारों को तथा ऐसी अन्य सूचना को जो उसे उपलब्ध हो, ध्यान में रख कर समिति, यदि वह यह विनिश्चय करती है कि ऐसा करना आवश्यक है तो, अपने सदस्यों में से एक या अधिक को गोपनीय जांच करने के लिए और समिति को अत्यावश्यक रूप से रिपोर्ट देने के लिए पदाभिहित कर सकेगी।

3. यदि इस अनुच्छेद के पैरा 2 के अनुसार कोई जांच की जाती है तो समिति संबंधित पक्षकार राज्य के सहयोग की मांग करेगी। उस पक्षकार राज्य के साथ सहमति से ऐसी जांच में उसके राज्यक्षेत्र में यात्रा को सम्मिलित किया जा सकेगा।

4. इस अनुच्छेद के पैरा 2 के अनुसार भेजे गए उसके सदस्य या सदस्यों के निष्कर्षों की समीक्षा करने के पश्चात् आयोग इन निष्कर्षों को ऐसी किन्हीं टिप्पणियों या सुझावों सहित जो स्थिति को देखते हुए समुचित प्रतीत हों, संबंधित पक्षकार राज्य को भेजेगा।

5. इस अनुच्छेद के पैरा 1 से 4 में निर्दिष्ट समिति की सभी कार्यवाही गोपनीय होगी और कार्यवाही के सभी प्रक्रमों पर पक्षकार राज्य के सहयोग की मांग की जाएगी। पैरा 2 के अनुसार की गई किसी जांच के संबंध में ऐसी कार्यवाही पूरी होने के पश्चात् समिति, संबंधित पक्षकार राज्य के परामर्श से, अनुच्छेद 24 के अनुसार की गई अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कार्यवाही के परिणामों का एक संक्षिप्त वर्णन सम्मिलित कर सकेगी।

अनुच्छेद 21

1. इस कनवेंशन का कोई पक्षकार राज्य किसी भी समय इस अनुच्छेद के अधीन घोषित कर सकेगा कि वह इस आशय की संसूचना प्राप्त करने और उस पर विचार करने की समिति की क्षमता को मान्यता देता है कि कोई पक्षकार राज्य यह दावा करता है कि कोई अन्य पक्षकार राज्य इस कनवेंशन के अधीन अपनी बाध्यताओं को पूरा नहीं कर रहा है। ऐसी संसूचनाएं इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त की जा सकेंगी और इन पर ऐसे विचार किया जा सकेगा। किन्तु ऐसा केवल तब होगा जब कि वह ऐसे पक्षकार राज्य द्वारा भेजी गई हो जिसने अपने संबंध में समिति की क्षमता को मान्यता प्रदान करते हुए घोषणा की है। इस अनुच्छेद के अधीन समिति किसी संसूचना के संबंध में कार्यवाही नहीं कर सकेगी यदि उसका संबंध किसी ऐसे पक्षकार राज्य से है जिसने ऐसी घोषणा नहीं की है। इस अनुच्छेद के अधीन प्राप्त संसूचनाओं के संबंध में कार्यवाही निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी:

(क) यदि कोई पक्षकार राज्य यह समझता है कि कोई अन्य पक्षकार राज्य इस कन्वेंशन के उपबंधों को क्रियान्वित नहीं कर रहा है तो वह, एक लिखित संसूचना द्वारा वह मामला उस पक्षकार राज्य के ध्यान में लाएगा। संसूचना की प्राप्ति के पश्चात् तीन मास के भीतर उसे प्राप्त करने वाला राज्य उस राज्य को जिसने संसूचना भेजी थी, मामले को स्पष्ट करते हुए एक स्पष्टीकरण या कोई अन्य कथन भेजेगा जिसमें यथासंभव और जहां तक सुसंगत हो, आन्तरिक प्रक्रियाओं और किए गए, लम्बित या मामले में उपलब्ध उपायों के प्रति निर्देश सम्मिलित होना चाहिए।

(ख) यदि मामला संबंधित दोनों पक्षकार राज्यों को समाधानप्रद रूप में, प्राप्तकर्ता राज्य द्वारा आरंभिक संसूचना के प्राप्त करने के छह मास के भीतर समायोजित नहीं होता है तो दोनों में से किसी भी राज्य को वह मामला समिति को और अन्य राज्य को सूचना देकर, समिति को निर्देशित करने का अधिकार होगा।

(ग) समिति इस अनुच्छेद के अधीन उसे निर्देशित मामले के संबंध में कार्यवाही यह अभिनिश्चित करने के पश्चात् ही करेगी कि मामले में अन्तरराष्ट्रीय विधि के सामान्यत: मान्यता प्राप्त सिद्धान्तों के अनुरूप सभी देशीय उपचारों का अवलंब लिया गया है और उन्हें नि:शेषित किया गया है। यह नियम वहां लागू नहीं होगा जहां उपचारों को लागू करने में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है या उससे उस व्यक्ति को प्रभावी राहत मिलने की संभावना नहीं है जो इस कन्वेंशन के अतिक्रमण से पीड़ित है।

(घ) समिति, इस अनुच्छेद के अधीन संसूचनाओं की समीक्षा करते समय बन्द कमरे में बैठकें आयोजित करेगी।

(ङ) उप पैरा (ग) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समिति संबंधित पक्षकार राज्यों को, इस कन्वेंशन में उपबंधित बाध्यताओं के लिए आदर के आधार पर मामले के मैत्रीपूर्ण समाधान की दृष्टि से अपने सत्प्रयत्न उपलब्ध करेगी। इस प्रयोजन के लिए, समिति, जब समुचित हो, एक तदर्थ सुलह आयोग स्थापित कर सकेगी;

(च) इस अनुच्छेद के अधीन उसे निर्दिष्ट किसी भी मामले में, समिति उप पैरा (ख) में निर्दिष्ट पक्षकार राज्यों से कोई सुसंगत सूचना देने की मांग कर सकेगी;

(छ) उप पैरा (ख) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षकार राज्यों को उस समय जब मामले पर समिति द्वारा विचार किया जा रहा है, अपना प्रतिनिधित्व किए जाने का और मौखिक और/या लिखित रूप से निवेदन करने का अधिकार होगा;

(ज) समिति उप पैरा (ख) के अधीन सूचना की प्राप्ति की तारीख के पश्चात् बारह मास के भीतर एक रिपोर्ट देगी:

(i) यदि उप पैरा (ङ) के निबंधनों के भीतर कोई समाधान हो जाता है तो समिति अपनी रिपोर्ट को तथ्यों के और हुए समाधान के संक्षिप्त कथन तक सीमित रखेगी;

(ii) यदि उप पैरा (ङ) के निबंधनों के भीतर कोई समाधान नहीं होता है तो समिति अपनी रिपोर्ट तथ्यों के संक्षिप्त कथन तक सीमित रखेगी। संबंधित पक्षकार राज्यों द्वारा किए गए लिखित निवेदनों और मौखिक निवेदनों का अभिलेख रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा। प्रत्येक मामले में, रिपोर्ट संबंधित पक्षकार राज्यों को भेजी जाएगी।

7 इस अनुच्छेद के उपबंध तब प्रवृत्त होंगे जब इस कन्वेंशन के पांच पक्षकार राज्य इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अधीन घोषणाएं कर चुकेंगे। ये घोषणाएं, पक्षकार राज्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा की जाएंगी जो उनकी प्रतियां अन्य पक्षकार राज्यों को भेजेगा। कोई भी घोषणा महासचिव को अधिसूचना देकर किसी भी समय प्रत्याहृत की जा सकेगी। ऐसे प्रत्याहरण से किसी मामले के जो इस अनुच्छेद के अधीन भेजी जा चुकी संसूचना का विषय है, विचार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा; महासचिव द्वारा प्रत्याहरण की अधिसूचना के प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात् किसी पक्षकार राज्य द्वारा भेजी गई कोई और संसूचना इस अनुच्छेद के अधीन प्राप्त नहीं की जाएगी, जब तक कि संबंधित पक्षकार राज्य ने कोई नई घोषणा न की हो।

अनुच्छेद 22

1. इस कनवेंशन का कोई भी पक्षकार राज्य इस अनुच्छेद के अधीन घोषणा कर सकेगा कि वह उसकी अधिकारिता के अधीन वाले ऐसे व्यक्तियों से या उनकी ओर से संसूचनाएं प्राप्त करने और उन पर विचार करने की समिति की क्षमता को मान्यता प्रदान करता है जो किसी पक्षकार राज्य द्वारा इस कन्वेंशन के उपबंधों के किसी अतिक्रमण के पीड़ित व्यक्ति होने का दावा करते हैं। कोई भी संसूचना, समिति द्वारा प्राप्त नहीं की जाएगी यदि उसका संबंध किसी ऐसे पक्षकार राज्य से है जिसने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।

2. समिति इस अनुच्छेद के अधीन किसी भी ऐसी संसूचना को अग्राह्य मानेगी जो अनाम है या जिसे वह ऐसी संसूचनाओं को भेजने के अधिकार का एक दुरुपयोग अथवा इस कनवेंशन के उपबंधों से बेमेल समझती है।

3. पैरा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समिति इस अनुच्छेद के अधीन उसे भेजी गई किसी संसूचना को इस कन्वेंशन के उस पक्षकार राज्य के ध्यान में लाएगी जिसने पैरा 1 के अधीन घोषणा की है और जिसके बारे में अभिकथन है कि उसने इस कन्वेंशन के किसी उपबंध का अतिक्रमण किया है। छह मास के भीतर, प्राप्तकर्ता राज्य समिति को मामला और उपचार, यदि कोई हो जो उस राज्य द्वारा किया गया हो, स्पष्ट करते हुए लिखित स्पष्टीकरण या कथन भेजेगा।

4. समिति इस अनुच्छेद के अधीन प्राप्त संसूचनाओं पर उन सभी सूचनाओं के प्रकाश में विचार करेगी जो उसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तथा संबंधित पक्षकार राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं।

5. समिति इस अनुच्छेद के अधीन किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी संसूचना पर तब तक विचार नहीं करेगी जब तक कि उसने यह अभिनिश्चित नहीं कर लिया है कि:—

(क) उसी मामले की अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण या निर्धारण की किसी अन्य प्रक्रिया के अधीन समीक्षा नहीं की गई है या नहीं की जा रही है;

(ख) उस व्यक्ति ने सभी उपलब्ध देशीय उपचार नि:शेषित कर दिए हैं। यह नियम वहां लागू नहीं होगा जहां उपचारों को लागू करने में अनुचित विलम्ब किया जाता है या उससे उस व्यक्ति को प्रभावी राहत मिलने की संभावना नहीं है जो इस कन्वेंशन के अतिक्रमण से पीड़ित व्यक्ति हैं।

6. समिति, इस अनुच्छेद के अधीन संसूचनाओं की समीक्षा करते समय बन्द कमरे में बैठकें आयोजित करेगी।

7. समिति अपने विचार संबंधित पक्षकार राज्य को और उस व्यक्ति को भेजेगी।

8. इस अनुच्छेद के उपबंध तब प्रवृत्त होंगे जब इस कनवेंशन के पांच पक्षकार राज्य इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अधीन घोषणाएं कर देंगे। ऐसी घोषणाएं पक्षकार राज्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा की जाएंगी जो उनकी प्रतियां अन्य पक्षकार राज्यों को भेजेगा। कोई भी घोषणा महासचिव को अधिसूचना देकर किसी भी समय प्रत्याहृत की जा सकेगी। ऐसे प्रत्याहरण का किसी ऐसे मामले के विचार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इस अनुच्छेद के अधीन भेजी जा चुकी किसी संसूचना का विषय है। किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से भेजी गई कोई और संसूचना, महासचिव द्वारा, घोषणा के प्रत्याहरण की अधिसूचना प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात् तब तक प्राप्त नहीं की जाएगी जब तक कि पक्षकार राज्य ने कोई नई घोषणा न की हो।

अनुच्छेद 23

समिति के और अनुच्छेद 21, पैरा 1(ङ) के अधीन नियुक्त किए गए तदर्थ सुलह आयोग के सदस्य, संयुक्त राष्ट्र के लिए मिशन पर गए विशेषज्ञों की उन सुविधाओं, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के हकदार होंगे जो संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों पर कन्वेंशन की सुसंगत धाराओं में अधिकथित हैं।

अनुच्छेद 24

समिति इस कनवेंशन के अधीन अपने क्रियाकलापों पर एक वार्षिक रिपोर्ट पक्षकार राज्यों को और संयुक्त राष्ट्र की महासभा को देगी।

भाग 3

अनुच्छेद 25

1. यह कनवेंशन सभी राज्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए खुला है।

2. यह कनवेंशन अनुसमर्थन के अधीन है। अनुसमर्थन की लिखतें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा की जाएंगी।

अनुच्छेद 26

यह कनवेंशन सभी राज्यों द्वारा अधिमिलन के लिए खुला है। अधिमिलन, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास एक अधिमिलन लिखत जमा कराके किया जाएगा।

अनुच्छेद 27

1. यह कनवेंशन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास अनुसमर्थन या अधिमिलन की बीसवीं लिखत के जमा कराने की तारीख के पश्चात् तीसवें दिन प्रवृत्त होगा।

2. अनुसमर्थन या अधिमिलन की बीसवीं लिखत जमा कराने के पश्चात् इस कनवेंशन का अनुसमर्थन करने वाले प्रत्येक राज्य के लिए यह कनवेंशन उसकी अपनी अनुसमर्थन या अधिमिलन की लिखत जमा कराने की तारीख के पश्चात् तीसवें दिन प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 28

1. प्रत्येक राज्य इस कनवेंशन के हस्ताक्षर या अनुसमर्थन अथवा उसमें अधिमिलन के समय यह घोषित कर सकेगा कि वह अनुच्छेद 20 में उपबंधित समिति की क्षमता को मान्यता प्रदान नहीं करता है।

2. ऐसा कोई भी पक्षकार राज्य जिसने इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार आरक्षण किया है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को अधिसूचना देकर, किसी भी समय इस आरक्षण को प्रत्याहृत कर सकेगा।

अनुच्छेद 29

1. इस कनवेंशन का कोई भी पक्षकार राज्य कोई संशोधन प्रस्तावित कर सकेगा और उसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास फाइल कर सकेगा। तब महासचिव उस प्रस्तावित संशोधन की संसूचना पक्षकार राज्यों को इस अनुरोध के साथ देगा कि वे उसे अधिसूचित करें कि क्या वे इस प्रस्ताव पर विचार करने और मतदान करने के लिए पक्षकार राज्यों के एक सम्मेलन के पक्ष में हैं। उस दशा में जिसमें कि ऐसी संसूचना की तारीख से चार मास के भीतर पक्षकार राज्यों में से कम से कम एक-तिहाई राज्य ऐसे सम्मेलन के पक्ष में हैं, महासचिव संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में उस सम्मेलन का आयोजन करेगा। उस सम्मेलन में उपस्थित और मतदान कर रहे पक्षकार राज्यों के बहुमत द्वारा अंगीकृत कोई संशोधन महासचिव द्वारा सभी पक्षकार राज्यों को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

2. इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार अंगीकृत संशोधन तब प्रवृत्त होगा जब इस कन्वेंशन के दो-तिहाई पक्षकार राज्य संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को अधिसूचित कर देंगे कि उन्होंने उसे अपनी सांविधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार स्वीकार कर लिया है।

3. जब संशोधन प्रवृत्त हो जाते हैं तब वे उन पक्षकार राज्यों पर आबद्धकर होंगे जिन्होंने उन्हें स्वीकार कर लिया है, अन्य राज्य इस कन्वेंशन के उपबंधों से और ऐसे किसी पूर्वतर संशोधन से जो उन्होंने स्वीकार कर लिया है, आबद्ध रहेंगे।

अनुच्छेद 30

1. दो या अधिक पक्षकार राज्यों के बीच इस कनवेंशन के निर्वचन या लागू होने के संबंध में कोई विवाद, जो बातचीत द्वारा तय नहीं हो सकता है, उनमें से एक के अनुरोध पर माध्यस्थम के लिए भेजा जाएगा। यदि माध्यस्थम के लिए अनुरोध की तारीख से छह मास के भीतर पक्षकार माध्यस्थम के संगठन के विषय में सहमत होने में असमर्थ है तो उनमें से कोई एक पक्षकार वह विवाद अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को, उस न्यायालय के स्टेट्यूट के अनुरूप अनुरोध करके, निर्देशित कर सकेगा।

2. प्रत्येक राज्य इस कनवेंशन के हस्ताक्षर या अनुसमर्थन अथवा उसमें अधिमिलन के समय घोषित कर सकेगा कि वह स्वयं को इस अनुच्छेद के पैरा 1 द्वारा आबद्ध नहीं मानता है। अन्य राज्य किसी पक्षकार राज्य द्वारा किए गए ऐसे आरक्षण के संबंध में, इस अनुच्छेद के पैरा 1 द्वारा आबद्ध नहीं होंगे।

3. कोई भी पक्षकार राज्य जिसने इस अनुच्छेद के पैरा 2 के अनुसार कोई आरक्षण किया है, किसी भी समय इस आरक्षण को, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को अधिसूचना देकर, प्रत्याहृत कर सकेगा।

अनुच्छेद 31

1. कोई भी पक्षकार राज्य संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को लिखित अधिसूचना देकर इस कन्वेंशन का प्रत्याख्यान कर सकेगा। यह प्रत्याख्यान महासचिव द्वारा अधिसूचना प्राप्त करने की तारीख से एक वर्ष पश्चात् प्रभावी हो जाता है।

2. ऐसे प्रत्याख्यान का प्रभाव पक्षकार राज्य को ऐसे किसी कार्य या लोप के संबंध में जो इस तारीख से पूर्व घटित हुआ है जिस तारीख को प्रत्याख्यान प्रभावी होता है, इस कनवेंशन के अधीन उसकी बाध्यताओं से मुक्त करना नहीं होगा और न यह प्रत्याख्यान किसी भी प्रकार से किसी ऐसे मामले की चल रही विचार की प्रक्रिया को प्रतिकूलत: प्रभावित करेगा जिस पर समिति उस तारीख से पूर्व से ही, जिस तारीख को प्रत्याख्यान प्रभावी होता है, विचार कर रही है।

3. जिस तारीख को किसी पक्षकार राज्य का प्रत्याख्यान प्रभावी होता है उसके पश्चात् समिति उस राज्य के संबंध में किसी नए मामले पर विचार आरम्भ नहीं करेगी।

अनुच्छेद 32

संयुक्त राष्ट्र का महासचिव संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों को और उन सभी राज्यों को जिन्होंने इस कनवेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं या इसमें अधिमिलन किया है, निम्नलिखित की सूचना देगा:

(क) अनुच्छेद 25 और 26 के अधीन हस्ताक्षरों, अनुसमर्थनों और अधिमिलनों की;

(ख) अनुच्छेद 27 के अधीन इस कन्वेंशन के प्रवृत्त होने की तारीख की और अनुच्छेद 29 के अधीन किसी संशोधन के प्रवृत्त होने की तारीख की;

(ग) अनुच्छेद 31 के अधीन प्रत्याख्यानों की।

अनुच्छेद 33

1. यह कन्वेंशन जिसके अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी भाषा में पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा किया जाएगा।

2. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव इस कनवेंशन की प्रमाणित प्रतियां सभी राज्यों को भेजेगा।

11

रंगभेद के अपराध के दमन और दण्ड पर अन्तरराष्ट्रीय कनवेंशन*

इस कनवेंशन के पक्षकार राज्यों ने,

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के उपबंधों का स्मरण करके जिनमें सभी सदस्यों ने मूलवंश, लिंग, भाषा या धर्म के विषय में भेदभाव के बिना सभी के लिए मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के लिए सार्वभौम सम्मान प्राप्त करने और उनका पालन कराने के लिए उस संस्था के सहयोग से संयुक्त या पृथक् कार्रवाई करने का वचन दिया था,

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का विचार करके जिसमें यह कथन किया गया है कि सभी मानव प्राणी मुक्त उत्पन्न होते हैं और उनकी गरिमा एवं उनके अधिकार समान हैं तथा यह कि हरेक व्यक्ति किसी भी प्रकार के, जैसे कि मूलवंश, वर्ण या राष्ट्रीय उद्भव के बारे में, किसी भी प्रकार के विभेद के बिना, उक्त घोषणा में बताए गए सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का हकदार है,

औपनिवेशिक देशों और लोगों को स्वाधीनता प्रदान करने पर घोषणा का विचार करके जिसमें महासभा ने कहा है कि मुक्ति की प्रक्रिया अप्रतिरोध्य और अनिवर्त्य है और यह कि मानव गरिमा, प्रगति और न्याय के हित में उपनिवेशवाद को और उससे जुड़ी हुई पृथक्करण और विभेद की सभी प्रथाओं को समाप्त करना होगा,

यह देखकर कि सभी प्रकार के जातीय विभेद के विलोपन पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुसार राज्य जातीय पृथक्करण और रंगभेद की विशेषरूप से निन्दा करते हैं और अपनी अधिकारिता के अधीन राज्य क्षेत्रों में इस स्वरूप की सभी प्रथाओं का निवारण, प्रतिषेध और उन्मूलन करने का वचन देते हैं,

यह देखकर कि जाति संहार के अपराध के निवारण और दण्ड पर कन्वेंशन में कुछ ऐसे कार्य, जिन्हें रंगभेद के कार्यों के रूप में ठहराया जा सकता है, अन्तरराष्ट्रीय विधि के अधीन अपराध गठित करते हैं,

यह देखकर कि युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों को कानूनी परिसीमाओं के लागू न होने पर कन्वेंशन में "रंगभेद की नीति के परिणामस्वरूप होने वाले अमानवीय कार्यों" को मानवता के विरुद्ध अपराध ठहराया गया है,

यह देखकर कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अनेक संकल्प पारित किए हैं जिनमें रंगभेद की नीतियों और प्रथाओं की मानवता के विरुद्ध अपराध के रूप में निन्दा की गई है,

यह देख कर कि सुरक्षा परिषद ने इस बात पर बल दिया है कि रंगभेद और उसका निरन्तर तीव्रीकरण एवं विस्तार अन्तरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में गंभीर रूप से विघ्न डालता है और उसे संकट में डालता है,

यह स्वीकार करके कि रंगभेद के अपराध के दमन और दण्ड पर एक अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशन, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर रंगभेद के अपराध के दमन और दण्ड की दृष्टि से और अधिक प्रभावकारी उपाय करना संभव बनाएगा,

निम्न रूप में करार किया है:

---

*30 नवम्बर 1973 को अंगीकृत, रंगभेद के अपराध के दमन और दण्ड पर अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशन 18 जुलाई 1976 को प्रवृत्त हुआ था। यह तीन व्यक्तियों के एक समूह द्वारा मानीटर किया जाता है जिसमें मानव अधिकार आयोग के तीन सदस्य हैं जो इस कनवेंशन के पक्षकारों राज्यों के प्रतिनिधि भी हैं।

अनुच्छेद 1

1. इस कन्वेंशन के पक्षकार राज्य घोषित करते हैं कि रंगभेद मानवता के विरुद्ध एक अपराध है और यह कि रंगभेद तथा जातीय पृथक्करण और विभेद की समान नीतियों और प्रथाओं के परिणामस्वरूप होने वाले अमानवीय कार्य, जो इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 में परिभाषित हैं, ऐसे अपराध हैं जिनसे अंतरराष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों का और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के प्रयोजनों और सिद्धांतों का अतिक्रमण होता है तथा उनसे अन्तरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर संकट पैदा होता है।

2. इस कन्वेंशन के पक्षकार राज्य उन संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों को, जो रंगभेद का अपराध करते हैं, अपराधी घोषित करते हैं।

अनुच्छेद 2

इस कन्वेंशन के प्रयोजन के लिए "रंगभेद का अपराध" पद, जिसके अंतर्गत जातीय पृथक्करण और विभेद की ऐसी नीतियां और प्रथाएं भी हैं जो दक्षिण अफ्रीका में व्यवहार में लाई जाती हैं, एक जाति वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किसी अन्य जाति-वर्ग के व्यक्तियों पर प्रभुत्व स्थापित करने और उसे बनाए रखने के प्रयोजन के लिए तथा उन्हें योजनाबद्ध रूप से सताने के लिए किए गए निम्नलिखित अमानवीय कार्यों पर लागू होगा:

(क) एक जाति वर्ग या वर्गों के किसी सदस्य या सदस्यों को व्यक्ति के जीवन और स्वाधीनता के अधिकार से निम्नलिखित द्वारा वंचित रखना:

(i) किसी जाति-वर्ग या वर्गों के सदस्यों की हत्या द्वारा;

(ii) किसी जाति-वर्ग या वर्गों के सदस्यों को गम्भीर शारीरिक या मानसिक हानि पहुंचा कर, उनकी स्वतंत्रता या गरिमा के अतिलंघन द्वारा या उनको यातना देकर या उनके साथ अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार करके अथवा इस प्रकार का दण्ड देकर;

(iii) किसी जाति-वर्ग या वर्गों के सदस्यों की मनमानी गिरफ्तारी या उनके अवैध कारावासन द्वारा;

(ख) किसी जाति-वर्ग या वर्गों पर जानबूझकर ऐसी जीवन परिस्थितियां थोपना जो उसका या उनका पूर्णत: या अंशत: भौतिक विनाश करने के लिए प्रकल्पित हों;

(ग) ऐसे कोई विधायी या अन्य उपाय जो किसी जाति वर्ग या वर्गों को देश के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने से रोकने के लिए प्रकल्पित हो तथा जानबूझकर ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न करना जो ऐसे किसी वर्ग या वर्गों के पूर्ण विकास को रोकने वाली हो, विशेष रूप से किसी जाति वर्ग या वर्गों को आधारभूत मानव अधिकारों और स्वतंत्रताओं से वंचित करके, जिनके अंतर्गत कार्य करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, छोड़ देने और अपने देश को लौटने का अधिकार, किसी राष्ट्रिकता का अधिकार, संचरण और निवास की स्वतंत्रता का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन और संगम की स्वतंत्रता का अधिकार भी है;

(घ) कोई ऐसे उपाय, जिनके अंतर्गत विधायी उपाय भी हैं, जो किसी जाति वर्ग या वर्गों के सदस्यों के लिए पृथक आरक्षित क्षेत्रों और घेट्टों का निर्माण करके जातीय आधारों पर जनता को विभाजित करने के लिए परिकल्पित है, विभिन्न जाति वर्गों के सदस्यों के बीच मिश्रित विवाहों का प्रतिषेध, किसी जाति वर्ग या वर्गों की या उसके/उनके सदस्यों की भू-सम्पत्ति का स्वत्वाधिहरण;

(ङ) किसी जाति वर्ग या वर्गों के सदस्यों के श्रम का शोषण, विशेष रूप से उनसे बलात् श्रम करवा कर;

(च) संगठनों और व्यक्तियों को इसलिए कि वे रंगभेद का विरोध करते हैं, मूल अधिकारों और स्वतंत्रताओं से वंचित करके सताना।

अनुच्छेद 3

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक दायित्व, अंतर्वलित हेतु का विचार किए बिना, व्यक्तियों, संगठनों और संस्थाओं के सदस्यों और राज्य के प्रतिनिधियों को चाहे वे उस राज्य में जिसमें वे कार्य किए जाते हैं, या किसी अन्य राज्य में निवास करते हों, तब लागू होगा जब भी वे—

(क) इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 में वर्णित कार्य करते हैं, उनके किए जाने में सम्मिलित होते हैं, उनके किए जाने को प्रत्यक्षत: उद्दीप्त करते या उनके किए जाने का षड्यंत्र करते हैं;

(ख) रंगभेद के अपराध के किए जाने को प्रत्यक्षत: दुष्प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं या उसमें सहयोग देते हैं।

अनुच्छेद 4

इस कन्वेंशन के पक्षकार राज्य वचन देते हैं कि वे—

(क) रंगभेद के अपराध या समान पृथक्कारी नीतियों या उनके प्रदर्शनों का दमन करने और उनके किसी प्रोत्साहन को रोकने के लिए तथा उस अपराध के दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने के लिए आवश्यक विधायी या अन्य उपाय अंगीकृत करेंगे;

(ख) इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 में परिभाषित कार्यों के लिए उत्तरदायी या उनके लिए अभियुक्त व्यक्तियों को, अपनी अधिकारिता के अनुसार अभियोजित करने, उनका विचारण करने और उन्हें दण्डित करने के लिए विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक उपाय करेंगे चाहे ऐसे व्यक्ति उस राज्य के, जिसमें वे कार्य किए जाते हैं, राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं या नहीं अथवा उस राज्य के या किसी अन्य राज्य के राष्ट्रिक हैं या राष्ट्रिकताहीन व्यक्ति हैं।

अनुच्छेद 5

इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 में बताए गए कार्यों के लिए आरोपित व्यक्तियों का विचारण इस कन्वेंशन के ऐसे किसी पक्षकार राज्य के जो अभियुक्त के शरीर पर अधिकारिता अर्जित करता है, किसी सक्षम अधिकरण द्वारा या उन पर पक्षकार राज्यों के जिन्होंने उसकी अधिकारिता को स्वीकार कर लिया हो, के संबंध में अधिकारिता रखने वाले अन्तरराष्ट्रीय दण्ड अधिकरण द्वारा किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 6

इस कन्वेंशन के पक्षकार राज्य रंगभेद के अपराध के निवारण, दमन और दण्ड के उद्देश्य से सुरक्षा परिषद द्वारा किए गए विनिश्चयों को स्वीकार करने और उन्हें संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार कार्यान्वित करने का और संयुक्त राष्ट्र के अन्य सक्षम अंगों द्वारा किए गए विनिश्चयों के क्रियान्वयन में सहयोग देने का वचन देते हैं।

अनुच्छेद 7

1. इस कन्वेंशन के पक्षकार राज्य ऐसे विधायी, न्यायिक, प्रशासनिक और अन्य उपायों पर जो उन्होंने अंगीकृत किए हैं और जो इस कन्वेंशन के उपबंधों को प्रभावी करते हैं, नियतकालिक रिपोर्ट अनुच्छेद 9 के अधीन स्थापित समूह को भेजने का वचन देते हैं।

2. इन रिपोर्टों की प्रतियां संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के माध्यम से रंगभेद पर विशेष समिति को भेजी जाएंगी।

अनुच्छेद 8

इस कन्वेंशन का कोई भी पक्षकार राज्य संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सक्षम अंग से यह मांग कर सकेगा कि वह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अधीन ऐसी कार्रवाई करे जो वह रंगभेद के अपराध के निवारण और दमन के लिए समुचित समझता है।

अनुच्छेद 9

1. मानव अधिकारों पर आयोग का अध्यक्ष अनुच्छेद 7 के अनुसार पक्षकार राज्यों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों पर विचार करने के लिए एक समूह की नियुक्ति करेगा जिसमें मानव अधिकारों पर आयोग के तीन सदस्य होंगे और जो इस कन्वेंशन के पक्षकार राज्यों के प्रतिनिधि भी हैं।

2. यदि मानव अधिकारों पर आयोग के सदस्यों में इस कन्वेंशन के पक्षकार राज्यों के कोई भी प्रतिनिधि नहीं हैं अथवा यदि तीन से कम ऐसे प्रतिनिधि हैं तो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, इस कन्वेंशन के सभी पक्षकार राज्यों से परामर्श करने के पश्चात् उस पक्षकार राज्य के एक प्रतिनिधि को या उन पक्षकार राज्यों के प्रतिनिधियों को जो मानव अधिकारों पर आयोग के सदस्य नहीं हैं, इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार स्थापित समूह के कार्य में भाग लेने के लिए उस समय तक के लिए पदाभिहित करेगा जब तक कि इस कन्वेंशन के पक्षकार राज्यों के प्रतिनिधि मानव अधिकारों पर आयोग के लिए निर्वाचित नहीं हो जाते हैं।

3. यह समूह अनुच्छेद 7 के अनुसार भेजी गई रिपोर्टों पर विचार करने के लिए मानव अधिकारों पर आयोग के सत्र के आरंभ होने के पूर्व या उसके समाप्त होने के पश्चात् पांच दिन से अनधिक की अवधि के लिए अपनी बैठक कर सकेगा।

अनुच्छेद 10

1. इस कन्वेंशन के पक्षकार राज्य मानव अधिकारों पर आयोग को निम्नलिखित के लिए शक्ति प्रदान करते हैं:—

(क) सभी स्वरूप के जातीय भेदभाव के विलोपन पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुच्छेद 15 के अधीन याचिकाओं को भेजते समय संयुक्त राष्ट्र के अंगों से यह अनुरोध करने के लिए कि वे उन कार्यों के, जो इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 में बताए गए हैं, संबंध में उसका ध्यान आकर्षित करना;

(ख) संयुक्त राष्ट्र के सक्षम अंगों से प्राप्त रिपोर्टों और इस कन्वेंशन के पक्षकार राज्यों से प्राप्त नियतकालिक रिपोर्टों के आधार पर ऐसे व्यक्तियों, संगठनों, संस्थाओं और राज्यों के प्रतिनिधियों की जिनके विरुद्ध यह अभिकथन है कि वे इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 में बताए गए अपराधों के लिए उत्तरदायी हैं तथा उनकी भी जिनके विरुद्ध इस कन्वेंशन के पक्षकार राज्यों द्वारा विधिक कार्यवाही आरम्भ की गई है, एक सूची तैयार करना;

(ग) न्यास और अस्वशासी राज्य क्षेत्रों तथा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्रों के, जिन पर महासभा का 14 दिसम्बर, 1960 का संकल्प 1514 (XV) लागू होता है, प्रशासन के लिए उत्तरदायी प्राधिकारियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जिनके बारे में अभिकथन है कि वे इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 के अधीन अपराधों के लिए उत्तरदायी हैं और जिनके बारे में विश्वास है कि वे उनकी राज्य क्षेत्रीय और प्रशासनिक अधिकारिता के अधीन हैं, किए गए उपायों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सक्षम अंगों से जानकारी मंगाने का अनुरोध करना।

2. महासभा के संकल्प 1514 (XV) में अंतर्विष्ट, औपनिवेशिक देशों और लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने पर घोषणा के लक्ष्यों की प्राप्ति होने तक इस कन्वेंशन के उपबंध अन्य अंतरराष्ट्रीय लिखतों द्वारा या संयुक्त राष्ट्र और उसके विशिष्ट अभिकरणों द्वारा उन लोगों को प्रदत्त याचिका के अधिकार को किसी भी प्रकार से सीमित नहीं करेंगे।

अनुच्छेद 11

1. इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 में बताए गए कार्यों को प्रत्यर्पण के प्रयोजन के लिए राजनीतिक अपराध नहीं माना जाएगा।

2. इस कन्वेंशन के पक्षकार राज्य ऐसे मामलों में अपने विधान और प्रवृत्त संधियों के अनुसार प्रत्यर्पण मंजूर करने का वचन देते हैं।

अनुच्छेद 12

इस कन्वेंशन के निर्वचन, लागू होने या क्रियान्वयन से उत्पन्न पक्षकार राज्यों के बीच ऐसे विवाद जो बातचीत द्वारा तय नहीं हुए हैं, विवाद के पक्षकार राज्यों के अनुरोध पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष लाए जाएंगे सिवाय वहां के जहां विवाद के पक्षकार किसी अन्य प्रकार के निपटारे के लिए सहमत हुए हैं।

अनुच्छेद 13

यह कन्वेंशन सभी राज्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए खुला है। ऐसा कोई राज्य जो इस कन्वेंशन के प्रवृत्त होने के पूर्व इस पर हस्ताक्षर नहीं करता है, इसमें अधिमिलन कर सकेगा।

अनुच्छेद 14

1. यह कन्वेंशन अनुसमर्थन के अधीन रहते हुए है। अनुसमर्थन लिखते संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा की जाएंगी।

2. अधिमिलन, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास अनुसमर्थन की लिखत जमा करके किया जाएगा।

अनुच्छेद 15

1. यह कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास अनुसमर्थता या अधिमिलन की बीसवीं लिखत के जमा करने की तारीख के पश्चात् तीसवें दिन प्रवृत्त होगा।

2. इस कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाले या अनुसमर्थन की बीसवीं लिखत या अधिमिलन की लिखत के जमा करने के पश्चात् इसमें अधिमिलन करने वाले प्रत्येक राज्य के लिए यह कन्वेंशन अपनी अनुसमर्थन लिखत या अधिमिलन लिखत के जमा करने की तारीख के पश्चात् तीसवें दिन प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 16

कोई भी पक्षकार राज्य, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को लिखित अधिसूचना देकर इस कन्वेंशन का प्रत्याख्यान कर सकेगा। प्रत्याख्यान महासचिव द्वारा सूचना प्राप्त होने की तारीख के एक वर्ष पश्चात् प्रभावी होगा।

अनुच्छेद 17

1. इस कन्वेंशन के पुनरीक्षण का अनुरोध किसी भी पक्षकार राज्य द्वारा किसी भी समय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को संबोधित लिखित अधिसूचना द्वारा किया जा सकेगा।

2. ऐसे अनुरोध के संबंध में यदि कोई कदम उठाया जाना है तो उसका विनिश्चय संयुक्त राष्ट्र की महासभा करेगी।

अनुच्छेद 18

संयुक्त राष्ट्र का महासचिव सभी राज्यों को निम्नलिखित विशिष्टियों की सूचना देगा:

(क) अनुच्छेद 13 और 14 के अधीन हस्ताक्षर, अनुसमर्थन और अधिमिलन;

(ख) अनुच्छेद 15 के अधीन इस कन्वेंशन के प्रवृत्त होने की तारीख;

(ग) अनुच्छेद 16 के अधीन प्रत्याख्यान;

(घ) अनुच्छेद 17 के अधीन अधिसूचनाएं।

अनुच्छेद 19

यह कन्वेंशन जिसके चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पैनी भाषाओं के पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, संयुक्त राष्ट्र के अभिलेखागार में जमा किया जाएगा।

2. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव इस कन्वेंशन की प्रमाणित प्रतियां सभी राज्यों को भेजेगा।

12

खेलों में रंगभेद के विरुद्ध अन्तरराष्ट्रीय कनवेंशन*

इस कनवेंशन के पक्षकार राज्यों ने

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर ने उपबंधों का स्मरण करके जिनमें सभी सदस्यों ने मूलवंश, लिंग, भाषा या धर्म के विषय में विभेद के बिना सभी के लिए मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के लिए सार्वभौम सम्मान प्राप्त करने और उनका पालन कराने के लिए उस संस्था के सहयोग से संयुक्त या पृथक कार्रवाई करने का वचन दिया है,

यह विचार करके कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में यह उद्घोषित है कि सभी मानव प्राणी मुक्त उत्पन्न होते हैं और उनकी गरिमा एवं उनके अधिकार समान हैं तथा यह कि हरेक व्यक्ति विशेषरूप से मूलवंश, वर्ण या राष्ट्रीय उद्भव के बारे में किसी भी प्रकार के विभेद के बिना, उक्त घोषणा में बताए गए सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का हकदार है,

यह देखकर कि सभी प्रकार के जातीय विभेद के विलोपन पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुसार उस कन्वेंशन के पक्षकार राज्य जातीय पृथक्करण और रंगभेद की विशेषरूप से निन्दा करते हैं और सभी क्षेत्रों में इस स्वरूप की सभी प्रथाओं का निवारण, प्रतिषेध और उन्मूलन करने का वचन देते हैं,

यह देखकर कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने खेलों में रंगभेद की प्रथा की निन्दा करने वाले अनेक संकल्प अंगीकृत किए हैं और उसने इस ओलम्पिक सिद्धांत के लिए अपने बिना शर्त समर्थन की अभिपुष्टि की है कि मूलवंश, धर्म और राजनैतिक संबंध के आधारों पर कोई भी विभेद नहीं करने दिया जाना चाहिए तथा यह कि खेल क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए योग्यता ही एकमात्र कसौटी होनी चाहिए,

यह विचार करके कि खेलों में रंगभेद के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय घोषणा जो महासभा द्वारा 14 दिसम्बर 1977 को अंगीकृत की गई थी, खेलों में प्रजाति रंगभेद के शीघ्र विलोपन की आवश्यकता की सत्यनिष्ठा से अभिपुष्टि करती है,

रंगभेद के अपराध के दमन और दण्ड पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के उपबंधों का स्मरण करके और विशेषरूप से यह मानकर कि रंगभेद के आधार पर चयन की गई टीमों के साथ खेल संबंधी आदान-प्रदान में भाग लेना उस कन्वेंशन में यथापरिभाषित रंगभेद के अपराध के किए जाने को सीधे दुष्प्रेरित और प्रोत्साहित करता है,

खेलों में रंगभेद की प्रथा को समाप्त करने के लिए और ओलम्पिक सिद्धांत पर आधारित अंतरराष्ट्रीय खेल संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय अंगीकृत करने का संकल्प किया है,

यह मानकर कि खेलों में रंगभेद को व्यवहार में लाने वाले किसी भी देश के साथ खेल संपर्क ओलम्पिक सिद्धांत का अतिक्रमण करते हुए रंगभेद को माफ करता है और उसे सुदृढ़ बनाता है,

खेलों में रंगभेद के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय घोषणा में सन्निविष्ट सिद्धांतों को क्रियान्वित करने की और उस उद्देश्य के लिए व्यावहारिक उपायों के शीघ्रता से अंगीकरण को सुनिश्चित करने को इच्छा रखते हुए,

*खेलों में रंगभेद के विरुद्ध अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशन जिसमें खेलों में रंगभेद की प्रथा के उन्मूलन के लिए सभी आवश्यक उपाय अंगीकृत करने का संकल्प किया था, 10 दिसम्बर 1985 को अंगीकृत किया गया था।

यह स्वीकार करके कि खेलों में रंगभेद के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के अंगीकरण का परिणाम खेलों में रंगभेद को विलुप्त करने की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रभावकारी उपाय होगा,

निम्न रूप में करार किया है:

अनुच्छेद 1

इस कन्वेंशन के प्रयोजनों के लिए:

(क) ''रंगभेद'' पद से अभिप्रेत है एक जातिवर्ग के व्यक्तियों द्वारा दूसरे जातिवर्ग के व्यक्तियों के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने और उसे बनाए रखने तथा उन्हें सुव्यवस्थित रूप से सताने के प्रयोजन के लिए संस्थागत जातीय पृथक्करण और विभेद की एक प्रणाली जैसी कि दक्षिण अफ्रीका द्वारा अनुसरित की जा रही है तथा ''खेलों में रंगभेद'' से अभिप्रेत है ऐसी प्रणाली की नीतियों और प्रथाओं का खेल क्रियाकलापों में, चाहे उनका आयोजन व्यवसायी या अव्यवसायी आधार पर किया गया हो, लागू किया जाना;

(ख) ''राष्ट्रीय खेल सुविधाएं'' पद से कोई ऐसी खेल सुविधा अभिप्रेत है जो किसी राष्ट्रीय सरकार के तत्वावधान के अधीन संचालित किसी खेल कार्यक्रम के ढांचे के भीतर दी जाती है;

(ग) ''ओलम्पिक सिद्धांत'' पद से यह सिद्धांत अभिप्रेत है कि मूलवंश, धर्म और राजनैतिक संबंध के आधार पर कोई विभेद नहीं होने देना चाहिए;

(घ) ''खेल संविदाएं'' पद से कोई ऐसी संविदा अभिप्रेत है जो किसी खेल क्रियाकलाप के आयोजन, संवर्धन, प्रदर्शन या व्युत्पन्न अधिकारों, जिसके अंतर्गत सर्विसिंग भी है, के लिए की गई है;

(ङ) ''खेल निकाय'' पद से कोई ऐसा संगठन अभिप्रेत है जो राष्ट्रीय स्तर पर खेल क्रियाकलापों का आयोजन करने के लिए गठित किया गया है और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति, राष्ट्रीय खेल परिसंघ या राष्ट्रीय अधिशासी खेल समितियां भी हैं;

(च) ''टीम'' पद से खिलाड़ियों का ऐसा समूह अभिप्रेत है जो अन्य वैसे ही संगठित समूहों के साथ प्रतियोगिता में खेल क्रियाकलापों में भाग लेने के प्रयोजन के लिए संगठित किया गया है;

(छ) ''खिलाड़ी'' पद से ऐसे पुरुष और ऐसी महिलाएं अभिप्रेत हैं जो वैयक्तिक या टीम के आधार पर खेल क्रियाकलापों में भाग लेते/लेती हैं तथा प्रबंधक, कोच, प्रशिक्षक और अन्य पदाधिकारी जिनके कृत्य किसी टीम के संचालन के लिए अत्यावश्यक हैं।

अनुच्छेद 2

पक्षकार राज्य रंगभेद की कड़ी निन्दा करते हैं तथा खेलों से रंगभेद की प्रथा या उसके सभी रूप में, विलोपन की नीति का सभी समुचित साधनों द्वारा तत्काल अनुसरण करने का वचन देते हैं।

अनुच्छेद 3

पक्षकार राज्य रंगभेद का व्यवहार करने वाले देश के साथ खेल संपर्क की अनुज्ञा नहीं देंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कार्रवाई करेंगे कि उनके खेल निकाय, टीमें और व्यक्तिगत खिलाड़ी ऐसे संपर्क न रखें।

अनुच्छेद 4

पक्षकार राज्य रंगभेद का अनुसरण करने वाले देश के साथ खेल संपर्क को रोकने के लिए सभी संभव उपाय करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे उपायों का अनुपालन कराने के लिए प्रभावी साधन विद्यमान हों।

अनुच्छेद 5

पक्षकार राज्य ऐसी वित्तीय या अन्य सहायता देने से इंकार करेंगे जिससे कि उनके खेल निकाय, टीमें और व्यक्तिगत खिलाड़ी रंगभेद का अनुसरण करने वाले किसी देश में या रंगभेद का अनुसरण करने वाले किसी देश का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के साथ खेल क्रियाकलापों में भाग ले सकेंगे।

अनुच्छेद 6

प्रत्येक पक्षकार राज्य अपने उन खेल निकायों, टीमों और व्यक्तिगत खिलाड़ियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाईहोगा जो रंग भेद का अनुसरण करने वाले किसी देश में या रंगभेद का अनुसरण करने वाले किसी देश का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमों के साथ खेल क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और ऐसी कार्रवाई के अंतर्गत विशेष रूप से निम्नलिखित होंगे:

(क) ऐसे खेल निकायों, टीमों और व्यक्तिगत खिलाड़ियों को किसी भी प्रयोजन के लिए वित्तीय या अन्य सहायता देने से इंकार करना;

(ख) ऐसे खेल निकायों, टीमों और व्यक्तिगत खिलाड़ियों की राष्ट्रीय खेल सुविधाओं तक पहुंच पर निर्बन्धन;

(ग) ऐसी सभी खेल संविदाओं की अप्रवर्तनीयता जिनमें रंगभेद का अनुसरण करने वाले किसी देश में या रंगभेद के आधार पर चयन की गई टीमों या व्यक्तिगत खिलाड़ियों के साथ खेल क्रियाकलाप अन्तर्वलित हैं;

(घ) ऐसी टीमों या व्यक्तिगत खिलाड़ियों को खेलों में राष्ट्रीय सम्मानों या पुरस्कारों का प्रत्याख्यान और प्रत्याहरण;

(ङ) ऐसी टीमों या खिलाड़ियों के सम्मान में शासकीय स्वागतों का प्रत्याख्यान।

अनुच्छेद 7

पक्षकार राज्य रंगभेद का अनुसरण करने वाले किसी देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खेल निकायों के प्रतिनिधियों, टीमों और व्यक्तिगत खिलाड़ियों को वीसा और/या प्रवेश देने से इंकार करेंगे।

अनुच्छेद 8

पक्षकार राज्य रंगभेद का अनुसरण करने वाले किसी देश के अंतरराष्ट्रीय या क्षेत्रीय खेल निकायों से निष्कासन को प्राप्त करने के लिए सभी समुचित कार्रवाई करेंगे।

अनुच्छेद 9

पक्षकार राज्य अंतरराष्ट्रीय खेल निकायों को उन सम्बद्ध निकायों पर जो संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों, इस कन्वेंशन के उपबंधों और ओलम्पिक सिद्धांत की भावना के अनुसार रंगभेद का अनुसरण करने वाले किसी देश के साथ खेलों में भाग लेने से इंकार करते हैं, वित्तीय या अन्य शास्तियां अधिरोपित करने से रोकने के लिए सभी समुचित उपाय करेंगे।

अनुच्छेद 10

1. पक्षकार राज्य अविभेद के ओलम्पिक सिद्धांतों और इस कन्वेंशन के उपबंधों का सार्वभौम अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करेंगे।

2. इस उद्देश्य के लिए, पक्षकार राज्य उन टीमों के सदस्यों के जो दक्षिण अफ्रीका की खेल प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हैं या जिन्होंने उनमें भाग लिया है अपने देशों में प्रवेश को प्रतिषिद्ध करेंगे तथा वे अपने देशों में इन खेल निकायों के प्रतिनिधियों, टीमों के सदस्यों और व्यक्तिगत खिलाड़ियों के प्रवेश को प्रतिषिद्ध करेंगे जो रंगभेद का अनुसरण करने वाले किसी देश का शासकीय रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं और उसके ध्वज के अधीन भाग लेते हैं। पक्षकार राज्य ऐसे खेल निकायों के प्रतिनिधियों, टीमों के सदस्यों या व्यक्तिगत खिलाड़ियों के प्रवेश को भी प्रतिषिद्ध कर सकेंगे जो रंगभेद का अनुसरण करने वाले किसी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसके ध्वज के अधीन भाग लेते हैं। प्रवेश के प्रतिषेध से उन सुसंगत खेल परिसंघों के विनियमों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए जो खेलों में रंगभेद के विलोपन का समर्थन करते हैं तथा वह प्रतिषेध केवल खेल क्रियाकलापों में भाग लेने को लागू होगा।

3. पक्षकार राज्य अन्तरराष्ट्रीय खेल परिसंघों में अपने राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को सलाह देंगे कि वे उक्त पैरा 2 में निर्दिष्ट खेल निकायों, टीमों और खिलाड़ियों के अन्तरराष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेने को रोकने के लिए सभी संभव और व्यावहारिक कदम उठाएं तथा अन्तरराष्ट्रीय खेल संगठनों में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से निम्नलिखित के लिए प्रत्येक संभव उपाय करेंगे:

(क) दक्षिण अफ्रीका को उन सभी परिसंघों से जिनमें अभी तक उनकी सदस्यता है, निष्कासन को सुनिश्चित करना और ऐसे किसी परिसंघ की जिससे दक्षिण अफ्रीका को निष्कासित किया गया है, सदस्यता में उसके पुनःस्थापन का प्रत्याख्यान करना;

(ख) उस दशा में जिसमें कि राष्ट्रीय परिसंघ रंगभेद का अनुसरण करने वाले किसी देश के साथ खेल संबंधी आदान-प्रदानों को माफ कर देते हैं, ऐसे राष्ट्रीय परिसंघों के विरुद्ध प्रतिबंध अधिरोपित करने के लिए जिसके अंतर्गत, यदि आवश्यक हो तो, अंतरराष्ट्रीय खेल संगठन से निष्कासन तथा अंतरराष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेने से उनके प्रतिनिधियों का अपवर्जन भी है।

4. इस कन्वेंशन के उपबंधों के घोर अतिक्रमणों की दशा में, पक्षकार राज्य ऐसी समुचित कार्रवाई जो ठीक समझें, करेंगे और इसके अंतर्गत जहां आवश्यक हो, संबंधित देशों के उत्तरदायी राष्ट्रीय खेलशासी-निकायों, राष्ट्रीय खेल परिसंघों या खिलाड़ियों के अन्तरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं से अपवर्जन के उद्देश्य उठाए गए कदम भी हैं।

5. विनिर्दिष्ट रूप से दक्षिण अफ्रीका से संबंधित अनुच्छेद के उपबंध तब लागू होना बंद हो जाएंगे जब रंगभेद की प्रणाली का उस देश में उन्मूलन हो जाएगा।

अनुच्छेद 11

1. खेलों में रंगभेद के विरुद्ध एक आयोग गठित किया जाएगा (जिसे इसमें आगे "आयोग" कहा गया है) जिसमें उच्च नैतिक चरित्र वाले और रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध पन्द्रह सदस्य होंगे और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि इसमें खेल प्रशासन में अनुभव रखने वाले व्यक्ति भाग लें। ये सदस्य पक्षकार राज्यों द्वारा उनके राष्ट्रिकों में से, अधिकतम साम्यापूर्ण भौगोलिक वितरण और मुख्य विधिक प्रणालियों को ध्यान में रखकर, निर्वाचित किए जाएंगे।

2. आयोग के सदस्य पक्षकार राज्यों द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों की सूची में से गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। प्रत्येक पक्षकार राज्य अपने राष्ट्रिकों में से एक व्यक्ति को नाम निर्देशित कर सकेगा।

3. आरंभिक निर्वाचन इस कन्वेंशन के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास पश्चात् आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक निर्वाचन की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व संयुक्त राष्ट्र का सचिव पक्षकार राज्यों को, दो मास के भीतर अपने नामनिर्देशन भेजने के लिए आमंत्रित करते हुए एक पत्र सम्बोधित करेगा। महासचिव इस प्रकार नाम निर्दिष्ट सभी व्यक्तियों की एक वर्णक्रमानुसार सूची, उन पक्षकारों को उपदर्शित करते हुए जिन्होंने उन्हें नाम निर्दिष्ट किया है, तैयार करेगा तथा उसे पक्षकार राज्यों को भेजेगा।

4. आयोग के सदस्यों का निर्वाचन महासचिव द्वारा बुलाई गई पक्षकार राज्यों की एक बैठक में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किया जाएगा। दो तिहाई पक्षकार राज्य उस बैठक का कोरम गठित करेंगे और उसमें आयोग के लिए निर्वाचित व्यक्ति वे नामनिर्देशित व्यक्ति होंगे जो अधिकतम मत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले पक्षकार राज्यों के प्रतिनिधियों के मतों का स्पष्ट बहुमत प्राप्त करेंगे।

5. आयोग के सदस्य चार वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होंगे। तथापि, प्रथम निर्वाचन में निर्वाचित नौ सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष के अन्त में समाप्त हो जाएगा। प्रथम निर्वाचन के तुरन्त पश्चात् इन नौ सदस्यों के नाम लाटरी डालकर आयोग के अध्यक्ष द्वारा चुने जाएंगे।

6. आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए वह पक्षकार राज्य जिसके राष्ट्रिक ने आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करना बंद कर दिया है, अपने राष्ट्रिकों में से किसी अन्य व्यक्ति को, आयोग के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, नियुक्त करेगा।

7. पक्षकार राज्य आयोग के सदस्यों के, उस समय जब वे आयोग के कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, खर्चों के लिए उत्तरदायी होंगे।

अनुच्छेद 12

1. पक्षकार राज्य उन विधायी, न्यायिक प्रशासनिक या अन्य उपायों पर, जो उन्होंने इस कन्वेंशन के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए अंगीकृत किए हैं, एक रिपोर्ट इसके प्रवृत्त होने के एक वर्ष के भीतर और तत्पश्चात् प्रत्येक दो वर्ष पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को आयोग के विचार के लिए भेजेंगे। आयोग पक्षकार राज्यों से अतिरिक्त जानकारी के लिए अनुरोध कर सकेगा।

2. आयोग अपने क्रियाकलापों के बारे में महासचिव के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र की महासभा को प्रतिवर्ष रिपोर्ट देगा तथा पक्षकार राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों और जानकारी के आधार पर सुझाव और सामान्य सिफारिशें कर सकेगा। ऐसे सुझावों और सिफारिशों की रिपोर्ट, संबंधित पक्षकार राज्यों की टिप्पणियों के, यदि कोई हों, के साथ महासभा को भेजी जाएगी।

3. आयोग विशेषरूप से इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 10 के उपबंधों के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा और की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सिफारिशें करेगा।

4. पक्षकार राज्यों के बहुमत के अनुरोध पर इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 10 के उपबंधों के क्रियान्वयन के संबंध में और आगे कार्रवाई पर विचार करने के लिए महासचिव द्वारा पक्षकार राज्यों की एक बैठक बुलाई जाएगी। इस कन्वेंशन के उपबधों के घोर अतिक्रमण के मामलों में, पक्षकार राज्यों की एक बैठक आयोग के अनुरोध पर महासचिव द्वारा बुलाई जाएगी।

अनुच्छेद 13

1. कोई भी पक्षकार राज्य किसी भी समय घोषित कर सकेगा कि वह इस कनवेंशन के उपबंध के उल्लंघन किए जाने के संबंध में ऐसे पक्षकार राज्यों द्वारा, जिन्होंने भी ऐसी घोषणा की है, भेजी गई शिकायतों को प्राप्त करने और उनकी समीक्षा करने के लिए आयोग की क्षमता को स्वीकार करता है। आयोग ऐसे उल्लंघन के संबंध में किए जाने वाले समुचित उपायों के विषय में विनिश्चय कर सकेगा।

2. ऐसे पक्षकार राज्य जिनके विरुद्ध इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार कोई शिकायत की गई है, उनका प्रतिनिधित्व किए जाने और आयोग की कार्यवाही में भाग लेने के हकदार होंगे।

अनुच्छेद 14

1. आयोग की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होगी।

2. आयोग स्वयं अपने प्रक्रिया नियम अंगीकृत करेगा।

3. आयोग के सचिवालय की व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा की जायेगी।

4. आयोग की बैठकें सामान्यत: संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में की जाएंगी।

5. आयोग की आरंभिक बैठक महासचिव बुलाएगा।

अनुच्छेद 15

संयुक्त राष्ट्र का महासचिव इस कन्वेंशन का निक्षेपधारी होगा।

अनुच्छेद 16

1. यह कन्वेंशन इसके प्रवृत्त होने तक, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में, सभी राज्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए खुला रहेगा।

2. यह कन्वेंशन हस्ताक्षरकर्ता राज्यों द्वारा अनुसमर्थन, स्वीकृति या अनुमोदन के अधीन रहते हुए होगा।

अनुच्छेद 17

यह कन्वेंशन सभी राज्यों द्वारा अधिमिलन के लिए खुला रहेगा।

अनुच्छेद 18

1. यह कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या अधिमिलन की सत्ताइसवीं लिखत के जमा करने के पश्चात् तीसवें दिन प्रवृत्त होगा।

2. इस कन्वेंशन के प्रवृत्त होने के पश्चात् इसका अनुसमर्थन करने, इसे स्वीकार करने, इसका अनुमोदन करने या इसमें अधिमिलन करने वाले प्रत्येक राज्य के लिए यह कन्वेंशन सुसंगत लिखत के जमा करने की तारीख के पश्चात् तीसवें दिन प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 19

इस कन्वेंशन के निर्वचन, लागू होने या क्रियान्वयन से उत्पन्न पक्षकार राज्यों के बीच ऐसे विवाद जो बातचीत द्वारा तय नहीं हुए हैं, विवाद के पक्षकारों के अनुरोध पर और उनकी पारस्परिक सम्मति से अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष लाए जाएंगे सिवाय वहां के जहां विवाद के पक्षकार किसी अन्य प्रकार के निपटारे के लिए सहमत हुए हैं।

अनुच्छेद 20

1. कोई भी पक्षकार राज्य इस कन्वेंशन का कोई संशोधन या पुनरीक्षण प्रस्तावित कर सकेगा और उसे निक्षेपधारी के पास फाइल कर सकेगा। तब संयुक्त राष्ट्र का महासचिव प्रस्तावित संशोधन या पुनरीक्षण पक्षकार राज्यों को इस अनुरोध के साथ संसूचित करेगा कि वे उसे सूचित करे कि क्या वे प्रस्ताव पर विचार करने और मतदान करने के प्रयोजन के लिए पक्षकार राज्यों के सम्मेलन के पक्ष में हैं। यदि कम से कम एक-तिहाई पक्षकार राज्य ऐसे सम्मेलन के पक्ष में हैं तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में सम्मेलन आयोजित करेगा। सम्मेलन में उपस्थित और मतदान करने वाले पक्षकार राज्यों के बहुमत द्वारा अंगीकृत संशोधन या पुनरीक्षण अनुमोदन के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

2. संशोधन या पुनरीक्षण तब प्रवृत्त होंगे जब वे महासभा द्वारा अनुमोदित कर दिए जाएंगे और पक्षकार राज्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा, अपनी-अपनी सांविधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार स्वीकार कर लिए जाएंगे।

3. जब संशोधन या पुनरीक्षण प्रवृत्त हो जाते हैं तो वे उन पक्षकार राज्यों पर आबद्ध होंगे जिन्होंने उन्हें स्वीकार कर लिया है, अन्य पक्षकार राज्य इस कन्वेंशन के उपबंधों द्वारा और ऐसे पूर्ववर्ती संशोधन या पुनरीक्षण द्वारा जो उन्होंने स्वीकार कर लिए हों, आबद्ध होंगे।

अनुच्छेद 21

कोई भी पक्षकार राज्य निक्षेपधारी को लिखित अधिसूचना देकर इस कन्वेंशन से प्रत्याहरण कर सकेगा। ऐसा प्रत्याहरण निक्षेपधारी द्वारा अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख के एक वर्ष के पश्चात् प्रभावी होगा।

अनुच्छेद 22

यह कन्वेंशन अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी भाषाओं में निष्पादित किया गया है और ये सभी पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं।

13

जाति संहार विषयक अपराध के निवारण और दण्ड पर कनवेंशन*

संविदाकारी पक्षकार,

तारीख 11 दिसम्बर, 1946 के संकल्प 96 (1) में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा की गई इस घोषणा पर विचार करने के पश्चात् कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधीन जातिसंहार एक अपराध है, संयुक्त राष्ट्र की भावना और उद्देश्यों के प्रतिकूल है तथा समस्त सभ्य समाज ने उसकी भर्त्सना की है।

इस बात को मानकर कि समस्त ऐतिहासिक कालों में जातिसंहार ने मानवता को गंभीर क्षति पहुंचाई है, और

इस बाबत विश्वास हो जाने पर कि ऐसे जघन्य कृत्य से मानव जाति को मुक्ति दिलाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अपेक्षित है,

इसमें आगे उपबंधित रूप में करार करते हैं:—

अनुच्छेद 1

1. संविदाकारी पक्षकार यह पुष्ट करते हैं कि जातिसंहार, चाहे वह शान्तिकाल में किया जाए या युद्धकाल में, अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अधीन एक अपराध है। अत: वे उसके निवारण और उसके लिए दण्ड देने की जिम्मेदारी लेते हैं।

अनुच्छेद 2

वर्तमान कनवेंशन में, जातिसंहार से, किसी राष्ट्रीय, मानवजातीय, मूलवंशीय या धार्मिक समूह को, पूर्णत: या भागत:, नष्ट करने के आशय से किया गया निम्नलिखित में से कोई भी कार्य अभिप्रेत है:—

(क) समूह के किसी सदस्य की हत्या करना;

(ख) समूह के किसी सदस्य को गंभीर शारीरिक या मानसिक अपहानि पहुंचाना;

(ग) समूह पर जानबूझकर जीवन संबंधी ऐसी शर्तें अधिरोपित करना जिनका आशय ऐसे समूह का भौतिक विनाश करना है;

(घ) समूह के भीतर सन्तानोत्पत्ति के निवारण के लिए समूह पर उपाय अधिरोपित करना;

(ङ) एक समूह के बच्चों को दूसरे समूह को बलात अन्तरण।

अनुच्छेद 3

निम्नलिखित कार्य दण्डनीय हैं:—

(क) जातिसंहार;

(ख) जातिसंहार करने के लिए षडयंत्र करना;

*महासभा ने तारीख 9 दिसम्बर 1948 को, जातिसंहार विषयक अपराध के निवारण और दण्ड पर कनवेंशन अनुमोदित किया और 12 जनवरी 1951 को यह कनवेंशन प्रवृत्त हुआ।

(ग) जातिसंहार करने के लिए सीधे या जनता द्वारा उत्प्रेरण;

(घ) जातिसंहार के लिए प्रयत्न करना;

(ङ) जातिसंहार में सह-अपराधी होना।

अनुच्छेद 4

ऐसे किसी व्यक्ति को, जो जातिसंहार करेगा या अनुच्छेद 3 में प्रगणित कोई भी कार्य करेगा, दण्डित किया जाएगा, भले ही ऐसा व्यक्ति कोई शासक हो, सार्वजनिक अधिकारी हो या कोई प्राइवेट व्यक्ति।

अनुच्छेद 5

संविदाकारी पक्षकार, वर्तमान कनवेंशन के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, अपने-अपने संविधान के अनुसार, आवश्यक विधान, अधिनियमित करने का और विशिष्टत:, उन व्यक्तियों के लिए जो जातिसंहार अथवा अनुच्छेद 3 में प्रमाणित कोई अन्य कार्य करने के दोषी हैं, कारगर शास्तियां उपबंधित करने का, वचन देते हैं।

अनुच्छेद 6

जिस किसी व्यक्ति पर जातिसंहार या अनुच्छेद 3 में प्रमाणित किसी अन्य कार्य का आरोप होगा, उसका विचारण उस राज्य के, जिसके राज्य क्षेत्र में ऐसा कार्य किया जाएगा अथवा ऐसे किसी सक्षम अधिकरण द्वारा अथवा ऐसे किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय दाण्डिक अधिकरण द्वारा किया जाएगा, जिसे उन संविदाकारी पक्षकारों के संबंध में अधिकारिता प्राप्त होगी, जिन्होंने ऐसी अधिकारिता अभिस्वीकार की होगी।

अनुच्छेद 7

जातिसंहार और अनुच्छेद 3 में प्रगणित अन्य कार्यों को, प्रत्यर्पण के प्रयोजन के लिए, राजनैतिक अपराध नहीं माना जाएगा।

संविदाकारी राज्य यह वचन देते हैं कि वे ऐसे मामलों में तत्समय प्रवृत्त अपनी विधियों और संधियों के अनुसार प्रत्यर्पण अनुज्ञात करेंगे।

अनुच्छेद 8

संविदाकारी पक्षकार, संयुक्त राष्ट्र के सक्षम अंग से यह मांग कर सकेंगे कि वह, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अधीन, ऐसे जातिसंहार या अनुच्छेद 3 में प्रगणित अन्य कार्यों के निवारण और दमन के लिए, समुचित कार्रवाई करे।

अनुच्छेद 9

वर्तमान कनवेंशन के निर्वचन, लागू होने या पूर्ति के बारे में संविदाकारी पक्षकारों के बीच विवाद को, जिनके अंतर्गत वे विवाद भी हैं जो जातिसंहार या अनुच्छेद 3 में प्रगणित किसी कार्य की बाबत ऐसे किसी राज्य के दायित्व से संबंधित हैं, ऐसे किसी पक्षकार के अनुरोध पर, अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुच्छेद 10

वर्तमान कनवेंशन, जिसका चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पैनिश पाठ भी समान रूप से अधिप्रमाणित है, तारीख 9 दिसम्बर, 1948 का माना जाएगा।

अनुच्छेद 11

वर्तमान कनवेंशन, संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य की ओर से अथवा किसी अन्य ऐसे गैर सदस्य राज्य की ओर से, जिसे महासभा हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित करे, हस्ताक्षरों के लिए तारीख 31 दिसम्बर 1949 तक खुला रहेगा।

वर्तमान कनवेंशन का अनुसमर्थन किया जाएगा और अनुसमर्थन-लिखत, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास निक्षिप्त किया जाएगा।

तारीख 1 जनवरी, 1950 के पश्चात् वर्तमान कनवेंशन को, संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य की ओर से अथवा किसी भी ऐसे गैर सदस्य राज्य की ओर से, जिसे यथा पूर्वोक्त रूप में आमंत्रित किया जाए, अंगीकार किया जा सकेगा।

अंगीकरण-लिखत, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास निक्षिप्त किया जाएगा।

अनुच्छेद 12

कोई भी संविदाकारी पक्षकार, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को संबोधित अधिसूचना द्वारा किसी भी समय इस कनवेंशन को ऐसे किसी भी राज्य क्षेत्र को लागू कर सकेगा, जिसके विदेशी संबंधों के संचालन के लिए ऐसा संविदाकारी पक्षकार जिम्मेदार हो।

अनुच्छेद 13

महासचिव, उसी दिन, जिसको प्रथम बीस अनुसमर्थन या अधिमिलन लिखतें उसे प्राप्त होंगी, एक प्रोसेस वर्बल तैयार करेगा और उसकी एक प्रति संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य को और अनुच्छेद 11 में यथा वर्णित गैर-सदस्य राज्यों को भेजेगा।

वर्तमान कनवेंशन, अनुसमर्थन या अधिमिलन की बीसवें लिखित प्राप्त होने की तारीख के पश्चात् उन्नीसवें दिन को प्रवृत्त होगी।

उक्त पश्चातवर्ती तारीख के पश्चात् किया गया अनुसमर्थन या अधिमिलन उस तारीख के पश्चात् उन्नीसवें दिन को प्रभावी होगा जिसको अनुसमर्थन या अधिमिलन लिखत प्राप्त होती है।

अनुच्छेद 14

वर्तमान कनवेंशन, अपने प्रवर्तन की तारीख से दस वर्ष तक प्रभावी रहेगा।

यह कनवेंशन ऐसे संविदाकारी पक्षकारों के लिए, जिन्होंने उसका प्रत्याख्यान चालू अवधि के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व नहीं कर दिया है, पांच वर्ष की क्रमिक अवधियों के लिए प्रवृत्त रहेगा।

प्रत्याख्यान, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को संबोधित एक लिखित अधिसूचना द्वारा, किया जाएगा।

अनुच्छेद 15

यदि प्रत्याख्यान के परिणामस्वरूप, वर्तमान कनवेंशन के पक्षकारों की संख्या सोलह से कम हो जाती है तो कनवेंशन उस तारीख से प्रवृत्त नहीं रह जाएगा जिसको इन में से अन्तिम प्रत्याख्यान प्रभावी होता है।

अनुच्छेद 16

कोई भी संविदाकारी पक्षकार वर्तमान कनवेंशन के पुनरीक्षण के लिए अनुरोध महासचिव को संबोधित लिखित अधिसूचना द्वारा, किसी भी समय कर सकेगा।

महासभा ऐसे अनुरोध के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही, यदि कोई हो, का विनिश्चय करेगी।

अनुच्छेद 17

संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को और अनुच्छेद 11 में यथा अनुध्यात गैर-सदस्य राज्यों को, निम्नलिखित के बारे में अधिसूचित करेगा:—

(क) अनुच्छेद 11 के अनुसार प्राप्त हस्ताक्षर, अनुसमर्थन और अधिमिलन;

(ख) अनुच्छेद 12 के अनुसार प्राप्त अधिसूचनाएं;

(ग) वह तारीख जिसको वर्तमान कनवेंशन अनुच्छेद 13 के अनुसार प्रवृत्त होता है;

(घ) अनुच्छेद 14 के अनुसार प्राप्त प्रत्याख्यान;

(ङ) अनुच्छेद 15 के अनुसार कनवेंशन का निराकरण;

(च) अनुच्छेद 16 के अनुसार प्राप्त अधिसूचनाएं।

अनुच्छेद 18

वर्तमान कनवेंशन की मूल प्रति, संयुक्त राष्ट्र के अभिलेखागार में रखी जाएगी।

कनवेंशन की प्रमाणित प्रति, संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य को और अनुच्छेद 11 में यथा अनुध्यात प्रत्येक गैर-सदस्य राज्य को, भेजी जाएगी।

अनुच्छेद 19

वर्तमान कनवेंशन को, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, कनवेंशन के प्रवर्तन की तारीख को, रजिस्टर करेगा।

14

युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों की कानूनी परिसीमाओं के लागू न होने पर कनवेंशन*

उद्देशिका

इस कनवेंशन के पक्षकार राज्यों ने,

युद्ध अपराधियों के प्रत्यर्पण और दण्ड पर संयुक्त राष्ट्र की महासभा के 13 फरवरी, 1946 के संकल्प 3 (I) और 31 अक्तूबर, 1947 के संकल्प 170 (II), अन्तरराष्ट्रीय सैनिक अधिकरण, नूरेनबर्ग के चार्टर द्वारा मान्यता प्राप्त, अन्तरराष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों की अभिपुष्टि करने वाले 11 दिसम्बर, 1946 के संकल्प 95 (I) और उस अधिकरण के निर्णय का तथा 12 दिसम्बर, 1966 के संकल्प 2184 (XXI) और 16 दिसम्बर, 1966 के संकल्प 2202 (XXI) का, जिनमें एक ओर देशी जन समुदाय के आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के अतिक्रमण और दूसरी ओर रंगभेद की नीतियों की मानवता के विरुद्ध अपराधों के रूप में स्पष्ट निन्दा की गई है, स्मरण करके,

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के युद्ध अपराधियों को और ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने मानवता के विरुद्ध अपराध किए हैं, दण्डित करने पर 28 जुलाई, 1965 के 1074 डी (XXXIX) और 5 अगस्त, 1966 के 1158 (XLI) संकल्पों का स्मरण करके,

यह ध्यान में रखकर कि युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों के अभियोजन और दण्ड से संबंधित किसी भी सत्यनिष्ठ घोषणा, लिखत या कनवेंशन में परिसीमा काल का कोई उपबंध नहीं किया गया है,

यह विचार करके कि युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध अन्तरराष्ट्रीय विधि में गम्भीरतम अपराधों में से है,

यह स्वीकार करके कि युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों को प्रभावी रूप से दण्डित करना ऐसे अपराधों को रोकने में, मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के संरक्षण, आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करने, लोगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने तथा अन्तरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने में एक महत्वपूर्ण तत्व है,

यह ध्यान में रखकर कि युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों को साधारण अपराधों के लिए परिसीमा काल संबंधी राष्ट्रीय विधि के नियम लागू करना विश्व जनमत के लिए एक गंभीर चिन्ता का विषय है क्योंकि वे उन अपराधों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के अभियोजन और उन्हें दण्डित करने को रोकते हैं,

यह मानकर कि इस कनवेंशन द्वारा अन्तरराष्ट्रीय विधि में इस सिद्धांत की अभिपुष्टि करना कि युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए कोई, परिसीमा काल नहीं है और इसे सार्वभौमिक रूप से लागू करवाना आवश्यक और समयोजित है,

---

*युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों को कानूनी परिसीमाओं के लागू न होने पर कनवेंशन के लिए संकल्प महासभा द्वारा 26 नवम्बर 1968 को स्वीकार किया गया।

निम्न रूप में करार करते हैं:-

अनुच्छेद 1

निम्नलिखित अपराधों को, उनके किए जाने की तारीख का विचार किए बिना, कोई भी कानूनी परिसीमा लागू नहीं होगी:—

(क) ऐसे युद्ध अपराध जो 8 अगस्त, 1945 के अन्तरराष्ट्रीय सैनिक अधिकरण, नूरेनबर्ग के चार्टर में परिभाषित हैं और संयुक्त राष्ट्र की महासभा के 13 फरवरी, 1946 के संकल्प 3(I) और 11 दिसम्बर, 1946 के संकल्प 95(I) द्वारा जिनकी पुष्टि की गई है, विशेषरूप से, युद्ध पीड़ितों के संरक्षण के लिए 12 अगस्त, 1949 के जेनेवा कनवेंशनों में गिनाए गए "गम्भीर भंग";

(ख) अन्तरराष्ट्रीय सैनिक अधिकरण, नूरेनबर्ग, के 8 अगस्त, 1945 के चार्टर में परिभाषित तथा संयुक्त राष्ट्र की महासभा के 13 फरवरी, 1946 के संकल्प 3(I) और 11 दिसम्बर, 1946 के संकल्प 95(I) द्वारा पुष्ट मानवता के विरुद्ध अपराध चाहे, वे युद्ध काल में किए गए हों या शांति काल में, सशस्त्र आक्रमण द्वारा बेदखली अथवा दखल और रंगभेद की नीति के परिणामस्वरूप अमानवीय कार्य तथा जाति संहार का अपराध जैसा कि वह जाति संहार के अपराध के निवारण और दण्ड पर 1948 के कनवेंशन में परिभाषित है, भले ही ऐसे कार्यों से उस देश की, जिसमें वे किए गए थे, आन्तरिक विधि का कोई अतिक्रमण गठित न होता हो।

अनुच्छेद 2

यदि अनुच्छेद 1 में वर्णित कोई अपराध किया जाता है तो इस कनवेंशन के उपबंध राज्य प्राधिकारी के ऐसे प्रतिनिधियों और प्राइवेट व्यक्तियों को जो उन अपराधों में से किसी के किए जाने में कर्ताओं या सहअपराधियों के रूप में भाग लेते हैं अथवा जो दूसरों को ऐसे अपराधों को करने के लिए प्रत्यक्षत: उद्दीप्त करते हैं या जो उनको करने का षड़यंत्र करते हैं चाहे उनका कोई भी अंश पूरा हुआ हो तथा राज्य प्राधिकारी के ऐसे प्रतिनिधियों को जो उनके किए जाने को सहन करते हैं, लागू होंगे।

अनुच्छेद 3

इस कनवेंशन के पक्षकार राज्य इस कनवेंशन के अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट व्यक्तियों के अन्तरराष्ट्रीय विधि के अनुसार प्रत्यर्पण को संभव बनाने की दृष्टि से सभी आवश्यक देशीय विधायी अथवा अन्यथा उपाय करने का वचन देते हैं।

अनुच्छेद 4

इस कनवेंशन के पक्षकार राज्य अपनी-अपनी सांविधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानूनी या अन्य परिसीमाएं इस कनवेंशन के अनुच्छेद 1 और 2 में निर्दिष्ट अपराधों के अभियोजन और दण्ड को लागू नहीं होंगे, आवश्यक विधायी या अन्य उपाय अंगीकृत करने का तथा इस बात का कि जहां ऐसी परिसीमाएं विद्यमान हैं, उन्हें उत्सादित किया जाएगा, वचन देते हैं।

अनुच्छेद 5

यह कनवेंशन संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य राज्य या उसके किसी विशिष्ट अभिकरण के या अन्तरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के सदस्य द्वारा, अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय कानून के किसी पक्षकार राज्य द्वारा और अन्य किसी ऐसे राज्य द्वारा जिसे संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने इस कनवेंशन का पक्षकार बनने के लिए आमंत्रित किया है, हस्ताक्षर के लिए 31 दिसम्बर, 1969 तक खुला रहेगा।

अनुच्छेद 6

यह कनवेंशन अनुसमर्थन के अधीन रहते हुए है। अनुसमर्थन की लिखतें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा की जाएंगी।

अनुच्छेद 7

यह कनवेंशन अनुच्छेद 5 में निर्दिष्ट किसी राज्य द्वारा अधिमिलन के लिए खुला रहेगा। अधिमिलन की लिखतें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा की जाएंगी।

अनुच्छेद 8

1. यह कनवेंशन अनुसमर्थन या अधिमिलन की दसवीं लिखत संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा की जाने की तारीख के पश्चात् नब्बेवें दिन प्रवृत्त होगा।

2. अनुसमर्थन या अधिमिलन की दसवीं लिखत के जमा करने के पश्चात् इस कनवेंशन का अनुसमर्थन करने या उसमें अधिमिलन करने वाले प्रत्येक राज्य के लिए यह कनवेंशन उसकी अपनी अनुसमर्थन या अधिमिलन लिखत के जमा करने की तारीख के पश्चात् नब्बेवें दिन प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 9

1. यह कनवेंशन जिस तारीख को प्रवृत्त होता है उससे दस वर्ष की अवधि बीतने के पश्चात् किसी भी संविदाकारी पक्षकार द्वारा किसी भी समय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को संबोधित लिखित अधिसूचना द्वारा इस कनवेंशन के पुनरीक्षण का अनुरोध किया जा सकेगा।

2. ऐसे अनुरोध के संबंध में यदि कोई कदम उठाया जाना है तो उसका विनिश्चय संयुक्त राष्ट्र की महासभा करेगी।

अनुच्छेद 10

1. यह कनवेंशन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा किया जाएगा।

2. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव इस कनवेंशन की प्रमाणित प्रतियां अनुच्छेद-5 में निर्दिष्ट सभी राज्यों को भेजेगा।

3. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव अनुच्छेद 5 में निर्दिष्ट सभी राज्यों को निम्नलिखित विशिष्टियों की सूचना देगा:-

(क) इस कनवेंशन के हस्ताक्षर तथा अनुच्छेद 5, 6 और 7 के अधीन जमा की गई अनुसमर्थन और अधिमिलन लिखतें;

(ख) अनुच्छेद 8 के अनुसार इस कनवेंशन के प्रवृत्त होने की तारीख;

(ग) अनुच्छेद 9 के अधीन प्राप्त संसूचनाएं।

अनुच्छेद 11

यह कनवेंशन जिसके चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी भाषाओं के पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, 26 नवम्बर, 1968 दिनांकित होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप अधोहस्ताक्षरियों ने जो उस प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत हैं, इस कनवेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं।

15

महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर कनवेंशन*

संविदाकारी पक्षकार,

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अंतर्विष्ट पुरुषों और महिलाओं के लिए अधिकारों की समानता के सिद्धांत को क्रियान्वित करने की इच्छा रखते हुए,

यह मानकर कि हर व्यक्ति को अपने देश की सरकार में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: निर्बाध रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार है और उसे अपने देश में लोक सेवा तक समान पहुंच का अधिकार है, तथा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा के उपबंधों के अनुसार राजनीतिक अधिकारों के उपभोग और प्रयोग में पुरुषों और महिलाओं की प्रास्थिति को समान बनाने की इच्छा रखते हुए,

इस प्रयोजन के लिए एक कनवेंशन निष्पादित करने का संकल्प करके, इसमें आगे उपबंधित रूप में इसके द्वारा करार करते हैं:

अनुच्छेद 1

महिलाएं सभी निर्वाचनों में पुरुषों के साथ समान रूप से, किसी विभेद के बिना मतदान करने की हकदार होंगी।

अनुच्छेद 2

महिलाएं राष्ट्रीय विधि द्वारा स्थापित सभी सार्वजनिक रूप से निर्वाचित निकायों के निर्वाचन के लिए, पुरुषों के साथ समान रूप से, किसी विभेद के बिना पात्र होंगी।

अनुच्छेद 3

महिलाएं लोक पद धारण करने की और राष्ट्रीय विधि द्वारा स्थापित सभी लोक कृत्यों का, पुरुषों के साथ समान रूप से, किसी विभेद के बिना, प्रयोग करने की हकदार होंगी।

अनुच्छेद 4

1. यह कनवेंशन संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य की ओर से और ऐसे किसी अन्य राज्य की ओर से भी जिसे महासभा द्वारा निमंत्रण संबोधित किया गया है, हस्ताक्षर के लिए खुला रहेगा।

2. इस कनवेंशन का अनुसमर्थन किया जाएगा और अनुसमर्थन की लिखत संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा की जाएगी।

अनुच्छेद 5

1. यह कनवेंशन अनुच्छेद 4 के पैरा 1 में निर्दिष्ट सभी राज्यों के लिए अधिमिलन के लिए खुला रहेगा।

2. अधिमिलन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास अधिमिलन की लिखत जमा करके किया जाएगा।

---

*जहां तक राजनीतिक अधिकारों का संबंध है, महिलाओं को सम्यक् प्रास्थिति प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण लिखत, महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों पर कनवेंशन महासभा द्वारा 20 दिसम्बर 1952 को अंगीकृत किया गया था।

अनुच्छेद 6

1. यह कनवेंशन अनुसमर्थन या अधिमिलन की छठी लिखत के जमा करने की तारीख के पश्चात् उन्नीसवें दिन प्रवृत्त होगा।

2. अनुसमर्थन या अधिमिलन की छठी लिखत के जमा करने के पश्चात् इस कनवेंशन का अनुसमर्थन या उसमें अधिमिलन करने वाले प्रत्येक राज्य के लिए यह कनवेंशन ऐसे राज्य द्वारा अनुसमर्थन या अधिमिलन की अपनी लिखत के जमा करने के पश्चात् उन्नीसवें दिन प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 7

उस दशा में जिसमें कोई राज्य हस्ताक्षर, अनुसमर्थन या अधिमिलन के समय इस कन्वेंशन के किसी अनुच्छेद में कोई शर्त निवेदित करता है, महासचिव उस शर्त के पाठ उन सभी राज्यों को संसूचित करेगा जो इस कनवेंशन के पक्षकार हैं या बन जाएं। ऐसा कोई राज्य जो उस शर्त पर आपत्ति करता है, उक्त संसूचना की तारीख से नब्बे दिन की अवधि (या कनवेंशन का अपने पक्षकार बनने की तारीख को) महासचिव को अधिसूचित करेगा कि वह उसे स्वीकार नहीं करता है। उस दशा में, यह कनवेंशन ऐसे राज्यों और शर्त जोड़ने वाले राज्य के बीच प्रवृत्त नहीं होगा।

अनुच्छेद 8

1. कोई भी राज्य संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को लिखित अधिसूचना देकर इस कनवेंशन का प्रत्याख्यान कर सकेगा। ऐसा प्रत्याख्यान महासचिव द्वारा अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख के एक वर्ष पश्चात् प्रभावी होगा।

2. यह कनवेंशन उस तारीख से प्रवृत्त नहीं रहेगा जब वह प्रत्याख्यान जो पक्षकारों की संख्या को घटाकर छह से कम करता है, प्रभावी होता है।

अनुच्छेद 9

ऐसा कोई विवाद जो इस कनवेंशन के निर्वचन या लागू होने के बारे में किन्हीं दो या अधिक संविदाकारी राज्यों के बीच उत्पन्न हो और जो बातचीत द्वारा तय नहीं होता है, विवाद के किसी पक्षकार के अनुरोध पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जब तक कि वे निपटारे के किसी अन्य तरीके के लिए सहमत न हों।

अनुच्छेद 10

संयुक्त राष्ट्र का महासचिव संयुक्त राष्ट्र के और इस कनवेंशन के अनुच्छेद 4 के पैरा 1 में अनुध्यात गैर-सदस्य राज्यों के सभी सदस्यों को निम्नलिखित की अधिसूचना देगा:—

(क) अनुच्छेद 4 के अनुसार प्राप्त हस्ताक्षर और अनुसमर्थन की लिखतें;

(ख) अनुच्छेद 5 के अनुसार अधिमिलन की लिखतें;

(ग) वह तारीख जिसको यह कनवेंशन अनुच्छेद 6 के अनुसार प्रवृत्त होता है;

(घ) अनुच्छेद 7 के अनुसार प्राप्त संसूचनाएं और अधिसूचनाएं;

(ङ) अनुच्छेद 8 के पैरा 1 के अनुसार प्राप्त प्रत्याख्यान की अधिसूचनाएं;

(च) अनुच्छेद 8 के पैरा 2 के अनुसार निराकरण।

अनुच्छेद 11

1. यह कनवेंशन जिसके चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी भाषा में पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे, संयुक्त राष्ट्र के अभिलेखागार में जमा किया जाएगा।

2. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को और अनुच्छेद 4 के पैरा 1 में अनुध्यात गैर-सदस्य राज्यों को एक प्रमाणित प्रति भेजेगा।

16

विवाहित महिलाओं की राष्ट्रिकता पर कनवेंशन*

संविदाकारी राज्य,

यह मानकर कि राष्ट्रिकता के संदर्भ में, व्यवहार में विधियों के बीच विरोध, विवाह, विवाह-विघटन या विवाह की स्थिति के दौरान पति द्वारा राष्ट्रिकता परिवर्तन के परिणामस्वरूप महिला द्वारा राष्ट्रिकता की हानि या अर्जन से संबंधित उपबंधों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है।

यह मानकर कि, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 15 में यह उद्घोषित किया है कि, ''प्रत्येक व्यक्ति को किसी राष्ट्रिकता का अधिकार है'' और यह कि ''किसी भी व्यक्ति को, उसकी राष्ट्रिकता से न तो मनमाने ढंग से वंचित किया जाएगा और न उसे अपनी राष्ट्रिकता परिवर्तित करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा।''

लिंग के बारे में विभेद किए बिना, सभी व्यक्तियों के लिए मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रताओं के लिए सार्वभौम सम्मान और उनके अनुपालन में, अभिवृद्धि करने में संयुक्त राष्ट्र से सहयोग की इच्छा रख कर,

इसमें आगे उपबंधित रूप में करार करते हैं:

अनुच्छेद 1

संविदाकारी प्रत्येक राज्य करार करता है कि न तो अपने किसी राष्ट्रिक और किसी अन्यदेशीय व्यक्ति के बीच विवाह के अनुष्ठान या विवाह के विघटन के परिणामस्वरूप और न विवाह स्थिति के दौरान पति द्वारा राष्ट्रिकता के परिवर्तन के परिणामस्वरूप, पत्नी की राष्ट्रिकता स्वत: प्रभावित होगी।

अनुच्छेद 2

संविदाकारी प्रत्येक राज्य करार करता है कि न तो दोनों में से किसी एक द्वारा किसी अन्य देश की राष्ट्रिकता के स्वैच्छिक अर्जन के परिणामस्वरूप और न अपनी राष्ट्रिकता के त्याग के परिणामस्वरूप, ऐसे राष्ट्रिक की पत्नी अपनी राष्ट्रिकता बनाए रखने से निवारित होगी।

अनुच्छेद 3

1. संविदाकारी प्रत्येक राज्य करार करता है कि किसी राष्ट्रिक की अन्यदेशीय पत्नी, अपने अनुरोध से, अपने पति की राष्ट्रिकता, विशिष्टत: विशेषाधिकार प्राप्त देशीयकरण प्रक्रिया द्वारा, अर्जित कर सकती है; ऐसी राष्ट्रिकता ऐसे निर्बंधनों पर अनुदत्त की जा सकेगी जो, राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक नीति के हित में अधिरोपित किए जाएं।

2. संविदाकारी प्रत्येक राज्य करार करता है कि वर्तमान कनवेंशन का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे किसी विधान या न्यायिक पद्धति को प्रभावित करती है, जिसके द्वारा किसी राष्ट्रिक की अन्यदेशीय पत्नी, अपने अनुरोध से, साधिकार रूप में अपने पति की राष्ट्रिकता अर्जित कर सकती है।

*विवाहित महिलाओं की राष्ट्रिकता पर कनवेंशन को महासभा ने, 29 जनवरी 1957 को अंगीकार किया और वह 11 अगस्त 1958 को प्रवृत्त हुआ। [भारत द्वारा इसका अनुसमर्थन अभी किया जाना है।]

अनुच्छेद 4

1. वर्तमान कनवेंशन, संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य राज्य की ओर से, और ऐसे किसी राज्य की ओर से, जो संयुक्त राष्ट्र के किसी विशिष्ट अभिकरण का सदस्य है या हो जाए या अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानून का पक्षकार है या हो जाए या ऐसे किसी राज्य की ओर से, जिसे संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा आमंत्रित किया जाता है, हस्ताक्षरों या अनुसमर्थन के लिए खुला रहेगा।

2. वर्तमान कनवेंशन का अनुसमर्थन किया जाएगा और ऐसी अनुसमर्थन लिखत, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास निक्षिप्त की जाएगी।

अनुच्छेद 5

1. वर्तमान कनवेंशन, अनुच्छेद 4 के पैरा 1 में निर्दिष्ट सभी राज्यों द्वारा अधिमिलन के लिए खुला रहेगा।

2. अधिमिलन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास अधिमिलन लिखत निक्षिप्त करके किया जा सकता है।

अनुच्छेद 6

1. वर्तमान कनवेंशन, सोलहवीं अनुसमर्थन या अधिमिलन लिखत निक्षिप्त की जाने की तारीख के पश्चात् से उन्नीसवें दिन को प्रवृत्त होगा।

2. अनुसमर्थन या अधिमिलन की छठी लिखत निक्षिप्त की जाने के पश्चात् इस कनवेंशन का अनुसमर्थन या अधिमिलन करने वाले प्रत्येक राज्य के लिए यह कनवेंशन, उस दिन से उन्नीसवें दिन को प्रवृत्त होगा जिसको अनुसमर्थन या अधिमिलन की उस राज्य की लिखत निक्षिप्त की जाती है।

अनुच्छेद 7

1. वर्तमान कनवेंशन उन सभी गैर-स्वशासी न्यासों, उपनिवेशों और अन्य गैर-महानगरीय राज्य क्षेत्रों को लागू होगा जिनके अन्तरराष्ट्रीय संबंधों के लिए कोई संविदाकारी राज्य जिम्मेदार है; संबंधित संविदाकारी राज्य, वर्तमान अनुच्छेद के पैरा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुसमर्थन या हस्ताक्षर या अधिमिलन के समय राज्य के ऐसे गैर-महानगरीय राज्यक्षेत्र घोषित करेगा, जिनको, ऐसे हस्ताक्षर अनुसमर्थन या अधिमिलन के परिणामस्वरूप यह कनवेंशन स्वयंमेव लागू होगा।

2. ऐसे किसी मामले में, राष्ट्रिकता के प्रयोजन के लिए, जिसमें किसी गैर-महानगरीय राज्य क्षेत्र को महानगरीय राज्य क्षेत्र के साथ नहीं माना जाता है अथवा ऐसे किसी मामले में, जिसमें उस राज्य क्षेत्र की इस कनवेंशन के लागू होने के लिए किसी गैर-महानगरीय राज्य क्षेत्र की पूर्वतन सहमति, अन्तरराष्ट्रीय विधियों द्वारा या संविदाकारी राज्यों की या गैर-महानगरीय राज्य क्षेत्र की पद्धतियों द्वारा अपेक्षित होती है, वह संविदाकारी राज्य, उस संविदाकारी राज्य द्वारा इस कनवेंशन पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर ऐसे गैर-महानगरीय राज्य क्षेत्र की सम्मति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेगा और जब ऐसी सम्मति प्राप्त हो जाएगी तब संविदाकारी राज्य यह बात संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को अधिसूचित करेगा। वर्तमान कनवेंशन, ऐसी अधिसूचना में नामित राज्यक्षेत्र या राज्यक्षेत्रों को उस तारीख से लागू होगा जिसको ऐसी अधिसूचना महासचिव को प्राप्त होगी।

3. इस अनुच्छेद के पैरा 2 में उल्लिखित बारह मास की अवधि के बीत जाने के पश्चात्, संबंधित संविदाकारी राज्य, उन गैर-महानगरीय राज्य क्षेत्रों से परामर्श के परिणाम महासचिव को सूचित करेंगे जिनके अन्तरराष्ट्रीय संबंधों के लिए वे जिम्मेदार हैं और इस कनवेंशन के लागू होने के बारे में जिनकी सम्मति विधारित कर ली गई हो।

अनुच्छेद 8

1. हस्ताक्षर, अनुसमर्थन या अधिमिलन के समय, कोई भी राज्य, इस कनवेंशन के अनुच्छेद 1 और 2 को छोड़कर किसी भी अनुच्छेद के बारे में अनारक्षण कर सकता है।

2. यदि इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार कोई आरक्षण किया जाता है तो, यह कनवेंशन, उन उपबंधों को छोड़कर, जिनसे ऐसे आरक्षण संबंधित हैं, आरक्षक राज्य और उन अन्य पक्षकारों के बीच उसी प्रकार प्रभावी होगा। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव ऐसे आरक्षण का पाठ उन सभी राज्यों को संसूचित करेगा जो इस कनवेंशन के पक्षकार हैं या हो जाएं। कनवेंशन का कोई भी पक्षकार राज्य अथवा तत्पश्चात् पक्षकार बनने वाला कोई राज्य, महासचिव को अधिसूचित कर सकेगा कि वह, आरक्षण करने वाले राज्यों के संबंध में इस

कनवेंशन द्वारा स्वयं को आबद्ध नहीं मानते। यह अधिसूचना, पहले से ही पक्षकार राज्य के मामले में, महासचिव से संसूचना की प्राप्ति से नब्बे दिन के भीतर और बाद में पक्षकार बनने वाले राज्य के मामले में, उस तारीख से नब्बे दिन के भीतर दे दी जानी चाहिए जिसको अनुसमर्थन या अधिमिलन लिखत निक्षिप्त की जाती है। यदि ऐसी कोई अधिसूचना दे दी जाती है तो कनवेंशन, ऐसी अधिसूचना देने वाले राज्य और ऐसे आरक्षण करने वाले राज्य के बीच प्रभावी नहीं समझा जाएगा।

3. इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसार आरक्षण करने वाला कोई राज्य, किसी भी समय अपने आरक्षण को या उसके किसी भाग को, स्वीकृत हो जाने के पश्चात् इस प्रभाव की अधिसूचना, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को देकर प्रत्याहृत कर सकेगा। ऐसी अधिसूचना उस तारीख से प्रभावी होगी जिसको वह महासचिव को प्राप्त होगी।

अनुच्छेद 9

1. कोई भी संविदाकारी राज्य, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को लिखित अधिसूचना देकर, वर्तमान कनवेंशन का प्रत्याख्यान कर सकेगा। ऐसा प्रत्याख्यान, महासचिव को ऐसी अधिसूचना प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष पश्चात् प्रभावी होगा।

2. वर्तमान कनवेंशन उस तारीख से प्रवृत्त नहीं रह जाएगा जिसको वह प्रत्याख्यान, जिससे पक्षकारों की संख्या छह से कम हो गई है, प्रभावी होता है।

अनुच्छेद 10

यदि वर्तमान कनवेंशन के निर्वचन या लागू होने के बारे में संबंधित दो या अधिक संविदाकारी राज्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है और वह बातचीत से तय नहीं हो पाता है तो वह, विवाद के पक्षकार किसी भी राज्य के अनुरोध पर, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को, विनिश्चय के लिए निर्देशित कर दिया जाएगा, बशर्ते पक्षकार विवाद के निपटारे के लिए किसी अन्य ढंग के लिए सहमत न हो जाएं।

अनुच्छेद 11

संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों को और अनुच्छेद 4 के पैरा 1 में अनुध्यात गैर-सदस्य राज्यों को निम्नलिखित के बारे में अधिसूचित करेगा:—

(क) अनुच्छेद 4 के अनुसार प्राप्त हस्ताक्षर या अनुसमर्थन लिखतों के बारे में;

(ख) अनुच्छेद 5, के अनुसार प्राप्त अधिमिलन-लिखतों के बारे में;

(ग) उस तारीख के बारे में जिसको, अनुच्छेद 6 के अनुसार वर्तमान कनवेंशन प्रवृत्त होता है;

(घ) अनुच्छेद 8 के अनुसार प्राप्त संसूचनाओं और अधिसूचनाओं के बारे में;

(ङ) अनुच्छेद 9 के पैरा 1 के अनुसार प्राप्त प्रत्याख्यान की अधिसूचनाओं के बारे में;

(च) अनुच्छेद 9 के पैरा 2 के अनुसार निराकरण के बारे में।

अनुच्छेद 12

1. वर्तमान कनवेंशन, जिसके चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश पाठ समानत: अधिप्राधिकृत हैं, संयुक्त राष्ट्र के अभिलेखागार में निक्षिप्त कर दिया जाएगा।

2. संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, इस कनवेंशन की एक-एक प्रमाणित प्रति, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को और अनुच्छेद 4 के पैरा 1 में अनुध्यात गैर-सदस्य राज्यों को भेजेगा।

17

व्यक्तियों के दुर्व्यापार और अन्यों की वेश्यावृत्ति के शोषण के दमन के लिए कनवेंशन*

उद्देशिका

वेश्यावृत्ति और वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों के दुर्व्यापार की संलग्न बुराई मनुष्य की गरिमा और उसके महत्व से असंगत है तथा वह व्यक्ति, परिवार और समुदाय के कल्याण को संकटग्रस्त करती है,

स्त्रियों और बालकों के दुर्व्यापार के दमन के विषय में निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय लिखतें प्रवृत्त हैं:

(1) संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 3 दिसम्बर, 1948 को अनुमोदित प्रोटोकाल द्वारा यथा संशोधित बहकाई हुई युवतियों के दुर्व्यापार के दमन के लिए 18 मई, 1904 का अन्तरराष्ट्रीय करार,

(2) ऊपर वर्णित प्रोटोकाल द्वारा यथा संशोधित बहकाई हुई युवतियों के दुर्व्यापार के दमन के लिए 4 मई, 1910 का अन्तरराष्ट्रीय कनवेंशन,

(3) संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 20 अक्तूबर, 1947 को अनुमोदित प्रोटोकाल द्वारा यथा संशोधित स्त्रियों और बालकों के दुर्व्यापार के दमन के लिए 30 सितम्बर, 1921 का अन्तरराष्ट्रीय कनवेंशन,

(4) उपर्युक्त प्रोटोकाल द्वारा यथा संशोधित परिपूर्ण आयु की स्त्रियों के दुर्व्यापार के दमन के लिए 11 अक्तूबर, 1933 का अन्तरराष्ट्रीय कनवेंशन,

लीग आफ नेशन्स ने ऊपर-वर्णित लिखतों का विस्तार करते हुए एक प्रारूप कनवेंशन 1937 में तैयार किया था, और 1937 के बाद से बदली हुई परिस्थितियां ऊपर वर्णित लिखतों का समेकन करने वाले और 1937 के प्रारूप कनवेंशन के सार को और उसमें वांछनीय परिवर्तनों को सन्निविष्ट करने वाले एक कनवेंशन के निष्पादन को संभव बनाती हैं।

अत: अब संविदाकारी पक्षकार इसके द्वारा, इसमें आगे उपबंधित रूप में करार करते हैं:

अनुच्छेद 1

इस कनवेंशन के पक्षकार ऐसे किसी व्यक्ति को दण्डित करने का करार करते हैं जो किसी अन्य की दुर्वासनाओं को तृप्त करने के लिए

(1) वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य व्यक्ति, को, चाहे उस व्यक्ति की सम्मति से ही उपाप्त करता है, फुसलाकर ले जाता है या बहकाता है;

(2) किसी अन्य व्यक्ति की वेश्यावृत्ति का, चाहे उस व्यक्ति की सम्मति से ही, शोषण करता है।

---

*संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने व्यक्तियों के दुर्व्यापार और अन्यों की वेश्यावृत्ति के दमन के लिए कन्वेंशन से संबंधित संकल्प 2 दिसम्बर 1949 को अनुमोदित किया था और वह 25 जुलाई 1951 को प्रवृत्त हुआ।

अनुच्छेद 2

इस कनवेंशन के पक्षकार ऐसे किसी व्यक्ति को दण्डित करने का भी करार करते हैं जो:

(1) कोई वेश्यालय चलाता है या उसका प्रबंध करता है अथवा उसका जानबूझकर वित्त पोषण करता है या ऐसे वित्त पोषण में भाग लेता है;

(2) जानबूझकर कोई भवन या अन्य स्थान या उसका कोई भाग अन्यों की वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए भाड़े या किराए पर देता है।

अनुच्छेद 3

देशीय विधि द्वारा अनुज्ञात विस्तार तक, अनुच्छेद 1 और 2 में निर्दिष्ट अपराधों में से कोई अपराध करने के प्रयास और उसके किये जाने की तैयारी के कार्य भी दण्डित किये जाएंगे।

अनुच्छेद 4

देशीय विधि द्वारा अनुज्ञात विस्तार तक, उपर्युक्त अनुच्छेद 1 और 2 में निर्दिष्ट कार्यों में साशय भाग लेना भी दण्डनीय होगा।

देशीय विधि द्वारा अनुज्ञात विस्तार तक, भाग लेने के कार्यों को पृथक अपराधों के रूप में माना जाएगा, जब कभी दण्डाभाव के निवारण के लिए ऐसा आवश्यक हो।

अनुच्छेद 5

उन मामलों में जिनमें क्षतिग्रस्त व्यक्ति, देशीय विधि के अधीन ऐसे किसी अपराध के संबंध में जो इस कनवेंशन में निर्दिष्ट है, कार्यवाहियों के पक्षकार होने के हकदार हैं, अन्यदेशीय व्यक्ति, राष्ट्रिकों के समान ऐसे हकदार होंगे।

अनुच्छेद 6

इस कनवेंशन का प्रत्येक पक्षकार ऐसी किसी विद्यमान विधि, विनियम या प्रशासनिक उपबंध को, जिसके बल पर ऐसे व्यक्ति जो वेश्यावृत्ति में लगते हैं या जिनके वेश्यावृत्ति में लगे होने का सन्देह है, या तो विशेष रजिस्ट्रीकरण के या किसी विशेष दस्तावेज के कब्जे में होने के अथवा पर्यवेक्षण या अधिसूचना के लिए किसी आपवादिक अपेक्षाओं के अधीन हैं, निरस्त या उत्सादित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का करार करते हैं।

अनुच्छेद 7

इस कनवेंशन में निर्दिष्ट अपराधों के लिए विदेशी राज्यों में सुनाई गई पूर्व दोषसिद्धियों को, देशीय विधि द्वारा अनुज्ञात विस्तार तक, निम्नलिखित प्रयोजन अर्थात्—

(1) अपराध व्यसन को स्थापित करने के लिए;

(2) अपराधी को सिविल अधिकारों के प्रयोग से अनर्हित करने के लिए, विचार में लिया जाएगा।

अनुच्छेद 8

इस कनवेंशन के अनुच्छेद 1 और 2 में निर्दिष्ट अपराधों को किसी भी ऐसी प्रत्यर्पण संधि में, जो इस कनवेंशन के पक्षकारों में से किन्हीं के बीच की गई है या इसके पश्चात् की जाए, प्रत्यर्पणीय अपराध के रूप में माना जाएगा।

इस कनवेंशन के पक्षकार जो प्रत्यर्पण को किसी संधि के विद्यमान होने की शर्त पर नहीं रखते हैं, अब से इस कनवेंशन के अनुच्छेद 1 और 2 में निर्दिष्ट अपराधों को अपने बीच प्रत्यर्पण के मामलों के रूप में मान्यता देंगे।

प्रत्यर्पण उस राज्य की विधि के अनुसार किया जाएगा जिससे उसके लिए अनुरोध किया जाता है।

अनुच्छेद 9

ऐसे राज्यों में जिनमें राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण विधि द्वारा अनुज्ञात नहीं है, वे राष्ट्रिक जो विदेश में ऐसा कोई अपराध जो इस कनवेंशन के अनुच्छेद 1 और 2 में निर्दिष्ट हैं, करने के पश्चात् स्वदेश लौट आए हैं, अपने ही राज्य के न्यायालयों में अभियोजित और उनके द्वारा दण्डित किये जायेंगे।

यदि इस कनवेंशन के पक्षकारों के बीच समान मामले में किसी अन्य देशीय व्यक्ति का प्रत्यर्पण मंजूर नहीं किया जा सकता है तो यह उपबंध लागू नहीं होगा।

अनुच्छेद 10

अनुच्छेद 9 के उपबंध तब लागू नहीं होंगे जब अपराध से आरोपित व्यक्ति का किसी विदेशी राज्य में विचारण हुआ है और यदि वह दोषसिद्धि किया गया है तो उसने अपना दण्ड भोग लिया है या उस विदेशी राज्य की विधियों के अनुरूप उसका परिहार करा लिया था या उसे कम करा लिया था।

अनुच्छेद 11

इस कनवेंशन की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह अन्तरराष्ट्रीय विधियों के अधीन दाण्डिक अधिकारिता की सीमाओं के सामान्य प्रश्न के प्रति किसी पक्षकार के दृष्टिकोण को अवधारित करती है।

अनुच्छेद 12

यह कनवेंशन इस सिद्धांत को प्रभावित नहीं करता है कि वे अपराध जिनके प्रति उसमें निर्देश किया गया है, प्रत्येक राज्य में उसकी देशीय विधि के अनुरूप परिभाषित, अभियोजित और दण्डित होंगे।

अनुच्छेद 13

इस कनवेंशन के पक्षकार इस कनवेंशन में निर्दिष्ट अपराधों के संबंध में अनुरोध-पत्र अपनी देशीय विधि और प्रथा के अनुसार निष्पादित करने के लिए आबद्ध होंगे।

अनुरोध-पत्रों का पारेषण निम्न रूप में किया जाएगा:

(1) न्यायिक प्राधिकारियों के बीच सीधी संसूचना द्वारा, या

(2) उन दो राज्यों के न्याय मंत्रियों के बीच सीधी संसूचना द्वारा अथवा अनुरोध करने वाले राज्य के किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जो उस राज्य के जिससे अनुरोध किया गया है न्याय मंत्री को सीधी संसूचना द्वारा, या

(3) उस राज्य में जिससे अनुरोध किया गया है, अनुरोध करने वाले राज्य के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि के माध्यम से। यह प्रतिनिधि अनुरोध-पत्र सीधे उस राज्य के जिससे अनुरोध किया जाता है, सक्षम न्यायिक प्राधिकारी को या उस राज्य की सरकार द्वारा बताए गए प्राधिकारी को भेजेगा तथा सीधे ऐसे प्राधिकारी से अनुरोध-पत्र का निष्पादन गठित करने वाले कागजपत्र प्राप्त करेगा।

उपर्युक्त (1) और (3) के मामलों में अनुरोध-पत्र की एक प्रति सदा उस राज्य के, जिससे आवेदन किया गया है, वरिष्ठ प्राधिकारी को भेजा जाएगा परन्तु यह सदैव तब जब वह राज्य जिससे अनुरोध किया जाता है, स्वयं अपनी भाषा में अनुवाद की, जो अनुरोध करने वाले प्राधिकारी द्वारा सही प्रमाणित हो, अपेक्षा करता है।

इस कनवेंशन का प्रत्येक पक्षकार इस कनवेंशन के अन्य प्रत्येक पक्षकार को उस उपर्युक्त पारेषण का तरीका या तरीके अधिसूचित करेगा जिससे वह पश्चात् कथित राज्य के अनुरोध-पत्र के लिए मान्यता प्रदान करेगा।

जब तक किसी राज्य द्वारा ऐसी अधिसूचना नहीं की जाती है तब तक अनुरोध-पत्रों के संबंध में उसकी विद्यमान प्रक्रिया प्रवृत्त बनी रहेगी।

अनुरोध-पत्रों के निष्पादन से विशेषज्ञों के व्ययों से भिन्न किसी भी प्रकार के प्रभारों या व्ययों की प्रतिपूर्ति का कोई दावा उत्पन्न नहीं होगा।

इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह इस कनवेंशन के पक्षकारों की ओर से आपराधिक मामलों में स्वयं अपनी देशीय विधियों के प्रतिकूल सबूत का कोई रूप या तरीका अंगीकार करने के लिए वचनबद्ध है।

अनुच्छेद 14

इस कनवेंशन का प्रत्येक पक्षकार एक सेवा स्थापित करेगा या बनाए रखेगा जिससे इस कनवेंशन में निर्दिष्ट अपराधों के अन्वेषण के परिणामों के समायोजन और केन्द्रीकरण का कार्य सौंपा जाएगा।

ऐसी सेवाएं उन सभी सूचनाओं को संकलित करेंगी जो इस कनवेंशन में निर्दिष्ट अपराधों के निवारण और दण्ड को सुकर बनाने के लिए प्रकल्पित है तथा उन्हें अन्य राज्यों में तत्समान सेवाओं के सम्पर्क में रहना चाहिए।

अनुच्छेद 15

उस विस्तार तक जहां तक देशीय विधि द्वारा अनुज्ञात है और उस विस्तार तक जहां तक अनुच्छेद 14 में निर्दिष्ट सेवाओं के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी वांछनीय निर्णीत करें, वे अन्य राज्यों में तत्समान सेवाओं के लिए उत्तरदायी प्राधिकारियों को निम्नलिखित जानकारी देंगे:

(1) इस कनवेंशन में निर्दिष्ट किसी अपराध या ऐसे अपराध को करने के प्रयास की विशिष्टियां;

(2) इस कनवेंशन में निर्दिष्ट किसी अपराध के दोषी व्यक्तियों के किसी अभियोजन, गिरफ्तारी, दोषसिद्धि, उसे प्रवेश देने से इंकार करने या उसके निष्कासन के लिए, किसी तलाशी की, ऐसे व्यक्ति की गतिविधियों और उनके संबंध में किसी अन्य उपयोगी जानकारी की विशिष्टियां।

इस प्रकार दी गई जानकारी के अन्तर्गत अपराधियों के उनके अंगुलिछाप, फोटो, कार्य करने के तरीकों, पुलिस अभिलेखों और दोषसिद्धि के अभिलेखों के वर्णन होंगे।

अनुच्छेद 16

इस कनवेंशन के पक्षकार वेश्यावृत्ति के निवारण के लिए तथा वेश्यावृत्ति और इस कनवेंशन में निर्दिष्ट अपराधों के पीड़ितों के पुनर्वास और सामाजिक समायोजन के लिए उपाय अपनी लोक और प्राइवेट शैक्षिक, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक और अन्य संबद्ध, सेवाओं के माध्यम से करने के लिए या उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए करार करते हैं।

अनुच्छेद 17

इस कनवेंशन के पक्षकार, आप्रवास और उत्प्रवास के संबंध में ऐसे उपाय अंगीकृत करने या कायम रखने का वचन देते हैं जो इस कनवेंशन के अधीन बाध्यताओं के निबंधनों के अनुसार वेश्यावृत्ति के लिए दोनों में से किसी भी लिंग के व्यक्तियों के दुर्व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए अपेक्षित हैं।

विशेष रूप से वे निम्नलिखित के लिए वचन देते हैं:—

(1) ऐसे विनियम बनाने के लिए जो आप्रवासियों या उत्प्रवासियों के और विशिष्ट रूप से स्त्रियों और बालकों के, आगमन और प्रस्थान के स्थानों पर और मार्ग में संरक्षण के लिए आवश्यक हैं;

(2) सर्वसाधारण को उपर्युक्त दुर्व्यापार के खतरों की चेतावनी देते हुए समुचित प्रचार की व्यवस्था करने के लिए;

(3) वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों के अन्तर्राष्ट्रीय दुर्व्यापार का निवारण करने के उद्देश्य से रेलवे स्टेशनों, विमान पत्तनों, बन्दरगाहों और मार्ग में तथा अन्य लोक स्थानों का पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने हेतु समुचित उपाय करने के लिए;

(4) इस उद्देश्य से समुचित उपाय करने के लिए कि समुचित प्राधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों के आगमन की सूचना दी जाए जो प्रथम दृष्ट्या ऐसा दुर्व्यापार करने वाले व्यक्ति या उसका सहअपराधी अथवा पीड़ित व्यक्ति प्रतीत होते हैं।

अनुच्छेद 18

इस कनवेंशन के पक्षकार, देशीय विधि द्वारा अधिकथित शर्तों के अनुसार, ऐसे अन्यदेशीय व्यक्तियों से, जो वेश्याएं हैं, उनकी पहचान और सिविल प्रास्थिति स्थापित करने और यह पता लगाने के उद्देश्य से कि उन्हें अपना राज्य छोड़ने के लिए किसने विवश किया है, घोषणाएं प्राप्त करने का वचन देते हैं। प्राप्त जानकारी उक्त व्यक्तियों के मूल राज्य के प्राधिकारियों को उनके अन्ततः प्रत्यर्पण की दृष्टि से दी जायेगी।

अनुच्छेद 19

इस कनवेंशन के पक्षकार देशीय विधि द्वारा अधिकथित शर्तों के अनुसार और उसके अधीन, अतिक्रमणों के लिए अभियोजन या अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा यथासंभव:

(1) वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों के अन्तर्राष्ट्रीय दुर्व्यापार के निस्सहाय, पीड़ितों की स्वदेश वापसी के लिए प्रबंध पूरे होने तक, उनकी अस्थायी देख-रेख और पोषण के लिए उपयुक्त उपबंध करने के लिए वचन देते हैं।

(2) अनुच्छेद 18 में निर्दिष्ट उन व्यक्तियों को स्वदेश वापस भेजने के लिए, जो स्वदेश वापस भेजे जाने के इच्छुक हैं अथवा जिनके लिए ऐसे व्यक्तियों द्वारा दावा किया जाए जो उन पर प्राधिकार का प्रयोग करते हैं या जिनके निष्कासन के लिए विधि के अनुरूप आदेश किया जाए, वचन देते हैं। स्वदेश वापसी, गंतव्य राज्य के साथ पहचान और राष्ट्रिकता तथा सीमांत पर पहुंचने के स्थान और तारीख के बारे में करार हो जाने के पश्चात् ही होगी। इस कनवेंशन का प्रत्येक पक्षकार अपने राज्य क्षेत्र से होकर ऐसे व्यक्तियों के जाने को सुकर बनाएगा।

जहां पूर्वगामी पैरा में निर्दिष्ट व्यक्ति स्वदेश वापसी के खर्च का न तो स्वयं प्रतिसंदाय कर सकते हैं और न उनका पति या पत्नी, नातेदार या संरक्षक है जो उनकी ओर से उसका संदाय करे वहां उसके उद्भव के राज्य की दिशा में निकटतम सीमांत या आरोहण के पत्तन या विमानपत्तन तक स्वदेशी वापसी का खर्च उस राज्य द्वारा वहन किया जाएगा जहां वे निवास कर रहे हैं तथा शेष यात्रा का खर्च उद्भव के राज्य द्वारा वहन किया जाएगा।

अनुच्छेद 20

इस कनवेंशन के पक्षकार, यदि उन्होंने पहले ही ऐसा नहीं किया है तो, नियोजन चाहने वाले व्यक्तियों को, विशेष रूप से स्त्रियों और बालकों को, वेश्यावृत्ति के खतरे की आशंका में पड़ने से बचाने के उद्देश्य से नियोजन-अभिकरणों के पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक उपाय करेंगे।

अनुच्छेद 21

इस कनवेंशन के पक्षकार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को इस कनवेंशन की विषय वस्तुओं के संबंध में ऐसी विधियों और विनियमों की जो उनके राज्यों में पहले ही प्रख्यापित किये जा चुके हैं और तत्पश्चात् प्रतिवर्ष ऐसी विधियों और विनियमों की जो प्रख्यापित किये जाएं तथा इस कनवेंशन को लागू करने के संबंध में उनके द्वारा किये गये सभी उपायों की संसूचना देगा। प्राप्त जानकारी महासचिव द्वारा कालिकत: प्रकाशित की जाएगी और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को तथा उन असदस्य राज्यों को, जिन्हें यह कन्वेंशन अनुच्छेद 23 के अनुसरण में शासकीय रूप से संसूचित किया गया है, भेजी जाएगी।

अनुच्छेद 22

यदि इस कनवेंशन के पक्षकारों के बीच इसके निर्वचन या लागू होने के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है या यदि ऐसा विवाद अन्य साधनों द्वारा तय नहीं किया जा सकता है तो वह विवाद, विवाद के किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय को निर्देशित किया जाएगा।

अनुच्छेद 23

यह कनवेंशन संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सदस्य की ओर से और ऐसे किसी अन्य राज्य की ओर से भी, जिसे आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा निमंत्रण संबोधित किया गया है, हस्ताक्षर के लिए खुला रहेगा।

इस कनवेंशन का अनुसमर्थन किया जाएगा और अनुसमर्थन की लिखतें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा की जाएंगी।

प्रथम पैरा में वर्णित राज्य, जिन्होंने इस कनवेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसमें अधिमिलन कर सकेंगे।

अधिमिलन, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास एक अधिमिलन लिखत जमा करके किया जाएगा।

इस कनवेंशन के प्रयोजन के लिए "राज्य" शब्द के अन्तर्गत इस कनवेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले या उसमें अधिमिलन करने वाले राज्य के सभी उपनिवेश और न्यास राज्य क्षेत्र तथा ऐसे सभी राज्यक्षेत्र जिनके लिए ऐसा राज्य अंतरराष्ट्रीय रूप से उत्तरदायी है, हैं।

अनुच्छेद 24

यह कनवेंशन अनुसमर्थन या अधिमिलन की दूसरी लिखत के जमा किए जाने की तारीख के पश्चात् उन्नीसवें दिन प्रवृत्त होगा।

प्रत्येक उस राज्य के लिए जो इसका अनुसमर्थन करता है अथवा अनुसमर्थन या अधिमिलन की दूसरी लिखत के जमा किए जाने के पश्चात् इस कनवेंशन में अधिमिलन करता है, यह कनवेंशन ऐसे राज्य द्वारा अनुसमर्थन या अधिमिलन की अपनी लिखत जमा करने के नब्बे दिन पश्चात् प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 25

इस कनवेंशन के प्रवृत्त होने के समय से पांच वर्ष बीतने के पश्चात् इस कनवेंशन का कोई भी पक्षकार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को संबोधित एक लिखित अधिसूचना द्वारा इसका प्रत्याख्यान कर सकेगा।

ऐसा प्रत्याख्यान, उसको करने वाले पक्षकार के लिए, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा उसे प्राप्त करने की तारीख से एक वर्ष पश्चात् प्रभावी होगा।

अनुच्छेद 26

संयुक्त राष्ट्र का महासचिव संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों तथा अनुच्छेद 23 में निर्दिष्ट असदस्य राज्यों को निम्नलिखित की सूचना देगा:

(क) अनुच्छेद 23 के अनुसरण में प्राप्त हस्ताक्षरों, अनुसमर्थनों और अधिमिलनों की;

(ख) उस तारीख की जिसको यह कनवेंशन अनुच्छेद 24 के अनुसार प्रवृत्त होगा;

(ग) अनुच्छेद 25 के अनुसरण में प्राप्त प्रत्याख्यानों की।

अनुच्छेद 27

इस कनवेंशन का प्रत्येक पक्षकार अपने संविधान के अनुसार, इस कनवेंशन के लागू होने को सुनिश्चित करने के लिए विधायी या अन्य उपाय अंगीकृत करने का वचन देता है।

अनुच्छेद 28

इस कनवेंशन के उपबंध, इसके पक्षकारों के बीच संबंधों में, उद्देशिका के दूसरे पैरा के उप-पैरा 1, 2, 3, और 4 में निर्दिष्ट अन्तरराष्ट्रीय लिखतों के उपबंधों को अतिष्ठित करेंगे और प्रत्येक वह उपबंध तब समाप्त हुआ समझा जाएगा जब उसके सभी पक्षकार इस कनवेंशन के पक्षकार बन जाएंगे।

अंतिम प्रोटोकोल

इस प्रोटोकोल की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी ऐसे विधान पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जो, व्यक्तियों के दुर्व्यापार के और अन्यों की वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए शोषण के दमन को सुनिश्चित करने वाले उपबंधों को प्रवृत्त करने के लिए, इस कनवेंशन द्वारा उपबंधित शर्तों से अधिक कड़ी शर्तें सुनिश्चित करता है।

अनुच्छेद 23 से 26 तक के उपबंध जिसमें यह कनवेंशन भी सम्मिलित है, इस प्रोटोकोल को लागू होंगे।

18

दासता कनवेंशन 1926*

1889-90 के ब्रूशेल्स कांफ्रेस के जनरल एक्ट के हस्ताक्षरकर्त्ताओं ने घोषित किया था कि वे अफ्रीकी दासों के दुर्व्यापार को समाप्त करने के दृढ़ आशय द्वारा समान रूप से अनुप्राणित थे,

1885 के बर्लिन के जनरल एक्ट और 1890 के ब्रूशेल्स के जनरल एक्ट एण्ड डेक्लरेशन का पुनरीक्षण करने के लिए 1919 के सेन्ट जरमेन-एन-ले के कनवेंशन के हस्ताक्षरकर्त्ताओं ने दासता के, उसके सभी रूपों में तथा भूमि और समुद्र मार्ग द्वारा दास व्यापार के पूर्ण दमन को सुनिश्चित करने के अपने आशय की अभिपुष्टि की थी,

लीग आफ नेशन्स की काउन्सिल द्वारा 12 जून, 1924 को नियुक्त अस्थायी दासता आयोग की रिपोर्ट पर विचार करके,

ब्रूशेल्स एक्ट के अधीन किए गए कार्य को पूरा करने और उसका विस्तार करने तथा उन आशयों को सेन्ट जरमेन-एन-ले के कनवेंशन के हस्ताक्षरकर्त्ताओं द्वारा दास व्यापार और दासता के संबंध में अभिव्यक्त किए गए थे। समस्त संसार में व्यावहारिक प्रभाव देने का कोई साधन प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए और यह मानकर कि उस उद्देश्य के लिए उससे अधिक विस्तृत समझौते करना आवश्यक है, जो उस कनवेंशन में अंतर्विष्ट हैं,

इसके अतिरिक्त यह विचार करके कि बलात् श्रम को दासता के सदृश स्थितियों में विकसित होने से रोकना आवश्यक है,

एक कनवेंशन का निष्पादन करने का विनिश्चय किया है और तदनुसार (नामों का लोप किया गया) को अपने पूर्णाधिकारियों के रूप में नियुक्त किया है, और

उन्होंने निम्न रूप में करार किया है:

अनुच्छेद 1

इस कनवेंशन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित परिभाषाओं पर सहमति हुई है:

(1) दासता ऐसे किसी व्यक्ति की परिस्थिति या स्थिति है जिस पर स्वामित्व के अधिकार से संलग्न किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाता है।

(2) दास व्यापार के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दासता की स्थिति में लाने के आशय से उसके पकड़े जाने, अर्जन या व्ययन में अंतर्वलित सभी कार्य, किसी दास का विक्रय या विनिमय करने की दृष्टि से उसके अर्जन में अंतर्वलित सभी कार्य, विक्रय या विनिमय किए जाने की दृष्टि से अर्जित किसी दास के विक्रय या विनिमय द्वारा व्ययन के सभी कार्य और साधारणत: दासों के व्यापार या परिवहन का प्रत्येक कार्य है।

*25 सितम्बर 1926 को जेनेवा में हस्ताक्षरित, लीग आफ नेशन्स के सदस्य राज्यों द्वारा अंगीकृत दासता कन्वेंशन 9 मार्च 1927 को प्रवृत्त हुआ था।

अनुच्छेद 2

उच्च संविदाकारी पक्षकार अपनी प्रभुता, अधिकारिता, संरक्षण, अधिराजत्व या अभिभावकत्व के अधीनस्थ राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक के संबंध में वहां तक जहां तक उन्होंने अभी तक आवश्यक कार्रवाई नहीं की है, निम्नलिखित का वचन देते हैं:-

(क) दास व्यापार का निवारण और दमन करने का;

(ख) उत्तरोत्तर और यथाशीघ्र दासता का उसके सभी रूपों में उन्मूलन करने का।

अनुच्छेद 3

उच्च संविदाकारी पक्षकार अपने राज्यक्षेत्रीय सागर खंड में और अपने-अपने ध्वजों को फहराने वाले सभी जलयानों पर दासों के पोतारोहण, पोतावरोहण और परिवहन का निवारण और दमन करने की दृष्टि से सभी समुचित उपाय अंगीकृत करने का वचन देते हैं;

उच्च संविदाकारी पक्षकार दास व्यापार के संबंध में एक सामान्य कनवेंशन के लिए यथाशीघ्र बातचीत करने का वचन देते हैं जो उन्हें आवश्यक अनुकूलनों सहित उसी प्रकृति के अधिकार देगा और उन पर उसी प्रकृत्ति के कर्त्तव्य अधिरोपित करेगा जो अंतरराष्ट्रीय आयुध व्यापार संबंधी 17 जून, 1925 के कनवेंशन में उपबंधित हैं (उपबंध 2 के अनुच्छेद 12, 20, 21, 22, 23, 24 तथा अनुभाग 2 के पैरा 3, 4 और 5) और यह समझा जाएगा कि यह कनवेंशन किसी भी उच्च संविदाकारी पक्षकार के पोतों को (चाहे वे कम टन भार वाले ही क्यों न हों) अन्य उच्च संविदाकारी पक्षकारों के पोतों से भिन्न स्थिति में नहीं रखेगा।

यह भी समझ लिया गया है कि इस सामान्य कनवेंशन के प्रवृत्त होने के पूर्व या पश्चात् उच्च संविदाकारी पक्षकार अपने बीच, पूर्वगामी पैरा में अधिकथित सिद्धांतों का अल्पीकरण किए बिना, ऐसे विशेष करार निष्पादित करने के लिए पूर्णत: स्वतंत्र होंगे जो उनकी विशेष परिस्थितियों के कारण, दास व्यापार को यथाशीघ्र पूर्णत: समाप्त करने के लिए उपयुक्त प्रतीत हों।

अनुच्छेद 4

उच्च संविदाकारी पक्षकार दासता और दास व्यापार का उन्मूलन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक दूसरे को सभी सहायता देंगे।

अनुच्छेद 5

उच्च संविदाकारी पक्षकार मानते हैं कि अनिवार्य या बलात् श्रम का अवलंब लेने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, और वे अपनी प्रभुता, अधिकारिता, संरक्षण, अधिराजत्व या अभिभावकत्व के अधीनस्थ राज्यक्षेत्रों में से प्रत्येक के संबंध में अनिवार्य या बलात् श्रम के दासता सदृश स्थितियों में विकसित होने का निवारण करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का वचन देते हैं।

यह करार किया जाता है कि:

(1) आगे के पैरा (2) में अधिकथित अंत:कालीन उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनिवार्य या बलात् श्रम की केवल लोक प्रयोजनों के लिए अपेक्षा की जा सकेगी।

(2) उन राज्य क्षेत्रों में जिसमें अनिवार्य या बलात् श्रम अभी तक विद्यमान हैं, उच्च संविदाकारी पक्षकार उस प्रथा को समाप्त करने के लिए उत्तरोत्तर और यथाशीघ्र प्रयास करेंगे। जब तक ऐसा बलात् या अनिवार्य श्रम विद्यमान रहता है तब तक यह श्रम सदैव आपवादिक स्वरूप का होगा, उसके लिए सदैव पर्याप्त पारिश्रमिक दिया जाएगा तथा श्रमिकों का उनके प्रायिक निवास स्थान से हटाया जाना उसमें अंतर्वलित नहीं होगा।

(3) सभी मामलों में, अनिवार्य या बलात् श्रम का आश्रय लेने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य क्षेत्र के सक्षम केन्द्रीय प्राधिकारियों का होगा।

अनुच्छेद 6

उच्च संविदाकारी पक्षकारों में से वे पक्षकार जिनकी विधियों में, इस कनवेंशन के प्रयोजनों को प्रभावी बनाने की दृष्टि से अधिनियमित विधियों और विनियमों के व्यतिक्रमों के दण्ड के लिए उपयुक्त उपबंध नहीं है, इस प्रयोजन से कि ऐसे उपक्रमों के संबंध में कठोर शास्तियां अधिरोपित की जा सकें, आवश्यक उपाय अंगीकृत करने का वचन देते हैं।

अनुच्छेद 7

उच्च संविदाकारी पक्षकार एक दूसरे को और लीग आफ नेशन्स के महासचिव को किन्हीं ऐसी विधियों और विनियमों की संसूचना देने का वचन देते हैं जो वे इस कनवेंशन के उपबंधों को लागू करने की दृष्टि से अधिनियमित करें।

अनुच्छेद 8

उच्च संविदाकारी पक्षकार करार करते हैं कि इस कनवेंशन के निर्वचन या लागू होने के संबंध में उनके बीच उत्पन्न होने वाले विवाद, यदि वे सीधी बातचीत द्वारा तय नहीं किए जा सकते हैं, स्थायी अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय को विनिश्चय के लिए निर्देशित किए जाएंगे। उस दशा में जिसमें कि ऐसे विवाद के किसी या दोनों पक्षकार राज्य स्थायी अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित 16 दिसम्बर, 1920 के प्रोटोकाल के पक्षकार नहीं हैं, वह विवाद पक्षकारों की पसंद से या प्रत्येक राज्य की सांविधानिक प्रक्रिया के अनुसार स्थायी अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय को या अन्तरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे के लिए 18 अक्तूबर, 1907 के कनवेंशन के अनुसार गठित माध्यस्थम् न्यायालय को अथवा किसी अन्य माध्यस्थम् न्यायालय को निर्देशित किए जाएंगे।

अनुच्छेद 9

हस्ताक्षर या अनुसमर्थन या अधिमिलन के समय कोई भी उच्च संविदाकारी पक्षकार घोषणा कर सकेगा कि इस कनवेंशन की उसकी स्वीकृति उसकी प्रभुता, अधिकारिता, संरक्षण, अधिराजत्व या अभिभावकत्व के अधीनस्थ कुछ या सभी राज्य क्षेत्रों पर आबद्धकर नहीं होती है। वह तत्पश्चात् उनमें से किसी की ओर से या किसी ऐसे उपबंध के संबंध में जिसका उनमें से कोई राज्य क्षेत्र पक्षकार नहीं है, पृथकत: अधिमिलन कर सकेगा।

अनुच्छेद 10

उस दशा में जिसमें कोई उच्च संविदाकारी पक्षकार इस कनवेंशन का प्रत्याख्यान करना चाहता है, ऐसा प्रत्याख्यान लीग आफ नेशन्स के महासचिव को लिखित रूप में अधिसूचित किया जाएगा जो उस अधिसूचना की एक प्रमाणित प्रति अन्य सभी उच्च संविदाकारी पक्षकारों को, उन्हें उस तारीख की जिसको वह प्राप्त हुई थी, सूचना देते हुए, तुरन्त संसूचित करेगा।

उस प्रत्याख्यान का प्रभाव केवल अधिसूचना देने वाले राज्य के संबंध में होगा और यह प्रभाव उस अधिसूचना के लीग आफ नेशन्स के महासचिव के पास पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् होगा।

प्रत्याख्यान, उसकी प्रभुता, अधिकारिता, संरक्षण, अधिराजत्व या अभिभावकत्व के अधीनस्थ किसी राज्य क्षेत्र के संबंध में पृथकत: किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 11

यह कनवेंशन जिस पर आज की तारीख अंकित होगी और जिसके दोनों ही फ्रांसीसी और अंग्रेजी भाषा के पाठ प्रामाणिक हैं, लीग आफ नेशन्स के सदस्य राज्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए 1 अप्रैल, 1927 तक खुला रहेगा।

तत्पश्चात् लीग आफ नेशन्स का महासचिव इस कनवेंशन को उन राज्यों के ध्यान में लाएगा, जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और इसके अंतर्गत वे राज्य भी हैं जो लीग आफ नेशन्स के सदस्य नहीं हैं तथा उन्हें इसमें अधिमिलन करने के लिए आमंत्रित करेगा।

इस कनवेंशन में अधिमिलन करने की इच्छा रखने वाला राज्य अपने आशय की लीग आफ नेशन्स के महासचिव को लिखित अधिसूचना देगा तथा उसे अधिमिलन की लिखत भेजेगा जो लीग के अभिलेखागार में जमा की जाएगी।

महासचिव उस अधिसूचना की और अधिमिलन की लिखत की एक प्रमाणित सही प्रति सभी अन्य उच्च संविदाकारी पक्षकारों को, उन्हें उस तारीख की जिसको उसने उन्हें प्राप्त किया था, सूचना देते हुए तुरन्त भेजेगा।

अनुच्छेद 12

इस कनवेंशन का अनुसमर्थन किया जाएगा और अनुसमर्थन की लिखतें लीग आफ नेशन्स के महासचिव के कार्यालय में जमा की जायेगी। महासचिव सभी उच्च संविदाकारी पक्षकारों को ऐसे जमा किए जाने की सूचना देगा।

यह कनवेंशन प्रत्येक राज्य के लिए उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिस तारीख को उसका अनुसमर्थन या अधिमिलन जमा किया जाता है।

इसके प्रति विश्वास स्वरूप पूर्णाधिकारियों ने इस कनवेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह एक हजार नौ सौ छब्बीस के सितम्बर के पच्चीसवें दिन, एक प्रति में निष्पादित हुआ है जो प्रति लीग आफ नेशन्स के अभिलेखागार में जमा की जाएगी। एक प्रमाणित प्रति प्रत्येक हस्ताक्षरकर्त्ता राज्य को भेजी जाएगी।

19

दासता कनवेंशन, 1926 को संशोधित करने वाला प्रोटोकोल*

इस प्रोटोकोल के पक्षकार राज्यों ने,

यह विचार करके कि जेनेवा में 25 सितम्बर, 1926 को हस्ताक्षरित दासता कनवेंशन (जिसे इसमें आगे ''कनवेंशन'' कहा गया है) के अधीन लीग आफ नेशन्स में कुछ कर्त्तव्य और कृत्य विनिहित थे, और

यह विचार करके कि यह समीचीन है कि ये कर्त्तव्य और कृत्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रखे जाएं,

निम्न रूप में करार किया है:

अनुच्छेद 1

इस प्रोटोकोल के पक्षकार राज्य वचन देते हैं कि वे अपने बीच, प्रोटोकोल के उपबंधों के अनुसार, प्रोटोकाल के उपाबंध में उपवर्णित कनवेंशन के संशोधनों को पूर्ण विधिक बल और प्रभाव प्रदान करेंगे तथा उन्हें सम्यक रूप से लागू करेंगे।

अनुच्छेद 2

1. यह प्रोटोकोल कनवेंशन के पक्षकार राज्यों में से किसी ऐसे राज्य द्वारा जिसे महासचिव ने प्रोटोकोल की एक प्रति इस प्रयोजन के लिए संसूचित की है, हस्ताक्षर या स्वीकृति के लिए खुला रहेगा।

2. राज्य इस प्रोटोकोल के पक्षकार निम्नलिखित द्वारा बन सकेंगे:-

(क) स्वीकृति के विषय में किसी शर्त के बिना हस्ताक्षर;

(ख) स्वीकृति के विषय में शर्त महित हस्ताक्षर और तत्पश्चात् स्वीकृति;

(ग) स्वीकृति।

3. स्वीकृति संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास एक प्रारूपिक लिखत जमा करके दी जाएगी।

अनुच्छेद 3

1. यह प्रोटोकोल उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसको दो राज्य इसके पक्षकार बन जाएंगे और तत्पश्चात् वह प्रत्येक राज्य के संबंध में उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिस तारीख को वह इस प्रोटोकोल का पक्षकार बनता है।

2. इस प्रोटोकोल के उपाबंध में उपवर्णित संशोधन तब प्रवृत्त होंगे जब तेईस राज्य इस प्रोटोकोल के पक्षकार बन जाएंगे तथा परिणामस्वरूप ऐसा कोई राज्य जो कनवेंशन का, उसमें संशोधनों के प्रवृत्त होने के पश्चात् पक्षकार बनता है, इस प्रकार संशोधित कनवेंशन का पक्षकार बन जाएगा।

---

*1926 का दासता कनवेंशन संयुक्त राष्ट्र के प्रोटोकोल द्वारा जो महा सभा द्वारा 23 अक्तूबर 1953 को अनुमोदित किया गया था, संशोधित किया गया था, संशोधित कन्वेंशन 7 दिसम्बर 1953 को प्रवृत्त हुआ।

अनुच्छेद 4

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 102 के पैरा 1 के और उसके अनुसरण में विनियमों के, जो महासभा द्वारा अंगीकृत किए गए हैं, अनुसार संयुक्त राष्ट्र का महासचिव इस प्रोटोकोल का और प्रोटोकोल द्वारा किए गए संशोधनों को उनके प्रवृत्त होने की अपनी तारीखों को रजिस्ट्रीकरण करने के लिए तथा प्रोटोकोल और कनवेंशन के संशोधित पाठ को रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् यथाशीघ्र प्रकाशित कराने के लिए प्राधिकृत है।

अनुच्छेद 5

यह प्रोटोकोल जिसके चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी भाषा के पाठ समान रूप से प्रमाणिक हैं, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के अभिलेखागार में जमा किया जाएगा। उपाबंध के अनुसार संशोधित किए जाने वाले पाठ केवल अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषाओं में होंगे। अत: उपाबंध के अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा के पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे तथा चीनी, रूसी और स्पेनी भाषा के पाठ अनुवाद होंगे। महासचिव प्रोटोकोल की जिसके अन्तर्गत उपाबंध भी है, प्रमाणित प्रतियां कनवेंशन के पक्षकार राज्यों और संयुक्त राष्ट्र के अन्य सभी सदस्य राज्यों को भेजने के लिए तैयार करेगा। इसी प्रकार, वह राज्यों को जिसके अन्तर्गत वे राज्य भी हैं जो राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं, अनुच्छेद 3 में यथा उपबंधित संशोधनों के प्रवृत्त होने पर भेजने के लिए इस प्रकार संशोधित कनवेंशन की प्रमाणित प्रतियां भी तैयार करेगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप अधोहस्ताक्षरियों ने जो अपनी-अपनी सरकारों द्वारा इसके लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत हैं, इस प्रोटोकोल पर उस तारीख को हस्ताक्षर किए हैं जो उनके अपने-अपने हस्ताक्षरों के सामने लिखी हैं।

यह कार्य संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयार्क में आज एक हजार नौ सो त्रेपन के दिसम्बर के सातवें दिन सम्पन्न किया गया।

25 सितम्बर, 1926 को जेनेवा में हस्ताक्षरित दासता

कनवेंशन को संशोधित करने वाले प्रोटोकोल का उपाबंध

अनुच्छेद 7 में ''लीग आफ नेशन्स का महासचिव'' के स्थान पर ''संयुक्त राष्ट्र का महासचिव'' में प्रतिस्थापित किया जाएगा।

अनुच्छेद 8 में ''स्थायी अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय'' के स्थान पर ''अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय'' तथा ''स्थायी अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित 16 दिसम्बर, 1920 का प्रोटोकोल'' के स्थान पर ''अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय का कानून'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

अनुच्छेद 10 के प्रथम और द्वितीय पैरा में ''लीग आफ नेशन्स'' के स्थान पर ''संयुक्त राष्ट्र'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

अनुच्छेद 11 के अंतिम तीन पैराओं का लोप कर दिया जाएगा और उनके स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

> ''यह कनवेंशन ऐसे सभी राज्यों द्वारा, जिसके अंतर्गत वे राज्य भी हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कनवेंशन की प्रमाणित प्रति भेजी हो, अधिमिलन के लिए खुला रहेगा।
>
> ''अधिमिलन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास एक प्रारूपिक लिखत जमा करके किया जाएगा और वह कनवेंशन के सभी पक्षकार राज्यों को और इस अनुच्छेद के अनुध्यात सभी राज्यों को उस तारीख की जिसको जमा करने के लिए अधिमिलन की प्रत्येक लिखत प्राप्त हुई थी, सूचना देते हुए, उसकी सूचना देगा।''

अनुच्छेद 12 में ''लीग आफ नेशन्स'' के स्थान पर ''संयुक्त राष्ट्र'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

20

दासता, दास व्यापार तथा दासता के समान संस्थाओं और प्रथाओं के उन्मूलन पर अनुपूरक कनवेंशन*

उद्देशिका

इस कनवेंशन के पक्षकार राज्यों ने

यह विचार करके कि स्वतंत्रता प्रत्येक मानव प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है,

इस बारे में सचेत होकर कि संयुक्त राष्ट्र के लोगों ने मानव देह की गरिमा और उसके महत्व में अपने विश्वास की, चार्टर में पुन: अभिपुष्टि की है,

यह विचार करके कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा सभी लोगों और सभी राष्ट्रों के लिए उपलब्धि के सामान्य मानक के रूप में उद्घोषित मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कथन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को दासता या गुलामी में नहीं रखा जाएगा और सभी प्रकार के दास व्यापार का प्रतिषेध होगा,

यह मान कर कि 25 सितम्बर, 1926 को जेनेवा में हस्ताक्षरित दासता कनवेंशन के बाद से, जो दासता और दास व्यापार का उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए परिकल्पित था, इस दिशा में और आगे प्रगति हुई है,

1930 के बलात् श्रम कनवेंशन को और बलात् या अनिवार्य श्रम के संबंध में अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा तत्पश्चात् की गई कार्रवाई को ध्यान में रख कर,

इस बात से अवगत होकर कि दासता, दास व्यापार तथा दासता के समान संस्था और प्रथा विश्व के सभी भागों में अभी तक समाप्त नहीं हुई हैं,

अत: यह विनिश्चय करके कि 1926 का कनवेंशन को जो प्रवर्तन में बना हुआ है, अब दासता, दास व्यापार तथा दासता के समान संस्थाओं और प्रथाओं के उन्मूलन की दिशा में राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय प्रयासों को तेज करने के लिए परिकल्पित एक अनुपूरक कनवेंशन के निष्पादन द्वारा अभिवृद्ध किया जाना चाहिए,

निम्न रूप में करार किया है:

अनुभाग 1 – दासता के समान संस्थाएं और प्रथाएं

अनुच्छेद 1

इस कनवेंशन का पक्षकार प्रत्येक राज्य निम्नलिखित संस्थाओं और प्रथाओं का, जहां वे अभी तक विद्यमान हैं तथा चाहे वे 25 सितम्बर, 1926 को जेनेवा में हस्ताक्षरित दासता कनवेंशन के अनुच्छेद 1 में अंतर्विष्ट परिभाषा के अंतर्गत आती हैं या नहीं, उत्तरोत्तर और यथाशीघ्र उन्मूलन या परित्याग करने के लिए सभी साध्य और आवश्यक विधायी एवं अन्य उपाय करेगा:

(क) ऋण दासता अर्थात किसी ऋणी द्वारा अपनी निजी सेवाओं या अपने नियंत्रणाधीन किसी व्यक्ति की सेवाओं को किसी ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी से उत्पन्न प्रास्थिति या स्थिति, यदि उन सेवाओं के उचित रूप से निर्धारित मूल्य

---

*30 अप्रैल 1956 के आर्थिक और सामाजिक परिषद संकल्प 608 (इक्कीस) के अनुसरण में ७ सितम्बर 1956 को जिनेवा में आयोजित पूर्णाधिकारियों के सम्मेलन द्वारा अंगीकृत दासता, दास व्यापार तथा दासता के समान संस्थाओं और प्रथाओं के उन्मूलन पर अनुपूरक कनवेंशन 30 अप्रैल, 1957 को प्रवृत्त हुआ था।

का उपयोग उस ऋण के समापन के लिए नहीं किया जाता है अथवा उन सेवाओं की अवधि और प्रकृति क्रमशः सीमित और परिभाषित नहीं है;

(ख) कृषि दासता और अर्थात् किसी ऐसे अभिधारी की स्थिति या प्रास्थिति जो विधि, रूढ़ि या करार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर रहने और श्रम करने के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति की, चाहे पुरस्कार के लिए या अन्यथा कोई निश्चित सेवा करने के लिए आबद्ध है;

(ग) ऐसी कोई संस्था या प्रथा जिसके द्वारा:

(।) किसी स्त्री के माता-पिता, संरक्षक, कुटुम्ब या किसी अन्य व्यक्ति या समूह को धन के या वस्तु के रूप में किसी प्रतिफल का संदाय करके उसको इंकार करने के अधिकार के बिना विवाह का वचन दिया जाता है या उसका विवाह कराया जाता है; या

(॥) किसी स्त्री के पति, उसके कुटुम्ब या कुल को उसका, प्राप्त मूल्य के लिए या अन्यथा, किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरण करने का अधिकार है; या

(॥।) कोई स्त्री, उसके पति की मृत्यु होने पर, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त की जा सकती है;

(घ) ऐसी कोई संस्था या प्रथा जिसके द्वारा कोई बालक या 18 वर्ष से कम आयु का युवा व्यक्ति, उसके नैसर्गिक माता-पिता दोनों द्वारा या उनमें से किसी द्वारा अथवा उसके संरक्षक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, पुरस्कार के लिए या अन्यथा, उस बालक या युवा व्यक्ति के या उसके श्रम के शोषण की दृष्टि से परिदत्त किया जाता है।

अनुच्छेद 2

इस कनवेंशन के अनुच्छेद 1(ग) में वर्णित संस्थाओं और प्रथाओं को समाप्त करने की दृष्टि से, पक्षकार राज्य जहां समुचित हो, विवाह के लिए उपयुक्त न्यूनतम आयु विहित करने, ऐसी सुविधाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने का जिनके द्वारा विवाह के दोनों पक्षकारों की सम्मति सक्षम सिविल या धार्मिक प्राधिकारी की उपस्थिति में अबाध रूप से अभिव्यक्त की जा सके और विवाहों के रजिस्ट्रीकरण को प्रोत्साहित करने का वचन देते हैं।

अनुभाग 2 – दास व्यापार

अनुच्छेद 3

1. दासों को एक देश से दूसरे देश में किसी भी परिवहन साधन द्वारा ले जाना या ले जाने में उपसाधक होना इस कनवेंशन के पक्षकार राज्यों की विधियों के अधीन एक दांडिक अपराध होगा और उसके लिए दोषसिद्ध व्यक्ति अत्यन्त कठोर शास्ति के लिए दायी होंगे।

2. (क) पक्षकार राज्य उनके ध्वज फहराने के लिए प्राधिकृत जलयान और वायुयानों को दासों का प्रवहण करने से रोकने के लिए और ऐसे कार्यों के लिए या उस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करने के दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने के लिए सभी प्रभावी उपाय करेंगे।

(ख) पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके पत्तनों, हवाई मैदानों और तटों का उपयोग दासों के प्रवहण के लिए नहीं किया जाता है, सभी प्रभावी उपाय करेंगे।

3. इस कनवेंशन के पक्षकार राज्य दास व्यापार से लड़ने के लिए उनके द्वारा किए गए उपायों के व्यावहारिक समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए जानकारी का आदान-प्रदान करेंगे तथा एक-दूसरे को दास व्यापार के प्रत्येक मामले की और इस दांडिक अपराध को करने की प्रत्येक प्रयास की, जो उसकी जानकारी में आता है, सूचना देंगे।

अनुच्छेद 4

कोई भी दास जो इस कनवेंशन के पक्षकार किसी राज्य के जलयान के फलक पर शरण लेता है, स्वयंमेव ही मुक्त होगा।

अनुभाग 3 – दासता तथा दासता के समान संस्थाएं और प्रथाएं

अनुच्छेद 5

ऐसे किसी देश में जहां, दासता या इस कनवेंशन के अनुच्छेद 1 में वर्णित संस्थाओं या प्रथाओं का उन्मूलन या परित्याग अभी तक पूरा नहीं हुआ है, किसी दास या दासोचित प्रास्थिति के किसी व्यक्ति का, उसकी प्रास्थिति उपदर्शित करने के लिए या दण्ड के रूप में या अन्य किसी कारण से अंगविच्छेद करने, उसको दागने, या अन्यथा चिह्नांकित करने का कार्य या उसमें उपसाधक होना इस कन्वेंशन के पक्षकार राज्यों की विधियों के अधीन दांडिक अपराध होगा और उसके लिए सिद्धदोष व्यक्ति दण्ड के लिए दायी होंगे।

अनुच्छेद 6

1. किसी अन्य व्यक्ति को दास बनाने या किसी अन्य व्यक्ति को स्वयं या अपने पर आश्रित किसी व्यक्ति को दासता स्वीकार करने के लिए उत्प्रेरित करने का कार्य या इन कार्यों को करने का प्रयास करना अथवा उसमें उपसाधक होने या ऐसा कोई कार्य सम्पन्न करने के षड्यंत्र में एक पक्षकार होना इस कनवेंशन के पक्षकार राज्यों की विधियों के अधीन एक दांडिक अपराध होगा और उसके लिए दोषसिद्ध व्यक्ति दण्ड के लिए दायी होंगे।

2. इस कनवेंशन के अनुच्छेद 1 के प्रारंभिक पैरा के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अनुच्छेद के पैरा 1 के उपबंध भी, अनुच्छेद 1 में वर्णित संस्थाओं या प्रथाओं में से किसी के परिणामस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति को स्वयं या अपने पर आश्रित किसी व्यक्ति को दासोचित प्रास्थिति को स्वीकार करने के लिए उत्प्रेरित करने के कार्य को और ऐसे कार्यों को करने के लिए किसी प्रयास को, उसमें उपसाधक होने को तथा ऐसा कोई कार्य सम्पन्न करने के षड्यंत्र में एक पक्षकार होने को लागू होंगे।

अनुभाग 4 – परिभाषाएं

अनुच्छेद 7

इस कनवेंशन के प्रयोजनों के लिए:

(क) ''दासता'' से अभिप्रेत है, 1926 के दासता कनवेंशन में यथा परिभाषित, ऐसे किसी व्यक्ति की प्रास्थिति या स्थिति जिस पर स्वामित्व के अधिकार से संलग्न किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाता है तथा ''दास'' से ऐसी स्थिति या प्रास्थिति में कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ख) ''दासोचित प्रास्थिति वाला व्यक्ति'' से इस कनवेंशन के अनुच्छेद 1 में वर्णित संस्थाओं या प्रथाओं में से किसी के परिणामस्वरूप स्थिति या प्रास्थिति में कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) ''दास व्यापार'' से अभिप्रेत और उसके अंतर्गत है, किसी व्यक्ति को दासता की स्थिति में लाने के आशय से उसके पकड़े जाने, अर्जन या व्ययन में अंतर्वलित सभी कार्य, किसी दास का विक्रय या उसका विनिमय करने की दृष्टि से उसके अर्जन में अंतर्वलित सभी कार्य, विक्रय या विनिमय किए जाने की दृष्टि से अर्जित किसी दास के विक्रय या विनिमय द्वारा व्ययन के सभी कार्य और साधारणत: किसी भी वाहन द्वारा दासों के व्यापार या परिवहन का प्रत्येक कार्य।

अनुभाग 5 – पक्षकार राज्यों के बीच समन्वय और सूचना का संचार

अनुच्छेद 8

1. इस कनवेंशन के पक्षकार राज्य पूर्वगामी उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए एक दूसरे के साथ और संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग करने का वचन देते हैं।

2. पक्षकार इस कनवेंशन के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए अधिनियमित या प्रवृत्त की गई विधियों, विनियमों और प्रशासनिक उपायों की प्रतियां संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को भेजने का वचन देते हैं।

3. महासचिव इस अनुच्छेद के पैरा 2 के अधीन प्राप्त जानकारी अन्य पक्षकारों को तथा आर्थिक और सामाजिक परिषद को, ऐसे विचार-विमर्श के लिए दस्तावेज के भाग के रूप में जो वह परिषद्, दासता, दास व्यापार या उन संस्थाओं और प्रथाओं के लिए जो इस कनवेंशन की विषय-वस्तु हैं, अतिरिक्त सिफारिशें करने की दृष्टि से करे, संसूचित करेगा।

अनुभाग 6 – अंतिम खण्ड

अनुच्छेद 9

इस कनवेंशन में कोई भी आरक्षण नहीं किए जा सकेंगे।

अनुच्छेद 10

इस कनवेंशन के निर्वचन या लागू होने के संबंध में इसके पक्षकार राज्यों के बीच कोई ऐसा विवाद जो बातचीत द्वारा तय नहीं होता है, उस विवाद के पक्षकारों में से किसी एक के अनुरोध पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को निर्देशित किया जायेगा। जब तक कि संबंधित पक्षकार निपटारे के किसी अन्य तरीके के लिए सहमत नहीं हो जाते हैं।

अनुच्छेद 11

1. यह कनवेंशन संयुक्त राष्ट्र के या विशिष्ट अभिकरण के किसी सदस्य राज्य द्वारा हस्ताक्षर के लिए 1 जुलाई, 1957 तक खुला रहेगा। वह हस्ताक्षरकर्ता राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के अधीन होगा और अनुसमर्थन की लिखतें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा की जाएंगी जो प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता और अधिमिलन करने वाले राज्य को सूचित करेगा।

2. 1 जुलाई, 1957 के पश्चात् यह कनवेंशन संयुक्त राष्ट्र अथवा किसी विशिष्ट अभिकरण के सदस्य राज्य द्वारा अथवा किसी अन्य ऐसे राज्य द्वारा जिसे अधिमिलन करने के लिए आमंत्रण संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा संबोधित किया गया है। अधिमिलन के लिए खुला रहेगा। अधिमिलन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास एक प्ररुपिक लिखित जमा करके दिया जाएगा, जो प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता और अधिमिलन करने वाले राज्य को सूचित करेगा।

अनुच्छेद 12

1. यह कनवेंशन सभी अस्वशासी न्यास, औपनिवेशिक और अन्य अमहानगरीय राज्य क्षेत्रों को, जिनके अन्तरराष्ट्रीय संबंधों के लिए कोई पक्षकार राज्य उत्तरदायी है, लागू होगा। संबंधित पक्षकार, इस अनुच्छेद के पैरा 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए हस्ताक्षर, अनुसमर्थन या अधिमिलन के समय उस अमहानगरीय राज्य क्षेत्र या राज्य क्षेत्रों की घोषणा करेगा जिसे/जिन्हें यह कनवेंशन ऐसे हस्ताक्षर, अनुसमर्थन या अधिमिलन के परिणामस्वरूप स्वयंमेव लागू होगा।

2. ऐसे किसी मामले में जिसमें पक्षकार की या अमहानगरीय राज्य क्षेत्र की सांविधानिक विधियों या प्रथाओं, द्वारा अमहानगरीय राज्य क्षेत्र की पूर्व सम्मति अपेक्षित है, संबंधित पक्षकार उस अमहानगरीय राज्य क्षेत्र की अपेक्षित सम्मति महानगरीय राज्य द्वारा इस कनवेंशन पर हस्ताक्षर करने की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर प्राप्त करने का प्रयास करेगा और जब ऐसी सम्मति प्राप्त कर ली जाए तब वह पक्षकार महासचिव को अधिसूचित करेगा। यह कनवेंशन ऐसी अधिसूचना में नामित राज्यक्षेत्र या राज्य क्षेत्रों को महासचिव द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से लागू होगा।

3. पूर्वगामी पैरा में वर्णित बारह मास की अवधि बीतने के पश्चात्, संबंधित पक्षकार राज्य, उन अमहानगरीय राज्य क्षेत्रों के साथ जिनके अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए वे उत्तरदायी हैं और जिनकी इस कन्वेंशन के लागू होने के विषय में सम्मति रोक रखी गई हो, परामर्शों के परिणाम महासचिव को सूचित करेंगे।

अनुच्छेद 13

1. यह कनवेंशन उस तारीख को, जिसको दो राज्य उसके पक्षकार हो जाएंगे, प्रवृत्त होगा।

2. तत्पश्चात् यह प्रत्येक राज्य और राज्य क्षेत्र के संबंध में उस राज्य की अनुसमर्थन या अधिमिलन लिखत के जमा किए जाने की या उस राज्य क्षेत्र को लागू होने की अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होगा।

अनुच्छेद 14

1. इस कनवेंशन के लागू किए जाने को तीन वर्षों के आनुक्रमिक अवधियों में विभाजित किया जाएगा जिसमें से पहली अवधि अनुच्छेद 13 के पैरा 1 के अनुसार इस कनवेंशन के प्रवृत्त होने की तारीख को आरंभ होगी।

2. कोई भी पक्षकार राज्य तीन वर्ष की चालू अवधि की समाप्ति के कम से कम छह मास पूर्व उस राज्य द्वारा महासचिव को संबोधित सूचना द्वारा इस कनवेंशन का प्रत्याख्यान कर सकेगा। महासचिव ऐसी प्रत्येक सूचना और उसकी प्राप्ति की तारीख की सभी पक्षकारों को अधिसूचना देगा।

3. प्रत्याख्यान तीन वर्ष की चालू अवधि की समाप्ति पर प्रभावी होगा।

4. उन मामलों में जिनमें, अनुच्छेद 12 के उपबंधों के अनुसार यह कनवेंशन किसी पक्षकार के अमहानगरीय राज्य क्षेत्र को लागू हुआ है, वह पक्षकार तत्पश्चात्, किसी भी समय, संबंधित राज्य क्षेत्र की सम्मति से, अलग से उस राज्य क्षेत्र के संबंध में इस कनवेंशन का प्रत्याख्यान करते हुए सूचना संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को देगा। वह प्रत्याख्यान महासचिव द्वारा ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख के एक वर्ष पश्चात् प्रभावी होगा, जो ऐसी सूचना और उसकी प्राप्ति की अधिसूचना सभी अन्य पक्षकारों को देगा।

अनुच्छेद 15

यह कनवेंशन जिसके चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी भाषा में पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के अभिलेखागार में जमा किया जाएगा। महासचिव इस कनवेंशन के पक्षकार राज्यों को और संयुक्त राष्ट्र और विशिष्ट अभिकरणों के सभी अन्य सदस्य राज्यों को संसूचित करने के लिए इसकी एक प्रमाणित प्रति तैयार करेगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप अधोहस्ताक्षरियों ने, जो इसके लिए अपनी-अपनी सरकारों द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत हैं इस कनवेंशन पर उस तारीख को हस्ताक्षर किए हैं जो उनके अपने-अपने हस्ताक्षरों के सामने लिखी है।

यह कार्य संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा में यूरोपीय कार्यालय में आज एक हजार नौ सौ छप्पन की सितम्बर के सातवें दिन सम्पन्न किया गया।

IV

मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के अन्य दस्तावेज

1

विकास के अधिकार पर घोषणा*

महासभा,

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवीय प्रकृति की अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की उपलब्धि से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के प्रयोजनों और सिद्धांतों को तथा मूलवंश, लिंग, भाषा या धर्म के बारे में विभेद के बिना मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के लिए उत्साहजनक सम्मान को ध्यान में रखकर,

यह मान कर कि विकास एक व्यापक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य समस्त जनसमुदाय के और सभी व्यक्तियों के विकास में और उसके परिणामस्वरूप होने वाले फायदों के उचित वितरण में सक्रिय, अबाध और अर्थपूर्ण रूप से भाग लेने पर आधारित कल्याण का निरंतर सुधार है,

यह विचार करके कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अधीन, प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसी सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का हकदार है जिससे उस घोषणा में उपवर्णित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्णरूपेण प्राप्त किया जा सकता है,

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा के तथा सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा के उपबंधों का स्मरण करके,

मानव प्राणियों के समग्र विकास, सभी लोगों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति और विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र और उसके विशिष्ट अभिकरणों के सुसंगत करारों, कन्वेंशनों, संकल्पों, सिफारिशों और अन्य लिखतों का भी, जिनके अंतर्गत उपनिवेशों को समाप्त करने, विभेद निवारण, मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान और उनके पालन, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने तथा चार्टर के अनुसार राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों और सहयोग की और अभिवृद्धि से संबंधित लिखतें भी हैं; स्मरण करके,

लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का स्मरण करके जिसके आधार पर उन्हें अपनी राजनीतिक प्रास्थिति का स्वतंत्र रूप से अवधारण करने और अपना आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करने का अधिकार है,

लोगों के, मानव अधिकारों पर दोनों प्रसंविदाओं के सुसंगत उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपनी सभी प्राकृतिक सम्पदा और संसाधनों पर पूर्ण प्रभुता का प्रयोग करने के अधिकार का भी स्मरण करके,

चार्टर के अधीन, किसी भी प्रकार के जैसे कि मूलवंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक और अन्य अभिमत, राष्ट्रीय या सामाजिक उद्भव, सम्पत्ति, जन्म और अन्य प्रास्थिति के विभेद के बिना सभी के लिए मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के लिए सार्वभौम सम्मान और उनके पालन की अभिवृद्धि करने के लिए राज्यों की बाध्यता को ध्यान में रखकर,

यह विचार करके कि उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, रंगभेद, सभी प्रकार के जातिवाद और जातीय विभेद, विदेशी शासन और दखल, राष्ट्रीय प्रभुता, राष्ट्रीय एकता तथा राज्य क्षेत्रीय अखंडता, के विरुद्ध आक्रमण और धमकियों तथा युद्ध की धमकियों जैसी परिस्थितियों द्वारा प्रभावित लोगों और व्यक्तियों के मानव अधिकारों के भारी और जघन्य अतिक्रमणों के विलोपन से मानव जाति के एक बड़े भाग के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों की स्थापना में सहायता मिलेगी,

---

*महासभा ने विकास के अधिकार पर घोषणा को 4 दिसम्बर 1986 को अंगीकृत किया था।

अन्य बातों के साथ, सिविल, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के नकारने द्वारा मानव प्राणियों और लोगों के विकास और उनके द्वारा पूर्णता प्राप्त करने के मार्ग में गंभीर बाधाओं के विद्यमान होने का विचार करके तथा यह विचार करके कि सभी मानव अधिकार और स्वतंत्रताएं अविभाज्य और अन्योनयाश्रित हैं और यह कि विकास की अभिवृद्धि के लिए सिविल, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के क्रियान्वयन; अभिवृद्धि और संरक्षण पर समान रूप से और तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए तथा यह कि तदनुसार कतिपय मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं की अभिवृद्धि, उनके लिए आदर और उनका उपभोग अन्य मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रत्याख्यान को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता है,

यह विचार करके कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, विकास के अधिकार को प्राप्त करने के लिए अत्यावश्यक तत्व हैं,

इस बात की पुन: अभिपुष्टि करके कि निरस्त्रीकरण और विकास में निकट का संबंध है और यह कि निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में प्रगति से विकास के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति होगी तथा यह कि निरस्त्रीकरण के उपायों द्वारा जो संसाधन मुक्त होंगे उनका उपयोग आर्थिक और सामाजिक विकास और सभी लोगों, विशेष रूप से विकासशील देशों के लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए,

यह मानकर कि मानव देह विकास की प्रक्रिया का केन्द्र विषय है और यह कि अत: विकास नीति को चाहिए कि वह मानव प्राणी को विकास का मुख्य भागी और हिताधिकारी बनाए,

यह मानकर कि लोगों और व्यक्तियों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का सृजन उनके राज्यों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है,

यह जानते हुए कि मानव अधिकारों की अभिवृद्धि और उनके संरक्षण के लिए किए गए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों के साथ एक नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए,

यह पुष्टि करके कि विकास का अधिकार एक अभेद्य मानव अधिकार है और यह कि विकास के अवसर की समानता राष्ट्रों का और उन व्यक्तियों का जो मिलकर राष्ट्र बनाते है, एक विशेषाधिकार है,

विकास के अधिकार पर निम्नलिखित घोषणा उद्घोषित करती है:

अनुच्छेद 1

1. विकास का अधिकार एक अभेद्य मानव अधिकार है जिसके आधार पर प्रत्येक मानव व्यक्ति और सभी लोग ऐसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास में भाग लेने, उसके लिए अंशदान करने और उसका उपभोग करने के हकदार हैं, जिसमें सभी मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

2. विकास के मानव अधिकार में लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की पूर्ण प्राप्ति विवक्षित है, जिसके अंतर्गत, मानव अधिकारों पर दोनों प्रसंविदाओं के सुसंगत उपबंधों के अधीन रहते हुए अपनी सभी प्राकृतिक सम्पदा और संसाधनों पर पूर्ण प्रभुता के उनके अभेद्य अधिकार का प्रयोग भी है।

अनुच्छेद 2

1. मानव देह विकास का केन्द्र विषय है और उसे विकास के अधिकार में सक्रिय भाग लेना चाहिए और उसे उसका हिताधिकारी होना चाहिए।

2. सभी मानव प्राणियों का अपने मानव अधिकारों, और मूल स्वतंत्रताओं के लिए और समुदाय के प्रति अपने कर्तव्यों के लिए जो अकेले ही मानव प्राणी की मुक्त और पूर्ण पूर्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं, पूर्ण आदर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिश: या सामूहिक रूप से, विकास के लिए एक उत्तरदायित्व है, अत: उन्हें विकास के लिए एक उपयुक्त राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का संप्रवर्तन और उसका संरक्षण करना चाहिए।

3. राज्यों का यह अधिकार और कर्त्तव्य है कि वे ऐसी उपयुक्त राष्ट्रीय विकास नीतियां तैयार करें जिनका उद्देश्य समस्त जनता के और सभी व्यक्तियों के, कल्याण का ऐसा निरन्तर विकास हो जो विकास में और उसके परिणामस्वरूप होने वाले फायदों के उचित वितरण में उनके मुक्त और अर्थपूर्ण रूप से भाग लेने पर आधारित हो।

अनुच्छेद 3

1. विकास के अधिकार की प्राप्ति के लिए अनुकूल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां सृजित करना राज्यों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है।

2. विकास के अधिकार की प्राप्ति, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों और सहयोग से संबंधित अंतरराष्ट्रीय विधि के सिद्धान्तों के लिए पूर्ण सम्मान की अपेक्षा करती है।

3. राज्यों का यह कर्त्तव्य है कि वे विकास को सुनिश्चित करने और उस के मार्ग में बाधाओं को दूर करने में एक दूसरे के साथ सहयोग करें। राज्यों को चाहिए कि वे अपने अधिकारों की प्राप्ति और अपने कर्त्तव्यों का पालन ऐसी रीति में करें जिससे सभी राज्यों के बीच प्रभुता सम्पन्न समानता, अन्योन्याश्रय, पारस्परिक हित और सहयोग पर आधारित एक नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संप्रवर्तन हो और मानव अधिकारों के पालन और उनकी प्राप्ति को प्रोत्साहन मिले।

अनुच्छेद 4

1. राज्यों का यह कर्त्तव्य है कि वे अलग-अलग या सामूहिक रूप से, विकास के अधिकार की पूर्ण प्राप्ति को सुकर बनाने की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय विकास नीतियां तैयार करने की कार्यवाही करें।

2. विकासशील देशों के अधिक तेज विकास के लिए सतत् कार्रवाई अपेक्षित है। विकासशील देशों के प्रयासों के अनुपूरक के रूप में इन देशों को अपने व्यापक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए समुचित साधन और सुविधाएं उपलब्ध कराने में प्रभावकारी अंतरराष्ट्रीय सहयोग अत्यावश्यक है।

अनुच्छेद 5

राज्य रंगभेद, सभी प्रकार के जातिवाद और जातीय विभेद, उपनिवेशवाद विदेशी शासन और दखल, राष्ट्रीय प्रभुता, राष्ट्रीय एकता तथा राज्यक्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध आक्रमण विदेशी हस्तक्षेप और धमकियों, युद्ध की धमकियों तथा लोगों के आत्मनिर्णय के मूल अधिकार को मानने से इंकार करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों जैसी परिस्थितियों द्वारा प्रभावित लोगों और मानव प्राणियों के मानव अधिकारों के भारी और जघन्य अतिक्रमणों को विलुप्त करने के लिए दृढ़ कदम उठाएंगे।

अनुच्छेद 6

1. सभी राज्यों को सभी के लिए मूलवंश, लिंग, भाषा या धर्म के बारे में किसी विभेद के बिना सभी मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के लिए सार्वभौमिक आदर और उनके पालन की अभिवृद्धि, प्रोत्साहन और दृढ़ीकरण की दृष्टि से सहयोग करना चाहिए।

2. सभी मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रताएं अविभाज्य और अन्योन्याश्रित हैं। सिविल, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के क्रियान्वयन, संप्रवर्तन और संरक्षण पर समान और अत्यावश्यक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

3. राज्यों को सिविल और राजनीतिक तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के पालन में असफलता से उत्पन्न, विकास में बाधाओं को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

अनुच्छेद 7

सभी राज्यों को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना, उसके अनुरक्षण और दृढ़ीकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उन्हें उस उद्देश्य से प्रभावकारी अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण प्राप्त करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रभावकारी निरस्त्रीकरण उपायों द्वारा मुक्त किए गए संसाधनों का उपयोग व्यापक, विशेष रूप से विकासशील देशों के विकास के लिए किया जाए, अपने भरसक प्रयास करने चाहिए।

अनुच्छेद 8

1. राज्यों को राष्ट्रीय स्तर पर, विकास के अधिकार को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने चाहिए और वे अन्य बातों के साथ, सभी के लिए बुनियादी संसाधनों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, भोजन, आवास, नियोजन तक उनकी पहुंच के अवसर की समानता

तथा आय का उचित वितरण सुनिश्चित करेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी उपाय किए जाने चाहिए कि महिलाओं की विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका हो। सभी सामाजिक अन्यायों के उन्मूलन की दृष्टि से समुचित आर्थिक और सामाजिक सुधार किए जाने चाहिए।

2. राज्यों को विकास में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में और सभी मानव अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति में सभी क्षेत्रों में सर्वसाधारण द्वारा भाग लेने को प्रोत्साहित करना चाहिए।

अनुच्छेद 9

1. इस घोषणा में उपवर्णित विकास के अधिकार के सभी पहलू अविभाज्य और अन्योन्याश्रित हैं तथा उनमें से प्रत्येक पर समग्र के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए।

2. इस घोषणा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों और सिद्धांतों के प्रतिकूल है अथवा यह नहीं समझा जाएगा कि उसमें यह विवक्षित है कि किसी राज्य, समूह या व्यक्ति को किसी ऐसे क्रियाकलाप में लगने या कोई ऐसा कार्य करने का अधिकार है जिसका उद्देश्य मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में और मानव अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में उपवर्णित अधिकारों का अतिक्रमण करना है।

अनुच्छेद 10

विकास के अधिकार के पूर्ण प्रयोग और उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए जिसके अंतर्गत नीति का निर्धारण, अंगीकरण और क्रियान्वयन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर विधायी और अन्य उपाय भी हैं।

2

तेहरान उद्घोषणा*

मानव अधिकारों पर अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अंगीकार किए जाने से लेकर बीस वर्षों में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और भविष्य के लिए एक कार्यक्रम बनाने के लिए तेहरान में 22 अप्रैल से 13 मई, 1968 तक बैठक करके,

मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के लिए आदर की अभिवृद्धि और उसके प्रोत्साहन के लिए संयुक्त राष्ट्र के क्रियाकलापों से संबंधित समस्याओं पर विचार करके,

इस बात पर ध्यान देकर कि मानव अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष ऐसे समय में मनाया जा रहा है जब विश्व में एक अभूतपूर्व परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है,

विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तेज प्रगति द्वारा उपलब्ध कराए गए नए अवसरों को ध्यान में रखकर,

यह विश्वास करके कि एक ऐसे युग में जब विश्व के अनेक भागों में संघर्ष और हिंसा व्याप्त है, मानव अन्तरनिर्भरता का तथ्य और मानव एकता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक स्पष्ट है,

यह मानकर की शांति मानवता की सार्वभौम आकांक्षा है और यह कि मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं को पूर्णत: प्राप्त करने के लिए शांति और न्याय अपरिहार्य हैं, सत्यनिष्ठा से उद्घोषित करता है कि:

1. यह अनिवार्य है कि अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्य सभी के लिए, मूलवंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक और अन्य अभिमतों जैसे किसी भी प्रकार के विभेद के बिना, मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के लिए आदर की अभिवृद्धि करने और उसको प्रोत्साहित करने के लिए अपनी सत्यनिष्ठ बाध्यताओं को पूरा करें।

2. मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में मानव कुटुम्ब के सभी सदस्यों के अभेद्य और अनतिक्रमणीय अधिकारों के संबंध में विश्व के लोगों की एक सामान्य समझदारी का कथन किया गया है और वह अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के लिए एक बाध्यता गठित करता है।

3. सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदा, औपनिवेशिक देशों और लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने पर घोषणा, सभी प्रकार के जातीय विभेद को समाप्त करने पर अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदा तथा संयुक्त राष्ट्र, विशिष्ट अभिकरणों और अन्तर सरकार संगठनों के तत्वावधान में अंगीकृत मानव अधिकारों के क्षेत्र में अन्य कन्वेंशनों और घोषणाओं ने नए मानक और बाध्यताएं सृजित की हैं जिनका राज्यों को पालन करना चाहिए।

---

*मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अंगीकरण की बीसवीं वर्षगांठ मनाने के लिए मानव अधिकारों पर एक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन तेहरान में 22 अप्रैल से 13 मई 1968 तक आयोजित किया गया था और उसमें 84 राज्यों के प्रतिनिधिमंडल उपस्थित थे। उस सम्मेलन ने 13 मई 1968 को एक उद्घोषणा अंगीकृत की जिसमें मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के लिए आदर की अभिवृद्धि और उसके प्रोत्साहन के लिए संयुक्त राष्ट्र के क्रियाकलापों से संबंधित विभिन्न समस्याओं या उपलब्धियों पर विचार किया गया था और जिसमें भविष्य के लिए कार्यक्रम बनाया गया था।

4. मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अंगीकरण के समय से संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के उपभोग और उनके संरक्षण के मानक परिनिश्चित करने में सारवान प्रगति की है। इस अवधि के दौरान अनेक महत्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रीय लिखतें अंगीकृत की गई थीं किन्तु उन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के संबंध में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

5. मानव अधिकारों के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अधिकतम स्वतंत्रता और गरिमा की प्राप्ति है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, प्रत्येक देश की विधियों को चाहिए कि वे मूलवंश, भाषा, धर्म या राजनीतिक विश्वास को ध्यान में रखे बिना प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति, सूचना, अंत:करण और धर्म की स्वतंत्रता तथा अपने देश के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में भाग लेने का अधिकार भी प्रदान करे।

6. राज्यों को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में तथा मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं से संबंधित अन्य अन्तरराष्ट्रीय लिखतों में प्रतिष्ठापित सिद्धांतों को प्रभावीरूप से प्रवृत्त करने के अपने निश्चय की पुन: अभिपुष्टि करनी चाहिए।

7. रंगभेद की घृणास्पद नीति के अधीन मानव अधिकारों का घोर प्रत्याख्यान अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। रंगभेद की यह नीति जो मानवता के विरुद्ध एक अपराध के रूप में निन्दित है, अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को गंभीर रूप से बाधित करती जा रही है। अत: अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के लिए अनिवार्य है कि वह इस बुराई का उन्मूलन करने के लिए सभी संभव साधनों का उपयोग करे। रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष विधिसम्मत माना जाता है।

8. विश्व के लोगों को जातीय विभेद की बुराई से पूरी तरह से अवगत कराया जाना चाहिए तथा उन्हें इनका मुकाबला करने में सम्मिलित होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा तथा मानव अधिकारों के क्षेत्र में अन्य अन्तरराष्ट्रीय लिखतों में सन्निविष्ट अविभेद के सिद्धांत का क्रियान्वयन अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर मानव जाति का एक परमावश्यक कार्य गठित करता है। जातीय श्रेष्ठता और असहनशीलता पर आधारित सभी विचारधाराओं की निन्दा और उनका विरोध किया जाना चाहिए।

9. औपनिवेशिक देशों और लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने पर महासभा की घोषणा के आठ वर्ष पश्चात् उपनिवेशवाद की समस्याएं अन्तरराष्ट्रीय समुदाय का पूर्णरूपेण ध्यान आकर्षित किए हुई है। यह एक अत्यावश्यक विषय है कि सभी सदस्य राज्यों को संयुक्त राष्ट्र के समुचित अंगों के साथ सहयोग करना चाहिए जिससे कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उस घोषणा का पूर्णत: क्रियान्वयन किया जाता है, प्रभावी उपाय किए जा सकें।

10. आक्रमण या किसी सशस्त्र संघर्ष से उत्पन्न होने वाले, मानव अधिकारों के भारी प्रत्याख्यानों के दु:खद परिणाम होते हैं और उनकी परिणति अकथनीय मानव दुर्दशा में होती है तथा उनसे ऐसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं जो विश्व को निरंतर बढ़ती रहने वाली युद्धस्थितियों में निमग्न कर सकती हैं। अन्तरराष्ट्रीय समुदाय की यह बाध्यता है कि वह ऐसी महाविपत्तियों के उन्मूलन में सहयोग प्रदान करे।

11. मूलवंश, धर्म, विश्वास अथवा विचार की अभिव्यक्ति के आधार पर विभेद से उत्पन्न होने वाले मानव अधिकारों के घोर प्रत्याख्यानों से मानव जाति के अन्त:करण को आघात पहुंचता है और उससे विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की अधारशिलाएं संकट में पड़ जाती हैं।

12. आर्थिक रूप से विकसित और विकासशील देशों के बीच बढ़ती हुई खाई से अन्तरराष्ट्रीय समुदाय में मानव अधिकारों को प्राप्त करने में बाधा पहुंचती है। विकास दशक की अपने मर्यादित उद्देश्यों की पूर्ति में असफलता प्रत्येक राष्ट्र के लिए यह और भी अनिवार्य बना देती है कि वे अपनी क्षमताओं के अनुसार इस खाई को पाटने के लिए अधिकतम संभव प्रयास करे।

13. मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रताएं अविभाज्य हैं अत: आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक अधिकारों के उपभोग के बिना सिविल और राजनीतिक अधिकारों को पूर्णरूप से प्राप्त कर लेना असंभव है। मानव अधिकारों के क्रियान्वयन में स्थायी प्रगति प्राप्त करना, आर्थिक और सामाजिक विकास की ठीक और प्रभावी राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय नीतियों पर आश्रित है।

14. विश्वभर में सत्तर करोड़ से अधिक निरक्षरों का होना संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के और मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के उपबंधों के लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के सभी प्रयासों में बहुत बड़ी बाधा है। इस पृथ्वी से निरक्षरता का उन्मूलन करने और सभी स्तरों पर शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अन्तरराष्ट्रीय कार्रवाई पर अत्यावश्यक रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

15. विभेद को, जिसकी महिलाएं विश्व के विभिन्न प्रदेशों में अभी तक शिकार हैं, समाप्त किया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए निम्नस्तर प्रास्थिति संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के उपबंधों के प्रतिकूल है। महिलाओं के विरुद्ध विभेद के विलोपन पर घोषणा का पूर्णरूपेण क्रियान्वयन मानवजाति की प्रगति के लिए आवश्यक है,

16. कुटुम्ब और बालक का संरक्षण अन्तरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता का विषय बना हुआ है। माता-पिता को अपने बालकों की संख्या और उनके जन्म के बीच अन्तराल का अबाध और उत्तरदायी रूप से विनिश्चय करने का बुनियादी मानव अधिकार है,

17. युवा पीढ़ी की एक ऐसे बेहतर विश्व की जिसमें मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं को पूर्णरूपेण क्रियान्वित किया जाता है, आकांक्षाओं को उच्चतम प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मानवजाति के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने में युवाओं का भाग लेना अनिवार्य है।

18. आधुनिक वैज्ञानिक खोजों और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगतियों ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए विशाल संभावनाएं खोल दी हैं। फिर भी ऐसे विकासों से व्यक्तियों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रताएं संकट में पड़ सकती हैं और उन पर निरंतर ध्यान रखना होगा।

19. निरस्त्रीकरण से अत्यधिक मानव और वस्तु संसाधन, जो इस समय सैनिक प्रयोजनों के लिए समर्पित हैं, मुक्त हो जाएंगे। इन संसाधनों का उपयोग मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं की अभिवृद्धि के लिए किया जाना चाहिए। सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण सभी व्यक्तियों की एक उच्चतम आकांक्षा है,

अत: मानव अधिकारों पर अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन,

1. मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा तथा इस क्षेत्र में अन्य अन्तरराष्ट्रीय लिखतों के सिद्धांतों में अपने विश्वास की अभिपुष्टि करते हुए,

2. सभी लोगों और सरकारों से आग्रह करता है कि वे मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में सन्निविष्ट सिद्धांतों के प्रति स्वयं को समर्पित करें तथा सभी मानव प्राणियों के लिए स्वतंत्रता और गरिमा के अनुरूप और भौतिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक कल्याण के लिए सहायक जीवन की व्यवस्था करें।

3

वियना उद्घोषणा और कार्य-योजना*

विश्व मानव अधिकार सम्मेलन

यह विचार करके कि मानव अधिकारों का प्रोन्नयन और संरक्षण एक ऐसा विषय है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए पूर्विकता दी जानी चाहिए और यह कि सम्मेलन अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार प्रणाली का, और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए स्थापित तंत्र का, इस उद्देश्य से व्यापक विश्लेषण करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है कि उन अधिकारों के न्यायोचित और सन्तुलित ढंग से अनुपालन में वृद्धि हो और फलत: उनका उन्नयन हो।

यह मानकर और पुष्ट करके कि सभी मानव अधिकारों का स्रोत, मानव में अन्तर्निहित उसकी गरिमा और महत्व है, और मानव ही, मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं का केन्द्र है, परिणामत: मानव ही उनका प्रधान हिताधिकारी है और उसे, इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं के आपन के लिए सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में अन्तर्विष्ट प्रयोजनों और सिद्धान्तों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पुन: अभिपुष्ट करके,

संयुक्त और पृथक रूप से कार्रवाई करने की बाबत संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 56 में अन्तर्विष्ट प्रतिबद्धता को पुन: पुष्ट करके, अनुच्छेद 55 में उपवर्णित प्रयोजनों की प्राप्ति के लिए प्रभावी अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के विकास पर उचित बल देकर, जिसके अन्तर्गत सभी के लिए मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति विश्वव्यापी सम्मान और उनका पालन भी है,

मूलवंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किए बिना, सभी के लिए मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के लिए सम्मान, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार विकसित और प्रोत्साहित करने के लिए सभी राज्यों के दायित्वों पर जोर देकर,

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की प्रस्तावना को, विशिष्टत: मूल मानव अधिकारों के प्रति, मानव की गरिमा और महत्व के प्रति, पुरुषों और स्त्रियों तथा बड़े और छोटे राष्ट्रों के समान अधिकारों के प्रति निष्ठा को, पुन: पुष्ट करने के निश्चय को, स्मरण करके,

आने वाली पीढ़ियों की युद्ध की ज्वाला से रक्षा करने के लिए, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए, जिनके अधीन संधियों और अन्तरराष्ट्रीय विधि के अन्य स्रोतों से उद्भूत होने वाले दायित्वों के प्रति न्याय और सम्मान बनाए रखा जा सके, व्यापकतर स्वतंत्रता में सामाजिक प्रगति और जीवन स्तर की अभिवृद्धि के लिए, सहिष्णुता का आचरण करने और अच्छे पड़ोसियों की भांति एक दूसरे के साथ मिलकर शांतिपूर्वक रहने के लिए और सभी व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अन्तरराष्ट्रीय तंत्र नियोजित करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की प्रस्तावना में अभिव्यक्त निश्चय को स्मरण करते हुए,

---

*मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अंगीकार किये जाने के पैंतालीस वर्ष के पश्चात और मानव अधिकारों पर तेहरान अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पच्चीस वर्ष पश्चात, महासभा ने, 14 जून से 25 जून 1993 तक वियना में, मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन, इस उद्देश्य से आयोजित किया कि उसमें मानव अधिकारों के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके और इस क्षेत्र में आगे प्रगति के मार्ग में आने वाली बाधाओं की पहचान की जा सके और उन्हें दूर करने के साधन तलाश किये जा सकें। वियना उद्घोषणा और कार्य-योजना द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के प्रोन्नयन और संरक्षण के लिए कार्रवाई उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार कि वह सिविल और राजनीतिक अधिकारों के मामले में है।

इस बात पर जोर देकर कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, जिसके द्वारा सभी व्यक्तियों और सभी राष्ट्रों के लिए प्राप्य सामान्य मानक प्रतिपादित किए गए हैं, प्रेरणा की एक स्रोत है और विद्यमान अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार विषयक लिखतों में, विशिष्टत: अन्तर्राष्ट्रीय सिविल और राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा तथा अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा में, यथा अन्तर्विष्ट मानक स्थापन में विकास की बाबत संयुक्त राष्ट्र के लिए एक आधार रहा है।

इस बात पर विचार करते हुए कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में समाविष्ट सिद्धान्तों पर आधारित एक अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए सभी व्यक्तियों की आकांक्षाओं में और अन्तरराष्ट्रीय दृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, जिनके अन्तर्गत, सभी के लिए मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान तथा व्यक्तियों के समान अधिकारों और आत्म-निर्णय के सिद्धान्त के प्रति सम्मान का तथा शांति, प्रजातंत्र, न्याय, समता, विधि शासन, बहुलवाद, विकास, रहन-सहन के बेहतर मानक और एकता का प्रोन्नयन और प्रोत्साहन भी है,

विभेद और हिंसा के विद्यमान विभिन्न रूपों के कारण, जिनके लिए स्त्रियों को विश्व में सर्वत्र निशाना बनाया जाता रहा है, गंभीर रूप से चिन्तित होकर,

यह मानकर कि मानव अधिकारों के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के क्रियाकलाप युक्तियुक्त और विस्तृत बनाए जाने चाहिए, जिससे कि इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के तंत्र को मजबूत किया जा सके और अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार विषयक मानकों के पालन के लिए सार्वभौम सम्मान की प्राप्ति को गति दी जा सके,

ट्यूनिस, सेन जोसी और बैंकाक में हुए तीन प्रादेशिक अधिवेशनों में अंगीकृत घोषणाओं को तथा सरकारों द्वारा किए गए योगदानों को ध्यान में रखते हुए और अन्तर-सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा दिए गए सुझावों तथा उस प्रारंभिक प्रक्रिया के दौरान, जिसकी परिणति विश्व मानव अधिकार सम्मेलन था, स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गये अध्ययनों को, ध्यान में रखकर,

सभी मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं का उनके द्वारा उपभोग सुनिश्चित करने के लिए और उनकी संस्कृति तथा पहचान के महत्व और विविधताओं का सम्मान करने के लिए, अन्तरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता कां पुष्टि के रूप में, विश्व देशज लोग, 1993 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का स्वागत करते हुए,

यह भी मानकर कि अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को, सभी मानव अधिकारों के पूर्णत: आपन के मार्ग में आने वाली वर्तमान बाधाओं को दूर करने तथा चुनौतियों को स्वीकारने और विश्व में सर्वत्र मानव अधिकारों के हनन की निरंतरता को रोकने के लिए, उपाय एवं साधन जुटाने चाहिए,

वर्तमान काल की भावना और वास्तविकताओं का आह्वान करके, जो विश्व मानव से तथा संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों से, सभी मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रोन्नयन और संरक्षण के सार्वभौमिक कार्य के प्रति स्वयं के समर्पण की इस उद्देश्य से मांग करते हैं, कि इन अधिकारों का पूर्णत: और सार्वभौमिक उपभोग हो सके,

अन्तरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता में इस उद्देश्य से एक और कदम बढ़ाने का निश्चय करके कि अन्तरराष्ट्रीय सहयोग और एकता के वर्धित और सतत् प्रयत्नों द्वारा मानव अधिकार विषयक प्रयासों में सारभूत प्रगति हो,

सत्यनिष्ठा से वियना घोषणा और कार्य-योजना अंगीकार करते हैं।

I

1. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, मानव अधिकार संबंधी सभो लिखतों तथा अन्तरराष्ट्रीय विधि के अनुसार, सभी के लिए समस्त मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के लिए विश्वभर में सम्मान बढ़ाने और उनके पोषण तथा संरक्षण की बाबत अपनी बाध्यताओं के निर्वहन के लिए, सभी राज्यों की सत्यनिष्ठ प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।

इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सार्वभौमिक प्रकृति पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता है।

इस संरचना के अंतर्गत, संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों की पूणत: सिद्धि के लिए, मानव अधिकारों के क्षेत्र में अन्तग्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि अत्यावश्यक है,

मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रताएं, सभी मानवों के जन्मसिद्ध अधिकार हैं, उनका संरक्षण और प्रोन्नयन सरकारों की प्रथम जिम्मेदारी है।

2. सभी को आत्मनिर्णय का अधिकार है। इस अधिकार के आधार पर वे अपनी राजनीतिक प्रास्थिति स्वतंत्रतापूर्वक तय करते हैं और अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में स्वतंत्रतापूर्वक संलग्न रहते हैं।

उपनिवेश या किसी अन्य प्रकार के विदेशी आधिपत्य या विदेशी अधिभोग के अधीन लोगों की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखते हुए, विश्व मानव अधिकार सम्मेलन लोगों के, आत्मनिर्णय करने के असंक्राम्य अधिकार के आपन के लिए, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार, कोई भी विधि-सम्मत कार्रवाई कर सकने के, अधिकार को मान्यता देता है। विश्व मानव अधिकार सम्मेलन आत्मनिर्णय के अधिकार से इंकार करने को, मानव अधिकारों का अतिक्रमण मानता है और इस अधिकार के प्रभावी आपन के महत्व को क्षीण करता है।

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार राज्यों के बीच मैत्री संबंध और सहयोग विषयक अन्तरराष्ट्रीय विधि के सिद्धान्त से संबंधित घोषणा का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसी किसी कार्रवाई को प्राधिकृत या प्रोत्साहित करती है, जिससे उन प्रभुतासम्पन्न और स्वतंत्र राज्यों की, राज्यक्षेत्रीय अखण्डता या राजनीतिक एकता पूर्णत: या भागत: विखण्डित या ह्रासित होती हो, जो लोगों के समान अधिकारों और आत्मनिर्णय करने के सिद्धान्त का पालन करते हुए उनकी सरकार किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना किसी राज्य क्षेत्र के समस्त लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार बन जाती है।

3. मानव अधिकार विषयक मानकों के कार्यान्वयन की गारण्टी और मानीटरन के लिए, कारगर उपाय उन व्यक्तियों के संबंध में किये जाने चाहिए जो विदेशी अधिभोगाधीन हैं और उनके मानव अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी विधिक संरक्षण की व्यवस्था, मानव अधिकार सिद्धान्तों और अन्तरराष्ट्रीय विधि के अनुसार, विशिष्टत: 14 अगस्त, 1949 के युद्धकाल में सिविलियन व्यक्तियों के संरक्षण विषयक जेनेवा कनवेंशन और मानवीय विधि में लागू होने वाले अन्य सिद्धान्तों के अनुसार, की जानी चाहिए।

4. सभी मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के उन्नयन और संरक्षण को, संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजनों और सिद्धान्तों के, विशिष्टत: अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रयोजन के अनुसार संयुक्त राष्ट्र का पूर्विकता वाला उद्देश्य समझा जाना चाहिए। इन प्रयोजनों और सिद्धान्तों की परिधि में, सभी मानव अधिकारों का प्रोन्नयन और संरक्षण, अन्तरराष्ट्रीय विधि का एक विधि सम्मत विषय है। अत: मानव अधिकारों से संबंधित स्थापनों और विशिष्ट अभिकरणों को अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार विषयक विलेख के सतत और वस्तुपरक निष्पादन पर आधारित अपने क्रियाकलापों के समन्वय में वृद्धि करनी चाहिए।

5. सभी मानव अधिकार, सार्वभौमिक, अविभाज्य और परस्पर आश्रित और अन्तरसंबंधित हैं। अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को मानव अधिकारों को निष्पक्ष और समता की दृष्टि से सार्वभौमिक मानना चाहिए तथा उनका आधार और बल भी समान मानना चाहिए। यद्यपि राष्ट्रीय और प्रादेशिक विशिष्टताओं को और विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि के महत्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए, तथापि अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पद्धतियों के अनपेक्षत:, राज्यों का कर्त्तव्य है कि वे सभी मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं का प्रोन्नयन और संरक्षण करें।

6. सभी के लिए मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के सार्वभौम सम्मान और पालन के प्रति संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के प्रयासों का, राष्ट्रों के बीच शान्तिपूर्ण और मैत्री संबंधों के लिए आवश्यक स्थायित्व और कल्याण में तथा शान्ति, सुरक्षा एवं सामाजिक और आर्थिक विकास की स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

7. मानव अधिकारों के प्रोन्नयन और संरक्षण की प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के प्रयोजनों एवं सिद्धान्तों के और अन्तरराष्ट्रीय विधि के, अनुरूप होना चाहिए।

8. प्रजातन्त्र और मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के विकास और उनके प्रति सम्मान, अन्योन्याश्रित और एक-दूसरे को बल देने वाले हैं। प्रजातन्त्र लोगों की स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त इस इच्छा पर आधारित है कि वे अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों का अवधारण स्वयं करेंगे और अपने जीवनों के सभी पक्षों में पूर्ण भागीदारी करेंगे। उपरोक्त के संदर्भ में, राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं का उन्नयन और संरक्षण अशर्त रूप में सार्वभौमिक होना चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को, विश्व में सर्वत्र प्रजातन्त्र के दृढ़ीकरण और प्रोन्नयन को, तथा मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के विकास और सम्मान को, समर्थन देना चाहिए।

9. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन पुन: पुष्ट करता है कि उन न्यूनतम विकसित देशों को, जिनमें से अनेकों देश अफ्रीका में हैं, जो प्रजातन्त्रीकरण और आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध हैं, अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को समर्थन देना चाहिए जिससे कि ऐसे देश स्वयं को प्रजातन्त्र में संपरिवर्तित कर सकें और अपना आर्थिक विकास कर सकें।

10. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन विकास करने के अधिकार को, विकास के अधिकार की घोषणा में वर्णित रूप में, सार्वभौमिक और असंक्राम्य अधिकार मानता है और मूल मानव अधिकारों का अभिन्न अंग स्वीकारता है।

जैसाकि विकास के अधिकार की घोषणा में कहा गया है, मानव देह, विकास का मुख्य विषय है।

जहां विकास, सभी मानव अधिकारों के उपभोग को सुकर बनाता है वहीं विकास की कमी को, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यताप्राप्त मानव अधिकारों के न्यूनन के लिए औचित्य नहीं माना जा सकता है।

विकास सुनिश्चित करने और उसमें आने वाली रुकावटों को दूर करने में राज्यों को परस्पर सहयोग करना चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को चाहिए कि वह, विकास करने के अधिकार के आपन के लिए प्रभावी अन्तरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे और विकास के मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करे।

विकास के अधिकार के कार्यान्वयन में स्थायी प्रगति के लिए यह अपेक्षित है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी नीतियों का अनुसरण हो और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर साम्यपूर्ण आर्थिक संबंध और लाभप्रद आर्थिक पर्यावरण पैदा किया जाए।

11. विकास के अधिकार की पूर्ति इस प्रकार हो कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों की विकास और पर्यावरण संबंधी आवश्यकताओं की, साम्यपूर्ण ढंग से पूर्ति हो जाए। विश्व मानव अधिकार सम्मेलन यह मानता है कि विषैले और खतरनाक पदार्थों और अपशिष्टों का डम्पन, प्रत्येक व्यक्ति के, जीवन और स्वास्थ्य विषयक, मानव अधिकारों के लिए एक संभावित गंभीर खतरा है।

परिणामत:, विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, सभी राज्यों से अनुरोध करता है कि वे, विषैले और खतरनाक उत्पादों और अपशिष्टों के डम्पन से संबंधित विद्यमान कनवेंशनों को अंगीकार करें और उनके कार्यान्वयन के लिए कारगर कदम उठाएं और अवैध डम्पन को रोकने में सहयोग दें।

प्रत्येक व्यक्ति को, वैज्ञानिक प्रगति और उसके उपयोग के फायदों का लाभ उठाने का अधिकार है। विश्व मानव अधिकार सम्मेलन ने यह देखा है कि कुछ विकासों का, विशिष्टत: जैव-चिकित्सा और जीव-विज्ञान तथा सूचना तकनीक विषयक विकासों के परिणाम, व्यक्ति के मानव अधिकारों, गरिमा और अखण्डता के लिए कदाचित प्रतिकूल हो सकते हैं। सम्मेलन यह सुनिश्चित करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय सहयोग की मांग करता है कि सार्वभौमिक आशंका के इस क्षेत्र में मानव अधिकार और गरिमा का पूर्णत: सम्मान किया जाए।

12. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि वह ऐसे सभी प्रयत्न करे जिससे कि विकासशील देशों के विदेशी ऋणों का भार कम हो और ऐसे देशों की सरकारों के अपने समाज के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के पूर्णत: आपन के लिए किये जाने वाले प्रयत्नों की अनुपूर्ति हो।

13. इस बात की आवश्यकता है कि राज्य और अन्तरराष्ट्रीय संगठन, गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से, मानव अधिकारों का पूर्ण और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय, प्रादेशिक और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर लाभप्रद परिस्थितियां सृजित करें राज्यों को मानव अधिकारों के सभी अतिक्रमणों, उनके कारणों और इन अधिकारों के उपभोग में आने वाली रुकावटों को, दूर करना चाहिए।

14. विद्यमान अत्यधिक निर्धनता, मानव अधिकारों के प्रभावी उपभोग को अवरुद्ध करती है, उसका तत्काल उन्मूलन और संभाव्य निष्कासन, अन्तरराष्ट्रीय समुदाय की, उच्च पूर्विकता रहेगी।

15. मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति, कोई भेदभाव किए बिना, सम्मान, अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार विषयक विधि का मूल नियम है। मूलवंशवाद और मूलवंशीय विभेद, विदेशी द्वेष और तत्संबंधी असहिष्णुता का, सभी रूपों में बड़े पैमाने पर और त्वरित रूप से उन्मूलन करना, अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के लिए, पूर्विकता का महत कार्य है। सरकारों को उन्हें रोकने और उनसे लड़ने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए। समूहों, संस्थाओं, अन्तर-सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों से अनुरोध किया जाता है कि वे इन बुराइयों के विरुद्ध अपने क्रियाकलापों में सहयोग और समन्वय विषयक अपने प्रयत्नों को तीव्र करें।

16. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, रंगभेद को उखाड़ फेंकने के कार्य में हुई प्रगति का स्वागत करता है और इस प्रयोजन में सहायता करने के लिए, अन्तरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र पद्धति का आह्वान करता है।

विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, रंगभेद के शान्तिपूर्ण विघटन के लिए खोज को विलुप्त करने के उद्देश्य से किये जा रहे हिंसक कार्यों के लिए खेद प्रकट करता है।

17. सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के कार्य, पद्धतियां और व्यवहार, साथ ही, औषधि दुर्व्यापार से कुछ देशों से अनुबंध, ऐसे क्रियाकलाप हैं, जिनका उद्देश्य मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं तथा प्रजातन्त्र को नष्ट करना है। उनसे राज्यक्षेत्रीय अखण्डता, राज्य की सुरक्षा और विधित: गठित सरकारों के स्थायित्व को खतरा पैदा होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को यथावश्यक ऐसे कदम उठाने चाहिएं जिससे कि आतंकवाद को रोकने और उससे लड़ने के लिए सहयोग को बढ़ावा मिले।

18. स्त्रियों और लड़कियों के मानव अधिकार, सार्वभौम मानव अधिकारों का असंक्राम्य, अभिन्न और अविभाज्य भाग है। स्त्रियों को राजनीतिक, सिविल, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में राष्ट्रीय, प्रादेशिक और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण और समान भागीदारी और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के विभेद का उन्मूलन, अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के पूर्विकता प्राप्त उद्देश्य हैं।

लिंग आधारित हिंसा और सभी प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न और शोषण, जिनके अन्तर्गत, सांस्कृतिक पूर्वग्रह और अन्तरराष्ट्रीय दुर्व्यापार भी हैं, मानव शरीर की गरिमा और महत्व की दृष्टि से, असंगत हैं, अत: उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति, ऐसे क्षेत्रों में, जैसे आर्थिक और सामाजिक विकास, शिक्षा, सुरक्षित-मातृत्व और स्वास्थ्य-देखभाल और सामाजिक समर्थन के क्षेत्र में विधिक उपाय करके और राष्ट्रीय कार्रवाई के माध्यम से तथा अन्तरराष्ट्रीय सहयोग से हो सकती है।

स्त्रियों के मानव अधिकार, संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार विषयक क्रियाकलापों जिनके अन्तर्गत स्त्रियों से संबंधित, सभी मानव अधिकारों की लिखतों का प्रोन्नयन भी है, अभिन्न अंग होने चाहिए।

विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, सरकारों, संस्थाओं, अन्तर-सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों से अनुरोध करता है कि वे, स्त्रियों और लड़कियों के मानव अधिकारों के उन्नयन और संरक्षण के लिए अपने प्रयत्न तीव्र कर दें।

19. अल्पसंख्यकों के व्यक्तियों के अधिकारों के प्रोन्नयन और संरक्षण के महत्व को ध्यान में रखते हुए और उन राज्यों की, जिनमें वे रहते हैं, राजनीतिक और सामाजिक स्थायित्व के रखकर प्रोन्नयन और संरक्षण के योगदान को ध्यान में रखकर,

विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, राज्यों की यह सुनिश्चित करने की बाध्यता को पुन: पुष्ट करता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति, बिना किसी विभेद के, सभी मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं का प्रयोग पूर्णत: और कारगर रूप में, और राष्ट्रीय या नृजातीय, धार्मिक और भापायी अल्पसंख्यक व्यक्तियों के अधिकारों पर घोषणा के अनुसार, विधि के समक्ष पूर्ण समानता के आधार पर, कर सकेंगे।

अल्पसंख्यक व्यक्तियों को स्वतंत्र और अबाध रूप में तथा किसी विभेद के बिना, अपनी संस्कृति का लाभ उठाने, अपने धर्म का पालन और प्रचार करने और अपनी भाषा निजी या सार्वजनिक रूप में, प्रयोग करने का अधिकार है।

20. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, समाज की विविधता और विकास के लिए देशवासियों की अन्तर्निहित गरिमा और उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता देता है और उनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कल्याण के लिए अन्तरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता को और उनके सतत विकास के फलों के उपभोग को पुन: पुष्ट करता है। राज्यों को, समाज के सभी पक्षों में देशवासियों की विशिष्टत: उनसे संबंधित विषयों में पूर्ण और अबाध भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। देशवासियों के अधिकारों के प्रोन्नयन और संरक्षण के महत्व को और ऐसे राज्यों के, जिनमें ऐसे देशवासी रहते हैं, राजनीतिक और सामाजिक स्थायित्व के ऐसे संरक्षण और प्रोन्नयन के योगदान के महत्व को समझते हुए, राज्यों को अन्तरराष्ट्रीय विधि के अनुसार विभेदहीन समानता के आधार पर, देशवासियों के सभी मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के लिए सम्मान सुनिश्चित करने के लिए, संगठित सकारात्मक कदम उठाने चाहिए और उनकी सुभिन्न पहचान, संस्कृति और सामाजिक संगठन के मूल्य और विविधता को मान्यता देनी चाहिए।

21. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, बड़ी संख्या में, बालक के अधिकारों पर कनवेंशन के पूर्वोत्तर अनुसमर्थन का स्वागत करते हुए और विश्व बाल शिखर द्वारा अंगीकृत विश्व बाल उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास पर घोषणा और कार्ययोजना में बालकों के मानव अधिकारों की मान्यता को ध्यान में रखते हुए, 1995 तक कनवेंशन के सार्वभौमिक अनुसमर्थन का और सभी आवश्यक विधायी, प्रशासनिक और अन्य उपायों को अंगीकार करके पक्षकार राज्यों द्वारा प्रभावी कार्यान्वयन और उपलब्ध साधनों के अधिकतम आवंटन का, अनुरोध करता है। बालकों से संबंधित सभी कार्रवाइयों में, विभेदमुक्त और बालक के सर्वोत्तम हित को सर्वाधिक महत्व और बालकों के दृष्टिकोण को सम्यक प्रधानता दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय तंत्र तथा कार्यक्रम को, बालकों के, विशिष्टत: लड़कियों, त्यजित बालकों, बेघर बालकों, आर्थिक और लैंगिक दृष्टि से शोषित बालकों, जिनके अन्तर्गत बालक के माध्यम से अश्लील साहित्य बनाना भी है। बाल वेश्यावृत्ति या अंग विक्रय, रोगग्रसित बालकों, जिसके अन्तर्गत अर्जित प्रतिरक्षाकर्मी सिन्ड्रोम भी है, शरणार्थी और विस्थापित बालकों, निरुद्ध बालकों, सशस्त्र विरोध में फंसे बालकों और अकाल तथा सूखे और अन्य आपदाओं के शिकार बालकों की संरक्षा और प्रतिरक्षा के लिए प्रबलित किया जाना चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय सहयोग और एकता को, कनवेंशन के कार्यान्वयन के समर्थन के लिए, प्रोन्नत किया जाना चाहिए और बालक के अधिकारों को, मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के समग्र कार्यों में पूर्विकता मिलनी चाहिए।

विश्व मानव अधिकार सम्मेलन ने इस बात पर भी जोर दिया कि बालक के पूर्ण और सुव्यवस्थित विकास के लिए आवश्यक है कि उसका विकास पारिवारिक पर्यावरण में हो जहां उसे अधिक संरक्षण मिल सकता है।

22. विशेष ध्यान यह सुनिश्चित करने पर दिया जाना चाहिए कि नि:शक्त व्यक्तियों के साथ कोई विभेद न हो और वे सभी मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं का उपभोग समान रूप से कर सकें तथा समाज के प्रत्येक क्रियाकलाप में सक्रिय भाग ले सकें।

23. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन यह पुन: पुष्ट करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, किसी भी प्रकार का भेद किए बिना, सताये जाने से बचने के लिए अन्य देशों में शरण लेने और उसका उपभोग करने का और स्वदेश लौटने का भी अधिकार होना चाहिए। इस संबंध में सम्मेलन में विश्व मानव अधिकार पर घोषणा शरणार्थियों की प्रास्थिति विषयक कन्वेंशन, 1951, उसके 1967 के प्रोटोकोल और प्रादेशिक लिखतों पर विशेष बल दिया गया। उसमें से उन राज्यों की जो, अपने राज्यक्षेत्रों में बड़ी संख्या में शरणार्थियों को प्रवेश और आतिथ्य देते आ रहे हैं तथा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग के कार्यालय की भी उसके इस महती कार्य के लिए समर्पण भावना के लिए, प्रशंसा की गई। उसने निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और संकर्म अभिकरण की भी सराहना की।

विश्व मानव अधिकार सम्मेलन यह मानता है कि मानव अधिकारों के घोर अतिक्रमण, जिसके अन्तर्गत सशस्त्र विरोध में ऐसा अतिक्रमण भी है, ऐसा बहुआयामी एवं जटिल हेतुक है जिनके कारण लोग विस्थापित होते हैं।

विश्व मानव अधिकार सम्मेलन यह मानता है कि सार्वभौमिक शरणार्थी संकट की जटिलताओं को और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, सुसंगत अन्तरराष्ट्रीय लिखतों और अन्तरराष्ट्रीय एकता के अनुसार, और भार विभाजन की भावना से अन्तरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा संबंधित देशों और सुसंगत संगठनों के समन्वय और सहयोग से इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग के आदेशों को ध्यान में रखते हुए, एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। इसके अन्तर्गत, शरणार्थियों और अन्य विस्थापित व्यक्तियों के संचलन के मूल कारणों और प्रभाव को समझने के लिए रणनीति तैयार करना, आपात तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत बनाना, स्त्रियों और बालकों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रभावी संरक्षण और सहायता की व्यवस्था करना तथा प्रधानत: गरिमामय और सुरक्षित स्वैच्छिक स्वदेश वापसी के अधिमानी समाधानों के, जिनके अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय शरणार्थी सम्मेलन द्वारा अंगीकृत समाधान भी है, कोई स्थायी समाधान निकालना भी है। विश्व मानव अधिकार सम्मेलन में राज्यों की वे जिम्मेदारियां, विशिष्टत: मूलदेश से संबंधित, बताई गई हैं।

उक्त व्यापक दृष्टिकोण के प्रकाश में, विश्व मानव अधिकार सम्मेलन ने, आन्तरिक रूप में विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित प्रश्नों पर, जिनके अन्तर्गत उनकी स्वैच्छिक और सुरक्षित वापसी और पुनर्वास का प्रश्न भी है, विशेष ध्यान देने, जिसके अन्तर्गत अन्तर-सरकारी और मानव संगठनों के माध्यम से ध्यान देना भी है, के महत्व पर बल दिया है।

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और मानव-विधि के सिद्धान्तों के अनुसार विश्व मानव अधिकार सम्मलेन ने सभी प्राकृतिक और मानवकृत आपदाओं में आहत लोगों को दी जाने वाली मानवीय सहायता के महत्व और आवश्यकता पर बल दिया है।

24. उन व्यक्तियों के, जो किसी ऐसे समूह के हैं जो अतिसंवेदनशील हो गए हैं और जिनके अन्तर्गत प्रवासी कर्मकार भी हैं, मानव अधिकारों के प्रोन्नयन और संरक्षण को, उनके विरुद्ध सभी प्रकार के विभेदों के उन्मूलन को और मानव अधिकार विषयक विद्यमान लिखतों के प्रवलन और अधिक प्रभावी कार्यान्वयन को, अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। राज्यों की बाध्यता है कि वे अपनी आबादी के संवेदनशील सेक्टरों के व्यक्तियों के अधिकारों के प्रोन्नयन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, विशिष्टत: शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक समर्थन के क्षेत्रों में, पर्याप्त उपाय करें और उन्हें कायम रखें और उनमें से ऐसे व्यक्तियों की, जो अपनी समस्या के समाधान निकालने में रुचि रखते हैं, इस बाबत भागीदारी सुनिश्चित करें।

25. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन यह पुष्ट करता है कि अत्यधिक निर्धनता और सामाजिक अपवर्जन से मानव की गरिमा का हनन होता है और यह कि अत्यधिक निर्धनता और उसके कारणों, जिनके अन्तर्गत विकास की समस्या से संबंधित कारण भी हैं, की बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए अत्यावश्यक कदम उठाना अनिवार्य है जिससे कि निर्धनतम व्यक्तियों के मानव अधिकारों की प्रोन्नति हो सके और अत्यधिक निर्धनता और सामाजिक अपवर्जन को समाप्त किया जा सके और सामाजिक प्रगति के फलों का उपभोग बढ़ाया जा सके। राज्यों के लिए यह अत्यावश्यक है कि वे समुदाय की निर्णय प्रक्रिया में ऐसे निर्धनतम व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ाएं जो ऐसे समुदाय में रहते हैं। राज्यों का यह भी दायित्व है कि वे मानव अधिकारों की प्रोन्नति करें और अत्यधिक निर्धनता को दूर करें।

26. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, मानव अधिकार लिखतों के संहिताबद्ध किए जाने की दिशा में की गई प्रगति का स्वागत करता है। संहिताकरण की प्रक्रिया एक गतिशील और विकासशील प्रक्रिया है। सम्मेलन का यह भी अनुरोध है कि मानव अधिकार लिखतों का

सार्वभौमिक अनुसमर्थन होना चाहिए। सभी राज्यों को ये अन्तरराष्ट्रीय लिखत स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सभी राज्यों को आरक्षणों से बचने के लिए अनुरोध किया गया है।

27. प्रत्येक राज्य को मानव अधिकारों की बाबत शिकायतों या अतिक्रमणों को दूर करने के लिए उपचारों के लिए एक प्रभावी तंत्र की व्यवस्था करनी चाहिए। न्याय-प्रशासन, जिसके अन्तर्गत विधि-प्रवर्तन और अभियोजन अभिकरण और विशिष्टत: अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार-लिखतों में अंतर्विष्ट प्रयोज्य मानकों के पूर्ण अनुसार, स्वतंत्र न्यायपालिका और विधि-वृत्ति भी है, मानव अधिकारों के विभेद किए बिना उनके पूर्णत: आपन के लिए अत्यावश्यक है और वह प्रजातंत्र तथा सतत विकास के लिए अपरिहार्य है। इस संदर्भ में न्याय-प्रशासन से संबंधित संस्थाएं, उचित रूप में वित्त पोषित होनी चाहिएं और अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को उच्चस्तर की तकनीकी और वित्तीय सहायता की व्यवस्था करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के लिए यह आबद्धकर है कि वे स्वतंत्र और मजबूत न्याय-प्रशासन की प्राप्ति के लिए पूर्विकता के आधार पर सलाह सेवाओं के विशेष कार्यक्रमों का लाभ उठाएं।

28. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन मानव अधिकारों के व्यापक रूप में अतिक्रमण के लिए विशिष्टत: जातिसंहार, ''नृजातीय-परिमार्जन'' और युद्धस्थितियों में स्त्रियों के क्रमिक बलात्कार, शरणार्थियों और विस्थापित व्यक्तियों के बड़ी संख्या में प्रस्थान के रूप में अतिक्रमण के लिए अपनी निराशा व्यक्त करता है। ऐसे घृणित व्यवहारों की घोर निन्दा करते हुए सम्मेलन, अपनी इस मांग को दोहराता है कि ऐसे अपराध करने वालों को दण्डित किया जाए और ऐसे व्यवहारों को तुरन्त बन्द किया जाए।

29. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन को इस बात पर गंभीर खेद है कि अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार विषयक लिखतों और अन्तरराष्ट्रीय मानव विधि में अंतर्विष्ट मानकों की अवहेलना करते हुए विश्व में सर्वत्र मानव अधिकारों का अतिक्रमण जारी है और उनसे आहत व्यक्तियों को पर्याप्त और प्रभावी उपचार उपलब्ध नहीं हो रहे हैं।

विश्व मानव अधिकार सम्मेलन को इस बाबत गंभीर चिंता है कि सशस्त्र विरोधों के दौरान मानव अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है जिनसे सिवीलियन आबादी, विशिष्टत: स्त्रियां, बालक, वृद्ध और नि:शक्त व्यक्ति, प्रभावित हो रहे हैं। अत: सम्मेलन राज्यों से और सशस्त्र विरोधों के सभी पक्षकारों से मांग करती है कि वे जेनेवा कनवेंशन, 1949 और अन्तरराष्ट्रीय विधि के अन्य नियमों और सिद्धान्तों का एवं मानव अधिकारों के संरक्षण विषयक न्यूनतम मानकों का, जैसे कि वे अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशनों में अधिकथित हैं, कठोरता से अनुपालन करें।

विश्व मानव अधिकार सम्मेलन उक्त आहतों के जेनेवा कनवेंशन, 1949 में और अन्तर्राष्ट्रीय मानव विधि के अन्य सुसंगत लिखतों में यथा उल्लिखित रूप में मानव संगठनों से सहायता पाने के अधिकार को पुन: पुष्ट करता है।

30. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, इस बाबत अपनी निराशा और भर्त्सना व्यक्त करता है कि विश्व के विभिन्न भागों में सभी मानव अधिकारों का घोर और क्रमिक अतिक्रमण हो रहा है और ऐसी परिस्थितियां, जिनमें सभी मानव अधिकारों के पूर्ण उपभोग के मार्ग में गंभीर बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे अतिक्रमणों और बाधाओं के अंतर्गत हैं, यंत्रणा और नृशंस, अमानवीय और अपमानजनक बर्ताव या दण्ड, संक्षिप्त और मनमाना मृत्यु दण्ड, लुप्त हो जाना, मनमाना विरोध, सभी प्रकार का मूलवंशवाद, मूलवंशीय विभेद और रंगभेद, विदेशी अधिभोग और अन्य देशीय आधिपत्य, विदेशी-द्वेष, निर्धनता, क्षुधा और आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का प्रत्याख्यान, धार्मिक असहिष्णुता, आतंकवाद, स्त्रियों के विरुद्ध विभेद और विधि के शासन की कमी।

31. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, राज्यों से मांग करता है कि वे अन्तरराष्ट्रीय विधि और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप ऐसा कोई एकपक्षीय उपाय न करें जिससे राज्यों के बीच व्यापार संबंधों में बाधा उत्पन्न होती हो और विश्व मानव अधिकार घोषणा तथा अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार विलेखों में विनिर्दिष्ट मानव अधिकारों के पूर्ण आपन में रुकावट पड़ती हो, विशिष्टत: स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर की बाबत प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार के, जिसके अन्तर्गत भोजन और स्वास्थ्य की देखभाल, आवासन और आवश्यक सामाजिक सेवाएं भी हैं, पूर्ण आपन में रुकावट पड़ती हो। विश्व मानव अधिकार सम्मेलन यह पुष्ट करता है कि भोजन को, राजनीतिक दबाव का एक उपकरण, नहीं बनाना चाहिए।

32. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, मानव अधिकारों से संबंधित विषयों के विचारण में सार्वभौमिकता, वस्तुपरकता, और अवरणशीलता सुनिश्चित करने के महत्व को पुन: पुष्ट करता है।

33. विश्व मानव अधिकार यह पुन: पुष्ट करता है कि राज्य, मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा, अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तरराष्ट्रीय कनवेंशन और अन्य अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार विलेखों में अनुध्यात रूप में, यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि शिक्षा का उद्देश्य मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के सम्मान को ओर दृढ़ करना है। विश्व मानव

अधिकार सम्मेलन इस बात पर जोर देता है कि मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रमों को अध्ययन के एक पाठ्य विषय के रूप में समाविष्ट कर लिया जाए और राज्यों से अनुरोध करता है कि वे ऐसा करें। शिक्षा का उद्देश्य, राष्ट्रों और सभी मूलवंशीय और धार्मिक समूहों के बीच समझदारी, सहिष्णुता, शान्ति और मैत्री संबंधों को प्रोन्नत करना और इन उद्देश्यों के अनुसरण में संयुक्त राष्ट्र के क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना होना चाहिए। अत: मानव अधिकार विषयक शिक्षा और उचित जानकारी का प्रसारण, सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों रूपों में, सभी व्यक्तियों की बाबत, जैसे मूलवंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर कोई विभेद किए बिना मानव अधिकारों के प्रोन्नयन और सम्मान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसे राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर शिक्षा नीति का अभिन्न अंग बना दिया जाना चाहिए। विश्व मानव अधिकार सम्मेलन समझता है कि साधन संबंधी बाध्यताएं और संस्थागत अपर्याप्तताएं, इन उद्देश्यों के तत्काल आपन में रुकावट डाल सकती हैं।

34. ऐसे देशों की सहायता के लिए वर्धित प्रयत्न किये जाने चाहिए जिनका अनुरोध ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए हो जिनमें प्रत्येक व्यक्ति सार्वभौम मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रताओं का उपभोग कर सके। सरकार संयुक्त राष्ट्र तंत्र तथा अन्य बहुपक्षीय संगठनों से अनुरोध है कि वे उन कार्यक्रमों के लिए आबंटित द्वाधनों में सारभूत वृद्धि करें, जिनका उद्देश्य, ऐसे राष्ट्रीय विधान, राष्ट्रीय संस्थाओं और संबंधित संगठनों का स्थापन और दृढ़ीकरण करना है, जो विधि-शासन और प्रजातंत्र, निर्वाचन विजयक सहायता और प्रशिक्षण, शिक्षण और शिक्षा द्वारा मानव अधिकारों के प्रति जागृति का, जन सहयोग तथा सभ्य समाज का समर्थन करते हैं।

मानव अधिकार केन्द्र के अधीन सलाह सेवाओं और तकनीकी सहयोग के कार्यक्रमों को अधिक स्फूर्ति प्रदान की जाए और उन्हें अधिक दक्ष एवं पारदर्शी बनाया जाए, जिससे कि वे मानव अधिकारों के प्रति सम्मान की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान कर सकें। राज्यों से मांग है कि वे संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में से वृहत्तर आवंटन करवा कर तथा स्वैच्छिक अभिदान प्राप्त करके, इन कार्यक्रमों में अपने योगदान में वृद्धि करें।

35. मानव अधिकारों के प्रोन्नयन और संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के क्रियाकलापों के पूर्णत: और प्रभावी कार्यान्वयन से मानव अधिकारों का वह उच्च महत्व प्रकट होना चाहिए जो उन्हें संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने दिया है तथा जिसकी मांग सदस्य राज्यों द्वारा यथा आदिष्ट संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार क्रियाकलापों ने की है। इस उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार क्रियाकलापों के लिए वर्धित साधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

36. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, मानव अधिकारों के प्रोन्नयन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा अदा की गई महत्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका को पुन: पुष्ट करता है, विशिष्टत: उस भूमिका को पुन: पुष्ट करता है जो उन्होंने, सक्षम प्राधिकारियों के सलाहकार की हैसियत से, मानव अधिकार के अतिक्रमणों को दूर करने में, मानव अधिकार सूचना के प्रसारण में और मानव अधिकार के शिक्षण में अदा की है।

विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, "राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रास्थिति विषयक सिद्धान्तों" को ध्यान में रखते हुए; राष्ट्रीय संस्थाओं के स्थापन और उन्हें शक्ति प्रदान करने को प्रोत्साहित करता है और यह मानता है कि प्रत्येक राज्य को ऐसा कोई तंत्र चुनने का अधिकार है जो, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं की दृष्टि से सर्वोत्तम है।

37. प्रादेशिक व्यवस्थाएं, मानव अधिकारों के प्रोन्नयन और संरक्षण में बुनियादी भूमिका अदा करती हैं। उन्हें अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार लिखतों में यथा अन्तर्विष्ट विश्व मानव अधिकारों को पुन: सशक्त करना चाहिए। विश्व मानव अधिकार सम्मेलन इन व्यवस्थाओं को शक्तिवान बनाने और उनका प्रभाव बढ़ाने के लिए किये जा रहे प्रयत्नों का समर्थन है और साथ ही संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार विषयक क्रियाकलापों के साथ सहयोग करने के महत्व पर बल देता है।

विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, मानव अधिकारों के प्रोन्नयन और संरक्षण के लिए प्रादेशिक और उप-प्रादेशिक व्यवस्थाएं, जहां वे पहले से ही विद्यमान नहीं हैं, स्थापित की जाने की सम्भावना पर विचार करने की आवश्यकता को दोहराता है।

38. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, राष्ट्रीय, प्रादेशिक और अन्तरराष्ट्रीय स्तरों पर, सभी मानव अधिकारों और मानवीय क्रियाकलापों के प्रोन्नयन में गैर-सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा करता है। विश्व मानव अधिकार सम्मेलन उनके उस योगदान की विशिष्टत: प्रशंसा करता है जो उन्होंने मानव अधिकार समस्याओं के प्रति बढ़ती हुई जन-जागृति में, इस क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य चलाने में और सभी मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रोन्नयन और संरक्षण में, किया है। यह मानते हुए कि मानक-स्थापन के लिए प्रधान दायित्व राज्यों का है वहीं सम्मेलन इस प्रक्रिया में गैर-सरकारी संगठनों के योगदान की भी सराहना करता है। इस संबंध में विश्व मानव-अधिकार सम्मेलन, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के बीच निरन्तर वार्तालाप और सहयोग के महत्व पर बल देता है। गैर-सरकारी संगठन और उनके सदस्यों को, जो वस्तुत: मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन अधिकारों और

स्वतंत्रताओं का उपभोग प्राप्त होना चाहिए जिन्हें विश्व मानव अधिकार घोषणा में मान्यता दी गई है। उन्हें राष्ट्रीय विधि का संरक्षण भी प्राप्त होना चाहिए। इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग, संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्तों के प्रतिकूल नहीं किया जाना चाहिए। गैर-सरकारी संगठनों को राष्ट्रीय विधि और विश्व मानव अधिकार घोषणा की परिधि के अन्दर रहते हुए अपने मानव अधिकार विषयक क्रियाकलाप करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

39. मानव अधिकारों और मानवीय मुद्दों के बारे में वस्तुपरक, उत्तरदायी और निष्पक्ष जानकारी के महत्व को रेखांकित करते हुए, विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, मीडिया के वर्धित योगदान की सराहना करता है और मीडिया को, राष्ट्रीय विधि की परिधि के भीतर स्वतंत्रता और संरक्षण की गारंटी होनी चाहिए।

II

क. संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की परिधि में मानव अधिकार विषयक कार्यों में अधिक समन्वय

1. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की परिधि में मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के समर्थन में अधिक समन्वय किये जाने की सिफारिश करता है। इस उद्देश्य से, विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र के सभी अंगों, निकायों और विशिष्ट अभिकरणों से, जिनके क्रियाकलापों का संबंध मानव अधिकारों से है, अनुरोध करता है कि वे, अनावश्यक पुनरावृत्ति से बेचने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अपने क्रियाकलापों को दृढ़, तर्कपूर्ण और महत्वपूर्ण बनाएं। विश्व मानव अधिकार सम्मेलन महासचिव से भी सिफारिश करता है कि सुसंगत संयुक्त राष्ट्र निकायों और विशिष्ट अभिकरणों में उच्च पदाधिकारी अपने वार्षिक अधिवेशन में, अपने क्रियाकलापों में समन्वय करने के अतिरिक्त, सभी मानव अधिकारों के उपभोग विषयक, अपनी रणनीति और नीतियों के प्रभाव का निर्धारण करें।

2. साथ ही, विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, प्रादेशिक संगठनों और प्रमुख अन्तरराष्ट्रीय तथा प्रादेशिक वित्त और विकास संस्थाओं से भी मांग करता है कि वे भी, मानव अधिकारों के उपभोग पर, अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव का निर्धारण करें।

3. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन यह मानता है कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सुसंगत विशिष्ट अभिकरण और निकाय तथा संस्थान, साथ ही, अन्य सुसंगत अन्तर-सरकारी संगठन, जिनके क्रियाकलापों का संबंध मानव अधिकारों से है, मानव अधिकार संबंधी मानकों के सूत्रण, प्रोन्नयन और कार्यान्वयन में, अपने-अपने आदेश की परिधि में, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और वे, विश्व मानव अधिकार सम्मेलन के परिणामों का, उनकी सक्षमता के क्षेत्र के भीतर मूल्यांकन करेंगे।

4. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, गंभीरता से यह सिफारिश करता है कि सार्वभौमिक स्वीकृति के लिए आशयित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की अवरचना के अन्तर्गत अंगीकृत अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार संधियों और प्रोटोकालों के अनुसमर्थन और अधिमिलन या उत्तराधिकार को प्रोत्साहित और सुकर बनाने के लिए, संगठित प्रयत्न किए जाएं। महासचिव को, संधि-निकायों के परामर्श से, उन राज्यों से वार्तालाप प्रारंभ करने की बात पर विचार करना चाहिए, जिन्होंने अभी तक इन मानव अधिकार-संधियों को स्वीकारा नहीं है, जिससे कि इस मार्ग में आने वाली रुकावटों को पहचाना जा सके और उन्हें दूर करने के उपाय किए जा सकें।

5. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, राज्यों को इस बाबत, प्रोत्साहन देता है कि वे ऐसे सभी आरक्षणों के विस्तार को सीमित कर दें जो उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार लिखतों में समाविष्ट किए हैं, सभी आरक्षणों का सूत्रण, यथासंभव प्रमितता से और संकीर्णता से करें, और यह सुनिश्चित करें कि उनमें से कोई भी आरक्षण सुसंगत संधि के उद्देश्यों और प्रयोजनों से असंगत नहीं है तथा किसी भी आरक्षण के प्रत्याहरण पर विचार करें।

6. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, विद्यमान अन्तरराष्ट्रीय मानकों की उच्च गुणवत्ता के साथ-साथ संगति बनाए रखने की और मानव अधिकार लिखतों की बहुलता से बचने की आवश्यकता को मान्यता देते हुए, महासभा संकल्प 41/120, तारीख 4 दिसम्बर, 1986 में अन्तर्विष्ट, नवीन अन्तरराष्ट्रीय लिखतों के विस्तारण से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों की, पुनः पुष्टि करता है और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार निकायों से अनुरोध करता है कि वे, नवीन अन्तरराष्ट्रीय मानकों के विस्तारण पर विचार करते समय, उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखें, नवीन मानकों के प्रारूपण की आवश्यकता पर, मानव अधिकार संधि निकायों से परामर्श करें और प्रस्तावित नवीन लिखतों का तकनीकी पुनर्विलोकन करने के लिए, सचिवालय से अनुरोध करें।

7. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन सिफारिश करता है कि मानव अधिकार अधिकारियों को, जब भी आवश्यक हो, संयुक्त राष्ट्र संगठन के कार्यालयों में इस प्रयोजन के लिए, तैनात किया जाए कि वे, संबंधित सदस्य राज्यों के अनुरोध पर, मानव अधिकार के क्षेत्र में, जानकारी का प्रसारण करें और प्रशिक्षण तथा अन्य तकनीकी सहायता प्रदान करें। अन्तरराष्ट्रीय सिविल कर्मचारियों के लिए, जिन्हें मानव अधिकार संबंधी कार्य सौंपा गया हो, प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

8. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन ने, मानव अधिकार आयोग के आपात् सत्र के बुलाए जाने को साकारात्मक पहल माना है और यह कि मानव अधिकारों के गंभीर अतिक्रमणों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के अन्य उपायों पर, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सुसंगत निकायों को विचार करना चाहिए।

साधन

9. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, मानव अधिकार केन्द्र के क्रियाकलापों के बीच बढ़ती हुई विषमता को और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उपलब्ध अन्य मानवीय, वित्तीय और अन्य साधनों को देखकर चिन्तित होते हुए, और संयुक्त राष्ट्र के अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए आवश्यक साधनों को ध्यान में रखते हुए, महासभा के सचिव से अनुरोध करता है कि वे, संयुक्त राष्ट्र के विद्यमान और भावी बजटों में से, मानव अधिकार कार्यक्रमों के लिए साधनों में शीघ्र सारत: वृद्धि करें और वर्धित बजटेतर साधनों में वृद्धि के लिए कदम उठाएं।

10. इस संरचना के भीतर, मानव अधिकार केन्द्र को, नियमित बजट में से वर्धित अंश, सीधे आबंटित किया जाना चाहिए जिससे कि केन्द्र अपना और अपने द्वारा उपगत अन्य खर्च, जिसके अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संबंधी निकायों के संबंध में उपगत खर्च भी है, पूरा कर सके। केन्द्र के तकनीकी सहयोग विषयक क्रियाकलापों के लिए स्वैच्छिक वित्त पोषण द्वारा ऐसे वर्धित बजट में सहयोग लिया जा सकता है; विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, विद्यमान न्यास निधियों में उदार योगदान के लिए अनुरोध करता है।

11. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, महासभा के महासचिव से अनुरोध करता है कि वे, मानव अधिकार केन्द्र को, पर्याप्त मानवीय, वित्तीय और अन्य साधन उपलब्ध करें जिससे कि वह अपने क्रियाकलापों का कार्यान्वयन, प्रभावी, दक्षतापूर्ण और समीचीन रूप में, कर सकें।

12. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कि अन्तर सरकारी निकायों द्वारा यथा आदिष्ट, मानव अधिकार क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए मानवीय और वित्तीय साधन उपलब्ध हैं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 101 के अनुसार, महासचिव और सदस्य राज्यों से अनुरोध करता है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए संगत दृष्टिकोण अपनाए, कि सचिवालय को, वर्धित आदेशों के अनुरूप साधन आबंटित किए जाएं। विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, महासचिव को इस बात पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है कि क्या कार्यक्रम बजट अनुक्रम में प्रक्रियाओं का समायोजन, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या सहायक होगा कि, सदस्य राज्यों द्वारा यथा आदिष्ट मानव अधिकार विषयक क्रियाकलाप समय से और प्रभावी रूप में कार्यान्वित हो जाएंगे।

मानव अधिकार केन्द्र

13. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन ने, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार केन्द्र को मजबूत बनाने के महत्व पर बल दिया।

14. मानव अधिकार केन्द्र को, मानव अधिकारों विषयक समग्र प्रणाली के समन्वय के लिए, महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। केन्द्र की नाभिकीय भूमिका का सर्वोत्तम लाभ तभी मिलेगा जब वह संयुक्त राष्ट्र निकायों और संस्थाओं के साथ पूर्ण सहयोग स्थापित कर सकेगा। मानव अधिकार केन्द्र की नाभिकीय भूमिका से यह भी आशयित है कि मानव अधिकार केन्द्र के न्यूयार्क में स्थित कार्यालय अधिक शक्तिशाली बने।

15. मानव अधिकार केन्द्र को, कथ्यपरक और ग्रामीण संप्रक्त प्रणाली, विशेषज्ञों, कार्यकारी समूहों और संधि निकायों के लिए पर्याप्त साधन सुनिश्चित होना चाहिए। सिफारिशों पर अनुवर्तन, मानव अधिकार आयोग के लिए पूर्विकता वाला एक विचारणीय विषय होना चाहिए।

16. मानव अधिकार केन्द्र को, मानव अधिकारों के प्रोन्नयन के लिए, एक व्यापक भूमिका अदा करनी चाहिए। इस भूमिका का रूपचित्रण, सदस्य राज्यों के सहयोग से और सलाह सेवा और तकनीकी सहायता के विस्तृत कार्यक्रम बनाकर, तैयार किया जा सकता है। विद्यमान स्वैच्छिक निधियों को इन प्रयोजनों के लिए सारत: विस्तृत करना होगा और उनका प्रबंध अधिक दक्ष और समन्वित रूप में किया जाना चाहिए। सभी क्रियाकलापों के लिए यथावत और पारदर्शी परियोजना प्रबंध नियमों का अनुसरण किया जाना चाहिए और नियमित कार्यक्रम किए जाने चाहिए तथा कालिक परियोजना मूल्यांकन किये जाने चाहिए। इस उद्देश्य से, ऐसे मूल्यांकन के परिणाम और सुसंगत जानकारी नियमित रूप से उपलब्ध की जानी चाहिए। केन्द्र को वर्ष में कम से कम एक जानकारी अधिवेशन अवश्य करना चाहिए, यह अधिवेशन सभी सदस्य राज्यों और ऐसे संगठनों के लिए खुला होगा जो इन परियोजनाओं और कार्यक्रमों से सीधे सम्बद्ध होंगे।

मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र तन्त्र का अनुकूलन और दृढ़िकरण कार्य, जिसके अन्तर्गत मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त की स्थापना का प्रश्न भी है, किया जाए।

17. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, मानव अधिकारों को, वर्तमान घोषणा में प्रतिबिम्बित रूप में तथा सभी लोगों के लिए संतुलित और सतत विकास की परिधि के भीतर रहते हुए, प्रोन्नयन और संरक्षण विषयक वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार तन्त्र के सतत अनुकूलन की आवश्यकता को मान्यता देता है।

18. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन महासभा से यह सिफारिश करता है कि जब वह सम्मेलन की रिपोर्ट की परीक्षा अपने अड़तालीसवें सत्र में कर रहा था तब उसने, सभी मानव अधिकारों के प्रोन्नयन और संरक्षण के लिए, मानव अधिकार उच्च आयुक्त की स्थापना के प्रश्न पर विचार पूर्विकता के आधार पर किया था।

ख. समानता, गरिमा और सहिष्णुता

1. मूलवंशवाद, मूलवंशीय विभेद, विदेशी दोष और असहिष्णुता के सभी अन्य रूप

19. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, मूलवंशवाद और मूलवंशीय विभेद, विशिष्टत: रंगभेद जैसे उनके संस्थागत स्वरूपों में, जैसे रंगभेद; या मूलवंशीय वरिष्ठता या अनन्यता से या मूलवंशीय सामयिक स्वरूपों और प्रकट रूपों के सिद्धान्तों से उत्पन्न विभेद के उन्मूलन को, अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के लिए प्रधान लक्ष्य मानता है और उसे मानव अधिकारों के क्षेत्र में विश्वव्यापी प्रोन्नयन का कार्यक्रम मानता है। संयुक्त राष्ट्र निकाय और अधिकरणों को, मूलवंशवाद और मूलवंशीय विभेद से लड़ने के लिए तीसरे दशक से संबंधित कार्ययोजना को और वैसे ही पश्चात्वर्ती आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए प्रयत्नों को सबल बनाना चाहिए। विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से जोरदार अपील करता है कि वह मूलवंशवाद और मूलवंशीय विभेद से लड़ने के दशक कार्यक्रम के लिए न्यास निधि में उदारता से अभिदान करे।

20. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, सभी सरकारों से अनुरोध करता है कि वे, जहां आवश्यक है, समुचित विधान बनाकर, जिनके अंतर्गत दाण्डिक उपाय भी हैं, और संबंधित बुराई से लड़ने के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना करके, मूलवंशवाद, विदेशी दोष और संबंधित असहिष्णुता के सभी रूपों और प्रकट स्वरूपों से लड़ने और उन्हें रोकने के लिए तत्काल उपाय करे और सशक्त नीतियां विकसित करें।

21. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, मानव अधिकार आयोग के उस विनिश्चय का स्वागत करता है जिसमें, मूलवंशवाद, मूलवंशीय विभेद, विदेश दोष और संबंधित असहिष्णुता के सामयिक स्वरूपों के लिए एक विशेष संवक्ता नियुक्त करने की बात कही गई है। विश्व मानव और अधिकार सम्मेलन, सभी रूपों में मूलवंशीय विभेद के उन्मूलन के लिए अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशन के पक्षकार सभी राज्यों से अपील करता है कि वे, कनवेंशन के अनुच्छेद 14 के अधीन घोषणा करें।

22. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन सभी सरकारों से मांग करता है कि वे, अपनी अन्तरराष्ट्रीय बाध्यताओं के अनुसरण में सभी समुचित उपाय करें और अपनी-अपनी विधि-प्रणालियों के प्रति सम्यक सम्मान रखते हुए, धर्म या आस्थाओं पर आधारित असहिष्णुता और संबंधित हिंसा का जिनके अंतर्गत स्त्रियों के विरुद्ध विभेद करना, धर्मस्थानों को अपवित्र करना भी है, प्रतिकार करें। उक्त कार्य वे यह मानते हुए करें कि प्रत्येक व्यक्ति को विचारों, अन्त:करण, अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है। सम्मेलन सभी राज्यों को आमंत्रित करता है कि वे, सभी प्रकार की असहिष्णुता और धर्म या आस्था पर आधारित विभेद के उन्मूलन पर घोषणा के उपबंधों को व्यवहार में लाएं।

23. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन इस बात पर बल देता है कि ऐसे सभी व्यक्ति, जो जाति परिमार्जन से सम्बद्ध आपराधिक कार्य प्राधिकृत करते हैं या कराते हैं, वे ऐसे मानव अधिकारों के अतिक्रमण के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार और उत्तरदायी हैं और यह कि अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को, ऐसे अतिक्रमणों के लिए विधित: जिम्मेदार व्यक्तियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

24. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन सभी राज्यों से अनुरोध करता है कि वे, जाति परिमार्जन की प्रथा से लड़ने के लिए और उसे निर्मूल करने के लिए, व्यक्तिश: और संयुक्तत: तत्काल उपाय करें। जाति परिमार्जन की घृणित प्रथा से आहत व्यक्ति, समुचित और प्रभावी उपचार के हकदार हैं।

2. राष्ट्रीय, नृजातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक व्यक्ति

25. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, मानव अधिकार आयोग से अनुरोध करता है कि वह, राष्ट्रीय या नृजातीय, धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के व्यक्तियों के अधिकारों के प्रभावी ढंग से प्रोन्नयन और संरक्षण के लिए साधनों और तरीकों की परीक्षा करे। इस संदर्भ

में, विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, मानव अधिकार केन्द्र से अपेक्षा करता है कि वह, संबंधित सरकारों के अनुरोध पर, और सलाह सेवा और तकनीकी सहायता के अपने कार्यक्रम के भागरूप में, अल्पसंख्यक और मानव अधिकार विषयक मुद्दों पर और विवादों को रोकने और उनके निपटारे के लिए, अर्हित विशेषज्ञों का उपबंध करे और वर्तमान और भावी परिस्थितियों में, जिनसे अल्पसंख्यक संबंधित हों, सहायता करे।

26. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन राज्यों और अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध करता है कि वे, राष्ट्रीय या नृजातीय, धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक व्यक्तियों के अधिकारों पर घोषणा के अनुसार, ऐसे राष्ट्रिकों, नृजातीय, धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के अधिकारों का प्रोन्नयन और संरक्षण करें।

27. इस बाबत जो भी समुचित उपाय किये जाएं उनका उद्देश्य समाज के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पक्षों में उनकी भागीदारी और उनके देश में उनका विकास करना, होना चाहिए।

देशज व्यक्ति

28. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, अल्पसंख्यक भेद निवारण और संरक्षण पर उपआयोग के देशज-जनसमुदाय-कार्यकारी समूह से अपेक्षा करता है कि वह, अपने ग्यारहवें सत्र में, देशज जनसमूह के अधिकारों पर एक घोषणा का प्रारूपण पूर्ण करें।

29. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, यह सिफारिश करता है कि मानव अधिकार आयोग, देशज जनसमुदाय के अधिकारों पर एक घोषणा के प्रारूपण पर, देशज जनसमुदाय पर कार्यकारी समूह के आदेशों को अद्यतन करे और उस पर विचार करे।

30. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन यह भी सिफारिश करता है कि, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत सलाह सेवा और तकनीकी सहायता कार्यक्रम की, ऐसी सहायता के लिए, जिससे देशज लोगों को प्रत्यक्ष फायदा हो, राज्य द्वारा अनुरोधों पर सकारात्मक अनुक्रिया होनी चाहिए। विश्व मानव अधिकार सम्मेलन यह भी सिफारिश करता है कि, इस दस्तावेज द्वारा प्रकल्पित रूप में केन्द्र के क्रियाकलापों को मजबूत बनाने के लिए, मानव अधिकार केन्द्र को पर्याप्त वित्तीय और मानव साधन उपलब्ध किये जायें।

31. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन राज्यों से अनुरोध करता है कि वे समाज के सभी पक्षों में देशज-जन-समुदाय की पूर्ण और स्वतंत्र भागीदारी सुनिश्चित करें।

32. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन यह सिफारिश करता है कि महासभा, विश्व देशज व्यक्ति का एक अन्तरराष्ट्रीय दशक उद्घोषित करे जिसका प्रारंभ जनवरी, 1994 से हो। इसके अंतर्गत ऐसे कार्योन्मुख कार्यक्रम भी सम्मिलित किये जाएंगे जिनकी बाबत विनिश्चय, देशज समुदाय की भागीदारी से किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए एक समुचित स्वैच्छिक न्यास निधि की स्थापना की जानी चाहिए। इस दशक की परिधि में, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में देशज समुदाय के लिए एक स्थायी मंच बनाने पर भी विचार किया जाए।

प्रवासी कर्मकार

33. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन सभी राज्यों से अनुरोध करता है कि वे, सभी प्रवासी कर्मकारों और उनके परिवारजनों के लिए, मानव अधिकारों के संरक्षण की गारण्टी दें।

34. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन का यह विचार है कि, प्रवासी कर्मकारों और उस राज्य के, जिसमें वे रहते हैं, जनसमुदाय के बीच महत्तर समरसता और सहिष्णुता उत्पन्न करने के लिए परिस्थितियां सर्जित करना एक विशिष्ट महत्व का काम है।

35. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन राज्यों से अनुरोध करता है कि वे सभी प्रवासी कर्मकारों और उनके परिवारजनों के अधिकारों पर अन्तरराष्ट्रीय कनवेंशन पर हस्ताक्षर करने और उसके अनुसमर्थन की सम्भाव्यता पर विचार करें।

3. महिलाओं के लिए समान प्रास्थिति और मानव अधिकार

36. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन का अनुरोध है कि सभी महिलाओं को समाज में पूर्ण और समान मानव अधिकारों के उपभोग का अधिकार हो और यह कि इस उद्देश्य को, संयुक्त राष्ट्र और सरकारों को, पूर्विकता देनी चाहिए। विश्व मानव अधिकार सम्मेलन ने, विकास-प्रक्रिया में अभिकर्ता और हिताधिकारी, दोनों रूपों में, महिलाओं के एकीकरण और भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन (रिओ डे जनेरो, ब्राजील, जून, 3.4.1992) द्वारा अंगीकृत रियो पर्यावरण और विकास घोषणा में और कार्यसूची 21 अध्याय के 24 में उपवर्णित सतत् और साम्यापूर्ण विकास की बाबत महिलाओं के लिए सार्वभौमिक कार्य में प्रतिपादित लक्ष्यों को दोहराया है।

37. महिलाओं की समान प्रास्थिति और उनके मानव अधिकार का संयुक्त राष्ट्र की समग्र प्रणाली के क्रियाकलापों के साथ एकीकरण कर दिया जाना चाहिए। इन मुद्दों पर नियमित और प्रणालीबद्ध रूप में, सुसंगत संयुक्त राष्ट्र निकायों और तंत्रों में, विचार किया जाना चाहिए। विशिष्टत: महिला प्रास्थिति आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिलाओं के विरुद्ध विभेद बहिष्करण समिति, संयुक्त राष्ट्र स्त्री विकास निधि, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और अन्य संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों के बीच सहयोग बढ़ाने और लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के आगे एकीकरण के लिए कदम उठाये जाने चाहिए। इस संदर्भ में, मानव अधिकार केन्द्र और महिला समुन्नति प्रभाग के बीच सहयोग और समन्वय को और भी मजबूत बनाया जाना चाहिए।

38. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन ने विशिष्टत:, सार्वजनिक और निजी जीवन में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के बहिष्करण के लिए, महिलाओं के सभी प्रकार के लैंगिक उत्पीड़न, शोषण और दुर्व्यापार, के बहिष्करण के लिए न्याय के प्रशासन में लिंग पक्षपात के बहिष्करण के लिए, और कतिपय पारम्परिक या रुढ़िक परिपाटियों, सांस्कृतिक प्रतिकूलताओं और धार्मिक अतिवाद के हानिकर प्रभावों और महिलाओं के अधिकारों के बीच उत्पन्न हो सकने वाले विरोधों के उन्मूलन के लिए, किए जाने वाले कार्यों के महत्व पर बल दिया है। विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, महासभा से अनुरोध करता है कि वह, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा विषयक प्रारूप घोषणा को अंगीकार करे और राज्यों से अनुरोध करता है कि वे, उसके उपबंधों के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम करें। सशस्त्र विरोध की दशा में, महिलाओं के मानव अधिकारों का अतिक्रमण, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकारों और मानवीय विधि का अतिक्रमण है। इस प्रकार के सभी अतिक्रमणों, जिनके अंतर्गत, विशिष्टत:, हत्या, क्रमिक बलात्कार, लैंगिक दासता और बलात गर्भाधान भी है, के विरुद्ध विशिष्टत: प्रभावी अनुक्रिया किए जाने की आवश्यकता है।

39. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन का अनुरोध है कि महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के विभेदों का, प्रच्छन्न या प्रकट दोनों रूपों में, उन्मूलन किया जाए। संयुक्त राष्ट्र को इस उद्देश्य के लिए सभी राज्यों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि वर्ष 2000 तक महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के विभेदों के बहिष्करण पर कनवेंशन को सभी राज्य सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्रदान करें। विशिष्टत: बड़ी संख्या में आरक्षणों की ओर ध्यान आकर्षित करने के अर्थोपाय प्रोत्साहित किए जाएं। अन्य बातों के साथ-साथ, स्त्रियों के विरुद्ध विभेद के बहिष्करण के लिए समिति, कनवेंशन के आरक्षणों का पुनर्विलोकन करती रहे। राज्यों से अनुरोध है कि वे ऐसे आरक्षण वापस ले लें जो कनवेंशन के उद्देश्य और प्रयोजन के प्रतिकूल हैं अथवा वे किसी भी प्रकार अन्तरराष्ट्रीय संधि-विधि से असंगत हैं।

40. संधि मानीटरन निकायों को आवश्यक सूचना का प्रसारण करना चाहिए जिससे कि महिलाएँ, मानव अधिकारों और अभेदकर का, पूर्ण और समान उपयोग करने के अपने लक्ष्य में, विद्यमान कार्यान्वयन प्रक्रिया का अधिक और प्रभावी उपयोग कर सकें। महिलाओं की समानता और महिलाओं के मानव अधिकार के प्रति प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन को मजबूत बनाने के लिए नई प्रक्रियाएं अंगीकार की जानी चाहिए। महिला प्रास्थिति आयोग और महिलाओं के विरुद्ध विभेद बहिष्करण समिति को इस संभाव्यता की शीघ्रता से परीक्षा करनी चाहिए कि क्या महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के विभेद के बहिष्करण पर कनवेंशन का एक वैकल्पिक प्रोटोकोल याचिका देने का अधिकार प्रारंभ किया जा सकता है। विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, मानव अधिकार आयोग के पचासवें अधिवेशन में, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर एक विशेष संवक्ता की नियुक्ति पर विचार किए जाने, का, स्वागत करता है।

41. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन इस बात को महत्वपूर्ण मानता है कि महिलाओं को, उनके जीवनकाल में सदैव, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के उच्चतम मानकों का लाभ प्राप्त हो। विश्व महिला सम्मेलन और महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के विभेदों के बहिष्करण पर कनवेंशन, साथ ही तेहरान उद्घोषणा, 1968, के संदर्भ में, विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, महिला और पुरुष के बीच समानता के आधार पर इस बात की पुन: पुष्टि करते हैं कि महिलाओं को स्वास्थ्य की देखभाल के लिये प्राप्य और पर्याप्त सुविधायें मिलें और परिवार नियोजन संबंधी व्यापक सेवायें उपलब्ध हों और समानता के आधार पर सभी स्तरों की शिक्षा प्राप्य हो।

42. संधि मानीटरन निकायों को अपने विचार-विमर्श और निष्कर्षों में महिलाओं की प्रास्थिति और उनके मानव अधिकारों को सम्मिलित करना चाहिए। यह कार्य वे लिंग-विनिर्दिष्ट आंकड़ों के उपयोग से सम्पन्न कर सकते हैं। राज्यों को इस बाबत प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे संधि मानीटरन निकायों को अपनी रिपोर्टों में, महिलाओं की वास्तविक और विधित: प्रास्थिति विषयक जानकारी देते रहें। विश्व मानव अधिकार सम्मेलन को यह जानकर सन्तोष हुआ कि मानव अधिकार आयोग ने अपने 49वें अधिवेशन में, 8 मार्च 1993 के अपने संकल्प सं. 1993/46 को पारित करते हुए कहा है कि मानव अधिकारों के क्षेत्र में संवक्ताओं और कार्यकारी समूहों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। महिला उन्नयन विषयक प्रभाग को, संयुक्त राष्ट्र के अन्य निकायों के सहयोग से, विशेषकर, मानव अधिकार केन्द्र के सहयोग से, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार विषयक क्रियाकलापों के दौरान महिलाओं के मानव अधिकारों के अतिक्रमण पर, जिसके अन्तर्गत लिंग विशेष का दुरुपयोग भी है, निरन्तर दृष्टि रखी जाए। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार और मानवीय राहत कार्मिकों को, महिला विषयक मानव अधिकारों के दुरुपयोगों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए, तथा यह कार्य, लिंग पक्षपात के बिना, कार्यान्वित करने के लिए, प्रशिक्षण प्रोत्साहित करना चाहिए।

43. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, सरकारों से और प्रादेशिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से अनुरोध करता है कि वे, महिलाओं को, विनिश्चय करने वाले पदों पर, नियुक्ति के अवसर दें और उन्हें विनिश्चय करने की प्रक्रिया में अधिक भागीदारी उपलब्ध करें। सम्मेलन का यह भी अनुरोध है कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे महिला कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रोन्नति हो सके और सम्मेलन का संयुक्त राष्ट्र के अन्य प्रधान और अनुषंगी अंगों से भी अनुरोध है कि वे, समानता के आधार पर महिलाओं की भागीदारी की गारण्टी दें।

44. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, बीजिंग में 1995 में होने वाले विश्व महिला सम्मेलन का स्वागत करता है और यह अनुरोध करता है कि उसके समानता, विकास और शान्ति विषयक विचार-विमर्श में महिलाओं के मानव अधिकारों को विश्व स्त्री सम्मेलन के पूर्णिकता सिद्धान्तों के अनुसार, महत्वपूर्ण स्थान मिले।

4. बाल अधिकार

45. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, "प्रथम लाभ बालकों को मिले" के सिद्धान्त को दोहराता है, और इस संबंध में, उत्तरजीविता, संरक्षण, विकास और भागीदारी की बाबत बालक के अधिकारों के लिए सम्मान के प्रोन्नयन के लिए, विशिष्ट राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय प्रयत्नों के, जिनके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र बाल निधि के प्रयत्न भी हैं, महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

46. बाल अधिकार कनवेंशन का सार्वभौमिक अनुसमर्थन, वर्ष 1995 तक प्राप्त करने के लिए और विश्व बाल शिखर सम्मेलन द्वारा अंगीकृत, विश्व बाल उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास तथा कार्य-योजना पर सार्वभौमिक हस्ताक्षर कराने के लिए तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, उपाय किये जाने चाहिए। विश्व मानव अधिकार सम्मेलन राज्यों से यह अनुरोध करता है कि वे बाल अधिकार कनवेंशन में उनके द्वारा किए गए ऐसे आरक्षणों को वापस ले लें जो कनवेंशन के उद्देश्यों और लक्ष्यों या अन्यथा अन्तरराष्ट्रीय संधि विधि के प्रतिकूल हैं।

47. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन सभी राष्ट्रों से अनुरोध करता है कि वे, अपने उपलब्ध साधनों के अधिकतम विस्तार के अनुसार, तथा अन्तरराष्ट्रीय सहयोग से, विश्व शिखर कार्य-योजना के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपाय करें। सम्मेलन राज्यों से अनुरोध करता है कि वे अपनी राष्ट्रीय कार्य योजनाओं में बाल अधिकार कनवेंशन समाविष्ट कर लें। इन राष्ट्रीय कार्य-योजनाओं की सहायता से और अन्तर्राष्ट्रीय प्रयत्नों के सहयोग से, शिशु और माता मृत्यु दर घटाने, कुपोषण और निरक्षरता दर घटाने और सबको सुरक्षित पेयजल तथा बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराने, से संबंधित विषयों को विशिष्ट पूर्विकता दी जानी चाहिए। जब कभी अपेक्षा की जाए राष्ट्रीय कार्य योजनाएं इस प्रकार बनाई जाएं कि प्राकृतिक घोर विपत्ति से, और सशस्त्र विरोधों से उत्पन्न विनाशकारी आपदाओं से और समान रूप से अतिनिर्धनता से ग्रस्त बालकों की गंभीर समस्या से, सफलतापूर्वक निपटा जा सके।

48. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन सभी राज्यों से अनुरोध करता है कि वे, अन्तरराष्ट्रीय सहयोग से, विशिष्टत: कठिन परिस्थितियों में उत्पन्न विकट बाल समस्याओं पर ध्यान दें। बालकों के शोषण और दुरुपयोग से, सक्रियता से लड़ा जाना चाहिए। यह कार्य उनके मूल कारणों का पता लगाकर ही सम्पन्न हो सकेगा। बालिका हत्या, हानिकर बाल श्रम, बालकों एवं अंगों के विक्रय, बाल वेश्यावृत्ति, बाल अश्लील साहित्य तथा लैंगिक दुरुपयोग के अन्य स्वरूपों के विरुद्ध प्रभावी उपाय किये जाने चाहिए।

49. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा और उसके विशिष्ट अभिकरणों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किये जाने वाले सभी उपायों का समर्थन करता है कि बालिकाओं के मानव अधिकारों का प्रोन्नयन और संरक्षण हो। विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, राज्यों से अनुरोध करता है कि वे ऐसी सभी विद्यमान विधियों और विनियमों को निरस्त कर दें और ऐसी रुढ़ियों और प्रथाओं को समाप्त कर दें जो बालिकाओं के विरुद्ध विभेद करती हों या उन्हें नुकसान पहुंचाती हों।

50. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, इस प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता है कि महासचिव सशस्त्र विरोधों में बालकों के संरक्षण की अभिवृद्धि के लिए अध्ययन प्रारंभ करे। ऐसे मानवीय मानकों को कार्यान्वित किया जाए और ऐसे उपाय किए जाएं जिनसे कि युद्ध क्षेत्र में बालकों को सहायता और संरक्षण मिल सके। ऐसे उपायों के अन्तर्गत हैं: युद्ध के सभी आयुधों के विशिष्टत: प्रति-कार्मिक माइन के अविवेकी प्रयोग के विरुद्ध बालकों का संरक्षण। युद्ध से अभिघात बालकों की पश्च-देखभाल और पुनर्वासन की आवश्यकता पर तुरन्त विचार किया जाना चाहिए। सम्मेलन, बाल अधिकार ममिति से अनुरोध करता है कि वह, सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए न्यूनतम आयु को बढ़ाने के प्रश्न पर अध्ययन करें।

51. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन यह सिफारिश करता है कि मानव अधिकारों और बालकों की अवस्थिति से संबंधित विषयों की, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सभी सुसंगत अंगों और तंत्रों को, और विशिष्ट अभिकरणों के पर्यवेक्षी निकायों को, उनके आदेशों के अनुसार नियमित रूप में समीक्षा करनी चाहिए।

52. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, सभी मानव अधिकार लिखतों के, विशिष्टत: बाल अधिकार पर कनवेंशन के, प्रभावी कार्यान्वयन में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अदा की गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करता है।

53. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन सिफारिश करता है कि बाल अधिकार समिति को शीघ्र और पभावकारी रूप में इस प्रकार समर्थ बनाया जाए कि वह, को मानव अधिकार केन्द्र की सहायता से इस प्रकार तत्परता से और कारगर रूप में समर्थ बनाया जाए कि वह अपने अधिदेशों की, विशिष्टत: अनुसमर्थन के अभूतपूर्व विस्तार को और तत्पश्चात् देश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए पूर्ति कर सके।

5. यन्त्रणा से स्वतंत्रता

54. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, यंत्रणा और अन्य नृशंस अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दण्ड के विरुद्ध कनवेंशन का, अनेक सदस्य राज्यों द्वारा अनुसमर्थन कर दिए जाने का स्वागत करता है और वह सभी अन्य सदस्य राज्यों द्वारा त्वरित अनुसमर्थन के लिए प्रोत्साहित करता है।

55. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन ने इस बात पर बल दिया है कि मानव गरिमा के विरुद्ध नृशंस अतिक्रमणों में से सबसे जघन्य अतिक्रमण है, यंत्रणा का कार्य, जिसके परिणामस्वरूप आहत व्यक्ति की गरिमा नष्ट हो जाती है और अपना जीवन कायम रखने और क्रियाकलाप चलाने की उसकी क्षमता कम हो जाती है।

56. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन यह पुन: पुष्टि करता है कि मानव अधिकार विधि और अन्तरराष्ट्रीय मानवीय विधि के अधीन, यंत्रणा स्वातंत्र्य एक ऐसा अधिकार है, जिसका सभी परिस्थितियों में, जिनके अन्तर्गत आन्तरिक और अन्तरराष्ट्रीय विक्षोभ या सशस्त्र विरोध भी हैं, संरक्षण किया जाना चाहिए।

57. अत: विश्व मानव अधिकार सम्मेलन सभी राज्यों से अनुरोध करता है कि वे यंत्रणा देने की पद्धति तुरन्त बन्द कर दें और इस बुराई को, मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा तथा सुसंगत कनवेंशनों को पूर्णत: कार्यान्वित करके और जहां आवश्यक है, विद्यमान तंत्र को मजबूत बनाकर, सदैव के लिए तिलांजलि दी जा सकती है। विश्व मानव अधिकार सभी राज्यों से अनुरोध करता है कि वे यंत्रणा के प्रश्न पर विशेष संवक्ता से पूर्ण सहयोग करें जिससे कि वह, स्वयं को मिले अधिदेशों का पालन कर सके।

58. यंत्रणा और अन्य नृशंस, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दण्ड के विरुद्ध बन्दियों और निरूद्ध व्यक्तियों के संरक्षण की बाबत स्वास्थ्य कार्मिकों, विशिष्टत: चिकित्सकों, की भूमिका से सुसंगत एवं संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंगीकृत, चिकित्सा आचार के सिद्धांतों के प्रति सार्वभौमिक सम्मान को और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने पर, विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

59. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन ने, संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्षेत्र के भीतर अतिरिक्त ठोस कार्रवाई की जाने की महत्ता पर बल देते हुए, यह अपेक्षा की है कि यंत्रणा से आहत व्यक्तियों के लिए सहायता की व्यवस्था की जाए और उनके शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पुनर्वासन के लिए अधिक प्रभावी उपचार सुनिश्चित किए जाएं। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक साधनों की व्यवस्था को उच्च प्राथमिकता दी जाए। इस व्यवस्था के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, यंत्रणा से आहत व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र स्वैच्छिक निधि में अतिरिक्त अभिदाय करना भी है।

60. राज्यों को, मानव अधिकारों के, घोर यंत्रणा जैसे, अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के अदण्डित रूप में मुक्त हो जाने से संबंधित विधान को निराकृत कर देना चाहिए और तद्द्वारा विधि-शासन के लिए सुदृढ़ आधार स्थापित करना चाहिए।

61. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन पुन: पुष्ट करता है कि यंत्रणा के उन्मूलन के लिए प्रयासों का मुख्य लक्ष्य, यंत्रणा का निवारण होना चाहिए और इसीलिए उक्त सम्मेलन यंत्रणा और अन्य नृशंस, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार या दण्ड के विरुद्ध कनवेंशन के वैकल्पिक प्रोटोकोल के शीघ्र अंगीकरण की मांग करता है, जिसका आशय, निरोध के स्थानों की नियमित रूप से जांच करके एक निवारक प्रणाली स्थापित करना है।

दबाववश गायब होना

62. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, सभी व्यक्तियों के दबाव में आकर गायब होने से, संरक्षण पर घोषणा के महासभा द्वारा अंगीकरण का स्वागत करते हुए, सभी राज्यों से मांग करता है कि वे, दबाववश गायब होने विषयक कार्यों के निवारण, समाप्ति और उस बाबत दण्डित किए जाने के लिए प्रभावी विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक या अन्य उपाय करें। विश्व मानव अधिकार सम्मेलन यह पुन: पुष्ट करता है कि सभी राज्यों का, सभी परिस्थितियों में, यह कर्त्तव्य है कि जब भी उनके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि, उनकी अधिकारिता वाले राज्यक्षेत्र से दबाववश कोई गायब हुआ है, और ऐसे अभिकथन की पुष्टि हो जाती है तब ऐसा राज्य ऐसे कार्य के कर्ता का अभियोजन करे।

6. नि:शक्त व्यक्ति के अधिकार

63. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन यह पुन: पुष्ट करता है कि सभी मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रताएं सार्वभौमिक हैं और इसलिए इसके अंतर्गत नि:शक्त व्यक्ति निश्चय ही आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म समानता के आधार पर हुआ है और इसलिए उसे, जीवन यापन करने और कल्याण करने का, शिक्षा प्राप्त करने और कार्य करने का, स्वतंत्र रहने और समाज के सभी पक्षों में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार है। नि:शक्त व्यक्ति से कोई भी प्रत्यक्ष विभेद करना या अन्य नकारात्मक व्यवहार करना, उसके अधिकारों का प्रत्यक्ष अतिक्रमण है।

विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, सरकारों से अनुरोध करता है कि वे, जहां आवश्यक हो, नि:शक्त व्यक्तियों के लिए इन अधिकारों और अन्य अधिकारों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, विधान का अंगीकरण कर लें या उसमें समायोजन कर लें।

64. नि:शक्त व्यक्ति सर्वत्र हो सकते हैं। नि:शक्त व्यक्तियों को समाज द्वारा अवधारित ऐसी सभी सीमाओं से, चाहे वे शारीरिक हों, वित्तीय हों, सामाजिक हों या मनोवैज्ञानिक जो समाज में उनकी पूर्णत: भागीदारी को अपवर्जित या निर्बंधित करती हैं, मुक्त करके, समान अवसर दिये जाने की गारण्टी दी जानी चाहिए।

65. साधारण सभा द्वारा अपने सैंतीसवें अधिवेशन में अंगीकृत नि:शक्त व्यक्तियों से संबंधित विश्व कार्य-योजना का स्मरण करते हुए, विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, महासभा और आर्थिक तथा सामाजिक परिषद से अनुरोध करता है कि वह, अपने 1993 के अधिवेशन में, नि:शक्त व्यक्तियों के लिए अवसर की समानता पर प्रारूप मानक नियम, अंगीकार करें।

ग. मानव अधिकारों का दृढ़ीकरण, सहयोग और विकास

66. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन सिफारिश करता है कि, प्रजातंत्र, विकास और मानव अधिकारों के प्रोन्नयन के लिए, राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय कार्रवाई को पूर्विकता दी जाए।

67. विशेष बल उन उपायों पर दिया जाना चाहिए, जो मानव अधिकारों से संबंधित संस्थाओं के दृढ़ीकरण और निर्माण में, अनेकवादी सिविल समाज के दृढ़ीकरण में, और उन समूहों के संरक्षण में सहायता कर सकते हों, जो संवेदनशील हो गए हैं। इस संदर्भ में निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचनों के संचालन के लिए सरकारों के अनुरोध पर दी गई सहायता, जिसके अन्तर्गत निर्वाचनों के मानव-अधिकार-पक्षों में और निर्वाचनों के बारे में सार्वजनिक जानकारी की बाबत सहायता भी है, विशेष महत्व की है। समान रूप से महत्वपूर्ण है वह सहायता भी है जो विधि का शासन मजबूत बनाने के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्याय प्रशासन को प्रोन्नत करने के लिए और निर्णयन प्रक्रिया में लोगों की वास्तविक और प्रभावी भागीदारी के लिए, दी जाती है।

68. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन ने मानव अधिकार केन्द्र द्वारा दृढ़ीकृत सलाह सेवाओं और तकनीकी सहायता क्रियाकलापों के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। केन्द्र को, राज्यों के अनुरोध पर उन्हें, विनिर्दिष्ट मानव अधिकार विषयक मुद्दों पर, जिनके अन्तर्गत मानव अधिकार संधियों पर रिपोर्ट की तैयारी भी है, तथा मानव अधिकारों के प्रोन्नयन और संरक्षण के लिए संगत और व्यापक कार्ययोजना के कार्यान्वयन के लिए, सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। मानव अधिकार और प्रजातंत्र के संस्थानों को, प्रबलित करना, मानव अधिकारों के लिए विधिक संरक्षण को, पदाधिकारियों और अन्य लोगों के प्रशिक्षण को, व्यापक आधार शिक्षा को और सार्वजनिक जानकारी को, जिनका उद्देश्य मानव अधिकारों के सम्मान को प्रोन्नत करना है दृढ़ किया जाए और वे इन कार्यक्रमों के संघटकों के रूप में उपलब्ध होने चाहिए।

69. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन गंभीरता से सिफारिश करता है कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक व्यापक कार्यक्रम बनाया जाए जिससे कि राज्यों को, पर्याप्त राष्ट्रीय संरचना के निर्माण और दृढ़ीकरण को ऐसे कार्य सम्पन्न करने में सहायता मिले जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव, मानव अधिकारों के समग्र रूप से अनुपालन पर और विधि शासन के अनुरक्षण पर, पड़ता है। ऐसा कार्यक्रम, जिसका समन्वय मानव अधिकार केन्द्र करेगा, हितबद्ध सरकार के अनुरोध पर, शास्तिक और शोधन स्थापनों के, मानव अधिकारों में वकीलों, न्यायाधीशों और संरक्षा बलों की शिक्षण और प्रशिक्षण के और विधि शासन के अच्छे कार्यकरण के लिए सुसंगत क्रियाकलाप के किसी अन्य पक्ष के सुधार के लिए राष्ट्रीय परियोजनाओं में तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध करने के योग्य होना चाहिए। उक्त कार्यक्रम को, मानव अधिकारों के प्रोन्नयन और संरक्षण विषयक कार्य-योजना के कार्यान्वयन के लिये राज्यों को सहायता उपलब्ध करनी चाहिए।

70. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से अनुरोध करता है कि वह महासभा को ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करे जिसमें, प्रस्तावित कार्यक्रम के स्थापन, संरचना, प्रचालन रीतियों और वित्तपोषण के विकल्प दिए गए हो।

71. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन यह सिफारिश करता है कि प्रत्येक राज्य, राष्ट्रीय कार्य-योजना तैयार की जाने की वांछनीयता पर विचार करे जिसमें उस रीति का उल्लेख हो जिसमें वह राज्य, मानव अधिकारों के प्रोन्नयन और संरक्षण में विकास करेगा।

72. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन यह पुनः पुष्ट करता है कि, विकास अधिकार पर घोषणा में स्थापित रूप में, सार्वभौमिक और असंक्राम्य विकास अधिकार का निश्चय ही कार्यान्वयन और आपन होना चाहिए। इस संदर्भ में, विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, विकास-अधिकार पर, मानव अधिकार आयोग द्वारा संबंधित कार्य-समूह की नियुक्ति का, स्वागत करता है और अनुरोध करता है कि कार्य-समूह, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्य निकायों और अंगों के परामर्श और सहयोग से, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शीघ्र विचारार्थ, विकास-अधिकार पर घोषणा के कार्यान्वयन और आपन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए व्यापक और प्रभावी उपाय तत्परता से तैयार करे और वे उपाय बनाए जिनके द्वारा सभी राज्य विकास-अधिकार का आपन कर सकें।

73. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन यह सिफारिश करता है कि मानव अधिकारों के विकास में संलग्न गैर-सरकारी और अन्य त्रणमूल संगठनों को इस प्रकार समर्थ बनाया जाना चाहिए कि वे, विकास-अधिकार से संबंधित वाद-विवाद, क्रियाकलापों और कार्यान्वयन में और सरकारों के सहयोग से, विकास-सहयोग के सभी सुसंगत पक्षों में, राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें।

74. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, सरकारों, सक्षम अभिकरणों और संस्थाओं से अपील करता है कि वे उन साधनों में प्रचुर वृद्धि करें, जो मानव अधिकारों के संरक्षण में सक्षम सुकृत्य विधि प्रणाली के निर्माण में और इसी क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय संस्थानों के लिए, प्रयुक्त हो रहे हैं। विकास सहयोग के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को, विकास, प्रजातन्त्र और मानव अधिकारों के बीच सुदृढ़ अन्तर संबंधों को ध्यान में रखना चाहिए। यह सहयोग वार्तालाप और पारदर्शिता पर आधारित होना चाहिए। विश्व मानव अधिकार सम्मेलन का यह भी अनुरोध है कि विधि-शासन और प्रजातन्त्रीय संस्थाओं के दृढ़ीकरण से संबंधित व्यापक कार्यक्रम, जिनके अन्तर्गत, जानकारी और विशेषज्ञ कार्मिकों के साधन बैंक भी हैं, तैयार किये जाएं।

75. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, मानव अधिकार आयोग से अनुरोध करता है कि वह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समिति के सहयोग से, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा के वैकल्पिक प्रोटोकोलों की समीक्षा करता रहे।

76. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन सिफारिश करता है कि, मानव अधिकार केन्द्र की सलाह-सेवा और तकनीकी सहायता के कार्यक्रमों के अधीन, मानव अधिकारों के प्रोन्नयन और संरक्षण के लिए, प्रादेशिक व्यवस्थाओं के दृढ़ीकरण या स्थापन के लिए अधिक साधन उपलब्ध किए जाएं। राज्यों को, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार लिखतों में यथा अन्तर्विष्ट, सार्वभौमिक मानव अधिकार मानकों के अनुसार, मानव अधिकारों का प्रोन्नयन और संरक्षण के लिए प्रादेशिक व्यवस्थाओं के दृढ़ीकरण के लिए अभिकल्पित, प्रादेशिक और उपप्रादेशिक कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और जानकारी विनिमय केन्द्रों जैसे प्रयोजनों के लिए सहायता हेतु अनुरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

77. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र और उसके सुसंगत विशिष्ट अभिकरणों के ऐसे सभी उपायों का समर्थन करता है जिनका उद्देश्य, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा और अन्य सुसंगत अंतरराष्ट्रीय लिखतों में वर्णित रूप में, व्यवसाय संघों के अधिकारों कद्र प्रोन्नयन और संरक्षण करना है। वह सभी राज्यों से अनुरोध करता है कि वे, अन्तरराष्ट्रीय लिखतों में इस बाबत अन्तर्विष्ट अपनी सभी बाध्यताओं का अनुपालन करें।

घ. मानव अधिकार शिक्षा

78. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, मानव अधिकार शिक्षा, प्रशिक्षण और सार्वजनिक जानकारी को जो समुदायों के बीच स्थायी और समरस संबंधों के निर्माण के लिए और पारस्परिक सहानुभूति, सहिष्णुता और शांति बनाए रखने के लिए, अत्यावश्यक है।

79. राज्यों को निरक्षरता दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और शिक्षा को, मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का साधन समझना चाहिए और मानव अधिकारों तथा मूल स्वतंत्रताओं के सम्मान की वृद्धि करने के लिए, प्रयास करना चाहिए। विश्व मानव अधिकार सम्मेलन सभी राज्यों और संस्थाओं से अपेक्षा करता है कि वे मानव आधिकारों, मानवीय विधि, प्रजातंत्र और विधि-शासन को पाठ्य विषयों के रूप में, सभी अध्ययन संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में, चाहे वे औपचारिक हों या अनौपचारिक, सम्मिलित कर लें।

80. मानव अधिकार शिक्षा के अंतर्गत, अन्तरराष्ट्रीय और प्रादेशिक मानव अधिकार लिखतों में अन्तर्विष्ट रूप में, शांति, प्रजातंत्र, विकास और सामाजिक न्याय सम्मिलित होने चाहिए, जिससे कि मानव अधिकारों के प्रति सार्वभौमिक प्रतिबद्धता को दृढ़तर बनाने की दृष्टि से, आपसी सहानुभूति और जागरूकता उत्पन्न हो।

81. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार और प्रजातन्त्र शिक्षा विषयक कांग्रेस द्वारा मार्च, 1993 में अंगीकृत, मानव अधिकार और प्रजातन्त्र शिक्षा पर विश्व कार्य-योजना को तथा अन्य मानव अधिकार विषयक लिखतों को ध्यान में रखते हुए, विश्व मानव अधिकार सम्मेलन सिफारिश करता है कि राज्यों को, अधिकतम विकसित मानव अधिकार शिक्षा को और सार्वजनिक जानकारी के प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिए विनिर्दिष्ट कार्यक्रम और रणनीतियां विकसित करनी चाहिएं। इस संदर्भ में महिलाओं के मानव अधिकार विषयक आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

82. सरकारों को अन्तरसरकारी संगठनों, राष्ट्रीय संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से, मानव अधिकारों और परस्पर सहिष्णुता के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता को, प्रोन्नत करनी चाहिए। विश्व मानव अधिकार सम्मेलन ने, संयुक्त राष्ट्र के विश्व मानव अधिकार सार्वजनिक जानकारी अभियान के सुदृढ़ीकरण के महत्व को, रेखांकित किया है। उन्हें मानव अधिकार शिक्षा प्रारंभ करनी चाहिए और उसका समर्थन करना चहिए तथा इस क्षेत्र में सार्वजनिक जानकारी का प्रभावी प्रसारण अपने हाथ में लेना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की सलाह सेवा और तकनीकी सहायता कार्यक्रम, मानव अधिकारों के क्षेत्र में शिक्षण और प्रशिक्षण क्रियाकलापों के लिए तथा अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार लिखतों और मानवीय-विधि में, यथा अन्तर्विष्ट मानकों से संबंधित विशेष शिक्षा के लिए तथा सैनिक बलों, विधि प्रवर्तन कार्मिकों, पुलिस और स्वास्थ्य परिचर्या वृत्ति जैसे विशेष समूहों पर उनके लागू होने के लिए, राज्यों के अनुरोध पर तुरन्त अनुक्रिया करने में समर्थ होने चाहिए। मानव अधिकार शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक की उद्घोषणा पर इन शैक्षिक क्रियाकलापों के प्रोन्नयन, प्रोत्साहन और संकेंद्रण की दृष्टि से, विचार किया जाना चाहिए।

ङ. कार्यान्वयन और मानीटरन पद्धति

83. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन सरकारों से अनुरोध करता है कि वे अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार लिखतों में यथा अन्तर्विष्ट मानकों को अपने देश के विधान में सम्मिलित करें और इस प्रकार अपनी राष्ट्रीय संरचनाओं, संस्थाओं और समाज के अंगों को, जो मानव अधिकारों के प्रोन्नयन तथा सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाते हैं, मजबूत बनाएं।

84. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन सिफारिश करता है कि संयुक्त राष्ट्र के क्रियाकलापों और कार्यक्रमों को मजबूत बनाया जाए जिससे कि वे उन राज्यों के सहायता विषयक अनुरोधों को पूरा कर सकें, जो मानव अधिकारों के प्रोन्नयन और संरक्षण के लिए अपने राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करना या उन्हें मजबूत बनाना, चाहते हैं।

85. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन इस बात के लिए प्रोत्साहन देता है कि, मानव अधिकारों के प्रोन्नयन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों के बीच सहयोग, विशिष्टत:, जानकारी एवं अनुभव के आदान-प्रदान द्वारा और प्रादेशिक संगठनों और संयुक्त राष्ट्र से सहयोग, बढ़ाया जाए।

86. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, इस संबंध में पुरजोर सिफारिश करता है कि मानव अधिकारों के प्रोन्नयन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधि, मानव अधिकार केन्द्र के तत्वावधान में, कालिक अधिवेशन बुलाकर, अपने तन्त्र को विकसित करने और अनुभव आदान-प्रदान करने के लिए अर्थोपायों की समीक्षा करें।

87. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, मानक अधिकार संधि निकायों, संधि निकायों के अध्यक्षों के अधिवेशनों और पक्षकार राज्यों के अधिवेशनों के लिए सिफारिश करता है कि वे अपने-अपने मानव अधिकार कनवेंशन के अधीन ऐसी कार्रवाई करते रहें जिनका उद्देश्य अनेकों रिपोर्टें करने संबंधी अपेक्षाओं के बीच समन्वय स्थापित करने और राज्यों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त बताना हो, साथ ही इस सुझाव पर अध्ययन करें कि क्या प्रत्येक राज्य द्वारा स्वीकृत बाध्यताओं पर केवल एक समग्र रिपोर्ट की प्रस्तुति, इन प्रक्रियाओं को अधिक कारगर और प्रभावी बनाएगी।

88. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन यह सिफारिश करता है कि अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार लिखतों के पक्षकार राज्य, महासभा और आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, विद्यमान मानव अधिकार निकायों और विभिन्न विषय संबंधी तन्त्रों और प्रक्रियाओं का इस दृष्टि से अध्ययन करें जिससे कि विभिन्न निकायों, तन्त्रों और प्रक्रियाओं के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से, दक्षता और प्रभावकारिता बढ़ाई जा सके। ऐसे अध्ययन के दौरान, उनके आदेशों और कार्यों में अनावश्यक बारम्बारता और अतिव्याप्ति से बचने की आवश्यकता को, ध्यान में रखा जाएगा।

89. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन सिफारिश करता है कि संधि निकायों की कृत्यकारिता, में जिसके अन्तर्गत कार्य को मानीटर करना भी है, सुधार के लिए निरन्तर कार्यशील रहना चाहिए। इस संदर्भ में उन अनेक प्रस्तावों को, जिनके अन्तर्गत स्वयं, संधि-निकायों द्वारा और संधि निकायों के अध्यक्षों के अधिवेशन द्वारा किये गये प्रस्ताव भी हैं, निरन्तर ध्यान में रखना होगा। बाल अधिकार समिति के व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

90. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन सिफारिश करता है कि मानव अधिकार संधियों के पक्षकार राज्य, सभी उपलब्ध वैकल्पिक संसूचना प्रक्रियाओं के स्वीकार किये जाने पर विचार कर रहे हैं।

91. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, मानव अधिकार अतिक्रमणकर्ताओं के अदंडित रह जाने के मुद्दे पर चिंतित है और इस संबंध में, मानव अधिकार आयोग और अल्पसंख्यक विभेद निवारण और संरक्षण उप आयोग द्वारा इस मुद्दे के सभी पक्षों की जांच करने की बाबत किए गए प्रयत्नों का, समर्थन करता है।

92. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन सिफारिश करता है कि मानव अधिकार आयोग, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर विद्यमान मानव अधिकार लिखतों के बेहतर कार्यान्वयन की संभाव्यता की समीक्षा करे और अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग को इस बाबत प्रोत्साहित करता है कि वह अंतरराष्ट्रीय दंड न्यायालय विषयक अपना कार्य चालू रखे।

93. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन उन राज्यों से, जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है अपील करता है, कि वे 12 अगस्त, 1949 के जेनेवा कनवेंशन और उसके प्रोटोकोलों से अधिमिलन कर लें और उनके पूर्णत: कार्यान्वयन के लिए, सभी समुचित राष्ट्रीय उपाय, जिनके अंतर्गत विधायी उपाय भी हैं, करें।

94. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन सार्वभौम रूप में मान्यताप्राप्त अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रोन्नयन और संरक्षण की बाबत समाज में व्यक्तियों, समूहों और अन्य अंगों के अधिकार और दायित्व पर प्रारूप घोषणा की शीघ्र सम्पूर्ति और अंगीकरण की सिफारिश करता है।

95. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन ने, मानव अधिकार आयोग और अल्पसंख्यक विभेद निवारण और संरक्षण उप आयोग की विशेष प्रक्रिया, संवक्ता, प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और कार्य दल प्रणाली के, उन्हें आवश्यक कर्मचारी और वित्तीय सहायता देकर, अनुरक्षण और दृढ़ीकरण के महत्व को रेखांकित किया है, जिससे कि वे अपने अधिदेशों का विश्व के सभी देशों में सर्वत्र क्रियान्वयन कर सकें। प्रक्रियाओं और तंत्रों को इस प्रकार समर्थ बनाया जा ! कि वे कालिक अधिवेशन करके अपने कार्य को संगत और तर्कपूर्ण बना सकें। सभी राज्यों से कहा गया है कि वे इन प्रक्रियाओं और तंत्रों के साथ पूर्ण सहयोग करें।

96. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन सिफारिश करता है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रयोजनों और सिद्धान्तों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र, मानव अधिकारों के प्रोन्नयन और संरक्षण में और सशस्त्र विरोध की दशा में सभी स्थितियों में, अंतरराष्ट्रीय मानवीय विधि के लिए पूर्ण सम्मान सुनिश्चित करने में, अधिक सक्रिय भूमिका निभाये।

97. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा शान्ति-रक्षा संक्रिया से संबंधित विनिर्दिष्ट व्यवस्था में मानव अधिकार तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए यह सिफारिश करता है कि महासचिव, मानव अधिकार केन्द्र और मानव अधिकार तंत्र की संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप, रिपोर्ट करने की विधि अनुभव और क्षमताओं को ध्यान में रखे।

98. आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के उपभोग को और दृढ़ करने के लिए, अतिरिक्त दृष्टिकोणों की जांच की जानी चाहिए, जैसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा में उपवर्णित रूप में अधिकार के आपन में प्रगति की माप करने के लिए सूचक प्रणाली। राष्ट्रीय, प्रादेशिक और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की मान्यता सुनिश्चित करने के लिए एक संगठित प्रयत्न किया जाना चाहिए।

च. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन पर अनुवर्ती कार्रवाई

99. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन ने मानव अधिकारों की बाबत यह सिफारिश की कि महासभा, मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्य अंग और अभिकरण, वर्तमान घोषणा में अंतर्विष्ट सिफारिशों के, अविलम्ब, पूर्ण कार्यान्वयन के अर्थोपायों पर विचार करें, इन सिफारिशों के अन्तर्गत मानव अधिकारों के लिए एक संयुक्त राष्ट्र दशक की उद्घोषणा की सम्भाव्यता भी सम्मिलित है। विश्व मानव अधिकार सम्मेलन यह भी सिफारिश करता है कि मानव अधिकार आयोग, इस बाबत हुई प्रगति की वार्षिक रूप में समीक्षा करें।

100. विश्व मानव अधिकार सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र के सचिव से अनुरोध करता है कि वे, विश्व मानव अधिकार घोषणा की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर, सभी राज्यों को, मानव अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के सभी अंगों और अभिकरणों को आमंत्रित करके उनसे, कहें कि वे वर्तमान घोषणा के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की उसे रिपोर्ट दें और एक रिपोर्ट महासभा को, उसके तिरपनवें सत्र में, मानव अधिकार आयोग और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के माध्यम से प्रस्तुत करें। इसी प्रकार प्रादेशिक और, यथावश्यक, राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाएं, साथ ही, गैर-सरकारी संगठन, भी वर्तमान घोषणा के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के बारे में, अपने विचार महासचिव के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संधियों और प्रोटोकोलों के, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत अंगीकार किया गया है, सार्वभौमिक अनुसमर्थन के लक्ष्य की प्राप्ति में हुई प्रगति के निर्धारण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

4

1 जनवरी 1995 से प्रारंभ हुई दस वर्ष की अवधि को, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार शिक्षा दशक के रूप में उद्घोषित करने वाला महासभा का संकल्प*

महासभा,

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में समाविष्ट मूल और सार्वभौम सिद्धांतों से मार्गदर्शित होते हुए,

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 26 को पुनः पुष्ट करते हुए जिसके अनुसार "शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आदर की वृद्धि करना है",

अन्य अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकारों की लिखतों के उपबंधों को जैसे, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदा के अनुच्छेद 13 के उपबंधों को और बाल अधिकार कनवेंशन के अनुच्छेद 28 के उपबंधों को, जो उक्त अनुच्छेद में उल्लिखित उद्देश्यों को विनिर्दिष्ट करते हैं, पुनः स्मरण करके,

---

*तारीख 23 दिसम्बर 1994 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया गया और एक कार्य योजना तैयार की गई। मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के उच्चायुक्त ने सदस्य राष्ट्रों से अनुरोध किया कि इस दशक को एक कार्य योजना तैयार करके मनाया जाए।

भारत में अन्य मंत्रालयों तथा विभागों के सचिवों को लेकर गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति, इस दशक को कार्यान्वित करने हेतु गठित की गई है। समिति ने इस बारे में कार्रवाई आरम्भ कर दी है। केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों से एक कार्य योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया है ताकि केन्द्र तथा राज्य तथा राज्य सरकारों, दोनों से प्राप्त सुझावों के आधार पर एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनायी जा सके। समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि कार्य-योजना के पुरजोर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए गैर-सरकारी तथा स्वयंसेवी संगठनों को भी पूरी तरह से शामल किया जाए।

मानद अधिकार के संबंध में विश्वव्यापी घोषणा को अंगीकार करने की पचासवीं वर्षगांठ को 10 दिसम्बर 1997 से 10 दिसम्बर 1998 तक गृह मंत्रालय के तत्वावधान में शानदार ढंग से मनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में गठित एक राष्ट्रीय समिति, जिसमें उपाध्यक्ष के रूप में गृह राज्य मंत्री, सदस्य सचिव के रूप में गृह सचिव तथा सदस्य के रूप में अन्य मंत्रालयों/विभागों के सचिव, विश्वविद्यालयों तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, ने राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित की जा रही विभिन्न गतिविधियों की पहचान करके एक राष्ट्रीय कार्य-योजना तैयार की है।

इन गतिविधियों की पहचान करते हुए अन्तर्निहित सिद्धांत, मानवाधिकार जागरुकता को बढ़ाने, विद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर मानवाधिकार शिक्षा का विकास करने, राष्ट्रीय क्षमताओं को सुदृढ़ करने तथा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आपसी मेल-मिलाप को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक के रूप में काम करता रहा है। कार्य-योजना के अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय समिति की प्रथम बैठक गृह मंत्री की अध्यक्षता में 11 नवम्बर 1997 को आयोजित की गई थी।

राष्ट्रीय समिति द्वारा यथा अनुमोदित राष्ट्रीय कार्य योजना सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को इस अनुरोध के साथ भेजी गई है कि वे अपने स्तर पर इसी प्रकार की कार्य-योजना तैयार करें तथा इस अवसर को समुचित रूप से मनाएं। राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन और प्रगति का प्रबोधन करने के लिए गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (एफ.एफ.आर.) की अध्यक्षता में एक वर्किंग ग्रुप स्थापित किया गया है और इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, सूचना एवं प्रसंस्करण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिक्षा विभाग, डाक विभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा श्रम मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी लिए गए हैं।

स्रोत : भारत सरकार, गृह मंत्रालय, आन्तरिक सुरक्षा, राज्य तथा गृह विभाग, नई दिल्ली, वार्षिक रिपोर्ट 1997-98।

9 मार्च, 1993 के मानव अधिकार आयोग के संकल्प सं. 1993/56 को, जिसमें आयोग ने यह सिफारिश की है कि मानव अधिकारों के ज्ञान को, सैद्धांतिक आयामों और उसके व्यवहार में लागू किए जाने की बाबत, शिक्षा नीतियों में अधिमानी स्थान दिया जाना चाहिए, ध्यान में रखकर;

4 मार्च, 1994 के मानव अधिकार आयोग के संकल्प सं. 1994/51 पर, जिसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्च आयुक्त को इस बाबत प्रोत्साहित किया गया है कि वे, मानव अधिकार विषयक शिक्षा पर संयुक्त राष्ट्र दशक हेतु, अपने विनिर्दिष्ट उद्देश्यों में, एक कार्य-योजना भी सम्मिलित कर लें और महासचिव से निवेदन किया गया है कि वे आर्थिक और सामाजिक परिषद के माध्यम से, महासभा के उन्चासवें सत्र में उसके समक्ष, मानव अधिकार विषयक शिक्षा के दशक पर एक कार्य-योजना प्रस्तुत करें, विचार करके,

इस बाबत विश्वास करके हुए कि मानव अधिकार शिक्षा में, जानकारी विषयक उपबंधों के अतिरिक्त उसमें ऐसी कोई व्यापक आजीवन प्रक्रिया समाविष्ट होनी चाहिए जिसके द्वारा विकास के सभी स्तरों पर के लोग और समाज के सभी वर्गों के लोग, अन्य व्यक्तियों के प्रति सम्मान करना सीख सके और समाज में ऐसा सम्मान सुनिश्चित करने के साधन और ढंग खोज सकें।

इस बाबत भी विश्वास करके कि मानव अधिकार शिक्षा, सभी आयु की स्त्रियों और पुरुषों की गरिमा के अनुरूप विकास की ऐसी संकल्पना में योगदान करती है जो, समाज के विविध वर्गों को, अर्थात्, बालकों, देशज व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों और नि:शक्त व्यक्तियों को, ध्यान में रखती है।

विश्व के विभिन्न भागों में शिक्षकों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा तथा अन्तर-सरकारी संगठनों द्वारा, जिनके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल निधि और अन्तरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन भी हैं, मानव अधिकारों के शिक्षण के लिए किए गए प्रयत्नों को ध्यान में रखकर;

इस बात से आश्वस्त होकर कि प्रत्येक स्त्री, पुरुष और बालक को अपनी पूर्ण मानवीय शक्तियों का भान हो, उसे उसके सभी मानव अधिकारों के प्रति सिविल, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, जागरूक करना होगा,

यह विश्वास करके कि मानव अधिकार शिक्षा, लिंग आधारित विभेद के उन्मूलन के लिए, और स्त्रियों के मानव अधिकारों के प्रोन्नयन और संरक्षण के माध्यम से समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, एक महत्वपूर्ण साधन है,

मानव अधिकार और प्रजातंत्र की शिक्षा पर उस विश्व कार्य योजना पर, जिसके अनुसार मानव अधिकार और प्रजातंत्र पर शिक्षा स्वयं में एक मानव अधिकार है और मानव अधिकार, प्रजातंत्र और सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए एक पूर्वापेक्षा है, विचार करके, जिसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा, माण्टीरियल में 8 मार्च से 11 मार्च, 1993 तक आयोजित अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार और प्रजातंत्र पर शिक्षण कांग्रेस ने अंगीकार किया है।

पुन: स्मरण करके कि सुसंगत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों के क्षेत्र में शिक्षा और लोक आसूचना कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयुक्त की है।

संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्च आयुक्त की रिपोर्ट को, जिसके पैरा 94 में उसने यह घोषित किया है कि मानव अधिकार शिक्षा, सामन्जस्यपूर्ण अन्तरसमुदाय संबंधों, पारस्परिक सहिष्णुता और समझ तथा अन्तत: शान्ति की भी अभिवृद्धि के लिए, अत्यावश्यक है, ध्यान में रखके,

मानव अधिकार शिक्षण में, संयुक्त राष्ट्र के उन शान्ति स्थापना कार्यक्रमों में हुए अनुभवों से अवगत होते हुए, जिनके अंतर्गत एल सालवेडोर में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक मिशन और कम्बोडिया में संयुक्त राष्ट्र संक्रमण प्राधिकरण भी हैं,

25 जून, 1993 को हुए विश्व मानव अधिकार सम्मेलन द्वारा अंगीकृत वीयना घोषणा और कार्य योजना को विशिष्टत: उसके अनुभाग-II के पैरा 78 से 82 को, ध्यान में रखकर,

1. 20 दिसम्बर, 1993 को उसके संकल्प में अन्तर्विष्ट अनुरोध के अनुसार, मानव अधिकार शिक्षा पर प्रस्तुत महासचिव की रिपोर्ट की सराहना करती है;

2. 1 जनवरी, 1995 से प्रारंभ होने वाली दस वर्ष की अवधि को, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार शिक्षा दशाब्द घोषित करती है;

3. संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार शिक्षा दशक, 1995-2004 की कार्ययोजना का, जैसी कि वह महासचिव की रिपोर्ट में समाविष्ट है, स्वागत करती है और सरकारों से अनुरोध करती है कि वे, कार्ययोजना की अनुपूर्ति की दृष्टि से, अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करे;

4. महासचिव से अनुरोध करती है कि वे, पैरा 3 में उपदर्शित प्रयोजन के लिए सरकारों द्वारा अभिव्यक्त दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए, अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करे;

5. सभी सरकारों से अपील करती है कि वे निरक्षरता के उन्मूलन के लिए उक्त कार्ययोजना के कार्यान्वयन में योगदान दें और उनके प्रयत्नों में अभिवृद्धि करें और शिक्षा का लक्ष्य ऐसा रखें जिससे मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो और मानव अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान में वृद्धि हो;

6. सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणों से अनुरोध करती है कि वे, कार्य योजना में सिफारिश किए गए रूप में, मानव अधिकार शिक्षा के कार्यक्रमों के स्थापन और कार्यान्वयन के लिए अपने प्रयत्नों को, विशिष्टत: मानव अधिकार शिक्षा के लिए राष्ट्रीय योजनाएं तैयार करके और उन्हें कार्यान्वित करके, तीव्र करें;

7. संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयुक्त से अनुरोध करती है कि वे, कार्ययोजना के कार्यान्वयन में समन्वय करें;

8. सचिवालय के मानव अधिकार केन्द्र, मानव अधिकार आयोग—सदस्य राज्यों के सहयोग से—मानव अधिकार संधि मानीटरन अभिकरणों, अन्य समुचित निकायों और सक्षम गैर-सरकारी संगठनों, से अनुरोध करती है कि वे, कार्य-योजनाओं में समन्वय करने के लिए उच्च आयोग के प्रयत्नों का समर्थन करे;

9. महासचिव से अनुरोध करती है कि वे, मानव अधिकार शिक्षा के लिए कोई स्वैच्छिक निधि की स्थापना पर विचार करे, जिसमें विशेष व्यवस्था, गैर-सरकारी संगठनों के, मानव अधिकार शिक्षा क्रियाकलापों के लिए, भी की गई हो, और जिसका प्रशासन, मानव अधिकार केन्द्र करे;

10. विशिष्ट अभिकरणों और संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रमों से अनुरोध करती है कि वे, अपनी-अपनी परिधि क्षमता में कार्य योजना के कार्यान्वयन में योगदान करें;

11. महासचिव से अनुरोध करती है कि वे, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्यों का और ऐसे अन्तर-सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों का, जो मानव अधिकार और शिक्षा से संबंधित हैं, ध्यान वर्तमान संकल्प की ओर आकर्षित करें;

12. अन्तर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों से, विशिष्टन: जो स्त्रियों, श्रमिकों, विकास और पर्यावरण से संबंधित हैं; और सभी अन्य सामाजिक न्याय समूहों, मानव अधिकार अधिवक्ताओं, शिक्षकों, धार्मिक संगठनों से और मीडिया से, अपेक्षा करती है कि वे संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार शिक्षा दशक के कार्यान्वयन में औपचारिक और अनौपचारिक मानव अधिकार विषयक शिक्षा में अपना सहयोग बढ़ाएं और मानव अधिकार केन्द्र से सहकारिता करें;

13. विद्यमान मानव अधिकार मानीटरन निकायों से अनुरोध करती है कि वे इस बात पर बल दें कि मानव अधिकार विषयक शिक्षा के प्रोन्नयन की बाबत सदस्य राज्य, अपनी अन्तरराष्ट्रीय बाध्यता का कार्यान्वयन करे;

14. यह विनिश्चत करती है कि वह इस विषय पर विचार अपने पचासवें सत्र में "मानव अधिकार विषयक प्रश्न" नामक मद के अधीन करेगी।

उपाबंध

भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण विधान*

संवैधानिक संशोधन

1. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951

संविधान लागू होने के प्रथम पन्द्रह महीने के दौरान न्यायालयों के निर्णयों के परिणामस्वरूप विशेषत: मूल अधिकारों के संबंध में कुछ कठिनाइयां सामने आईं। इस प्रकार अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन नागरिकों के वाक-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार को कुछ न्यायालयों द्वारा इतना व्यापक ठहराया गया कि किसी व्यक्ति को हत्या या हिंसा के अन्य अपराध करने पर भी अपराधी नहीं ठहराया जा सकता था। इसके अलावा यद्यपि अनुच्छेद 19(1)(छ) के अधीन कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का किसी नागरिक का अधिकार ऐसे ''युक्तियुक्त निर्बन्धनों'' के अधीन था, जो राज्य की विधियों द्वारा ''सार्वजनिक हित में'' लगाये जायें और यद्यपि ये शब्द राज्य द्वारा लागू की जाने वाली किसी राष्ट्रीयकरण की योजना को सम्मिलित करने के लिए पर्याप्त रूप में व्यापक थे, फिर भी अनुच्छेद 19(6) में स्पष्टीकरण हेतु कुछ वाक्यांश जोड़ कर इस विषय को नि:संशय बनाना वांछनीय समझा गया। अनुच्छेद 31 के खण्ड (4) तथा (6) के उपबंधों के बावजूद राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित कृषि सुधार संबंधी महत्वपूर्ण उपायों के कार्यान्वयन के विलम्बकारी मुकदमेबाजी के कारण रुक जाने से अनुच्छेद 31 के संबंध में अप्रत्याशित कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थीं।

तद्नुसार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, उपरोक्त प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 19 का संशोधन करना तथा जमींदारी उत्सादन विधियों को सामान्य रूप से तथा कतिपय विनिर्दिष्ट राज्य अधिनियमों को विशेष रूप से पूर्ण संवैधानिक मान्यता देने हेतु उपबंध करना था। इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 15(3) का भी विस्तार किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों की शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति हेतु राज्य द्वारा बनाए जाने वाले किन्हीं विशिष्ट उपबन्धों को विभेदी होने के आधार पर चुनौती न दी जा सके।

2. संविधान (आठवां संशोधन) अधिनियम, 1960

इस अधिनियम में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण और आंग्ल-भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व को और दस वर्ष तक जारी रखने की व्यवस्था की गई।

3. संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971

उच्चतम न्यायालय ने गोलक नाथ वाले मामले में अल्प बहुमत द्वारा अपने ही उन पूर्व विनिश्चयों को उलट दिया जिनमें संविधान के सभी भागों, जिनमें मूल अधिकारों से संबद्ध भाग-3 भी है, को संशोधित करने की संसद की शक्ति की पुष्टि की गई थी। इस निर्णय का परिणाम यह हुआ कि संसद को अब मूल अधिकारों में से किसी अधिकार को छीन लेने या घटाने की शक्ति नहीं है चाहे ऐसा

*स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय संसद ने सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन वर्षों में संसद द्वारा कई महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण संबंधी अधिनियम पारित किए गए हैं, जिनके द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ देश में मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्द्धन में प्रोत्साहन मिला है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम यहां उद्धृत किए गए हैं।

करना राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तों को प्रभावी बनाने के लिए और संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी ऐसा करना आवश्यक हो। अत: यह अभिव्यक्त करने के लिए अधिनियम द्वारा संविधान को संशोधित किया गया कि संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति है।

4. संविधान (पच्चीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971

संविधान के अनुच्छेद 31 में विशेष रूप से यह उपबंध है कि किसी विधि में सम्पत्ति के अनिवार्य अर्जन या अधिग्रहण का, ऐसी राशि के बदले जो उस विधि द्वारा नियत की जाए या जो ऐसे सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जाए तथा ऐसी रीति से दी जाए जो उस विधि में विनिर्दिष्ट हों, उपबंध है तो ऐसी विधि पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जाएगी कि विधि द्वारा अवधारित राशि पर्याप्त नहीं है। बैंक राष्ट्रीयकरण के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह विनिश्चय दिया था कि संविधान द्वारा क्षतिपूर्ति के अधिकार की गारंटी दी गई है अर्थात् अनिवार्यत: अर्जित की गई सम्पत्ति के बराबर धनराशि। अत: क्षतिपूर्ति की पर्याप्तता और क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण करने के लिए विधान मण्डल द्वारा निर्धारित किए गए सिद्धान्तों की प्रासंगिकता वाद-योग्य बन गई थी क्योंकि न्यायालय प्रश्न पर विचार कर सकता है कि क्या सम्पत्ति के मालिक को अदा की गई राशि सम्पत्ति के बदले में मुआवजे के रूप में उपयुक्त मानी जा सकती है। इसी मामले में न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया था कि ऐसी विधि को जिसके द्वारा सम्पत्ति का अर्जन और अधिग्रहण सार्वजनिक प्रयोजन के लिए हो, उसे भी अनुच्छेद 19(1)(च) की अपेक्षाओं को पूरा करना होगा।

इस अधिनियम से उपरोक्त व्यवस्था द्वारा राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों को प्रभावी बनाने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए संविधान को संशोधित किया गया।

5. संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971

(भूतपूर्व भारतीय शासकों की निजी थैलियों और विशेषाधिकारों का समापन)

6. संविधान (उन्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972

केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 तथा केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1971 को संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करना।

7. संविधान (चौंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974

23 जुलाई, 1972 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भूधृतियों की अधिकतम सीमा के स्तर को घटाने, कुटुम्ब द्वारा धारित भूमि के आधार पर अधिकतम सीमा लागू करने और छूट को समाप्त करने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये थे। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के सुझाव को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया और अधिकतम सीमा संबंधी विधियों के पुनरीक्षण के लिए राज्य सरकारों का मार्ग दर्शन किया गया।

उपरोक्त अधिनियम द्वारा पुनरीक्षित अधिकतम सीमा संबंधी विधियों को सम्मिलित करने के लिए संविधान की नौवीं अनुसूची का संशोधन किया गया। ये विधियां पूर्वोक्त मार्गदर्शन के अनुरूप अधिनियमित की गई थीं। इस प्रकार सम्मिलित कर लेने से इन विधियों की विधिमान्यता के बारे में अनिश्चितता या संदेह दूर हो गया।

8. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976

(अन्य बातों के साथ-साथ संविधान की प्रस्तावना में "समाजवादी धर्म निरपेक्ष" शब्दों का प्रतिस्थापन तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों का निर्धारण)

9. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978

अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से सम्पत्ति का अधिकार समाप्त करने के लिए, जिसके कारण संविधान में अनेक संशोधन हुए हैं, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को मजबूत करने के लिए, आपातकाल संबंधी उपबंधों का दुरुपयोग रोकने के लिए जन-संचार साधनों के संसद और राज्य विधान मंडलों की कार्यवाहियों को स्वतंत्रतापूर्वक और बिना सेंसर के रिपोर्ट करने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक निर्णयों के विलंब को कम करने और आंतरिक आपातकाल की अवधि के दौरान किए गए संशोधनों से संविधान में उत्पन्न विकारों को दूर कर उसे ठीक करने के लिए संविधान का संशोधन किया गया।

10. संविधान (पैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1980

(लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए स्थानों के आरक्षण को और दस वर्ष तक जारी रखने की व्यवस्था)

11. संविधान (सैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1984

(संविधान की नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम का अन्त:स्थापन)

12. संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984

(त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वाशासी जिला परिषद को सांविधिक मान्यता प्रदान करना।

13. संविधान (इक्यावनवां संशोधन) अधिनियम, 1984

(मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोक सभा में सीटों का आरक्षण तथा इसी प्रकार का आरक्षण नागालैंड तथा मेघालय की विधान सभाओं में करने का प्रावधान)

14. संविधान (सत्तावनवां संशोधन) अधिनियम, 1987

संविधान (इक्यावनवों संशोधन) द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या का अवधारण

15. संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988

(मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का उपबंध)

16. संविधान (बासठवां संशोधन) अधिनियम, 1989

(लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण तथा लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंधों को चालीस वर्षों की अवधि समाप्त होने पर और दस वर्षों तक जारी रखने का प्रावधान।)

17. संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990

(अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन)

18. संविधान (छियासठवां संशोधन) अधिनियम, 1990

(भूमि सुधार संबंधी विधियों को संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करना)

19. संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992

(त्रिपुरा विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण में वृद्धि)

20. संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992

(अन्य बातों के साथ-साथ पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण तथा स्थानों के एक-तिहाई से अन्यून स्थानों का स्त्रियों के लिए आरक्षण)

21. संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992

(स्थानीय नगर निकायों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण तथा एक-तिहाई स्थानों का महिलाओं के लिए आरक्षण)

22. संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1994

(तमिलनाडु राज्य में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा संस्थाओं और लोक सेवाओं में 69% स्थानों का आरक्षण तथा इस अधिनियम का संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलन)।

23. संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995

(अनुसूचित जातियों)

24. संविधान (अठहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995

(भूमि सुधार नियमों को संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करना)

स्वास्थ्य

1. औषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
2. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
3. स्पिरिटयुक्त निर्मिति (अंतरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम, 1955।
4. भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 1920 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
5. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956।
6. गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971।
7. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
8. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
9. कर्ण पटह और कर्ण अस्थि (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का प्राधिकार) अधिनियम, 1982।
10. नेत्र (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का प्राधिकारी) अधिनियम, 1982।
11. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987।
12. मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक, 1992।
13. प्रसवपूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग का निवारण) अधिनियम, 1994।
14. नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) विधेयक, 1995।

श्रम

1. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
2. कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
3. कारखाना अधिनियम, 1948 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
4. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
5. डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
6. कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस संदाय अधिनियम 1948 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
7. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
8. बागान श्रम अधिनियम, 1951 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
9. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
10. कर्मचारी भविष्य निधि और परिवारिक सेवानिवृत्ति भत्ता अधिनियम 1952 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।

11. श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) अधिनियम 1955।
12. औद्योगिक विवाद (बैंककारी कंपनी) विनिश्चय अधिनियम, 1955।
13. श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955।
14. औद्योगिक विवाद (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम 1956।
15. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के संशोधन हेतु मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1957 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
16. श्रमजीवी पत्रकार (मजदूरी दर नियतन) अधिनियम, 1958।
17. कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 के संशोधन हेतु कर्मकार प्रतिकार (संशोधन) अधिनियम, 1959 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
18. नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959।
19. व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के संशोधन हेतु भारतीय व्यवसाय संघ (संशोधन) अधिनियम, 1960 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
20. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के संशोधन हेतु औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) (संशोधन) अधिनियम 1961 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
21. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961।
22. शिशु अधिनियम, 1961 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
23. लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
24. वैयक्तिक क्षति (आपात उपबंध) अधिनियम, 1962 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
25. श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) अधिनियम, 1962।
26. वैयक्तिक क्षति (प्रतिकर बीमा) अधिनियम, 1963।
27. बोनस संदाय अधिनियम, 1965 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
28. नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966।
29. बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
30. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
31. चाय जिला उत्प्रवासी श्रम (निरसन) अधिनियम, 1970।
32. श्रमिक भविष्य निधि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1971 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
33. उपदान संशोधन अधिनियम, 1965 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
34. चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
35. विक्रय संवर्द्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
36. बधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
37. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
38. लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1976।

39. बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
40. लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम-अयस्क खान श्रम कल्याण निधि, अधिनियम, 1976 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
41. बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976।
42. बालक नियोजन अधिनियम, 1938 के संशोधन हेतु बालक नियोजन (संशोधन) अधिनियम, 1978 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
43. श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1979 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
44. अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979।
45. अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 के संशोधन हेतु अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम 1980।
46. सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
47. सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1981 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
48. सिनेमा कर्मकार और सिनेमा थियेटर कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981।
49. पेंशन अधिनियम, 1871 के संशोधन हेतु पेंशन (संशोधन अधिनियम, 1982)।
50. कोयला खान श्रम कल्याण निधि (निरसन) अधिनियम, 1986।
51. डाक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) अधिनियम, 1986।
52. श्रमिक कल्याण निधि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987।
53. श्रम विधि (कुछ स्थापनों द्वारा विवरणी देने और रजिस्टर रखने से छूट) अधिनियम, 1988।
54. सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993।
55. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
56. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996।
57. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996।

सामाजिक

1. विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम, 1952।
2. अपहृत व्यक्ति (बरामदगी और प्रत्यावर्तन) संशोधन अधिनियम, 1952 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
3. पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, 1953 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
4. विस्थापित व्यक्ति (दावे) अनुपूरक अधिनियम, 1954।
5. विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
6. विशेष विवाह अधिनियम, 1954।
7. अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।

8. हिन्दू विवाद अधिनियम, 1955 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
9. अपहृत व्यक्ति (बरामदगी और प्रत्यावर्तन) बना रहना अधिनियम, 1955 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
10. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां), आदेश 1950 और अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
11. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1955।
12. हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956।
13. हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
14. अल्पवय व्यक्ति (अपहानिकर प्रकाशन) अधिनियम, 1956।
15. गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1956।
16. स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
17. स्त्री और बालक संस्था (अनुज्ञापन) अधिनियम, 1956।
18. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के संशोधन हेतु भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1957 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
19. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958।
20. सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) अधिनियम, 1959 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
21. वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 1959 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
22. लोक ऋण (संशोधन) अधिनियम, 1959।
23. विवाहित महिला संपत्ति (विस्तार) अधिनियम, 1959।
24. अनाथालय और अन्य पूर्त आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960।
25. हिन्दू विवाह (कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1960।
26. बालक अधिनियम, 1960 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
27. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।
28. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969।
29. विदेशी विवाह अधिनियम, 1969।
30. अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन और विविध उपबंध अधिनियम, 1976।
31. विवाह विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1976।
32. बाल-विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 के संशोधन हेतु बाल-विवाह अवरोध (संशोधन) अधिनियम, 1978।
33. रंगभेद विरोधी (संयुक्त राष्ट्र कनवेंशन) अधिनियम, 1981।
34. पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 के संशोधन हेतु पूर्त विन्यास (संशोधन) अधिनियम, 1982।
35. हिन्दू विधवा पुनर्विवाह (निरसन) अधिनियम, 1983।
36. कुष्ठ रोगी (दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली तथा चंडीगढ़ निरसन) अधिनियम, 1983।

37. किशोर न्याय अधिनियम, 1986।

38, स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986।

39. बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986।

40. मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986।

41. सती (निवारण) आयोग, विधेयक, 1987।

42. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987।

43. पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद (संशोधन) अधिनियम, 1988।

44. स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 तथा अनुवर्ती संशोधन अधिनियम।

45. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।

46. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन अधिनियम, 1990।

47. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990।

48. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992।

49. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993।

50. उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1993।

51. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993।

52. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996।

विशिष्ट संदर्भ सूची

एलफ्रैडसन, गुडमनडूर एण्ड टोमासेवस्की, कटरीना एड., ए. थीमेटिक गाइड टु डाक्यूमेन्ट्स आन द ह्यूमन राइट्स आफ वोमैन (द हेग; मर्टीनस निझाफ़ पब्लिशर्स), 1955

अराट, जेहरा एफ, डेमोक्रेसी एण्ड ह्यूमन राइट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज (बोल्डर, कोलोराडो; लाइने राइनर), 1991

बेहर, पी.आर.; एड., ह्यूमन, राइट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज; ईयर बुक (द नीदरलैण्ड्स: क्लूवर लॉ एण्ड टैक्सेशन पब्लिशर्स), 1994

बेली, सिडनी डी; द यू एन सिक्योरिटी कौंसिल एण्ड ह्यूमन राइट्स (न्यूयार्क; सेंट मर्टिन्स प्रेस), 1994

बाजवा, डी. के., राइट टु लाइफ; इट्स स्टडी अंडर इंडियन पोलिटिकल सिस्टम (दिल्ली; अमर प्रकाशन), 1996

बसु, दुर्गादास, ह्यूमन राइट्स इन कांस्टीट्यूशनल लॉ (नई दिल्ली; प्रेंटिस हाल आफ इंडिया), 1994

बक्सी, उपेन्द्र, इन ह्यूमन रांग्स एण्ड ह्यूमन राइट्स, अनकन्वेंशनल एसेज (नई दिल्ली; हर आनन्द पब्लिकेशन्स), 1994

बीथम, डेविड, एड पॉलिटिक्स एण्ड ह्यूमन राइट्स (आक्सफोर्ड; ब्लैकवेल पब्लिशर्स), 1995

ब्लैकबर्न, राबर्ट एण्ड बुसुटिल, जैम्स, एड. ह्यूमन राइट्स फार द ट्वंटी फर्स्ट सेन्चुरी (लंदन: पिंटर), 1997

ब्लैकबर्न, राबर्ट एण्ड टेलर, जान, एड, ह्यूमन राइट्स फार द 1990 ज; लीगल, पोलिटिकल एण्ड इथिकल इश्यूज (लंदन; मानसेल), 1990

बोब्बिओ, नॉरबर्टो, द एज आफ राइट्स (कैम्ब्रिज; पालिटी प्रेस), 1995

बाउन्डेल, यूसेफ, ह्यूमन राइट्स एण्ड कम्पेरेटिव पालिटिक्स (अल्डरशाट; डार्टमाउथ), 1997

बाउवर्ड, मारग्ये राइट गजमैन, वूमेन रीशेपिंग ह्यूमन राइट्स (विलमिंगटन, डेलावेयर; एस.आर. बुक्स), 1996

चितकार, एम.जी., ह्यूमन राइट्स; कमिटमेंट एण्ड बिट्रेयल (नई दिल्ली; ए.पी.एच. पब्लिकेशन्स), 1996

चिटनिस, विजय, मदान, सी.एम. एण्ड हीरानी, एम.एच.एड. ह्यूमन राइट्स एण्ड द. लॉ; नेशनल एण्ड ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स (मुम्बई; स्नो वाइट पब्लिकेशन्स), 1997

क्लैपहैम, एन्ड्रू ह्यूमन राइट्स इन द प्राइवेट स्फियर (आक्सफोर्ड; क्लैरेंनडन प्रेस), 1993

कुक, रिबेका जे, एड. ह्यूमन राइट्स आफ वूमेन; नेशनल एण्ड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स (फिलाडेल्फिया; द यूनीवर्सिटी) आफ पेंस्लिवानिया प्रेस), 1993

क्रेवेन, मैथ्यू, द इंटरनेशनल कनवेन्ट आन इकोनामिक, सोशल एण्ड कल्चरल राइट्स; ए पर्सपेक्टिव आन इट्स डेवलपमेन्ट (आक्सफोर्ड; क्लैरेनडन प्रेस), 1995

डायमंड, लारी, एड., डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन; स्ट्रगल्स फार फ्रीडम एण्ड फ्लूरलिज्म इन डेवेलपिंग वर्ल्ड (लंदन; फ्रीडम हाउस), 1992

दीवान, पारस एण्ड दीवान, पियूषी; ह्यूमन राइट्स एण्ड द लॉ; यूनीवर्सल एण्ड इंडियन (नई दिल्ली; दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स), 1996

डोन्नेली, जैक, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स (बोल्डर, कोलोराडो: वेस्ट व्यू प्रेस), 1993

फेनविक, हेलेन, सिविल लिबर्टीज (लंदन; केवेंडिश पब्लिशिंग लि.), 1994

फिट्स पैट्रिक, जोन, ह्यूमन राइट्स इन क्राइसिस (फिलाडेलफिया; यूनिवर्सिटी आफ पेंस्लिवानिया प्रेस), 1994

फारसीदे, डेविड पी.; ह्यूमन राइट्स एण्ड डेवलपमेंट; इन्टरनेशनल व्यूज (हाउन्ड मिल्स: मैकमिलन), 1989

गेटे, रोनाल्डो, ह्यूमन राइट्स एण्ड द लिमिट्स आफ क्रिटिकल रीजन (एल्डरशाट: डार्टमाउथ), 1993

गैलटुंग, जोहान, ह्यूमन राइट्स इन एनादर की (कैम्ब्रिज; पालिटी प्रेस), 1994

गिरटी, कोनोर एण्ड टामकिन्स, एडम, एड. अंडर स्टैंडिंग ह्यूमन राइट्स (लंदन; मैनसेल), 1996

इन्टर पार्लियामेंटरी यूनियन, पार्लियामेन्टरी ह्यूमन राइट्स बाडीज, वर्ल्ड डाइरेक्टरी (जिनेवा; इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन), 1993

जसवाल, परमजीत एस. एण्ड जसवाल, निष्ठा, ह्यूमन राइट्स एण्ड द लॉ (नई दिल्ली; ए.पी.एच. पब्लिशिंग), 1996

जोहरी, जे.सी., ह्यूमन राइट्स एण्ड न्यू वर्ल्ड आर्डर (नई दिल्ली: अनमोल पब्लिकेशन्स), 1996

कश्यप, सुभाष सी., ह्यूमन राइट्स एण्ड पार्लियामेंट (नई दिल्ली; मेट्रोपालिटन), 1978

कोल, जवाहर एल., एड. ह्यूमन राइट्स: ईशूज एण्ड पर्सपेक्टिव्स (नई दिल्ली; रीजेन्सी पब्लिकेशन्स), 1995

किनले, डेविड: द यूरोपियन कन्वेंशन आन ह्यूमन राइट्स (एल्डरशाट: डार्टमाउथ), 1993

कृष्ण अय्यर, वी.आर., ह्यूमन राइट्स: ए जजेज मिसलेनी (दिल्ली: वी.आर. पब्लिशिंग), 1995

कुलश्रेष्ठ, सुधीर, फंडामेंटल राइट्स एण्ड द सुप्रीम कोर्ट (जयपुर; रावत पब्लिकेशन्स), 1995

कुमार, आर.वी. एण्ड शर्मा, बी.पी., ह्यूमन राइट्स एण्ड द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस (नई दिल्ली: स्टर्लिंग पब्लिकेशन्स), 1998

कीमलिका, विल, एड. राइट्स आफ माइनारिटी कल्चर्स (आक्सफोर्ड: आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस), 1995

लासन, एडवर्ड, एड. इनसाइक्लोपीडिया आफ ह्यूमन राइट्स (द्वितीय संस्करण) (वाशिंगटन डी.सी.: टेलर एण्ड फ्रांसिस), 1996

मेकार्थी-एनाल्ड्स, ईलीन, पेन्ना, डेविड आर. एण्ड सोब्रेपेना, डेब्रा ज्वाय क्रज, एड. अफ्रीका, ह्यूमन राइट्स एण्ड द ग्लोबल सिस्टम: द पॉलिटीकल इकानामी ऑफ ह्यूमन राइट्स इन ए चेजिंग वर्ल्ड) वेस्ट पोर्ट: ग्रीनवुड), 1994

मैकगोल्डरिक, डोमोनिक, द ह्यूमन राइट्स कमेटी (आक्सफोर्ड: क्लेरेन्डन प्रेस), 1991

मिलर, विलियम एल., एड., आलटरनेटिव्स टु फ्रीडम : अग्यूमेन्ट्स एण्ड ओपीनियन्स (लंदन: लांगमैन हायर एडूकेशन), 1995

मोनशीपौरी, महमूद, डेमोक्रेटाइजेशन, लिब्रेलाइजेशन एण्ड ह्यूमन राइट्स इन द थर्ड वर्ल्ड (बोल्डर, कोलोरोडो: लीने राइनर), 1995

मूर, वेन डी., कांस्टिट्यूशनल राइट्स एण्ड पावर्स आफ द पीपुल (प्रिन्सटन, न्यूजर्सी; पेन्सटन यूनीवर्सिटी प्रेस), 1996

नीनो, कार्लोस सान्टियागो, द एथिक्स आफ ह्यूमन राइट्स (आक्सफोर्ड: क्लेरेन्डन प्रेस), 1993

निजामी, जफर अहमद एण्ड पॉल, देविका, एड. ह्यूमन राइट्स इन द थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीज (दिल्ली: के.आई.आर.एस. पब्लिकेशन्स), 1994

नार्मन, रिचर्ड, स्टडीज इन ईक्वलिटी (एल्डरशाट: एवेबरी), 1995

ओवेन्स, एडगर, द फ्यूचर आफ फ्रीडम इन द डेवलपिंग वर्ल्ड: इकोनामिक डेवलपमेंट ऐज पोलिटिकल रिफार्म (न्यूयार्क: पेरेगामोन प्रेस), 1987

पाल, इलेन फ्रैंकेल, मिलर, फ्रेड डी. एण्ड पाल जेफरी, इकोनामिक राइट्स (कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनीवर्सिटी प्रेस), 1992

पीटर्स, जूली एण्ड बोल्पर, एन्ड्रिया, एड., वूमेन्स राइट्स, ह्यूमन राइट्स: इंटरनेशनल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स (न्यूयार्क: राइटलेज) 1995

राय, लाल देवसा, ह्यूमन राइट्स इन द हिन्दू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन (जयपुर; निराला पब्लिकेशन्स), 1995

रिओक, रिचर्ड, एड., ह्यूमन राइट्स: द न्यू कानसेंसस (लंदन: रीजेंसी प्रेस इन एसोसिएशन विद द यूनाइटेड नेशन्स हाई कमिशन्स फार रिफ्यूजीज़), 1994

सक्सेना, के.पी., टीचिंग ह्यूमन राइट्स: ए मैनुअल फार एडल्ट एजुकेशन (नई दिल्ली: लानसर्स बुक्स), 1996

सहगल, बी.पी. सिंह, एड., ह्यूमन राइट्स इन इंडिया: प्राब्लेम्स एण्ड पर्सपेक्टिव्स (नई दिल्ली: दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स), 1995

शूटे, स्टीफेन एण्ड हर्ले, सुजान, एड., आन ह्यूमन राइट्स (न्यूयार्क: बेसिक बुक्स), 1993

सिन्हा, आर.के., ह्यूमन राइट्स आफ द वर्ल्ड (3 खण्ड) (दिल्ली: इंडियन पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स), 1997

स्टीनर, हेनरी जे. एण्ड एल्सटन, फिलिप, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इन कन्टेस्ट: लॉ, पालिटिक्स, मॉरल्स (आक्सफोर्ड: क्लेरेनडन प्रेस), 1996

सुब्रमनियन, एस., ह्यूमन राइट्स: इंटरनेशनल चेलेंजेज (2 खण्ड) (नई दिल्ली: मानस पब्लिकेशन्स), 1997

सन्सटीन, कास आर., डेमाक्रेसी एण्ड द प्रोब्लेम आफ फ्री स्पीच (न्यूयार्क: द फ्री प्रेस), 1993

थामिलमारन, बी.टी., ह्यूमन राइट्स इन थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव (नई दिल्ली: हर आनन्द पब्लिकेशन्स), 1992

थार्नबेरी, पैट्रिक, इन्टरनेशनल लॉ एण्ड द माइनारिटीज़ (आक्सफोर्ड: क्लेरेंडन प्रेस), 1991

टोमासेवस्की, कटरीना, डेवलपमेंट एड एण्ड ह्यूमन राइट्स रीविजिटेड (लंदन: पिन्टर पब्लिशर्स), 1993

टोमासेवस्की, कटरीना, वूमेन एण्ड ह्यूमन राइट्स (लंदन: जेड बुक्स), 1993

यूनाइटेड नेशन्स, कम्पाइलेशन आफ जनरल कमेन्ट्स एण्ड जनरल रिकमेन्डेशन्स एडाप्टेड बाई ह्यूमन राइट्स ट्रीटी बाडीज (जिनेवा: यूनाइटेड नेशन्स), 1997

यूनाइटेड नेशन्स, ह्यूमन राइट्स: ए कम्पाइलेशन आफ इंटरनेशनल इन्स्ट्रुमेन्ट्स, [खण्ड 1 (2 भाग), यूनिवर्सल इन्स्ट्रूमेन्ट्स) 1994; (खण्ड 2, रीजनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स) न्यूयार्क, जिनेवा: यूनाइटेड नेशन्स), 1998

यूनाइटेड नेशन्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैण्डर्ड्स फार ला एनकोर्समेंट: ए पाकेट बुक आन ह्यूमन राइट्स फार द पुलिस (न्यूयार्क, जिनेवा: यूनाइटेड नेशन्स) 1996

यूनाइटेड नेशन्स, मिलिटरी एथिक्स, ह्यूमन राइट्स, डेमाक्रेसी एण्ड द रूल आफ ला: ट्रेनिंग मैनुअल (2 खण्ड) (जिनेवा: यूनाइटेड नेशन्स), 1997

यूनाइटेड नेशन्स, द हाई कमिश्नर फार ह्यूमन राइट्स : एन इन्ट्रोडक्शन (न्यूयार्क, जिनेवा: यूनाइटेड नेशन्स), 1996

यूनाइटेड नेशन्स, द यूनाइटेड नेशन्स एण्ड ह्यूमन राइट्स, 1945–1995 (न्यूयार्क: यूनाइटेड नेशन्स डिपार्टमेंट आफ पब्लिक इन फार्मेशन) 1995

यूनाइटेड नेशन्स, यूनाइटेड नेशन्स एक्शन इन द फील्ड आफ ह्यूमन राइट्स (न्यूयार्क: जिनेवा: यूनाइटेड नेशन्स), 1994

यूनाइटेड नेशन्स सेन्टर फार ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन्स रेफरेन्स गाइड इन द फील्ड आफ ह्यूमन राइट्स (न्यूयार्क: यूनाइटेड नेशन्स सेन्टर फार ह्यूमन राइट्स), 1993

बाड़ाकुमचेरी, जेम्स, ह्यूमन राइट्स एण्ड द पुलिस इन इंडिया (नई दिल्ली: ए.पी.एच. पब्लिशिंग), 1996

वान ब्यूरेन, जेराल्डीन, द इंटरनेशनल लॉ आन द राइट्स आफ द चाइल्ड (डाईरेक्ट: मर्टीनस निजहाफ पब्लिशर्स), 1995

वीजापुर, अब्दुल रहीम पी., एड., एजेज़ आन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स (नई दिल्ली: साउथ एशियन पब्लिशर्स), 1991

वाइनर, माइरन, द ग्लोबल माइग्रेशन क्राइसिस : द चैलेंज टु स्टेट्स एण्ड टु ह्यूमन राइट्स (लंदन: हर्पर कालिन्स), 1995

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली